पंचदश माला, खंड 21, अंक 19

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2011
29 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 10 Sept. 2014

(खण्ड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 19, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 368	2-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 369 से 380	24-116
अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370	47-593
सभा पटल पर रखे गए पत्र	593-608
राज्य सभा से संदेश	609
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	609
अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) की 124वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन	610
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
12वां और 13वां प्रतिवेदन	610
सूचन प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	
26वां प्रतिवेदन	610-611
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
प्रतिवेदन	611
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) और नई रेल भर्ती नीति के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 11वें और 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	
श्री के. एच. मुनियप्पा	611-612
(दो) विद्युत मंत्रालय से संबंधित विद्युत योजनाओं का वित्तपोषण; 'विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता'; और 'पारेषण एवं वितरण प्रणालियां और नेटवर्क' के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 9वें, 10वें और 14वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के.सी. वेणुगोपाल	612-613

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) भगवद्गीता पर एक रूसी शहर की अदालत में सुनवाई	
श्री एस. एम. कृष्णा	614-615
कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	615
सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित	
(एक) नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011	615-616
(दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011	616-617
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
सफाई कर्मचारियों (सीवर क्लीनर) के जीवन का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने तथा उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता	625
श्री अर्जुन राम मेघवाल	625
श्री मुकुल वासनिक	625
श्री शैलेन्द्र कुमार	625
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नई मास रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	646-647
(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने बाध्यकारी घरेलू परिस्थितियों के कारण अथवा पेंशन की सुविधा प्राप्त करने हेतु सरकारी आदेश के अनुपालन में सेवा की अनिवार्य अवधि से पूर्व नौकरियां छोड़ दी, उन्हें पेंशन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के. सुधाकरण	647-648
(तीन) उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध पर्यटन स्थलों तक बेहतर रेल, सड़क और विमान संपर्क उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री हर्षवर्धन	648
(चार) देश में जापानी बटेर पालन हेतु लाइसेंस का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	649-650
(पांच) अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का निवारण विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा शीघ्रतापूर्वक किए जाने की आवश्यकता	
श्री एंटो एंटनी	650
(छह) उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान में मावली जंक्शन से मानवाड़ जंक्शन तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोपाल सिंह शेखावत	650-651

विषय	कॉलम
(सात) महाराष्ट्र के अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर कोल्हापुर-नागपुर एक्सप्रेस, भुसावल-निजामुद्दीन-गोंडवाना एक्सप्रेस और तिरुपति एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री संजय धोत्रे	651
(आठ) कतिपय भारतीय राज्यक्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपे जाने के बारे में 'ढाका समझौता 2011' के दृष्टिगत एक संविधान संशोधन लाए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेन डेका	651-652
(नौ) मध्य प्रदेश जबलपुर को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश सिंह	652-653
(दस) फैजाबाद और मुबंई के बीच प्रतिदिन लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस चलाए जाने और उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंडियाहू रेलवे स्टेशन पर इसके ठहराव का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री तूफानी सरोज	653
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी और ताजगंज में ऐतिहासिक भवनों की मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सीमा उपाध्याय	654
(बारह) बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सबैया विमानपत्तन का पुनरुद्धार किए जाने और इस विमानपत्तन से घरेलू उड़ानें प्रचालित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पूर्णमासी राम	654-655
(तेरह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में किसानों के लिए केरल स्थित नेयर बांध से पानी छोड़े जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	655-656
(चौदह) महाराष्ट्र में नांदेड़ से औरंगाबाद तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	656
(पन्द्रह) यूआईडीएआई परियोजना और जनगणना 2011 के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की आवश्यकता	
डॉ. संजीव गणेश नाईक	656-657
(सोलह) किसानों की बेहतरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु नया तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जयंत चौधरी	657-658
(सत्रह) दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पांडा	658

विषय	कॉलम

(अठारह) आंध्र प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी 658-659

प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 660

विचार करने के लिए प्रस्ताव 660

श्री चौधरी मोहन जतुआ 660-661

श्री प्रहलाद जोशी 662-669

चौधरी लाल सिंह 669-674

श्री शैलेन्द्र कुमार 674-676

श्री विजय बहादुर सिंह 676-680

श्री विश्व मोहन कुमार 680-682

डॉ. रत्ना डे 682-683

शेख सैदुल हक 683-686

श्री तथागत सत्पथी 686-690

श्री एम. आनंद 690-692

श्री प्रबोध पांडा 692-693

श्री आर. थामराईसेलवन 693-695

श्रीमती सुमित्रा महाजन 695-698

श्री संजय निरुपम 698-701

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 701-704

श्री नरहरि महतो 704-705

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर 705-706

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 706-708

डॉ. तरुण मंडल 708-709

श्री रामकिशुन 709-710

श्री विष्णु पद राय 710

श्रीमती अंबिका सोनी 710-720

खंड 2 से 4 और 1 720

पारित करने के लिए प्रस्ताव 721

विषय	कॉलम
आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011	721
विचार करने के लिए प्रस्ताव	721
श्री नमो नारायन मीणा	721
श्री उदय सिंह	722–727
श्री हरीश चौधरी	728–732
श्री शैलेन्द्र कुमार	733–734
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	734–735
श्री महेन्द्र कुमार राय	736–737
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	745–746
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	746–756
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	757–758
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	758–760

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2011/29 अग्रहायण 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 361, कुमारी मीनाक्षी नटराजन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैनर नीचे रखिए, नीचे रखिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी मीनाक्षी नटराजन: मेरे संसदीय क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा ...*(व्यवधान)* मानव दुर्व्यापार के मामले ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: बैनर नीचे रखिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मीनाक्षी नटराजन: खासतौर पर बालिकाओं के लिए सामने आए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

कुमारी मीनाक्षी नटराजन: ऐसे में उनके संरक्षण के लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैनर नीचे रखिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी मीनाक्षी नटराजन: उन समुदायों का उन प्रथाओं से उनके उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से क्या कार्रवाई की जा रही है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैनर नीचे रखिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी मीनाक्षी नटराजन: यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हां अब आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: मीनाक्षी जी, अपना प्रश्न पूछिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मानव दुर्व्यापार

***361. कुमारी मीनाक्षी नटराजन:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नववधुओं के अंतरराज्यीय दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार की घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस दुर्व्यापार को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों को ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए सलाह दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान मानव दुर्व्यापार रोधी तंत्र के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मानव दुर्व्यापार की घटनाओं की जानकारी मिली है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा नववधुओं के दुर्व्यापार के संबंध में केन्द्रीय तौर पर कोई विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008, 2009, और 2010 की अवधि के दौरान कानून के अलग-अलग प्रावधानों, जो मानव-दुर्व्यापार की सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या क्रमश: 3030, 2848 और 3422 थी। इनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के नाते मानव दुर्व्यापार के अपराध की रोकथाम करने और उनका मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्रत: एवं व्यापक तरीके से मानव-दुर्व्यापार के अपराध से निपटने और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने के साथ-साथ, पीड़ितों के बचाव, राहत और पुर्नवास को सम्मिलित करते हुए एक प्रभावकारी एवं व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए दिनांक 09.09.2009 को एक परामर्शी पत्र (जो **www.mha.nic.in** पर उपलब्ध है) जारी किया है। गृह मंत्रालय में एक दुर्व्यापार-रोधी-नोडल प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और 335 एकीकृत मानव-दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए एक व्यापक योजना मंजूर की गई है और वर्ष 2010-11 में 115 मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों को 8.72 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है।

अनुबंध

वर्ष 2008-2010 के दौरान मानव दुर्व्यापार के अन्तर्गत कारित कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले (सीआर) आरोप-पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	408	420	77	1257	1340	251	309	321	218	1070	1119	200	633	506	79	1449	1389	163
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	27	25	10	62	90	17	38	18	0	62	37	0	103	32	2	127	49	4
4.	बिहार	106	88	14	189	156	21	129	65	11	161	133	24	184	95	11	179	156	14
5.	छत्तीसगढ़	8	8	1	18	18	3	14	13	1	49	42	3	25	23	8	79	80	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	गोवा	14	12	12	42	34	43	23	19	10	73	44	17	17	14	0	50	36	0
7.	गुजरात	59	55	3	214	209	5	44	39	1	202	192	10	46	46	2	157	157	4
8.	हरियाणा	77	81	21	361	360	117	90	83	19	391	375	93	57	57	28	226	233	94
9.	हिमाचल प्रदेश	3	1	1	13	2	1	11	11	0	29	41	0	4	4	0	13	14	0
10.	जम्मू और कश्मीर	4	4	0	10	10	0	6	5	0	19	18	0	4	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	66	42	5	142	122	13	7	20	10	66	46	22	46	38	5	63	70	12
12.	कर्नाटक	521	518	215	1671	1657	575	336	319	150	1341	1243	322	263	258	264	954	1034	359
13.	केरल	200	208	134	438	518	197	328	331	182	666	654	248	315	341	217	586	643	274
14.	मध्य प्रदेश	30	22	5	78	61	3	22	24	7	82	99	9	44	37	15	144	137	15
15.	महाराष्ट्र	366	346	62	1470	1296	144	344	386	92	1537	1744	200	360	376	78	1096	1124	176
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	3	1	0	14	1	0	5	4	0	5	5	0	3	1	0	12	4	0
18.	मिजोरम	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
19.	नागालैंड	1	1	1	10	1	1	3	5	5	24	17	18	2	3	4	15	12	1
20.	ओडिशा	29	36	3	107	82	15	15	16	3	57	56	7	34	31	4	1 10	149	7
21.	पंजाब	43	45	12	168	157	28	62	50	11	234183	38		60	56	15	291	257	68
22.	राजस्थान	72	70	65	253	253	41	63	60	21	216	213	107	96	93	16	312	315	31
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	3	1	0	5	1	0
24.	तमिलनाडु	688	732	809	1280	1207	1032	716	718	463	1269	1403	820	580	576	316	921	931	669
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	28	15	4	29	8	4	33	17	0	19	18	0
26.	उत्तर प्रदेश	57	47	37	383	375	276	39	37	21	201	186	176	23	21	28	119	97	201
27.	उत्तराखंड	5	5	6	22	28	20	6	5	5	29	39	9	4	4	11	27	27	29
28.	पश्चिम बंगाल	163	116	12	303	244	20	160	86	9	295	216	17	427	216	15	634	361	46
	कुल राज्य	2951	2884	1505	8506	8222	2823	1800	2651	1244	8110	8116	2345	3366	2847	1119	7588	7295	2183
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	0	1	3	1	0	15	1	0
30.	चंडीगढ़	7	2	0	35	3	0	4	6	0	14	33	0	3	5	0	13	18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.	दादरा और नगर हवेली	3	4	0	22	20	0	0	1	0	0	8	0	1	1	0	8	8	0
32.	दमन एवं दीव	6	6	0	30	48	0	4	2	0	27	11	0	6	5	0	42	35	0
33.	दिल्ली संघ शासित	60	50	40	162	289	119	30	34	31	79	107	80	32	39	32	100	105	84
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	3	1	19	19	7	9	9	1	52	32	12	11	11	8	37	37	25
	कुल संघ शासित	79	66	41	268	381	126	48	52	35	154	191	93	56	62	40	215	204	109
	कुल अखिल भारत	3030	2950	1546	8774	8603	2949	2848	2703	1379	8264	8307	2438	3422	2909	1159	7803	7499	2292

स्त्रोतः क्राइम इन इंडिया नोटः पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों से लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

'इसमें ये शीर्ष शामिल हैं: (अनैतिक दुर्व्यापार निवारण) अधिनियम+लड़कियों का आयात+अवयस्क लड़कियों की खरीद-फरोख्त+वेश्यावृति के लिए लड़कियों को खरीदना+वेश्यावृति के लिए लड़कियों को बेचना)

'कर्नाटक राज्य ने वर्ष 2011 में वर्ष 2008 से संबंधित अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम के आंकड़ों को बदल दिया है।

[हिन्दी]

कुमारी मीनाक्षी नटराजनः माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा बालिकाओं के अपहरण, मानव तस्करी और दुर्व्यापार के मामले सामने आए हैं ...*(व्यवधान)* ऐसे में उन समुदायों को इन प्रथाओं से उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिल कर क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे सुधार के कदम उठाने के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या फैसला किया है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना प्रश्न दोहराएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मीनाक्षी नटराजनः माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर में एक समुदाय विशेष द्वारा खास तौर पर बालिकाओं की मानव तस्करी, अपहरण और दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। ऐसे में इन समुदायों को इन प्रथाओं से मुक्त करने के लिए, उन्मूलन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और उसके सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या निर्देशित किया गया है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, जहां तक मध्य प्रदेश में मानव तस्करी के अंतर्गत हुए अपराधों के कुल मामले दर्ज होने का संबंध है तो 2008 में 30 घटनाएं हुई, 2009 में 22 मामले दर्ज किए गए और 2010 में 44 मामले दर्ज किए गए। ...*(व्यवधान)* जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है तो हम मानव तस्करी रोधी इकाई स्थापित करने हेतु राज्यों को धनराशि जारी करते हैं। हमने सलाह जारी की है ...*(व्यवधान)* हमने 4 सितम्बर 2009, 9 सितम्बर 2009 और 14 जुलाई 2010 को तीन सलाह जारी की हैं ...*(व्यवधान)*

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है तो हमने 60,64,000 रुपये जारी किए हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें 8 मानव तस्करी रोधी इकाईयां सभापति करनी थीं और उन्होंने 8 मानव तस्करी रोधी इकाईयां स्थापित की हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

कुमारी मीनाक्षी नटराजनः माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मानव तस्करी से जिन बच्चों को बचाया जाता है उनके संरक्षण के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और उनकी निगरानी के लिए राज्य

सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ जो दण्डात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उसकी निगरानी कैसे की जाती है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, जहां तक हमारी सलाह का संबंध है तो हमारी सलाह बहुत स्पष्ट है कि उन्हें बीट कांस्टेबलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ...*(व्यवधान)* विशेषकर दूरस्थ और एकांत भागों में पुलिस सहायता बूथ और छतरियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ...*(व्यवधान)* रात्रि में पुलिस की गश्त बढ़ानी होगी; बुनियादी साधनों से पूरी तरह सुसज्जित विशेषकर महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती; जोखिम वाले बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है उनके बारे में संबंधित बाल संरक्षण एजेंसियों को बताने; तस्करी के जोखिम वाले बच्चें के रूप में पहचानें गए बच्चों के संबंधी होने का दावा करने वाले प्रायोजकों और लोगों पर नियंत्रण रखने; और गैर-सरकारी संगठनों सहित संबंधित संगठनों के साथ स्थानीय बाल संरक्षण नेटवर्क में भाग लेना ...*(व्यवधान)*

महिला और बाल विकास मंत्रालय की तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनर्समाकलन और पीड़ितों के प्रत्यपूर्ण के लिए व्यापक योजना हैं ...*(व्यवधान)* योजना को "उज्ज्वला" कहा जाता है और यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 04/12/2007 को शुरु की गयी थीं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ... *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री के विस्तृत उत्तर के लिए उनको धन्यवाद देती हूं। हम सब जानते हैं कि महिलाओं की इस देश में देवी के रूप में पूजा की गयी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस सभा में मानव तस्करी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

जैसा हम सब जानते हैं हाल के वर्षों में यौन शोषण के प्रयोजन के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है ...*(व्यवधान)*

मैं मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने और इस बुराई से निपटने के लिए राज्यों को सलाह जारी करने हेतु माननीय मंत्री को धन्यवाद देती हूं। उन्हें बचाने के बाद भी कितनी महिलाओं का पुनर्वास किया गया और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे वापस उसी व्यवसाय में न जाएं ...*(व्यवधान)*

मैं माननीय मंत्री को 335 एकीकृत मानव तस्करी रोधी इकाईयां स्थापित करने हेतु एक व्यापक योजना को स्वीकृत देने के लिए भी धन्यवाद देती हूं और उसके लिए धन राशि जारी कर दिया गया है ...*(व्यवधान)* अभी तक कितनी राज्य सरकारों ने ये इकाइयां स्थापित की हैं और कितनी राज्य सरकारों ने नहीं की है? क्या माननीय मंत्री इस बुराई से निपटने के लिए सभी राज्यों में सीबीआई जैसी एजेंसी स्थापित करने पर विचार करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदया, महिलाओं के पुनर्वास संबंधी जानकारी केंद्र के पास उपलब्ध नहीं हैं ...*(व्यवधान)* हमारे पास दर्ज मामलों की संख्या 5 जिन मामलों में आरोपि पत्र दाखिल किए गए उनकी संख्या; गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या; आरोप पत्र वाले व्यक्तियों की संख्या; और दोषसिद्ध वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी है ...*(व्यवधान)* जिन महिलाओं का पुनर्वास किया गया उनकी संख्या संबंधित राज्य सरकारों के पास होगी ...*(व्यवधान)*

जहां तक 115 के लक्ष्य के मुकाबले मानव तस्करी रोधी इकाईयां (ए एफ टी यू) स्थापित करने का प्रश्न है जिसके लिए 8,71,70,000 रुपये की राशि जारी की जा रही है। राज्य सरकारों ने 101 मानव तस्करी रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित की हैं। . ..*(व्यवधान)*

आसूचना एजेंसियां

\+
*362. **श्री मनीष तिवारी:**
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) और राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोध केन्द्र की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोधी केन्द्र, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड और आसूचना ब्यूरो को पृथक्-पृथक् क्या भूमिका और कृत्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आंतकवाद प्रतिरोधी केन्द्र की स्थापना पर व्यक्त की गई कतिपय आशंकाओं पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोधी केन्द्र और आसूचना ब्यूरो के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है ताकि इन संगठनों को सौंपे गए दायित्वों, कृत्यों तथा भूमिका स्पष्ट रुप से सुनिश्चित की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नैटग्रिड की स्थापना दिनांक 1.12.2010 के गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 06.06.2011 को नैटग्रिड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) को "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। योजना आयोग ने भी वर्ष 2011-12 से गृह मंत्रालय के अंतर्गत 'केन्द्रीय योजनागत स्कीम' के तौर पर दिनांक 8 जुलाई, 2011 को परियोजना को अपना "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नैटग्रिड के फाउंडेशन और फर्स्ट हारिजन से संबंधित कार्य जल रहा है तथापि प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोधी केन्द्र (एन सी टी सी) के गठन और संरचना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) नैटग्रिड की स्थापना डाटा बेसों को जोड़ने के उद्देश्य से की गई है जो आतंकवाद का मुकाबला करने में उपयोगी सिद्ध होगी। इसका आशय एक ऐसी सुविधा का निर्माण करना है जिससे आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता और बेहतर होगी। आसूचना ब्यूरों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संविधान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आसूचना के एकत्रीकरण, मिलान तथा प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। एन सी टी सी के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व विस्तृत परामर्श करती है।

(घ) और (ङ) आसूचना ब्यूरो के बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया गया है जिससे कि यह चौबीसों घंटे (24×7) कार्य कर सके। दिनांक 31.12.2008 को एक शासकीय आदेश जारी किया गया था जिसके तहत आसूचना ब्यूरो (आई बी) के अंतर्गत आने वाले बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों सहित अन्य सभी एजेंसियों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार, अन्य सभी एजेंसियों को बहु-एजेंसी केन्द्र के साथ आसूचना के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उपर्युक्त आदेश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, नई दिल्ली स्थित बहु-एजेंसी केन्द्र, राज्य स्तर पर स्थित सहायक बहु-एजेंसी केन्द्रों (एस एस ए सी) और अन्य एजेंसियों के आसूचना विंगों के मुख्यालयों में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि आसूचना एजेंसियों के बीच सूचना का समय पर आदान-प्रदान तथा बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके। प्राप्त सूचना के आदान-प्रदान तथा उस पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों की नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। सभी सदस्य एजेंसियों के लिए, सूचना का आदान-प्रदान करना तथा आदान-प्रदान की गई सूचना पर कार्रवाई करना अनिवार्य है।

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदया, जिस आयोग ने 9/11 हमले की जांच की थी उसने माना कि अमरीकी सुरक्षा प्रतिष्ठान में एक प्रमुख समस्या यह थी कि जिन एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वे एक दूसरे से बात नहीं कर रही थीं ...*(व्यवधान)*

26/11 के बाद, जहां सरकार ने मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया है वहीं सामाजिक आसूचना और रणनीतिक आसूचना के बीच अंतर है ...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जिन विभिन्न एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उनके बीच राजनीतिक समन्वय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि हमें गम्भीरता से इसका समाधान करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

जहां तक रणनीतिक समन्वयन का प्रश्न है तो यह समन्वय एक स्तर पर मल्टी-एजेंसी सेंटर द्वारा उच्चतर स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा, और राजनैतिक स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है ...*(व्यवधान)*

जिन मामलों पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिन मामलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्तर पर विचार किया जाता है वे रणनीति से जुड़े मामले होते हैं मेरे विचार से सरकार के विभिन्न अंगों के बीच पर्याप्त समन्वय है ...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदया, पिछले एक सप्ताह में विभिन्न समाचार-पत्रों ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके द्वारा रॉ (अनुसंधान और विश्लेषण संघ) को भारत से सृजित दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक डाटा बीच में ही सुनने या ग्रहण इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये रिपोर्ट सही हैं; और (ख) यदि ये रिपोर्ट सही हैं तो क्या यह रॉ के चार्टर का उल्लंघन नहीं है क्योंकि चार्टर में गहरी जिम्मेदारी के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया

है और यह रॉ को भारत के भीतर किसी भी गतिविधि विशेषकर भारतीय नागरिकों के वार्तालाप अथवा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री को बीच में सुनने या ग्रहण करने से संबंधित गतिविधि से दूर रहने की बात कहता है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से जूड़ा हुआ नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आर एंड ए डब्ल्यू. को एक और संगठन के अन्य में जोड़ा गया है जिसे अंतरग्रहण का अधिकार दिया गया है परन्तु अंतरग्रहण आर एंड ए डब्ल्यू अधिदेश तर्क सीमित है; और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि अंतरग्रहण के एक सीमित क्षेत्र का अधिकार देने में आर एंड ए डब्ल्यू अपने अधिदेश के भीतर ही कार्य करता रहेगा और यह अपने अधिदेश से आगे नहीं जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री संजय दिन पाटील।

...*(व्यवधान)*

श्री संजय दिना पाटील: महोदया, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2009 में उन्होंने एन सी डी सी की स्थापना का वायदा किया था। 26/11 की घटना के तीन वर्ष पश्चात भी कोई प्रगति नहीं हुई। फिर, भारत आतंकवादी हमलों की सक्रियता को कैसे रोक सकता है? सरकार और क्या कदम उठाने जा रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: एन सी टी सी एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। एन सी टी सी पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जा सकता। परन्तु मुझे यह बताते हुए खुशी है कि एन सी टी सी की स्थापना के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक अंतिम नोट अब सीसीएस के समक्ष है और मुझे आशा है कि इस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्णय ले लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 363, श्री मनोहर तिरकी : उपस्थित नहीं। श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.13 बजे

इस समय श्री के. सुगुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, यह क्या है? कृपया अपने स्थान पर वापिस जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री मजूमदार की बात के अतिरिक्त और कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री के. सुगुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

विदेशी समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन

\+
*363. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय प्रमोटरों के साथ भागीदारी में विदेशी समाचार पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में पत्रकारों और घरेलू समाचार-पत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मौजूदा नीति के अनुसार, समाचार और समसामयिक विषयक समाचारपत्रों व आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में 26% तक के विदेशी पूंजीगत निवेश की अनुमति है जबकि वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्टीकृत मैगज़ीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं को

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में 100% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। सरकार ने विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करण प्रकाशित करने के लिए भारतीय प्रकाशक-कंपनियों को अनुमति दी है और ऐसे मामलों में 26% प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। विदेशी समाचारपत्र के स्वामित्व वाले विदेशी प्रकाशन घराने को भी अपने संपूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से विदेशी समाचारपत्र का अनुलिपि संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों द्वारा विदेशी समाचार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति दी है। ऐसी कंपनियों में निवेश ठोस प्रत्यय-पत्रों व अंतर्राष्ट्रीय साख वाली विदेशी कंपनियों के लिए अनुज्ञेय होगा। यह अनुमति कतिपय शर्तों के अध्यधीन होगी जैसे कि भारतीय कंपन के निदेशक मंडल में तीन-चौथाई निदेशक तथा सभी महत्वपूर्ण कार्यपालक व संपादकीय स्टाफ-सदस्य निवासी भारतीय होंगे।

प्रिंट मीडिया नीति के अनुसार, मुख्यत: समाचार एवं समसामयिक विषयक विदेशी समाचारपत्रों को भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यद्यपि विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति दी गई है लेकिन उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं को लक्षित करते हुए विज्ञापनों को किसी भी रूप में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।

प्रिंट मीडिया के समाचार एवं समसामयिक विषयक क्षेत्र में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित इन नीतिगत उपायों से घरेलू समाचारपत्र उद्योग लाभान्वित हुआ है।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: महोदया, अन्य समाचार पत्रिकाओं के प्रकाशन में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ ई आई) है। मंत्रालय ने वरिष्ठ कार्यपालकों और पत्रकारों के सभी पद केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों से ही भरने का आदेश दिया है। किंतु हम सबके बाद भी क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि विदेशी मीडिया, विशेषकर व्यापारिक और वित्तीय पत्रिकाओं के माध्यम से अपने-अपने देशों के हितों और लाभ का प्रचार करके भारतीय बाजार को प्रभावित कर रहा है जिसके फलस्वरूप हमारे अपने लोगों द्वारा गलत निवेश किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: ऐसी स्थिति में मंत्रालय इस समस्या से कैसे निपटेगा।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदया, सरकार की प्रिंट मौद्रिक नीति का मूल अवक्षेप 1955 के केबिनेट के निर्णय से आता है जिसने यह निर्धारित किया है कि विदेशी स्वामित्व वाला कोई भी समाचार पत्र और प्रकाशन भारत में प्रकाशित नहीं होना चाहिए।

समाचार और सामयिक मामलों से संबंधित विदेशी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के मद्देनजर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक निश्चित प्रतिशत अर्थात 26 प्रतिशत समाचार और सामयिक मामलों के क्षेत्र के लिए दिया गया है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्रीमती अम्बिका सोनी: किन्तु यह अनिवार्य है कि कोई भी विदेशी मालिक अपने समाचार-पत्र का भारतीय संस्करण भी नहीं निकाल सकता। ऐसा भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी कम्पनी के माध्यम से किया जाना है और कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी विदेशी समाचार-पत्र के केवल प्रतिकृति संस्करण को ही भारत में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है।

यद्यपि, समाचार-पत्रों को अनुमति दी गई है फिर भी अभी तक केवल एक प्रतिलिपि संस्करण निकाल रहा है और इसके प्रतिलिपि संस्करण में कोई भारतीय विज्ञापन अथवा कोई भारतीय विषय-वस्तु नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया दूसरा पूरक प्रश्न रखिये।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: कोई पूरक प्रश्न नहीं है।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, उनके प्रश्न क्रमांक 'घ' में जो बात देशी पत्रकारों और घरेलू समाचारपत्रों के संबंध में थी, उसके संबंध में मंत्री जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। देश में बड़ी संख्या में श्रमजीवी पत्रकार हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन उनके वेतन-भत्ते, जी.पी.एफ., आवास, इलाज आदि की व्यवस्था न के बराबर है।

दूसरी बात यह है कि जिस तरह समाचार पत्रों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह कभी-कभी कष्ट देने वाली होती है। हम लोग संसद में संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों में भी क्या संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए? आम तौर पर देखा जाता है कि जिस भाषा का प्रयोग वे लोग करते हैं, उससे

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों का काफी कुछ अपमान होता है। मुझे लगता है कि इससे समाज के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाता? क्या भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन प्रेस काउंसिल भी कुछ नहीं कर पा रही है। मेरी मांग है कि सरकार संसदीय भाषा का प्रयोग उनको भी करने के लिए क्या प्रयत्न करेगी?

[अनुवाद]

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदया, जहां तक सभी समाचार-पत्रों का विषय वस्तु और प्रबंधन का संबंध है तो भारतीय प्रेस परिषद है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। देश में चर्चा चल रही है। प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि दिन-प्रतिदिन की बहुत सी समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेस परिषद को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए है। वह बहस चल रही है। जब भी बहस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी तो मुझे विश्वास है कि मंत्री-समूह, जिसे सरकार ने इस पूरे मामले पर विचार करने के लिए गठित किया है, बहस के निष्कर्ष को संसद के समक्ष रखेगा।

किन्तु मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देती हूं। सभा की यह बात गर्व के साथ समझनी चाहिए कि मीडिया की उपस्थिति के लिए आज भारत सबसे बड़े देशों में से एक है। लगभग 77,000 समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक हैं जो इस देश में प्रकाशित होते हैं। यह संप्रग सरकार की स्वत: स्फूर्त नीति का परिणाम है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा हेतु अतिरिक्त आवंटित की गई है। 350 मिलियन लोग समाचार-पत्र पढ़ते हैं। उनमें अब 250 मिलियन लोग और जुड़ रहे हैं जो साक्षरता बढ़ने के कारण समाचार-पत्र पढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए, आज लघु-मध्यम और बृहत श्रेणियों में 77,000 समाचार-पत्र है। जब समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ती है तो स्वभाविक रूप से लोगों की समाचार-पत्र उद्योग में पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के तौर पर लोगों को रोजगार मिलता है। किन्तु और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका पिछले कुछ वर्षों में संप्रग सरकार ने ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि पत्रकार ऐसा चाहते थे और ऐसा भी नहीं कि किसी ने इसकी मांग की थी बल्कि कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की स्वत: स्फूर्त अपनी स्वयं की इच्छा थी। मैं वेतन बोर्ड की सिफारिशों का जिक्र नहीं करूंगी। वह दूसरे मंत्रालय अर्थात श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। परन्तु हमारे मंत्रालय ने भी वेतन बोर्ड की सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं। इसके साथ ही सरकार ने पत्रकारों के लिए आवास, पूल बना दिया है। बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजनार्थ किसी तरह को बीमा पॉलिसी के अंतर्गत और अधिक पत्रकारों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय और मेरे मंत्रालय के बीच कार्रवाई चल रही है।

मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, जिसमें 1867 से कोई सार्थक संशोधन नहीं किया गया है उसे संसद में चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखे जाने की प्रतीक्षा है। इसलिए उद्योग की रक्षा करने और उद्योग के लिए कार्य करने वाले लोगों की रक्षा करने हेतु अनेक कदम उठाये गए हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मेरे मूल प्रश्न इसमें जो 'घ' दिया हुआ है, उससे है कि सरकार द्वारा देश में पत्रकारों और घरेलू समाचार-पत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उर्दू के बारे में मेरा मूल प्रश्न है, इस सदन में बड़े विस्तार से सभी सम्मानित पार्टी के लीडर्स ने भी इस पर चर्चा की थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस मामले को उठाया था कि जो हमारे उर्दू के समाचार-पत्र हैं, वे बहुत उपेक्षित हैं। उनके लिए आपने क्या कार्य-योजना तैयार की, उनके विज्ञापन के लिए क्या कार्य-योजना बनाई, इस बारे में माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएं?

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जब यह प्रश्न पहले उठाया गया था, उसी वक्त मैंने लिखित में जवाब दिया था कि हम लोगों ने हाल में यह प्रयास किया है कि जो सर्क्युलेशन है, उसके मुताबिक ही नहीं, लेकिन हिन्दी, उर्दू और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को डीएवीपी नीति के द्वारा अधिक एडवरटाइजमेंट, इश्तहार देने चाहिए। इसमें कई लोगों को एतराज भी हुआ है। मेरे से कुछ अंग्रेजी अखबारों ने शिकायत भी की है कि हमारी अखबारों के एडवरटाइजमेंट क्यों बंद किये जा रहे हैं, लेकिन मेरा यह प्रयास है कि छोटे और मध्यम क्षेत्र के अखबारों को हम ज्यादा इश्ताहर दें और उर्दू का खास करके न सिर्फ ज्यादा, मैं पूरे आंकड़े लाई हूं। ये साबित करते हैं कि उर्दू भाषा की अखबारों को न सिर्फ अधिक इश्तहार दिए गए हैं। दूसरा जो उर्दू अखबारों के लिए रेकग्निशन एवं एम्पैनलमेंट का क्राइटीरिया है, इसको और प्रो-फ्रेंडली किया गया है, उसमें ज्यादा राहत दी गई है।

मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि कितने इश्तहार किस भाषा के अखबार को दिये जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने पहले ही कहा कि हम हिन्दी को, क्योंकि उसकी सर्क्युलेशन अधिक है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैंने उर्दू के बारे में पूछा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे रही हैं, आप इनका जवाब सुन लीजिए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिंदी]

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि उर्दू की अखबारों के आंकड़े मैं माननीय सदस्य को लिखित में आज शाम को भिजवा दूंगी, क्योंकि यहां ये आंकड़े बताने में बहुत समय लगेगा। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि पिछले तीन सालों में ये किस कद्र बढ़ाया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप माननीय सदस्य को शाम तक ये आंकड़े भिजवा दें।

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारी प्रिंट मीडिया नीति के पीछे का दर्शन 1955 में विकसित हुआ था। तब से, हमने इंटरनेट की खोज देखी है जो तत्वत: इस देश में प्रकाशन और विदेशी प्रकाश और विदेशी प्रकाशन के बीच के भेद को मिटा देता है। एक भारतीय जिसकी पहुंच कम्प्यूटर तक हो वह विदेश में छपे प्रकाशन, जो शत प्रतिशत विदेशी मालिकों के हैं और यहां उपलब्ध हैं, पढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज के इंटरनेट युग में इस भेद को कायम रखकर कौन-सा उपयोगी जन-नीति का उद्देश्य पूरा हो रहा है? दूसरे, क्या अब 21वीं सदी की वास्तविकताओं के मद्देनजर 1955 की प्रिंट मीडिया नीति पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदया, 1955 की नीति पर पुनर्विचार किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ विदेशी समाचार और समाचार-पत्रों की श्रेणी में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। किंतु यह हमारी सुविचारित नीति रही है और देश में इस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि करने पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था, सरकार का यह भी प्रयास है कि समाचार-पत्र उद्योग जो स्वदेशी और भारतीय है उसे प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारे लोगों को रोजगार के स्रोत न गंवाने पड़ें। इसलिए, इस संबंध में बहस चल रही है। बहस निष्कर्ष पर न पहुंचने और उस पर सर्वसम्मति न होने के मद्देनजर ही 26 प्रतिशत की अनुमति दी गई है और यह अनुमति भी पूर्ण पंजीकृत भारतीय कम्पनियों के माध्यम से भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई है।

सामान्य श्रेणी में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि वे भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रकाशित किए गए हों। मेरे पास समाचार और सामाजिक मामलों दोनों की श्रेणियों और विज्ञान जैसे सामान्य मामलों और अन्य प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों को छापने वाले विदेशी जर्नलों की संख्या के सही-सही आंकड़े हैं। यह कार्य चल रहा है। यह विकास का प्रश्न है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इंटरनेट ने विदेशी समाचार-पत्रों तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। किंतु यह नीति भारतीयों के लिए रोजगार के अनुकूल रहनी चाहिए।

सम्पत्ति के मूल्यों में वृद्धि

***364. +श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल हाउसिंग बैंक की 'रीसाइड' जो सम्पत्ति मूल्यों का सूचकांक है, के अनुसार गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में जुलाई-सितम्बर, 2011 के दौरान दिल्ली में सम्पत्ति के मूल्यों में अधिकतम 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवासों का निर्माण करने में असमर्थ रहे थे;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने आम जनता के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है ताकि सम्पत्ति के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। जुलाई-सितंबर, 2011 की तिमाही के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक रिजाईड-एन-इंडेक्स (आरईएसआईडीईएक्स) से यह पता चलता है कि जुलाई-सितंबर, 2011 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आवासीय कीमतों में 34% की वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार इस संबंध में पूरी तरह से सुग्रहित है और यह गरीबों के लिए निम्न लागत के ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) आवास विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण, जनता में आबंटन करने के लिए वर्ष 1969 से विभिन्न श्रेणियों में आवास का निर्माण कर रहा है। वर्ष 2011 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3,94,783 फ्लैटों का आबंटन किया है जिनमें से 78,399 एलआईजी फ्लैट और 83,345 जनता फ्लैट हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण और प्राइवेट विशिष्ट व्यक्तियों को आबंटित डीडीए के प्लाटों पर 2.5 लाख इकाइयों के निर्माण कार्य को सुगम बनाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जे.जे. (झुग्गी झोपडी) पुनर्वास कालोनियों में भी 2.4 लाख आवास प्रदान किए हैं। इस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में कुल 10 लाख से भी अधिक आवासों के निर्माण को सुगम बनाया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजना से लेकर निर्माण तक के विभिन्न स्तरों पर लगभग 1 लाख ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग)/एल आई जी (निम्न आय समूह) फ्लैट भी विकसित किए जा रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. का संबंध है, उसने सूचित किया है कि आवास की मांग को पूरा करने के उसे केन्द्र/किसी राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वार आवासों के निर्माण के लिए ना तो कोई भूमि आबंटित की गई है और ना ही प्रत्येक श्रेणी में आवासों की मांग और पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए आवास का निर्माण करने का कोई कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. ने यह भी सूचित किया है कि उसने इस संबंध में निम्न लागत के आवास की कोई योजना घोषित नहीं की है।

श्री आनंद प्रकाश परांजये: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उत्तर में कहा गया है कि नेशनल हाउसिंग बैंक रिसाइड-एन-इंडैक्स (ऐसीडैक्स) के अनुसार नई दिल्ली में मकानों की लागत में 34% की वृद्धि हुई है। सरकार निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये कम लागत वाले मकानों का निर्माण करना चाहती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से और अधिक मकानों के निर्माण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या सरकार ने मकानों की लागत कम करने के उद्देश्य से कोई तकनीक विकसित करने के लिये सर्वेक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्मित किये जाने वाले मकानों की संख्य बढ़ सके?

श्री कमलनाथ: जी हाँ। शहरीकरण के दबाव से मकानों की कमी हो रही है विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो में। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में इंगित किय गया है कि वर्ष 2021 तक दिल्ली में लगभग 24 लाख मकानों की कमी हो जायेगी। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है। हमने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिये आरम्भ में दि.वि.प्रा. के माध्यम से एक लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। हमें आशा है कि उपलब्ध मकानों का पुर्नविकसित कर, नये मकानों का विकास कर तथा नये आवास निर्माण के माध्यम से हम इस कमी को दूर कर लेगें। हम यह भी देख रहे है कि क्या एफ ए आर को बढ़ाया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया था जब मैं विधेयक प्रस्तुत कर रहा था। दिल्ली का मास्टर प्लान सपीक्षाधीन है। अत: हमारी निगाह दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा पर टिकी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये मकानों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकें।

श्री आनंद प्रकाश परांजये: उत्तर के दूसरे भाग में बताया गय है कि मकानों के निर्माण से संबधित कोई भी कार्य नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन लि. (एन बी सी सी) को नहीं सौंपा गया है। मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्रालय अन्य महानगरों जैसे मुम्बई, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में मकानों के निर्माण के लिये एन बी सी सी को नोडल ऐजेंसी बनाने पर विचार कर रहा है क्योंकि इन महानगरों में केन्द्रीय सरकार की बहुत सारी भूमि पड़ी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे एन बी सी सी को ऐसी जगहों पर भी नोडल एजेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं जहां इन महानगरों के निवासियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

श्री कमलनाथ: महोदया, एन बी बी सी को यह निर्देश दिया गया है कि वह स्वंय भी आवास निर्माण क्षमता पैदा करे किंतु जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है हमें यह समझना चाहिये कि आवास राज्यों का विषय है। यदि राज्य सरकार भूमि का आबंटन कर देती है, तो एन बी सी सी आवास निर्माण के कार्य में स्वेच्छा से भागीदारी करेगी। विशेष रूप से दिल्ली के संबंध में मैंने यह निर्देश दिया है कि एन बी सी सी की भूमि उपलब्ध करायी जानी चाहिये क्योंकि हम इस संबंध में किये जा रहे सभी प्रयासों में सहयोग देना चाहते हैं चाहे एन बी सी सी हो या कोई अन्य निकाय। हम निर्माण कार्य में सहयोग देना चाहते हैं अत: मैंने निर्देश दिया है कि मकानों की संख्या बढ़ाने संबंधी परियोजनाओं के लिये एन बी सी सी को भूमि का आबंटन किया जाए। जहां तक राज्यों का संबंध है, एन बी सी सी पहले भी विभिन्न राज्यों में निर्माण कार्यों में भागीदार होता रहा है और आगे भी होगा जहां तक मकानों की संख्या का प्रश्न है, वे राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में ऐसा करने के लिये तत्पर है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदया, एक तरफ पूरे देश में मंदी का दौर चल रहा है और उसी टाइम मकान के भाव दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बिल्डर्स और प्रापर्टी डीलर्स को काबू में रखने के लिए क्या केन्द्र सरकार रियल स्टेट रेग्युलेशन बिल लाने के बारे में विचार कर रही है और अगर यह होगा, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: महोदया, आवास मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और इस विषय पर बातचीत भी चल रही है। मेरे सहयोगी आवास मंत्री इस प्रश्न का सही उत्तर देने में अधिक सक्षम हैं तथापि मैं आदरणीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम इस पर इसलिये विचार करना चाहते हैं क्योंकि डेवलेपर्स के खिलाफ काफी शिकायते आती रही हैं और शिकायते अभी भी आ रही हैं। सदन में प्रस्तावित इस विधेयक का उद्देश्य इसे और अधिक पारदर्शी और प्रयोक्तानुकूल बनाना ही है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदया, जिस तरह से दिल्ली में आबादी बढ़ रही है और डीडीए ने कहा था कि दो लाख मकान हर साल बनायेंगे, लेकिन दिल्ली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गयी है। आम आदमी के लिए दिल्ली में मकान पाना एक ख्वाब बन गया है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम लोगों के लिए मकान बना रहे हैं। किसानों से सस्ते दामों पर जमीन लेकर, उसका ऑक्शन जो डीडीए कर रही है, क्या डीडीए पैसा कमाने की मशीन बनी है या आम आदमी को रिलीफ देने की? महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की जो जमीन कौड़ी के भाव आपने ली, उसका ऑक्शन बंद करके बड़े लोगों को देने पर विचार कर रही है, क्योंकि तीन-तीन सौ करोड़ रुपये का एक छोटा सा प्लॉट बिक रहा है, वह आम आदमी के लिए, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए और दिल्ली के आम आदमी को मकान मिल जाये, क्या इसके लिए सरकार की तरफ से वह कोई प्रयास करेंगे?

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): اسپیکر صاحب، جس طرح سے دہلی کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ڈی ڈی اے نے کہا تھا کہ دو لاکھ مکان ہر سال بنائیں گے، لیکن دہلی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ عام آدمی کے لئے دہلی میں مکان پانا ایک خواب سا بن گیا ہے۔ منتری جی نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے مکان بنا رہے ہیں۔ کسانوں سے سستے داموں پر زمین لے کر، اس کا آکشن جو ڈی ڈی اے کر رہی ہے، کیا ڈی ڈی اے پیسہ کمانے کی مشین بنی ہے یا عام آدمی کو ریلیف دینے کی؟ محترمہ، میں آپ کے ذریعے سے منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسانوں کی جو زمین کوڑی کے بھاؤ آپ نے لی، اس کا آکشن بند کر کے بڑے لوگوں کو دینے پر وچار کر رہی ہے، کیونکہ تین تین سو کروڑ روپے کا ایک چھوٹا سا پلاٹ بک رہا ہے، وہ عام آدمی کے لئے، جھگی جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کے لئے اور دہلی کے عام آدمی کو مکان مل جائے، کیا اس کے لئے سرکار کی طرف سے کوئی کوشش کریں گے

श्री कमल नाथ: महोदया, जहां तक लैंड एक्वीजिशन का प्रश्न है, डीडीए ने लैंड एक्वीजिशन बंद कर दी है। जो लैंड आज ऑक्शन हो रही है, जो लैंड आज के दिन हम उपयोग में ला रहे हैं, वह पुरानी एक्वीजिशन है। अगर बीस साल पहले लैंड एक्वीजिशन हुई, तो यह स्वाभाविक है कि इसकी कीमत आज बढ़ गयी होगी। आज के दिन डीडीए कोई नयी लैंड एक्वीजिशन नहीं कर रहा है।

जहां तक प्रश्न है कि डीडीए की कौन सी नयी योजनाएं हैं, जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में कहा था कि एक लाख मकान का लक्ष्य हमने बनाया है। तीस हजार मकान के काम की शुरुआत हुई है, तीस हजार की शुरुआत होने वाली है और हमारा यह लक्ष्य और उद्देश्य है कि डीडीए का पूरा फोकस ईडब्ल्यूएस पर रहेगा, क्योंकि अगर अब झुग्गी-झोंपड़ी की बात करें, स्लम्स की बात करें, इसका एक ही उपाय है कि ईडब्ल्यूएस हाउसिंग को हम सबसे ज्यादा केवल प्राथमिकता ही न दें, पर यह हमारा लक्ष्य बना रहेगा।

श्री महाबल मिश्रा: महोदया, मंत्री जी दिल्ली के लिए, गरीब के लिए बड़े संवेदनशील हैं और दो-तीन महीने से जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन साथ ही 1,639 अनऑथराइज्ड कालोनियां दिल्ली में हैं। इनको रेग्युलराइज्ड करने के लिए बहुत दिनों से बात आ रही है, क्या इस दिशा में आप कोई कदम उठा रहे हैं?

दूसरी बात, 28 इंडस्ट्री एरियाज दिल्ली में डीडीए ने बसाये। वे आज रेजीडेंस के बीच में हैं, 24 कलस्टर इंडस्ट्रीज रेजीडेंस के बीच में हैं, क्या सर्विस इंडस्ट्री या नॉलेज इंडस्ट्री के रूप में चेंज करने का आप कोई प्लान बना रहे हैं?

श्री कमलनाथ: मैडम, जहां तक रेगुलराइजेशन की बात है तो यह बात सही है कि 1600 अनऑथराइज्ड कॉलनिज हैं। इसमें विभिन्न एजेंसियों को कार्य करना है। जब तक वह कन्वर्टन करें, एमसीडी, दिल्ली सरकार, डीडीए और हाउसिंग बोर्ड है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं इन सबके साथ ही उस पर एक योजना तो बन गई है। अब इस योजना का क्रियान्वयन होना है। हमने इनको प्राथमिकता दी है कि जो 1600 अनऑथराइज्ड कॉलोनिज हैं इनको केवल रेगुलराइज नहीं किया जाए बल्कि इनके लिए दूसरा उपाय भी ढूंढा जाए ताकि वहीं इन सीटू या कहीं और उन को जगह दे दी जाए और उनके मकान बन जाए। जहां तक इंडस्ट्रियल एरियाज की बात है, यह सही है कि जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, आज की सच्चाई तो यह है कि दिल्ली में कोई बड़े उद्योग की क्षमता नहीं बची है। कूटिर उद्योग या छोटे उद्योग अवश्य लग सकते हैं लेकिन दिल्ली में कोई बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं। जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एमपीडी-21 के रिवीजन में माननीय सदस्य का सुझाव सही है। सर्विस इंडस्ट्रीज हों या ऐसी किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज हों इन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

***365.** +**श्री एंटो एंटोनी:**
श्री रवनीत सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं और लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) म्युनिस्पल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का दायित्व है कि वे राज्य योजना निधियों से देश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रणाली के लिए योजना, डिजायन, क्रियान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव करे। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के कुछ हद तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जेएनएनयूआरएम के शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) उपघटक और छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसरंचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की स्वीकृति प्रदान करने के लिए म्युनिस्पल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) एक स्वीकार्य संघटक है। यूआईजी के अंतर्गत अभी तक 43 म्युनिस्पल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाएं 2052.45 करोड रु. की लागत और 1035.48 करोड रु. की एसीए के साथ और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 56 म्युनिस्पल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाएं 342.02 करोड रु. की लागत और 282.88 करोड रु. की एसीए की वचनबद्धता के साथ अनुमोदित की गई हैं। यूआईजी के अंतर्गत अनुमोदित 43 म्युनिस्पल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए अभी तक 550.92 करोड रु. और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अनुमोदित 56 म्युनिस्पल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए 161.93 करोड रु. की राशि जारी की गई है। सामान्यतया इन परियोजनाओं का एकीकृत दृष्टिकोण होता है जिसमें म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथ्थकीकरण, संग्रहण, परिवहन, संसाधन और परिशोधन तथा निपटान शामिल होता है। पिछले तीन वर्षो के दौरान यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत दी गई राज्य वार वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुबंध-I और II में दिए गए हैं।

(घ) यूआईजी के अंतर्गत प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए उनके तकनीकी मूल्यांकन अनुपालन और राज्य के लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाता है। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति एसएलएससी परियोजना का अनुमोदन करती है और भारत सरकार को निधियां जारी करने की सिफारिश करती है जो कि

राज्यों के लिए निधियों की उपलबधता के अध्यधीन जारी की जाती हैं। चूंकि जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जेएनएनयूआरएम एक सुधार संबद्ध योजना है इसलिए निधियों का जारी किया जाना केन्द्र राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के बीच हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की समय सीमा के अनुसार वचनबद्ध सुधार किए जाने पर निर्भर करता है।

अनुबंध-I

(यूआईजी)

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	2008-09				2009-10				2010-11				2011-12			
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी की गई एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी की गई एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी की गई एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी की गई एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	1	5,805.00	2,902.00	725.00	-	-	-	-	-	-	-	434.80	-	-	-	725.50
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	268.74	-	-	-	-	-	-	-	161.24
असम	-	-	-	-	-	-	-	791.26	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	1	1,155.81	577.91	144.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	1	11,885.84	4,160.04	387.32	-	-	-	2,579.24	-	-	-	393.73	-	-	-	656.22
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.05	-	-	-	719.50
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड	2	10,725.33	6,904.49	-	-	-	-	1,726.13	1	3,336.24	1,668.12	417.03	-	-	-	-
कर्नाटक	1	2,985.00	2,387.60	599.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.7
केरल	-	-	-	1,592.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955.62
मंध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	1,081.16	-	-	-	-	-	-	-	2,706.93
महाराष्ट्र	-	-	-	3,414.73	1	4,986.86	1,745.40	1,316.95	-	-	-	1,074.11	-	-	-	348.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
पंजाब	1	7,249.00	3,624.50	-	-	-		906.12	-	-	-	-	-	-	-	-
पुदुचेरी	1	4,966.00	3,972.80	993.20	-	-	-	164.97	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	164.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	1	4,421.25	1,547.44	386.85	-	-	-	3,546.93	-	-	-	-	-	-	-	557.18
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-	282.43	-	-	-	1,286.80	-	-	-	-	-	-	-	3,138.11
उत्तराखंड	2	4,131.53	3,305.22	826.30	-	-	-	-	1	931.00	744.80	186.20	-	-	-	295.20
पश्चिम बंगाल	1	11,196.52	3,918.78	2,019.48	-	-	-	495.12	-	-	-	-	-	-	-	544.66
कुल	12	64,521.28	3300.78	11,536.46	1	4,986.86		1745.40	2	4,267.24	2412.92	3,079.92	-	-	-	11164.26

'मिशन अवधि में पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जारी एसीए शामिल है।

अनुबंध II

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 (14.12.2011 तक) के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत मंजूर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए जारी की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09				2009-10				2010-11				चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 (14.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार)			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी की गई एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी की गई एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी की गई एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी की गई एसीए
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	8.67	7.80	3.90	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	असम	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1	9.84	7.87	3.94	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
7.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
8.	गोवा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
9.	गुजरात	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
10.	हरियाणा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
13.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5	15.00	13.50	6.75	0	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	5	12.28	9.82	4.91	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
15.	कर्नाटक	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
17.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
18.	मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
19.	मेघालय	2	14.33	12.90	6.45	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
21.	नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
22.	ओडिशा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
24.	पुदुचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
25.	राजस्थान	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
26.	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
28.	तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1.43	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	उत्तर प्रदेश	5	49.78	39.82	19.91	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.46	0	0.00	0.00	10.38
30.	उत्तराखंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
31.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	कुल	16	94.90	78.22	39.11	0	0.00	0.00	1.43	5	15.00	13.50	14.21	0	0.00	0.00	10.38

श्री एंटो एंटोनी: महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान केरल राज्य के लिये पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी किंतु उसके बाद से किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है और न ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु धनराशि का आबंटन किया गया है। इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): महोदया, केन्द्र सरकार के पास केरल की कोई भी परियोजना लाम्बत नहीं है। केरल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी दो परियोजनाएं हैं- एक थिरुवंतनपुरम में और दूसरी कोच्ची में। वित्तीय रूप से उनकी प्रगति लगभग 39% है तथा वास्तविक प्रगति 46% हैं। किंतु केन्द्र सरकार के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित केरल की कोई परियोजना लंबित नहीं है।

श्री एंटो एंटोनी: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये लम्बित प्रस्तावों की संख्या तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गये कदमों का विवरण उपलब्ध कराएं।

प्रो. सौगत राय: जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह जे. एन. एन. यू आर एम मिशन का अंतिम वर्ष है। केरल सरकार की कोई भी परियोजना लम्बित नहीं है। केरल में मिशन के अंतर्गत कवर किये गये थिरुवनंतपुरम और कोच्ची दोनों में कई परियोजनाएं हैं जिन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है और जो क्रियान्वित की जा रही हैं।

जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत केरल के लिये स्वीकृत की गयी ग्यारह परियोजनाओं के लिये 674.76 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। इन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत 997 करोड़ रुपये है। अत: केरल राज्य की कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

श्री रवनीत सिंह: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पर्यावरणीय कारणों से चंडीगढ़ में जे एन एन यू आर एम की राशि से लगाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयत्र में प्रचालन कार्य नहीं हो रहा है? चूंकि यह संयत्र सीधे केन्द्र सरकार के अधीन है अत: इसे प्रचालित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रो. सौगत राय: महोदया, यह प्रश्न चंडीगढ़ से संबंधित नहीं है। अत: उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिये एक अलग नोटिस की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जेएनयूआरएम के तहत कुछ सहायता छोटे नगरपालिकाएं या नगर परिषद हैं उनको दी जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जिम्मेवारी राज्य सरकार और म्यूनिसपैलिटी की है। इससे हम सहमत हैं लेकिन पूरे देश में आज की स्थिति यह है कि राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है। ए, बी या सी क्लास के जो नगर निगम हैं उनकी हालत उससे भी बदतर है। ऐसे में एक प्रयोग के तौर पर चलाया जा रहा है कि कई म्यूनिसिपलिटीज प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा निजी लोगों की सहायता से कुछ प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। जैसे-सॉलिड वेस्ट से फर्टिलाइजर निर्माण करना या सॉलिड वेस्ट का केक बना कर उसे फ्यूल के तौर पर यूज करना या सॉलिड वेस्ट से पावर जेनरेट करना। इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट्स निजी कम्पनियों के सपोर्ट से कुछ म्यूनिसिपलिटीज ने किए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट का उपयोग हो, उससे एनर्जी पैदा हो, फ्यूल या फर्टिलाइजर बने, तो इसका दोहरा उपयोग हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: शहर साफ-सुथरे रहेंगे। समय पर कचरे को उठाया जाएगा और उसका एनर्जी, फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में सरकार अध्ययन करते हुए कोई स्कीम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बनाना चाहती है?

श्री कमलनाथ: मैडम, माननीय सदस्य ने जो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात कही है, यह बात सही है और हम इसे इनकरेज करना चाहते हैं। जेएनएनयूआरए टू जो ट्वैल्थ प्लान में आना है, उसकी राशि, रिसोर्सेज की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति केन्द्र या राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। हमें क्रिएटिवली नए पीपीपी मॉडल्स सोचने हैं जो चाहे सॉलिड वेस्ट में हों या ड्रिंकिंग वाटर में हों। एक-दो सफल हुए हैं। मुझे खुशी है कि सबसे पहला जो पीपीपी ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है, नागपुर में करीब 10 या 15 दिन पहले उसका उद्घाटन मैंने ही किया था। केन्द्र या राज्य सरकार की राशि के अलावा हमें जो एडिशनल रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वह केवल पीपीपी मॉडल में आएगा। जहां तक सॉलिड वेस्ट की बात है, यह बात सही है कि पीपीपी मॉडल में सॉलिड वेस्ट चल पाएगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का कन्वर्जन फर्टिलाइजर, खाद, एनर्जी किसी में हो, यह एक संभव बात है और हम उसे अवश्य इनकरेज करेंगे।

फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

+
366. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:**
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसानों के लाभ के लिए विकसित की गई नई और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषणों के साथ भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त संस्थान का उन्नयन कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) द्वारा किसानों के लाभ के लिए विकसित की गई नई और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

* हस्तचालति सब्जी धोने वाला यंत्र
* न्यूमैटिक अनाज पंप
* चल टमाटर प्रसंस्करण यूनिट
* कार्बनीकृत पाम नीरा ड्रिंक
* ड्राई इंस्टेंट इडली मिक्स
* मिलेट बेस्ड पॉरिज़
* अंकुरित चावल आधारित बेकरी उत्पाद
* खाने के लिए तैयार वर्मीसैली
* ब्रान चावल आधारित मफिन अथवा ब्रफिन

(ख) जी हां। महोदया।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 88.49 करोड़ रुपये की लागत पर और 28 वैज्ञानिक पदों की अतिरिक्त वैज्ञानिक जनशक्ति से भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को मजबूत करने और अपग्रेड करने के लिए एक परियोजना अनुमोदित की है।

अवसंरचना विकास निम्नानुसार तीन चरणों में विभाजित किया गया है:

चरण	भवन	लागत (करोड़ रुपये)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
चरण-1	प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	17.60	पूरा हुआ

1	2	3	4
चरण-2क	दो आर. एंड डी. ब्लाकों, छात्रावास ब्लॉकों एवं क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है	14.99	निर्माण कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
चरण-2ख	तीन आर. एंड डी. ब्लाकों लड़कों के लिए छात्रावास ब्लॉक एवं कैंटीन ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा	21.56	कार्य शुरू नहीं किए गए हैं और आशा है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा जिस पर माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने स्टे लगा दिया है।

* परियोजना की कुल लागत 88.49 करोड़ रुपये है जिसमें ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार अवसंरचना के लिए 54.15 करोड़ रुपये और शेष पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और अन्य राजस्व खर्चों के लिए है।

* चरण-2ख के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहीत किये जाने की लागत के तौर पर 6.78 करोड़ रुपये की राशि का जिला अधिकारी, तंजावुर को भुगतान किया गया है।

* मंजूर किये गये वैज्ञानिकों के 28 पदों में से, अब तक 10 पद भरे जा चुके हैं और शेष 18 पद दिसम्बर, 2012 तक भरे जाएंगे।

* आर. एंड डी. ब्लॉकों का कार्य पूरा होते ही 17.65 करोड़ रुपये की लागत के पुस्तकालय उपकरण और फर्नीचर की खरीद की जाएगी।

(घ) पूरा होने की तारीख नहीं दर्शाई जा सकती है क्योंकि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने परियोजना के एक भाग के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे: अध्यक्ष महोदया, हम एक तरफ जहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम ला रहे हैं वहीं किसानों को लाभ और उसे विकसित करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सरकार की बहुत सारी बातें देश के सामने आती हैं। किसान का बढ़ता हुआ बोझ और घटते हुए मूल्य, मौसम की पड़ती मार निश्चित ही उसके उत्पादन एवं प्रसंस्करण की प्रौद्योगिकी द्वारा क्या सरकार ने पूरे देश के किसानों को बचाने के लिए उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी कोई ठोस नीति या नियम बनाए हैं? किसान को राहत देने के लिए कोई नए संशोधन, नीति-नियम बनाकर आने वाले समय में, जो देश को जिन्दा रखता है, उसे जिन्दा रखने के लिए मंत्री महोदय के सामने कोई नियम हों तो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूं?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदया, देश में 1967 में जो पैडी रिसर्च इंस्टीच्यूट, तंजगावुर में बनाया गया था, माननीय सदस्या का सवाल उस बारे में है। माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या यह पूछना चाहती हूं कि कृषि उत्पाद पर प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं या कुछ नयी नीति तय की है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में अलग-अलग तरह की स्कीम्स हैं, जिन्हें सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए तैयार की है। उसमें किसान जो प्रोड्यूस करता है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, पोस्ट हारवेस्टिंग लॉसेस कम करने के लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं। कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए मदद हो सकती है। और साथ-साथ प्रोसेसिंग करने के बारे में जो कुछ कदम उठाये गये हैं, उस बारे में भी कुछ स्कीम्स हैं। वे स्कीम्स बागवानी के लिए अलग हैं, पैडी के लिए अलग हैं, गेहूं पर प्रक्रिया करने के लिए अलग है।

अगर माननीय सदस्या को इस बारे में ज्यादा इन्फोर्मेशन चाहिए, तो वह इन्फोर्मेशन मैं उन्हें भेजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर आइटम पर अलग किस्म की स्कीम आज भारत सरकार ने बनायी है। उन स्कीम्स को देकर उसका लाभ लेने की तैयारी हो, इस बारे में हम उन्हें मदद देने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती ज्योति धुर्वे: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मुझे और सभी किसानों को सैटिसफाई करने वाला उत्तर नहीं दिया है, इसका मुझे खेद है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इतना बड़ा कार्यक्षेत्र है। यहां बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं बनी हुईं होती हैं, लेकिन यदि हम लक्ष्य को देखते हैं, तो पाते हैं कि वैज्ञानिकों की भारी कमी है। अगर उनके पदों की पूर्ति या पूर्ण करने की बात की जाये, तो वर्ष 2012 जहां खत्म हो रहा है, उसमें भी यह बताते हैं कि वर्ष 2010 में ये पद भर दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा नजर आता है कि किसान जो कहीं न कहीं मर रहा है, उसे पूरी तरह से मार देना चाहिए। भारत सरकार का जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है आईआईसीपीडी के द्वारा, क्या उन्होंने ऐसे गांवों को सही तरीके से, नयी टेक्नोलॉजी के माध्यम से

ऊंचा उठाया है? क्या उन्होंने उन गांवों को वाकई विकसित किया है? देश में जहां दो बड़े-बड़े संस्थान हैं, क्या अन्य ऐसी किसी जिले में, बेतूल जैसा मेरा जिला जो कृषि प्रधान है, जहां कृषि उत्पादन ...*(व्यवधान)* ऊपर उठाने के लिए केन्द्र सरकार की IICPD संस्थान विशेष रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होंगी, अथवा बैतूल में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना को पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती ज्योति धुर्वे: वहां पर क्या ये संस्थान खोलने का प्रयास करेंगे? ...*(व्यवधान)* क्या वहां पर उन्हें खोलने का आश्वासन देंगे, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, धन्यवाद।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदया, इस संस्थान में 28 साइंटिफिक आफिसर्स की पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट्स भरी हैं और बाकी पोस्ट्स अभी भरी नहीं हैं, क्योंकि इस संस्था का कंस्ट्रक्शन का काम आधा हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम तीन फेजेज में है। इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक का काम पूरा हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ब्लाक है, उसका काम अभी शुरू हुआ है और इसके तीसरे फेज के लिए हमें अभी तक जमीन नहीं मिली है। जहां जमीन हमारे हाथ में नहीं हैं, वहां जब तक रिसर्च एंड डेवलपमैंट की लॉयबिलिटी पूरी नहीं होगी, तब तक हम साइंटिफिक आफिसर्स वहां एप्वाइंट करके उनको काम करने का मौका कैसे दे सकते हैं? यह समस्या हमारे सामने है। इसलिए हम यह काम पूरा होने के बाद ये सभी पोस्ट्स भरेंगे और कोई रिक्त पोस्ट नहीं रखेंगे।

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि यह भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था देश के किसानों एवं विद्यार्थियों के लिए कितने प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करती है और इस संस्थान के माध्यम से हमारे देश के कृषि क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? मेरा दूसरा प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इतने प्रश्न न पूछकर केवल एक प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: हमें सौंपे गये कार्यादेश के अंतर्गत हम एक-आधारभूत तथा अनुप्रयक्त अनुसंधान करने के साथ-साथ पोस्ट हारवेस्ट प्रोसैसिंग, संरक्षण तथा खाद्य फसलों के मूल्यवर्धन का कार्य करते हैं, दूसरा-विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टर्स स्तर का ज्ञान प्रदान कर मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करते है, यह एक प्रशिक्षण संस्थान है, तीसरा-हम खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिये पूरे देश में सेमिनार, वर्कशाप तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और चौथा-नये खाद्य उद्योगो के सृजन हेतु परामर्श भी देते हैं। ये सभी कार्य इस संस्था को सौंपे गये हैं और वे इसी कार्यादेश पर कार्य कर रहे हैं।

डॉ. के. एस. राव: महोदया, किसानों की लागत वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। अत: पिछले छह सात वर्षों में न्यूतनम समर्थन मूल्य में दुगनी बढ़ोतरी करना भी पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। जो प्रक्रिया नहीं की गई है वह है अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर प्रति एकड उत्पादन या फसल में वृद्धि करना या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में मूल्य वृद्धि करना। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर ध्यान दिया है।

मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसके लिये साधारण गति से काम नहीं करना होगा। जब तक वह ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन हेतु पर्याप्त सबसिडी प्रदान कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा नहीं देगें, किसानों की स्थिति दयनीय बनी रहेगी और वह दिन दूर नहीं जब कि वह खाद्य पदार्थो का उत्पादन करना बंद कर देगें।

अत: माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह हर राज्य में जहां कृषि की प्रमुख व्यवसाय है, यह प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री शरद पवार: इस क्षेत्र में निश्चित रूप से काफी कार्य किये जाने की गुंजाइश है। माननीय सदस्य की अपेक्षा है कि हम किसानों को अधिक से अधिक समर्थन दें, सरकार की भी यही सोच है। तथापि मैं सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष पूरे मंत्रालय के लिये 600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। 600 करोड़ रुपये की राशि से पूरे देश में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का दायित्व उठाना आसान नहीं है। हम संबंधित विभागों और मंत्रालयों से और अधिक धनराशि प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं। जब तक हम राज्यों को मदवार और फसल-वार और अधिक धनराशि प्रदान नहीं करते, मुझे नहीं लगता हम इस क्षेत्र विशेष में कोई अच्छा कार्य कर पायेगें। हम इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

***367. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र द्वारा कृषि क्षेत्र में भी निवेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा किये जाने वाले उक्त निवेश में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):

[अनुवाद]

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिय गया है।

विवरण

(क) जी हां, महोदया।

(ख) जी नहीं, महोदया।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों के अनुसार, 2004-05 मूल्यों पर विगत चार वर्षो में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों (पशुधन, वन एवं लागिंग एवं मत्स्यन सहित कृषि) में सार्वजनिक एवं निजी पूंजी निवेश (सकल पूंजी संरचना जीसीएफ) का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ- (रु. करोड़ में)		
	सार्वजनिक	निजी	कुल
2006-07	22987	67723	90710
2007-08	23257	81777	105034
2008-09	22628	106031	128659
2009-10	23635	109742	133377

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कुल पूंजी निवेश 2006-07 में 90710 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में 133377 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक पूंजी निवेश 2006-07 में 22987 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 23635 करोड़ रुपये हो गया है तथा निजी पूंजी निवेश 2006-07 में 67723 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 109742 करोड़ रुपये हो गया है।

(घ) भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की है, तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम), ग्रामीण भण्डारण योजना आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फार्म ऋण की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से सुधार किया है, उच्चतर कृषि दबाव वाले क्षेत्रों के लिए एक पुनर्वास पैकेज क्रियान्वित किया है, ऋण छूट संबंधी एक वृहत कार्यक्रत को क्रियान्वित किया है, बेहतर फसल बीमा योजनाओं को प्रारंभ किया है, कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में सुधार लाने के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य(एमएसपी) में बढ़ोतरी की है।

[हिन्दी]

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः अध्यक्ष महोदया, लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कर्ज माफी के बाद देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का जो सिलसिला जारी था, उसमें मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है या वृद्धि हुई है? आज खेती घाटे का धंधा बन गई है और किसान खेती से पलायन कर रहे हैं, यहां तक कि कई किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए मंत्री जी बताएं कि कर्ज माफी के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या करने के प्रतिशत में कितनी कमी आई है? इसके साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न मिनीमम सपोर्ट प्राइस के बारे में था।

अध्यक्ष महोदयाः आप केवल एक ही प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए मैं दोनों एक साथ ही पूछ रहा हूं। जब केन्द्र में एनडीए सरकार थी, उस समय जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, तो खाद का, बीज का, डीजल का क्या रेट था और आज जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये कुछ बताई है, जो आज बढ़े हुआ मूल्य हैं, चाहे डीजल, खाद, बीज और कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनमें उस हिसाब से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई

है? इस सरकार द्वारा किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखायी जाती है और लम्बे भाषण दिए जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उनमें कितने प्रतिशत आज एनडीए सरकार की तुलना में इन चीजों के दामों में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदया, प्रश्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश से संबंधित है, डीजल और उर्वरकों के मूल्यों से संबंधित है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं किंतु इनके लिए अलग से नोटिस दिये जाने की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें इन्होंने बताया है कि: ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए। समय नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या पूछे, वह प्रश्न को घुमा रहे हैं, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मेरा संरक्षण है लेकिन आप मूल प्रश्न की परिधि में अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: इस लोक सभा को इस देश की गरीब जनता देख रही है। मैं पूछ रहा हूं कि जो आपने ऋण माफी दी, उससे कितने लोग प्रभावित हुए, उसका इस देश के किसानों पर प्लस या माइनस में क्या असर हुआ? खाद-बीज के रेट पर जो सपोर्टप्राइस है, उसमें कितना अंतर है, यही बात तो मैं पूछ रहा हूं। आप हमें मदद करें, हमें संरक्षण दें।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह पहले ही बताया जा चुका है कि निवेश किस प्रकार का है सार्वजनिक है या निजी। उत्तर में स्पष्ट बताया गया है कि हर वर्ष पहले से अधिक निवेश किया जाता रहा है, उत्पाद और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ऐसा मत करिए, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी?

श्री शरद पवार: नहीं महोदया, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री प्रबोध पांडा: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अनुबंधों के अनुरूप निवेश किया है, स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय बैंकों की भूमिका क्या है? यदि वे कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं करते हैं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदया, ऐसे सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस स्कीम के माध्यम से डायरेक्शन दिया है कि उनके टोटल रिवर्सल में 18 परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के रेट देने के लिए उन्हें कदम उठाने की आवश्यकता है। वह 18 परसेंट की गाइड-लाइन्स सभी बैंकों को इंफोर्म की है।

[अनुवाद]

वायदा व्यापार

*368. +**श्री सुशील कुमार सिंह:**
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में मौद्रिक संदर्भ में कुल कितना वायदा व्यापार हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों, विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों एवं अन्य संबंधित पक्षकारों को वायदा व्यापार से हुए लाभों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन शुरु कराया है और इसमें सुधार के उपायों की भी सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के विचारार्थ विषय दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) देश के सभी कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंजों में व्यापारित की गई वस्तुओं की कुल मात्रा और मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	व्यापार की मात्रा (लाख टनों में)	व्यापार का मूल्य (लाख करोड़ रुपए में)
2008-09	6863.49	52.49
2009-10	10142.93	77.65
2010-11	12805.57	119.49
2011-12	9342.85	122.34 (नवम्बर, 2011 तक)

(ख) और (ग) जी, हां। अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वस्तु वायदा बाजार के विनियामक, वायदा बाजार आयोग द्वारा, वायदा बाजार से छोटे और सीमांत किसानों को होने वाले लाभों की प्राप्ति की जांच करने और वस्तु वायदा बाजार मंच में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए, एक अध्ययन कार्य मई, 2010 में नाबार्ड परामर्शी सेवाएं (एनएबीसी ओएनएस) को सौंपा गया था।

अध्ययन के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थे:-

- वस्तु वायदा बाज़ार से छोटे एवं सीमान्त किसानों को लाभों की प्राप्ति में सुधार लाने और वस्तु वायदा बाज़ार प्लेटफार्म में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के सुझाव देना;
- वस्तु वायदा बाज़ार से छोटे एवं सीमान्त किसानों को होने वाले आर्थिक लाभों की प्राप्ति निश्चित करना और वस्तु वायदा बाज़ार के परिणामस्वरूप इन किसानों को मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों की मात्रा का निर्धारण करना;
- वस्तु वायदा बाज़ार के आर्थिक लाभों की प्राप्ति सुधार लाने और छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा अपनी आजीविका में सुधार लाने के लिए उनका उपयोग के उपयों का सुझाव देना;
- वस्तु वायदा बाज़ार द्वारा निर्धारित होने वाली कीमतों की जानकारी छोटे एवं सीमान्त किसानों को उपलब्ध कराना;
- छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा अपने बुआई, कटाई से पूर्व और कटाई के बाद लिए जाने वाले निर्णयों में कीमत की जानकारी का प्रयोग किया जाना;
- छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा, वस्तु वायदा बाज़ार को जोखिम प्रबन्धन के मंच के रूप में प्रयोग किए जाने की सीमा;
- वस्तु वायदा बाज़ार के प्रचालन के परिणामस्वरूप छोटे और सीमान्त किसानों को मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ।

अध्ययन में नौ वस्तुओं-कपास, कॉफी, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, रबड़, मिर्च और मक्का-को शामिल किया गया था।

(घ) और (ङ) जी, हां। एनएबीसीओएनएस ने वायदा बाजार आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मुख्य सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जागरुकता कार्यक्रमों के तहत संचालन की आवश्यकता, उत्पादक संघों द्वारा समूहों और ब्रोकरों के रूप में कार्य करने की आवश्यकता क्योंकि छोटे किसानों के लिए भावी सौदा व्यापार में व्यक्तिगत रूप से भागीदारी करना संभव नहीं है, मार्जिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता, फसल कटाई के बाद ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकिंग सहायता, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और सुविधाजनक वेयरहाऊसिंग प्रणाली तैयार करना, गुणवत्ता परीक्षण केंद्रों की स्थापना करना, प्रभावी मूल्य प्रसार, गांवों में ई-कियोस्क की स्थापना करना, व्यापार प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना आदि शामिल है। वायदा बाजार आयोग द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो वायदा कारोबार है, जिसके चलते देश के खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ी है और ऐसा सरकार का भी मानना है। क्या सरकार का कोई इरादा इस वायदा कारोबार पर रोक लगाने का है।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी थॉमस: महोदया, सरकार ने नाबार्ड की एक सहायक कंपनी 'नैबकांस' को छोटे और सीमांत किसानों के बीच वस्तु वायदा बाजार के लाभ पहुंचने संबंधी जांच करने का कार्य सौंपा है और नैबकांस की यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष है। हम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं और हम यह भी पता लगा रहे है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

हम यह पता लगा रहे हैं कि हम क्या कदम उठा सकते हैं ताकि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिले। दो अन्य रिपोर्ट हैं। एक अर्जुन सेन समिति की रिपोर्ट है और दूसरी भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है। सरकार इन रिपोर्टो की भी जांच कर रही है। हम छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में खेल अवसंरचना

***369. श्री हरिन पाठक:**
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने गुजरात, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली सहित देश के विभिन्न भागों में खेलों/क्रीड़ाओं को प्रोत्साहन देने तथा एथलीटों को खेल केन्द्रों के माध्यम से समुचित प्रशिक्षण देने के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं से सम्पन्न खेल अवसंरचना की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खेल केन्द्र-वार और खेल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्रों में इस समय शुरु किए गए खेल क्रियाकलापों का खेल-वार ब्यौरा क्या है और इससे अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों के भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल केन्द्र किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खेल केन्द्रों को चलाने के लिए भवन प्रदान करने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां, भा.खे.प्रा. ने गुजरात समेत देश के कई भागों में खेल अवसंरचना/खेल मैदानों का निर्माण किया है। गुजरात राज्य में भा.खे.प्रा. ने 1987 में गांधीनगर में आवासीय छात्रावास समेत विभिन्न खेल सुविधाओं से परिपूरित क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है।

दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली में जिला प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु दो भा.खे.प्रा. प्रशिक्षक हुऐ हैं। विभिन्न राज्यों में भा.खे.प्रा. की खेल अवसंरचना का संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भा.खे.प्रा. के विधागत खेल केंद्र संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) संलग्न विवरण-III में गत तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भा.खे.प्रा. के प्रशिक्षुओं की उपलब्लियां दी गई है। दिल्ली के भा.खे.प्रा. के स्टेडियम परिसरो में "आओ और खेलों" योजना आरंभ की गयी। दिल्ली के सफल योजना के इस प्रारुप को दोहराने हेतु यह योजना का विस्तारण देशभर के अधिकतर भा.खे.प्रा. के क्षेत्रीय केंद्रो में किया जा रहा है। तथापि दिल्ली के भा.खे.प्रा. के स्टेडियमों में "आओ और खेलो" योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की वर्तमान संख्या तथा देश भर में अन्य भा.खे.प्रा. केंद्रों की संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, भा.खे.प्रा. की नीति के अनुसार राज्य सरकार को भा.खे.प्रा. केंद्र चलाने हेतु भवन, खेल मैदान/खेल अवसंरचना उपलब्ध करानी होगी। तथापि तीन भा.खे.प्रा.:

(i) एस ए जी केंद्र, अल्लेपी (केरल)

(ii) एस ए जी केंद्र, उल्लोन (मणिपुर)

(iii) एस ए जी केंद्र, ऐजवाल(मिजोरम)

भा.खे.प्रा. के आवासीय प्रशिक्षुओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु किराये पर लिए गये भवन हैं।

विवरण I

भा.खे.प्रा. निधियों के माध्यम से देश के विभिन्न साई केन्द्रों पर सृजित अवसंरचना के ब्यौरे

राज्य	केंद्र का नाम	उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर
1	2	3
असम	उप केंद्र गुवाहाटी	एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल जमीन, बहुउद्देशीय हॉल, मुक्केबाजी एरेना, भारोत्तोलन हॉल, स्वास्थ्य केन्द्र, टेनिस कोर्ट, गर्ल्स हॉस्टल,
गुजरात	पश्चिमी गांधीनगर	सिंथेटिक हाकी ट्रैक, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बहुउद्देशीय हॉल गर्ल्स हॉसटल लड़कों के हॉस्टल खेल विज्ञान केन्द्र स्वास्थ्य केंद्र तरणताल फुटबॉल घास मैदान बास्केट बॉल कोर्ट हैंडबाल कोर्ट कबड्डी कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट क्रिकेट पिचों टेनिस-कोर्ट,
हिमाचल प्रदेश	हाई आल्टीट्यूट प्रशिक्षण सिलौर	हॉकी सिंथेटिक सतह, बहुउद्देशीय हॉल, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल चिकित्सा केंद्र,
हरियाणा	उत्तरी सोनीपत	बहुउद्देशीय हॉल, सिंथेटिक एथलेंटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी सतह, फुटबाल मैदान, वॉलीबॉल कोर्ट कबड्डी कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट मुक्केबाजी हॉल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल विज्ञान केंन्द्र, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल तरणताल,
केरल	केरल लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा के लिए, त्रिवेंद्रम	हॉकी सतह और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केट बॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल घास क्षेत्र, हैंडबाल कोर्ट, क्रिकेट पिच, सायक्लिंग वेलोड्रम, बहुउद्देशीय हॉल, तीरंदाजी रेंज, खेल विज्ञान केन्द्र, स्वास्थ्य केंद्र, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल
कर्नाटक	दक्षिणी बंगलूर	सिंथेटिक सतह हॉकी, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल, फुटबॉल मैदान, हैंडबाल कोर्ट खो-खो, कबड्डी, कोर्ट लॉन टेनिस कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, सांसद हॉल, फिटनेस केंद्रों, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल, खेल विज्ञान केन्द्र,
महाराष्ट्र	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण	सिंथेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी सतह, कबड्डी और बास्केटबॉल कोर्ट कुश्ती हॉल,
महाराष्ट्र	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण औरंगाबाद	तीरंदाजी क्षेत्र, फुटबॉल मैदान, कबड्डी कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हैंडबाल कोर्ट, हॉकी का मैदान, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल, खेल विज्ञान केन्द्रों और स्वास्थ्य केंद्र,
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्रीय भोपाल	सिंथेटिक हॉकी सतह, राख ट्रैक, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल, बहुउद्देशीय हॉल, बास्केट बॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, घास क्षेत्र, आधुनिक फिटनेस केंद्र और खेल विज्ञान केन्द्र,

1	2	3
मध्य प्रदेश	विशेष क्षेत्र खेल, धार.	हॉकी क्ले फील्ड, फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, तीरंदाजी रेंज, सिंडर ट्रैक
मणिपुर	पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल	तीरंदाजी फील्ड, एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, हैंडबाल कोर्ट, हॉकी का मैदान, टेनिस कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट, बहुउद्देशीय हॉल, Sepak takraw कोर्ट, रोइंग चैनल, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल
पंजाब	राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला	सिंथेटिक हॉकी सतह और एथलेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, बॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल घासदार, हैंडबाल कोर्ट, क्रिकेट पिच, सायक्लिंग वेलोड्रम, स्क्वैश कोर्ट, बहुउद्देशीय हॉल, तीरंदाजी रेंज, खेल विज्ञान केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, और लड़कोंगर्ल्स हॉस्टल,
उत्तर प्रदेश	उप-केंद्र, लखनऊ	सिंथेटिक हॉकी सतह, एथलेटिक घास ट्रैक, बास्केट बॉल कोर्ट, फील्ड फुटबाल, हैंडबाल कोर्ट, कबड्डी फील्ड, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, कुश्ती हॉल, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल, आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और खेल विज्ञान केंद्र
पश्चिम बंगाल	पूर्वी केंद्र कोलकाता	हॉकी सतह, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, बहुउद्देशीय हॉल, खेल विज्ञान केंद्र, स्वास्थ्य लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल, स्विमिंग पूल वॉलबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबाल, खो-खो, कबड्डी, लॉन टेनिस कोर्ट, फुटबॉल जमीन, जूडो हॉल।

साई क्षेत्रीय केन्द्रो-उप केन्द्रों एवं साई खेल केन्द्रों के अन्तर्गत खेल अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का राज्य वार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र/उप/भारतीय खेल प्राधिकरण राज्यवार	क्षेत्र	खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर	अन्य सुविधाएं
1	2	3	4	5
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
1	विशेष क्षेत्र खेल पोर्ट ब्लेयर	पूर्व	बोट हाउस वेलोड्रम फुटबॉल फील्ड	छात्रावास भवन
	आंध्र प्रदेश			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, सिकंदराबाद	दक्षिण	तीरंदाजी फील्ड, एथलेटिक ट्रैक, 6 बैडमिंटन न्यायालयों, मुक्केबाजी रिंगहॉल और, जिमनास्टिक्स हॉल, हॉकी फील्ड, हैंडबाल कोर्ट, जूडो हॉल, अकबड्डी न्यायालयों (आउटडोर)	86 पलंगोंवाले बॉयज़ हॉस्टल 20 पलंगों वाले लड़कियों के छात्रावास, डाइनिंग हॉल, रसोई, शौचालय, स्नान कमरे, 16 स्टेशन
2	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, एलूरु	दक्षिण	एथलेटिक ट्रैक 400m (क्ले), बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), फुटबॉल फील्ड, 2हैंडबाल न्यायालयों, हॉकी फील्ड, स्विमिंग पूल (13x25) 2 वॉलीबॉल	40 पलंगों वाले बॉयज़ हॉस्टल, 30 व्यक्तियों, 10 शौचालय, 10 बाथरूम, 12 स्टेशन के लिए खाने के हॉल

1	2	3	4	5
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, विशाखापटनम	दक्षिण	मुक्केबाजी रिंग, वॉलीबॉल 4 पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण, पोर्ट ट्रस्ट, 16 स्टेशन के इंडोर हॉल में प्रशिक्षण द्वारा प्रदान न्यायालयों	30 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, 20 पलंगों वाले लड़कियों के छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, शौचालय, स्नान कमरे, 12 स्टेश
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कुर्नूल	दक्षिण	2 बास्केटबॉल न्यायालयों (एकजुट), फुटबॉल फील्ड (क्ले), हैंडबाल कोर्ट, हॉकी फील्ड,	6 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, शौचालय, स्नान कमरे, जिमनैजियम हॉल
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र मेडक	दक्षिण	400m एथलेटिक ट्रैक, हॉकी फील्ड	हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, शौचालय, स्नान Room, Gymnasium
	असम			
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय उपकेन्द्र, नई फील्ड स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स एम डी शाह रोड पल्टन बाजार गुवाहाटी	एस सी गुवा	लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड शेड, मुक्केबाजी, और भारोत्तोलन हॉल के लिए लघु हॉल, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, 2 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, खेल विज्ञान यूनिट	55 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, 80 पलंगों वाले लड़कियों के छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, 2 कार्यालय कक्ष
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, गुवाहाटी	एस सी गुवा	एथलेटिक टैक, फुटबॉल फील्ड शेड, मुक्केबाजी, और वजन प्रशिक्षण, भारोत्तोलन और मुक्केबाजी के लिए सुविधाएं के लिए कंडीशनिंगहॉल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और हैंडबाल फील्ड के लिए हॉल	137 पलंगोंवाले छात्रावास (और लड़कों लड़कियों के लिए 70 के लिए 67), कार्यालय, रसोई और डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल,
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, गोलाघाट	एस सी गुवा	इंडोर हॉल, फुटबॉल फील्ड डीएसए के अंतर्गत आता है DSO के अंतर्गत आता है, भारोत्तोलन हॉल, जोरहाट में टेबल टेनिस के लिए इंडारे हॉल	55 पंलगोंवाले (और लड़कों के लिए 25 लड़कियों के लिए 30) हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, कार्यालय कक्ष, चतुर्थ समूह कर्मचारी क्वार्टरों
3.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, तिनसुखिया	एस सी	400m एथलेटिक ट्रैक (घास), फुटबॉल ग्राउंड	50 पलंगों वाले (15 लड़कों और 35 लड़कियों के लिए) छात्रावास ning
4.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, कोकराझार	एस सी गुवा	400m एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल फील्ड, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल (मुक्केबाजी, कराटे, कबड्डी, जूडो, वुशु), हॉकी सिंथेटिक सतह के साथ फील्ड (निर्माण किया)	150 पलंगों वाले (और लड़कों लड़कियों के लिए 50 के लिए 100) हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, चिकित्सा/अवलोकन कक्ष, मेडिकल सेंटर, Accom, कोच के लिए क्वार्टरों 5 और 3 quarts कर्मचारी अधिकारी एक तिमाही, ग्रेड चतुर्थ 6 क्वार्टरों, पुस्तकालय कक्ष, स्वास्थ्यकक्ष, सम्मेलन हॉल, वीआईपी लाउंज
	अरूणाचल प्रदेश			
1.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, नहरियागुन	एस सी गुवा	मुक्केबाजी और भारोत्तोलन के लिए हॉल, के लिए हॉल तायक्वोंडो और कराटे	85 पलंगों वाले छात्रावास (और लड़कों के लिए 40), कार्यालय कक्ष, डाइनिंग हॉल

1	2	3	4	5
	बिहार			
1.	विशेष क्षेत्र खेल गिधौर	पूर्व	जिमनैजियम हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्रांउड	छात्रावास भवन, डाइनिंग हॉल, रसोई, अतिथि कक्ष कार्यालय और स्टोरकमरे,
2.	विशेष क्षेत्र खेल किशनगंज	पूर्व	फुटबॉल फील्ड, 2 वॉलीबॉल न्यायालयों, जिमनैजियम हॉल	राज्य सरकार द्वारा छात्रावास भवन,
3.	विशेष क्षेत्र खेल मुजफ्फरपुर	पूर्व	फुटबॉल फील्ड, जिमनैजियम हॉल, कबड्डी कोर्ट	शयनागार आवास
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	पूर्व	फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड, वॉलीबॉल कोर्ट, राज्य सरकार द्वारा कबड्डी कोर्ट	छात्रासास भवन, डाइनिंग हॉल, राज्य सरकार द्वारा रसोई कक्ष
	छत्तीसगढ़			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंन्द्र राजनन्दगांव	केंद्रीय	3 बास्केटबॉल न्यायालयों, हॉकी घास फील्ड	-
2	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	केंद्रीय	400m एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, आउटडोर के लिए बैडमिंटन जूडो, वॉलबॉल, भारोत्तोलन, Budhha तालाब में पानी के खेल, वॉलीबॉल भी के लिए इंडोर हॉल	-
	दिल्ली			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, (दिल्ली)	एनआरसी	2 बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), 2 कबड्डी कोर्ट मिट्टी), हैंडबाल न्यायालय (मिट्टी, 2 वॉलीबॉल कोर्ट (मिट्टी), इंडोर हॉल (एसी के जूडो, मुक्केबाजी, के लिए कुश्ती	-
	गोवा			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, पोड़ा/पेड्डम	पश्चिम	2 एथलेटिक्स (मिट्टी और घास), 2 घास फील्ड फुटबॉल, मुक्केबाजी रिंग, स्विमिंग पूल (50m), 2 वॉलीबॉल न्यायालयों, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, जूडो के लिए इंडोर हॉल, स्वास्थ्य केंद्र ट्रैक	एसटीसी पोंडा और Peddem में लड़कियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 पलंग वाले हॉस्टल में बॉयज के लिए 75 पलंगों वाले छात्रावास
	गुजरात			
	नेताजी सुभाष पश्चिम केन्द स्पोर्ट्स काम्पलैक्स सैक्टर 15 गांधीनगर गुजरात	पश्चिम	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 3 बास्केट बॉल कोर्ट, फुटबॉल फील्ड, 2 हॉकीफील्ड्स (घास और सुपर टर्फ), 3 हैंडबाल न्यायालयों, 5 लॉन टेनिस कोर्ट (तीन क्ले और सिंथेटिक 2 (यूसी), 4 कबड्डी न्यायालयों (क्ले), 2 वॉलीबॉलन्यायालयों, 4 क्रिकेट अभ्यास पिचों, स्क्वैश कोर्ट, 3 जिमनैजियम, बहुउद्देशीय हॉल (यूसी तैरना और गोताखोरी पूल (यूसी) के लिए राइफलशूटिंग रेंज 25, इंडोर हॉल	लड़कों के लिए 200 पलंगों वाले छात्रावास, राष्ट्रीय टूरिस्ट और 80 के लिए 100 पलंगों NSWC पर, लड़कियों और लड़कों के लिए 300 पलंगों वाले छात्रावास के लिए पलंगों वाले छात्रावास, राज्य सरकार द्वारा लड़कियों के लिए 50 पलंगों वाले सेंटर और लैब, फिजियोलॉजी और फिजियोथेरेपी लैब

1	2	3	4	5
1.	सैन्टर ऑफ एक्सलैस गांधीनगर	पश्चिम	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी टर्फ, फुटबॉल फील्ड, 3 बास्केटबॉलन्यायालयों, 3 हैंडबाल न्यायालयों, 4 क्ले, 3 सिंथेटिकटेनिस कोर्ट, 3 वॉलीबॉल न्यायालयों, आंतरिक हॉल, बहुउद्देशीयहॉल, 3 जिमनैजियम, 2 कबड्डी न्यायालयों, लॉन टेनिस कोर्ट	लड़कों और लड़कियों के छात्रावास सुविधा
	हरियाणा			
	उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र सोनीपत	एनआरसी	बहुउद्देशीय हॉल (एसी छह कुश्ती के लिए सुविधाओं वाले), एथलेटिक ट्रैक 400m घास और सिंथेटिक ट्रैक (अभी खत्म हो लिया है), फील्ड फुटबॉल, हॉकी सिंथेटिक सतह और घास क्षेत्र, वॉलीबॉल कोर्ट (मिट्टी), 2 कबड्डीन्यायालयों, 2 बास्केटबॉल न्यायालयों(एकजुट), बॉक्सिंग हॉल (2 रिंगों)	स्नान, प्रशासनिक कार्यालय, सम्मेलन हॉल, 90 पलंगों वाले बॉयजके छात्रावास, 90 पलंगों वाले लड़कियों के छात्रावास, खेल विज्ञान केन्द्र, आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र व रिकवरी यूनिट (200 पलंग वाले छात्रावास, स्विमिंग पूल निर्माण के तहत
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, भिवानी	एनआरसी	भीम स्टेडियम में टैक, मुक्केबाजी, 2 रिंगों के साथ शेड, 2 कुश्ती शेड, वॉलीबॉल कोर्ट और कबड्डी कोर्ट (मिट्टी)	-
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, हिसार	एनआरसी	8 लेन सिंथेटिक (राज्य सरकार) ट्रैक, रबड़ फ्लोरिंग, अलग छिद्रण क्षेत्र और पूर्ण आधा अभ्यास के लिए जूडो मैट के साथ मुक्केबाजी हॉल, 2 टीटी टेबेल्स, 1 कुश्ती मैट के लिए अंतरिक्ष, हॉकी और हैंडबाल घास ग्राउंड के लिए अंतरिक्ष (1 प्रत्येक), बास्केट बॉल कोर्ट (राज्यसरकार)	-
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, कुरुक्षेत्र	एनआरसी	एथलेटिक ट्रैक घास, 2 बास्केटबॉल न्यायालयों एकजुट, हॉकी घास ग्राउंड, 3 वॉलीबॉल क्ले न्यायालयों, साइकल चलाना, भीतरी हॉल के लिए जूडो के लिए राजमार्ग रोड	-
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, सोनीपत	एनआरसी	एथलेटिक ट्रैक घास, सिंथेटिक ट्रैक (यूसी), 2 बास्केटबॉल न्यायालयों एकजुट, मुक्केबाजी रिंग, फुटबॉल फील्ड, हॉकी (घास और सिंथेटिक सतह), जूडो मैट, 2 कबड्डी न्यायालयों, वॉलीबॉल कोर्ट 1 रेसलिंग हॉल	-
5.	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस हिसार	एनआरसी	रबड़ फ्लोरिंग अलग छिद्रण क्षेत्र और 2 मुक्केबाजी रिंगों के साथ मुक्केबाजी हॉल	-
6.	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस सोनीपत	एनआरसी	2 कबड्डी न्यायालयों, मुक्केबाजी रिंग, जूडो हॉल	-
	हिमाचल प्रदेश			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, धर्मशाला	उत्तर	एथलेटिक ट्रैक घास, बास्केटबॉल कोर्ट, हॉकी घास फील्ड, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट	40 कमरे (12 सिंगल और 28 तीन बिस्तर देते है), 16 शौचालय साथ, 85 प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन

1	2	3	4	5
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	उत्तर	400m एथलेटिक टैक, (मिट्टी), बॉक्सिंग रिंग, जिम, कबड्डी कोर्ट, फुटबॉलफील्ड, हॉकी फील्ड, 2 बास्केट बॉल कोर्ट, बैडमिंटन के लिए इंडोर हॉल	50 प्रशिक्षुओं, 2 शयनगृह के लिए 14 डाइनिंग हॉल, रसोई
3.	एच ए टी सी शिलारु	एन एस एच आई एस	2 इंडोर हॉल (1 लकड़ी फ्लोरिंग 50x30x12.5m और 40x20x8m 1), खगोलटर्फ हॉकी फील्ड 125x70m	100 पलंगों वाले बॉयज हॉल वाले लड़कियों के छात्रावास, मेडिकल
	जम्मू और कश्मीर			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, ऊधमपुर	उत्तर	एथलेटिक ट्रैक घास, कबड्डी कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट	4 बेड प्रत्येक) कमरे, डाइनिंग हॉल, 50 लिए मनोरंजन कक्ष
	झारखंड			
1.	विशेष क्षेत्र खेल रांची	पूर्व	फील्ड तीरंदाजी, 3 फुटबॉल फील्ड्स, वॉलीबॉल कोर्ट, जिमनैजियम हॉल, हॉकी खगोल टर्फ फील्ड	3 मंजिला छात्रावास भवन, 2 शयनगृह
2	भारीतय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग	पूर्व	एथेलिटक्स, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, और कुश्ती	-
	कर्नाटक			
	नेताजी सुभाष दक्षिण केन्द्र बंगलौर	दक्षिण	2 एथेलिटक ट्रैक (सिंथेटिक भस्म), 2 बास्केट बॉल कोर्ट (मोजेक), फील्डफुटबॉल, हॉकी (Polygrass) हॉकी (घास), हैंडबाल कोर्ट (क्ले), 2 खो - खो, कबड्डी, 5 लॉन टेनिस कोर्ट (क्ले), लॉन टेनिसकोर्ट (सीमेंट), 3 वॉलीबॉल कोर्ट (भस्म), वॉलीबॉल कोर्ट (रेत), स्विमिंग पूल (21x21 और 51m 25m x), गोल्फ कोर्स, शूटिंग और 25m, 50m (ट्रैप और स्कीट), बहुउद्देशीय हॉल (40x15x12.5m) रेंज के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबाल, 3 भारोत्तोलन हॉल (15x15x7.5m), हॉल, जूडो हॉल (30 20x x5) (45 35 x20 x के लिए बहुउद्देशीय हॉल), शूटिंग रेंज 10m	-
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर	दक्षिण	एथलेटिक ट्रैक, तीरंदाजी फील्ड, बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, सॉफ्टबॉलफील्ड, शूटिंग रेंज, Taekwando फील्ड, वॉलीबॉल कोर्ट, भारोत्तोलन हॉल	85 पलंगों वाले छात्रावास में 12), डाइनिंग हॉल, मनोरंजनहॉल,
2.	उत्कृष्टता के केंद्र, बंगलौर	दक्षिण	सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन और भारोत्तोलन, हॉकी खगोल टर्फ, 4 वॉलीबॉल कोर्ट आउटडोर और इंडोर हॉल के लिए इंडोर हॉल	-
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण धारवाड़	दक्षिण	400m एथलेटिक ट्रैक आठ लेन (मिट्टी), बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), व्यायाम (आउटडोर), हॉकी फील्ड (मिट्टी), 3 कबड्डी मैट	50 पलंगों वाले बॉयज हॉस्ट वाले लड़कियों के छात्रावास, डाइनिंग हॉल शौचालय, स्नान कक्ष

1	2	3	4	5
	केरल			
	लक्ष्मीबाई नेशनल काउंसिल ऑफ फिजीकल ऐजुकेशन त्रिवेन्द्रम	एल एन सी पी ई	एथलेटिक ट्रैक (सिंथेटिक), क्रिकेट फील्ड, फील्ड फुटबॉल, हॉकी फील्ड, कबड्डी और खो-खो फील्ड, 3 बास्केटबॉल न्यायालयों, 4 वॉलीबॉल न्यायालयों, 3 लॉन टेनिस कोर्ट, हैंडबाल न्यायालयों, कुश्ती और योग हॉल, स्विमिंग पूल	600 पलंगों वाले छात्रावास (लड़कियों वाले, लड़कों के लिए 300 पलंगों वाले
1.	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस त्रिवेन्द्रम	एल एन सी पी ई	एथलेटिक ट्रैक (सिंथेटिक), क्रिकेट फील्ड, फील्ड फुटबॉल, हॉकी फील्ड, कबड्डी और खो-खो फील्ड, 3 बास्केटबॉल न्यायालयों, 4 वॉलीबॉल न्यायालयों, 3 लॉन टेनिस कोर्ट, हैंडबाल न्यायालयों, कुश्ती और योग हॉल, स्विमिंग पूल	600 पलंगों वाले छात्रावास (लड़कियों वाले, लड़कों के लिए 300 पलंगों वाले
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	एल एन सी पी ई	एथलेटिक ट्रैक (सिंथेटिक), क्रिकेट फील्ड, फील्ड फुटबॉल, हॉकी फील्ड, कबड्डी और खो-खो फील्ड, 3 बास्केटबॉल न्यायालयों, 4 वॉलीबॉल न्यायालयों, 3 लॉन टेनिस कोर्ट, हैंडबाल न्यायालयों, कुश्ती और योग हॉल, स्विमिंग पूल	600 पलंगों वाले छात्रावास (लड़कियों वाले, लड़कों के लिए 300 पलंगों वाल
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिसूर		एथलेटिक ट्रैक (क्ले), बैडमिंटन कोर्ट (लकड़ी), बास्केटबॉल कोर्ट (एकजुट), हॉकी फील्ड, जूडो हॉल, कबड्डी कोर्ट (क्ले), स्विमिंग पूल, भारोत्तोलन हॉल (एकजुट)	0 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, वाले लड़कियों के छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, शौचालय, स्नान कमरे, जिमनैजियम
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कोल्लम	एल एन सी पी ई	400m एथलेटिक ट्रैक (भस्म), लकड़ी के बोर्ड, अभ्यास का उद्देश्य, हॉकी फील्ड, कबड्डी कोर्ट (मिट्टी), वॉलीबॉल न्यायालयों (मिट्टी) के लिए मुक्केबाजी रिंग के साथ बास्केटबॉल कोर्ट	40 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, 40 पलंगों वाले लड़कियों के छात्रावास, 30 प्रशिक्षुओं, डाइनिंग 2 मनोरंजन हॉल (लड़कों और लड़कियों), स्नान कक्ष, जिमनैजियम हॉल के लिए 3 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कालीकट	एल एन सी पी ई	400m एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल लकड़ी न्यायालय (इंडोर), फुटबॉल घासफील्ड, वॉलीबॉल लकड़ी न्यायालय (इंडोर), भारोत्तोलन हॉल	68 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, शौचालय, स्नानघर, 16 स्टेशन रसोई, राशन की दुकान, कार्यालय कक्ष, अतिथि कक्ष
6.	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस कोल्लम	एल एन सी पी ई	400m पुष्ट भस्म ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट	16 स्टेशन मल्टी जिम, 35 पलंगों वाले छात्रावास
7.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, थालासेरी	एल एन सी पी ई	पुष्ट 400m ट्रैक (लाल मिट्टी), बास्केट बॉल कोर्ट (सीमेंट 35x20), बाड़ लगाना न्यायालय (14.5 इंडोर x 10.3m), व्यायाम (36x18m) हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट (Outdoor24x13m), कंडीशनिंग हॉल (9.7x5.8m)	6 पलंगों वाले कमरे, 30 पलंगों वाले शयनगृह, स्नानघर, शौचालय, रसोई, डाइनिंग मनोरंजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, रेस्ट कक्ष, कार्यालय कक्ष, अतिथि कक्ष, स्टोर कक्ष
8.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र एल्लेवी	एल एन सी पी ई	मंच के साथ नाव हाउस	16 स्टेशन मल्टी जिम, 75 पलंगों वाले हॉस्टल

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
	उद्धवदास मेहता केन्द्रीय केन्द्र, भोपाल	केंद्रीय	बहुउद्देशीय हॉल - (2 बिग और मेपल लकड़ी फ्लोरिंग और फ्लड लाइट के साथ 2 छोटे), 3 हॉकी फील्ड्स (2 खगोल टर्फ-फ्लड लाइट और खिलाड़ीमंडप भवन के साथ 1) एक घास क्षेत्र, 3 बास्केटबॉल न्यायालयों (एकजुट), 3 वॉलीबॉल न्यायालयों (क्ले) के साथ बाड़ लगाना, फुटबॉल फील्ड, पुष्ट (भस्मट्रैक 400m, टहलना ट्रैक 2.1km	144 पलंगों वाले शयनगृह हॉस्टल नंबर 1,2 पुरुष और महिलाओं के लिए 52 पलंगों वाले (एसी) के साथ हॉस्टल, एसी, प्रशासन ब्लॉक के साथ 48 पलंगोंवाले छात्रावास, कमरे बदलना, सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर, खेलविज्ञान केन्द्र, आधुनिक स्वास्थ्य (कंडीशनिंग की कला के राज्यहॉल वरिकवरी 37 आवासीय क्वार्टरों
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	केंद्रीय	टीटी नगर, 3 बास्केटबॉल एकजुट न्यायालय (1 Floodlight), 2 मुक्केबाजी रिंग (इंडोर), 3 हॉकी Astroturf (1 Floodlight और 2 घास), इंडोर हॉल, 3 वॉलीबाल कोर्ट (1 Floodlight कोर्ट के साथ आउटडोर), प्रशिक्षण 400m पुष्ट सिंथेटिक ट्रैकलोअर लेक, प्रकाश तरुण Puskar पूल में केन्द्र	-
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, जलबपुर	केंद्रीय	400m एथलेटिक ट्रैक भस्म, MLB स्कूल परिसर में युवा भवन, मुक्केबाजी रिंग, इंडोर हॉल, हॉल में बास्केटबॉल कोर्ट	-
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, धार	केंद्रीय	हॉकी क्ले फील्ड, फुटबॉल फील्ड, कराटे लिए हॉल, Taekwondo और मल्टी जिम	-
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, टीकमगढ़	केंद्रीय	हॉकी क्ले फील्ड, सॉफ्टबॉल फील्ड	
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर	केंद्रीय	400m पुष्ट भस्म ट्रैक, हॉल व ओपन फील्ड व्यायाम, खो-खो फील्ड, इंडोर हॉल	-
5.	विशेष क्षेत्र खेल धार	केंद्रीय	तीरंदाजी फील्ड 400m पुष्ट भस्म ट्रैक, बैडमिंटन न्यायालयों कुश्ती और, हैंडबाल कोर्ट, हॉकी घास फील्ड के साथ बहुउद्देशीय हॉल	-
6.	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस भोपाल	केंद्रीय	400m एथलेटिक ट्रैक भस्म, 2 हॉकी Astroturf, जूडो के लिए इंडोर हॉल, और कैनोइंग के लिए लोअर लेक	-
	मध्य प्रदेश			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कंडीवली	पश्चिम	एथलेटिक ट्रैक, हॉकी घास क्षेत्र, 2 कबड्डी न्यायालयों, कुश्ती हॉल, क्रिकेट ग्राउंड	लड़कों के लिए 100 पलंगों वाले छात्रावास, लड़कियों के लिए सरकार द्वारा 24 पलंगों वाले छात्रावास
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, औरंगाबाद	पश्चिम	बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), 2 कबड्डी न्यायालयों, 2 टेनिस कोर्ट (एकजुट क्ले), 2 वॉलीबॉल न्यायालयों, हैंडबाल कोर्ट (क्ले), हॉकी फील्ड, क्रिकेट पिच (एकजुट), बहुउद्देशीय हॉल, जिमनैजियम हॉल, कक्ष बदलना	लड़कों राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए 50 पलंगों वाले छात्रावास मराठवाड़ विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में 75 लड़कियों और 2 हॉस्टल के लिए पलंगों वाले छात्रावास के लिए 75 पलंगों वाले हॉस्टल

1	2	3	4	5
	मणिपुर			
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र ताकयेल इम्फाल मणिपुर	पूर्वोत्तर	फील्ड तीरंदाजी, एथलेटिक ट्रैक (घास), 2 बास्केटबॉल न्यायालयों, 2 फुटबॉल फील्ड्स, हैंडबाल न्यायालय (घास), 2 हॉकी (घास) फील्ड, 2 टेनिस कोर्ट (कंक्रीट), रेइंग (550m), Sepaktakraw न्यायालय (घास), 2वॉलीबॉल न्यायालयों, बहुउद्देशीय हॉल (x 60x40 12.5) और बहुउद्देशीय हॉल, आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, सिंथेटिक एथलेटिक टैक, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट महिला हॉकी सेंटर, Thenzawl (मिजोरम) में और सिंथेटिक हॉकी फील्ड के निर्माण के तहत	100 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल निर्माण के तहत-100 पलंगों वाले और 50 पलंगों वाले छात्रावास
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, इम्फाल	पूर्वोत्तर	तीरंदाजी फील्ड, हैंडबाल घास कोर्ट	100 पलंगों वाले हॉस्टल
2.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, इम्फाल	पूर्वोत्तर	एथलेटिक्स ट्रैक, शूटिंग, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल कुश्ती के लिए, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, बाड़ लगाना, वुशु, जिमनास्टिक्स, कराटे	100 पलंगों वाले हॉस्टल निर्माण के तहत 1-सह-हॉल-हॉस्टल
3.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, Utlou	पूर्वोत्तर	फुटबॉल फील्ड, मिनी इंडोर हॉल व बहुउद्देशीय हॉल-निर्माण के तहत	50 पलंगों वाले हॉस्टल निर्माण के तहत 100 पलंगों वाले छात्रावास
	मेघालय			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, शिलांग	एस सी गुवा	400m एथलेटिक ट्रैक क्ले, फुटबॉल ग्राउंड, मुक्केबाजी, जूडो, कराटे, Taekwando और वजन प्रशिक्षण के लिए लघु हॉल	75 पलंगों वाले हॉस्टल (और लड़कों के लिए 60 लड़कियों के लिए 15), कार्यालय कक्ष, Accom. कोच प्रत्येक 3 क्वार्टर्स, डाइनिंग हॉल कर्मचारी के लिए
	मिजोरम			
1.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, आईजौल	पूर्वोत्तर	बहुउद्देशीय हॉल	100 पलंगों वाले हॉस्टल निर्माण के तहत 100 पलंगों वाले छात्रावास
	नागालैंड			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, दीमापुर	पूर्वोत्तर	फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक ट्रैक, इंडोर हॉल	60 पलंगों वाले हॉस्टल
	ओडिशा			
1.	विशेष क्षेत्र खेल जगतपुर	पूर्व	नावघर	छात्रावास भवन, लड़कियों हॉस्टल एवं कार्यालय कक्ष, राज्य सरकार द्वारा खाने के हॉल
2.	विशेष क्षेत्र खेल सुन्दरगढ़	पूर्व	फील्ड तीरंदाजी फील्ड, हॉकी खगोल टर्फ,	लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास भवन, डाइनिंग हॉल, कार्यालय कक्ष
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कटक	पूर्व	पुष्ट फील्ड, फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड, राज्य सरकार द्वारा कंडीशनिंग हॉल	राज्य सरकार द्वारा और लड़कों और लड़कियों, डाइनिंग हॉल, रसोई कक्ष के लिए छात्रावास भवन

1	2	3	4	5
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण ढेनकनाल	पूर्व	राज्य सरकार द्वारा और लड़कों और लड़कियों, डाइनिंग हॉल, रसोई कक्ष के लिए छात्रावास भवन	छात्रावास भवन, डाइनिंग हॉल, राज्य सरकार द्वारा रसोई कक्ष
	पुदुचेरी			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण पुदुचेरी	दक्षिण	400m पुष्ट भस्म ट्रैक हॉकी एस्ट्रो टर्फ, कबड्डी कोर्ट (मिट्टी), टेबल टेनिस के लिए 6 टेबल्स, वॉलीबॉल कोर्ट, लकड़ी बेनी फार्म के साथ हॉल	55 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, शौचालय, स्नान कमरे
	पंजाब			
	एन आई एस पटियाला	एन एस एन आई एस	बाहरी सुविधाएं) 3 पुष्ट 3 सिंथेटिक, एंड्योरेंस 1) ट्रैक, 4 बास्केटबॉल न्यायालयों, 4 क्रिकेट पिचों (त्रैमासिक), 2 फुटबॉल फील्ड्स, 3 हैंडबाल न्यायालयों (सीमेंट, घास और रेत), 4 हॉकी फील्ड (2 और सिंथेटिक 2 घास), स्विमिंग पूल, 6 टेनिस कोर्ट (3 सिंथेटिक और 3 भस्म), साइकिल वेलोड्रम, 4 वॉलीबॉल न्यायालयों (3 भस्म और रेत 1), रेत रनिंग सर्किट, क्रॉस सर्किट, गोल्फ कोर्स 9 होल (इंडोर सुविधाएं) प्रशिक्षण हॉलवुशु और बाड़ लगाना, बिलियर्ड्स /कक्ष टेबल, 4 मुक्केबाजी रिंग, 3 कंडीशनिंग हॉल, 2 टेबल टेनिस हॉल, 2 जूडो हॉल, जिमनैजियम हॉल, 2 सौना, भाप 2,2 स्क्वैश कोर्ट, कुश्ती हॉल, भारोत्तोलन हॉल,	112 पलंगों वाले ध्यानचंद छात्रावास, 114 रजत जयंती हॉस्टल, 64 पलंगों वाले ओल्ड हॉस्टल, 240 लड़कों के लिए पलंगों वाले Yadavindra हॉस्टल पलंगों वाले केवल 100 पीटी उषा छात्रावास, 110 पलंगों वाले रजत जयंती हॉस्टल, लड़कियों के लिए 50 पलंगों वाले ओल्ड हॉस्टल पलंगों वाले
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण पटियाला	एन एस एन आई एस	फील्ड तीरंदाजी, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, बॉक्सिंग हॉल, वेलोड्रम, जिमनास्टिक्स हॉल, बाड़ लगाना हॉल, हॉकी सिंथेटिक सतह और घास क्षेत्र, जूडों हॉल, शूटिंग रेंज	पोलो ग्राउंड में बॉयज के लिए शयनगृह के साथ 50 पलंगों वाले छात्रावास, आयुर्वेदिक कॉलेज में लड़कियों के लिए 50 पलंगों वाले हॉस्टल
2.	सैंटर ऑफ एक्सेलैंस पटियाला	एन एस एन आई एस	जूडो एवं कुश्ती 400m सिंथेटिक और भस्म एथलेटिक ट्रैक, 4 हॉकी फील्ड (1 सिंथेटिक और 3 घास) के लिए इंडोर हॉल	-
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, मस्तौना साहिब	उत्तर	400m पुष्ट 6 लेन, शेड के साथ मुक्केबाजी रिंग के साथ घास ट्रैक, आयरन संलग्नक के साथ 2 वॉलीबॉल न्यायालयों (मिट्टी), कुश्ती अखाड़ा	50-50 व्यक्तियों के लिए 48 पलंगों वाले हॉस्टल (2 बिस्तर 12 कमरे और 4 बिस्तर 6 कमरे), 8 बाथरुम, हॉल खाने की
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बादल	उत्तर	400m पुष्ट गैलरी, 4 बास्केटबॉल न्यायालयों एकजुट, हॉकी फील्ड (खगोल टर्फ), 10 शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल 3 (मिट्टी) न्यायालयों, हैंडबाल कोर्ट घास, कुश्ती अखाड़े के साथ घास ट्रैक	गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज सभी एक हॉल 2 सभी हॉल के हॉस्टल का निर्माण
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, लुधियाना	उत्तर	पुष्ट सिंथेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल और Taraflex और हल्की, हैंडबाल फील्ड, लाइट, वॉलीबॉल कोर्ट के साथ जूडो के लिए इंडोर हॉल के साथ न्यायालय ने बाहरी न्यायालयों, लकड़ी प्लेटफार्म (जिन) भारोत्तोलन	15 कमरे (4 बिस्तर प्रत्येक ब्लॉक एक और बी), 12 शौचालय, स्नानघर 12, 50-60 प्रशिक्षुओं के लिए खाने के हॉल, रसोई और स्टोर, नौकर क्वार्टरों, मनोरंजन हॉल

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	पश्चिम	एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल कोर्ट, हॉकी घास फील्ड, 2 वॉलीबॉल न्यायालयों, 2 कबड्डी कोर्ट, इंडोर हॉल	एसटीसी में लड़के और UIT में बॉयज के लिए 55 पलंगों वाले छात्रावास के लिए 60 पलंगों वाले हॉस्टल
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	पश्चिम	एथलेटिक ट्रैक, 2 बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), 2 वॉलीबॉल कोर्ट	एसटीसी में लड़के और UIT में बॉयज के लिए 60 पलंगा वाले छात्रावास के लिए 60 पलंगों वाले हॉस्टल
	सिक्किम			
1.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र नामची	एस सी गुवा	फुटबॉल फील्ड	50 पलंगों वाले छात्रावास (बॉयज)
	तमिलनाडु			
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, सेलम	दक्षिण	400m एथलेटिक ट्रैक (मिट्टी), बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), 2 कबड्डी न्यायालयों, Taekwando कोर्ट 2 वॉलीबॉल न्यायालयों	70 पलंगों वाले बॉयज हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन हॉल, शौचालय, स्नान कक्ष, जिमनैजियम Multigym मुक्त वजन सुविधाएं
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई	दक्षिण	फुटबॉल घास क्षेत्र, टेनिस स्टेडियम में मुक्केबाजी (गलियारा), 2 कबड्डी न्यायालयों, हॉकी खगोल टर्फ	लड़कों और लड़कियों के छात्रावास, रसोई, डाइनिंग हॉल, कंडीशनिंग हॉल, आम हॉल
3.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, अन्ना स्टेडियम नगरकोइल एक तमिलनाडु-629001	दक्षिण	400m 8 लेन एथलेटिक ट्रैक, कबड्डी कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल ग्राउंड के लिए न्यायालयों	-
4.	विशेष क्षेत्र खेल केंद्र, मईलाडुथुरई	दक्षिण	एथलेटिक ट्रैक (मिट्टी, 2 बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), फुटबॉल फील्ड में हॉकी प्रशिक्षण, 2 वॉलीबॉल न्यायालयों (एमजुट) भारोत्तोलन,	हॉस्टल (यूसी), 40 व्यक्तियों, 13 शौचालय, 6 स्नानघर 2500 व्यक्तियों के लिए भोजन
	त्रिपुरा			
1.	विशेष क्षेत्र खेल अगरतला	पूर्व	ट्रैक के साथ फुटबॉल फील्ड, जूडो हॉल, जिमनैजियम (राज्य सरकार द्वारा)	लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास भवन
	उत्तर प्रदेश			
	नेताजी सुभाष उप केन्द्र सरोजनी नगर कानपुर रोड लखनऊ 226008	एस सी लख.	400m पुष्ट घास ट्रैक, 2 बास्केटबॉल न्यायालयों (एकजुट), फुटबॉल फील्ड, हैंडबाल 2 (घास) न्यायालयों, 2 (खगोल टर्फ और घास फील्ड) हॉकी, जूडो हॉल, कबड्डी फील्ड, 2 वॉलीबॉल घास न्यायालयों, टेबल टेनिस हॉल, के साथ हॉल कुश्तीमैट	120 पलंगों वाले हॉस्टक
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, रायबरेली	एस सी लख.	वॉलीबॉल कोर्ट, तायक्वोंडो हॉल	55 पलंगों वाले होटल, मैस के लिए हॉल,
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, इटावा	एस सी लख.	400m पुष्ट सिंथेटिक ट्रैक, हैंडबाल कोर्ट घास, हॉकी सिंथेटिक फील्ड, रेसलिंग हॉल	80 पलंगों वाले होटल, मैस के लिए हॉल,

1	2	3	4	5
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	एस सी लख.	स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक, बैडमिंटन हॉल और टेबल टेनिस मेयो हॉल, हॉकी फील्ड में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में	कार्यालय के एक एक कक्ष
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी	एस सी लख.	ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी फील्ड	-
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली	एस सी लख.	400m एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल कोर्ट (एकजुट), हॉकी फील्ड, Sepaktakraw के लिए फील्ड का चलायें, वॉलीबॉल कोर्ट	400m एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल (एकजुट), हॉकी फील्ड, Sepaktakraw लिए फील्ड का चलाये, वॉलीबॉल
6.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण जी जी एस स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ	एस सी लख.	400m सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, बास्केट बॉल Taraflex कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, हॉकी एस्ट्रो टर्फ फील्ड, भारोत्तोलन हॉल	40 पलंगों वाले हॉस्टल, मेस के हॉल, कार्यालय के लिए एक कक्ष
	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस लखनऊ	एस सी लख.	एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, भारोत्तोलन के लिए इंडोर हॉल	-
7.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर	एस सी लख.	एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, भारोत्तोलन के लिए इंडोर हॉल	65 पलंगों वाले हॉटल, मैस के हॉल
	पश्चिम बंगाल			
	नेताजी सुभाष पूर्वी क्षेत्र साल्ट लेक सिटी कोलकाता	पूर्व	400m सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फील्ड तीरंदाजी, 4 Basketbal न्यायालयों (कंक्रीट), 2 हॉकी फील्ड (घास और खगोल टर्फ), 3 फुटबॉल फील्ड, कबड्डी 2, स्विमिंग पूल, 4 वॉलीबॉल न्यायालयों (भस्म), 5 लॉन टेनिस कोर्ट (2 और हार्ड 3) क्ले, 5 क्रिकेट अभ्यास पिच, सायक्लिंग, बास्केट बॉल, बैडमिंटन के लिए इंडोर हॉल, जिमनास्टिक्स, हैंडबाल, टेबल टेनिस वॉलीबॉल, बिलियर्ड्स के लिए आंतरिक प्रशिक्षण और स्नूकर-सह-जूडो हॉल	लड़कों, 50 लड़कों और 50 लड़कियों के लिए राष्ट्रीय टूरिस्ट, गेस्ट हाउस, क्वार्टरों (प्रकार 3 (18) के लिए पलंगों के लिए 100 वाले हॉस्टल प्रकार (12), बंगला खेल विज्ञान केन्द्र हॉल के साथ प्रशासनिक ब्लॉक केंद्रीय स्टोर, शैक्षिक ब्लॉक
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता	पूर्व	तीरंदाजी क्षेत्र, एथलैटिक क्षेत्र, सिन्थैटिक हॉकी सरफेस, इन्डोर हॉल फाइ बैडमिन्टन बासकेट बॉल, हैन्डबॉल वॉलीबॉल और जिमनास्टिकस, जूडो हॉल, स्विमिंग पूल टेबल टेनिस हॉल	राज्य सरकार द्वारा छात्रावास भवन, डारमेटरी प्रदान की जाती है।
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, सिलीगुड़ी	पूर्व	राज्य सरकार द्वारा एथलैटिक ट्रै, फुटबॉल फील्ड, कबड्डी कोर्ट, जिमनेजियम रुम	
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, लेबाग	पूर्व	फुटबॉल फील्ड, DHGC द्वारा तीरंदाजी फील्ड	स्टेडियम की गैलरी के तहत शयनगृह
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बर्द्धवान	पूर्व	फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल फील्ड, राज्य सरकार द्वारा वॉलीबॉल कोर्ट	छात्रावास भवन, राज्य सरकार शयनगृह
5.	सैन्टर ऑफ एक्सेलैंस कोलकाता	पूर्व	बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जिमनास्टिक्स, कबड्डी कोर्ट 400m भस्म एथलेटिक्स ट्रैक के लिए इंडोर हॉल	-
6.	विशेष क्षेत्र खेल बोलपुर	पूर्व	टेबल टेनिस और बास्केटबॉल, बाहरी फील्ड तीरंदाजी, एथलेटिक फील्ड, बास्केटबॉल कोर्ट, कंडीशनिंग हॉल के लिस इंडोर हॉल	हॉस्टल, शांतिनिकेतन श्रीनिकेतन देव द्वारा खेल के हॉल प्राधिकरण, बोलपुर

विवरण-II

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के विधावार खेल केंद्र

क्र.सं.	राज्य	विधा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
	सिकंदराबाद	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		बैडमिंटन
		बॉक्सिंग
		जिमनास्टिक्स
		हैंडबॉल
		हॉकी
		जूडो
		कबड्डी
	एलुरु	एथलेटिक्स
		हॉकी
		हैंडबॉल
	कुर्नूल	बास्केट बॉल
		फुटबॉल
		हैंडबॉल
		हॉकी
		टाईक्वोन्डो
	मेडक	एथलेटिक्स
	विशाखापट्नम	बास्केट बॉल
		बुक्केबाजी
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
2.	असम	
	तिनसुकिया	एथलेटिक्स
		फुटबॉल
	कोकराझार	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		फुटबॉल
		जूडो
		कबड्डी
		कराटे
		टीक्वान्डो
		वुशु
3.	अरूणाचल प्रदेश	
	नाहारालगुम	मुक्केबाजी
		कराटे
		टीक्वान्डो
		भारोत्तोलन
4.	बिहार	
	पटना	बास्केट बॉल
		फुटबॉल
		कबड्डी
		टेबल टेनिस
		ताइक्वांडो
		वॉलीबॉल
	मुज्जफर पुर	फुटबॉल
		कबड्डी
		वुशु
	किशनगंज	फुटबॉल
		वॉलीबॉल
	गिदौर	एथलेटिक्स
		फुटबॉल

1	2	3
		वॉलीबॉल
5.	छत्तीसगढ़	
	रायपुर	तीरंदाजी
		बैडमिंटन
		फुटबॉल
		जूडो
		वॉलीबॉल
		पानी के खेल
		भारोत्तोलन
	राजनन्दगाँव	तीरंदाजी
		बास्केट बॉल
		हॉकी
6.	गुजरात	
	गांधीनगर	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		फुटबॉल
		हैंडबॉल
		हॉकी
		कबड्डी
		तैराकी
		वॉलीबॉल
		रेस्लिंग
7.	हरियाणा	
	सोनीपत	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		मुक्केबाजी
		फुटबॉल
		हैंडबॉल
		हॉकी
		जूडो
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
		रेस्लिंग
	कुरुक्षेत्र	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		सायक्लिंग
		हॉकी
		जुडो
		वॉलीबॉल
		भारोत्तोलन
	भिवानी	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
	हिसार	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		बास्केट बॉल
		हॉकी
		हैंडबॉल
		जूडो
		टेबल टेनिस
		रेस्लिंग
8.	हिमाचल प्रदेश	
	धर्मशाला	एथलेटिक्स

1	2	3
		बास्केट बॉल
		हॉकी
		जिमनास्टिक्स
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
	बिलासपुर	एथलेटिक्स
		बैडमिंटन
		बास्केट बॉल
		मुक्केबाजी
		हॉकी
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
9.	जम्मू और कश्मीर	
	ऊधमपुर	एथलेटिक्स
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
10.	झारखंड	
	हजारीबाग	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		फुटबॉल
		हॉकी
		भारोत्तोलन
		रेस्लिंग
	रांची	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		फुटबॉल
		हॉकी

1	2	3
11.	कर्नाटक	वॉलीबॉल
	बंगलूर	एथलेटिक्स
		बैडमिंटन
		फुटबॉल
		हॉकी
		जूडो
		कबड्डी
		शूटिंग
		सॉफ्टबॉल
		टेबल टेनिस
		ताइक्वांडो
		वॉलीबॉल
		भारोत्तोलन
	धारवाड़	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		जिमनास्टिक्स
		हॉकी
		टीक्वान्डो
		रेस्लिंग
	मेडकेरी	एथलेटिक्स
		हॉकी
12.	केरल	
	त्रिकुर	एथलेटिक्स
		बैडमिंटन
		बास्केट बॉल
		जूडो
		कबड्डी

1	2	3
		तैराकी
		भारोत्तोलन
	कलीकट	एथलेटिक्स
		एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		फुटबॉल
		वॉलीबॉल
		भारोत्तोलन
	कोल्लाम	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		बास्केट बॉल
		फुटबाल
		हॉकी
		कबड्डी
		ताइक्वांडो
		वॉलीबॉल
	अल्लेप्पी	कायाकिंग
		कैनोइंग
		रोइंग
	एल एन सी पी ई	जिमनास्टिक्स
	त्रिवेन्द्रम	हैंडबॉल
		हॉकी
		कबड्डी
		तैराकी
		टीक्वान्डो
		टेनिस
		वॉलीबॉल

1	2	3
		रेस्लिंग
	टेलीचेरी	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		फेसिंग
		जिमनास्टिक्स
		वॉलीबॉल
13.	मध्य प्रदेश	
	भोपाल	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		मुक्केबाजी
		फुटबॉल
		हॉकी
		जूडो
		ताइक्वांडो
		तैराकी
		वॉलीबॉल
		पानी के खेल
		वुशु
	धार	फुटबॉल
		एथलेटिक्स
		बैडमिंटन
		हैंडबॉल
		हॉकी
		कराटे
		रेस्लिंग
	विस्तार केंद्र, खंडवा	ताइक्वांडो
	इंदौर	एथलेटिक्स

1	2	3
		जिमनास्टिक्स
		खो-खो
		कबड्डी
		रेस्लिंग
	जबलपुर	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		मुक्केबाजी
		हॉकी
		जूडो
		कराटे
		वॉलीबॉल
		रेस्लिंग
		वुशु
	टीकमगढ़	हॉकी
		सॉफ्टबॉल
14.	महाराष्ट्र	
	कंडीवली	एथलेटिक्स
		हॉकी
		रेस्लिंग
15.	मणिपुर	
	इम्फाल	मुक्केबाजी
		फैसिंग
		जिमनास्टिक्स
		जूडो
		कराटे
		शूटिंग
		तैराकी

1	2	3
		भारोत्तोलन
		रेस्लिंग
		वुशु
	उत्लोव	मुक्केबाजी
		टीक्वान्डो
		भारोत्तोलन
16.	मिजोरम	
	आईजोल	मुक्केबाजी
		जूडो
		कराटे
		सेपक्तक्रो
		ताइक्वांडो
		भारोत्तोलन
		रेस्लिंग
17.	ओडिशा	
	कटक	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		फुटबॉल
	जगतपुर	कैनोइंग
		कायाकिंग
		रोइंग
	सुन्दरगढ़	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		हॉकी
	भारतीय खेल प्राधिकरण, एचएएल सुनबेडा कोरापुट	तीरंदाजी
	देनकनाल	फुटबॉल
		कबड्डी

1	2	3
		भारोत्तोलन
		रेस्लिंग
18.	पंजाब	
	मस्तान साहिब	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		वॉलीबॉल
	बादल	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		बास्केट बॉल
		हैंडबॉल
		हॉकी
		शूटिंग
		वालीबॉल
	लुधियाना	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		हैडबॉल
		जूडो
		वॉलीबॉल
		भारोत्तोलन
	राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		सायक्लिंग
		फैसिंग
		जिमनास्टिक्स
		हैडबॉल
		हॉकी

1	2	3
		जूडो
		शूटिंग
		वुशु
19.	राजस्थान	
	जोधपुर	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		जिमनास्टिक्स
		हैंडबॉल
		वॉलीबॉल
	अलवर	
20.	सिक्किम	
	नामची	तीरंदाजी
		मुक्केबाजी
		फुटबॉल
		ताइक्वांडो
21.	तमिलनाडु	
	चेन्नई	फुटबॉल
		हॉकी
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
	सलेम	बास्केट बॉल
		कबड्डी
		टीक्वान्डो
		वॉलाबॉल
	नागरकोइल	बास्केट बॉल
		कबड्डी
	मलियादुतुराई	एथलेटिक्स

1	2	3
		बास्केट बॉल
		हॉकी
		कबड्डी
		वॉलीबॉल
		भारोत्तोलन
22.	त्रिपुरा	एथलेटिक्स
		फुटबॉल
		जिमनास्टिक्स
		जूडो
		तैराकी
23.	उत्तर प्रदेश	
	रायबरेली	टीकवंडो
		वॉलीबॉल
	झांसी	हॉकी
	सैफई इटावा	एथलेटिक्स
		हैंडबाल
		हॉकी
		रेस्लिंग
	लखनऊ	एथलेटिक्स
		फुटबॉल
		हैंडबाल
		हॉकी
		जूडो
		कबड्डी
		टेबल टेनिस
		ताइक्वांडो
		वॉलीबॉल
		रेस्लिंग
	इलाहाबाद	एथलेटिक्स
		बैडमिंटन
		हॉकी
		टेबल टेनिस
	बरेली	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		हॉकी
		सेपक्तक्रौ
		वॉलीबॉल
	नी जी एस खेल कॉलेज, लखनऊ	एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
		बैडमिंटन
		हॉकी
		भारोत्तोलन
	जौहरी, बागपत, (विस्तार केंद्र) लखनऊ	शूटिंग
24.	उत्तरांचल	
	काशीपुर	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		फुटबॉल
		टेबल टेनिस
		ताइक्वांडो
		भारोत्तोलन
		रेस्लिंग
25.	पश्चिम बंगाल	
	कोलकाता	तीरंदाजी
		एथेलटिक्स
		बैडमिंटन
		फुटबॉल
		जिमनास्टिक्स

1	2	3
		हॉकी
		जूडो
		तैराकी
		टेबल टेनिस
		वॉलीबॉल
	लेबांग	तीरंदाजी
		फुटबॉल
	बर्दवान	बास्केट बॉल
		फुटबॉल
	सिलिगुडी	एथलेटिक्स
		फुटबॉल
		कबड्डी
	बोलपुर	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		बास्केट बॉल
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
	पोर्ट ब्लेयर	सायक्लिंग
		कायाकिग
		कैनोइंग
		फुटबॉल
		रोइंग
		पानी के खेल
		भारोत्तोलन
2.	दिल्ली (एनसीआर)	
	बवाना	मुक्केबाजी
		हैंडबॉल
		जूडो
		कबड्डी
		लॉन टेनिस
		सेपक्तक्रौ
		टेबल टेनिस
		वॉलीबॉल
		रेस्लिंग
		वुशु
3.	पुदुचेरी	हॉकी
		कबड्डी
		टेबल टेनिस
		वॉलीबॉल
		रेस्लिंग

विवरण-III

गत तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साई प्रशिक्षुओं की उपलब्धियां

राष्ट्रीय स्तर

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-2009			2009-2010			2010-2011		
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन एस टी सी)	16	13	10	10	10	19	-	-	-

1	2 3	4						5		
2.	सेना बॉयज खेल कंपनी (ए बी सी)	83	42	26	60	32	24	-	-	-
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र	144	132	153	131	121	139	20	10	19
4.	विशेष क्षेत्र खेल	96	48	62	69	67	51	16	05	08
5.	एसटीसी के विस्तार केंद्र	-	04	04	-	-	02	-	-	-
6.	उत्कृष्टता केंद्र (सी ओ ई)	52	37	45	74	56	43	02	07	06
	कुल	391	296	300	344	286	278	38	31	33

अंतर्राष्ट्रीय स्तर

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-2009			2009-2010			2010-2011		
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन एस टी सी)	04	01	03	-	01	-	-	-	01
2.	सेना बॉयज खेल कंपनी (ए बी सी)	05	03	03	09	03	03	-	-	01
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र	46	19	13	05	13	06	12	05	13
4.	विशेष क्षेत्र खेल	11	11	-	04	04	07	04	02	02
5.	एसटीसी के विस्तार केंद्र	-	-	01	-	-	-	-	-	-
6.	उत्कृष्टता केंद्र (सी ओ ई)	18	15	15	22	09	17	06	06	15
	कुल	84	49	35	40	30	33	22	13	32

विवरण-IV

दिल्ली और पूरे देश में आओ और खेलों योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं के ब्यौरे

दिल्ली

क्र.सं.	स्टेडियम	प्रशिक्षुओं के संख्या
1	2	3
1.	जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम	902
2.	इंदिरा गांधी स्टेडियम	4430

1	2	3
3.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम	793
4.	मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम	1608
5.	डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज	621
	कुल	8354

दिल्ली के अलावा

क्र.सं.	स्टेडियम	प्रशिक्षुओं के संख्या
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, इम्फाल	371
2.	उप केंद्र, लखनऊ	71
3.	उप केन्द्र, लखनऊ	238
4.	नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर, कोलकाता	40
5.	नेताजी सुभाष दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर	594
6.	उत्तरी केंद्र, चंडीगढ़	90
7.	उधवदास मेहता सेंट्रल केंद्र, भोपाल	391
8.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा के कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	401
9.	नार्थर क्षेत्रीय केंद्र, सोनीपत	204
10.	नेताजी सुभाष खेल राष्ट्रीय संस्थान पटियाला	196
11.	नेताजी सुभाष पश्चिमी केन्द्र, गांधीनगर	518
	कुल	3114

[हिन्दी]

उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्म

*370. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में विभिन्न फसलों की उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्में विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेहूं और मक्का सहित उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्में केवल विदेशों में विकसित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में ही उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्में विकसित न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ट्रांसजेनिक बीजों के संदूषण को रोकने तथा देश में बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों में तेजी लाने और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल-वार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित की हैं जो ज्यादातर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित हैं। इस प्रणाली के तहत किस्में विकसित की जाती हैं और खेती के लिए जारी करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के तहत इनका परीक्षण किया जाता है।

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान सेंट्रल वैराइटी रिलीज कमेटी तथा स्टेट वैराइटी रिलीज कमेटी द्वारा विभिन्न फसलों की 190 उच्च पैदावार वाली किस्में जारी की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत में स्थित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय स्थिति के अनुकूल गेहूं और मक्का सहित समस्त फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में विकसित और जारी की गई हैं।

(ङ) राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) के पास पराजीनी बीजों की जांच की तकनीकें उपलब्ध हैं और इस प्रकार संदूषण की जांच की जा सकती है। भारत सरकार की जेनेटिक मैनीपुलेशन समीक्षा समिति (आरसीजीएम)/आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी) के नियमित निर्देशों का अनुसरण करते हुए पराजीनी बीजों को व्यावसायिक स्तर पर जारी किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निगरानी और जरूरत आधारित मूल्यांकन कार्य भी किया जाता है। किसानों द्वारा बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बीजों की गुणवत्ता और शुद्धता को कायम रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न बीज उत्पादन एजेंसियों से प्राप्त मांग-पत्र के अनुसार सभी उन्नत किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जाता है।

[अनुवाद]

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का कार्यकरण

*371. **डॉ. सुचारु रंजन हल्दर:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इसके कार्यकरण में अब तक किन-किन खामियों की पहचान की गई है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए अब तक किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन एस एन आई एस), पटियाला के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए प्रो. मूलचन्द शर्मा, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक उच्च अधिकार समिति (एचपीसी) गठित की थी। समिति ने संस्थागत प्रबंधों, मानव संसाधन आवश्यकता और अकादमिक कार्यक्रमों पर सिफारिशों के साथ सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सरकार द्वारा मामले की आगे जांच की गई और यह महसूस किया गया कि एन एस एन आई एस, पटियाला के अकादमिक मिशन को मजबूत करने की आवश्यकता है। एन एस एन आई एस, पटियाला को कोचिंग शिक्षा में उत्कृष्टता संस्थान बनाने के उद्देश्य से भा.खे.प्रा. की शासी निकाय में यह निर्णय लिया गया है कि एन एस एन आई एस, पटियाला को भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से अलग किया जाये और इसकी शैक्षणिक एवं कोच शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए।

(ङ) देश में एन एस एन आई एस पटियाला की शाखाओं को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी/दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध

*372. **श्री राम सुन्दर दास:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी और दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों/विशेषज्ञों से कोई सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख)

चीनी

जी, नहीं। फिलहाल चीनी के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, चीनी के निर्यात को रिलीज आदेश तंत्र के जरिये नियमित किया जाता है, लेकिन प्रति वर्ष 10,000 टन कार्बनिक चीनी के निर्यात की अनुमति बिना रिलीज आदेश के दी जाती है।

दालें

जी हां। काबुली चना और 10,000 टन तक कार्बनिक दालों को छोड़कर शेष दालों के निर्यात पर 31.3.2012 तक प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध दालों की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करके मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए लगाया गया था।

(ग) से (ङ)

चीनी

प्रश्न नहीं उठता।

दालें

दालों पर से निर्यात प्रतिबंध उठाने और रा दालों का आयात करके और प्रसंस्कृत दालों के रूप में मूल्यवर्धन के बाद आयातित दालों का पुन: निर्यात करने की अनुमति देने के लिए कुछ संगठनों जैसे—एसोसिएसन आफ पल्सेस मैन्यफैक्चरर्स-एक्सपोर्टस आफ इंडिया तथा कुछ दाल मिल मालिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

देश में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के कारण घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए दालों के आयात पर निर्भर रहता है। कुछ राज्य सरकारों को राजसहायता प्राप्त दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की जाती है ताकि वे गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दालों का वितरण कर सकें। ऐसी स्थिति में दालों के निर्यात पर से प्रतिबंध उठाना वांछनीय नहीं है।

[अनुवाद]

लंदन ओलम्पिक, 2012 के लिए तैयारी

373. श्री एन. एस. वी. चित्तन: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं यथा बीजिंग ओलम्पिक खेल, दिल्ली 2010 के दौरान विभिन्न खेलों में भारतीय एथलीटों, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) समीक्षा के दौरान किन खामियों की पहचान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा लंदन ओलम्पिक, 2012 में उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रतिभागी एथलीट तथा टीमों की प्रतिभागिता पूर्व प्रशिक्षण तथा कोचिंग आवश्यकता को अंतिम रूप देने तथा दीर्घकालिक विकास योजनाओं को अंतिम रूप देते समय मंत्रालय तथा भा.खे.प्रा. का राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ परामर्श के भाग के रूप में अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जिनमें बड़ी खेल प्रतियोगिताएं जैसे कि ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल तथा राष्ट्रमंडल खेल सम्मिलित हैं, उनमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा एक सतत-प्रक्रिया है।

बीजिंग ओलम्पिक, 2008 के लिए हमारे एथलीट को तैयार करने हेतु सरकार ने उन विधाओं की पहचान की जिनमें देश को मेडल की सर्वाधिक आशा थी तथा भा.खे.प्रा. तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ परामर्श द्वारा खिलाड़ियों के बोधशील तथा गहन प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार की गई।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए हमारे एथलीट को तैयारी हेतु राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय एथलीट तैयारी योजना हेतु 678 करोड़ रुपये व्यय किये गये ताकि भारतीय खिलाड़ियों को बोधशील तथा गहन प्रशिक्षण तथा देशीय तथा विदेशी खेल अनुभव उपलब्ध कराया जा सके।

एशियाई खेल 2010 के एथलीटों की तैयारी हेतु, जो कि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के एक माह पश्चात आयोजित हुए, उनमें वे विधाऐं जो एशियाई, खेलों, 2010 में शामिल है लेकिन राष्ट्रमंडल खेल 2010 में शामिल नहीं थे, उन्हें समान अवसर मिले, यह सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि ऐसी खेल विधाओं को सहायता देने हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघ सहायता योजना के लिए राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु भारतीय टीम तैयारी योजना के मानकों को अपना लिया जाये। इस उद्देश्य के लिए सबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा भा.खे.प्रा. के साथ परामर्श के पश्चात कार्यान्वियन योजना बनाई गई ताकि प्रशिक्षण कैंप, खेल उपकरण, नियुक्त

भारतीय प्रशिक्षक, विदेशी प्रशिक्षक तथा सहायक, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता विदेशों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

यह खिलाड़ियों को प्रदत्त बोधशील तथा गहन प्रशिक्षण का ही परिणाम था कि हमारे खिलाड़ियों ने बीजिंग ओलाम्पिक 2008, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तथा एशियाई खेल, 2010 में सराहनीय प्रदर्शन किया।

बीजिंग ओलम्पिक 2008 में भारत ने तीन पदक जीते (एक स्वर्ण, तथा दो कांस्य पदक)। बीजिंग ओलम्पिक की पदक तालिका के अनुसार भारत का प्रदर्शन पिछले ओलाम्पिक खेलों के मुकाबले बेहतर था। भारतीय खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने वैयक्तिक स्वर्ण पदक बीजिंग ओलम्पिक 2008 में जीता।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में, देश ने किसी भव्य, बहु विधा खेल आयोजन में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिसमें हमने 101 पदक (38 स्वर्ण, 27 रजत, तथा 36 कांस्य पदक) जीते, जो कि राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न, 2006 में विजित पदकों की संख्या से दोगुने थे। इस उपलब्धि ने भारत को पदक तालिका में आस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान मिला तथा भारत ने प्रमुख खेल देशों जैसे इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ दिया।

एशियाई खेल, 2010 में भारतीय खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया और रिकार्ड 65 पदक (14 स्वर्ण, 17 रजत, तथा 34 कांस्य) जीते । पदक तालिका में भारत छटे स्थान पर रहा, जो कि एशियाई खेलों के आरंभ से लेकर अब तक का सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन रहा।

(घ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय एथलीट की तैयारी के लिए योजना जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 में शामिल नहीं थे, तथा एशियाई खेल, 2010 की विधा में उनके लिए इस योजना के अंतर्गत विस्तारण मानदंडो ने खूब लाभांश प्रदान किया। मंत्रालय ने लंदन ओलम्पिक 2012 के लिए एथलीट तथा टीम तैयार करने के नजरिये से लंदन ओलम्पिक 2012 के लिए ऑपरेशन उत्कृष्टता (ओपीईएक्स 2012) परियोजना आरंभ की। ओपीईएक्स, 2012 के अंतर्गत एथलीट को बोधशील तथा गहन प्रशिक्षण देश तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता अनुभव कराया जाता है। लंदन ओलम्पिक की तैयारी के लिए एथलीट को निधि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के परिमाण के समतुल्य मानदंडो के अनुरूप प्रदान की जाती है, कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे आवास, पोषण, वैज्ञानिक सहायता तथा दैनिक भत्तों में आगे चलकर कुछ वृद्धि की जा सकती है।

हॉकी को बढ़ावा देना

***374. श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
श्री जोस के. मणि:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय हॉकी की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया है तथा भारतीय हॉकी संघ और हॉकी इंडिया के कार्यकरण की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने के काम में लगे खेल निकायों में किन-किन खामियों की पहचान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। भारतीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश तथा कई बैठको के पश्चात, 25.7.2011 को भारतीय हॉकी परिसंघ तथा हॉकी इंडिया के मध्य एक समझौता हुआ। लेकिन भारतीय ओलम्पिक संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के विरोध के कारण इसे क्रियान्वित नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त भारतीय हॉकी परिसंघ तथा हॉकी इंडिया मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक है। आगे इस मामले को सुलझाने के लिए सितम्बर, 2011 को भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय हॉकी परिसंघ तथा हॉकी इंडिया के बीच बैठक हुई जिसमें भारतीय हॉकी परिसंघ ने यह संभावना दिखाई कि वह समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव पेश कर सकते है।

(ग) कमियों का संबंध मुख्यत: संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों तथा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त करने दोनों निकायों के एकीकरण, उचित चुनाव आयोजित करना, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण के पश्चात तीन वर्ष की अवधि की आवश्यकता तथा नियमित राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने से है।

(घ) अनुच्छेद (क) तथा (ख) के उत्तर में इंगित, सरकार भारतीय हॉकी परिसंघ तथा हॉकी इंडिया के साथ कार्यरत है ताकि एक ऐसा समझौता उपलब्ध कराया जा सके जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

[हिन्दी]

खुदरा क्षेत्र का विकास

***375. डॉ. भोला सिंह:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में खुदरा व्यापार से संबंधित संगठित तथा असंगठित क्षेत्र का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन में कोई सुधार देखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान खुदरा क्षेत्र का आधुनिकीकरण हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2011 के अनुसार व्यापार क्षेत्र द्वारा की गई गणना के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू कीमतों पर वर्ष 2007-08 के 7,04,553 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 9,13,14 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि, खुदरा व्यापार के संबंध में केन्द्रीयकृत रूप से अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

आनुवंशिक रूप से संवर्द्धित बीजों के लिए सहायता

***376. श्री जगदानंद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आनुवंशिक रूप से संवर्द्धित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना तथा केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना ही आनुवंशिक रूप से संवर्द्धित बीजों का परीक्षण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारत सरकार आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता के रूप कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि वर्ष 2005-06 से कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य के कृषि विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए ट्रांसजेनिक फसलों के निर्मुक्ति पश्चात मानीटरन; जीएम बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण; राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संगठनों के जरिए लोक जागरूकता, राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों/विशेषीकृत संस्थाओं/बीज निगमों के जरिए टिश्यू कल्चर के प्रवर्धन हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत एक घटक कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कार्यान्वित कर रहा है।

साथ ही, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने उन्नत सस्त विज्ञानीय स्वरूप तथा विभिन्न पैथोजेन/दबावों के प्रतिसहायता के साथ ट्रांसजेनिक पौधों के सृजन हेतु महत्वपूर्ण जीनों की पहचान तथा उनके प्रचार के अंतिम उद्देश्य के साथ कई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता दी है। इसके इसने अलावा फसलों जैसे-जैव दबावों, गुणवत्ता लक्षण सुधार, जल निमग्नता और मार्कर सहायता प्राप्त प्रजनन के लिए गेहूं, चावल, चना, मक्का और सोयाबीन में सुधार के लिए त्वरित फसल सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (डेयर)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने ट्रांसजेनिक अनुसंधान के विकास के लिए पर्याप्त विज्ञान आधारित अभिबल दिए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों का निर्धारित परख, मूल्यांकन और परीक्षण के बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा पर्यावरणीय निर्मुक्ति अनुमोदन दिया जा रहा है। साथ ही जीएम फसलों के मानीटरन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए जीईएसी ने 6.7.2011 को सम्पन्न अपनी 111वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि आवेदक इसके बाद परीक्षण करने हेतु अनुमोदन पत्र जारी करने के पहले प्रथम दृष्टया राज्य सरकार

से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा ताकि चल रहे अनुसंधान परीक्षणों में व्यवधान से बचा जा सकें।

[अनुवाद]

आतंकी संगठनों की गतिविधियां

***377. श्री पी. कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण देश के विभिन्न भागों में इंडियन मुजाहिदीन संगठन से संबंधित कुछ आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त आतंकी संगठन ने विदेशों में इसी प्रकार की आतंकी संगठनों से संबंध बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) हाल ही में, दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों, पश्चिम बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से नवम्बर, 2011 में सात सदस्यीय इण्डियन मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया है जिसमें एक पाकिस्तानी राष्ट्रीक भी शामिल है। इस इण्डियन मुजाहिद्दीन के दिनांक 13.02.2010 के पुणे स्थित बेकरी विस्फोट, दिनांक 17.04.2010 के चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट और दिनांक 19.09.2010 के जामा मस्जिद गोलीबारी एवं विस्फोट मामले में संलिप्त होने की आशंका है।

(ग) और (घ) जी, हां। इण्डियन मुजाहिद्दीन के माड्यूलों का सम्पर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों अर्थात लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी) के साथ है।

(ङ) सरकार आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, यथार्थ अथवा काल्पनिक आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त में सी आई एस एफ की तैनाती करने के लिए सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन एस जी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन एस जी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेल रोशनी की व्यवस्था करना, आधुनिक एवं उच्च्च प्रौद्योगिकी वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रुप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्ति, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय एवं द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी

***378. श्रीमती भावना पाटील गवली:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण की निगरानी/समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां कुछ अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया विधि में वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) बैठकें, वार्षिक राज्य और क्षेत्रीय कार्यशालाएं, विशिष्ट प्रशिक्षण-कम-कार्यशकला क्रियाकलाप, क्षेत्रीय परियोजना निदेशालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय और कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालयों के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरे, वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन, संपर्क और औचित्य बैठकें/चर्चाएं और पंचवर्षीय संवीक्षा दल (क्यूआरटी) द्वारा समीक्षा शामिल हैं। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई निगरानी और समीक्षा गतिविधियों पर आधारित निष्कर्ष में सुधरे और आवश्यकता आधारित वार्षिक कार्य योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन; प्रौद्योगिकी तालिकाओं का संकलन, प्रौद्योगिकी मैनुअलों, पुस्तकों, बुलेटिनों और विस्तार साहित्य को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करना; क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी बैकस्टॉपिंग के लिए कार्यक्रमों का विकास और संगठन; मानव संसाधन विकास और जानकारी सशक्तिकरण; प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग मैकेनिज्म के नवोन्मेषी मॉडलों और अनुभवों को बांटना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान का निष्कर्ष पर राज्यवार विवरण-II में दिया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के पिछले पंचवर्षीय संवीक्षा दल के निष्कर्ष के आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चुनिंदा कृषि विज्ञान केन्द्रों में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए प्रावधान किया है और 11वीं योजना के दौरान अपने आठ क्षेत्रीय इकाईयों के स्तर को प्रोन्नत कर क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय कर दिया है।

(ग) और (घ) जबकि पिछले चार वर्षों में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, बिहार के खगड़िया जिला में केवीके के संबंध में प्रमुख अनियमितता ध्यान में आई है, जिसने कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में परिषद के प्रशासनिक निर्णयों का पालन नहीं किया है। इसीलिए, परिषद ने इसके मेजबान संगठन से कृषि विज्ञान केन्द्र को वापस ले लिया है, वित्तीय वसूली की है और चल सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लिया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी और समीक्षा के लिए किए गए कार्यकलापों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण

राज्य	आयोजित वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठकें	आयोजित राज्य और क्षेत्रीय कार्यशालाएं	कार्यकलाप-विशिष्ट प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं	जैड पीडी; डीईई तथा भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र का दौरा	स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क और रूपांतरण बैठक/विचार-विमर्श	क्यूआरटी दौरा तथा इनकी दौरा कार्यशालाएं आदि
	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	4	0	10	5	2
आंध्र प्रदेश	149	2	40	85	88	9
अरुणाचल प्रदेश	23	0	5	16	6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	असम	38		1	12		175	16		6
	बिहार	115		4	8		191	45		2
	छत्तीसगढ़	48		1	9		102	28		2
	दिल्ली	4		4	3		5	105		1
	गोवा	5		03	01		06	24		01
	गुजरात	71		5	34		156	40		7
	हरियाणा	69		4	9		481	300		5
	हिमाचल प्रदेश	47		4	19		84	359		3
	जम्मू एवं कश्मीर	46		7	24		199	251		4
	झारखंड	57		4	9		86	30		2
	कर्नाटक	75		03	02		65	210		02
	केरल	50		03	01		68	141		01
	लक्षद्वीप	2		03	0		01	10		0
	मध्य प्रदेश	280		1	15		326	97		2
	महाराष्ट्र	107		2	59		233	132		11
	मणिपुर	30		0	3		38	4		0
	मेघालय	10		1	4		15	5		3
	मिजोरम	12		1	4		14	4		0
	नागालैंड	21		0	3		21	7		0
	ओडिशा	100		1	11		134	47		2
	पुडुचेरी	4		03	01		08	31		01
	पंजाब	71		4	16		251	83		5
	राजस्थान	91		5	22		212	21		11
	सिक्किम	9		0	3		8	5		2
	तमिलनाडु	34		03	02		192	245		02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
त्रिपुरा		11		0	4		7		4	2
उत्तर प्रदेश		134		3	30		99		180	28
उत्तराखंड		21		3	15		25		39	2
पश्चिम बंगाल		53		4	17		111		24	2
कुल		1040		83	385		3424		2586	123

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों की निगरानी और समीक्षा पर आधारित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार परिणाम

राज्य	कृषि विज्ञान केन्द्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं का विकास तथा निष्पादन	प्रौद्योगिकी सूचियों का परिकलन	प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक रूप में प्रौद्योगिकी मैनुअल/पुस्तकों, बुलेटिनों तथा विस्तार साहित्य को तैयार करना	क्षमता निर्माण का विकास तथा संगठन एवं प्रौद्योगिकी बैक-स्टापिंग कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास तथा ज्ञान सशक्तिकरण कार्यक्रम	कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों के दौरान नवोन्मेषी मॉडल तथा अनुभवों का आदान-प्रदान
	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	0	17	0	1	5
आंध्र प्रदेश	88	88	2111	16	20	44
अरुणाचल प्रदेश	36	3	156	15	25	7
असम	63	5	460	25	32	20
बिहार	111	1	828	1	9	5
छत्तीसगढ़	48	2	1118	6	25	3
दिल्ली	2	3	41	8	6	3
गोवा	06	01	96	03	0	2
गुजरात	78	36	1992	2	23	6

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	36	5	287	11	11	10
हिमाचल प्रदेश	24	1	111	20	9	8
जम्मू और कश्मीर	28	12	195	27	7	2
झारखंड	60	1	513	1	6	5
कर्नाटक	82	01	1441	20	04	15
केरल	42	01	451	10	02	12
लक्षद्वीप	03	0	0	1	0	01
मध्य प्रदेश	138	2	3196	12	38	5
महाराष्ट्र	121	132	3128	25	36	66
मणिपुर	27	2	104	13	15	10
मेघालय	15	4	54	14	19	6
मिजोरम	24	0	68	13	15	5
नागालैंड	24	3	86	18	22	7
ओडिशा	90	2	1385	8	17	3
पुडुचेरी	06	01	73	4	01	02
पंजाब	32	66	219	17	10	37
राजस्थान	96	319	3075	3	11	6
सिक्किम	12	3	20	9	11	4
तमिलनाडु	89	01	1735	21	03	14
त्रिपुरा	12	2	106	11	12	5
उत्तरप्रदेश	198	1	5523	36	62	201
उत्तराखण्ड	39	1	682	4	7	39
पश्चिम बंगाल	51	1	528	1	6	5
कुल	1684	700	29799	375	465	563

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे रोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

***379. श्री यशवंत लागुरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी गरीबी उपशमन हेतु राज्य-वार कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण आदि तथा शहरी गरीबों के लिए रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चिंहित किए गए संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय, अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य शहरी गरीबों को व्यक्तिगत/समूह उद्यम लगाने में सहायता देकर और कौशल प्रशिक्षण देकर तथा सामाजिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें लाभप्रद रोजगार देना है। यह स्कीम वर्ष 1997 से कार्यान्वित कर रही है तथा इसे 2009 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) स्कीम के निम्नलिखित पांच घटक हैं:

(1) शहरी स्वरोजगार योजना (यूएसईपी)

(2) शहरी महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)

(3) शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप)

(4) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

(5) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

(घ) एसजेएसआरवाई के अंतर्गत, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु 5 संसाधन संस्थानों की पहचान की है। ये संस्थान निम्न हैं: मानव बसाव प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई), नई दिल्ली; शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीयूईएस), लखनऊ, हैदराबाद और मुम्बई; और अखिल भारतीय स्थानीय स्व-शासन संस्थान मुम्बई, दिशा-निर्देशों के अनुसार एसजेएसआरवाई के स्टेप अपघटक के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम हैं और इन्होंने सरकार, निजी अथवा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आईआईटी, एनआईटी, उद्योग संघों, इंजीनियरिंग कालेजों, प्रबंधन संस्थानों और फाउन्डेशनों आदि जैसे संस्थानों की पहचान की है।

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के यूएसईपी, यूडब्ल्यूएसपी, स्टेप-अप और यूडब्ल्यूईपी घटकों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक यूसीडी का संबंध है, यह घटक सुस्थिर शहरी गरीबी उपशमन के लिए सामुदायिक विकास और समुदायों को जुटाने से संबंधित है। इस स्कीम के यूसीडी घटक के अंतर्गत लाभार्थियों के बारे में कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत राज्य-वार संचयी लाभार्थियों (वर्ष 1997 से 2011-12 तक) को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूएसईजी)	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूडब्ल्यूएसपी)	यूडब्ल्यूईपी के अंतर्गत सृजित कार्य दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	118101	17075	58390	94.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	465	314	75	4.85

1	2	3	4	5	6
3.	असम	9008	9386	225	37.83
4.	बिहार	23910	21051	19720	54.26
5.	छत्तीसगढ़	21185	26346	3471	8.16
6.	गोवा	595	1570	60	1.96
7.	गुजरात	65904	75201	299	25.17
8.	हरियाणा	29865	49306	8229	6.03
9.	हिमाचल प्रदेश	2238	5198	456	6.11
10.	जम्मू और कश्मीर	13407	30297	304	0.88
11.	झारखंड	3725	24127	292	1.87
12.	कर्नाटक	57155	81762	28860	37.94
13.	केरल	23644	51113	22079	4.11
14.	मध्य प्रदेश	195043	403403	18924	48.09
15.	महाराष्ट्र	99430	407918	166908	48.75
16.	मणिपुर	15	9672	0	8.25
17.	मेघालय	1972	1790	135	2.59
18.	मिजोरम	160	12479	0	17.39
19.	नागालैंड	1286	78	15	38.00
20.	ओडिशा	64286	59892	27764	29.53
21.	पंजाब	8846	18883	220	5.69
22.	राजस्थान	90963	61623	1311	30.74
23.	सिक्किम	582	1821	0	4.29
24.	तमिलनाडु	69641	72684	43773	87.64
25.	त्रिपुरा	5542	20870	1858	6.61
26.	उत्तरांचल	1912	2615	0	0.84
27.	उत्तर प्रदेश	211436	333670	15005	103.35

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	45879	93844	47091	44.79
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	135	0	0	4.53
30.	चंडीगढ़	431	5881	0	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	67	219	0	0.94
32.	दमन और दीव	68	0	0	0.04
33.	दिल्ली	1559	3725	104	0.00
34.	लक्षद्वीप	3789	9539	4380	6.27
	कुल	1172244	2013352	469948	771.87

[अनुवाद]

केबल टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों हेतु निगरानी समिति

***380. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
श्री नरहरि महतो:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केबल/स्थानीय चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले टीवी कार्यक्रम की निगरानी तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किए जाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों ने अब तक अपने राज्य में उक्त समितियों का गठन किया है;

(ग) क्या इन समितियों को आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है ताकि इन समितियों की स्थापना के उद्देश्य से समझौता न किया जा सके और वे स्थानीय पूर्वाग्रह/भेदभाव से प्रभावित न हों;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) सरकार ने स्थानीय केबल टेलीविजन ऑपरेटरों द्वारा विषय-वस्तु के प्रसारण सहित उनके संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य स्तर व जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करने संबंधी प्रावधान करते हुए सभी राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों को दिनांक 06.09.2005 और 19.02.2008 को आदेश जारी किए थे।

2. इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी तक 15 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों नामत: (i) दादरा एवं नागर हवेली, (ii) मिजोरम, (iii) त्रिपुरा, (iv) मध्य प्रदेश, (v) जम्मू एवं कश्मीर, (vi) राजस्थान, (vii) हिमाचल प्रदेश, (viii) अंडमान एवं निकोबार, (ix) केरल, (x) उत्तराखंड (xi) अरुणाचल प्रदेश, (xii) गुजरात, (xiii) पश्चिम बंगाल, (xiv) बिहार और (xv) मेघालय में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अभी तक 35 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के 166 जिलों में जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

3. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधान, जहां तक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के मामले में उनके कार्यान्वयन का संबंध है, व्यापक व विस्तृत हैं। इन प्रावधानों पर दिनांक 05.12.2009 को आयोजित किए गए राज्य सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में भी विस्तानपूर्वक चर्चा की गई थी।

बूलेट-प्रूफ जैकेट

4141. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010 में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए बूलेट-प्रूफ जैकेटों की खरीद में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले बूलेट-प्रूफ जैकेट खरीदने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) के लिए 59,000 बुलेटप्रूफ जैकेटों के प्रापण की प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं का पता चला है।

(ग) जी, हां। इस संबंध में निम्नलिखित दो मामले दर्ज हुए थे:-

(i) सी बी आई द्वारा दिनांक 24.04.2010 को मामला सं. आर सी-8(क)/2010 सी बी आई ए सी यू-V।

(ii) दिनांक 01.03.2010 को भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा एफ आई आर सं. 11/2010।

भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दर्ज मामला एफ आई आर सं. 11/2010 को अब अन्तरित करके मामला संख्या आर सी-8(क)/2010 सी बी आई ए सी यू-V, नई दिल्ली के साथ आमेलित कर दिया गया है।

(घ) सी बी आई द्वारा दर्ज मामले की जांच चल रही है।

(ङ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) ने केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ), डिफेन्स इंस्टीट्यूट आफ फिजियोलोजी एण्ड एलाइड साइंस, आई आई टी दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), टी बी आर एल (टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी) के साथ परामर्श करके बुलेट-प्रूफ जैकेटों के विद्यमान विनिर्दिशों में आवश्यक बदलाव किए जाने की सिफारिश की थी और गृह मंत्रालय द्वारा उन सिफारिशों को स्वीकार किया गया था और संशोधित विनिर्देशों के दिनांक 05.05.2009 को अधिसूचित किया गया था। इन्हीं विनिर्देशों के आधार पर जुलाई, 2009 में 59000 बुलेट-प्रूफ जैकेटों की वर्तमान निविदा जारी की गई थी। ये मानक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस (एन आई जे), यू एस ए मानकों के अनुरूप है।

एक विस्तृत परीक्षण निदेश-पत्र भी विकसित किया गया था और परीक्षण मूल्यांकन की यर्थाथता एवं सत्यता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण हेतु चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया था इनकी सुपुर्दगियां 30.06.2011 तक पूरी कर ली गई हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 18 जनवरी, 2010 को पूर्ण शरीर संरक्षण (360°) युक्त बुलेट प्रूफ जैकेटों के संबंध में उन्नत तकनीकी विनिर्देश भी अधिसूचित किए थे जो एन आई जे मानक के स्तर-III के अनुरूप हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खतरा स्तर IV जैकेटों के क्यूआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

पीडीएस के अंतर्गत पोषक भोजन

4142. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वृद्धों और निराश्रितों को पोषक भोजन की आपूर्ति के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) अन्नपूर्णा स्कीम के अधीन उन 65 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु के बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन स्कीम के अधीन वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही हैं। इन लाभार्थियों को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति माह की दर पर मुक्त खाद्यान्न प्रदान किए जाते है।

अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के अत्याधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर कुछ पहचान किए गए प्राथमिकता समूहों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। बेसहारा लोग उन प्राथमिकता समूहों में से हैं जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किया गया है। देश 2.34

करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है।

निधियों का दुरुपयोग

4143. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि अनेक आईएएस/आईपीएस अधिकारियों, कार्यरत और सेवानिवृत, दोनों के सगे संबंधी देश में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के अंग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ताकि इन गैर-सरकारी संगठनों के पता लगाने के स्त्रोत क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि यह एनजीओ देश में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पता लगाये गये भ्रष्टाचार/निधियों के दुरुपयोग के मामलों की संख्या क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे एनजीओ पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में, अन्य बातों के साथ साथ, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संबंध में निजी उपक्रमों अथवा गैर-सरकारी संगठनों में उनके परिवार के किसी सदस्य के रोजगार के संबंध में प्रावधान हैं (नियम-4)। इसमें सामाजिक अथवा धर्मार्थ प्रकृति के अवैतनिक कार्य कारवाने के संबंध में भी प्रावधान हैं(नियम-13)। इस संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सोनामुखी फसल को बढ़ावा देना

4144. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री कामेश्वर बैठा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोनामुखी की फसल को बढ़ावा देने तथा उक्त फसल के निर्यात और विपणन को सुगम बनाने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना की निगरानी के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधित कृषि मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना से लाभान्वित हो रहे किसानों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ज) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत किसानों तक निधि न पहुंच पाने संबंधी कोई शिकायत मिली है; और

(छ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार ने सोनामुखी फसल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की है। तथापि, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय और औषध पादप बोर्ड (एनएमपीबी) वर्ष 2008-09 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, नामत: ''राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन'' कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत अभिज्ञात औषधीय पौधों की खेती के लिए सहायता दी जाती है तथा पश्य और अग्र सम्पर्कों सहित क्लस्टर मोड में इन पादपों की खेती के लिए राज्य सहायता दी जाती है। सोनामुखी (केशिया अंगष्टी फोलिया) खेती की इसकी लागत की 20 प्रतिशत दर से राज-सहायता देने के लिए अभिज्ञात प्रजातियों में से एक हैं। स्कीम के अंतर्गत नर्सरी स्थापित करने, खेती हेतु राज-सहायता, कटाई पश्चात् प्रबन्धन, विपणन अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और मूल्य अवर्धन के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) चूंकि यह स्कीम राज्य कृषि बागवानी विभाग, राज्य औषधीय पादप बोर्ड आदि में अभिज्ञात मिशन निदेशकों के जरिये एनएमपीबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अत: कृषि मंत्रालय स्कीम के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में शामिल नहीं है।

(ङ) ''बागवानी और पौध रोपण फसल विभाग, तमिलनाडु'', जो तमिलनाडु राज्य में कार्यान्वयक एजेन्सी है, के अनुसार सोनामुखी फसल की खेती हेतु राज्य में पिछले 3 वर्षों में लाभान्वित किसानों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2008-09	2140
2.	2009-10	498
3.	2010-11	1185

(च) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकल आपातकालीन हेल्प लाइन संख्या

4145. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में पुलिस, फायर सेवा, एम्बुलेंस आदि के अलग-अलग आपातकालीन हेल्प लाइन नम्बर होने के कारण सामान्य जनता द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त सभी सेवाओं के लिए पूरे देश में आसानी से याद होने वाले एकल आपातकालीन हेल्पालाइन नम्बर शुरु करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) ऐसी कोई समस्या सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सीमा पर रक्षा ढांचा

4146. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर में आतंकवाद के नियंत्रण के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थायी रक्षा ढांचे के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) आतंकवाद सहित सीमा पार से अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2043.63 कि.मी. में सीमा पर बाड़ लगाने तथा 2009.52 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है; जिसमें से 1940.72 कि.मी. में सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है तथा 1878.92 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा हो चुका है। नियंत्रण-रेखा के एकदम निकट सेना ने कश्मीर घाटी तथा जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ-रोधी अवरोध प्रणाली (एआईओएस) का निर्माण किया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की 609 सीमा चौकियां (बीओपी) मौजूद हैं। सरकार ने इस सीमा पर 350.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 126 अतिरिक्त सीमा चौकियों (जम्मू में मौजूद 3 सीमा चौकियों के पुनर्निर्माण सहित) की स्वीकृति प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, भारत-पाकिस्तान सीमा पर जम्मू सेक्टर में 341.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से, मौजूदा सुरक्षा बाड़ से अपनी तरफ सीमा पर 179 कि.मी. की दूरी में मिट्टी के पुश्ते, पक्की सड़क और नाका-सह-लड़ाकू बंकरों के निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है।

मदर डेयरी के बूथों के खाली पदों को भरना

4147. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मदर डेयरी के फल और सब्जियों के बूथों के लिए अजा/अजजा/अपिव के आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या इन बूथों में वर्तमान में इन मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) मदर डेयरी के फल व सब्जी के बिक्री केन्द्र उन रियायतियों (सामान्यत: पूर्व सैनिकों/आश्रितों) द्वारा चलाये जाते हैं जिनके साथ मदर डेयरी वाणिज्यिक समझौता करती है। अत: इनके बीच नियोक्ता कर्मचारी जैसा संबंध नहीं है।

(ख) से (घ) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञापनों पर रोक

4148. श्री कीर्ति आजाद: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस मानदण्ड के अंतर्गत सरकार विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय लेती है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में कश्मीर में कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर रोक लगा दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) महोदय, सरकार डीएवीपी विज्ञापन नीति, 2007 के खंड-18 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत किसी समाचारपत्र को विज्ञापन जारी करना बंद कर सकती है:-

(1) जब यह पाया गया हो कि जान-बूझ कर गलत सूचना दी गई है।

(2) जब यह पाया गया हो कि यथोचित सूचना दिए बिना समाचारपत्र का प्रकाशन बंद हो गया है, उसकी आवधिकता या उसके शीर्षक में परिवर्तन कर दिया गया है अथवा वह अनियमित हो गया है अथवा उसके परिसर/प्रैस में परिवर्तन कर दिया गया है।

(3) जब वह अपनी वार्षिक विवरणी आरएनआई को प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा हो।

(4) जब वह अनैतिक गतिविधियों/राष्ट्र-विरोधी कार्यकलापों में संलिप्त पाया गया हो।

(5) जब उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

(6) जब उसने दो से अधिक अवसरों पर डीएवीपी द्वारा जारी विज्ञापनों को स्वीकार करने से मना किया हो।

(ख) और (ग) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

चैम्पियन्स ट्रॉफी

***4149. श्री नवीन जिन्दल:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हॉकी संघ ने हाल में समाप्त हुए चैम्पियन्स ट्राफी में स्थल को भारत से स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ और भारतीय हॉकी संघ/हॉकी इंडिया के बीच मतभेद होने के कारण भारतीय टीम को लंदन ओलंपिक, 2012 में भागीदारी से दूर रखने की पहल की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय हाकी परिसंघ द्वारा भारत से चैम्पियन्स ट्राफी का स्थल स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि अंतर्राट्रीय निकाय ने महसूस किया कि भारत में हाकी के मामले का प्रबंधन अनिश्चित था।

(ग) जी नहीं। लंदन ओलंपिक, 2012 लिए अर्हता प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए भारतीय हॉकी टीम के संभावितों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

(ङ) हाकी सरकार के लिए उच्च प्राथमिक खेल है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं को भारतीय हाकी टीम की तैयारी के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने केवल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विदेशी अनुभव, विदेशी और भारतीय कोचों तथा अन्य सहायक

कार्मिकों सहित सभी खेल सुविधाएं प्रदान करती है बल्कि नियतकालिक अंतराल पर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करती है। ओलंपिक की तैयारी के अलावा, सरकार ने विदेशी खेल प्रदर्शन, विदेशी कोचों, आवास और भोजन आदि सहित खेलों के विभिन्न पहलुओं के लिए अप्रैल से नवंबर, 2011 तक हॉकी पर 16.10 करोड़ रु. खर्च किया है।

मछुआरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज

4150. श्री एम. के. राघवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मछुआरों के स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में कोई आंकड़े उपलबध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मछुआरा समुदाय के लिए एक विशेष स्वास्थ्य पैकेज शुरु करने के लिए केरल सहित राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) भारत में मात्स्यिकी अधिकांशत: एक असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है। मात्स्यिकी राज्य का विषय होने के कारण, मछुआरों की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई सांख्यिकी आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय प्रयोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना में पात्र मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। योजना में घरों, ट्यूबवेलों, सामुदायिक केन्द्रों आदि के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता की भी व्यवस्था है।

[हिन्दी]

गलियारे का निर्माण

4151. श्री गणेश सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैन्डी, श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संग्रहालय के गलियारे के निर्माण का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से कैण्डी, श्रीलंका में श्री दलादा मलिगवा अन्तर्राष्ट्रीय विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना में इस संग्रहालय की भारतीय वीथि में योगदान करके भागीदार बनने का अनुरोध किया था। विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय संग्रहालय ने अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय वीथि में भारतीय भागीदारी पर अवधारणा पेपर तैयार किया। विदेश मंत्रालय ने पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उक्त परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरीकरण

4152. श्री रवनीत सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण शहरीकरण वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है;

(घ) क्या 2001 से 'शहरी' की परिभाषा में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो क्या लोगों को शहरी अवसंरचना, नागरिक सुविधाएं 'रीप्रडक्टिव' एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज उपलब्ध कराने पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) वर्ष 2001-2011 के दशक में नगरीकरण में वृद्धि हुई है जैसा कि जनगणना, 2001 एवं 2011 पर आधारित आकड़ों से प्रदर्शित होता है जिसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण-शहर का वर्गीकरण जनगणना परिभाषा के आधार पर किया जाता है जो शहरी क्षेत्र को कुछ मानदण्डों के आधार पर परिभाषित करता है। जनगणना की परिभाषा के अनुसार शहरी क्षेत्र में निम्न शामिल है:-

(1) सभी सांविधिक कस्बे: राज्य कानून द्वारा घोषित किए गए नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित कस्बा क्षेत्र समिति इत्यादि वाले सभी स्थान।

(2) जनगणना वाले कस्बे: ऐसे स्थान जो निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करते है:-

(i) 5000 की न्यूनतम आबादी; (ii) कम से कम 75 प्रतिशत कार्यरत पुरुष आबादी गैर-कृषि उद्यम में लगे हो; तथा (iii) कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिन्हें नगर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, को ग्रामीण क्षेत्र (गांव) के रूप में माना जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) उपरोक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या निम्नानुसार है।

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ	जनगणना 2001			जनगणना 2011 (अनंतिम आंकड़े)		
		कुल जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	1028737436	286119689	27.8	1210193422	377105760	31.2
1.	जम्मू और कश्मीर	10143700	2516638	24.8	12548926	3414106	27.2
2.	हिमाचल प्रदेश	6077900	595581	9.8	6856509	688704	10.0
3.	पंजाब	24358999	8262511	33.9	27704236	10387436	37.5
4.	चंडीगढ़	900635	808515	89.8	1054686	1025682	97.2
5.	उत्तराखंड	8489349	2179074	25.7	10116752	3091169	30.6
6.	हरियाणा	21144564	6115304	28.9	25353081	8821588	348
7.	दिल्ली	13850507	12905780	93.2	16753235	16333916	97.5
8.	राजस्थान	56507188	13214375	23.4	68621012	17080776	24.9
9.	उत्तर प्रदेश	166197921	34539582	20.8	199581477	44470455	22.3
10.	बिहार	82998509	8681800	10.5	103804637	11729609	11.3
11.	सिक्किम	540851	59870	11.1	पि07688	151726	25.0
12.	अरूणाचल प्रदेश	1097968	227881	208	1382611	313446	22.7
13.	नागालैंड	1990036	342787	17.2	1980602	573741	29.0
14.	मणिपुर	2293896	575968	251	2721756	822132	30.2

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मिजोरम	888573	441006	49.6	1091014	561977	51.5
16.	त्रिपुरा	3199203	545750	17.1	3671032	960981	26.2
17.	मेघालय	2318822	454111	19.6	2964007	595036	20.1
18.	असम	26655528	3439240	12.9	31169272	4388756	14.1
19.	पश्चिम बंगाल	80176197	22427251	28.0	91347136	29134060	31.9
20.	झारखंड	26945829	5993741	22.2	32966238	7929292	24.1
21.	ओडिशा	36804660	5517238	15.0	41947358	6996124	16.7
22.	छत्तीसगढ़	20833803	4185747	20.1	25540196	5936538	23.2
23.	मध्य प्रदेश	60348023	15967145	26.5	72597565	20059666	27.6
24.	गुजरात	50671017	18930250	37.4	60383628	25712811	42.6
25.	दमन और दीव	158204	57348	36.2	242911	182580	75.2
26.	दादरा और नगर हवेली	220490	50463	22.9	342853	ज59829	46.6
27.	महाराष्ट्र	96878627	41100980	42.4	112372972	50827531	45.2
28.	आंध्र प्रदेश	76210007	20808940	27.3	84665533	28353745	33.5
29.	कर्नाटक	52850562	17961529	34.0	61130704	23578175	38.6
30.	गोवा	1347668	670577	49.8	1457723	906309	62.2
31.	लक्षद्वीप	60650	26967	44.5	64429	50308	781
32.	केरल	31841374	8266925	26.0	33387677	15932171	47.7
33.	तमिलनाडु	62405679	27483998	44.0	72138958	34949729	43.4
34.	पुडुचेरी	974345	648619	66.6	1244464	850123	68.3
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	356152	116198	32.6	379944	135533	35.7

स्रोत: (1) सामान्य जनसंख्या तालिका, भारत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (तालिका क-1 से क-3), भाग-1. भारत की जनगणना-2001.

(2) अंनतिम जनसंख्या कुल पेपर-2, 2011 का भाग 1. ग्रामीण शहरी वितरण भारत, श्रेणी

1. भारत की जनगणना 2011

नोट:- (1) भारत की जनगणना 2001 और जनगणना 2011 में मणिपुर राज्य के सेनापित जिले के पाओमाता, मउ मरम और पुरूल उप-मंडल शामिल हैं।

राहत निधि

4153. श्री विष्णु पद राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल की राहत निधि के अंतर्गत उपराज्यपाल के पास उपलब्ध कुल निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपराज्यपाल की राहत निधि की स्वीकृति हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या दिशानिर्देश अपनाए गए हैं और राहत निधि की स्वीकृति में कितना समय लगता है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दुर्घटना, मुत्यु प्राकृतिक आपदा, घड़ियालों द्वारा आक्रमण, पेड़ों के गिरने से मौत, आंशिक अपंगता और मेडिकल रैफर केसिज के लिए स्वीकृत राहत निधि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उप राज्यपाल की राहत निधि के अंतर्गत उप राज्यपाल के पास उपलब्ध कुल निधि 5,5391,554.61 रुपये है।

(ख) विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, राहत निधि निम्नलिखित मामलों में मंजूर की जाती है:

(i) गरीब और अकिंचन को वित्तीय सहायता मंजूर करना, बहुत जरुरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा राहत प्रदान करना, व्यक्ति के व्यक्तिगत जोखिम पर बहादुरी/साहस के कार्यों की सराहना के लिए पुरस्कार देना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रहने वाली किसी भी विद्रोही जनजाति द्वारा मारे गए/हमला किए गए व्यक्तियों के अथवा जंगली मगरमक्छों या हाथियों द्वारा हमला किए गए/मारे गए व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों की सहायता करना और खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को वित्तीय सहायता प्रदान करना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी भी प्रतिभाशाली युवा, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय परीक्षा में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की हो, को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) तंगी और आग, बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, समुद्री क्षरण और इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राहत मंजूर करना।

(iii) सार्वजनिक प्रकृति के सांस्कृतिक और धमार्थ संस्थानों को राहत मंजूर करना जो ऐसी आपदाओं से प्रभावित हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति उन्हें अपनी सम्पत्ति को हुई क्षति की मरम्मत करने योग्य नहीं है और उन्हें अपनी सामान्य स्थिति में वापस लाना।

राहत निधि की मंजूरी में लगने वाला समय अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) ब्यौर नीचे दिया गया है:

मामलों की श्रेणी	अवधि और स्वीकृति धनराशि		
	2009	2010	2011 (दिनांक 07.12.2011 तक)
दुर्घटना के कारण मृत्यु	शून्य	शून्य	35,000 रुपए
प्राकृतिक मृत्यु	शून्य	1,00,000 रुपए	5,00,000 रुपए (अप्राकृतिक मृत्यु सहित)
मगरमच्छ द्वारा हमला	शून्य	शून्य	3,00,000 रुपये
पेड़ से गिरने के कारण मृत्यु	शून्य	शून्य	शून्य
आंशिक अशक्ता और चिकित्सा के लिए रेफर किए गए मामले	3,85,0000 रुपए	2,12,616 रुपए	4,85,000 रुपए

उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम

4154. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम द्वारा कुल कितने एमएफआई को सहायता दी गई तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उन्हें कितनी राशि दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एमएफआई द्वारा प्रभारित ब्याज की औसत दर क्या है;

(ग) इन एमएफआई के अंतर्गत सक्रिय ग्राहक आधार क्या है; और

(घ) कुल संवितरित ऋणों में से अशोध्य ऋण का प्रतिशत क्या है?

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) सूक्ष्म वित्तीय योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम द्वारा सहायता दी गई एमएफआई की संख्या 306 है और पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू के दौरान उन्हें संवितरित की गई राशि निम्नानुसार है:-

2008-2009	-	12.29 करोड़ रु.
2009-2010	-	16.96 करोड़ रु.
2010-2011	-	39.85 करोड़ रु.
2011-2012	-	24.60 करोड़ रु. (14.12.2011 की स्थिति)

(ख) उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभावित ब्याज की औसत दर वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक 28% से 30% वार्षिक के बीच थी। तथापि, मई, 2011 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाने के बाद, इन सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं ने अपनी ब्याज दर घटाकर 26% वार्षिक कर दी है।

(ग) दिनांक 14.12.2011 की स्थिति के अनुसार इन सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत सक्रिया ग्राहक आधार 239089 है।

(घ) 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत कुल संवितरित ऋणों में से अशोध्य ऋण 5% है।

[हिन्दी]

लोगों का पलायन

4155. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के आसपास के राज्यों से लोगों के दिल्ली को पलायन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) पलायन को रोकने तथा दिल्ली में जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड की क्या भूमिका/उपयोगिता है; और

(ग) उपर्युक्त बोर्ड द्वारा पलायन दर को कम करने के लिए आरंभ की गई गतिविधियों तथा हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पलायन दर में कमी का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) भारत सरकार ने वर्ष 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इस अधिदेश के साथ राष्ट्रीय राजधानी आयोजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) का गठन किया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समन्वित विकास हेतु योजना बनाई जाए।

राष्ट्रीय राजधानी आयोजना बोर्ड ने यह सूचना दी है कि उसने सितम्बर, 2005 में क्षेत्रीय आयोजना, 2021 बनाकर इसे अधिसूचित किया जिसमें सतत शहरी विकास हेतु नीतियां और प्रस्ताव शामिल हैं और इसका उद्देश्य जनसंख्या (पुनः वितरण), बन्दोबस्ती प्रणाली, क्षेत्रीय भूमि उपयोग पद्धति, कुशल और आर्थिक सम्पर्क, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना विकास, पर्यावरणीय कारक और आर्थिक गतिविधियों के पारस्परिक नीतिगत कार्य ढांचे के जरिये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय राजधानी आयोजना बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय आयोजनागत नीतियों और वित्तपोषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन से बेहतर संपर्क, आर्थिक विकास और उन्नत अवसंरचना के रूप में इस क्षेत्र का विकास हुआ है जिससे दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी और पलायन करने वालों की प्रतिशतता में कमी लाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय राजधानी आयोजना बोर्ड ने अक्तूबर, 2011 तक 18008 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु ऋण मुहैया कराया है और 7988 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से 5859 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पलायन की दर में हुई कमी के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

नर्मदा रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

4156. **श्री राकेश सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य-सरकार से नर्मदा रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट ग्वारीघाट, जबलपुर और अन्य शहरी विकास परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इसमें विलम्ब, यदि कोई है, के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। नर्मदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर एक विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) इस मंत्रालय को प्राप्त हुई थी जिसे तकनीकी मूल्यांकन एजेंसी द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार संशोधित करने के लिए 22.4.2008 को राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा अब तक इसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यूआईजी के अंतर्गत परियोजनाओं पर अनुमोदन हेतु विचार उनके तकनीकी मूल्यांकन/अनुपालन तथा राज्य के लिए निधियों की उपलब्धता की शर्त पर किया जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम मध्य प्रदेश	2008-09			2009-10			2010-11		
	मिशन शहर का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की प्रतिबद्धता	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की प्रतिबद्धता	अनुमोदित परियोजना की संख्या	अनुमोदित लागत	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की प्रतिबद्धता
1.	भोपाल	1	41,545.64	20,772.82	0	—	—	0	0.00	—
2.	इंदौर	1	5,600.00	2,800.00	0	—	—	1	18000.00	9,000.00
3.	जबलपुर	1	1,406.00	703.00	1	32,649.00	16,324.50	0	0.00	—
4.	उज्जैन	0	—	—	1	4,739.00	3,791.20	0	0.00	—
	योग	3	48,551.64	24275.82	2	37,388.00	20115.70	1	18000.00	9,000.00

[अनुवाद]

खरीद पर स्थानीय कराधानों का प्रभाव

4157. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उच्च स्थानीय और बाजार (मंडी) करों को लगाने से केन्द्र सरकार द्वारा अपने सुरक्षित भंडार के लिए किसानों से खरीदे गए अनाज को इकट्ठा किए जाने में अड़चन आ रही है;

(ख) यदि हां, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बढ़ते खरीद लागत पर उच्च करों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों के प्रति एफसीआई को कर देयता सहित इसका परिणाम क्या है; और

(घ) खाद्यान्न की खरीद लागत को कम करने के लिए सीएसीपी द्वारा क्या सुझाव दिए गए तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए या किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में गेहूं और धान पर लिए जाने वाले करों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिया गया है। रबी फसल 2011-12 के लिए मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में कृषि लागत और मूल्य आयोग ने कहा है कि कुछ राज्यों में लगने वाले अधिक करों और उपकरों से सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खाद्यान्नों की खरीदारी की लागत बढ़ी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कर और लेवियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए यह मुद्दा समय-समय पर उन राज्य सरकारों के साथ उठाया है जहां कर और लेवियों की दर अधिक है। तथापि, इन राज्य सरकारों ने इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर, फीस, उपकर और कमीशन लागू करने का विषय संबंधित राज्य सरकारों का होता है। वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में लागू करों और लेवियों के अनुसार देयताएं बताने वाला ब्यौरो संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

रबी विपणन मौसम 2011-12 में गेहूं की खरीद के संबंध में विभिन्न राज्यों में कर

(न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्रय/विक्रय कर/ व्यापार कर/वैट	बाजार शुल्क	आढ़तिया कमीशन/दामी	अन्य प्रभार	कुल कर
बिहार	4.0	-	-	-	4.0
गुजरात	-	1.0	-	-	1.0
हरियाणा	4.0	2.0	2.5	2.0(ग्रामीण विकास उपकर)	10.5
महाराष्ट्र	-	1.05		मापारी प्रभार(0.40 रु.)	1.09
मध्य प्रदेश	4.0	2.0		0.2(निराश्रित शुल्क)	6.2
पंजाब	4.0	2.0	2.5	5.0 (ग्रामीण विकास उपकर+आईडी शुल्क)#	13.5
राजस्थान	-	1.6	2.0	-	3.6
उत्तर प्रदेश	4.0	2.5			6.5
उत्तराखण्ड	4.0	2.5	-	-	6.5
पश्चिम बंगाल	-	0.5	-	-	0.5

पंजाब सरकार ने रबी विपणन मौसम 2009-10 से 3% की दर पर आईडी शुल्क अधिसूचित किया है लेकिन भारत सरकार मामले के न्याय निर्णयाधीन होने के कारण फिलहाल 2% की ही अनुमति दे रही है।

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में धान की खरीद के संबंध में विभिन्न राज्यों में कर

(न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्रय/विक्रय कर/ व्यापार कर/वैट	बाजार शुल्क	आढ़तिया कमीशन/दामी	अन्य प्रभार	कुल कर
आंध्र प्रदेश	4.0	1.0	-	5.0(ग्रामीण विकास उपकर)	10.0
बिहार	4.0	-	-	-	4.0
छत्तीसगढ़	5.0	2.0	-	0.2(निराश्रित शुल्क)	7.2
गुजरात	-	1.0	-	-	1.0
झारखंड	-	1.0	-	-	1.0
हरियाणा	5.0	2.0	2.5	2.0(ग्रामीण विकास उपकर)	11.5
कर्नाटक	-	1.5	-	.	1.5
महाराष्ट्र	-	1.05		मापारी प्रभार(रु.0.40)	1.09
मध्य प्रदेश	-	2.0	-	0.2(निराश्रित शुल्क)	2.2
ओडिशा	4.0	2.0	-	-	6.0
पंजाब	5.0	2.0	2.5	5.0 (ग्रामीण विकास उपकर+आईडी शुल्क)#	14.5
तमिलनाडु	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	4.0	2.5	-	-	6.5
उत्तराखण्ड	4.0	2.5	-	-	6.5
पश्चिम बंगाल	-	0.5	-	-	0.5

पंजाब सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2009-10 से 3% की दर पर आईडी शुल्क अधिसूचित किया है लेकिन भारत सरकार मामले के न्याय निर्णयाधीन होने के कारण फिलहाल 2% की ही अनुमति दे रही है।

नोट 1: आईडी शुल्क अवसरंचना विकास शुल्क को संदर्भित करता है।

नोट 2: ग्रामीण विकास उपकर विकास उपकर को संदर्भित करता है।

विवरण-II

2011-12(बजट अनुमान) के अनुसार भारतीय खाद्य निगम का राज्यवार कर दायित्व

(करोड़ रुपए)

गेहूं	वैट			अन्य सांविधिक प्रभार		
	भाखानि	एजेंसी	जोड़	भाखानि	एजेंसी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	81.38	665.75	747.13	135.64	975.62	1111.26
हरियाणा	45.80	461.34	507.14	43.01	388.86	431.87

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	18.72	22.35	41.07	11.20	12.04	23.24
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	9.05	1.34	10.39
मध्य प्रदेश	11.20	18.31	29.51	10.75	15.68	26.43
उत्तराखंड	1.84	3.56	5.40	1.12	1.96	3.08
बिहार	6.86	12.38	19.24	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	–	–	0.00	0.06	0.00	0.06
जोड़	165.80	1187.33	1349.49	210.83	1395.50	1606.33

2011-12(बजट अनुमान) के अनुसार भारतीय खाद्य निगम का राज्यवार कर दायित्व

(रकम करोड़ रुपए में)

चावल	धान			लेवी			कस्टम मिल्ड चावल			जोड़		
	अन्य सांविधिक प्रभार	वैट	जोड़	अन्य सांविधिक प्रभार	वैट	जोड़	अन्य सांविधिक प्रभार	वैट	जोड़	अन्य सांविधिक प्रभार	वैट	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	39.75	28.09	67.84	2.34	8.91	11.25	760.65	650.59	1431.24	822.74	687.59	1510.33
हरियाणा	1.97	2.05	4.02	3.09	4.91	8	104.82	126.4	231.22	109.88	133.36	243.24
उत्तर प्रदेश	0.03	0.05	0.08	14.41	24.87	39.28	30.28	56.22	86.5	44.72	81.14	125.86
उत्तराखंड	0.05	0.08	0.13	7.19	11.6	18.79	0.47	0.87	1.34	7.71	12.55	20.26
राजस्थान	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	8.44	5.96	14.4	597.22	498.78	1096	19.32	16.05	35.37	624.98	520.79	1145.77
कर्नाटक	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केरल	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0	7.26	0	7.26	7.26	0	7.26
छत्तीसगढ़	11.20	0	11.2	31.99	0	31.99	150.06	0	150.06	193.25	0	193.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गुजरात	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0.00	0	0	0.97	6.46	7.43	0.54	2.51	3.05	1.51	8.97	10.48
बिहार	13.13	2.01	15.14	17.51	3.81	21.32	68.31	12.04	80.35	98.95	17.86	116.81
ओडिशा	1.71	6.92	8.63	1.17	1.51	2.68	9.13	44.02	53.15	12.01	52.45	64.46
असम	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0.02	0.08	0.1	0.18	4.82	5	0.12	0.55	0.67	0.32	5.45	5.77
पश्चिम बंगाल			0	1.8	0	1.8	2.08	0	2.08	3.88	0	3.88
कुल	76.30	45.24	121.54	677.87	565.67	1243.54	1173.04	909.25	2082.29	1927.21	1520.16	3447.37

किलों का पुनरुद्धार

4158. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित देश में स्थित कुछ जाने-माने प्रसिद्ध किलों के पुनरुद्धार और उनकी श्रेणी को अद्यतन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र के साथ-साथ देश में किलों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और उनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए किलों सहित देश में संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए निधियों का आबंटन 130.35 करोड़ रुपए है।

सीपीएमएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा अवसंरचना

4159. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को अशांत/हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात करते समय समुचित चिकित्सा अवसंरचना के प्रावधान के संबंध में कोई नीति/दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित सभी राज्यों में तैनात घायल सैनिकों की उत्तरजीविता दर क्या है; और

(ग) सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए आनुपातिक चिकित्सा अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को निम्नलिखित चिकित्सा अवसंरचना और कार्मिक उपलब्ध कराए गए हैं:-

- सभी सी ए पी एफ इकाइयों में अन्तरंग सुविधाओं सहित एक ऐसा चिकित्सा जांच (एम आई) कक्ष उपलब्ध है जो लागू चिकित्सा/अर्ध चिकित्सा स्टाफ के मानक प्राधिकार से युक्त है।
- गृह मंत्रालय के दिनांक 02.09.2004 के आदेश के तहत सी ए पी एफ में मौजूदा अस्पतालों का 100 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों (6), 50 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों (32 और 200 बिस्तरों वाले 01 रेफरल अस्पताल में उन्नयन करके उनमें विशेषज्ञतापूर्ण उपचार शुरु किया गया था।

- वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध सी आर पी एफ इकाई एम्बुलेन्सों को रोगियों को लाने-ले-जाने के लिए जीवन-रक्षक दवाइयों, उपकरणों तथा एयर कन्डीशनरों से युक्त किया गया है।
- गृह मंत्रालय के दिनांक 09.02.2011 के आदेश के तहत यूनिट के चिकित्सा जांच (एम आई) कक्ष की पीस इक्विपमेन्ट टेबल के प्राधिकार को संशोधित किया गया है और उसमें अनेक जीवन रक्षक उपकरणों का प्राधिकार दिया गया है।

(ख) सी ए पी एफ द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (13.12.2011 तक) के दौरान सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात घायल सैनिकों की उत्तराजीविता दर नीचे दी गई है:-

राज्य	वर्ष के लिए उत्तरजीविता दर (% में)			
	2008	2009	2010	2011
आंध्र प्रदेश*	-	-	-	-
बिहार*	80	-	100	60
झारखंड*	100	92	88	95
महाराष्ट्र*	-	-	-	100
मध्य प्रदेश*	-	-	-	-
ओडिशा*	100	0(1**)	0(1**)	-
उत्तर प्रदेश*	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल*	-	100	100	80
छत्तीसगढ़				
सीआरपीएफ	100	87.5	100	100
बीएसएफ	-	-	100	100
आईटीबीपी	-	-	100	100
एसएसपी	-	-	0(1**)	0(1**)

*इन राज्यों में केवल सी आर पी एफ को तैनात किया जाता है।

**कोष्ठक में दी गई संख्या उन घायल कार्मिकों की संख्या को दर्शाती है जो घायल होने की वजह से बाद में मर गए।

(ग) सी ए पी एफ को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे:-

1. बल के कार्मिकों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा उनके मेडिकल कवर में सुधार लाने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 02.09.2004 के आदेश के तहत केन्द्रीय पुलिस बलों के चिकित्सा संवर्ग का पुनर्गठन निम्नलिखित कार्यों हेतु किया गया था:-

- मौजूदा अस्पतालों का 100 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों (6) और 50 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों (32) और 200 बिस्तरों वाले 01 रेफरल अस्पताल में अन्नयन करके विशेषज्ञता पूर्ण क्षेत्र में विशिष्ट तरीके से विशिष्ट उपचार की शुरुआत करना।
- कैरियर की संभावनाओं को और अधिक आकर्षक बना कर दूर-दराज क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना। इसके लिए अन्तर-बल मोबिलिटी संबंधी प्रावधान के साथ अपर महानिदेशक (चिकित्सा) स्तर तक के पदों, महानिरीक्षक (चिकित्सा) के स्तर तक और अधिक

पदों तथा उप-महानिरीक्षक (चिकित्सा) ग्रेड की शुरुआत करके एक सामान्य चिकित्सा संवर्ग का सृजन किया गया था।

- जरुरत के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की पूलिंग, अवसंरचना तथा उपकरणों का उन्नयन, यथोचित स्टाफिंग पैटर्न का प्रावधान करना।

2. उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:-

- सी ए पी एफ को गृह मंत्रालय के दिनांक 12.9.2007 के आदेश के तहत पूरे देश में स्थित सी ए पी एफ के किसी भी कम्पोजिट अस्पताल में नि:शुल्क चिकित्सा प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें बल की सहबद्धता पर ध्यान दिए बगैर अशान्त/हिंसा प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं।

- 50 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों में सात विशेषज्ञों और 100 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों में नौ विशेषज्ञों को प्राधिकृत किया गया है और दिनांक 29.01.2007 के आदेश के तहत उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है।

- अशान्त भावना वाले बल के कार्मिको को परामर्श देने तथा उनकी गहन निगरानी करने के लिए अपेक्षित अभिरुचि वाले अराजपत्रित कार्मिकों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 23.2.2007 के का.ज्ञा. के तहत आदेश जारी किए गए है।

- ग्रेटर नोएडा में 200 बिस्तरों वाले रेफरल अस्पताल के निर्माण हेतु दिनांक 4.03.2011 के आदेश के तहत 120.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है।

- सामान्य ड्यूटी और विशेषज्ञ दोनों स्तरों पर मेडिकल अधिकारी उपलब्ध कराने हेतु क्रमश: दिनांक 31.1.2011 तथा दिनांक 9.2.2011 के आदेश के तहत 100% रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति करने का अनुमोदन दिया गया है और विशेषज्ञों तथा जीडीएमओ के संबंध में क्रमश: दिनांक 19.01.2010 तथा 26.02.2010 के आदेश के तहत 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए संविदागत नियुक्तियों की अनुमति देने हेतु 1 वर्ष और 60 वर्ष तक आयु की संविदा अवधि से संबंधति अनुदेशों को संशोधित किया गया है।

- समस्त सीएपीएफ अस्पतालों में पैरामेडिक स्टाफ की संख्या को बढ़ाने और उनका मानकीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय के क्रमश: दिनांक 11.2.2010 तथा 9.3.2011 के आदेश के तहत 50 बिस्तरों वाले (32) और 100 बिस्तरों वाले कम्पोजिट अस्पतालों (6) तथा 200 बिस्तरों वाले एक रेफरल अस्पातल के लिए स्टाफ का प्राधिकार करने तथा सीएपीएफ की इन संस्थाओं में पदों के सृजन/समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं।

- सी आर पी एफ ने आकस्मिकता की स्थिति में नकद रहित (कैशलेस) उपचार के लिए विभिन्न टरटियरी केयर अस्पतालों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

कृषि सलाहकार सेवाएं

4160. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू पंचवर्षीय अवधि के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान अब तक आबंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश में कृषि सलाहकार सेवाएं, कृषि सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता (एटीएमए नामक स्कीम), किसान काल केन्द्र (केसीसी), कृषि-क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र (एपीएवीसी), कृषि विस्तार को मॉस मीडिया सहायता (एमएमएसएई) और आदान डीलरों के लिए कृषि विस्तार में डिप्लोमा (डीएईएमआई) जैसी

स्कीमें प्रदान की जा रही हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों में उनकी नेटवर्क स्थापना करने के माध्यम से किसानों को आवश्यकता आधारित कृषि सलाह प्रदान करती है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी/उत्पादों का मूल्यांकन, परिष्करण प्रदर्शन है।

(ग) इन स्कीमों के अधीन कृषि सलाह प्रदान किए जाने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) स्कीमवार निधि आबंटन और उपयोग संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

किसानों को कृषि संबंधी सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराने की स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा

1. विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता

विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित सहायता स्कीम, मई, 2005 में अपने विस्तार प्रणाली को पुन: सक्रिय बनाने पर राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरु की गई। यह स्कीम राज्य स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के जरिए विकेन्द्रीकृत, मांग आधारित और किसान के लिए उत्तरदायी विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती हैं। इस स्कीम को वर्तमान में देश के 604 जिलों में चलाया जा रहा है।

वर्ष 2005-06 में स्कीम के प्रारंभ में विभिन्न विस्तार कार्यकलापों यथा किसान प्रशिक्षण, विगोपन दौरे, प्रदर्शन किसान मेलों, क्षेत्र दिवस और किसान गोष्ठियों के माध्यम से अब तक 167 लाख किसान लाभान्विवत हो चुके हैं। इसके अलावा किसान विस्तार के लिए किसानों को बढ़ावा देने हेतु 84501 किसान ब्याज समूहों को लामबंद किया गया है और 31882 फार्म स्कूलों का आयोजन किया गया है।

2. किसान कॉल केन्द्र (केसीसी) स्कीम

किसान कॉल केन्द्र (केसीसी) स्कीम, 2004 से कार्य कर रहा है। किसान काल केन्द्र कृषि और समवर्गी विषयों के सभी पहलुओं पर टॉल फ्री नं. 1800-180-1551 के माध्यम से किसानों के प्रश्नों और कृषि संबंधी सलाहकार सेवाओं के संबंध में किसानों को तुरंत सूचना उपलब्ध कराता है। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 25 किसान काल केन्द्र सप्ताह में सात दिन सुबह 6 बजें से रात 10 बजें तक कार्य कर रहे हैं। कॉल सेन्टर के एजेंट स्थानीय भाषाओं में किसानों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सीसी सेवाए लेंड लाईन और निजी सेवा प्रावाइडों की मोबाइल सेवाओं सहित सभी टेलीफोन नेटवर्कों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। अक्तूबर, 2011 तक किसान कॉल केन्द्रों द्वारा 72.51 लाख कॉल प्राप्त किए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं।

3. कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र (एसीएबीसी) स्कीम

कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र (एसीएबीसी) स्कीम अप्रैल, 2002 से कार्यान्वयनाधीन है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि विकास की सहायता हेतु बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमाधारकों, कृषि में इन्टरमीडिएट और कृषि संबंधित कोर्सों में स्नातकोत्तर सहित विज्ञान स्नातकों के लिए लाभदायक स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। ये कृषि उद्यमों कृषि उद्यमी के व्यवसाय मॉडल स्थानीय आवश्यकता तथा किसानों के लक्षित समूह के वहन करने की शक्ति के अनुसार भुगतान आधार पर अथवा नि:शुल्क किसानों को आवश्यक रूप से विस्तार और अन्य सेवाएं देकर सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों में सहायता देते हैं। स्कीम के शुरु होने से अब तक 26988 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और नवम्बर, 2011 तक देश में 9569 उद्यम स्थापित किए गए हैं।

4. कृषि विस्तार को मास मीडिया समर्थन (एमएमएसएई)

इस स्कीम के अंतर्गत कृषक समुदायों को अद्यतन जानकारी और ज्ञान देने हेतु कृषि और संवर्गी क्षेत्रों में बहुत से विषयों पर कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए दूरदर्शन और आकशवाणी की विद्यमान अवसंरचना का उपयोग किया जाता है।

स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ढंग से कृषि परामर्शी सेवाएं दी जाती हैं-

(i) कृषि दर्शन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि समाचार न्यूनतम समर्थन मूल्य मण्डी भाव, मौसम विशिष्ट परमर्शों के जरिए किसानों को परामर्श दिए जाते हैं। यह कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय चैनलों के जरिए प्रसारित किया जाता है तथापि 36 नैरोकास्टिंग केन्द्र सप्ताह में 2 दिन नवीन कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं और 180 हाड़ पावर ट्रांसमीटर और लो-पावर ट्रांसमीटर सप्ताह में 5 दिन उसका प्रसारण करते हैं। वर्ष 2010-11

के दौरान, नैरोकास्टिंग केन्द्रों तक विस्तार किया गया। 36 नैरो कास्टिंग केन्द्र सप्ताह 2 दिन इन कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे और इसे दूरदर्शन के 180 एचपीटी/एलपीटी द्वारा प्रसारित किया जाएगा।

(ii) दूरदर्शन और आकशवाणी पर प्रतिदिन कृषि एवं सहकारिता विभाग को उपलब्ध 160 सेकेण्ड के नि:शुल्क वाणिज्यिक समय (एफसीटी) को कृषि और संवर्गी क्षेत्रों में परामर्श के प्रसार के लिए उपयोग किया जाना है।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रचार अभियान में वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक देश में उपलब्ध पद्धतियों के सर्वोत्तम पैकेज के बारे किसान के बीच जागरुकता पैदा की है। (i) डीडी समाचार के दौरान दूरदर्शन, क्षेत्रीय समाचार तथा डीडी उर्दू (ii) राष्ट्रीय समाचार के दौरान आकाशवाणी, क्षेत्रीय समाचार और ग्रामीण महिला कार्यक्रम (76 प्राइमरी चैनल) (iii) राष्ट्रीय समाचार के दौरान रार्षराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 76 मनोरंजन कार्यक्रम के जरिए दृश्य और श्रव्य स्पाट के जरिए संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं।

(iv) कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के बारे में जागरुकता सृजित करने के बारे में 5 जुलाई, 2010 को मंत्रालय के सभी प्रभागों में एक संकेन्द्रित विषयवार विज्ञापन अभियान शुरु किया गया। आकाशवाणी और राष्ट्रीय के 96 एफएम केन्द्रों, 18 क्षेत्रीय और दूरदर्शन के 180 हाई-पावर और लो-पावर के जरिए दृश्य-श्रव्य स्पाटों को प्रसारित किया जा रहा है। समाचारों के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे निजी चैनलों, लोकप्रिय मनोरंजन कार्यक्रमों और सीरियल आदि के माध्यम से स्पाटों को प्रसारित किया जा रहा है।

5. आदान वितरकों हेतु कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा

आदान वितरकों हेतु कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा के जरिए आदान वितरकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें आदानों के बेचने के साथ-साथ किसानों को संगत और आवश्यकता आधारित परामर्शी सेवा देने में समर्थ बनाया जा सके। यह कार्यक्रम स्व-वित्तपोषण तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण-II

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधि आबंटन और उपयोग का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

	एटीएमए का स्कीम		किसान काल केन्द्र		कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र		मास मीडिया	
वर्ष	आबंटन	उपयोग*	आबंटन	उपयोग*	आबंटन	उपयोग*	आबंटन	उपयोग*
2007-08	248.89	93.12	5.50	4.02	5.00	5.00	78.51	79.74
2008-09	298.39	172.05	5.00	4.90	10.00	7.30	105.65	92.15
2009-10	297.95	219.27	5.00	4.99	5.70	6.70	97.08	97.08
2010-11	249.89	191.25	5.45	5.45	11.00	10.00	220.94	177.76
2011-12 (नवम्बर 2011 तक)	500.00	244.86	5.00	3.03	20.00	7.00	150	141.62

*भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त

यौन उत्पीड़न संबंधी कानून

4161. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यौन उत्पीड़न के संबंध में एक व्यापक कानून बनाने के हेतु भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन की मांग हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के अलावा, भारतीय दंड संहिता में बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

बलात्कार संबंधी कानूनों की समीक्षा करने से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एच पी सी) ने दंड विधि (संशोधन विधेयक, 2011 के प्रारुप सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार से इसके अधिनियमन की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया जाना

4162. श्री राम सिंह कस्वांः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कुछ विदेशी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कारों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण हुई दुर्घटनाओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान सूचित शिकायतों की संख्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी चूककर्ता विदेशी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) जी, नहीं। इस विभाग द्वारा उपर्युक्त जानकारी रखी अथवा समेकित नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

चक्रवात की स्थिति में राहत

4163. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक सहित देश में चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की सहायता करने हेतु कोई परियोजना अनुमोदित की है; और

(ख) यदि हां, तो मौजूदा स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) चरण-I (ऋण सं. 4772-आई एन) का अनुमोदन किया है। कर्नाटक राज्य इस ऋण में शामिल नहीं है।

चरण-I के एन सी आर एम पी के वित्तीय करार और परियोजना करारों पर दिनांक 14.01.2011 को भारत सरकार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों तथा विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए थे। परियोजना की कुल लागत 1496.71 करोड़ रुपये है। विश्व बैंक द्वारा 1198.44 करोड़ रुपये अडाप्टेबल प्रोग्राम लोन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। 298.27 करोड़ रुपये की शेष धनराशि का अंशदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। आज की तारीख तक 97.90 करोड़ रुपये इन राज्यों को संवितरित किए जा चुके हैं।

बफर स्टॉक

4164. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः
श्री जी. एम. सिद्देश्वरः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टॉक तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तैयार किए गए बफर मानदण्ड तथा वास्तविक स्टॉक का राज्य-वार तथा खाद्यान्न-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में 2010 तक की अनुमानित जनसंख्या के अनुरूप भविष्य के लिए पर्याप्त स्टॉक तैयार करने के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गरीबों को अधिशेष स्टॉक का कम अथवा मुफ्त वितरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) 1-12-2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 547.19 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक था जिसमें 270.63 लाख टन गेहूं था। केन्द्रीय पूल के संपूर्ण स्टाक के लिए चावल और गेहूं के लिए बफर स्टाक के मानदंड तिमाही आधार पर बनाए रखे गए हैं। बफर स्टाक के राज्यवार मानदड नहीं हैं। न्यूनतम बफर मानदंडों की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं का वास्तविक बफर स्टाक संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का मौजूदा स्टाक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए मौजूदा आबंटनों के अनुसार देश की खाद्यान्नों की जरुरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार खरीद प्रचालनों में तेजी ला रही है तथा अधिकाधिक राज्यों को विकेन्द्रीकृत खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार किसानों को अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा करती रही है। इसके परिणामस्वरुप पिछले चार वर्षों के दौरान खरीदारी में रिकार्ड वृद्धि हुई है जो 2006-07 के 36.24 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 में 62.34 मिलियन टन हो गई है। इसके अलावा वैज्ञानिक भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम तैयार की है। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमश: 5.4 और 14.4 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। उपर्युक्त में से लगभग 4 लाख टन क्षमता केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है।

(ङ) और (च) सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन 612.07 लाख टन चावल और गेहूं का आबंटन किया है और इस प्रकार रासहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई है। इसमें मई 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किया गया 50 लाख अन खाद्यान्नों और जून, 2011 में गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 50 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन शामिल है। उपर्युक्त के अलावा 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों में वितरण करने के लिए 27 राज्यों को अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर 23.67 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

विवरण

न्यूनतम बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति

(लाख टन में)

निम्न ता. को स्थिति	गेहूं		चावल		जोड़	
	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक स्टाक	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक स्टाक	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक स्टाक
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2008	40.00	58.03	122.00	138.35	162.00	196.38
1.7.2008	201.00	249.12	98.00	112.49	299.00	361.61

1	2	3	4	5	6	7
1.10.2008	140.00	220.25	52.00	78.63	192.00	298.88
1.1.2009	112.00	182.121	138.00	175.76	250.00	357.88
1.4.2009	70.00	134.29	142.00	216.04	212.00	350.33
1.7.2009	201.00	329.22	118.00	196.16	319.00	525.38
1.10.2009	140.00	284.57	72.00	153.49	212.00	438.06
1.1.2010	112.00	230.92	138.00	243.53	250.00	474.45
1.4.2010	70.00	161.25	142.00	267.13	212.00	428.38
1.7.2010	201.00	335.84	118.00	242.66	319.00	578.50
1.10.2010	140.00	277.77	72.00	184.44	212.00	462.21
1.1.2011	112.00	215.40	138.00	255.80	250.00	471.20
1.4.2011	70.00	153.64	142.00	288.20	212.00	441.84
1.7.2011	201.00	371.49	118.00	268.57	319.00	640.06
1.10.2011	140.00	314.26	72.00	203.59	212.00	517.85

1.7.2008 से 30 लाख टन गेहूं और 1.1.2009 के आगे से 20 लाख टन चावल का खाद्य सुरक्षा रिजर्व शामिल है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच

4165. श्री आधि शंकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों से जुड़े हुए/खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों के भंडारण और आपूर्ति संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को आपूर्ति किये जाने से पहले तथा खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई तंत्र मौजूद हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों को रोकने में असमर्थ रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्यान्नों के उचित रखरखाव तथा परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि किसी भी राज्य से सड़े हुए/खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों के भंडारण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गोवा को खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बारे में इन राज्यों की राज्य सरकारों से वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(1) ओडिशा सरकार ने राज्य में गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खराब गुणवत्ता के गेहूं की आपूर्ति करने के बारे में शिकायत की थी। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि केवल उचित औसत किस्म का स्टाक जारी किया गया था और इस संबंध में राज्य सरकार से प्रमाण-पत्र भी लिया गया था।

(2) पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता, वर्द्धवान, मालदा, मुर्शिदाबाद और हुगली जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खराब गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति के बारे

में शिकायत की थी। राज्य सरकार ने बांकुडा जिले के अधीन एफएसडी विकना में छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए चावल की खराब गुणवत्ता के बारे में भी शिकायत की थी। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि केवल उचित औसत किस्म का स्टाक जारी किया गया था और इसके साथ-साथ एफएसडी विकना में रखे चावल के स्टाक की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि स्टाक श्रेणी 'ग' के अधीन था जो तैयार स्टाक है, और उसे सामान्य माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए जारी किया जा सकता है।

(3) गोवा सरकार ने गोवा राज्य में सादा वास्को गोदाम पर गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खराब गुणवत्ता के गेहूं और चावल की आपूर्ति के बारे में शिकायत की थी। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि यह स्टाक गोवा सरकार के प्रतिनिधि को बिना किसी शिकायत के जारी किया गया था और प्रतिनिधि ने जारी किए गए स्टाक की गुणवत्ता और मात्रा से संतुष्ट होने के बारे में प्रेषिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी किए थे।

(ख) से (घ) भंडारण के दौरान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण के लिए राज्य को जारी करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने की निर्धारित प्रक्रिया है। भंडारण में खाद्यान्नों का उचित परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गोदामों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित जांच की जाती हैं:

(1) श्रेणीकरण और वर्गीकरण की घोषणा करने के लिए तकनीकी सहायकों द्वारा 100 प्रतिशत आधार पर स्टाक का पखवाड़ावार निरीक्षण किया जाता है।

(2) प्रबंधक (गु.नि.) द्वारा 33 प्रतिशत स्टाक (एक तिहाई स्टाक) का मासिक निरीक्षण किया जाता है। प्रबंधक (गु.नि.) की मासिक निरीक्षण रिपोर्टों की आंचलिक स्तर पर जांच की जाती है।

(3) सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.) द्वारा तिमाही निरीक्षण किया जाता है। सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.) के लिए निम्नलिखित निरीक्षण अनुसूची निर्धारित की गई है:

— एक माह में एक तिहाई डिपु ताकि तीन महीने में जिले के सभी डिपु कवर किये जा सकें।

— 25,000 टन से अधिक क्षमता वाले डिपुओं में 5 प्रतिशतक स्टाक की जांच करनी होती है।

— 25,000 टन से कम क्षमता वाले डिपुओं में 10 प्रतिशत स्टाक की जांच करनी होती है।

— सहायक महा प्रबंधक (गु.नि.) की दस्ता निरीक्षण रिपोर्टों की जांच भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय में की जाती है।

खाद्यान्नों की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने के लिए इनका सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण करने हेतु तथा ढके हुए और कवर तथा प्लिंथ भंडारण में क्षति से बचने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षित उपाय करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को ऐसे अनुदेश 6.7.2011 को फिर से भेजे गए हैं। इन उपायों में खरीदारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता की लगातार मानीटरिंग करना, ढके हुए और कैप भंडारण में सुरक्षित भंडारण के लिए पद्धति संहिता अपनाना तथा कीट जंतु बाधा नियंत्रण के लिए रोग निरोधी और रोग हर उपचार जैसे सभी सावधानी के उपाय करना, गुणवत्ता का आकलन करने के लिए स्टाक का नियमित आवधिक निरीक्षण करना शामिल है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य खाद्यान्न आधारित कल्याण स्कीमों के लिए कीट जंतु बाधा से मुक्त केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी किए जाएं, निम्नलिखित पद्धतियां निर्धारित की गई हैं तथा राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं:

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कीट जंतु बाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी करने होते हैं।

(2) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक का उठान करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने होते हैं।

(3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किये जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक में से खाद्यान्नों के नमूने भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिये और सील बंद किये जाते हैं।

(4) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक की सुपुर्दगी लेने के लिए तैनात किये जाने वाला राज्य

सरकार प्राधिकारी निरीक्षक के पद से कम का नहीं होना चाहिए।

(5) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाना होता है और मंत्रालय के गुण नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा औचक जांच की जानी होती है।

(6) यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है कि वितरण श्रृंखला में ढुलाई और भंडारण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान खाद्यान्नों की अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां बनी रहें।

(7) राज्य सरकार, जहां विकेन्द्रीकृत खरीद योजना प्रचालन में है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जारी खाद्यान्नों की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन वांछित मानकों को पूरा करें।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य

4166. श्री राजू शेट्टी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसानों को उनके कृषि उत्पाद जैसे कपास और मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता और उन्हें अपने उत्पाद को उनकी उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचने को विवश होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनके घाटे की क्षतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), सहकारी तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से कपास तथा मक्के को मूल्य समर्थन देती हैं। विनिर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए प्रस्तावित निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप कपास तथा मक्के की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सार्वजनिक प्रापण एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों के पास विकल्प है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, सहकारी तथा राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद है, में अपने उत्पादों को बेचें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया जाता है कि वे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने संबंधी पर्याप्त व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

पेड न्यूज पर रिपोर्ट

4167. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेड न्यूज पर रिपोर्ट को वेबसाइट पर डालने हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में दिशानिर्देश कब तक तैयार कर लिए जाने तथा उक्त रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाले जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (घ) पेड न्यूज पर भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) की रिपोर्ट को दिनांक 02.08.2010 को भारतीय प्रैस परिषद की वैबसाइट www.presscouncil.nic.in पर पहले ही अपलोड करा दिया गया है। पेड न्यूज पर परिषद की उप-समिति की रिपोर्ट को भी दिनांक 10.10.2011 को परिषद की वैबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है।

झूठे मामले

4168. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में कुछ परिवारों/व्यक्तियों को झूठे आतंकवादी मामलों में फंसाने की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोके जाने की सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि योजनाओं के घटक

4169. श्री मुरारी लाल सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईएसओपीओएम और एनएफएसएम जैसी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित कृषि योजनाओं के घटकों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को उक्त योजनाओं के उप घटकों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर मौजूद मांग के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए राज्यों के जिला स्तर पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के घटक निर्धारित किये जाते हैं। विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के अंतर्गत समस्याओं के बारे में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

आरएनआई द्वारा समाचार पत्रों का पंजीकरण

4170. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में भारतीय समाचार पत्र पंजीयक (आरएनआई) के पास पंजीकृत समाचार पत्रों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे पंजीकृत समाचार पत्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में आरएनआई के शाखा कार्यालयों को खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी मोहन जतुआ): (क) दिनांक 30.11.2011 तक की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों की कुल संख्या 85,840 हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में प्रकाशित किए जा रहे समाचारपत्रों की संख्या का परिगणन पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19घ के अंतर्गत प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण के आधार पर किया जाता है। आरएनआई में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए 14,508 समाचारपत्रों ने वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अभी तक की स्थिति के अनुसार, इस समय प्रकाशित/प्रसारित किए जा रहे समाचारपत्रों की संख्या का पता लगाने के लिए आरएनआई में कोई अन्य तंत्र उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पंजीकृत समाचारपत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	30/11/2011 तक कुल पंजीकृत शीर्षक
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73
आंध्र प्रदेश	4926
अरूणाचल प्रदेश	18
असम	624
बिहार	1695
चंडीगढ़	481
छत्तीसगढ़	859
दादरा एवं नगर हवेली	17
दमन एवं दीव	9

1	2
दिल्ली	10956
गोवा	119
गुजरात	3945
हरियाणा	1445
हिमाचल प्रदेश	262
जम्मू और कश्मीर	746
झारखंड	306
कर्नाटक	4600
केरल	2743
लक्षद्वीप	5
मध्य प्रदेश	6384
महाराष्ट्र	10929
मणिपुर	165
मेघालय	86
मिजोरम	169
नागालैंड	21
ओडिशा	1621
पुडुचेरी	120
पंजाब	1640
राजस्थान	5093
सिक्किम	95
तमिलनाडु	4907
त्रिपुरा	134
उत्तर प्रदेश	13521
उत्तरांचल	2284
पश्चिम बंगाल	4842
कुल	85,840

विवरण-II

वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त वार्षिक विवरणियों का ब्यौरा

राज्य का नाम	प्राप्त वार्षिक विवरणियों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7
आंध्र प्रदेश	811
अरूणाचल प्रदेश	4
असम	97
बिहार	135
चंडीगढ़	51
छत्तीसगढ़	146
दादरा और नगर हवेली	7
दमन और दीव	5
दिल्ली	1937
गोवा	17
गुजरात	840
हरियाणा	125
हिमाचल प्रदेश	44
जम्मू और कश्मीर	156
झारखंड	63
कर्नाटक	293
केरल	229
लक्षद्वीप	शून्य
मध्य प्रदेश	1243
महाराष्ट्र	1025
मणिपुर	13

1	2
मेघालय	9
मिजोरम	4
नागालैंड	3
ओडिशा	291
पुडुचेरी	20
पंजाब	165
राजस्थान	1038
सिक्किम	26
तमिलनाडु	415
त्रिपुरा	42
उत्तर प्रदेश	3671
उत्तरांचल	1021
पश्चिम बंगाल	555
कुल	14,508

चीनी का आवंटन

4171. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी की घरेलू मांग और उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत गुजरात सहित राज्यों को आवंटित चीनी के कोटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित राज्यों को चीनी का कोटा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में चीनी का खुदरा मूल्य कम करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया/उठाया जा रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा सितम्बर, 2011 में जारी गन्ना उत्पादन के प्रथम अग्रिम आकलनों के आधार पर चीनी के उत्पादन का अनंतिम अनुमान लगभग 246 लाख टन लगाया गया है जबकि वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान देश में लगभग 220 लाख टन की घरेलू मांग होने का अनुमान है। चीनी उत्पादक राज्यों द्वारा चीनी मौसम 2011-12 के दौरान अनुमानित चीनी उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए गुजरात सहित राज्यवार लेवी चीनी की आवंटित मात्रा संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) घरेलू मंडी में चीनी के मूल्य विभिन्न कारकों यथा चीनी की उत्पादित मात्रा, अग्रेनीत स्टॉक, घरेलू मांग, अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य और मंडी रुझानों आदि पर निर्भर करते हैं। सरकार का यह प्रयास होता है कि विनियमित निर्मुक्ति तंत्र नीति के माध्यम से उचित मूल्य पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराए।

विवरण I

चीनी मौसम 2011-12 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान

(मात्रा लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	चीनी उत्पादन का अनुमान
1.	आंध्र प्रदेश	10.87
2.	बिहार	3.76
3.	गुजरात	13.04
4.	हरियाणा	4.05
5.	कर्नाटक	37.06
6.	महाराष्ट्र	85.78
7.	पंजाब	2.95
8.	तमिलनाडु	19.59
9.	उत्तर प्रदेश	62.35
10.	उत्तराखंड	3.70
11.	अन्य	3.50
	जोड़	246.65

विवरण II

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आवंटित लेवी चीनी

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09* (वार्षिक और विशेष त्यौहार कोटे सहित)	2009-10 (वार्षिक त्यौहार कोटे सहित)	2010-11 (वार्षिक त्यौहार कोटे सहित)	2011-12 (जनवरी, 2012) (वार्षिक त्यौहार कोटे सहित) (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	132.48	124.37	124.37	42.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.29	10.29	10.27	3.44
3.	असम	233.26	224.38	224.52	76.05
4.	बिहार	97.58	165.0	251.07	84.18
5.	छत्तीसगढ़	59.92	55.26	56.28	12.35
6.	दिल्ली	37.76	37.16	37.16	12.81
7.	गोवा	2.48	1.58	1.58	0.56
8.	गुजरात	79.66	75.44	75.98	26.27
9.	हरियाणा	33.64	32.08	32.06	11.99
10.	हिमाचल प्रदेश	59.62	57.07	57.08	18.87
11.	झारखंड	4.90	84.87	86.27	25.43
12.	जम्मू और कश्मीर	91.57	88.04	87.80	29.42
13.	कर्नाटक	115.89	109.66	109.70	37.47
14.	केरल	53.02	52.92	52.92	16.46
15.	मध्य प्रदेश	161.13	155.80	155.83	52.88
16.	महाराष्ट्र	189.45	176.37	176.43	60.35
17.	मणिपुर	22.73	21.88	21.93	7.47
18.	मेघालय	21.76	20.96	20.96	7.13

1	2	3	4	5	6
19.	मिजोरम	8.65	8.35	8.24	2.83
20.	नागालैंड	15.14	14.64	14.64	4.95
21.	ओडिशा	111.42	108.52	108.58	32.29
22.	पंजाब	21.70	20.87	20.86	7.36
23.	राजस्थान	99.30	94.54	94.61	34.96
24.	सिक्किम	4.91	4.70	4.76	1.26
25.	तमिलनाडु	146.44	140.14	133.37	46.54
26.	त्रिपुरा	34.38	32.88	32.86	10.87
27.	उत्तर प्रदेश	433.35	412.20	412.48	147.62
28.	उत्तराखंड	75.78	73.38	73.49	25.10
29.	पश्चिम बंगाल	188.43	178.58	178.84	61.30
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.74	4.77	4.74	2.37
31.	चंडीगढ़	0.93	0.91	0.88	0.32
32.	दादरा और नगर हवेली	0.63	0.60	0.60	0.20
33.	दमन और दीव	0.13	0.12	0.12	0.05
34.	लक्षद्वीप	1.34	1.32	1.34	0.69
35.	पुडुचेरी	2.32	2.12	2.08	0.99
	जोड़	2557.73	2591.77	2674.70	904.96

टिप्पणी: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष त्यौहार कोटा केवल चीनी मौसम 2008-09 के लिए आवंटित किया गया था।

[हिन्दी]

बाल फिल्म परिषद की स्थापना

4172. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में बाल फिल्म परिषद की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में शीतकालीन खेलकूद को बढ़ावा देना

4173. श्री हसन खानः क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से शीत कालीन खेलकूद जैसे पोलो, स्किइंग, वाइट राफ्टिंग आदि को बढ़ावा देने हेतु कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान इन खेलकूदों हेतु राज्यों का जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। शीतकालीन खेलों के संवर्धन के लिए युवा सेवा और खेल विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार, से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

* 300.00 लाख रु. की अनुमानित लागत से गुलमर्ग में छात्रावास भवन का निर्माण
* आयातित स्कीइंग उपस्कर की खरीद के लिए-150.00 लाख रु.
* उत्तीर्ण स्कीइर्स को पर्वतारोही एवं स्किइंग गाईड बनाने के लिए उन्हें पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं उपस्कर प्रदान करके स्वरोजगार स्कीम के लिए उन्नत पाठ्यक्रम-10.00 लाख रुपये

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

एनजीओ को अनुदान

4174. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) हेतु अनुदान सहायता राशि घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एनजीओ को स्वीकृत और प्रदान किए गए कुल अनुदान का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कोई गैर-सरकारी संगठन नहीं है जिसके लिए नियमित अनुदान-सहायता राशि दी जाती है। अतः अनुदान सहायता राशि के घटाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, मंत्रालय ने अनुसंधान अध्ययन करने और विशिष्ट अवधियों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं चलाने के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कुछ गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि जारी की है। ऐसी अनुदान सहायता राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान गैर सरकारी संगठनों को आंबटित धनराशियां निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

मुख्य घटक	गैर-सरकारी संगठन का नाम	स्वीकृत कुल राशि	वर्ष 2008-09 में जारी धनराशि	वर्ष 2009-10 में जारी धनराशि	वर्ष 20010-11 में जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
शहरी विकास में	सीईडी	36.65	9.16	9.16	9.16

1	2	3	4	5	6
उत्कृष्ट केन्द्र	सीएसई, नई दिल्ली	83	20.75	20.75	20.75
	आई आर ए डी, नई दिल्ली	15.54	3.89	3.89	3.89
	टी ई आर आई, नई दिल्ली	54	13.5	13.5	13.5
अनुसंधान प्रस्ताव	आई टी पी आई नई दिल्ली	-	-	-	4.00
	आई एस एस, नई दिल्ली	-	-	-	3.00
	ए आई आई एल एस जी (अहमदाबाद)	-	7.48	-	-
कुल		189.19	54.78	47.30	54.30

सी ई डी - पर्यावरण और विकास केन्द्र
सी एस ई - विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र
आई आर ए डी ई - एकीकृत अनुसंधान और विकास कार्रवाई
टी ई आर आई - उर्जा और संसाधन संस्थान
आई टी पी आई - भारतीय नगर आयोजक संस्थान
आई एस एस - सामाजिक विज्ञान संस्थान
ए आई आई एल एस जी - अखिल भारतीय स्थानीय स्व-शासन संस्थान

नई उपभोक्ता नीति

4175. **श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई उपभोक्ता नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी नीति के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति की वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति के मसौदे में एक ऐसी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव है जो यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं की वस्तुएं, सेवाएं एवं प्रौद्योगिकी उचित मूल्यों और स्वीकार्य गुणवत्ता मानदंडों पर उपलब्ध हो ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसके कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली कार्य-नीतियां निम्नानुसार है:

(i) सभी निर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं के लिए आन्तरिक विवाद समाधान तन्त्र।

(ii) उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रर्वतन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम जैसे विधायनों का प्रयोग।

(iii) गैर-बाजार हस्तक्षेप के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग।

(iv) बेहतर विकल्पों के लिए मानकों का बेहतर सुमेलन।

(v) विभिन्न क्षेत्रों में पैकेजिंग नियमों को सुमेलित करना।

(ग) एक राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति का मसौदा मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सचिवों की समिति के लिए एक नोट की इच्छा व्यक्त की थी जिसे प्रस्तुत कर दिया गया है।

के. रि. पु. ब. में पेशेवर भावना

4176. श्री के. सुगुमारः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में पेशेवर भावना पैदा करने का है ताकि उसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पेशेवर भावना जगाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं ताकि इसे वर्तमान जरुरतों के मुताबिक जिम्मेदार बनाया जा सके, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं :-

(i) विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सी आई ए टी) विद्यालय और केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी सी) सहित सी आर पी एफ की कई प्रशिक्षण अकादमियां हैं जहां इनकी पेशावरता में सुधार लाने के लिए अधिकारियों/एसओ/जवानों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां सी आर पी एफ के अनुदेशकों और भूतपूर्व सैनिक अनुदेशकों द्वारा बारी-बारी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iii) सी आर पी एफ कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों (सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एवं कर्नलों) को नियुक्त किया जाता है।

(iv) बटालियन के हर-एक व्यक्ति को बारी-बारी से प्रशिक्षण देना अनिवार्य बनाया गया है। इसी प्रकार, उनके फायरिंग कौशल में सुधार लाने के लिए कार्रवाई क्षेत्र के साथ-साथ शेष भारत में तैनात सभी कार्मिकों के लिए फयरिंग अभ्यास को अनिवार्य कर दिया।

(v) वामपंथी अग्रवाद प्रभावित (एल डब्ल्यू ई) क्षेत्रों में तैनात कोबरा बटालियन कार्मिकों सहित सी आर पी एफ कार्मिकों को नक्सली खतरे से निपटने और आसूचना के बेहतर विकास से संबंधित विद्रोहरोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सी आई ए टी) पाठ्यक्रमों में और सेक्टर हथियारों तथा रणनीतियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(vi) सी आर पी एफ के सभी सहायक कमाण्डरों को उनके बुनियादी प्रशिक्षण के तत्काल पश्चात 06 माह के लिए सेना के साथ सहबद्ध रहना होता है ताकि नक्सल-रोधी कार्रवाइयों (ए एन ओ) में तैनाती हेतु उन्हें तैयार किया जा सके।

(vii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी ओ टी) पाठ्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है और सी आर पी एफ प्रशिक्षण संस्थानों के सभी अनुदेशों को उनके प्रशिक्षण कौशल में सुधार लाने के लिए टी ओ टी पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(viii) अधिकारियों/कार्मिकों को ख्यातिप्राप्त प्रबंधन संस्थाओं में सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर विभिन्न विदेशी पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्ति किया जाता है ताकि उनकी कार्रवाई संबंधी दक्षता, नेतृत्व गुण में सुधार किया जा सके तथा मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सके।

(ix) खेलकूद कार्यकलापों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा रैकेट में गैंगों का शामिल होना

4177. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेलः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेश जाने वाले लोगों को जाली मुद्रा प्रदान करने वाले कई गैंग देश में सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(ग) क्या सरकार उक्त रैकेट का पता लगाने हेतु कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में ऐसे किसी गैंग के सक्रिय होने की किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है जो विदेश जाने वाले लोगों को जाली विदेशी मुद्रा मुहैया कराता है।

(ग) और (घ) जाली विदेशी मुद्रा/एफआईसीएन के खतरे के बहु-आयामी पहलुओं का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र और राज्य की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि जैसी अनेक एजेंसियां, जाली विदेशी मुद्रा/एफआईसीएन से संबंधित गतिविधियों को विफल करने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं। इन एजेंसियों के कार्यों की आवधिक समीक्षा, इस प्रयोजनार्थ गठित एक नोडल समूह द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में, कार्यात्मक स्तर पर सीबीआई को राज्यों के साथ समन्वय करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में भी घोषित किया गया है और राजस्व आसूचना निदेशालय को तस्करी की गई जाली विदेशी मुद्रा/एफआईसीएन के संबंध में प्रमुख आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने एक विशिष्ट जाली विदेशी मुद्रा/एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है ताकि देश के अंदर जाली मुद्रा के परिचालन के खतरे को समाप्त करने के लिए राज्य/केन्द्र की अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सके, जिसमें सीबीआई नोडल एजेंसी होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली मुद्रा के मामलों की जांच पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में एक आतंकवादी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

4178. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान स्थिति के अनुरूप सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में कोई परिवर्तन/संशोधन किया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक संशोधत किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीपीआरए को खाली करना

4179. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास स्थान संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीए) ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय भंडार को निर्देश दिया जाए कि वह अपने लिए आवंटित सामान्य पूल आवासों (जीपीआरए) में से प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत को खाली करे;

(ख) यदि हां, तो सीसीए ने किस वर्ष में यह निर्णय लिया और अब तक केन्द्रीय भंडार द्वारा कितने पीपीआरए को खाली किया गया है;

(ग) सीसीए के निर्णय का कार्यान्वयन नहीं करने के कारण क्या है;

(घ) क्या सीसीए ने सरकार से केन्द्रीय भंडार से बाजार किराया वसूलने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार से अब तक वसूली गई धनराशि सहित कुल वसूल की गई धनराशि कितनी है; और

(च) उनसे कुल धनराशि वसूल नहीं कर पाने के कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय भंडार को आंबटित रिहायशी/कार्यालय आवास नवम्बर, 2005 से प्रथम कलेंडर वर्ष के अंत तक 1/3 आवासीय इकाइयों खाली करा कर तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खाली कराए जाएंगें। अब तक केन्द्रीय भंडार द्वारा 16 इकाइयां खाली की जा चुकीं हैं।

(ग) आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति का निर्णय लागू किया गया है एवं केन्द्रीय भंडार को आबंटित इकाइयों का आबंटन रद्द कर दिया गया है और 1.11.2005 से उन पर बाजार किराया लगाय जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भंडार से 5,34,72,978 रु. वसूल किए जाने हैं और 2,44,26,120 रु. वसूल किए जा चुके हैं। शहरी विकास मंत्रालय केन्द्रीय भंडार से बाजार दर पर वसूली के लिए समय-समय पर मांग पत्र जारी करके निरंतर कार्रवाई कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर में हिंसा

4180. श्रीमती जे. शांता: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले कुछ महीनों में जम्मू और कश्मीर में हिंसक घटनाओं के होने के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मारे गए और घायल नागरिकों, सुरक्षा कार्मिकों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(घ) राज्य में ऐसी हिंसा उकसाने के लिए जिम्मेवार तत्वों की पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य मं वर्ष 2010 के दौरान हुई बड़े पैमाने पर हिंसा और जनता के उपद्रव के मुकाबले वर्ष 2011 के दौरान केवल पत्थर फेंके जाने की छोटी-मोटी घटनाएं हुई हैं। सितम्बर से नवम्बर, 2011 के दौरान, वर्ष 2010 की तदनुरुपी अवधि के दौरान हुई 871 घटनाओं की तुलना में पत्थर फेंके जाने की केवल 70 घटनाओं की सूचना मिली है। वर्तमान वर्ष में 16 सिविलियनों तथा सुरक्षा बलों के 252 कार्मिकों के घायल होने की सूचना को छोड़कर किसी भी सिविलियन या सुरक्षा बलों के कार्मिकों के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा नियमों के अनुसार राहत का भुगतान किया जाता है।

(घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को सहायता भी मुहैया कराती है। राज्य सरकार राष्ट्र-विरोधी तत्वों तथा राज्य में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/विरोध करने वालों को सजा देने के लिए जम्मू एवं कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम और रणबीर दंड संहिता (आर पी सी) के उपबन्धों को भी लागू करती है।

रबी फसल की बुवाई

4181. डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गेहूं सहित रबी फसल की बुवाई में कमी दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर-सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) 16.12.2011 को फसल मौसम निगरानी दल की साप्ताहिक बैठकों के लिए फसल निदेशालयों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 2011-12 के दौरान गेहूं के तहत क्षेत्र-व्याप्ति विगत रबी मौसम की समनुरूप अवधि के दौरान क्षेत्र-व्याप्ति की तुलना में 4.0 लाख हैक्टेयर अधिक रही है। तथापि 2011-12 के दौरान रबी मोटे अनाजों, दलहनों तथा तिलहनों के तहत क्षेत्र-व्याप्ति विगत वर्ष की समरूप अवधि के दौरान उक्त फसलों के तहत क्षेत्र-व्याप्ति की तुलना में क्रमशः 2.8 लाख हैक्टेयर, 1.1 लाख हैक्टेयर तथा 6.0 लाख हैक्टेयर कम रही है। रबी बुवाई मौसम में नमी के दबाव के कारण रबी मोटे अनाजों तथा दलहनों के तहत कम क्षेत्र-व्याप्ति का मुख्य कारण कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्र में गिरावट रही है। विगत वर्ष की तुलना में रबी तिलहनों के तहत क्षेत्र में गिरावट मुख्य रूप से राजस्थान में रेपसीड एवं सरसों के तहत कम क्षेत्र-व्याप्ति के कारण हुई है। वास्तव में, विगत वर्ष अर्थात 2010-11 के दौरान राजस्थान में रेपसीड एवं सरसों के तहत क्षेत्र राज्य में रबी बुवाई मौसम में अच्छी वर्षा एवं नमी परिस्थितियों के कारण इसके सामान्य कवरेज (0.90 लाख हैक्टेयर) की तुलना में तारामीरा फसल के तहत महत्वपूर्ण रूप से अत्यधिक क्षेत्र-व्याप्ति (4.97 लाख हैक्टेयर) के कारण सामान्य से भी अधिक था।

(ग) कुछ रबी फसलों की बुवाई का कार्य अभी भी प्रगति पर है तथा बुवाई की प्रगति में मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार, इसकी पूर्णतया संभावना है कि रबी के तहत सामान्य क्षेत्र को बुवाई मौसम के अंत तक पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

प्याज हेतु गोदाम

4182. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्याज की भंडारण क्षमता की कमी को पूरा करने हेतु गोदामों के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में विभिन्न राज्यों में प्याज के गोदाम की राज्य-वार भंडारण क्षमता कितनी है;

(घ) प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में प्याज के भंडारण की आवश्यकता है; और

(ङ) देश में इस हेतु राज्य-वार कितने नए गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्याज सहित कृषि उत्पादन भंडारण प्रक्रिया, कृषि आदानों आदि समवर्गी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन के लिए ग्रामीण गोदाम स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। 31 अक्तूबर, 2011 तक पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा 294.83 लाख टन की क्षमता वाले 25682 गोदामों के लिए संस्वीकृति दी है। स्कीम 90 लाख टन के लक्ष्य के साथ ग्यारहवीं योजना अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम मांग आधारित है और सभी क्षेत्रों के किसानों, कृषि स्नातकों, सहकारी समितियों, निजी कम्पनियों और निगमों और महिला किसनों हेतु गोदामों के निर्माण के लिए पार्श्वान्त राजसहायता उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान प्याज के भंडारण के लिए 28.40 लाख मीट्रिक टन आकलित की गई है। वर्ष 2011 में प्याज के भंडारण का राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में प्याज के भंडारण के लिए लगभग 30-32 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ भारत मर्यादित (नेफैड) ने 1600 मीट्रिक टन (एमटी) की क्षमता के साथ लासला गांव में, 1,000 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ पीमला गांव में और 4,000 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ दिल्ली में प्याज भंडार गोदामों की स्थापना की है। इसके अलावा एनसीडी ने वर्ष 2000-01 से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और सरकार की पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के साथ बागवानी उत्पाद के लिए अपने शीत भंडारण/भंडारण कार्यक्रम में सामंजस्य स्थापित किया है।

विवरण

वर्ष 2011 के दौरान प्याज के भंडारण का राज्य-वार अनुमान

राज्य	वर्ष 2011 के दौरान आकलित भंडारण (लाख मिलियन टन में)
महाराष्ट्र	14.50
गुजरात	2.00
बिहार और झारखंड	1.50
हरियाणा	0.75
कर्नाटक	1.25
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1.75
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	1.85
ओडिशा	0.50
राजस्थान	1.75
पंजाब	0.75
तमिलनाडु	1.00
आंध्र प्रदेश	0.30
अन्य	0.50
कुल	28.40

स्रोत: एनएचआरडीएफ

[अनुवाद]

सब्जियों हेतु खुदरा दुकान

4183. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार राज्यों और अन्य एजेंसियों/कंपनियों/उद्यमियों को खुदरा दुकानें, सब्जी संग्रहण केंद्र, मोबाइल वेंडिंग कार्ड और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए राजसहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन उपायों के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से प्रसंस्करण सुविधाओं समेत फसलोत्तर प्रसंस्करण अवसंरचना के सृजन को सुगम बनाता है जिसका लक्ष्य देश में बर्बादी में कमी करना, मूल्य वृद्धि और शेल्फ लाइफ में वृद्धि करना है।

शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला के अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए छँटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ-साथ मूल्यवृद्धि का सृजन करना है। सरकार की अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनडीसीसी) और राज्य सरकार भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

सामानों को कम तौला जाना

4184. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं को व्यापारियों द्वारा कम तौल कर तथा पैकेट पर मुद्रित मात्रा की तुलना में कम मात्रा को पैक कर ठगा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज हुए तथा दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारियों द्वारा ठगी के अनेकों मामले हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में वर्षवार दायर किये गये मामले और उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तराखण्ड	124	117	136	50
2.	उत्तर प्रदेश	1704	2011	1953	608
3.	महाराष्ट्र	63	38	20	13
4.	पश्चिम बंगाल	2008 से आज की तारीख तक 22 मामले दर्ज किये गये।			
5.	हिमाचल प्रदेश	27	22	29	18
6.	आंध्र प्रदेश	3376	3448	3371	1641
7.	राजस्थान	23	25	24	29
8.	केरल	1098	389	494	151
9.	दिल्ली	343	254	189	125

1	2	3	4	5	6
10.	ओडिशा	34	51	48	62
11.	हरियाणा	32	36	40	17
12.	पंजाब	122	95	56	41
13.	छत्तीसगढ़	2008 से आज की तारीख तक 24 मामले दर्ज किए गए।			
14.	मेघालय	14	03	—	—
15.	त्रिपुरा	9	28	33	17
16.	मणिपुर	3	5		
17.	कर्नाटक	30	23	21	41
18.	तमिलनाडु	02	01	06	03
19.	असम	01	04	—	01
20.	मध्य प्रदेश	37	76	105	47

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत धनराशि

4185. **श्री हरीश चौधरी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत राजस्थान को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस धनराशि से शहर/कस्बा-वार कितने आवासों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अब तक शहर/कस्बा-वार कितने आवासों का निर्माण किया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) एवं शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के तहत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान को आबंटित राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:

(करोड़ रु. में)

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	0	52.12	0	45.94	88.11	196.00	0	0
जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0	40.24	0	43.94	43.17	122.00	0	0

(ख) और (ग) स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों का शहर/कस्बे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राजस्थान राज्य में जेएनएनयूआरएम के घटक बीएसयूपी के तहत राजस्थान रिहायशी इकाइयों का निर्माण

क्र.सं.	शहर का नाम	निर्माण के लिए प्रस्तावित रिहायशी इकाइयां	निर्मित रिहायशी इकाइयां
1.	अजमेर	5337	765
2.	जयपुर	5814	0
	कुल	11151	765

राजस्थान राज्य में जेएनएनयूआरएम के घटक आईएचएसडीपी के तहत राजस्थान रिहायशी इकाइयों का निर्माण

क्र.सं.	शहर का नाम	निर्माण के लिए प्रस्तावित आवासीय इकाई	निर्मित आवासीय इकाइयां
1	2	3	4
1.	अनूपगढ़	592	
2.	आशिंद	694	88
3.	बाली	523	
4.	बलोतरा	447	268
5.	बांसवाडा	217	
6.	बरेन	407	
7.	बरमेर	1281	324
8.	भद्रा	1332	
9.	भवानी मंडी	114	97
10.	भिल्वारा	1704	1398
11.	भीनमाल	639	2
12.	बीकानेर	1216	1
13.	बीलारा	574	
14.	छबरा	312	48
15.	छोटी सदरी	380	
16.	चित्तौड़गढ़	973	198
17.	गंगपुर सिटी	161	3
18.	गुलाबपुरा	0	
19.	हनुमानगढ़	651	300
20.	जसमलैर	2539	
21.	जैतारन	214	
22.	जलोर	291	97
23.	जलारपटन	413	
24.	जोधपुर	2715	79
25.	कटियून	327	
26.	केकरी	871	
27.	कोटा	2323	6
28.	नीमबेरा	457	
29.	पाली	2722	781
30.	फलना	361	172
31.	पलोढ़ी	764	99
32.	पीलीबंगा	244	
33.	पिंडवारा	686	
34.	पोखरण	787	74
35.	प्रतापगढ़	711	232
36.	रानी	19	14
37.	रावतभाटा	1439	
38.	रावतसर	1398	11

1	2	3	4
39.	सदरी	46	46
40.	संचोरी	390	
41.	संगौड	442	
42.	सवाई माधोपुर	976	313
43.	सिकट	556	256
44.	सजोट	196	36
45.	सुमेरपुर	529	2
46.	सूरतगढ़	1493	14
47.	तख्तगढ़	635	
48.	टोंक	520	136
49.	उदयपुर	1737	
	कुल	39018	5095

[अनुवाद]

आतंकवाद पीड़ितों को मुआवजा

4186. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में आतंकवाद से पीड़ित कई परिवार अब तक मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो घटना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) मारे गए तथा घायल व्यक्तियों के संबंध में, आतंकवादी बम विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा उन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है जहां बम विस्फोटों की घटना हुई होती है। यह केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तथापि, आतंकवादी, सांप्रदायिक और नक्सल हिंसा के सिविलियन पीड़ितों के परिवारों के भरण-पोषण के लिए भारत सरकार "आतंकवादी/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों को केन्द्रीय सहायता" नाम एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोजगार न दिए जाने के अध्यधीन मृत्यु या 50% या इससे अधिक की अशक्ता के मामले में पीड़ित के निकटतम संबंधी/पीड़ित को 3 लाख रु. की धनराशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत पात्र दावाकर्ता आतंकवादी कृत्य की संबंधित घटना के 3 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों पर इस स्कीम के अंतर्गत सहायता जारी की जाती है।

संबंधति राज्य सरकारों, जहां बम विस्फोट हुए हैं, से प्राप्त सूचना के आधार पर भुगतान किए गए मुआवजे/जारी की गई सहायता का ब्यौर निम्नानुसार है:-

बम विस्फोट का स्थान और तारीख	राज्य सरकार (मुख्यमंत्री राहत कोष) द्वारा जारी मुआवजा और भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता
दिनांक 25.5.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय में	शून्य। कोई हताहत नहीं।
दिनांक 28.5.2011 को मणिपुर में	3 लाख रु.
दिनांक 30.6.2011 को नागालैंड में	2 लाख रु.
दिनांक 13.7.2011 को मुम्बई में	242.5 लाख रु.
दिनांक 7.9.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय में	227.8 लाख रु.
दिनांक 17.9.2011 को आगरा में बम विस्फोट	4 लाख रु.
दिनांक 30.11.2011 को मणिपुर में दिनांक 14.12.2011 को मणिपुर में बम विस्फोट	जैसा कि मणिपुर राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, उन्हें संबंधित उपायुक्त से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आवासों का निर्माण

4187. श्री कैलाश जोशी:
श्री राकेश सिंह:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से वहनीय आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के संबध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस दिनांक को यह प्राप्त हुआ;

(ग) क्या प्रस्ताव को स्वीकृत मिल गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 23 सितम्बर 2011 को मध्य प्रदेश सरकार से जबलपुर के लिए 692.30 लाख रुपये की परियोजना लागत वाली 200 रिहायशी इकाइयों और उज्जैन हेतु 1605.82 लाख रुपये की लागत वाली 300 रिहायशी इकाईयों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था और राज्य सरकार को टिप्पणियां अनुपालनार्थ भेज दी गई हैं। राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के लिए नकद ऋण सीमा

4188. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की नकद ऋण सीमा को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने नवम्बर, 2011 माह में भारतीय खाद्य निगम की नकद ऋण सीमा को 34,495 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 41,095 करोड़ रुपये कर दिया है।

[हिन्दी]

आवास संबंधी समिति

4189. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी: क्या क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए प्रोफे. अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में एक तकनीकी समूह का गठन किया है।

समूह का गठन इस प्रकार किया गया है:

क्र.सं.	नाम	पद
1	2	3
1.	प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, डीन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)	अध्यक्ष
2.	डॉ. पी.के. मोहंती, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य

1	2	3
3.	प्रोफे. अभय पेटो, मुंबई विश्वविद्यालय, मुम्बई	सदस्य
4.	भारत के महापंजीयक	सदस्य
5.	डीडीजी, एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग	सदस्य
7.	प्रोफे. नीलिमा रिसवुड, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक	सदस्य
9.	निदेशक (आवास) शहरी आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
10.	डा. दर्शनी महादेविया, प्रोफेसर, सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	सदस्य
11.	निदेशक (एनबीओ) एवं विशेष कार्यधिकारी (जेएनएनयूआरएम) एवं रे) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य

(ग) इस समूह ने 30 नवम्बर, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तथापि, आवास संकेतकों पर जनगणना, 2011 के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे सकी।

एनपीआर परियोजना में चीनी उपकरणों का उपयोग

4190. श्री कौशलेन्द्र कुमारः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनपीआर के अंतर्गत जारी किये जा रहे बायोमैट्रिक कार्डों में चीन में बने उपकरणों का प्रयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरों सहित इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) एनपीआर के अंतर्गत बायोमेट्रिक नामांकन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा निर्धारित किये गये सभी मानकों और प्रौद्योगिकियों का अनुसरण किया जा रहा है। यूआईडीएआई मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, जोकि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (ड़ीआईटी), भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है, द्वारा प्रमाणित बायोमैट्रिक उपकरणों के उपयोग का अधिदेश देता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) को तैयार करने के लिए आंकड़ों के डिजिटाइजेशन और बायोमैट्रिक्स लेने संबंधी कार्य को केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के संघ (सीपीएसयूएस) और डीआईटी को सौंपा गया है। एनपीआर परियोजना के लिए बायोमैट्रिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एसटीक्यूसी प्रमाणित वेंडरों के लिए एक साझी निविदा जारी की गई है। बायोमेट्रिक उपकरणों की अधिप्राप्ति एसटीक्यूसी द्वारा प्राधिकृत किये गये आपूर्तिकर्ता के माध्यम से मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएमएस) से की जाती है। चयनित ओईएमएस संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया में स्थित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन पत्रों की विधिवत रूप से पावती जारी की गई है और उत्तर दिए जाने के लिए इन्हें यूआईडीएआई को भेजा गया है।

[अनुवाद]

अरहर जिनोम की डिकोडिंग

4191. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अरहर जिनोम को डिकोड कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अरहर की नई किस्म विकसित करने में इसका किस सीमा तक सहायक होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य में (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय संस्थाओं के संपूर्ण नेटवर्क के माध्यम से यह प्रथम पादप जीनोम अनुक्रम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु अर्ध-शुष्क उपोष्ण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) हैदराबाद ने अरहर का जिनोमी अनुक्रम प्रारूप प्रकाशित किया है। अरहर जिनोमी अनुक्रमांक कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा, उष्मा और लवगणता के प्रति सहिष्णु और रोगों की प्रतिरोधिता को समझना है। अरहर जिनोमी में कुल 47004 प्रोटीन कोडिंग जीनों की पहचान की गई है जिनमें से 1213 जीनों को रोग प्रतिरोधी और 152 जीनों को सूखा, उष्मा और लवणता के प्रति सहिष्णु पाया गया है। मार्करों की बड़ी संख्या में पहचान हेतु जिनोमी अनुक्रमांक का भी उपयोग किया गया जोकि अरहर में प्रजनन सहायता के लिए आण्विक मार्कर हेतु उपयोगी होंगे।

(ग) अरहर के जिनोम की डिकोडिंग अरहर किस्मों के सुधार में महत्वपूर्ण सहायता करेगी। जीनोम में जीनों के स्थान की जानकारी सस्य विज्ञान विशेताओं जैसे कि पैदावार, रोग और कीट प्रतिरोधिता, उच्च आर्द्रता सहिष्णु और अरहर की संकर/सुधरी किस्मों के प्रजनन के साथ सहयोजित जीनों का तेजी से पता लगाने में सहायता करेगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

4192. **श्री अब्दुल रहमान:**
श्री डी. बी. चन्द्रे गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के परिचालन और समुद्री मत्स्यन क्षमता की पुनर्वैधता के लिए विशेषज्ञ पैनल के दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ समूह की स्थापना/नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त समूह/विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट या सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समूह की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार ने समुद्री संसाधनों के पुनर्वैधीकरण के लिए विशेषज्ञ दल तथा दूसरी बातों के अलावा गहरे समुद्र में मात्स्यिकी जलयानों के संचालन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक उप समिति नियुक्त की है।

(ग) से (ङ) उप समिति ने अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप दी है जबकि विशेषज्ञ दल को अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को सौंपनी है। उप समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से पहले उन्हें समुद्री मात्स्यिकी संबंधी अंतर मंत्रालीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्षा रखा जाएगा।

लोक कलाकारों के लिए फैलोशिप

4193. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रसिद्ध लोक कलाकारों को अध्येतावृत्ति दिए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित वर्तमान वर्ष के दौरान दी गई अध्येतावृत्ति के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों सहित महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक कलाकारों को अध्येतावृत्ति देने के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(च) इसे कब तक दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां। "संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति की स्कीम" के तहत उत्कृष्ट कलाकरों को वरिष्ठ व कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान दी गई वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। ऐसे अनुरोध निम्नलिखित लोक कलाकारों के संबंध में प्राप्त हुए थे:

1. श्री चन्द्रा अचर, पुत्र श्री महाबला अचर, हिलियाना, तालुक व जिला, उडूपी, कर्नाटक; तथा
2. श्री अनंत राव विठल राव मंगनाले, मंजरम, तालुक: नईगांव, जिला नांदेड, महाराष्ट्र

(ङ) जबकि श्री चन्द्रा अचर को वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए श्री अनंत राव विठल राव मंगनाले के नाम पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि श्री अय्यर अध्येतावृत्ति नहीं बल्कि मासिक पारिश्रमिक मांग रहे थे और वे अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में नहीं थे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2010-11 के लिए अध्येतावृत्ति (चालू वर्ष में प्रदत्त)

(क) कनिष्ठ अध्येतावृत्ति

क्र.सं.	नाम	उप क्षेत्र
1	2	3
1.	श्री मनोज लीला भट्ट	लोक रंगमंच
2.	श्री संदीप कुमार	लोक रंगमंच
3.	श्रीमती योगिता तालेकर-महाजन	लोक रंगमंच
4.	श्री रवि कुमार चौदरा पल्ली	लोक रंगमंच
5.	श्री वालेकर गहीनीनाथ नारायण	लोक रंगमंच
6.	श्री अनिल कुमार	लोक रंगमंच
7.	श्री संत कुमार	लोक रंगमंच
8.	श्री फतिक मिडया	लोक रंगमंच
9.	श्री अनूप त्रिवेदी	लोक रंगमंच
10.	श्री पंकज दूबे	लोक रंगमंच
11.	श्री राकेश कुमार	लोक रंगमंच
12.	श्री विश्वनाथ	लोक रंगमंच
13.	श्री असिमकुमार नाथ	लोक रंगमंच
14.	श्री मनीष यादव	लोक नृत्य

1	2	3
15.	श्री अनिल कुमार राउत	लोक नृत्य
16.	श्री अरविंद कुमार यादव	लोक नृत्य
17.	श्री मोहित कुमार स्वाइन	लोक नृत्य
18.	श्री आलोक कुमार	लोक नृत्य
19.	श्री शारद सिंह	लोक संगीत
20.	श्री अभिषेक पांडेय	लोक संगीत
21.	श्री राजेश चौरसिया	लोक संगीत
22.	डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर	लोक संगीत
23.	श्रीमती बेनाजीर सुल्ताना	लोक संगीत
24.	श्री कुलदीप श्रीवास्तव	लोक गीत
25.	श्री एल. सोमाशेखर	कठपुतली
26.	श्री वेंकटेश बी. एस.	कठपुतली
27.	श्री एम. जम्मिी चीशी	कठपुतली
28.	श्रीमती एम. पुष्पलता	कठपुतली
29.	श्री अरिबम देववर्त शर्मा	स्वांग
30.	श्री चौधुरी बिभर	लोक अन्य
31.	श्री सनोश एम.	लोक अन्य
32.	श्री शैलेष गौतम	लोक अन्य
(ख) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति		
1.	श्री मगुनी चरन कुनर	कठपुतली
2.	श्री खगेश्वर साहू	कठपुतली
3.	श्रीमती माधवी लता गांजी	कठपुतली
4.	श्री गोपी कृष्ण बेहेरा	लोक नृत्य
5.	डॉ. टी. सोमासुन्दरम	लोक नृत्य
6.	सुधीर तिवारी	लोक नृत्य
7.	श्री मनराज दुलीचंद पटेल	लोक नृत्य

1	2	3
8.	श्री रामाहरि पाधी	लोक नृत्य
9.	श्री संजीव सुवर्णा	लोक नृत्य
10.	श्री कुरिची नादेशन	लोक नृत्य
11.	श्री जलाधर प्रधान	लोक गीत
12.	श्री सुमेर चंद शर्मा	लोक गीत
13.	श्री अक्षयवीर नाथ श्रीवास्तव	लोक गीत
14.	श्री प्रणीण कुमार सैकिया	लोक गीत
15.	श्रीमती लता खपरदे	लोक गीत
16.	श्रीमती उमा दीक्षित	लोक गीत
17.	श्री कैलाश चंद्र बेहेरा	लोक गीत
18.	श्री शिव सागर शुक्ला	लोक गीत
19.	श्रीमती बेबी भूयान	लोक गीत
20.	श्री ओम प्रकाश किशोरीलाल शिव	लोक गीत
21.	श्रीमती सीमा वर्मा	लोक गीत
22.	श्री ललन सिंह गहमरी	लोक गीत
23.	श्री धर्मेन्द कुमार	लोक संगीत
24.	श्री संगीत अलंकार अभय कुमार पांडा	लोक संगीत
25.	श्री राजकुमार रायकुंवर	लोक रंगमंच
26.	श्री चैतन्य मलिक	लोक रंगमंच
27.	श्री आशीष कुमार घोष	लोक रंगमंच
28.	श्री समीर मित्रा	लोक रंगमंच
29.	श्री रवि झंकल	लोक रंगमंच
30.	श्री इनामुद्दीन अहमद	लोक रंगमंच
31.	श्री राधाकृष्णा उराला	लोक रंगमंच
32.	श्री राम लोचन विश्वकर्मा	लोक रंगमंच
33.	श्री अनंत प्रभाकर विश्वकर्मा	लोक रंगमंच

1	2	3
34.	श्री रबि शंकर रथ	लोक रंगमंच
35.	ौ दिलीप कुमार नाथ	लोक रंगमंच
36.	श्री ·ंजय बनौधा	लोक रंगमंच
37.	श्री गुरु प्रसाद शर्मा	लोक रंगमंच
38.	श्री चंद्र आचर	लोक रंगमंच
39.	श्री उमेश प्रसाद सिंह मधुकर	लोक रंगमंच
40.	डॉ. अशोक अलवा के.	लोक अन्य
41.	श्री नंदलाल हितैशी	लोक अन्य
42.	सुश्री रोंगसेनला आओ	लोक अन्य
43.	श्री राम शरन वैष्णव	लोक अन्य
44.	श्री संतराम वी. कशालकर	लोक अन्य
45.	श्री अनिल सिद्धार्थ	लोक अन्य

मात्स्यिकी गतिविधियों की मानिटरिंग

4194. श्री एस. आर. जेयदुरई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंडियन ओशियन टुना कमीशन (आईओटीसी) तथा फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) मात्स्यिकी से जुडे कार्यकलाप की सघन निगरानी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफ एस आई को भारतीय मात्स्यिकी पर आईओटीसी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या एफएसआई ने भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र द्वारा आईओटीसी के नियमों के उल्लंघन के बारे में बताया है; और

(ङ) यदि हां, तो एफएसआई द्वारा आईओटीसी समझौते के पुनर्स्थापन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को सरकार द्वारा इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह आईओटीसी के करार तथा प्रस्तावों के अनुसार इंडियन ओसियन ट्यूना कमीशन को आवधिक आंकड़े प्रस्तुत करे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एफएसआई ने आईओटीसी के साथ कोई कार्यकारी समझौता नहीं किया है।

[हिन्दी]

लघु सिंचाई

4195. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में क्या कार्य किए गए तथा इसमें कितनी प्रगति हुई; और

(ख) उक्त योजनावधि में इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय लघु सिंचाई स्कीम के अंतर्गत किसानों के खेतों पर ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली की स्थापना की जा रही है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान नवम्बर 2011 तक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत क्रमश: 4.21 लाख हैक्टेयर और 1.55 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है।

(ख) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान नवम्बर 2011 तक आंध्र प्रदेश को इस स्कीम के अंतर्गत 738.86 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

आईपीसी में संशोधन

4196. श्रीमती रमा देवी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 के संशोधन में अनावश्यक देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरों सहित देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, नहीं। बिहार राज्य विधायिका द्वारा पारित और बिहार के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित दण्ड प्रक्रियासंहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 2011, गृह मंत्रालय में दिनांक 9.6.2011 को प्राप्त हुआ था। विधेयक में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की पहली अनुसूची में धारा 353 के सामने कालम 5 में "गैर जमानती" शब्द के स्थान पर 'जमानती' शब्द प्रतिस्थापित किए जाने की अपेक्षा की गई है। राज्य विधानों की जांच तीन दृष्टिकोणों से की जाती हैं:

(1) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता।

(2) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन, और

(3) विधिक और संवैधानिक वैधता।

जहां कहीं आवश्यक होता है वहां संबंधित राज्य सरकारों को उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। अनुरोध किये जाने पर, राज्य सरकार ने दिनांक 12.10.2011 के पत्र के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम 25) की अद्यतन प्रति उपलब्ध करायी है।

[अनुवाद]

ताजा और प्रसंस्कृत खाद्यों की पैकेजिंग

4197. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ताजा और प्रसंस्कृत खाद्यों की पैकेजिंग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए तथा इस पर कितना व्यय किया गया/किए जाने की संभावना है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्री, उत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ-साथ मूल्यवृद्धि का सृजन करना है। गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

2008-09	-	8.23 करोड़ रुपए
2009-10	-	43.50 करोड़ रुपए
2010-11	-	22.00 करोड़ रुपए

सरकार की अन्य एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनडीसीसी) और राज्य सरकार भी अपनी अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिए सहायता

4198. श्री विष्णु देव साय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऑन फार्म मैनेजमेंट परिचालन में है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे सहित इसके अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) धनराशि किस तरह जारी की गई; और

(घ) राज्यों या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा, राज्यवार उक्त निधियों का उक्त अवधि के दौरान उपयोग के ब्यौरे क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) ऑन फार्म विकास (ओएफडी) जल संसाधन मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के मुख्य घटकों में से एक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत 1224.41 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सीएडीडब्ल्यूएम हेतु निर्मुक्त प्रस्ताव पर अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय में कार्यवाही की जाती है तथा निर्मुक्त हेतु वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है। राज्य सरकारें निर्मुक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय उन्हें निर्मुक्त निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती हैं तथा लेखे के समंजन के बाद आगे के लेखे पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाख रुपए में निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	250	0	41	0	291
3.	असम	595	0	226	0	821
4.	बिहार	0	6095	2669	0	8764
5.	छत्तीसगढ़	0	0	8285	0	8285
6.	गोवा	0	0	81	0	81
7.	गुजरात	0	0	894	0	894
8.	हरियाणा	4411	5451	4767	0	14629
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1293	1432	2250	0	4975
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1500	3170	5342	0	10012

1	2	3	4	5	6	7
13.	केरल	0	0	106	0	106
14.	मध्य प्रदेश	0	590	1000	0	1590
15.	महाराष्ट्र	2624	3405	0	0	6029
16.	मणिपुर	554	939	1200	0	2693
17.	मेघालय	0	4	26	0	30
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	2976	1578	3563	0	8117
21.	पंजाब	6091	0	6000	3000	15091
22.	राजस्थान	4630	2981	0	0	7611
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	4650	1500	0	6150
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	7095	9476	7000	0	23751
27.	उत्तराखण्ड	410	0	0	0	410
28.	पश्चिम बंगाल	0	1600	691	0	2291
	कुल	32429	41370	45640	3000	122441

स्रोत: जल संसाधन मंत्रालय

[अनुवाद]

सीपीएफ की संख्या

4199. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कानून और व्यवस्था की समस्या के मद्देनजर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सीपीएफ) की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) इस समय विशेष रूप से कानून और व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अतिरिक्त बटालियनें मंजूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

टी.पी.डी.एस. की समीक्षा

4200. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के उठान और बिक्री में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में टी.पी.डी.एस. की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरे क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान में कोई गिरावट नहीं आई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2010-11 के दौरान 92 प्रतिशत, 2008-09 और 2009-10 के दौरान 89 प्रतिशत उठान हुआ था जबकि 2007-08 के दौरान 85 प्रतिशत उठान हुआ था।

(ग) से (ङ) भारत सरकार सम्मेलन, समीक्षा बैठकें आयोजित करके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले खाद्यान्नों के उठान सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए आबंटनों के उठान में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु कई अन्य उपाय भी किए गए हैं। खाद्यान्नों के वार्षिक आबंटन वर्ष के आरंभ में किये जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों का उठान करने के लिए 50 दिन का समय दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उठान की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों पर भी शीघ्रता से विचार किया जाता है।

सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यक्तियों पर फिल्में

4201. **श्री दारा सिंह चौहान:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र की विभूतियों पर कोई फिल्म बनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर खर्च की गई राशि का फिल्म-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय के संगठनों द्वारा बनाई गई फिल्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र की विभूतियों पर बनायी गई फिल्मों के ब्यौरे

क्र.सं.	संगठन का नाम	फिल्म का नाम	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	रजा, अकबर पदमसी, रामकुमार और मकबूल फिदा हुसैन पर भारतीय समकालीन कला की जीवन्त किवदंतियां शीर्षक वाली डॉक्यूमेंटरी फिल्म	20,000,000 अर्थात प्रत्येक फिल्म के लिए 5 लाख रुपये
2.	राष्ट्रीय संस्कृति	पद्म विभूषण श्रीमती किशोरी अमोनकर पर फिल्म	1,25,00,000 रुपये की कुल निर्माण-लागत में से 25 लाख रुपये की राशि संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा प्रदान की गई है।
3.	साहित्य अकादमी	1. विजय तेंदुलकर (मराठी-नाटककार) 2. श्री लाल शुक्ल (हिन्दी लेखक) 3. एम.टी. वासुदेवन नायर (मलयालम लेखक)	प्रत्येक फिल्म के लिए 4 लाख रुपये

1	2	3	4
		4. पं. गोविंद झा (मैथिली लेखक)	
		5. भारतेंदु हरिश्चन्द्र (हिन्दी लेखक)	
		6. गुरुदयाल सिंह (पंजाबी लेखक)	
		7. असम के दुर्लभ लोक गीत	
		8. कोविलन (मलयालम लेखक)	
		9. भोला भाई पटेल (गुजराती लेखक)	
		10. बुद्धदेव बोस (बंगाली लेखक)	
		11. रामधारी सिंह दिनकर (हिन्दी लेखक)	
		12. छम्ब क्षेत्र में महिलाओं की सांस्कृतिक विरासत को वर्णित करना	
		13. बोडो लेखक और साहित्य	
		14. के.वी. पुटप्पा (कन्नड़ लेखक)	
		15. गोपीचन्द नारंग (उर्दू समालोचक)	
		16. प्रेमेंद्र मित्रा (बंगाली लेखक)	
		17. जी.एस. सिवारुद्रप्पा (कन्नड कवि और समालोचक)	
		18. मोती प्रकाश (सिंधी लेखक)	
4.	संगीत नाटक अकादमी	1. कत्थक-गुरू, जयपुर घराना गुरू कुंदन लाल गंगानी पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म	6,50,000 रुपये
		2. भूपेन्द्र कुमार हजारिका को श्रद्धांजलि के रूप में वीडियो संकलन।	5200 रुपये
		3. श्री राम निवास मिर्धा पर वीडियो संकलन।	1,64,450 रुपये

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

4202. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के बेस डिपो का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफ.सी.आई. का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में और अधिक बेस डिपो खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इनके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम के पास 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार देश में अपने और किराए के कुल 2042 डिपु हैं। राज्यवार डिपुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। खाद्यान्नों की अधिक खरीदारी होने के कारण और कवर तथा प्लिंथ में भंडारण में कमी लाने के लिए देश और उत्तर प्रदेश में अधिक डिपु खोलने हेतु सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराए के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। राज्यवार आबंटित क्षमताएं विवरण-2 पर दी गई हैं। इसमें से 15.10.2011 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमियों द्वारा 69 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमशः 5.4 और 14.4 लाख टन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से लगभग 4 लाख टन क्षमता केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है।

स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार गोदाम पूरा करने की समय अनुसूची रेलवे साइडिंग से इतर गोदामों के मामले में एक वर्ष तथा रेलवे साइडिंग के गोदामों के लिए दो वर्ष है।

विवरण I

*दिनांक 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध डिपो (अपनी और किराए की/*ढकी और कैप) की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई कैप (खुली) सकल							कैप (खुली)		सकल जोड़	
	भाखानि की अपनी	किराए की					कुल ढकी हुई	अपनी	किराए की	जोड़	
		राज्य	के.भं.नि सरकार	राभं.नि	निजी पार्टियां	कुल किराए की					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	14	1	11	16	10	38	52	7	0	7	59
झारखंड	6	1	3	10	2	16	22	2	0	2	24
ओडिशा	23	0	9	27	1	37	60	0	0	0	60
पश्चिम बंगाल	23	2	9	0	8	19	42	9	0	9	51
सिक्किम	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
पूर्वी अंचल जोड़	67	5	32	53	21	111	178	18	0	18	196
असम	17	0	3	3	10	16	33	0	0	0	33
अरुणाचल प्रदेश	4	8	0	0	0	8	12	0	0	0	12
मेघालय	3	0	1	2	0	3	6	0	0	0	6
मिजोरम	6	1	0	0	0	1	7	0	0	0	7
त्रिपुरा	4	2	1	0	0	3	7	0	0	0	7
मणिपुर	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
नागालैंड	4	0	1	0	0	1	5	0	0	0	5
पूर्वोत्तर अंचल जोड़	41	12	6	5	10	33	74	0	0	0	74
दिल्ली	6	0	0	0	0	0	6	4	0	4	10
हरियाणा	35	37	26	56	8	127	162	28	9	37	199
हिमाचल प्रदेश	6	8	3	0	0	11	17	0	0	0	17
जम्मू और कश्मीर	16	2	0	0	1	3	19	0	0	0	19
पंजाब	107	9	14	93	17	133	240	92	15	107	347
चंडीगढ़	9	2	6	7	0	15	24	9	2	11	35
राजस्थान	36	2	223	69	16	110	146	2	23	43	189
उत्तर प्रदेश	52	2	25	126	5	158	21	33	15	48	258
उत्तराखंड	5	3	4	7	2	16	21	1	2	3	24
उत्तर अंचल जोड़	272	65	101	358	49	573	845	187	66	253	1098
आंध्र प्रदेश	34	10	41	131	6	188	222	17	0	17	239
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0		0	0	0	1	0	0	0	1
केरल	23		0	0	0	0	23	5	0	5	28
कर्नाटक	21	0	19	32	1	52	73	9	0	9	82
तमिलनाडु	11	0	11	7	3	21	32	4	0	4	36
पुडुचेरी	4	0	1	2	0	3	7	3	0	3	10
दक्षिण अंचल जोड़	94	10	72	172	10	264	358	38	0	38	396
गुजरात	15	2	11	1	3	17	32	5	1	6	38
महाराष्ट्र	18	0	16	30	12	58	76	5	1	6	82
गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
मध्य प्रदेश	23	5	12	21	37	75	98	6	0	6	104
छत्तीसगढ़	19	2	6	23	3	34	53	0	0	0	53
पश्चिम अंचल जोड़	76	9	45	75	55	184	260	16	2	18	278
सकल जोड़	550	101	256	663	145	1165	1715	259	68	327	2042

विवरण II

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	एजेंसी	कुल अनुमोदित क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	451,000
2.	बिहार	300,000
3.	छत्तीसगढ़ (डीसीपी)	222,000
4.	गुजरात	80,000
5.	हरियाणा	3,880,000
6.	हिमाचल प्रदेश	142,550
7.	जम्मू और कश्मीर	361,690
8.	झारखंड	175,000
9.	कर्नाटक	416,500
10.	मध्य प्रदेश (डीसीपी)	360,000
11.	केरल	15,000
12.	महाराष्ट्र	655,500
13.	ओडिशा (डीसीपी)	300,000
14.	पंजाब	5,125,000
15.	राजस्थान	250,000
16.	तमिलनाडु	345,000
17.	उत्तराखंड	25,000
18.	उत्तर प्रदेश	1,860,000
19.	पश्चिम बंगाल (डीसीपी)	156,600
	जोड़	15,120,840

[अनुवाद]

केरल से प्रस्ताव

4203. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं सहित टैगोर थियेटरों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार राज्य सरकार को रविन्द्रनाथ टैगोर की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों/आयोजनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ठेकेदारों को भुगतान

4204. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में खाद्यान्नों की लदाई और ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा ठेके दिये गये थे और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ ठेकेदारों को निर्धारित अथवा ठेके की राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या उपर्युक्त भुगतानों के संबंध में लेखापरीक्षकों ने आपत्तियां प्रकट की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपेक्षाओं के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारतीय खाद्य निगम

ने गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के खाद्यान्नों के उठान तथा ढुलाई के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विभिन्न ठेकेदारों को 21 ठेके लिए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाजारों का पुनरुद्धार

4205. **श्री एस. एस. रामासुब्बू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) क्षेत्रों में बाजारों के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु अनुदान में दी गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं अपनी निर्धारित तिथियों पर पूरी नहीं हो पाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या एन डी एम सी ने चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो लागत वृद्धि के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी लम्बित परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) 4 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि ऐसी कोई भी परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, ये प्रश्न ही नहीं उठते।

निरुद्ध शिविरों में विदेशी

4206. **श्री बदरुद्दीन अजमल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में निरुद्ध शिविरों में विदेशियों की स्थिति क्या है और किन कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत इन शिविरों की स्थापना की गई है;

(ख) इन बंदियों के उपचारों और स्थिति के संबंध में क्या कोई मैनुअल/दिशानिर्देश विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) घोषित विदेशियों/अवैध अप्रवासियों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजे जाने तक उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा (3(2) (ङ) और विदेशी विषयक आदेश 1948 के पैरा 11(2) के प्रावधानों के तहत असम राज्य में निरोध केन्द्र स्थापित किए गए हैं। असम में निरोध केन्द्रों में रह रहे घोषित विदेशियों/अवैध आप्रवासियों का नियंत्रण असम जेल मैनुअल के तहत जेल में बंद कैदियों पर लागू मानदंडों द्वारा किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कैदियों के लिए कैम्पस प्लेसमेंट

4207. **श्री बलीराम जाधव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के लिए कैम्पस प्लेसमेंट स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनियों द्वारा चयनित कैदियों को छोड़ दिया जाता है या उन्हें तिहाड़ जेल से ही कम्पनी के लिए कार्य करने की अनुमति दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश की अन्य जेलों में कैदियों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) तिहाड़ जेल नं. 2 और 3 में कैम्पस प्लेसमेंट के तीन अभियान चलाये गए थे जिनमें 195 कैदियों को, निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न कॉरपोरेट घरानों द्वारा रोजगार का प्रस्ताव किया गया था:

क्र.सं.	प्लेसमेंट जेल और तारीख	चयनित कैदियों की संख्या
1.	जेल नं. 3-25.2.2011	43
2.	जेल नं. 2-27.7.2011	52
3.	जेल नं. 3-15.11.2011	100

(ग) और (घ) कोई कैदी, जिसे कैम्पस प्लेसमेंट के दौरान रोजगार का प्रस्ताव किया गया हो, जेल से अपनी रिहाई के बाद ही नौकरी शुरू कर सकता है। जेल विभाग, केवल ऐसे कैदियों, जिनका जेल के भीतर अच्छे व्यवहार का बेदाग रिकार्ड रहा हो, अपेक्षित शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता धारक हों और इसके अतिरिक्त, जिनकी सजा/न्यायिक हिरासत एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की संभावना हो, को ही चयनित सूची (शार्टलिस्ट) में रखता है।

(ङ) और (च) चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 के अंतर्गत कारागार राज्य का विषय है, इसलिए कारागार प्रशासन राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत फलों की उपलब्धता

4208. श्री एल. राजगोपाल:
श्री खगेन दास:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक वर्ष उपलब्ध फलों की उत्पादकता की तुलना फलों की अनुमानित मात्रा कितनी है।

(ख) प्रसंस्कृत फलों के उत्पाद के मामले में वैश्विक बाजार में देश का क्या स्थान है;

(ग) प्रसंस्कृत फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(घ) प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों को आम जनता को पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ते दर पर उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भिन्न-भिन्न देशों में उपलब्ध फलों के उत्पादन की तुलना में भारत और विश्व में अन्य देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मात्रा संबंधी आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखता है।

(ग) और (घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनाजिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी), जैसी गुणवत्ता प्रणलियों के कार्यान्वयन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिककीरण योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपये अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप एवं आईटीडीपी क्षेत्रों में 33. 33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नए राज्यों का गठन

4209. डॉ. क्रुपारनी किल्ली:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वर्गों से नए राज्यों के गठन हेतु पुनर्गठन समितियों/आयोगों के गठन का सुझाव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मामले को विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य अंशधारकों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेलंगाना सहित नये राज्यों का गठन कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) किसी नए राज्य के गठन के व्यापक परिणाम होते हैं और इसका देश की संघीय राज्यव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस मामले में भारत सरकार तभी कार्रवाई करती है जब मूल राज्य में इस बात पर आम सहमति हो कि एक नए राज्य का गठन करने के लिए उसके एक भाग को अलग किया जा सकता है। सरकार नए राज्यों के गठन के मामले पर निर्णय सभी प्रासंगिक बातों पर विचार करने के उपरान्त लेती हैं। सरकार द्वारा कार्रवाई अनुभूत आवश्यकता और आम सहमति पर निर्भर करेगी।

आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिमान

4210. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एन आइ. ए.) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी. आई.) और आसूचना ब्यूरो (आई. बी.) के कार्यकरण कुछ हद तक समान हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त एजेंसियों के सुचारु कार्यकरण हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने देश भर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार संदेहास्पद व्यक्तियों से पूछताछ के उद्देश्य से आतंकवाद के वित्तोपाषण के संबंध में एक प्रतिमान तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (ख) केन्द्रीय आसूचना एजेन्सी के साथ परामर्श करके एन आई ए द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित प्रतिमान (टी एफ टी) तैयार किया गया था। यह प्रतिमान व्यापक है और ऐसी जानकारी रखता है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के स्त्रोतों का पता लगाने में सहायक होगा। इस प्रतिमान को आतंकवादियों/आतंकवाद के संदिग्ध स्रोतों के आंकड़ें हासिल करने हेतु अपनाए जाने के लिए सभी राज्यो एवं संघराज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या में कमी

4211. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कश्मीर घाटी में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) राज्य में शांति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) कश्मीर घाटी में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (जिन्हें अब केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के रूप में जाना जाता है की तैनाती निरन्तर आकलन एवं समीक्षा का विषय है। बल के स्तर को कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि सीपीएमएफ की तैनाती को क्रमबद्ध तरीके से घटाया जाए ताकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य बल पर अधिक से अधिक जिम्मेवारी सौंपी जा सके। जम्मू एवं कश्मीर में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल की क्षमता में समस्त समायोजन और सभी पहलुओं, दृष्टिकोण और स्थलगत परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किये जाते हैं। कश्मीर घाटी में बल का स्तर राज्य सरकार के साथ गहन परामर्श करके बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बल अधिनियम

4212. श्री जे. एम. आरुन रशीद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम तथा ऐसे अन्य कानूनों पर, जिनके बारे में जम्मू और कश्मीर तथा असम में हुई मुठभेडों में सुरक्षा बलों द्वारा व्यक्तियों को मारने के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं, अपना दृष्टिकोण तय करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम तथा अन्य ऐसे कानूनों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम में इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा का प्रावधान है अर्थात् "इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किए गए अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अभियोजन/वाद अथवा अन्य विधिक कार्रवाई आरम्भ नहीं की जाएगी।"

टेलीविजन केंद्रों का कार्यकरण

4213. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा के सोरो में स्थित टेलीविजन केंद्र सहित वहां के समस्त टेलीविजन केंद्र समुचित तरीके से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो जो टीवी केंद्र समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त केंद्रों को पूर्णत: कार्यशील बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (ग) दूरदर्शन का सोरो में कोई टीवी केंद्र नहीं है। उसे बालेश्वर स्थित उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर से दूरदर्शन की कवरेज प्राप्त होती है।

ओडिशा में स्थित सभी टीवी केंद्र (ट्रांसमीटर) इस समय समुचित रूप से कार्यशील हैं। जब कभी प्राप्त होने वाली शिकायतों का मुस्तैदी से निदान करने के लिए दूरदर्शन द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों, जोकि स्वचालित अधिष्ठापन होते हैं, के मामले में शिकायतों का निदान करने में कुछ समय लगता है क्योंकि अनुरक्षण स्टाफ को निर्दिष्ट रख-रखाव केंद्रों से भेजा जाना होता है।

गोविंदगढ़ किले के लिए वित्तीय सहायता

4214. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को अमृतसर स्थित गोविंदगढ़ किले में मरम्मत तथा पुन: नवीकरण कार्य हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में पंजाब सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। अमृतसर में गोविंदगढ़ किले की मरम्मत और नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पंजाब राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संदर्भाधीन किला केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत असंरक्षित स्मारक के लिए ऐसा अनुदान दिया जाए।

[हिन्दी]

सरदार पटेल का राष्ट्रीय स्मारक स्थल

4215. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल का कोई स्मारक-स्थल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा कोई स्मारक-स्थल बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उक्त-स्मारक-स्थलों को कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय राजधानी में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर कोई स्मारक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से कोई स्मारक स्थापित करने का ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

साक्षी संरक्षण कार्यक्रम

4216. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने सरकार से साक्षी संरक्षण के अंतर्गत एक व्यापक विधान बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मार्गनिदेशों के आधार पर विभिन्न अभियोजन न्यायालयों के निदेशों के अनुसार, साक्षी संरक्षण कार्यक्रम पर अमल कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने साक्षी संरक्षण कार्यक्रम पर आने वाली अंतिम लागत का अनुमान लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने एन एच आर सी बनाम गुजरात राज्य: 2003(9) स्केल 329, पी यू सी एल बनाम भारत संघ: 2003(10) स्केल 967, जाहिरा बनाम गुजरात राज्य: 2004(4) एस सी सी 158, साक्षी बनाम भारत संघ: 2004(6) स्केल 15 तथा जाहिरा बनाम गुजरात: 2006(3) स्केल 104 के कई निर्णयों में 'साक्षी पहचान संरक्षण' तथा 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' के प्रश्नों का हवाला दिया है। साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्षी संरक्षण विधान की आवश्यकता पर बल दिया है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर भारतीय विधि आयोग ने मामले की स्वत: जांच की और 'साक्षी पहचान संरक्षण तथा साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' पर अपनी 198वीं रिपोर्ट में साक्षी पहचान संरक्षण एवं साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों हेतु विस्तृत रुपरेखा की सिफारिश की। चूंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, इसलिए इस पर राज्य क्षेत्र प्रशासनों से विचार-विमर्श की आवश्यकता है। अत: विधि आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास उनकी टिप्पणियों/विचारों के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डोपिंग हेतु विनियामक निकाय

4217. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शक्तिवर्धन के लिए दवाओं के प्रयोग (डोपिंग) की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु कोई विनियामक निकाय बनाया गया है/बनाने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यकरण तथा प्रदत्त शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) भारत सरकार द्वारा स्थापित की जा चुकी है और 1.1.2009 से क्रियान्वित है।

(ख) यह एजेंसी खेलों में डोपिंग से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ जानकारी के विपथन, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा सहयोगी सहायकों को सेशन/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से डोपिंग के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करती है तथा प्रतियोगिताओं में खेलने वाले तथा न खेलने वाले एथलीट पर डोपिंग परीक्षण करती है।

(ग) विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के डोपिंग रोधी नियमों अनुरूप दो स्वतंत्र पैनल (डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल तथा डोपिंग रोधी अपील पैनल) गठित किये गये हैं, जो 1.1.2009 से कार्यरत हैं। ये पैनल डोप परीक्षण में असफल तथा डोपिंग रोधी

नियमों का उल्लंघन करने वाले एथलीट की सुनवाई करते हैं, पक्षपातरहित सुनवाई के पश्चात ये पैनल एथलीट पर नाडा के डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत जुर्माना लगाते हैं। खिलाड़ियों को दवा के प्रयोग में छूट देने हेतु चिकित्सा प्रयोगी प्रयोग छूट समिति भी गठित की गई है।

[अनुवाद]

बलात्कार पीड़ितों को परामर्श

4218. श्री वरुण गांधी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कार पीड़ितों हेतु देश के सभी पुलिस स्टेशनों में एक परामर्शदाता का होना अनिर्वाय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुलिस स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिनमें बलात्कार पीड़ितों हेतु परामर्शदाता उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारकारी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत परामर्शी-पत्र परिचालित किया था जिसमें उक्त परामर्शी पत्र के बिन्दु संख्या XV XVI, XVII, XVIII और XIX विशेषतौर पर बलात्कार के अपराध से संबंधित हैं, जिनमें यह सलाह दी गई है कि राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों को बलात्कार के पीड़ितों का, उनकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करने से लेकर विधि-विज्ञान संबंधी जांच करवाने तथा काउंसलिंग, विधिक सहायता और पुनर्वास सहित हर-संभव सहायता मुहैया कराने तक साथ देना चाहिए। विशिष्ट रूप से इन पीड़ितों के साथ महिला कार्मिक होने चाहिए ताकि बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को किसी हद तक कुछ तसल्ली हो सके।

संविधान के तहत सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकृत करने, जांच करने और अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

महिलाओं संबंधी उपर्युक्त परामर्शी-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा में दोषी पाए गए व्यक्तियों को द्रुत एवं प्रभावकारी दण्ड हेतु उपयुक्त उपाय करने, जांच की गुणवत्ता को सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को कम करने, जिलों में, 'महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों' की स्थापना करने, पुलिस कर्मियों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालय तथा कॉल सेंटरों में रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठों' की स्थापना कर ली है। कुछ राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने जिला स्तर पर 'समस्त महिल पुलिस थानों' तथा पुलिस थाना स्तर पर "महिला/बाल सहायत डेस्क' की थी स्थापना कर ली है।

कपास की खरीद

4219. श्री संजय निरुपम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन परिसंघ लिमिटेड (एमएससीजीएमएफएल) जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) के उप-अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, की ओर से महाराष्ट्र में वर्ष 2008-09 के कपास मौसम के दौरान 'नेफेड' द्वारा की गई खरीद की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'नेफेड' को सरकार की ओर से महाराष्ट्र में कपास की खरीद के एवज में एमएसीसीजीएपएफएल को अभी 1029 करोड़ रु. का भुगतान करना शेष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष धनराशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कद्म उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य में (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि नेफेड द्वार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ मर्यादित (एमएससीजीएमएफएल) को 171.76 करोड़ रु. प्रेदय है। नेफेड मूल्य समर्थन स्कीम के अन्तर्गत तिलहन, दलहन और कपास की अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय शीर्ष एजेन्सी होने के नाते सूचित किया है कि इसमें वर्ष 2008-09 मौसमों हेतु मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास को अधिप्राप्ति हेतु एमएससीजएमएफएल, को राज्य स्तरीय एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। एमएससीजीएमएफएल ने वर्ष 2008-09 के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में 4695.31 करोड़ रु. मूल्य की 167.93 लाख क्विंटल की मात्रा खरीद की है। नेफेड ने

4303.26 करोड़ रुपए के दावे के मुकाबले 4131.41 करोड़ रुपए पहले की निर्मुक्त कर चुका है सरकार नियमित आधार पर पीएसएस कार्यों का मॉनिटरन करती है तथा मूल्य समर्थन स्कीम प्रतिमानों के अनुसार एमएससी के दावे के निपटान के लिए नेफेड को सलाह दी है।

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. की भूमि पर अतिक्रमण

4220. श्री तूफानी सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) के स्वामित्वाधीन कुल कितनी भूमि है;

(ख) क्या इस संस्थान के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) यदि हां, तो अतिक्रमणकारियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया है; और

(घ) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा नई दिल्ली के तहत कुल 1199.32 एकड़ क्षेत्र है।

(ख) जी, हां।

(ग) 2.02 एकड़ भूमि पर झुग्गी-झोंपड़ी वालों द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा 3.20 एकड़ भूमि पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस तथा कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पीपी अधिनियम, 1971 के तहत झुग्गी-झोपड़ी वालों द्वारा अतिक्रमण की हुई भूमि को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है और सरकारी विभागों को क्षेत्र खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।

प्रसार भारती में कर्मचारियों की संख्या

4221. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती में इस समय विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/कर्मचारियों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती में बड़े पैमाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर बुलाया जा रहा है और वह प्रतिनियुक्ति पर ही अधिक निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया; और

(च) प्रसार भारती के प्रभावी कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बंगाल शरणार्थियों की समस्याएं

4222. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाली हिन्दू शरणार्थियों को देश में काफी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत में रह रहे बांग्लादेश मूल के बंगाली हिंदुओं द्वारा देश में कष्ट झेलने के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साइबर अपराध

4223. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया और कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत पंजीकृत किए गए साइबर अपराध के मामलों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) से (घ) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और इसलिए साइबर अपराधों सहित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कानून प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अभियुक्त अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए भी राज्य सरकारें प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार साइबर अपराधों सहित अपराध के बारे में काफी चिंतित है और इसी कारणवश, राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रहती है कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करें और अपराध की रोकथाम के लिए समस्त आवश्यक उपाय करें। सरकार ने समस्त राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 16 जुलाई 2010 को अपराध की रोकथाम पर एक व्यापक सलाह जारी की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार सलाह दी गई है:

(1) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन साइबर अपराध से निपटने के लिए उपयुक्त तकनीकी क्षमता का निर्माण करें (जिसमें कम्प्यूटर या तो एक टूल हो या एक लक्ष्य हो या दोनों ही हो)। वे पर्याप्त संख्या में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना सहित आवश्यक तकनीकी अवसंरचना का सृजन करें और साइबर अपराधों का पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने तथा अभियोजन के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की तैनाती करें।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध-रोधी मिशनों की स्थापना करें जो कम्प्यूटर भेदियों, धोखाधड़ियों, विद्वेषपूर्ण कोड के फैलाव इत्यादि के पीछे छुपे लोगों को रोक सके; ऑनलाइन यौन उत्पीड़कों, जो बच्चों को शोषण करने और बाल अश्लील साहित्य तैयार करने, हासिल करने अथवा उसका आदान-प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, का पता लगाए और उनको निष्फल कर दें; ऐसी कार्रवाइयों का प्रत्युत्तर दें जो बौद्धिक सम्पदा को लक्ष्य बनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करे तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए और इंटरनेट पर अपराधों/धोखाधड़ियों में संलिप्त राष्ट्रीय एवं राष्ट्रेतर संगठित आपराधिक कृत्यों को विफल कर दे।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को दिनांक 27.10.2009 को लागू किया गया है। संशोधित अधिनियम में समस्त विद्यमान साइबर अपराधों से संबद्ध मुद्दों का समाधान करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे का प्रावधान है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान आईटी एक्ट तथा आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत पंजीकृत मामलों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटी एक्ट (मामले)			आईटी एक्ट (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति)			आईपीसी की धाराएं (मामले)			आईपीसी की धाराएं (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	25	30	105	5	8	81	78	8	66	105	4	126
अरुणाचल प्रदेश	0	1	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	1	2	18	0	0	4	1	2	0	0	0	0
बिहार	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	4	4	1	7	7	19	46	46	24	44	44
गोवा	6	8	15	2	3	2	0	4	1	0	1	0
गुजरात	17	20	35	19	11	45	16	16	20	2	25	18
हरियाणा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	6	6	17	3	5	20	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	57	97	153	6	21	95	0	0	23	0	0	22
केरल	65	64	148	32	47	105	2	7	8	0	0	4
मध्य प्रदेश	9	16	30	8	24	49	2	1	5	0	2	10
महाराष्ट्र	37	53	142	58	78	143	2	108	104	2	89	64
मणिपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	3	2	7	3	1	24	12	11	5	15	12	3
पंजाब	11	28	41	11	17	34	36	28	27	45	48	42
राजस्थान	4	27	52	1	20	35	0	1	3	0	2	3
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	21	18	52	6	11	44	4	19	25	0	5	17
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	14	32	4	24	64	0	3	9	0	7	24
उत्तराखंड	2	7	10	2	4	11	0	0	1	0	0	3
पश्चिम बंगाल	0	13	49	0	2	3	2	10	11	1	21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल राज्य	267	411	922	161	284	772	174	264	356	194	260	394
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	8	4	3	9	2	2	1	0	0	1	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली संघ शासित	12	5	41	7	2	25	0	12	0	0	3	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल संघ शासित	21	9	44	17	4	27	2	12	0	1	3	0
कुल अखिल भारत	288	420	966	178	288	799	176	276	356	195	263	394

स्रोत: अपराध में अपराध

वर्ष 2008-2010 की अवधि के लिए साइबर अपराध (आईटी एक्ट + आईपीसी) के तहत कुल पंजीकृत मामले तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत मामले			गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	103	38	171	110	12	207
अरुणाचल प्रदेश	0	1	3	0	1	2
असम	2	4	18	0	0	4
बिहार	0	0	2	0	0	2
छत्तीसगढ़	20	50	50	25	51	51
गोवा	6	12	16	2	4	2
गुजरात	33	36	55	21	36	63
हरियाणा	0	0	1	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	6	6	17	3	5	20

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	0	0	6	0	0	2
झारखंड	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	57	97	176	6	21	117
केरल	67	71	156	32	47	109
मध्य प्रदेश	11	17	35	8	26	59
महाराष्ट्र	39	161	246	60	167	207
मणिपुर	0	1	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	2	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	15	1	12	18	13	27
पंजाब	47	56	68	56	65	76
राजस्थान	4	28	55	1	22	38
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	25	37	77	6	16	61
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	17	41	4	31	88
उत्तराखंड	2	7	11	2	4	14
पश्चिम बंगाल	2	23	60	1	23	17
कुल राज्य	441	675	1278	355	544	1166
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	9	4	3	10	2	2
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली संघ शासित	12	17	41	7	5	25
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
पुडुचेरी	1	0	0	1	0	0
कुल संघ शासित	23	21	44	18	7	27
कुल अखिल भारत	464	696	1322	373	551	1193

[अनुवाद]

पुस्तकालयों द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन

4224. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्री डी.बी. चंद्रे गौडाः
श्री रुद्रमाधव रायः

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एम. एल) के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त एन.एम.एम.एल पुस्तकालय सहित अन्य पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों के क्रय के लिए विनिर्धारित के उल्लंघन की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के विभिन्न पुस्तकालयों में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) सोसाइटी के संगम ज्ञापन में यथा निर्दिष्ट एनएमएमएल के लक्ष्य और उद्देश्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) एनएमएमएल में पुस्तकों की खरीद संबंधी स्थापित मानदंडों के उल्लंघन के कुछ आरोप प्रकाश में आए हैं। इन आरोपों की छानबीन के लिए एक जांच बैठाई जा रही है (पुस्तकों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है) जहां तक अन्य पुस्तकालयों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

सोसाइटी की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई है, वे इस प्रकार हैं:-

(क) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय से नेहरु स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के प्रशासन एवं प्रबंधन का इसकी किसी भी प्रकृति की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित, दायित्व लेना और उक्त संग्रहालय तथा पुस्तकालय की स्थापना करना तथा इसे जवाहरलाल नेहरु के व्यक्तित्व! पर्सोनालिया! स्मरणीय तथ्यों! मेमोराबीलिया स्मृति चिन्हों! ममेंटोज! और उनके जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता बशर्ते कि तीन मूर्ति भवन एवं उससे संबद्ध संपद के स्वामित्व एवं अनुरक्षण का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास हों।

(ख) जवाहरलाल नेहरु के जीवन एवं कार्यो से संबंधित वैयक्तिक कागजातों एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों को अर्जित करना, उनका अनुरक्षण एवं परिक्षण करना।

(ग) नेहरु के परिवार, निकटस्थ मित्रों, सहकर्मियों उनसे जुड़े व्यक्तियों और उनके प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों के कागजातों को प्राप्त करना तथा जिन संगठनों, एसोसिएशनों एवं सोसाइटियों से नेहरु का घनिष्ठ संबंध रहा, उनके रिकार्डो का अनुरक्षण एवं परिरक्षण करना।

(घ) आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी नेताओं एवं अन्य प्रतिष्ठित भारतीयों, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है, के कागजातों को अर्जित कर उनका अनुरक्षण एवं परिरक्षण करना।

(ङ) भारत एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर संग्रहालय के संग्रहों की प्रदर्शनी लगाने की व्यवस्था करना।

(च) सोसाइटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारत और विदेशों की उन संस्थाओं को सहयोग देना जो इसी प्रकार की गतिविधियों से जुटे हुए है।

(छ) आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, विशेषत: स्वतंत्रता आंदोलन से संदर्भित पुस्तकों, पैम्प्लैटों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, माइक्रोफिल्मों स्टिल फोटोग्राफों, चल-चित्रों, ध्वनि रिकार्डिंग व अन्य सामग्रियों का पुस्तकालय स्थापित करना तथा संरक्षण करना।

(ज) जनता को उपयुक्त स्थान पर गंभीर अध्ययन एवं शोध कार्यो हेतु संग्रहित कागजात एवं पुस्तकालय के संसाधनों के उपलब्ध कराना।

(झ) आधुनिक भारतीय इतिहास के क्षेत्र में विशेषत: भारतीय राष्ट्रीयता तथा जवाहर लाल नेहरु के जीवन कार्यो से संबंधित अध्ययन एवं शोध कार्यो को आयोजित एवं संचालित करना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना।

(ञ) आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु भारत एवं विदेश में व्याख्यान, सेमिनार, परिसंवाद, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(ट) संग्रहालय एवं पुस्तकालय में किए गए अध्ययनों एवं शोधों के परिणामों को पुस्तकों, मोनोग्राफों, आवधिक पत्रिकाओं एवं पत्रों में समाविष्ट करते हुए उनके प्रकाशन कार्य का दायित्व लेना और उसे बढ़ावा देना।

(ठ) शेक्षणिक सम्पर्को को अन्य देशों के साथ-साथ भारत के अन्दर, कार्मिकों के और शोध सामग्रियों के आदार-प्रदान द्वारा विकसित करना।

(ड) नियमों और उपनियमों के अनुसार, अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां एवं आर्थिक सहायताएं प्रारम्भ करना तथा प्रदान करना।

(ढ) उपर्युक्त प्रयोजनों में से सभी अथवा किसी भी एक प्रयोजन की पूर्ति हेतु ऐसी सभी गतिविधियों का दायित्व लेना जो प्रसंगानुकूल आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो।

(ii) प्रशासनिक, सचिवालयी, तकनीकी, शोध संबंधी तथा अन्य ऐसे पदों का आवश्यकतानुसार सृजन तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार नियुक्तियां करना बशर्ते कि जिन पदों की अधिकतम मासिक परिलब्धियों 2000 रुपए से अधिक होगी, वे केवल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर ही सृजित की तथा भरी जाएगीं।

(iii) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन पर संग्रहालय तथा पुस्तकालय और सोसाइटी के कार्यव्यापार के संचालन हेतु नियम, विनियम एवं उपनियम बनाना और समय-समय पर उनमें अभिवृद्धि, संशोधन, परिवर्तन करना या उन्हे रद्द करना।

(iv) सरकार, नियमों, न्यासों अथवा किन्हीं व्यक्तियों से सोसाइटी के प्रयोजनार्थ अनुदान, चन्दा, दान, उपहार, वसीयतें प्राप्त करना अथवा स्वीकार करना।

(v) एक निधि स्थापित करना जिसमें निम्नलिखित क्रेडित किए जाएंगे:-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी निधियां।

(ख) सोसाइटी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क व प्रभार।

(ग) सोसाइटी द्वारा, अनुदान, उपहार, दान, उपहार स्वरुप दान, वसीयत अथवा हस्तांतरणों के रूप में प्राप्त की गई सभी राशियों।

(घ) सोसाइटी द्वारा, किसी भी अन्य प्रकार से अथवा स्त्रोत से प्राप्त सभी राशियां।

(vi) निधि में क्रडिट की गई समस्त राशि, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर सोसाइटी द्वारा निर्धारित बैंकों में जमा की जाएं अथवा सोसाइटी द्वारा विहित रीति से निवेशित की जाएं।

(vii) सोसाइटी के उद्देश्यों के लिए आवश्यकतानुसार चैक, नोट्स अथवा अन्य परक्राम्य लिखत! नगोशिएबल इंस्ट्रमेंट! को आहरित करना आवेदित करना, स्वीकृत करना, पृष्ठांकन करना और इनमें छूट देना तथा इस उद्देश्य हेतु किसी भी कार्य व्यापार के लिए उसे हस्ताक्षरित करना, निष्पादित करना एवं संप्रेषित करना।

(viii) सोसाइटी की निधियों से अथवा ऐसी निधि के किसी विशिष्ट अंश में से समय-समय पर सोसाइटी द्वारा उपगत व्ययों का भुगतान करना जिसमें वे सभी व्यय शामिल होंगे जो सोसाइटी की स्थापना के परिणाम स्वरुप हुए हों और जो पूर्ववर्ती उद्देश्यों, जिसमें सभी भाड़े, मूल्य, कर, निर्गामियां और कार्मिकों के वेतन, प्रबंध प्रशासन से संबंधित व्यय शामिल है।

(ix) (क) सोसाइटी के स्टाफ तथा अन्य कर्मियों को अथवा भूतपूर्व कार्मिकों को अथवा उनकी पत्नियों, बच्चों अथवा अन्य आश्रितों को पेंशन, उपदान अथवा आर्थिक सहायता देना।

(ख) सोसाइटी द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा ऐसे व्यक्ति की पत्नी, बच्चों या अन्य रिश्तेदारों अथवा उनके ऐसे आश्रितों के हित के लिए जीवन बीमा राशि का भुगतान करना और उसके लिए भविष्य निधि व हितकारी निधियां निर्मित कर उसमें अंशदान करना।

(ग) सोसाइटी के प्रयोजन हेतु यथोचित सम्पत्ति अर्जित करना, धारित करना और बेचना, जैसा भी हो, बशर्ते कि अचल संपत्ति के अर्जन या निपटान संबंधी मामलों में केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(घ) पुस्तकालय और संग्रहालय के प्रगामी कार्यों हेतु सोसाइटी की अथवा उसके अधिकार में व्याप्त किसी भी संपत्ति का प्रयोग उस प्रकार करना जैसा कि वह उचित समझें।

(ङ) सोसाइटी के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी पर प्रतिभूति सिक्योरिटी! सहित या बिना प्रतिभूति के अथवा सोसाइटी के बंधक प्रभार! मॉरटगेज चार्ज! या भाराक्रांतिकरण !हाइपॉथिकेशन! या सोसाइटी की गिरवी रखी सभी या किसी भी अचल संपत्ति की प्रतिभूति पर या कियी भी अन्य रीति से धन उधार लेना एवं उगाहना।

(च) सोसाइटी के प्रयोजन हेतु मकान, छात्रावास अथवा अन्य भवनों की स्थापना, निर्माण और रखरखाव तथा उनमें परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत और अभिवृद्धि या बिल्डिंग की आवश्यकता व प्रयोगानुरूप बिजली, जल, डेनेज, फर्नीचर, फिटिंग्स, औजार, उपस्कर, उपकरणों में आशोधन करना।

(छ) सोसाइटी द्वारा धारित अथवा सोसाइटी की किसी भी भूमि, पार्क व किसी भी अन्य अचल संपत्ति का उपयोग करना और उसमें निर्माण अथवा अर्जन, ले-आउट, विस्तारण, परिवर्तन, परिवर्द्धन, सुधार करना।

(x) सोसाइटी द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, उचित समझे जाने पर समितियां अथवा उपसमितियां गठित करना।

(xi) सोसाइटी द्वारा गाठित, किसी भी कार्यकारी परिषद् को अथवा किसी भी समिति को अथवा उपसमिति को अपने कोई भी या सभी शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

(xii) इसे अध्ययन व शोध केन्द्र के रूप में विकसित करने के सोसाइटी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी विधि संगत अपेक्षित कृत्य व कार्य करना, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के अनुकूल हों या नहीं।

विवरण II

निम्नलिखित पुस्तकें खरीदने में मानदंडों का उल्लंघन करने के कुछेक आरोप ध्यान में लाए गए हैं

1. 'जवाहर लाल नेहरू-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, लेखक: प्रो. विपिन चन्द्र, अकादमी फाउंडेशन, एनएमएमएल (1500 प्रतियां, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये)
2. वे साथ-साथ लड़े: गांधी-नेहरू पत्राचार, 1921-48, सम्पादक द्वय-उमा अयंगार और ललिता जकारिया ओयूपी. (200 प्रतियां, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 833 रुपये)।
3. 'एक आधुनिक कलाकार-शिल्पकार का बनना: देवी प्रसाद' लेखक नमन आहूजा, प्रकाश: टेलर एण्ड फ्रांसिस बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-(100 प्रतियां, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 1997 रुपये)।
4. 'मध्य प्रदेश एक विकास शील राज्य और उसमें दलित प्रश्न: कांग्रेस की प्रतिक्रिया' लेखिका - डॉ. सुधा पई, प्रकाशक: टेलर एण्ड फ्रांसिस बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (25 प्रतियां, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 697 रुपये)।
5. स्वतंत्र भारत में नवोदित राज्यों का पुर्नगठन, परिचय और राजनीति, सम्पादक द्वय-आशा सारंगी और सुधा पई, प्रकाशक, टेलर एंड फ्रांसिस बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (25 प्रतियां, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 627 रुपये)।

गैर-लाइसेंसी हथियार

4225. श्री उदय सिंह:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बतान के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश भर में अपराधों में वृद्धि का एक बड़ा कारण भारी संख्या में गैर-लाइसेंसी हथियारों का उपलब्ध होना है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार का राज्य सरकारों से परामर्श करके देश में गैर-लाइसेंसी हथियारों के विनिर्माण/बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, जहां वर्ष 2010 में कुल संज्ञेय अपराधों में कथित रूप से 21.9% की वृद्धि हुई है, वहीं शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत सूचित किए गए गैर-लाइसेंसी हथियार रखने आदि जैसे अपराधों में विगत पांच के औसत की तुलना में वर्ष 2010 में 1.1% की कमी आई है और इन दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं है। इसके अलावा, एन सी आर बी की रिपोर्ट के अनुसार आग्नेयास्त्रों के प्रयोग द्वारा की गईं हत्याओं का अनुपात जो वर्ष 2006 में 16.5% या, वर्ष 2010 में घटकर 9% हो गया।

(ख) और (ग) गैर लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों का विनिर्माण/बिक्री आयुध अधिनियम, 1959 के तहत पहले से ही दण्डनीय अपराध है।

[हिन्दी]

अनाथों को खाद्यान्न

4226. श्री पशुपति नाथ सिह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनाथ, बेसहारा और दृष्टिहीनता से ग्रस्त बच्चों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न वितरित करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सुविधा बंद कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर कुछ पहचान किए गए प्राथमिकता समूहों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। बेसहारा लोग, अनाथ तथा दृष्टिबाधित बच्चे जैसे विकलांग व्यक्ति उन प्राथमिकता समूहों में से हैं जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किया गया है। देश में 2.34 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा कल्याण संस्थान स्कीम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर भिक्षु-गृहों, अनाथालयों और नारी निकेतनों आदि जैसे पात्र कल्याण संस्थानों के लिए आवंटन करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न प्रदान किये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना और कल्याण संस्थान स्कीम के अधीन किए गए चावल और गेहूं के राज्य-वार आवंटन के ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

उपर्युक्त स्कीमों के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन अभी भी जारी है।

विवरण I

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	654.288	654.288	654.288
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.972	15.972	15.972
3.	असम	295.692	295.692	295.692
4.	बिहार	1,019.988	1,019.988	1,047.884
5.	छत्तीसगढ़	301.944	301.944	301.944
6.	दिल्ली	63.084	63.084	63.84
7.	गोवा	6.108	6.108	6.108
8.	गुजरात	340.080	340.080	340.080
9.	हरियाणा	122.820	122.820	122.820

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	82.740	82.740	82.740
11.	जम्मू और कश्मीर	107.388	107.388	107.388
12.	झारखंड	385.536	385.536	385.527
13.	कर्नाटक	503.892	503.892	503.892
14.	केरल	250.260	250.260	250.260
15.	मध्य प्रदेश	664.260	664.260	664.260
16.	महाराष्ट्र	1,034.880	1,034.880	1,034.880
17.	मणिपुर	26.724	26.724	26.724
18.	मेघालय	29.484	29.484	29.484
19.	मिजोरम	10.920	10.920	10.920
20.	नागालैंड	19.968	19.968	19.968
21.	ओडिशा	531.120	531.120	531.120
22.	पंजाब	75.360	75.360	75.360
23.	राजस्थान	391.488	391.488	391.488
24.	सिक्किम	6.936	6.936	6.936
25.	तमिलनाडु	783.144	783.144	783.144
26.	त्रिपुरा	47.520	47.520	47.520
27.	उत्तर प्रदेश	1,719.480	1,719.480	1,719.480
28.	उत्तराखंड	63.516	63.516	69.072
29.	पश्चिम बंगाल	621.684	621.684	621.684
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.800	1.800	1.800
31.	चंडीगढ़	0.822	0.624	0.624
32.	दादरा और नगर हवेली	2.196	2.196	2.196
33.	दमन और दीव	0.636	0.636	0.636
34.	लक्षद्वीप	0.492	0.498	0.504
35.	पुडुचेरी	13.548	13.548	13.548
	जोड़	10,195.770	10,195.578	10,229.027

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों के राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09*	2009-10	2010-11**
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	416.207	439.134	409.703
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.390	17.431	4.831
3.	असम	115.553	80.244	109.999
4.	बिहार	247.502	287.447	251.465
5.	छत्तीसगढ़	192.984	180.719	165.348
6.	दिल्ली	37.360	42.927	37.392
7.	गोवा	4.365	5.799	5.608
8.	गुजरात	177.987	176.499	185.024
9.	हरियाणा	35.913	56.927	79.265
10.	हिमाचल प्रदेश	34.115	32.684	29.251
11.	जम्मू और कश्मीर	31.618	32.034	28.586
12.	झारखंड	112.792	97.622	115.15
13.	कर्नाटक	284.917	272.466	271.651
14.	केरल	82.074	98.195	100.374
15.	मध्य प्रदेश	329.750	370.545	478.278
16.	महाराष्ट्र	364.920	427.230	687.835
17.	मणिपुर	8.709	19.379	26.903
18.	मेघालय	13.852	14.258	12.395
19.	मिजोरम	7.062	5.940	7.268
20.	नागालैंड	26.249	30.486	26.106
21.	ओडिशा	267.924	307.031	321.29

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	67.139	51.176	58.716
23.	राजस्थान	145.453	151.415	209.792
24.	सिक्किम	2.674	2.925	3.148
25.	तमिलनाडु	198.107	152.875	198.921
26.	त्रिपुरा	23.729	19695	27.054
27.	उत्तर प्रदेश	570.513	508.149	610.365
28.	उत्तराखंड	41,594	39.966	34.378
29.	पश्चिम बंगाल	273.088	280.730	346.605
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.828	2.228	0.98
31.	चंडीगढ़	2.331	2.071	1.622
32.	दादरा और नगर हवेली	1.580	1.509	1.213
33.	दमन और दीव	0.388	0.448	0.45
34.	लक्षद्वीप	0.206	0.269	0.269
35.	पुडुचेरी	2.871	2.675	2.35
	जोड़	4135.743	4211.127	4849.585

*वर्ष 2008-09 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का कुल आवंटन 41.41 लाख टन था। तथापि गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 0.05 लाख टन खाद्यान्नों का आगे आवंटन नहीं किया गया।

नोटः 2008-09 के दौरान किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन गुजरात को 10,000 टन मक्का का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

नोटः किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन गुजरात को 2009-10 के दौरान 7650.86 टन मक्का का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

**वर्ष 2010-11 के दौरान अन्न कल्याण योजनाओं के अधीन कुल 50.10 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। तथापि संबंधित मंत्रालयों/विभाग/भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1.61 लाख खाद्यान्नों का उप आवंटन नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटा जाना

4227. श्री सी. आर. पाटीलः
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त विभाजन से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में किस प्रकार मदद मिलेगी;

(घ) क्या निर्णय लेते समय इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि इससे प्रशासनिक व्यय में होने वाली बढ़ोतरी को बोझ नागरिकों को ही वहन करना होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) को तीन भागों में बांटने का प्रावधान करने के लिए नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 जिसमें महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का भी प्रस्ताव है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में पुर:स्थापित करने के लिए दिनांक 24.11.2011 को 'पूर्व अनुमोदन' प्रदान किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा ने पूर्वोक्त विधेयक दिनांक 01.12.2011 को पारित कर दिया है और यह दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विचारार्थ और राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया है।

(ग) विद्यमान एकमात्र दिल्ली नगर निगम, जो वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, की तुलना में प्रस्तावित तीन निगम और अधिक प्रभावकारी ढंग से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

(घ) और (ङ) प्रशासनिक व्ययों के कारण कुछ अतिरिक्त वित्तीय देयताएं होगी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वार अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा। गृह मंत्रालय/भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं माँगी गई है।

[हिन्दी]

भारतीय जनसंचार संस्थान में आरक्षण

4228. श्री दिनेश चंद्र यादव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान (आई.आई.एम.सी.) वर्ष 1993 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्तियों और नामनिर्देशन के सिलसिले में आरक्षण नियमों का पालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त संस्थान में श्रेणी-वार कितनी नियुक्तियां व नामनिर्देशन किए गए;

(ग) क्या सरकार का उक्त संस्थान में 1993 से रिक्त पड़े ऐसे आरक्षित पदों को भरने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, नहीं। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) संस्थान में की गई नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुसरण करता रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता। तथापि, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थान में की गई नियुक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आईआईएमसी में आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए रिक्तियों का कोई बैकलॉग नहीं है।

(घ) प्रत्येक समूह के पदों में इन आरक्षित श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष में की गई नियुक्तियां

समूह	वर्ष	की गई कुल नियुक्तियां	आरक्षण द्वारा भरे गए पद		
			अजा	अजजा	अपिव
1	2	3	4	5	6
समूह क (सीधी भर्ती)	2008	—	—	—	—
	2009	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—
	2011	01	01	—	—

1	2	3	4	5	6
समूह क (पदोन्नति)	2008-2010	—	—	—	—
	2011	02	—	—	—
समूह ख (सीधी भर्ती)	2008 से 2011	—	—	—	—
समूह ख (पदोन्नति)	2008	02	02	—	—
	2009	02	01	—	—
	2010	01	01	—	—
	2011	07	03	—	—
समूह ग (सीधी भर्ती)	2008	—	—	—	—
	2009	02	01	01	—
	2010	02	—	—	—
	2011	06	—	01	03
समूह ग (पदोन्नति)	2008	01	01	—	—
	2009	01	—	—	—
	2010	01	—	—	—
	2011	04	—	—	—
	कुल	32	10	02	03

नगर भूमि अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम

4229. श्री अशोक अर्गल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा कितनी भूमि अर्जित की गई;

(घ) क्या इस प्रकार अर्जित भूमि को मूल भू-स्वामियों को लौटाया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां। राज्य विषय पर केन्द्रीय अधिनियम, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के माध्यम से किया गया है।

(ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का उद्देश्य कुछ व्यक्तियों के पास शहरी भूमि के केन्द्रीकरण को रोकना तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास मुहैया करना है। इस अधिनियम का निरसन किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इसने भूमि की कीमतों को बढ़ा दिया, व्यावहारिक रूप से आवासीय उद्योग को बन्द कर दिया, मुकदमों की बाढ़ सी आ गयी जिससे राज्य सरकारों द्वारा भूमि का

कब्जा लेने में गंभीर रुकावटें उत्पन्न हो गयी तथा लोगों की एकमत राय यह थी कि यह अधिनियम यथा-प्रत्याशित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार 19020 हेक्टेयर भूमि कब्जे में ली गई थी।

(घ) और (ङ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के परिणामस्वरूप, इसके अंतर्गत अर्जित भूमि को मूल भू-स्वामियों को वापिस नहीं किया जाना है। भूमि की वापसी को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के खण्ड-3 में निहित उपबंधों की शर्तों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

[अनुवाद]

फोन टैपिंग

4230. श्री समीर भुजबल:
श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नीरज शेखर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी एजेंसियों द्वारा जनवरी, 2011 से अब तक कितने फोनों की टेपिंग की गई और इसका माह-वार तथा एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) टेलीफोन टैपिंग के क्या कारण हैं;

(ग) फोन-टैपिंग के संबंध में उच्चतम न्यायालय की क्या टिप्पणियां/निदेश है;

(घ) क्या अवैध ढंग से फोन-टैपिंग करने और उच्चतम न्यायालय के आदेशों/टिप्पणियों की अवहेलना करने के उदाहरण सामने आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारकारी कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 तथा इसके तहत बनाये गये नियम 419-क में संघ स्तर के सक्षम प्राधिकारी से पृथक प्रत्येक राज्य स्तर के सक्षम प्राधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है। भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दूरभाष पर किए जाने वाले वार्तालाप का अन्तरावरोधन/उसकी निगरानी, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा लोक व्यवस्था अथवा कोई अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने से रोकने संबंधी आधारों पर की जा सकती है। तदनुसार, प्रत्येक एजेन्सी प्राधिकृत किए गए अन्तरावरोधन, उन्हीं मामलों में किए जाते हैं जो पूर्णरुपेण आवश्यक होते हैं तथा एजेंसी के अधिदेश के अनुरूप होते हैं और इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को अत्यधिक संवदेनशील होने के नाते "परम गुप्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 18.12.1996 के निर्णय में भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत टेलीफोनों का अन्तरावरोधन करने का आदेश देने की सरकार की शक्ति को स्वीकार किया था और टेलीफोनों का अन्तरावरोधन करने के दौरान अपनाई जाने वाली कतिपय प्रक्रिया निर्धारण की थी। भारतीय तार नियमावली के नियम 419(क) में पी यू सी एल मामले में उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों को अंगीकार किया गया है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं और नागरिकों की निजता की अपेक्षा के बीच सन्तुलन बनाया जा सके।

(घ) और (ङ) नियम 419-क के तहत, केन्द्र और राज्य स्तर पर एक समीक्षा समिति तंत्र मौजूद है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्राधिकार का मूल्यांकन करता है। इसे सक्षम प्राधिकारी के मूल्यांकन को अस्वीकार करने का अधिकार है। इस समीक्षा समिति की प्रक्रिया के अलावा, केन्द्र सरकार परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी और नियम 419-क का पूर्ण अनुपालन, दोनों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्तरावरोधनों की प्रक्रिया शुरु करने, उसका कार्यान्वयन करने और उसकी निगरानी करने हेतु आन्तरिक मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस. ओ. पी.) /अनुदेशों को अद्यतन करती रहती है।

[हिन्दी]

नक्सलवादियों का वित्तपोषण

4231. श्री हरि मांझी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नक्सली संगठनों को धन मुहैया कराने की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवादी गुटों, विशेषकर सीपीआई (माओवादी), ठेकेदारों, व्यावसायियों और उद्योगों सहित अनेक स्रोतों से बल प्रयोग के जरिये धन ऐंठते हैं। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नक्सली संगठनों को धन मुहैया कराये जाने की सूचना देने वाली कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की सूचनाएं हैं जिनसे मूल संगठन के लिए धन उगाहने में सीपीआई (माओवादी) के कतिपय प्रमुख संगठनों की संलिप्ता का पता चलता है।

(ग) कानून के संगत प्रावधानों के अंतर्गत मामला-दर-मामला आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरु की जाती है।

[अनुवाद]

पुलिस कार्मिकों का स्वास्थ्य

4232. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पुलिस कार्मिकों के बारे में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उनके विभिन्न रैंक के लोग बड़ी-बड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं और अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों में पुलिस कार्मिकों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु विभिन्न राज्यों को सलाहकारी निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य पुलिस के कार्मिकों के संबंध में किए गए ऐसे सर्वेक्षण की जानकारी गृह मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) पुलिस कार्मिकों के "शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य" संबंधी परियोजना पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के राष्ट्रीय पुलिस मिशन द्वारा तैयार की जा रही है जो सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों में दबाव और सेवा से संबंधित तनाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में आकाशवाणी स्टेशन

4233. श्री रघुवीर सिंह मीणा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र पूरे राजस्थान राज्य में आकाशवाणी (एआईआर) का एकमात्र स्टेशन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उदयपुर में भूमि अधिग्रहण के बावजूद सरकार ने अभी तक वहां आकाशवाणी केन्द्र स्थापित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उदयपुर में आकाशवाणी केन्द्र के कब तक चालू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस जगतरक्षकन): (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, इस समय, राजस्थान राज्य में 17 आकाशवाणी केन्द्र कार्यशील हैं।

(ग) से (ङ) उदयपुर में दिनांक 5.5.1967 से आकाशवाणी केन्द्र पहले से ही कार्यशील है।

विवरण

राजस्थान में वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र	प्रेषित प्रकार/क्षमता		
		मी. वेव (ए.एम.)	एफ.एम.	शार्ट वेव (ए.एम.)
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	200 किवा		
2.	अलवर		10 किवा	

1	2	3	4	5
3.	बांसवाड़ा		10 किवा	
4.	बाड़मेर	20 किवा		
5.	बीकानेर	20 किवा		
6.	चित्तौड़गढ़		6 किवा	
7.	चुरू		6 किवा	
8.	जयपुर	1 किवा	6 किवा	50 किवा
9.	जैसलमेर		10 किवा	
10.	झालावाड़		6 किवा	
11.	जोधपुर	300 किवा	6 किवा	
12.	कोटा	20 किवा		
13.	माउंट आबू		6 किवा	
14.	नागौर		6 किवा	
15.	सवाई माधोपुर		6 किवा	
16.	सूरतगढ़	300 किवा		
17.	उदयपुर	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	

[अनुवाद]

भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता

4234. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बांग्लादेश के साथ सचिव स्तर पर बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वार्ता के दौरान सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद, युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के नेताओं का प्रत्यार्पण, अवैध प्रवासियों की आवाजाही और लंबि प्रत्यार्पण संधि संबंधी मुद्दे भी उठाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबि मामलों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) 19-21 नवम्बर, 2011 के दौरान नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी, जिसमें सीमा-पार आंतकवाद, कथित रूप से बांग्लादेश में रह रहे भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी) के नेताओं को सौंपने, के साथ-साथ उनके कैम्पों/ठिकानों के विरुद्ध कार्रवाई करने, हथियारों/गोला-बारुद की तस्करी, जाली करेंसी नोटों इत्यादि जैसे सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच

हस्ताक्षरित परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) सजायाफ्ता व्यक्तियों के अन्तरण (टीएसपी) और संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थ दुर्व्यापार संबंधी समझौतों को कार्यान्वित करने पर दोनों पक्ष सहमत हुए। दोनों पक्ष इस पर भी सहमत हुए। दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन प्रत्यर्पण संधि को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

जहां तक सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों का संबंध है, बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। दोनों पक्ष अवैध सीमा-पार आवाजाही को रोकने के लिए जुलाई, 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) को शीघ्रतिशीघ्र कार्यान्वित करने पर सहमत हुए। अन्य मुद्दों के साथ-साथ महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने तथा विधि प्रवर्तन कार्रवाईयों के क्षमता निर्माण आदि के उपायों पर भी चर्चा हुई थी। दोनों पक्ष, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

नवम्बर, 2011 में हुई सचिव स्तरीय वार्ता में सहमत मुद्दों पर पहले ही कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

विद्यालय के अध्यापकों की जनगणना ड्यूटी हेतु तैनाती

4235. श्री पी. सी. गद्दीगौदर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों के अध्यापको को देश में जनगणना के कार्य में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनगणना में उनकी तैनाती का उनकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस कार्य हेतु निजी एजेंसियों को काम पर लगाने का निदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा विद्यालय के शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाता है जोकि आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये समाज में काफी अधिक सम्मानित एवं स्वीकार्य होते हैं। इसके अलावा ये उसी समाज के ही हिस्सा होते हैं अत: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति इन शिक्षकों और सरकारी कार्मिकों को बगैर किसी भय के अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए तैयार होते हैं। जनगणना कार्य में प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति से संवेदनशील प्रश्न पूछना शामिल है। पूर्ववत्त के उपर्युक्त सत्यापन के बगैर किसी को भी यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा नहीं जा सकता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनगणना कार्य में विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान किया गया है।

(ग) जी नहीं; जनसंख्या की गणना दशक में एक बार की जाती है। शिक्षकों की तैनाती उनकी शिक्षण ड्यूटी की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि उन्हें जनगणना कार्य को विद्यालय समय से पहले/बाद में करना होता है। प्रत्येक प्रगणक को 20 दिनों की अवधि में सुपरिभाषित एवं संहत क्षेत्र में करीब 125 परिवारों की गणना का कार्य सौंपा जाता है जोकि ज्यादा कठिन कार्य नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की भू-धारिता

4236. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में किसानों को उनकी भू-धारिता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कोई मानदंड नियम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में भू-धारिता वाले किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी भू-धारिता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) देश में कृषि संगणना आयोजित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने प्रचालनात्मक जोतों का

उनके प्रचलित क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित पांच प्रमुख आकार-वर्गों में वर्गीकृत किया है:-

क्र.सं.	प्रचालित क्षेत्र	आकार वर्ग
1	2	3
1.	1.00 हैक्टेयर से कम	सीमान्त
2.	1.00-2.00 हैक्टेयर	छोटी
3.	2.00-4.00 हैक्टेयर	अर्ध-मध्यम
4.	4.00-10.00 हैक्टेयर	मध्यम
5.	10.00 हैक्टेयर और अधिक	बड़ी

(ग) और (घ) नवीनतम कृषि संगणना 2005-06 के अनुसार देश में सीमान्त, छोटी, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी प्रचालनात्मक जोतों की राज्यवार संख्या और क्षेत्र दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कृषि संगणना 2005-06 के अनुसार भारत में प्रचालनात्मक जोतों की राज्यवार संख्या एवं क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संशाप्र.	सीमांत (1.00 है. से कम)		छोटी (1.00-2.00 है.)		अर्ध-मध्यम (2.00-4.00 है.)		मध्यम (4.00-10.00 है.)		बड़ी (10.00 है. और अधिक)	
		संख्या	क्षेत्र (है.में)	संख्या	क्षेत्र (है.में)	संख्या	क्षेत्र (है.में)	संख्या	क्षेत्र (है.में)	संख्या	क्षेत्र (है.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	7417461	3287034	2639110	3730303	1444083	3835072	487423	2758745	56041	877734
2.	अरूणाचल प्रदेश	22085	11347	25110	32908	30485	85107	26740	168785	4215	63274
3.	असम	1752989	760145	591431	718383	317859	846006	82933	425403	4902	298606
4.	बिहार	13139279	3312746	978458	1223961	437841	1134661	97953	505454	3598	73990
5.	छत्तीसगढ़	1918533	839533	759702	1077822	517075	1395687	231127	1327437	34223	569142
6.	गोवा	42745	12422	5788	7183	2681	6725	1195	6813	412	27599
7.	गुजरात	1585042	792149	1345348	1959288	1080611	3004213	582229	3380443	67784	1133171
8.	हरियाणा	764278	346118	311397	448104	282849	800498	196029	1186030	48714	802547
9.	हिमाचल प्रदेश	636619	258247	175651	244742	88447	240355	29136	164995	3530	60006
10.	जम्मू और कश्मीर	1122969	406481	169166	237330	71406	192804	13645	74158	622	11748
11.	कर्नाटक	3655878	1651491	2013197	2875820	1278207	3468150	554130	3205200	79446	1183991
12.	केरल	6602443	895787	214832	284820	69710	178574	14858	78757	2449	116889
13.	मध्य प्रदेश	3198918	1587447	2147723	3076453	1566422	4303712	868149	5086896	126785	1939064
14.	महाराष्ट्र	6118395	2801401	4150276	5247542	2451582	6129831	925089	4885212	70294	941020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मणिपुर	76510	39982	48815	62828	22325	55270	2785	13540	40	445
16.	मेघालय	112485	54682	55335	73387	28695	72960	6480	33813	250	5802
17.	मिजोरम	43393	26765	31069	40795	13765	31994	1463	7016	75	3287
18.	नागालैंड	1.2365	5805	13482	15781	36802	92805	76119	465121	30484	593296
19.	ओडिशा	2597164	1341668	1156162	1587713	472129	1250650	119529	658208	11408	181237
20.	पंजाब	134762	83345	183062	258429	319933	854246	295749	1700499	70960	1066775
21.	राजस्थान	203099	1016367	1321126	1895062	1260369	3569694	1103263	6796010	428625	7661858
22.	सिक्किम	39832	15024	16546	20804	10791	27510	5405	29582	852	15680
23.	तमिलनाडु	6227705	2286370	1234054	1720819	542025	1467695	169599	957723	19590	391341
24.	त्रिपुरा	490569	139405	54448	74575	18275	45950	1942	10292	161	10212
25.	उत्तर प्रदेश	17507112	6971557	3103166	4340991	1391564	3795564	427879	2374223	27873	423643
26.	उत्तराखंड	658214	260299	162881	226411	77785	210368	21370	117161	1304	32774
27.	पश्चिम बंगाल	5674788	2799071	1005594	1595340	282767	772428	27862	137672	652	221303
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4823	2141	2118	3201	2953	7793	1656	7200	40	1511
29.	चंडीगढ़	770	314	197	276	95	272	54	313	4	51
30.	दादरा एवं नगर हवेली	7713	3959	3994	5273	1873	5109	762	4462	118	1841
31.	दमन एवं दीव	6724	1793	606	834	215	575	65	389	13	236
32.	दिल्ली	14047	5976	5691	7839	3446	9833	1931	11259	196	2862
33.	लक्षद्वीप	9811	1740	267	364	130	324	26	159	8	192
34.	पुडुचेरी	24852	7358	3825	5407	1925	5257	765	4434	110	2002
	कुल भारत*	83694372	32025971	23929627	33100790	14127120	37897693	6375340	36583400	1095778	18715131

टिप्पणी: (1) *झारखंड में कृषि संगणना 2005-06 नहीं की गई (2) पूर्णांक किए जाने के कारण कुल योग में अन्तर हो सकता है।

मृत्यु दंड को समाप्त करना

4237. श्री एस. सेम्मलई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मृत्यु दंड को कानून की पुस्तक से हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) मृत्यु दंड को समाप्त करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शुंगलू समिति की रिपोर्ट

4238. डॉ. बलीराम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं की जांच कर रही शुंगलू समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यकरण में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने अपनी छ: रिपोर्टों में अपनी शर्तों के अनुसार विशेष सिफारिशें की हैं। ये (1) मेजबान प्रसारण (2) राष्ट्रमंडल खेल गांव (3) नगर अवसंरचना (4) खेल स्थल (5) आयोजन समिति (6) सीडब्ल्यूजी, 2010 के आयोजन और संचालन पर हैं। इन रिपोर्टों में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई हैं। कार्य समापन के पश्चात, उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्टों को प्रस्तुत करते समय कुछ संस्थानों/एजेंसियों के ढांचा और कार्यप्रणाली के संबंध में कुछ सुझाव भी दिये हैं।

(ग) और (घ) 2 अगस्त, 2011 को सरकार ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया ताकि (1) राष्ट्रमंडल खेल, 2011 के आयोजन तथा संचालन संबंधी मुद्दों पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में व्यक्त निष्कर्ष तथा सिफारिशों पर संबंधित भारत सरकार के मंत्रियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उनकी एजेंसी द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर विचार किया जा सके तथा ऐसे वक्तव्यों के आधार पर उच्चस्तरीय समिति की विभिन्न सिफारिशों पर एक आम सहमति बनायी जा सके। (2) उच्चस्तरीय समिति की प्रत्येक सिफारिश पर जिनमें अनुशासनात्मक फौजदारी तथा नागरिक उच्च स्तरीय समिति की प्रत्येक सिफारिश पर भविष्य की कार्यवाही का निर्धारण, जिसमें रिपोर्ट में इंगित व्यक्ति/एजेंसी/ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक फौजदारी/तथा दीवानी कार्यवाही करना सम्मिलित किया जा सके और (3) समान आयोजनों के भविष्य में संचालन हेतु नीतियों तथा दिशा-निर्देश बनाये जा सकें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्मारकों का संरक्षण

4239. श्री शिवराम गौडा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में कोप्पल क्षेत्र में अनेक प्राचीन स्मारक और मंदिर विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने उक्त क्षेत्र में कितने स्मारकों का पता लगाया है और जिनका संरक्षण भ किया जा रहा है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्मारकों के संरक्षण और अनुरक्षण हेतु/स्मारक-वार, कितनी निधियां आबंटित/व्यय की गईं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) कर्नाटक के कोप्पल क्षेत्र में चार स्मारकों/पुरातत्वीय स्थलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में संरक्षित घोषित किया गया है: (1) गवीमठ और पाल्की गुंडू, कोप्पल के रूप में विख्यात छोटी पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख; (2) महादेव मंदिर, इत्तगी; (3) प्राचीन टीला, कोप्पल (4) प्रागेतिहासिक स्थल, हिरेबेंकल।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इनके संरक्षण और अनुरक्षण पर खर्च की गई निधि का ब्यौरा इस प्रकार है;

स्मारक/स्थल का नाम	2008-09 (रुपए)	2009-10(रुपए)	2010-11 (रुपए)	2011-12 (रुपए)(आज तक)
(1) गवीमठ और पाल्की गुंडू, कोप्पल के रूप में विख्यात हिललॉक पर अशोक के शिलालेख	-	68663	695996	237578
(2) महादेव मंदिर, इत्तगी	937787	472945	343256	441768
(3) प्राचीन टीला, कोप्पल	-	-	-	-
(4) प्रागैतिहासिक स्थल, हिरेबेंकल।	-	67289	769824	183226

राज्य मानव अधिकार आयोग

4240. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोग गठित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य मानव अधिकार आयोग को, राज्य-वार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या वर्तमान में राज्य मानव अधिकार आयोगों के पास उपलब्ध जनशक्ति और अवसंरचना अपर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य मानव अधिकार आयोगों को जनशक्ति और अवसंरचना की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या केंद्र सरकार/राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों से रिक्त पदों को भरने हेतु अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित 20 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) का गठन कर लिया है:-

1. आन्ध्र प्रदेश 2. असम 3. बिहार 4. छत्तीसगढ़ 5. गुजरात 6. हिमाचल प्रदेश 7. जम्मू एवं कश्मीर 8. झारखण्ड 9. कर्नाटक 10. केरल 11. मध्य प्रदेश 12. महाराष्ट्र 13. मणिपुर 14. ओडिशा 15. पंजाब 16. राजस्थान 17. सिक्किम 18. तमिलनाडु 19. उत्तर प्रदेश और 20. पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित 8 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया है-

1. अरुणाचल प्रदेश 2. गोवा 3. हरियाणा 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैण्ड 7. त्रिपुरा और 8. उत्तराखण्ड

(ग) प्रत्येक राज्य मानवाधिकार आयोग (एस एच आर सी) द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (छ) प्रत्येक राज्य मानवाधिकार आयोग (एस एच आर सी) के लिए पर्याप्त जनशक्ति एवं अवसंरचना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार का होता है। भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करे। सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन सभी राज्यों जिन्होंने अभी तक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है, से इसका यथाशीघ्र गठन करने का अनुरोध करते रहे हैं।

विवरण

राज्य मानवधिकार आयोग द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं	राज्य मानवधिकार आयोग का नाम आन्ध्र प्रदेश	प्राप्त शिकायतों की संख्या	समयावधि
1.	आंध्र प्रदेश	44350	2007 से 2010
2.	असम	1281	2007 से 2010
3.	बिहार	9622	2007 से 2011 (22.11. 11 तक)
4.	छत्तीसगढ़	16881	2007 से 2010
5.	गुजरात	7899	2007 से 2010
6.	हिमाचल प्रदेश	511	2007 से 2011 (31.3.11 तक)
7.	जम्मू और कश्मीर	2190	2007 से 2010
8.	झारखंड	317	19.1.11 से 28.11.11 (19.1.11 को स्थापित)
9.	कर्नाटक	16243	2007 से 2010
10.	केरल	20867	2007 से 2010
11.	मध्य प्रदेश	50043	2007 से 2010
12.	महाराष्ट्र	8944	2007 से 2010
13.	मणिपुर	87	2008 से 2010
14.	ओडिशा	7580	2007 से 2010
15.	पंजाब	64125	2007 से 2010
16.	राजस्थान	14427	2007 से 2010
17.	सिक्किम	4	2007 से 2010
18.	तमिलनाडु	43103	2007 से 2010
19.	उत्तर प्रदेश	88451	2008 से 2011 (31.10.11 तक)
20.	पश्चिम बंगाल	25924	2007 से 2010
	कुल	4,22,849	

नक्सल प्रभावित राज्यों में निवेश

4241. डॉ. अजय कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड सहित नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिचर्या कौशल और उद्यामिता विकास के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु कोई अभियान शुरु किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और **(ख)** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कुल 232.95 करोड़ रुपए की लागत से "वाममंथी अग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास" की एक योजना बनाई है। ये 34 जिले 9 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इस योजना के तहत सम्मिलित झारखण्ड के जिलों में चतरा, पश्चिम सिंहभूम पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहारदगा, गुमला, लातेहर और हजारीबाग शामिल हैं।

यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

(i) प्रत्येक जिले में एक आई टी आई और दो कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करके लोगों के अनुरूप कौशल विकास अवसंरचना का सृजन करना।

(i) इन क्षेत्रों के आस-पास, एक ओर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्राप्त जनशक्ति की अपेक्षाओं का पूरा करने के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों प्रकार के मांग-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना और दूसरी ओर युवाओं को बेहतर आजीविका के अवसर मुहैया कराना।

शिक्षा के क्षेत्र में सबकी पहुंच और अवधारणा का सार्वभौमीकरण करने, महिला-पुरुष एवं सामाजिक वर्गीकरण के अन्तराल को पाटने के समग्र उद्देश्य तथा ज्ञानार्जन स्तर को बढ़ाने के साथ प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण करने के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) भी कार्यान्वित किया जा रहा है। एस एस ए में सभी 9 वामपंथी प्रभावित राज्यों को कवर किया गया है।

9 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के 60 चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही एकीकृत कार्य योजना में सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवा संबंधी परियोजनाओं यथा विद्यालय भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल आपर्ति, ग्राम्य सड़कों, सार्वजनिक स्थानों यथा पी एच सी एवं विद्यालयों इत्यादि में विद्युत रोशनी की व्यवस्था का कार्य किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार यह मानती है कि इन तथा अन्य बहु-आयामी सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक माहौल का सृजन होगा।

भारत रत्न अवार्ड

4242. श्री राजेन गोहैन:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत रत्न प्रदान करने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया/मानदंड क्या है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कुछ व्यक्तियों को उक्त अवार्ड देने के लिए कई वर्गों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र): (क) से (घ) देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, मानवीय प्रयास के किसी भी क्षेत्र में पद्धति के अनुसार भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सिफारिशें भेजते हैं और राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा भारत रत्न पुरस्कार के लिए नाम घोषित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जिससे भी चाहें परामर्श करने अथवा सलाह के लिए स्वतंत्र है। भारत रत्न के लिए कोई औपचारिक सिफारिश अपेक्षित नहीं है। मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत रत्न के लिए मंत्रालय में प्राप्त सभी सिफारिशों को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाता है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को अवार्ड

4243. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न खेलों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करती/सम्मानित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत एक वर्ष में खेल विद्या-वार प्रदान किए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त खिलाड़ियों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की उपलब्धियों और अंशदानों को मान्यता प्रदान करते हुए, सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे एक वर्ष में खिलाड़ियों द्वारा खेलों के क्षेत्र में शानदार और सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार, खेलों में जीवन पर्यन्त उपलब्धियों के लिए ध्यानचन्द पुरस्कार तथा खेलकूद में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करती है।

(ख) वर्ष 2011 के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार की योजना के अंतर्गत विशेष नकद पुरस्कार भी दिये गये हैं। खिलाड़ियों को निम्न तालिका में वर्णित पुरस्कार राशि के अनुसार नकद पुरस्कार दिये गये हैं:

	प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण पदक/ प्रथम स्थान	रजत पदक/ द्वितीय स्थान	कांस्य पदक/ तृतीय स्थान
(क)	**सीनियर्स**			
(1)	ओलम्पिक खेल	50 लाख रुपये	30 लाख रुपये	20 लाख रुपये
(2)	एशियाई खेल/राष्ट्रमण्डल खेल	20 लाख रुपये	10 लाख रुपये	6 लाख रुपये
(3)	ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेल विद्या में विश्व चैम्पियनशिप	10 लाख रुपये	5 लाख रुपये	3 लाख रुपये
	एशियाई चैम्पियनशिप/ राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप	3 लाख रुपये	2 लाख रुपये	1 लाख रुपये
(ख)	**विश्व चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)**			
(1)	जूनियर	2 लाख रुपये	1.50 लाख रुपये	1 लाख रुपये
(2)	सब जूनियर	1 लाख रुपये	80 हजार रुपये	60 हजार रुपये
(ग)	**एशियाई तथा राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)**			
(1)	जूनियर	1 लाख रुपये	80 हजार रुपये	60 हजार रुपए
(2)	सब जूनियर	50 हजार रुपये	40 हजार रुपये	30 हजार रुपये

टीम खेलों में पुरस्कार की धनराशि टीम में खिलाड़ियों की संख्या पर आश्रित/निर्भर करती है। तथापि किसी भी मामले में, पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को मिलने वाली धनराशि व्यक्तिगत पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि की आधी से कम नहीं होगी।

प्रशिक्षक को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार की धनराशि खिलाड़ी को मिलने वाली धन राशि की 50 प्रतिशत होगी।

साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल तथा पैरालंपिक खेलों की विधाओं में ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैम्पियनशिपों में पदक जीते हो, को सक्रीय खेल जीवन से सन्यास या 30 वर्ष होने पर, जो भी बाद में हो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पेंशन की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दरों पर मासिक पेंशन दी जाती है:

क्र.सं.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन की दर (रुपये प्रति माह)
1.	ओलंपिक खेलों के पदक विजेता	10000
2.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	8000
3.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों में रजत तथा कांस्य पदक विजेता	7000
4.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7000
5.	एशियाई/राष्ट्रमण्डल खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता	6000
6.	पैरा-ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5000
7.	पैरा-ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	4000
8.	पैरा-ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3000

विवरण

वर्ष 2011 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण

(क) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2011

क्र.सं.	नाम	विधा
1	2	3
1.	श्री गगन नारंग	निशानेबाजी

(ख) अर्जुन पुरस्कार-2011

1	2	3
1.	श्री राहुल बैनर्जी	तीरंदाजी
2.	सुश्री प्रीजा श्रीधरन	एथलेटिक्स
3.	श्री विकास गौडा	एथलेटिक्स
4.	सुश्री ज्वाला गुटा	बैडमिन्टन
5.	श्री एम. सुरंजय सिंह	मुक्केबाजी
6.	श्री जहीर खान	क्रिकेट
7.	श्री सुनील छेत्री	फुटबाल
8.	श्री आशीष कुमार	जिम्नास्टिक
9.	श्री राजपाल सिंह	हाकी (पुरुष)
10.	श्री राकेश कुमार	कबड्डी (पु.)
11.	सुश्री तेजस्विनी बाई वी.	कबड्डी (महिला)
12.	सुश्री तेजश्विनी रविन्द्रा सावन्त	निशानेबाजी
13.	श्री विरधावाल विक्रम खाडे	तैराकी

1	2	3
14.	श्री सोमदेव किशोर देववर्मन	टेनिस
15.	श्री संजय कुमार	वालीबाल
16.	श्री रविन्द्र सिंह	कुश्ती
17.	नायब सुबेदार कतुलु रविकुमार	भारोतोलन
18.	सुश्री वांगखेम संध्यारानी देवी	वुशु
19.	श्री प्रशान्त करामकर	तैराकी, पैरालंपिक
(ग) 2011 के लिए ध्यान चन्द पुरस्कार		
1.	श्री शब्बीर अली	फुटबाल
2.	श्री सुशील कोहली	तैराकी
3.	श्री राजकुमार	कुश्ती
घ. 2011 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार		
1.	श्री इनुकुर्ति वेंकटेश्वर राव	मुक्केबाजी
2.	श्री देवेन्द्र कुमार राठौर	जिम्नास्टिक्स
3.	श्री रामफल	कुश्ती
4.	डा. कुन्तल राय	एथलेटिक्स*
5.	श्री राजिन्दर सिंह	हाकी*

*जीवन पर्यन्त उपलब्धि

टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली सामग्री

4244. **श्रीमती दीपा दासमुंशी:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यस्कों के लिए कार्यक्रमों को देर रात में प्रसारित करने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले टी.वी. चैनलों पर प्रतिबंध लगाने/कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा अश्लील कार्यक्रमों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) इस संबंध में मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसा कोई सामान्य निदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं होती है। तथापि, सभी प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक होता है। उक्त संहिता में व्यापक सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं जिनमें ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण स्पष्ट रूप से निषिद्ध है जो, अन्य के साथ-साथ, सुरुचि या शालीनता के प्रतिकूल हों अथवा जिनमें कोई भी अश्लील विषय-वस्तु आदि अंतर्विष्ट हों। जब कभी कोई उल्लंघन होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय

4245. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्यालयों के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाना और इस संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने विद्यालयों ने विहित अग्नि सुरक्षा और निवारात्मक उपाय नहीं किए हैं;

(ग) क्या यह सच है है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने दिल्ली में अनेक विद्यालयों को एनओसी देने से मन कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है; और

(ङ) अग्नि सुरक्षा उपायों को न अपना कर बच्चों तथा कर्मचारियों की जान को खतरे में डालने वाले विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा को अनापत्ति प्रमाणपत्र/अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्कूलों से 3660 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2069 स्कूल भवनों में अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है और उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र/अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गये हैं।

(ग) और (घ) जी, हाँ। यह पाया गया है कि 3660 में से कुल 1591 स्कूल भवनों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया गया है और उन्हें कमियों को सुधारने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(ङ) 1591 स्कूल भवनों, जिन्होंने निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए हैं, को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उनके भवनों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को सुधारने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। दिल्ली अग्नि शमन सेवा अधिनियम 2007 की धारा 25 के तहत प्रमुख समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करा दिए गए हैं और दिल्ली के शैक्षिणिक भवनों के समस्त स्वामियों/धारकों को निदेश दिया गया है कि वे दिल्ली अग्निशमन सेवा से दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम 2007 तथा नियमावली 2010 के नियम 35 के तहत यथा अपेक्षित अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की राशि

4246. श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतिमाह दी जा रही पेंशन की राशि और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछली बार उक्त पेंशन किस वर्ष संशोधित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन की राशि और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सम्मान पेंशन पा रहे स्वतंत्रता सेनानियों की मूल पेंशन को वर्ष 2006 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। वर्तमान में, स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली मूल पेंशन को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली बारहमासी औसत वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष मंहगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। मंहगाई भत्ते को 01 अगस्त, 2011 से संशोधित करके 123% से 143% कर दिया गया है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों को देय पेंशन की राशि निम्नानुसार है

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (रु. में)	दिनांक 01.08.2011 से 143% की दर से मंहगाई भत्ता	पेंशन की कुल राशि (रु. में)
1	2	3	4	5
(i)	भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक कैदी	7,330/-	10,482/-	17,812/-
(ii)	वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश इण्डिया से बाहर (आई एन ए के अलावा) यातना झेली	6,830/-	9,767/-	16,597/-
(iii)	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए सहित)	6,330/-	9,052/-	15,382/-

1	2	3	4	5
(iv)	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	संबंधित मृतक स्वतंत्रता सेनानी की ही भांति पात्रता		
(v)	प्रत्येक अविवाहित और बेरोजगार पुत्री (ऐसी तीन पुत्रियों तक)	1,500/-	2,145/-	3,645/-
(vi)	माता और पिता, प्रत्येक को स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकार्य सुविधाएं	1,000/-	1,430/-	2,430/-

स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकार सुविधाएं

- स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ (क) राजधानी में 2 टायर एसी और शताब्दी/जनशताब्दी ट्रेनों में चेयरकार(सीसी) और (ख) सभी अन्य गाड़ियों में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ऐसी स्पीपर के लिए आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास।
- केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन पी एस यू द्वारा संचालित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी जी एस एस सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।
- व्यहार्यता के अध्यधीन, इन्स्टलेशन प्रभारों के बगैर और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन कनेक्शन।
- दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल रिहायशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटा के भीतर)
- उन स्वतंत्रता सेनानियों को नई दिल्ली स्थित स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है।

उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, भूतपूर्व अण्डमान स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवाएं/विधुर वर्ष में एक बार, अपने एक साथी के साथ अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने के लिए नि:शुल्क हवाई यात्रा की सुविधाओं के पात्र हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं/विधुरों को भी दी जाती हैं।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि के संबंध में कार्य-समूह

4247. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य पदार्थों की मूल्यवृद्धि को रोकने हेतु सुझाव देने के लिए तीन कार्य समूह गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समूहों की संरचना और उनके गठन की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समूहों ने अपनी रिपोर्टें केन्द्र सरकार को सौंप दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं और इन विशिष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संबंध में केन्द्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के कोर ग्रुप ने दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में तीन कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया, नामत:

(1) कृषि उत्पादन संबंधी कार्यदल।

(2) उपभोक्ता मामलों संबंधी कार्यदल।

(3) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्यदल।

कार्यदलों से अपनी रिपोर्टें दो माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, रिपोर्टें प्रस्तुत करने की समय-सीमा को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। तीनों कार्यदलों का गठन और उन्हें सौंपे गए कार्य निम्नानुसार है:

1. कृषि उत्पादन संबंधी कार्यदल में निम्नलिखित शामिल हैं:

मुख्य मंत्री, हरियाणा—अध्यक्ष

मुख्य मंत्री, पंजाब

मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल

मुख्य मंत्री, बिहार

कृषि उत्पादन संबंधी कार्यदल द्वारा कृषि के सतत् विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाने सहित कृषि उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई एवं उपायों की सिफारिश की गई।

2. उपभोक्ता मामलों संबंधी कार्यदल में निम्नलिखित शामिल हैं:

मुख्य मंत्री, गुजरात—अध्यक्ष

मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश

मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र

मुख्य मंत्री, तमिलनाडु

उपभोक्ता मामलों संबंधी कार्यदल द्वारा खेत पर मिलने वाले और खुदरा मूल्यों के अन्तर को कम करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन (संशोधनों) के बेहतर कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की गई एवं उपायों की सिफारिश की गई।

3. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्यदल में निम्नलिखित शामिल हैं:

उपाध्यक्ष, योजना आयोग—अध्यक्ष

मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़

मुख्य मंत्री, असम

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्यदल द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएं बेहतर एवं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने और कोल्ड चेन सहित वेयरहाउसों और भंडारण क्षमता को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई एवं उपायों की सिफारिश की गई।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादन संबंधी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत की। कृषि उत्पादन संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना सुनिश्चित करने; पोषण सुरक्षा का समाधान करने के लिए दालों और तिलहनों पर विशेष बल देने; आदान आपूर्ति तंत्र में सुधार करने; अधिक आय के लिए किसानों को बाजार और ऋण संस्था से जोड़ने, उत्पादन और उत्पादकता में पिछड़े राज्यों में भू-सुधार प्रक्रिया और कृषि-जैव विविधता और धारणीय कृषि वृद्धि के लिए जलवायु अनुकूलन कार्यनीति जैसे उपायों की सिफारिश की गई है।

उपभोक्ता मामले संबंधी कार्यदल के अध्यक्ष ने कार्यदल की रिपोर्ट 2 मार्च, 2011 को प्रस्तुत की। उपभोक्ता मामले संबंधी कार्यदल की मुख्य सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि उपज बाजारों प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; कृषि उत्पादन और विपणन के लिए बैकवर्ड और फोवर्ड लिंकेज के कृषि आधार ढांचे में सुधार, परक्राम्य माल गोदाम रसीदों के रूप में स्पॉट और भावी बाजारों के साथ माल गोदाम/शीत श्रृंखला आधार-ढांचे को समेकित करना; कृषि विपणन के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास; संगठित क्षेत्र/सहकारी समितियों द्वारा खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा देना; देश भर में आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भंडार रखना; दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नीतियों को कार्यान्वित करते समय अल्पावधि में दालों के विकल्प को प्रोत्साहित करना; आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता में सुधार करने के लिए विधायी उपबंधों को सुदृढ़ करना शामिल है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्यदल ने 5 अक्तूबर, 2011 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में अन्यों के अलावा, मुख्यरूप से, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने; लक्षित सार्वजनिक वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाने; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वेब आधारित कम्प्यूटरीकरण करने; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति बनाने; एक विस्तृत इलेक्ट्रानिक लाभ स्थानांतरण प्रणाली की स्थापना करने; और भंडारण क्षमता को बढ़ाने आदि की सिफारिश की गई है।

ये तीनों रिपोर्टें निर्णय के लिए सरकार को प्रस्तुत की गई हैं।

जलकृषि का विकास

4248. श्री शिवराज भैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पीने के पानी में जलकृषि (मत्स्य विकास एजेंसी) के विकास हेतु 88.54 लाख रुपये स्वीकृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राशि को कब तक संस्वीकृत/जारी किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास' के तहत 2011-12 के लिए मध्य प्रदेश सरकार से ताजा जल जलकृषि के विकास के लिए 177.54 लाख रुपये जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रथम किश्त के रूप में 89 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

सम्पत्ति कर

4249. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कार्पोरेट्स, बैंक कार्यालयों, लक्जरी होटलों और व्यक्तियों पर सम्पत्ति कर के रूप में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की बड़ी रकम बकाया है;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ताओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त चूककर्ताओं से सम्पत्ति कर की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि ऐसी 80 सम्पत्तियां हैं जिनका बकाया 1 करोड़ रुपये से अधिक है और मांग 396.24 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) अधिकतर मांगें विवादग्रस्त मांगे हैं और ये न्यायाधीन हैं अथवा न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित की गई हैं। तथापि, ऐसे मामलों के निपटान के लिए एनडीएमसी ने एक योजना शुरू की है जिसमें 20 लाख रुपये तक की मांग पर 10 प्रतिशत तथा 20 लाख रुपये से अधिक की मांग पर 5 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान है। यह योजना दिनांक 31.3.2012 तक वैध है।

[अनुवाद]

गांवों को अन्यत्र बसाना

4250. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित गांवों में रहने वाले लोगों को अन्यत्र बसाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गांवों के लोग उक्त प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) देश भर में फैले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों के प्रतिबिन्ध क्षेत्र में अवस्थित गॉवों में रहने वाले लोगों को अन्यत्र बसाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

वे व्यक्ति जिनकी ईमारतें अथवा घर किसी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र (संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर तक) में है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र (निषिद्ध क्षेत्र से और आगे 200 मीटर तक) के मामले में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण, पुनर्निमाण, मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य कर सकते हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अधीन, 'निषिद्ध' और 'विनियमित' क्षेत्रों में मरम्मत/पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण अथवा निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी आवेदनों को निपटाने के लिए सांस्थानिक तंत्र का प्रावधान किया गया है।

चीनी मिलों के बीच दूरी

4251. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी के संबंध में कोई अनिवार्य शर्त/विनियम मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दूरी में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में राज्य-वार नई चीनी मिलें खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां।

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6क के प्रावधान के अनुसार किसी राज्य या दो या अधिक राज्यों में कोई भी नई चीनी फैक्ट्री किसी भी मौजूदा चीनी फैक्ट्री या अन्य नई चीनी फैक्ट्री की 15 किलोमीटर की त्रिज्या दूरी के बीच स्थापित नहीं की जा सकती। तथापि, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से जहां वह जनहित में आवश्यक और उचित समझे, अपने संबंधित राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 15 किलोमीटर से अधिक की ऐसी न्यूनतम दूरी या विभिन्न न्यूनतम दूरियां जो 15 किलोमीटर से कम न हो, अधिसूचित कर सकती है।

(ग) और (घ) 15 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि राज्य सरकार किसी मौजूदा चीनी फैक्ट्री या अन्य नई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 15 किलोमीटर से अधिक करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर सकती है। हाल ही में गन्ने के अधीन क्षेत्रफल में कमी, मौजूदा चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि आदि जैसे कारणों से केन्द्रीय सरकार ने पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार के किसी मौजूदा चीनी फैक्ट्री या अन्य नई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। 31.8.1998 से चीनी उद्योग के लाइसेंसमुक्त होने के बाद उद्यमी गन्ना (नियंत्रण) 1966 में दी गई शर्तों को पूरा करके देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

अन्य देशों से सहायता प्राप्त शहरी परियोजनाएं

4252. डॉ. किरोड़ी लाल मीना: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शहरी अवसंरचना, गरीबी उपशमन और आवास क्षेत्र से संबंधित कुछ परियोजनाएं अन्य देशों से प्राप्त सहायता से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य देशों से प्राप्त की गई सहायता का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्यों की कुछ और परियोजनाएं अन्य देशों की सहायता से वित्तपोषित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां। एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कुल संख्या विवरण-I और II पर है।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता कार्यक्रम एक सतत चालू कार्यक्रम है जो एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा प्रबंधित है जिसमें सभी राज्य सहभागिता करते हैं।

विवरण I

एशियाई विकास बैंक परियोजनाएं

राज्य	ऋण सं.	परियोजना का नाम	ऋण धनराशि	से प्रभावी	ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	ऋण 1813-भारत	कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	177.76 मिलियन यूएस डालर	16 अप्रैल, 2002	इस परियोजना से कोलकाता से अधिसूचित स्लमों में जल आपूर्ति स्वच्छता और पहुंच मार्ग
	ऋण 2293-भारत	कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना (अनुपूरक)	80.00 मिलियन यूएस डालर	1 जनवरी, 2007	सुविधाओं को मुहैया कराते हुए वहां रह रहे लगभग 0.3 मिलियन लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। स्लम सुधार घटक 6.5 मिलियन यूएस डालर धनराशि का है।
केरल	ऋण 2226-भारत	केरल दीर्घकालिक शहरी विकास परियोजना	221.20 मिलियन यूएस डालर	19 मार्च, 2007	इस परियोजना से पांच शहरों यथा तिरूवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड, कोल्लम और त्रिसुर में स्लमवासियों के लिए बुनियादी अवसंरचनाएं और सेवाएं प्रोन्नत की जाएंगी। स्लमों के लिए सामुदायिक अवस्थापना और सेवाएं सुधार घटक 10.0 मिलियन यूएस डालर का है।
राजस्थान	ऋण 2366-भारत	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	60 मिलियन यूएस डालर	28 फरवरी, 2008	इस परियोजना से 15 कस्बों के अधिसूचित स्लमों में रह रहे लगभग 0.21 मिलियन गरीबों के लिए बुनियादी शहरी सेवाओं और उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है।
	ऋण 2506-भारत	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	150.00 मिलियन यूएस डालर	20 अप्रैल, 2009	

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	ऋण 2046-भारत	मध्य प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सुधार	181.00 मिलियन यूएस डालर	17 मई, 2005	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, और ग्वालियर के अधिसूचित स्लमों में रह रहे लगभग 64,000 लोगों के लिए बुनियादी शहरी सेवाओं और जीवन स्तर में सुधार। स्लम घटक 4.56 मिलियन यूएस डालर का है।
	ऋण 2456-भारत	मध्य प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सुधार (अनुपूरक)	71.00 मिलियन यूएस डालर	3 दिसम्बर, 2008	
कर्नाटक	ऋण 2638-भारत	उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	123.00 मिलियन यूएस डालर	1 मार्च, 2011	इस परियोजना के इलकल और शाहबाब के अधिसूचित स्लमों में रह रहे गरीबों के लाभार्थ बुनियादी शहरी सुविधाओं को प्रोन्नत किया जा रहा है स्लम सुधार घटक 5.3 मिलियन डालर का है।

विवरण II

अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं का विभाग

परियोजना का नाम	केन्द्रीय/राज्य	डीएफआईडी वित्त पोषण	प्रारंभन/समापन तिथि
1	2	3	4
जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी गरीबी उपशमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों को सहायता	केन्द्रीय	14.5 मिलियन पौंड	14.4.2010/ 31.03.2015
पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवाएं	पश्चिम बंगाल	102 मिलियन पौंड	14.01.2004/ 31.3.2011

1	2	3	4
गरीबों के लिए मध्य प्रदेश शहरी सेवाएं	मध्य प्रदेश	41 मिलियन पौंड	13.11.2006/31.12.2011
बिहार में शहरी सुधार (एसपी यूआर) के लिए सहायता कार्यक्रम	बिहार	60 मिलियन पौंड	5.3.2010 29.2.2016
		विश्व बैंक परियोजना	
शहरी विकास परियोजना के लिए क्षमता निर्माण	यह परियोजना विभिन्न राज्यों में चयनित यूएलबी के लिए लक्षित होंगी	60 मिलियन यूएस, डालर	2011-2016

[अनुवाद]

मैट्रो ट्रेन प्रचालन प्रणाली

4253. **श्री फांसिस्को सारदीना:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में मैट्रो के तीसरे चरण के लिए आटोमेटिक ट्रेन आपरेशन सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी नहीं। समुचित कदम उठाना दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) पर निर्भर है।

(ख) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि डीएमआरटीएस के चरण-III में चार लाइने हैं, दो स्वतंत्र लाइनें और दो विद्यमान लाइनों का विस्तार हैं जिन पर स्वचालित ट्रेनों का प्रचालन होगा।

[हिन्दी]

बीआईएस दिशानिर्देश

4254. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री कमल किशोर कमाण्डो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस (बीआईएस) ने देश में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने की कोई सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो इन सूचनाओं पर की गई कार्रवाई सहित विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपभोक्ताओं के बीच उक्त दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने खाद्य वस्तुओं के विनिर्देशनों के संबंध में 460 भारतीय मानक बनाए हैं। इन मानकों में चीनी, शहद, उत्तेजक खाद्य पदार्थ, खाद्य यौगिक, मसाले, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, मछलियां, तिलहन, पेय पदार्थ और कार्बोनेटिड पेय, खाद्य स्टार्च, तैयार भोजन,

मांस, डेयरी उत्पाद, विशिष्ट खाद्य पदार्थ और पेयजल के क्षेत्र आते हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के तहत 57 खाद्य वस्तुएं आती हैं जिनमें से 9 वस्तुएं अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत हैं (संदर्भ-विवरण-I)

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2009, 2010 और जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2011 के दौरान 1447 नमूने, निर्धारित भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाए गए। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

उपरोक्त सभी मामलों में, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन मोहर स्कीम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा चुकी है।

(ङ) उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

विवरण I

भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के तहत आने वाली खाद्य वस्तुएं

क्र.सं.	खाद्य वस्तु का नाम	आईएस संख्या	लाइसेंसों की संख्या	ऐच्छिक/अनिवार्य
1	2	3	4	5
1.	साधारण खाद्य नमक	IS253: 1985	1	ऐच्छिक
2.	रोस्टेड चिकोरी पाउडर	IS612: 1992	1	ऐच्छिक
3.	टेपीओका सागो (साबुदाना)	IS899: 1971	2	ऐच्छिक
4.	खाद्य मक्का स्टार्च (कार्न फ्लोर)	IS1005: 1992	1	ऐच्छिक
5.	कस्टर्ड पाउडर	IS1007: 1984	3	ऐच्छिक
6.	हार्ड ब्यालड शूगर कन्फेक्शनरी	IS1008: 2004	6	ऐच्छिक
7.	बिस्कुट	IS1011: 2002	14	ऐच्छिक
8.	बेकिंग पाउडर	IS1159: 1981	3	ऐच्छिक
9.	मिल्क पाउडर	IS1165: 2002	63	ऐच्छिक
10.	कन्डेंस्ड मिल्क, आंशिक रूप से स्किम्ड एवं स्किम्ड कन्डेंस्ड मिल्क	IS1166: 1986	7	अनिवार्य
11.	खाद्य टेपिओका स्टार्च	IS1319: 1983	1	ऐच्छिक
12.	बेकर्स यीस्ट	IS1320: 1988	1	ऐच्छिक
13.	मिल्क सीरल बेस्ड थीनिंग फूड्स	IS1656: 1997	5	अनिवार्य
14.	टारट्राजाइन, फूड ग्रेड	IS1694: 1994	8	ऐच्छिक
15.	सनसेट येलो, फूड ग्रेड	IS1695: 1994	8	ऐच्छिक
16.	एरीथ्रोसाइन, फूड ग्रेड	IS1967: 1994	4	ऐच्छिक

1	2	3	4	5
17.	इण्डिगो कारमाइन, फूड ग्रेड	IS1698: 1994	3	ऐच्छिक
18.	माल्टेड मिल्क फूड	IS1806: 1975	2	ऐच्छिक
19.	फ्लेक टाइप च्युइंग टोबाको (जर्दा)	IS2344: 1994	3	ऐच्छिक
20.	माल्ट एक्सट्रैक्ट	IS2404: 1993	1	ऐच्छिक
21.	अन्नाटो कलर फॉर फूड प्रोडक्ट्स	IS2557: 1994	3	ऐच्छिक
22.	पोनस्यू 4 आर, फूड ग्रेड	IS2558: 1994	7	ऐच्छिक
23.	नेचुरल चीज (हार्ड किस्म) प्रसंस्कृत, चीज, प्रसंस्कृत चीज स्प्रैड और साफ्ट चीज	IS2785: 1979	3	ऐच्छिक
24.	घुलनशील काफी पाउडर	IS2791: 1992	1	ऐच्छिक
25.	कारमोनाइज, फूड ग्रेड	IS2923: 1995	8	ऐच्छिक
26.	घुलनशील काफी-चिकोरी पाउडर	IS3309: 1992	1	ऐच्छिक
27.	चाय	IS3633: 1972	1	ऐच्छिक
28.	रोस्टेड काफी-चिकोरी पाउडर	IS3802: 1992	1	ऐच्छिक
29.	सोडियम बेन्जोएट, फूडग्रेड	IS4447: 1994	1	ऐच्छिक
30.	कैरेमल	IS4467: 1996	16	ऐच्छिक
31.	खाद्य मूंगफली का आटा (एक्सपेलर प्रैस्ड)	IS4684: 1975	2	ऐच्छिक
32.	पोटाशियम मेटाबाईसल्फेट, फूड ग्रेड	IS4751: 1994	1	ऐच्छिक
33.	सोडियम मेटाबाईसल्फेट, फूड ग्रेड	IS4752: 1994	2	ऐच्छिक
34.	सोडियम एलजीनेट, फूड ग्रेड	IS5191: 1993	1	ऐच्छिक
35.	एसकोरबिक एसिड, फूड ग्रेड	IS5342: 1996	3	ऐच्छिक
36.	सिन्थेटिक फूडकलर-तैयार एवं मिश्रण	IS5346: 1994	49	ऐच्छिक
37.	डाइकैल्शियम फास्फेट, पशु चारा ग्रेड	IS5470: 2002	9	ऐच्छिक
38.	जिलेटिन, फूड ग्रेड	IS5719: 1970	2	ऐच्छिक
39.	प्लांटेशन व्हाइट शूगर फॉर आइडेन्टिफिकेशन फ्राम अदर शूगर्स	IS5982: 1970	1	ऐच्छिक
40.	फास्ट ग्रीन एफसीएफ, फूड ग्रेड	IS6022: 1994	1	ऐच्छिक

1	2	3	4	5
41.	कैल्शियम प्रोपायोनेट, फूड ग्रेड	IS6031: 1997	3	ऐच्छिक
42.	स्क्रीन, फूड ग्रेड	IS6385: 1997	1	ऐच्छिक
43.	ब्रिलिएण्ट ब्ल्यू एफसीएफ, फूड ग्रेड	IS6404: 1994	6	ऐच्छिक
44.	प्रोटीन-रिच फूड सप्लीमेंट फॉर इन्फेंक्ट्स एंड प्रीस्कूल चिल्ड्रन	IS7021: 1973	3	ऐच्छिक
45.	आयोडाइज्ड नमक	IS7224: 1985	32	ऐच्छिक
46.	चक्का एंड श्रीखण्ड	IS9352: 1980	2	ऐच्छिक
47.	लैक्टिक एसिड, फूड ग्रेड	IS9971: 1981	1	ऐच्छिक
48.	फोसफोरिक एसिड, फूड ग्रेड	IS10508: 1983	1	ऐच्छिक
49.	नवजात बच्चों के लिए प्रसंस्कृत अनाज आधारित पूरक आहार	IS11536: 1987	4	अनिवार्य
50.	डेयरी व्हाइटनर	IS12299: 1998	7	ऐच्छिक
51.	साधारण नमक-आयरन युक्त	IS2981: 1991	1	ऐच्छिक
52.	स्किम्ड मिल्क पाउडर-पार्ट-1, स्टैण्डर्ड ग्रेड	IS13334-PART 1: 1998	160	अनिवार्य
53.	स्किम्ड मिल्क पाउडर-पार्ट-2, एकस्ट्रा ग्रेड	IS13334: PART 2: 1998	39	अनिवार्य
54.	पैक्ड नेचुरल मिनरल वाटर	IS13428: 2005	22	अनिवार्य
55.	इन्फैण्ट मिल्क सब्सिच्यूट	IS14433: 2007	12	अनिवार्य
56.	पैक्ड पेयजल (पैक्ड नेचुरल मिनरल वाटर के अतिरिक्त)	IS14543: 2004	3271	अनिवार्य
57.	फालो-अप-फार्मूला पूरक आहार	IS15757-2007	6	ऐच्छिक

विवरण II

खाद्य वस्तुओं के संबंध में पाए गए उल्लंघन

बीओ का नाम	आईएस सं. 14543	आईएस सं. 13334 (पी-1)	आईएस सं. 13334 (पी-2)	आईएस सं. 1165	आईएस सं. 1166	आईएस सं. 1011	आईएस सं. 3633	आईएस सं. 14433	आईएस सं. 5346	आईएस सं. 6031	आईएस सं. 15757	आईएस सं. 2557	आईएस सं. 7224
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एनआरओ													
एमडीसी एच-1	13	4	3	3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एमडीसी एच-3	29	11		2		1							
पीआरबीओ	शून्य					1							
एफडीओ	9	2											
केबीओ	11	5	2										
एलबीओ	5												
सीआरओ	उ.नं.												
एमडीडी-1													
जीजैडओ	14	6											
जेबीओ	15	4											
डीबीओ	17												
बीपीएलबीओ	93	16	1										
ईआरओ	उ.नं.					3			3			2	
एमडीके-3													
जीबीओ	68												1
पीबीओ	23												
बीएचबीओ	20												
डब्ल्यूआरओ													
एमडीएम-1	114								1	1	1		
पीएनबीओ	67	4					1						
एनबीओ	89	1											
एबीओ	66	4			6			1					
आरओबी	43												
एसआरओ	उ.नं.	2							2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एमडीसी-1													
एचबीओ	311	2	2		1								
बीएनबीओ	129			1									
टीबीओ	53					1	2						
वीबीओ	92												
सीबीटीओ	63												
कुल	1344	61	8	6	7	6	3	1	6	1	1	2	1

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को प्रायोजित करना

4255. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओलम्पिक खेलों के तहत विभिन्न खेलों की महिला/पुरुष खिलाड़ियों को वर्ष 2012 में ब्रिटेन में होने वाले ओलम्पिक खेलों में और अधिक व्यक्तिगत पदकों को जीतने की संभावना को बढ़ाने सहित अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में तैयारी और भागीदारी के लिए उनको प्रायोजित करके प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनको प्रायोजित करने पर कितना व्यय हुआ है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) लंदन ओलम्पिक, 2012 के लिए आपरेशन उत्कृष्टता (ओपेक्स 2012) के अंतर्गत, एथलीटों को देश और विदेश दोनों ही जगहों पर व्यापक और गहन प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन के अवसर प्रदान किये जा रहे है। अनुमोदित निधियन मानक जो सी डब्ल्यू जी, 2010 पैमाने के अनुरूप हैं, उसके आधार को कुछ क्षेत्रों जैसे-आवास, पोषाहार, वैज्ञानिक समर्थन तथा दैनिक भत्ते दिये गये हैं।

(ख) लंदन ओलम्पिक, 2012 के लिए एथलीटों की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल विकास निधि की सहायता की योजना के प्रावधान के अनुरूप दी जा रही है। सहायता मुख्य रूप से कोचिंग कैम्पों, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों को लगाने, सहायक कार्मिकों, विदेशी प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता, हवाई यात्रा खर्च, आवास एवं भोजन के लिए है। अन्य बातों के साथ-साथ लंदन ओलम्पिक, 2012 के लिए एथलीटों की तैयारी के लिए, आहार प्रभार 400 रुपये की दर से प्रतिदिन प्रति एथलीट, भोज्य आपूर्ति 250 रुपये की दर से प्रतिदिन प्रति एथलीट, वर्ष में 2 बार स्पोर्टस किट 10,000 रुपये की दर से प्रति एथलीट, वास्तविक चिकित्सा बीमा, आवास से प्रशिक्षण/प्रतियोगिता गंतव्य दूरी तक हवाई यात्रा, (किफायती श्रेणी), अन्य सुविधाएं जैसे आवास एवं भोजन, स्थानीय परिवहन आदि के साथ सामान्यत: 7000 अमेरिकी डालर प्रतिमाह तक के वेतन पर, विदेशी प्रशिक्षकों को लगाना, 50,000 रुपये प्रतिमाह तक के वेतन पर मुख्य/राष्ट्रीय कोच को लगाना, 30,000 रुपये प्रतिमाह तक के वेतन पर अन्य भारतीय कोचों को लगाना, प्रदान किया जा रहा है।

(ग) 30 नवम्बर, 2011 तक लंदन ओलम्पिक, 2012 के लिए एथलीटों की तैयारी पर लगभग 111.19 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	विधा	केम्पों पर व्यय (करोड़ रुपये में)	विदेशों में खेल प्रदर्शनों के अनुभव पर व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल (करोड़ रुपये में)
1.	तीरंदाजी	3.13	2.52	5.65
2.	एथलेटिक्स	3.95	3.02	6.97
3.	बैडमिन्टन	2.84	5.54	8.38
4.	मुक्केबाजी	4.51	10.80	15.31
5.	जिमनास्टिक	1.38	4.98	6.36
6.	हाकी	4.89	11.21	16.10
7.	जुडो	1.86	2.28	4.14
8.	रोइंग	1.96	1.08	3.04
9.	शुटिंग	2.56	10.48	13.04
10.	तैराकी	0.62	0	0.62
11.	टेबल टेनिस	1.49	1.96	3.45
12.	त्वाईक्वान्डो	1.41	1.22	2.63
13.	लान टेनिस	2.58	0	2.58
14.	भारोतोलन	2.78	2.55	5.33
15.	कुश्ती	4.76	4.92	9.68
16.	याटिंग	0.97	1.54	2.51
	कुल	41.69	64.10	105.79

खर्च का सार

1. कोचिंग कैम्प	41.69 करोड़ रुपये
2. विदेशी कोचों	4.40 करोड़ रुपये
3. भारतीय कोचों एवं सहायक सटाफ	1.00 करोड़ रुपये
4. विदेशों में खेल प्रदर्शन	64.10 करोड़ रुपये
कुल	111.19 करोड़ रुपये

भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ सामान की ढुलाई

4256. श्री प्रताव सिंह बाजवा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ व्यक्तियों एवं सामानों के भूमि से ढुलाई में सुधार करने हेतु कुछ व्यापार एवं कारोबार चैम्बर्स से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूमि से होने वाले व्यापार को बढ़ावा देने हेतु वास्तविक अवसरंचना का उन्नयन करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) गृह मंत्रालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रियों की आवाजाही और सीमावर्ती व्यापार में सुधार करने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पर पंजाब में अटारी में आई सी पी के विकास का अनुमोदन किया है।

अटारी आई सी पी के विकास से एक एकीकृत संकुल के अंतर्गत व्यक्तियों, वाहनों और सामानों की सहज सीमा-पार आवाजाही में सक्षम बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध इत्यादि की प्रक्रियाओं को सुकर बनाना अभिप्रेत है।

पद्मश्री पुरस्कार

4257. श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन हेतु क्या मानदण्ड स्वीकार किये गये हैं तथा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान समिति के उन सदस्यों के वर्ष-वार नाम क्या हैं जो पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का निर्धारण करते हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों पर इन पुरस्कारों हेतु विचार किये जाने से रोके जाने के लिये कोई नियम/दिशानिर्देश विनियम हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये नियम/दिशानिर्देश कब से लागू हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) किसी भी क्षेत्र में "विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा" के लिए पदमश्री विभूषण; "उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा" के लिए पदमश्री भूषण तथा "उत्कृष्ट सेवा" के लिए पदमश्री प्रदान किया जाता है।

पद्म पुरस्कारों को विनियमित करने वाली मौजूदा प्रक्रिया/दिशानिर्देशें के अनुसार पुरस्कारों के लिए नामांकन सभी के लिए खुला हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों तथा भारत रत्न और पद्मश्री विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ताओं, जिनसे नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, स्त्रोतों से नामांकन प्राप्त होने के अतिरिक्त राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, निजी संस्थानों/निकायों और व्यक्ति-विशेष आदि जैसे विभिन्न अन्य स्त्रोतों से भी भारी संख्या में सिफारिशें प्राप्त होती हैं। मंत्रालय में प्राप्त सभी नामांकनों/सिफारिशों को पद्म श्री पुरस्कार समिति के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार समिति उनके समक्ष रखे गए सभी नामांकनों/सिफारिशों की जांच करती है और तत्पपश्चात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशें करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए पदम श्री पुरस्कार समिति के सदस्यों के नाम विवरण में संलग्न है। पदम श्री पुरस्कार 2012 की चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मौजूदा पद्धति के अनुसार, पदम श्री पुरस्कार समिति के सदस्यों के नाम तब तक नहीं प्रकट किए जाते जब तक कि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

2009

1. श्री के. एम. चन्द्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव
2. श्री मधुकर गुप्ता, गृह सचिव

3. डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज, राष्ट्रपति के सचिव

4. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

5. प्रो. ज्योतिन्द्र जैन

6. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्सायन

7. डॉ. आर. चिदम्बरम

8. डॉ. सईदा हमीद

9. श्री तरुण दास

2010

1. श्री के.एम. चन्द्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव

2. श्री गोपाल के. पिल्ले, गृह सचिव

3. डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज, राष्ट्रपति के सचिव

4. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

5. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्सायन

6. डॉ. आर. चिदम्बरम

7. डॉ. सईदा हमीद

8. श्री तरुण दास

9. श्री गिरीश कर्नाड

2011

1. श्री के.एम. चन्द्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव

2. श्री गोपाल के. पिल्ले, गृह सचिव

3. डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज, राष्ट्रपति के सचिव

4. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

5. सुश्री लीला सैम्सन

6. डॉ. आर. चिदम्बरम

7. डॉ. सईदा हमीद

8. श्री तरुण दास

9. श्री गिरीश कर्नाड

[हिन्दी]

महिला किसान

4258. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग महिला कृषकों के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रहा है। हालांकि योजना आयोग के निदेशों के अनुसार, 2007-08 से सभी लाभार्थी केन्द्रित योजनाओं के तहत राज्यों को महिला कृषकों के लाभ के लिए 30 प्रतिशत की सीमा तक निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एक कार्यक्रम महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) कार्यान्वित कर रहा है जिसे महिला कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने एवं ग्रामीण महिला कृषकों विशेषकर छोटे एवं सीमान्त किसानों को सामाजिक-आर्थिक एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के एक उपघटक के रूप में 2010-11 के बजट में घोषित किया गया। एमकेएसपी का मुख्य उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता को बढ़ाने के जरिए कृषि में महिलाओं को सशक्त करने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का सृजन करना एवं उसे बनाए रखना है। छह राज्यों की कुल 33 परियोजनाएं 2010-11 के दौरान स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं से कुल 22,38,700 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इस मंत्रालय को 2011-12 के दौरान कुल 32 परियोजनाएं प्राप्त हुई जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में गठित किया जा रहा है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदान, प्रौद्योगिकी एवं विस्तार सहायता इत्यादि प्रदान की जा रही है।

2. 28 राज्यों एवं 3 केन्द्र शासित प्रदेश के 603 जिलों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता के तहत महिला कृषकों समेत किसानों को एक्सपोजर दौरों, प्रदर्शन, किसान, मेले, किसान समूहों का संघटन एवं फार्म स्कूलों की स्थापना के जरिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान की जाती हैं। 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला कृषक होनी चाहिए।

3. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय की स्थापना (एसीएबीसी) के अधीन कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों में महिला स्नातकों को कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में कृषि उद्यमों की स्थापना के लिए 44 की दर पर ऋण संबद्ध राजसहायता मुहैया करायी जा रही है।

4. संशोधित स्कीम वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) के अधीन छोटे, सीमांत और महिला कृषकों के लिए आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाना है।

5. राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम (एनपीओएफ) के अधीन 25 प्रतिशत सीटें जैविक खेती में महिला कृषकों के प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

6. वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूपीआरए) के अधीन पनधारा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को महिलाओं के स्वावलम्बी समूहों और उपभोक्ता समूहों में संघटित किया जाता है जिससे कि महिलाओं के सभी परिदृश्यों और हितों को पर्याप्त रूप से पनधारा कार्य योजना में प्रतिबिम्बित किया जा सके।

7. कपास प्रौद्योगिकी के मिनी मिशन-2 तथा पटसन प्रौद्योगिकी के मिनी मिशन-2 के अधीन, बीजों, कृषि आदानों जैसे घटकों को ऐसी महिला कृषकों को मुहैया कराया जा रहा है जिनके पास अपनी भूमि है, जबकि भूमिहीन महिला कृषकों सहित महिला कृषकों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन, उपकरण खरीदने के लिए महिला कृषकों सहित किसानों को सहायता मुहैया कराई जा रही है।

9. ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के अधीन, महिला कृषकों को परियोजना के पूंजी लागत के 33.33 प्रतिशत की दर पर राजसहायता मुहैया कराई जाती है।

10. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के अधीन महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा महिला अनुकूल उपकरणों का वितरण भी किया जा रहा है।

11. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम के अधीन जैव-नियंत्रण एजेंटों/ जैव-कीटनाशकों की बड़े पैमाने पर उत्पादन इकाईयां खोलने तथा जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद करने हेतु महिला संगठनों को उपकरणों की कुल लागत पर 50 प्रतिशत तक की राजसहायता मुहैया करायी जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केंद्रों का पुनर्गठन

4259. शेख नूरुल इस्लामः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में फैले कृषि विज्ञान केन्द्रों के पुनर्गठन हेतु किसी कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषतायें क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि विज्ञान केन्द्रों को अत्यधिक प्रभावी बनाने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे है। और

(छ) देश में राज्य-वार कितने जिलों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, भौगोलिक दूरी सहित निगरानी किये जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों (के वी के) की संख्या पर विचार करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्यों की क्षेत्रवार वर्गीकरण समीक्षा के सुझाव हेतु विख्यात वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की है। समिति के विचारार्थ विषय है; देश में कृषि विज्ञान केन्द्र सिस्टम के वर्तमान आठ क्षेत्रों का विश्लेषण और जांच करना; राज्यों को क्षेत्रवार वर्गीकरण का सुझाव; कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभावशाली निगरानी के लिए देश में अतिरिक्त क्षेत्रीय परियोजना निदेशालयों की आवश्यकता की संख्या और स्थान बताना; और प्रत्येक क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या और राज्यों का क्षेत्रवार वर्गीकरण का प्रस्ताव।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की प्रमुख सिफारिशों में शामिल है जैसे कि राज्य इकाई को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय परियोजना निदेशालयों की संख्या को बढ़ाकर 8 से 11 करना; और क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय की नामावली में परिवर्तन करके कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग निदेशालय करना; और क्षेत्रीय परियोजना निदेशक को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग निदेशालय के रूप में नामित करना।

(ङ) और (च) 11वीं योजना के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केन्द्रों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक कदम उठाए है। इनमें शामिल है चुनिंदा कृषि विज्ञान केन्द्रों को अतिरिक्त बुनियादी ढ़ांचा सुविधाओं जैसे मूलभूत पादप स्वास्थ्य नैदानिक सुविधाएं, न्यूनतम प्रसंस्करण सुविधाएं, पोर्टेबल कार्प हैचरी, मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला के साथ सुदृढ़ करना और ई-संपर्क सुविधाएं; कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार शिक्षा निदेशालयों को यह जिम्मेदारी सौंपना कि कृषि विज्ञान केन्द्रों को तकनीकी बैकस्टॉपिंग और सशक्तिकरण जानकारी प्रदान करें; कृषि विश्वविद्यालयों में किसान के लिए अतिथिगृह और मोबाइल नैदानिक कम प्रदर्शनी इकाई का प्रावधान और अतिरिक्त वैज्ञानिक और प्रशासनिक मानवशक्ति के साथ आठ क्षेत्रीय समन्वित इकाईयों को प्रोन्नत करके क्षेत्रीय परियोजना निदेशालयों के स्तर का बनाना।

(छ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के तहत सम्मिलित जिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों के तहत सम्मिलित जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित	एक के. वि. के. के साथ जिलों की संख्या	दो के वि के के साथ जिलों की संख्या	के वि के की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	-	2
2.	आंध्र प्रदेश	22	8	30
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	-	13
4.	असम	21	-	21
5.	बिहार	38	-	38
6.	छत्तीसगढ़	16	2	18
7.	दिल्ली	1	-	1
8.	गोवा	2	-	2
9.	गुजरात	26	1	27

1	2	3	4	5
10.	हरियाणा	18	-	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12	-	12
12.	जम्मू और कश्मीर	14	-	14
13.	झारखंड	22	-	22
14.	कर्नाटक	28	2	30
15.	केरल	14	-	14
16.	लक्षद्वीप	1	-	1
17.	मध्य प्रदेश	47	-	47
18.	महाराष्ट्र	33	11	44
19.	मणिपुर	9	-	9
20.	मेघालय	5	-	5
21.	मिजोरम	8	-	8
22.	नागालैंड	9	-	9
23.	ओडिशा	30	-	30
24.	पुडुचेरी	2	-	2
25.	पंजाब	17	-	17
26.	राजस्थान	32	-	32
27.	सिक्किम	4	-	4
28.	तमिलनाडु	30	-	30
29.	त्रिपुरा	4	-	4
30.	उत्तर प्रदेश	67	1	68
31.	उत्तराखंड	13	-	13
32.	पश्चिम बंगाल	17	-	17
	कुल	577	25	602

खाद्यान्नों की खरीद

4260. श्री पी. आर. नटराजन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और अनाज-वार कितना खाद्यान्न लाया गया तथा कितना खाद्यान्न खरीदा गया;

(ख) क्या देश में खाद्यान्न खरीद की लागत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं और धान की आमद की मात्रा और इसकी खरीदारी के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए है।

(ख) और (ग) गेहूं और धान की अधिग्रहण लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्यों द्वारा लगाए गए करों और प्रासंगिक प्रभारों पर निर्भर करती है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार रहा है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
गेहूं	1000	1080	1100	1170*
धान				
साधारण	900^	1000^^	1000	1080
ग्रेड 'ए'	930^	1030^^	1030	1110

* 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है

^ 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है

^^ 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है

विवरण I

सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं का आगमन और खरीद (विपणन मौसमवार)

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		211-12	
		आगमन	खरीद	आगमन	खरीद	आगमन	खरीद	आगमन	खरीद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	105.84	99.41	109.80	107.25	102.80	102.09	110.94	109.57
2.	हरियाणा	53.37	52.37	69.31	69.24	63.62	63.47	68.95	68.91
3.	उत्तर प्रदेश	31.37	31.38	38.82	38.82	32.69	16.45	49.33	34.60
4.	मध्य प्रदेश	27.19	24.10	23.98	19.68	44.34	35.38	61.10	48.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	5.00	5.00	4.97	4.97	1.83	1.83	4.77	4.77
6.	राजस्थान	11.49	9.35	13.85	11.52	7.56	4.76	16.11	13.02
7.	उत्तराखंड	2.14	0.85	2.90	1.45	2.24	0.86	2.40	0.42
8.	चंडीगढ़	0.12	0.10	0.12	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
9.	दिल्ली	1.18	0.06	0.31	-	0.52	0.10	0.37	0.08
10.	गुजरात	6.29	4.14	4.51	0.75	3.67	0.01	8.50	1.05
11.	झारखंड	0.02	0.02	0.00	Neg.	0.00	नगण्य	-	-
12.	महाराष्ट्र	0.10	0.10	0.00	-	0.00	-	-	-
13.	हिमाचल प्रदेश	0.00	-	0.01	0.01	0.00	नगण्य	0.01	नगण्य
14.	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-	-	-
15.	पश्चिम बंगाल	-	-	0.00	-	0.09	0.09	-	-
	कुल	244.13	226.89	268.58	253.82	259.38	225.14	322.56	281.44

नोट: नगण्य 500 टन से कम की नगण्य मात्रा के संदर्भ में।

विवरण I

सरकारी एजेंसियों द्वारा धान का आगमन और खरीद (विपणन मौसमवार)

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		211-12*	
		आगमन	खरीद	आगमन	खरीद	आगमन	खरीद	आगमन	खरीद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	186.14	11.60	150.03	4.52	181.69	24.50	22.50	5.57
2.	असम	0.04	0.04	0.12	0.12	0.23	0.23	0.00	0.00
3.	बिहार	2.35	12.35	10.68	10.68	11.44	11.44	0.02	0.02
4.	चंडीगढ़	0.13	0.08	0.21	0.20	0.19	0.13	0.21	0.19
5.	छत्तीसगढ़	57.66	30.59	58.40	44.28	62.70	51.16	20.85	19.91
6.	दिल्ली	2.32	0.00	4.27	0.00	2.89	0.00	2.64	0.00
7.	गुजरात	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	22.18	18.22	28.16	26.36	26.38	24.82	30.04	29.19
9.	हिमाचल प्रदेश	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.38	0.38	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.27	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.01
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.15	0.15	0.35	0.35	0.00	0.00
13.	केरल	3.54	3.54	3.89	3.89	3.93	3.93	1.47	1.47
14.	मध्य प्रदेश	3.16	2.24	2.69	2.07	4.73	4.28	2.77	1.71
15.	महाराष्ट्र	*1.65	1.65	2.33	2.33	1.94	1.94	0.46	0.46
16.	नागालैंड	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	ओडिशा	42.14	40.28	37.71	35.99	36.95	36.14	0.00	0.00
18.	पुडुचेरी	0.11	0.11	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	131.58	120.84	141.34	138.06	130.77	128.86	118.79	114.25
20.	राजस्थान	0.41	0.00	0.07	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
21.	तमिलनाडु	17.93	17.93	18.53	18.53	23.03	23.03	4.09	4.09
22.	उत्तर प्रदेश	69.10	32.72	41.63	13.99	35.02	14.46	18.39	7.67
23.	उत्तराखंड	7.03	0.10	8.09	0.35	8.86	0.15	3.00	0.14
24.	पश्चिम बंगाल	12.49	12.49	8.32	8.32	11.76	11.76	0.00	0.00
	जोड़	570.63	305.19	516.78	310.00	542.99	337.23	228.58	184.71

*14.12.2011 की स्थिति के अनुसार

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा

4261. श्री महाबल मिश्रा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान नकारात्मक या प्राय: शून्य है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी राज्यों में कृषि वृद्धि दर में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) 2004-05 के मूल्यों पर 2004-05 से 2009-10 तक केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के राज्यवार अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि राज्य का विषय है भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में पूंजीनिवेश में वृद्धि करने तथा उसके पश्चात समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए राज्यों के परामर्श से अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल तथा मक्कायोजना (आईसोपॉम), ग्रामीण भण्डारण योजना आदि।

विवरण

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी

(2004-05 मूल्यों पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	25.1	24.3	22.3	23.3	22.6	21.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.1	33.3	34.7	34.9	29.5	26.3
3.	असम	25.6	25.4	24.7	24.2	24.1	23.3
4.	बिहार	31.5	28.9	30.6	26.6	25.7	20.9
5.	झारखण्ड	14.9	16.0	17.6	15.4	17.4	17.7
6.	गोवा	7.9	9.3	7.0	6.7	5.9	5.2
7.	गुजरात	16.1	17.2	15.8	15.4	13.3	12.1
8.	हरियाणा	21.8	19.4	19.8	18.0	17.4	15.9
9.	हिमाचल प्रदेश	25.5	24.9	22.7	22.8	21.2	18.3
10.	जम्मू और कश्मीर	28.4	27.4	26.1	24.8	23.6	22.3
11.	कर्नाटक	18.7	18.6	16.5	16.4	15.7	15.6
12.	केरल	17.5	16.7	14.5	13.1	12.6	11.5
13.	मध्य प्रदेश	27.7	28.1	26.3	24.8	25.4	25.2
14.	छत्तीसगढ़	21.2	23.2	20.4	20.6	17.1	16.7
15.	महाराष्ट्र	10.6	10.1	9.8	10.0	8.0	8.4
16.	मणिपुर	24.7	23.2	22.8	23.6	24.3	24.8
17.	मेघालय	23.3	22.6	21.3	20.1	19.3	18.5

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	23.5	22.3	21.4	22.0	21.7	22.7
19.	ओडिशा	23.9	23.4	21.1	20.0	18.6	18.4
20.	पंजाब	32.6	31.2	29.2	27.8	26.7	25.2
21.	राजस्थान	25.6	24.1	23.2	22.4	22.2	18.6
22.	सिक्किम	18.6	17.6	16.7	16.1	14.4	11.6
23.	तमिलनाडु	11.1	11.1	10.9	9.8	9.1	8.5
24.	त्रिपुरा	25.1	24.4	24.4	26.6	25.9	25.3
25.	उत्तर प्रदेश	29.7	28.6	27.1	26.1	25.3	23.7
26.	उत्तराखण्ड	22.3	18.9	17.3	15.0	12.8	12.5
27.	पश्चिम बंगाल	23.9	23.0	21.8	21.5	20.0	19.6
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	16.5	12.0	13.5	12.3	11.6	11.5
29.	चंडीगढ़	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
30.	दिल्ली	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
31.	पुडुचेरी	5.3	4.1	4.3	4.0	5.4	5.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित।

[अनुवाद]

दूरदर्शन उर्दू चैनल में रिक्त पद

4262. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दूरदर्शन केन्द्रों में उर्दू समाचार वाचकों एवं अन्य स्टाफ के अनेक पद लम्बे समय से रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन केन्द्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण दूरदर्शन की उर्दू प्रसारण सेवाओं पर किस हद तक प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) दूरदर्शन केंद्र, श्रीनगर में एक पद, जिसे दूरदर्शन केंद्र, जम्मू में अंतरित कर दिया गया है और इस समय वह भरा हुआ है, को छोड़कर उर्दू समाचार वाचक का कोई संस्वीकृत पद नहीं है। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए संस्वीकृत पदों सहित दूरदर्शन केंद्रो के विभिन्न पदों में 5,555 रिक्तियां है। इन रिक्त पदों को प्रसार भारती द्वारा इन पदों हेतु भर्ती विनियमों को अधिसूचित करने के बाद ही भरा जा सकेगा।

(ग) दूरदर्शन द्वारा उर्दू समाचारों के प्रसारण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि दूरदर्शन केंद्रों द्वारा उर्दू समाचारों के प्रसारण की आवश्यकता को नियोजन आधार पर व्यक्तियों को संलग्न करके पूरा किया जाता है।

(घ) इस समय, क्षेत्रीय भाषा इकाइयों के लिए संस्वीकृत पदों सहित दूरदर्शन के सभी पदों के लिए भर्ती विनियमों की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) द्वारा छात्रवृत्ति

4263. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों को उक्त छात्रवृत्ति दी गई;

(ग) क्या धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है तथा कितनी संख्या में छात्रवृत्तियां दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) चयन किए गए प्रत्येक विद्यार्थी को 12,600/- रु. की राशि प्रति वर्ष अदा की जाती है जिसमें से शिक्षक/शुरु को ट्यूशन फीस के रूप में 9000/- की प्रतिपूर्ति की जाती है और प्रत्येक छात्रवृत्तिधारक को छात्रवृत्ति के रूप में 3600/- रु. प्रदान किए जाते हैं।

(ख) पिछले 2 वर्षों अर्थात् 2009-10 और 2010-11 और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान सांस्कृतिक प्रतिभा अनुसंधान शिक्षावृत्ति स्कीम के अधीन दी गई शिक्षावृत्ति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर सांस्कृतिक प्रतिभा अनुसंधान शिक्षावृत्ति स्कीम की समीक्षा करने के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) द्वारा समिति गठित की गई है।

विवरण

पिछले 2 वर्षों अर्थात् 2009-10 और 2010-11 और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान सांस्कृतिक प्रतिभा अनुसंधान शिक्षावृत्ति का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	20	29
2.	अरूणाचल प्रदेश	07	05	05
3.	असम	58	59	55
4.	बिहार	05	07	04
5.	छत्तीसगढ़	10	06	07
6.	गोवा	03	04	04
7.	गुजरात	10	07	09
8.	हरियाणा	07	04	05
9.	हिमाचल प्रदेश	01	00	01
10.	जम्मू और कश्मीर	10	09	15
11.	झारखंड	07	06	08
12.	कर्नाटक	26	28	34

1	2	3	4	5
13.	केरल	30	28	25
14.	मध्य प्रदेश	13	21	19
15.	महाराष्ट्र	35	37	41
16.	मणिपुर	12	16	07
17.	मेघालय	09	10	05
18.	मिजोरम	–	03	03
19	नागालैंड	06	06	06
20.	ओडिशा	39	51	39
21.	पंजाब	05	05	02
22.	राजस्थान	08	09	11
23.	सिक्किम	–	01	03
24.	तमिलनाडु	20	13	20
25.	त्रिपुरा	18	25	34
26.	उत्तराखंड	05	07	04
27.	उत्तर प्रदेश	10	14	13
28.	पश्चिम बंगाल	48	36	42
29.	अडंमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–.	05	02
30.	चंडीगढ़	02	03	00
31.	दिल्ली	39	48	34
32.	दादरा एवं नागर हवेली	–	00	02
33.	दमन एवं दीव	–	00	01
34.	पुडुचेरी	06	07	04
	कुल	472	500	493

[हिन्दी]

माधव मेनन समिति की रिपोर्ट

4264. श्री इज्यराज सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने माधव मेनन समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार/सहमति प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्य सरकारों को उक्त रिपोर्ट पर अपने विचार/सहमति देने का निदेश दिया है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट पर की जा रही कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) माधव मेनन समिति की रिपोर्ट पर नौ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड ने अपनी राय प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) टुकड़ों में संशोधन करने की बजाय आपराधिक कानून की व्यापक समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय की विभाग से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिश पर, विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे आपराधिक कानून के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए जांच करने तथा एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विधि आयोग से अनुरोध करे ताकि विभिन्न कानूनों में व्यापक संशोधन किये जा सकें। विधि आयोग इस संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, मलीमथ समिति और माधव मेनन समिति तथा अन्य समितियों/आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखे।

[अनुवाद]

कृषि विपणन

4265. श्री खगेन दास:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री जोस के.मणि.:
श्री आनंदराव अडसूल:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त उस रिपोर्ट को जानकारी है कि कृषि उत्पाद विपणन समिति, (एपीएमसी) अधिनियम उत्पाद के निर्बाध आवागमन को रोकता है जो मूल्यों के नियंत्रण बिचौलियों केा हटाने और कृषि वृद्धि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व्यवधान पैदा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि विपणन हेतु कोई पैनल नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है; और

(ङ) किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) राज्यों में अधिसूचित कृषि उत्पाद का देश में एपीएमसी के नेटवर्क के माध्यम से व्यापार किया जाता है। तथापि, उन्नत एवं वैकल्पिक विपणन चैनलों के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य दिलाए जाने में मदद करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम तैयार किया और इसे अपनाए जाने के लिए वर्ष 2003 में सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित किया। मॉडल एपीएमसी अधिनियम में अन्य के साथ-साथ सीधे विपणन, ठेका कृषि, कृषक/उपभोक्ता मण्डियों, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मण्डियों की स्थापना किए जाने और ई-ट्रेडिंग, किसानों को वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी विपणन चैनल और मध्यस्थता को कम करते हुए प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) मण्डी सुधार, विपणन अवसंरचना के विकास में निवेश तथा कृषि जिन्सों की बाधामुक्त आवा-जाही मुहैया कराने के लिए कृषि मंत्रालय ने मार्च, 2010 में कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की हैं। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को 8 सितम्बर, 2011 को प्रस्तुत की जिसे सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया है।

(ङ) मॉडल एपीएमसी अधिनियम राज्यों का अन्य बातों के साथ सीधा विपणन तथा वैकल्पिक विपणन चैनल अपनाने में मार्ग-दर्शन करता है ताकि लेन-देन की लागत को कम किया जा सके तथा किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित किए जा सके। किसानों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराने के लिए सरकार मूल्य समर्थन स्कीम भी कार्यान्वित करती है।

शहरी मलिन बस्तियों की आबादी

4266. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी मलिन बस्तियों की आबादी वर्ष 2001 में 158.42 मिलियन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संख्या का आंकड़ा 52.4 मिलियन का तीन गुणा है जो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार है जिसमें मलिन बस्तियों की गणना 1743 शहरों में की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने भारत को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कोई अध्ययन किया है/किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के 'विश्व शहरी करण पूर्वेक्षण 2001' के अनुसार भारत में - 2001 में अनुमानित स्लम जनसंख्या (वर्ष के मध्य में) 154.418 है।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार 20000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले 1743 शहरों में कुल स्लम आबादी 52.37 मिलियन है।

(ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने डॉ. प्रणव सेन की अध्यक्षता में स्लम सांख्यिकी की जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए स्लम सांख्यिकी/जनगणना पर समिति का गठन किया था।

समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2001 में 5161 शहरों/कस्बों की अनुमानित स्लम आबादी 75.26 मिलियन है तथा 2011 के लिए अनुमानित की गई स्मल आबादी 93.06 मिलियन होगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जी.एम. फसलों पर अनुसंधान

4267. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री अर्जुन राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीएमओ अनुसंधान सूचना प्रणाली के अनुसार 74 ऐसी फसलें हैं जो देश में आनुवंशिक दृष्टि से रूपांतरित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उक्त अनुसंधान क्रियाकलापों के सभी पहलुओं का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 72 फसलों/पादप किस्मों पर वर्तमान समय में आनुवंशिक संशोधन से संबंधित अनुसंधान कार्य चल रहा है। इनमें कपास, सोयाबीन, चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, आलू, बैंगन, टमाटर, गन्ना, अरंडी, ब्लैकग्राम, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी, कुसुम, जूट, काफी, संतरा, तरबूज, चना, पपीता, चाय, अरहर, बंदगोभी, फूलगोभी, सरसों, चुकंदर, बांस, मूंगफली, प्याज, भिंडी, सेब, कसावा, एल्फा-एल्फा, केला, बाजरा, मटर, अमरूद, फील्ड-बीन, अदरक, रबड़, खीरा, खरबूजा, गाजर, रागी, स्ट्रोबेरी, अनार, तंबाकू, शहतूत, सफेदा, कार्नेशन, गुलदाउदी, इलायची, मिर्च, बैल-पीपर, बीच शी-ओक, ब्राह्मी, एराबीडोपसीस, एडा-कोडियन, किरायात, फिजिक-नट, महुआ, भुईआंवला, काली मिर्च, कपास लकड़ी, बाबची, स्टीविया, अश्वगंधा और वनीला शामिल हैं। इन फसल पादपों में अजैविक और जैविक दबाव प्रतिरोधिता, पोषण/गुणवत्ता सुधार, फसल सुधार आदि विशिष्ट लक्षणों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 से आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए जरूरी अनुसंधान/संशोधन से संबंधित सभी कार्य जिस पर

जेनेटिक मैनीपुलेशन समीक्षा समिति (आरसीजीएम) तथा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी), की विनियामक अनुमोदन अपेक्षित है, इन्हें अनुमोदित करने से पहले सभी पहलुओं पर विधिवत विचार-विमर्श किया गया। इस प्रकार देश में इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से निरंतरता और वृद्धि हुई है।

जनजातीय भाषाओं का विकास

4268. श्री सुदर्शन भगत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय भाषाओं जैसे संथाली, 'मुंदरी', 'हो' और कुरांख आदि के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) संथाली भाषा को गैर-संथाली भाषियों को संथाली पढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। साथ-ही-साथ, अध्ययन सामग्रियों के विकास तथा भाषाओं पर शोध का कार्य भी सीआईआईएल द्वारा शुरू किया गया था।

मुंदरी, हो और कुरूख को सीआईआईएल में जनजातीय एवं संकटापन्न भाषा केन्द्र द्वारा शामिल किया गया है। सीआईआईएल द्वारा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई के लिए प्रवेशिकाओं, शब्दावलियों, व्याकरणों तथा सामग्रियों को विकसित कर लिया गया था।

(ग) संथाली भाषा को पहले ही भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। उद्देश्यपरक मानदण्डों को एक सैट तैयार करने के लिए श्री सीताकान्त मोहापात्र की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके संदर्भ में आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने संबंधी समस्त प्रस्तावों/अभ्यावेदनों की जांच की जा सके और अन्ततः इसे निपटाया जा सके। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और कतिपय सिफारिशें कीं। एक संदर्भ में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि संघ लोक सेवा आयोग पहले ही आठवीं अनुसूची में शामिल की गई कुछेक भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उन्होंने आठवीं अनुसूची में विद्यमान भाषाओं हेतु संघ लोक सेवा आयोग के उच्च मानकों के साथ संगत तरीके से संसदीय संकल्प की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के तौर-तरीकों की जांच करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि उच्च-स्तरीय स्थायी समिति की रिपोर्ट और फिर उस पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की प्रतीक्षा की जाए और इसके बाद मुंदरी, हो तथा कुरूख सहित और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों का नए सिरे से आकलन किया जाए और डॉ. सीताकान्त मोहापात्र सिमति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया जाए।

[अनुवाद]

डीटीएच परियोजनाओं की लागत

4269. श्री एम.बी. राजेश: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) परियोजनाओं की लागत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन की डीटीएच सेवाओं के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु अतिरिक्त स्टाफ के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) इस समय, दूरदर्शन द्वारा डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) की अपनी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन की डीटीएच सेवाओं के संचालन व अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त स्टाफ हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

टी.वी. की विषय-वस्तु की निगरानी हेतु इएमएमसी

4270. डॉ. संजय सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट सेटेलाइट टी.वी. चैनलों की विषय-वस्तु की निगरानी करने के लिये किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र (इएमएमसी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ईएमएमसी द्वारा चैनल-वार कितने चैनलों की निगरानी की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों पर नजर रखने के उद्देश्य से प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनलों द्वारा प्रसारित विषय-वस्तु की चौबिसों घंटे निगरानी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है।

(ग) जून, 2008 से अक्तूबर, 2009 तक की अवधि के दौरान 100 चैनलों को रिकॉर्ड किया जाता था और 30 चैनलों की निगरानी की जाती थी। नवंबर, 2009 से दिसंबर, 2010 तक की अवधि के दौरान 150 चैनलों की रिकॉर्डिंग की जाती थी और शुरु में 70 चैनलों, बाद में 100 चैनलों की निगरानी की जाती थी। जनवरी, 2011 के बाद की अवधि के दौरान 300 चैनलों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और 178 चैनलों की निगरानी की जा रही है। चूंकि चैनलों की आवधिक रूप से बारी-वार निगरानी की जाती है, इसलिए निगरानी किए जा रहे चैनलों की सूची समय-समय पर बदलती रहती है।

इंडियन मुजाहिद्दीन के हथियार के कारखाने

4271. श्री के. सुगुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में इंडियन मुजाहिद्दीन से संबंधित हथियारों के किसी कारखाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा उनसे कितना हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जी, हां। हाल में नवम्बर 2011 में, दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने केन्द्रीय आसूचना एजेंसी, पश्चिम बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से एक पाकिस्तानी नागरिक सहित इंडियन मुजाहिद्दीन के सात सदस्यीय माड्यूल को पकड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार, 50 कारतूसों सहित दो ए के 47 राइफलें, चौदह जिंदा कारतूसों सहित 9 एम एम की एक पिस्तौल, 1.4 किग्रा काली विस्फोटक सामग्री, पाँच डिटोनेटर और अपराध में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ सहित 2 लाख रुपये के जाली भारतीय करेंसी नोट बरामद किए गए है। इस बरामदगी के अतिरिक्त, दिल्ली में इंडियन मुजाहिद्दीन के इस माड्यूल द्वारा चलाई जा रही हथियार और गोलाबारुद निर्माण की एक फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया गया था। हथियारों के पार्टों आर्थात पूर्ण सज्जित और अर्ध सज्जित हथियार, विस्फोटक और औजारों का जखीरा बरामद किया गया है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में जाली भारतीय करेंसी नोट

4272. श्रीमती मीना सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल में कुछ बंदियों से जाली भारतीय करेंसी नोट बरामद किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने आरोपित/आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार किये गये तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने एवं जेल में सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

खेल-कूद प्रबन्धन में परिवर्तन

4273. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्रीमती जे. शांता:
श्री उदय सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्र मंडल खेल, 2010 के दौरान ध्यान में आई विसंगतियों के आलोक में देश के खेल-कूद प्रबन्धन में कोई परिवर्तन शुरु किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ तथा भारतीय प्राधिकरण के प्रशासन में किये गये/प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी हां। सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और पूर्व में उल्लिखित विसंगतियों को रोकने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय खेल विधेयक के रूप में एक नियामक ढांचा तैयार कर लिया है। इस विधेयक का उद्देश्य खेल निकायों के बीच उत्तम संचालन का संवर्धन करना है। राष्ट्रीय खेल विधेयक का प्रारूप पूर्व विधायी स्वामित्व धारियों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में था और अब संशोधित विधेयक सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:-

(i) खेलों के विकास एवं प्रसार के लिए केंद्र सरकार की सहायता जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की रणनीतियों तैयार करना शामिल है। इसमें डोपिंग प्रणालियों को खत्म करना, आयु संबंधी फ्राड मामले एवं यौन शोषण के मामलों का उपशमन भी शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारों एवं कार्यों एवं अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों एवं कार्यों (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यावसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है)

(ii) प्रबंधन/निर्णय लेने में संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के संबंध के सहभागी खिलाड़ियों का एथलीट सलाहकार परिषद के माध्यम से शामिल करना।

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया

(iv) खेल विवादों के समाधान हेतु व्यवस्था तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधीकरण की स्थापना

(v) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना

(vi) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें कुछ एक्सक्लूजन प्रावधान भी रखें जाएं जिससे खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके।

(vii) एंटी डोपिंग प्रावधान में कुछ नये प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लेने को अलग रखा जा सके जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(viii) कोचों, संरक्षकों और सहायक कार्मिकों को भी यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

(ix) राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते हैं जिससे खिलाड़ियों को यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विश्राम, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जायें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये है। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये हैं जिसमें महिला की अध्यक्षा में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रखा जाये साथ ही गोपनीयता के कानून का पालन किया जाये।

अन्य कल्याण योजनाओं हेतु खाद्यान्नों का आवंटन

4274. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार अन्य कल्याण योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, अन्नपूर्णा आदि हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं को राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा के अधीन गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, अन्नपूर्णा स्कीम आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है।

2008-09, 2009-10, 2010-11 और वर्तमान वर्ष के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2008-2009, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों के राज्यवार आवंटन

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-2009			2009-2010			2010-2011			2011-2012		
		आवंटन*			आवंटन			आवंटन**			आवंटन***		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	335.838	80.369	416.207	395.694	43.440	439.134	73.352	336.351	409.703	40.969	285.241	326.210
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.037	7.353	12.390	11.130	6.300	17.431	0.000	4.831	4.831	0.000	6.677	6.677
3.	असम	115.534	0.019	115.553	80.234	0.010	80.244	0.000	109.999	109.999	0.000	133.098	133.098
4.	बिहार	230.537	16.965	247.502	271.695	15752	287.447	11.995	239.470	251.465	2.999	229.902	232.901
5.	छत्तीसगढ़	191.784	1.200	192.984	157.919	22.800	180.719	34.401	130.947	165.348	30.302	157.205	187.507
6.	दिल्ली	18.110	19.250	37.360	20.937	21.990	42.927	18.763	18.629	37.392	17.685	17.555	35.240
7.	गोवा	4.223	0.142	4.365	3.373	2.426	5.799	2.668	2.940	5.608	3.684	3.916	7.600
8.	गुजरात	48.695	129.292	177.987	51.246	125.253	176.499	132.844	52.180	185.024	117.650	53.960	171.610
9.	हरियाणा	16.613	19.300	35.913	30.089	26.838	56.927	47.566	31.699	79.265	53.598	31.136	84.734
10.	हिमाचल प्रदेश	27.923	6.193	34.115	26.153	6.530	32.684	5.841	23410	29.251	4.560	23.740	28.300
11.	जम्मू और कश्मीर	31.618	0.000	31.618	30.224	1.810	32.034	0.000	28ए586	28.586	3.000	34.352	37.352
12.	झारखंड	109.197	3.595	112.792	97.612	0.010	97.622	1.261	113.889	115.150	7.424	146.620	154.044
13.	कर्नाटक	221.414	63.503	244.917	205.886	66.580	272.466	84.809	186.842	271.651	56.266	182117	238.383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	केरल	81.310	0.764	82.074	87.806	10389	98.195	10.729	89.645	100.374	17469	73.327	90.796
15.	मध्य प्रदेश	71.925	257.825	329.750	75.319	295.226	370.545	349ए816	128.462	478ए278	297.311	116.231	413.542
16.	महाराष्ट्र	338.305	26ए615	364.920	381434	45.796	427.230	129505	558.330	687.835	89.841	312.161	402.002
17.	मणिपुर	8.565	0ए144	8.709	19.238	0142	19.379	0.142	26.761	26.903	0.071	11.853	11.724
18.	मेघालय	13.852	0.000	13.852	14258	0	14.258	0.000	12ए395	12.395	0.000	29.360	29.360
19.	मिजोरम	7.062	0.000	7.062	5.940	0	5.940	1.217	6.051	7.268	1661	5.585	7.246
20.	नागालैंड	12305	13.444	26.249	18.811	11.675	30486	4.059	22047	26.106	2.792	21.761	24.553
21.	ओडिशा	246.042	21.882	267.924	291.245	15.786	307.031	19.820	301.470	321.290	77.531	205.826	283.357
22.	पंजाब	29.348	37.791	67.139	24430	26.746	51.176	30.315	28.401	58.716	36.027	34450	70.477
23.	राजस्थान	36.784	108.670	145.453	43.454	107.961	151.415	162.150	47.642	209.792	153.772	46666	200.438
24.	सिक्किम	2.674	0.000	2.674	2.925	0	2.925	0.350	2.798	3.148	0.235	2986	3.221
25.	तमिलनाडु	182.267	15.840	198.107	138.905	13.970	152.875	39.720	159.201	198.921	41.293	155.911	197.204
26.	त्रिपुरा	22.299	1.430	23.729	19.695	0	19.695	0.000	27.054	27.054	0.000	27.331	27.331
27.	उत्तर प्रदेश	236.214	334.299	570.513	204.277	303.872	508.149	366.151	244.214	610.365	221.451	174.800	396.251
28.	उत्तराखंड	27.286	14.307	41.594	27.684	12.282	39.966	9.282	25.096	34.378	14.211	23.751	37.962
29.	पश्चिम बंगाल	272.119	0.969	273.088	279.771	0.959	280.730	0.969	345.636	346.605	0.955	258.756	259.711
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.806	0.022	1.828	2.223	0.005	2.228	0.022	0.958	0.980	0.079	1.160	1.239
31.	चंडीगढ़	1.012	1.319	2.331	0.925	1.146	2.071	0646	0.976	1.622	0.602	0827	1.429
32.	दादरा और नगर हवेली	1.488	0.092	1.580	1.417	0.092	1.509	0.139	1.074	1.213	0.134	1.094	1.228
33.	दमन और दीव	0.388	0.000	0.388	0448	0	0.448	0	0.450	0.450	0.000	0365	0.365
34.	लक्षद्वीप	0206	0.000	0.206	0.269	0	0.269	0	0.269	0.269	0.000	0.245	0.245
35.	पुडुचेरी	2.755	0.116	2.871	2.646	0.029	2.675	0	2.350	2.350	0.000	2.368	2.368
	जोड़	2953.034	1182.710	4135.743	3025.313	1185.815	4211.127	1538.532	3311.053	4849.585	1293572	2812.133	4105.705

*वर्ष 2008-09 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का कुल आवंटन 41.14 लाख टन था। तथापि गेहूं आधारित पोषहार कार्यक्रम के तहत महिला और बाल त्रिकास मंत्रालय द्वारा 0.05 लाख टन खाद्यान्नों का आगे आवंटन नहीं किया गया।

नोट: 2008-09 के दौरान किशोरियों के लिए पोषहार कार्यक्रम के अधीन गुजरात को 10,000 टन मक्का का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

**वर्ष 2010-11 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन कुल 50.10 लाख टन खाद्यान्नों आवंटित किया गया था। तथापि संबंधित मंत्रालयों/विभाग/भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1.61 लाख टन खाद्यान्नों का उप आवंटन नहीं किया गया था।

नोट: किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन गुजरात को 2009-10 के दौरान 7650.86 टन मक्का का अतिरिक्त आवंटन किया गय था।

***वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों को कुल आवंटन 48.69 लाख टन है। तथापि गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अधीन 15.17 लाख टन, सबला आवंटन के अधीन 2.73 लाख टन के प्रति 2.06 लाख टन के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा अब तक महिला और बाल विकास मंत्रालय/भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

4275. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा स्वीकृत करने के बाद उसके विस्तार एवं अनुसंधान क्षमताओं, शैक्षिक संकाय एवं पुस्तकालय के उन्नयन किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस संस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा जारी दिनांक 11 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. एफ. 9-24/2004-यू. 3 द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया था।

तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. एफ-9-24/2002-यू.3 द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा अब समाप्त कर दिया है।

(ग) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मुख्यतया एक रंगमंच प्रशिक्षण संस्थान है, जो रंगमंच/नाट्य कला में 3 वर्षीय स्नोतकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, अपने पहुंच/विस्तार कार्यक्रमों के जरिये स्थानीय रंगमंच समूहों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में रंगमंच कार्यशाला आयोजित की जाती है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रतिवर्ष भारत रंग महोत्सव, बाल संगम, जश्ने बचपन, पूर्वोत्तर उत्सव आदि जैसे रंगमंच उत्सव भी आयोजित करता है। कुछ उत्सवों में विदेश से रंगमंच समूह भी भाग लेते हैं। ऐसे उत्सवों से देशभर में रंगमंच संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने में सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने रंगमंचीय शिक्षा-कार्यक्रम के जरिये बाल रंगमंच के क्षेत्र में भी कार्य करता है।

इसकी रेपर्टरी कंपनी व्यावसायिक आधार पर सृजनात्मक रंगमंच कलाओं के प्रदर्शन के लिए स्नातकों को अवसर मुहैया कराती है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच पर प्रकाशन भी निकालता है।

इसके अलावा, रंगमंच के जरिये संस्कृति के संवर्धन के लिए 5 क्षेत्रों कोलकाता, मुम्बई/गोवा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने और वर्तमान क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, बेंगलुरू का उन्नयन कर पूर्णतया विकसित रंगमंच प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अनुसंधान क्षमता, शिक्षण संकाय का विस्तार और उन्नयन करने और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर को पुन: विकसित करने का प्रस्ताव इस समय प्रक्रियाधीन है।

(च) इस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

कृषि सूचना केन्द्र

4276. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि सूचना केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उनके नेटवर्क का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार किन-किन स्थानों पर इन केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के घटक प्रौद्योगिकी प्रसार में नवाचार (आईटीडी) के तहत कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 28 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं 16 आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों समेत विभिन्न संस्थानों में आईसीएआर की राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) की वित्तीय सहायता से चवालीस कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटीआईसी) स्थापित किए गए। इसके साथ ही आईसीएआर से वित्तीय सहायता लिए बगैर आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, नवसरी कृषि विश्वविद्यालयों एवं जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने, प्रत्येक द्वारा एक, तीन एटीआईसी स्थापित किए। एटीआईसी की राज्यवार/स्थानवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(घ) लागू नहीं।

विवरण

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संशाप्र	एटीआईसी की संख्या		एटीआईसी का स्थान
1	2	3		4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	1	1.	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद
3.	असम	1	1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (असम)
4.	बिहार	1	1.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार
5.	छत्तीसगढ़	1	1.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर
6.	दिल्ली	1	1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईएआरआई, नई दिल्ली
7.	गुजरात	4	1.	सरदार कुरुषिनगर दांतेवाडा कृषि विश्वविद्यालय, दांतेवाडा-गुजरात
			2.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी
			3.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
			4.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद
8.	हरियाणा	2	1.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई, करनाल
			2.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश	3	1.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई, शिमला (हि.प्र.)
			2.	डा. यशंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, न्यूनी, सोलन
			3.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4
10.	जम्मू और कश्मीर	1.	1. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जे एंड के)
11.	झारखंड	1	1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (झारखंड)
12.	कर्नाटक	3	1. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, आईआईएचआर, बंगलौर
			2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
			3. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरू
13.	केरल	5	1. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान सीआईएफटी, कोचीन
			2. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर कलीकट (केरल)
			3. केन्द्रीय पौध फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड (केरल)
			4. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, इरनाकुलम (केरल)
			5. केरल कृषि विश्वविद्यालय, केएयू, थ्रिसूर
14.	मध्य प्रदेश	2	1. केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल
			2. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
15.	महाराष्ट्र	5	1. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
			2. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
			3. डा. बाला साहेब सावंत कोनकन कृषि विद्यापीठ, दापोली, रत्नागिरी
			4. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
			5. महाराष्ट्र मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, प्रभाणी
16.	मेघालय	1	1. आईसीएआर, आवासीय परिसर उत्तर-पूर्वी हिल क्षेत्र, बारापानी (मेघालय)
17.	ओडिशा	2	1. केन्द्रीय मीठा पानी जल कृषि संस्थान, भुवनेश्वर
			2. ओडीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
18.	पंजाब	1	1. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
19.	राजस्थान	3	1. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
			2. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
			3. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

1	2	3	4
20.	तमिलनाडु	2	1. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
			2. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई
21.	उत्तर प्रदेश	4	1. भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी (उ.प्र.)
			2. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली
			3. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
			4. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
22.	उत्तराखण्ड	1	1. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
23.	पश्चिम बंगाल	1	1. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया
	कुल	47	

[अनुवाद]

भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित भूमि

4277. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित भूमि के क्षेत्र और कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मामले के समाधान के लिए भारत और बांग्लादेश द्वारा किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो लम्बे समय से लम्बित विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) गैर-सीमांकित भू-सीमा, इन्क्लेवों के आदान-प्रदान और प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों से संबंधित बकाया भू-सीमा मामलों के निपटारे हेतु दिनांक 06 सितम्बर, 2011 को प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच भू-सीमा के सीमांकन और संबंधित मामलों के करार, 1974 से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों में यथा-स्थिति बनी रहेगी तथा इसके परिणामस्वरुप इन्क्लेवों का आदान-प्रदान हो सकेगा। यह प्रोटोकॉल, वास्तविक स्थिति पर आधारित है, इसमें प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है तथा इसे संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श तथा उनकी सहमति से तैयार किया गया था।

सरकारी क्वार्टरों में वाणिज्यिक गतिविधियां

4278. श्री संजय धोत्रे:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी केन्द्र सरकार के आवास में ब्यूटी पार्लर, ट्यूटोरियल्स इत्यादि चलाने जैसी वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमेय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को सरकारी कालोनियों में खुलेआम संचालित ब्यूटी पार्लरों, ट्यूटोरियल्स जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी कालोनियों में ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ङ) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के तहत ऐसे आबंटियों का आबंटन निरस्त किया जाता है और उनके विरुद्ध बेदखली कार्यवाही शुरु की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	क्वार्टर सं. और क्षेत्र	की गई कार्रवाई
1.	(टाईप-II) 1143, तिमारपुर, दिल्ली	आंबटन निरस्त करने का नोटिस जारी
2.	(टाईप-III) जी आई-901, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली जी आई-995, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली जी आई-602, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली जी आई-601, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली	निरीक्षण किया गया और कोई ऐसी गतिविधि नहीं पायी गई। केलोनिवि को इस मामले में और जांच करने के लिए कहा गया है।
3.	(टाईप-IV) 13/74, घाटकोपर, मुम्बई	आबंटन निरस्त किया गया और बेदखली कार्यवाही शुरु की गई है।

हरित क्षेत्र का विकास

4279. यशवीर सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में विज्ञान लोक एवं डीडीए फ्लैट्स आनंद विहार के बीच की भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के कार्य को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या डीडीए ने यमुना स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के साथ आनंद विहार रेलवे टर्मिनल को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कार्य अर्थात् हरित क्षेत्र एवं सड़क-निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ एवं पूरा होगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डीडीए ने सूचित किया है कि जहां तक हरित पट्टी के विकास का संबंध है यह कार्य जनवरी, 2012 के प्रथम सप्ताह में शुरु कर दिया जाएगा तथा फरवरी, 2012 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

मत्स्य क्षेत्र का विकास

4280. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री कैलाश जोशी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षद्वीप सहित राज्य-वार ऐसी योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभ किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य क्षेत्र एवं मत्स्य पालन प्रशिक्षण संस्थानों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को प्रदत्त सहायता क्या मिली है;

(घ) क्या मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए लक्षद्वीप सहित विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई योजना-वार सहायता का ब्यौरा विवरण-II से VI में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मात्स्यिकी विकास के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए निर्भर करते हुए प्राथमिकता आधार पर उचित जांच के बाद विचार किया जाता है।

विवरण I

योजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	आरंभ किया गया कार्य
1	2	3
1.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास	इसमें देश में उपलब्ध सभी अन्तर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों और आधुनिक मत्स्यपालन को लोकप्रिय बनाना, रोजगार अवसरों को सृजित करना, जलकृषि प्रक्रियाओं का विविधीकरण और जलकृषि से जुड़े मत्स्य कृषकों को सहायता प्रदान करना शामिल हैं।
2.	समुद्री मात्स्यिकी बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्बेस्ट प्रचालनों का विकास	इसमें समुद्री मात्स्यिकी के साथ-साथ बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों का सुधार के लिए प्रावधान शामिल है जिसे लैंड लाक्टड राज्यों द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है।
3.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना	इसमें सामूहिक दुर्घटना बीमा, बचन-सह-राहत और प्रशिक्षण एवं विस्तार के अतिरिक्त मछुआरों के लिए आवास, पेयजल और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाओं का प्रावधान है।
4.	मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना नेटवर्किंग का विकास	योजना में मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अपेक्षित डाटाबेस को विकसित किया जाता है।
5.	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड अन्तर्देशीय, खाराजल और समुद्री क्षेत्रों के अन्तर्गत क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

विवरण II

अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि का विकास पर सीएसएस के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 जारी	2009-10 जारी	2010-11 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00	24.00	93.00
3.	असम	75.02	75.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	20.00
5.	छत्तीसगढ़	50.00	77.50	131.25
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	25.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	25.00	75.00	66.50
9.	हिमाचल प्रदेश	27.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	100.00	112.50	112.50
11.	झारखंड	62.50	50.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	13.00	0.00
13.	केरल	70.00	100.00	150.00
14.	मध्य प्रदेश	100.00	250.00	210.00
15.	महाराष्ट्र	20.00	39.35	0.00
16.	मणिपुर	40.00	75.00	75.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	40.00	100.00	342.00
19.	नागालैंड	90.00	200.00	195.50
20.	ओडिशा	190.00	236.25	130.00
21.	पुडुचेरी	5.00	6.95	0.00

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	100.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	24.05	0.00	8.60
24.	सिक्किम	34.98	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	0.00	178.75	225.00
26.	त्रिपुरा	24.00	24.00	37.81
27.	उत्तर प्रदेश	88.00	150.00	273.15
28.	उत्तरांचल	33.45	67.65	24.00
29.	पश्चिम बंगाल	100.00	200.00	200.00
30.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00

विवरण III

समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों का विकास पर सीएसएस के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 जारी	2009-10 जारी	2010-11 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	95.00	191.00	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	105.00	175.63	60.00
6.	गुजरात	326.60	0.00	500.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	274.70	622.19	1090.28
11.	केरल	700.00	1716.80	1420.78

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	203.48	115.53	700.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18.	ओडिशा	150.00	300.00	65.21
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	550.00	650.00	1700.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	1095.22	1575.00	912.73
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	15.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
29.	दमन और दीव	97.50	80.05	6.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	6.00	0.00
32.	पुडुचेरी	907.50	200.00	400.00
33.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
34.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00
35.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
36.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	0.00	0.00	0.00

विवरण IV

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना पर सीएसएस के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 जारी	2009-10 जारी	2010-11 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	140.34	57.12	200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.62	100.00	100.00
3.	असम	15.80	0.00	10.00
4.	बिहार	0.00	0.00	293.00
5.	छत्तीसगढ़	3.38	36.19	15.00
6.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	11.57	6.00	24.00
8.	गुजरात	86.03	0.00	0.00
9.	हरियाणा	0.00	6.40	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	5.50	6.26	12.15
11.	जम्मू और कश्मीर	29.58	60.00	125.00
12.	झारखंड	123.60	248.21	256.33
13.	कर्नाटक	312.06	93.54	133.86
14.	केरल	232.21	652.57	526.00
15.	महाराष्ट्र	20.00	20.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	33.03	60.93	35.85
17.	मणिपुर	37.88	25.00	56.44
18.	मेघालय	0.00	0.00	17.66
19.	मिजोरम	0.00	29.45	11.22
20.	नागालैंड	124.50	190.00	104.08
21.	ओडिशा	89.65	0.00	20.98

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
23.	पुडुचेरी	150.00	340.00	299.00
24.	राजस्थान	5.40	27.00	0.00
25.	सिक्किम	0.00	12.00	12.00
26.	तमिलनाडु	240.00	737.94	683.43
27.	त्रिपुरा	36.00	63.55	74.13
28.	उत्तर प्रदेश	200.00	150.00	249.25
29.	उत्तराखंड	6.45	19.65	7.95
30.	पश्चिम बंगाल	361.20	71.20	299.20
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.68	0.95	4.15
32.	फिशकॉपफेड	225.32	592.72	623.80
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00

विवरण V

मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण पर सीएसएस के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 जारी	2009-10 जारी	2010-11 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11.30	27.86	14.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	14.68	10.00
3.	असम	0.00	0.00	5.62
4.	बिहार	6.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	5.00	14.68
6.	गुजरात	11.30	0.00	0.00
7.	हरियाणा	9.20	0.00	0.00

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	5.00	9.05	10.50
9.	कर्नाटक	7.65	11.50	15.57
10.	केरल	0.00	11.66	13.81
11.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	12.00
12.	महाराष्ट्र	0.001	19.37	17.63
13.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
14.	मिजोरम	9.72	11.80	12.70
15.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	2.34	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	3.00	3.00	3.00
19.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान	9.96	13.88	18.49
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.001	16.26
24.	पश्चिम बंगाल	9.30	92.32	370.55
25.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	4.15
26.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
27.	पंजीकृत मत्स्यन जलयान	0.00	0.00	83.70
28.	छत्तीसगढ़	0.00	6.04	9.02
29.	पुडुचेरी	0.005	5.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	सीआईएफआरआई	0.00	0.00	0.00
33.	सीएमएफआरआई	0.00	0.00	140.00

1	2	3	4	5
34.	एफएसआई	0.00	0.00	10.00
35.	फिशकॉपफेड	0.00	0.00	65.00
36.	पशुपालन और डेयरी मुख्यालय (कोम्प) टीएमसी	0.00	0.00	2.65
37.	पंजीकृत मत्स्यन जलयान	0.00	0.00	97.19

विवरण VI

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) पर सीएसएस के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 जारी	2009-10 जारी	2010-11 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1653.22	928.91	986.60
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	223.43	612.66	446.89
4.	असम	14.39	87.14	14.16
5.	बिहार	0.00	0.00	36.95
6.	छत्तीसगढ़	198.82	397.71	133.85
7.	नई दिल्ली	206.93	2.53	196.26
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.45
9.	गोवा	0.00	9.46	0.00
10.	हरियाणा	10.29	0.00	3.53
11.	हिमाचल प्रदेश	0.00	162.68	20.80
12.	झारखंड	67.40	172.86	77.92
13.	जम्मू और कश्मीर	0.00	328.46	32.55
14.	कर्नाटक	752.40	1174.19	541.62
15.	केरल	348.88	1585.68	1547.70

1	2	3	4	5
16.	मध्य प्रदेश	0.00	0.98	266.13
17.	महाराष्ट्र	207.78	362.38	240.98
18.	मणिपुर	11.49	388.64	6.61
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	454.46	52.04	50.22
21.	नागालैंड	13.59	185.03	34.05
22.	ओडिशा	966.05	46.49	215.93
23.	पुडुचेरी	1.05	22.50	39.92
24.	पंजाब	40.37	4.47	20.56
25.	राजस्थान	1.38	0.00	112.50
26.	सिक्किम	4.94	33.34	113.28
27.	तमिलनाडु	503.43	737.52	205.75
28.	त्रिपुरा	84.33	21.00	4.15
29.	उत्तर प्रदेश	10.47	77.31	116.30
30.	उत्तराखंड	1.60	0.00	0.50
31.	पश्चिम बंगाल	227.29	518.91	438.63

[अनुवाद]

अपराधियों का बायोमेट्रिक डाटाबेस

4281. श्री वैजयंत पांडा: क्या **गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपराधियों का बायोमेट्रिक डाटाबेस तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बायोमेट्रिक डाटाबेस को देश में सभी पुलिस इकाइयों को उपब्लध कराया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हाँ,

(ख) सरकार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के फिंगर प्रिंट ब्यूरो के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के फिंगरप्रिंट एकत्र करती है और उनका अनुरक्षण करती है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने इस डाटाबेस का उपयोग करने और बायो-मेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करके तथा अपराध एवं अपराधी की पहचान संबंधी नेटवर्क प्रणलियों (सी सी टी एन एस) में विशेषीकृत अवसंरचना और समाधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय फिंगर प्रिंटिंग डाटाबेस का सृजन करके इसमें अभिवृद्धि करने की योजना बनाई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सी सी टी एन एस परियोजना के अंतर्गत विशेषीकृत अवसंरचना घटक के तहत बायो-मेट्रिक डाटाबेस लगभग 15,000

पुलिस स्टेशनों और 6,000 बड़े कार्यालयों को उपब्लध कराया जाएगा। इसके तहत इस प्रकार विकसित किया गया डाटाबेस राष्ट्रीय और राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरों में रखा जाएगा। सम्पूर्ण डाटाबेस सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र के बीच खोज और मिलान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

एचयूपीए के अंतर्गत नगरपालिकाएं

4282. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास और शहरी गरीबी उपशमन योजना के अंतर्गत सभी नगरपालिकाओं को अधिगृहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित नगरपालिकाओं की बिहार सहित राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) उन्हें किस तरह से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की परियोजन शामिल होंगी?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास और शहरी गरीबी उपशमन स्कीम के अंतर्गत सभी नगरपालिकाओं को शामिल करने हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं बनायी गई। तथापि, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत 947 शहरों/कस्बों में 15.71 लाख रिहायशी मकानों के निर्माण/उन्नयन के लिए अनुमोतिद 1517 परियोजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाएगी।

इसके अतिरिक्त स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में 02.06.2011 को "राजीव आवास योजना (आरएवाई)" नामक एक नई योजना शुरु की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत स्लम वासियों को सम्पति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी आशा है कि इस स्कीम में 250 शहरों को शामिल कर लिया जाएगा। शहरों का चयन केन्द्र के परामर्श से लिया जाएगा। राज्यों को जेएनएनयूआरएम के मिशन शहरों को शामिल करना अपेक्षित होगा जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों और अन्य छोटे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके लिए शहर के विकास की गति, अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले स्लमों तथा ऐसे क्षेत्रों को जहां सम्पत्ति के अधिकार दिए गए है, ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की पद्धति तथा राजीव आवास योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के प्रकार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

विवरण

(1) राजीव आवास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करना:

सभी घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय राशियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में तीन किस्तों में जारी की जाएंगी। केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्लम मुक्त नगर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की स्वीकृति तथा परियोजना के लिए बराबर का अंश उपलब्ध कराये जाने के बाद राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट राज्य स्तरीय एजेन्सियों को एक तिहाई की पहली किस्त जारी की जाएगी। पूर्व में जारी की गयी राशि के कम से कम 70 प्रतिशत के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल अंश प्राप्त किए जाने के पश्चात बाद की किस्तें जारी की जाएगी और व्यय की गति तथा राज्य के पास पड़ी केन्द्रीय राशि की समग्र उपब्लधता को भी ध्यान में रखते हुए करार ज्ञापन में यथापरिकल्पित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत सुधार करने अथवा उपलाब्धियां प्राप्त करने के अध्यधीन किस्तें जारी की जाएगी।

(2) राजीव आवास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं/घटकों के प्रकार:

(क) बुनियादी नागरिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं एवं आश्रयों के साथ एकीकृत स्लम पुनर्विकास का प्रावधान;

(ख) भागीदारी में किफायती आवास;

(ग) ऋण सक्षमता: ब्याज सब्सिडी;

(घ) ऋण सक्षमता: रेहन/जोखिम गारंटी कोष;

(ङ) क्षमता निर्माण, प्रारंभिक गतिविधियों, आई ई सी सामुदायिक जुटाव, आयोजना, प्रशासनिक और अन्य व्यय (पी ए एण्ड ओ ई) के लिए सहायता।

किसानों को मुआवजा

4283. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जिन किसानों की जमीने अधिगृहीत की गयी थी, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब राज्य सरकार ने इन किसानों के लिए अधिक मुआवजे की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में फसलों की संख्या, प्रकार तथा किसानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, जम्मू सेक्टर को छोड़कर भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए भूमि-मुआवजा सरकार द्वारा दे दिया गया है। जम्मू सेक्टर में 179 कि.मी. सीमा पर लगभग 44 फुट चौड़ी भूमि-पट्टी अधिगृहीत की गई थी जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के संबंध में पंजाब सरकार से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी बाड़ के बीच अपनी भूमि पर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने के कारण आय में हानि के लिए वार्षिक मुआवजा देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से स्वामित्व के ब्यौरे सहित भूमि का विशिष्ट ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च) पंजाब में गन्ना, कपास और सरसों आदि जैसी फसलों की खेती करना, जिनकी ऊँचाई 4 फुट से अधिक हो, सुरक्षा संबंधी कारणों से और बाड़ के आगे स्पष्ट अवलोकन करने, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और पाक रेंजरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रतिबंधित है।

जिन किसानों की भूमि बाड़ के आगे है, उन्हें गर्मी के मौसम में प्रतिदिन 0700 बजे से 1730 बजे तक और सर्दियों के मौसम में 0800 बजे से 1630 बजे तक खेती करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, कटाई/बुआई के दौरान बाड़ के दरवाजे खोलने/बंद करने के लिए किसानों को उनके साथ परामर्श के पश्चात् यथोचित छूट दी जाती है।

[हिन्दी]

हथियारों की बिक्री

4284. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटियाला स्थित बहादुरगढ़ प्रशिक्षण केन्द्र से नक्सलियों को हथियारों की बिक्री किए जाने की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीसी), फोर्ट बहादुरगढ़, पटियाला से नक्सलवादियों को कोई हथियार और गोला-बारूद नहीं बेचा गया है। तथापि, सीटीसी के तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस थाना सिटी मन्सा, जिला मन्सा, पंजाब में दिनांक 15.4.2011 को प्राथमिकी संख्या 64 दर्ज की गई थी। उक्त पुलिस कर्मियों से 9 मिमी. कारतूसों के कुल 600 चक्र बरामद किए गए थे। उन्हें दिनांक 30.4.2011 को गिरफ्तार किया गया था। इसके उपरान्त, सभी तीनों पुलिस कर्मियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) (ख) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र, फोर्ट बहादुरगढ़, पटियाला के हथियारों और गोला-बारूद का वास्तविक सत्यापन करने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र, फोर्ट बहादुरगढ़, पटियाला के हथियारों एवं गोला-बारूद के भंडार को यथावत और पूर्ण पाया गया था। जांच रिपोर्ट से आगे यह पता चला कि सीटीसी के अभियुक्त पुलिस कर्मियों से बरामद किए गए गोला-बारूद कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र, फोर्ट बहादुरगढ़, पटियाला के नहीं थे।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण की जवाबदेही

4285. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के कार्यकरण/गतिविधियों की निगरानी एवं इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कार्यकरण/गतिविधियों की किस तरह से निगरानी की जाती है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी हॉ, भारतीय खेल प्राधिकरण के क्रियान्वन तथा गतिविधियों पर सरकार की पैनी नजर रहती है। इसके लिए भा.खे.प्रा. द्वारा कई समितियों गठित की गई है जिनमें सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित होते है तथा इसके अतिरिक्त रिपोर्ट तथा बैठकों के माध्यम से भी निगरानी रखी जाती है। सामान्य परिषद् तथा संचालक मंडल सरकार द्वारा गठित किये जाते है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संचालक मंडल के चैयरमैन तथा भा.खे.प्रा. की सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भा.खे.प्रा. में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय संचालक मंडल की सहमति के बाद ही लिए जाते है। भा.खे.प्रा. के कुछ पैरामीटर परिणाम रुपरेखा दस्तावेज (आर एफ डी) के भाग होती हैं जिन पर पैनी निगरानी रखी जाती है। जैसा कि आवश्यकता है, नियम 212(3)(iv) सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) 2005 भारत सरकार तथा भा.खे.प्रा. के नियमों के नियम 50 के अंतर्गत सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक लेखे संसद के दोनों सदनों में पेश किये जाते है।

[हिन्दी]

एमआरपी के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री

4286. **श्री घनश्याम अनुरागी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वस्तुएं उन पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक परिवर्तनीय मूल्यों पर बेची जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए किसी विधेयक को पुर:स्थापति करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां। ऐसी जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) सरकार का इस मामले पर कोई विधेयक पुर:स्थापित करने का विचार नहीं है, चूंकि, ऐसे मामलों में दाण्डिक कार्रवाई करने के प्रावधान विधिक माप विज्ञान अधिनियम और नियमों में पहले से ही मौजूद हैं। राज्य सरकारें ऐसे मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई कर रही हैं।

सूखे के लिए मुआवजा

4287. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में भूखे के कारण हुई फसल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सूखे के कारण हुई फसल-हानि के लिए किसानों को मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 2011-12 के दौरान, केवल कर्नाटक सरकार ने सूखे के कारण फसल हानि के बारे में सूचित किया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 16.49 प्रतिशत लाख है. क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि हुई है। एक अन्तर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) सूचित हानि की मात्रा के आकलन के लिए राज्य का दौरा कर रहा है।

(ख) और (ग) सूखे के कारण पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) जो अब राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के रूप में जानी जाती है, से सूखे के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता*

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 वर्तमान वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश		575.30		वर्तमान वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान 14.12.2011 तक कोई राशि अनुमोदित नहीं की गई है।
2.	असम		89.94		

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार		1163.64	1459.54	
4.	हिमाचल प्रदेश		88.93		
5.	जम्मू और कश्मीर		156.77		
6.	झारखंड		200.955	855.30	
7.	कर्नाटक	83.83	116.49		
8.	केरल		33.02#		
9.	मध्य प्रदेश		246.31		
10.	महाराष्ट्र		671.88		
11.	मणिपुर		14.57		
12.	नागालैंड		21.12		
13.	ओडिशा		151.92	376.55	
14.	राजस्थान		1034.84		
15.	उत्तराखण्ड	57.51	-		
16.	उत्तर प्रदेश		515.05		
17.	पश्चिम बंगाल		-	724.99	

*संबंधित राज्य सरकारों की आपदा राहत निधि (सीआरएफ) जो अब राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के रूप में जानी जाती है, में उपलब्ध शेष के 75 प्रतिशत के समायोजन की शर्त पर।

#ओलावृष्टि के लिए 0.12 करोड़ रुपये समेत।

सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार

4288. श्री भूदेव चौधरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से नालंदा के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना हेतु मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अभी तक ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक घोषणा-पत्र का अंगीकरण

4289. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने प्रशासन में जवाबदेही लाने के लिए नागरिक घोषणा-पत्र को अंगीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त घोषणा-पत्र को अंगीकार नहीं करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और झारखण्ड ने इस संबंध में विद्यमान अधिनियमित किए हैं। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या तो विधान अधिनियमित करने की प्रक्रिया में हैं या अभी तक अधिनियमित नहीं किये हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा शिकायत-निपटान से संबंधित नागरिक अधिकार विधेयक नामक एक मसौदा विधेयक का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिए एक दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह उस समय-सीमा, जिसके भीतर विनिर्दिष्ट वस्तु की आपूर्ति तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, का उल्लेख तथा नागरिक घोषणा-पत्र (चार्टर) का अनुपालन न किये जाने और उससे संबधित या प्रासंगिक मामलों के लिए एक शिकायत निपटान तंत्र की व्यवस्था करते हुए नागरिक घोषणा-पत्र अधिसूचित करे। आम-लोगों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर मसौदा विधेयक अपलोड कर दिया गया है।

[अनुवाद]

ए.एस.आई. द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र

4290. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने तमिलनाडु में पुंपुहर स्थित मत्स्य पालन बंदरगाह के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एएसआई ने प्रस्तावित बंदरगाह निर्माण स्थल में पुरातात्विक जांच/आंकड़े संग्रहण किए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) क्योंकि निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल किसी भी प्रकार के पुरातत्वीय साक्ष्य से मुक्त था, इसलिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्जलीय पुरातत्व स्कंध से 6 से 8 सितम्बर, 2010 तक कराए गए ऑफशोर और ऑन शोर अन्वेषण के आधार पर कुछ निश्चित शर्तों के साथ 14.01.2011 को आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, तमिलनाडु, चेन्नई को पुंपुहर स्थित प्रस्तावित मत्स्य पालन पत्तन के निर्माण के लिए अनुमति दे दी थी। प्रस्तावित स्थल किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के न तो निषिद्ध क्षेत्र में आता है और न ही विनियमित क्षेत्र में।

[हिन्दी]

पुष्पकृषि को बढ़ावा देना

4291. **श्री सतपाल महाराज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तराखण्ड सहित देश में पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पुष्पों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कैसी पहलें की गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग पुष्पकृषि के प्रोत्साहन समेत बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा (1) उत्तराखण्ड समेत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) एवं बाकी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में (2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रहा है। इन मिशनों के तहत लागत मानदण्डों एवं उपलब्ध सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) पुष्पकृषि समेत बागवानी फसलों के हाइटेक वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन एवं फसलोपरा्त प्रबंधन के जरिये वाणिज्यिक बागवानी का विकास संबंधी योजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबंधन, प्रारंभिक प्रसंस्करण एवं विपणन को कवर करते हुए शुरू से अन्त तक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।

विवरण I

मिशनों के तहत लागत मानदंडों एवं उपलब्ध सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य लागत	सहायता का प्रतिमान	
			एचएमएनईएच	एनएचएम
पुष्प (अधिकतम 2 है. क्षेत्र प्रति लाभार्थी हेतु)				
1.	कट फ्लावर्स	70,000 रु./है.	आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत संबंधी व्यय सहित लागत का 75 प्रतिशत अर्थात 52500 रु./है.	छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए अधिकतम 35,000 रु. प्रति है. एवं अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 23,100 रु./है. के आधार पर छोटे एवं सीमांत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के किसानों को 33 प्रतिशत।
2.	कंदीय पुष्प	90,000 रु./है.	आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत संबंधी व्यय सहित लागत का 75 प्रतिशत अर्थात 67500 रु./है.	छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अधिकतम 45,000 रु. प्रति है. एवं अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 29,700 रु./है. के आधार पर छोटे एवं सीमांत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के किसानों को 33 प्रतिशत।
3.	खुले पुष्प	24,000 रु./है.	आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत संबंधी व्यय सहित लागत का 75 प्रतिशत अर्थात 18000 रु./है.	छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अधिकतम 12,000 रु. प्रति है. एवं अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 7,920 रु./है. के आधार पर छोटे एवं सीमांत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के किसानों को 33 प्रतिशत।

सीडब्ल्यूजी फ्लैटों का निपटान

4292. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेल (सीडब्ल्यूजी) गांव में बनाए गए फ्लैटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस निर्माण में सरकारी एवं निजी बिल्डरों का अंश क्या है;

(ग) फ्लैटों के निर्माण हेतु मंजूर एवं वास्तविक लागत तथा इनका तत्संबंधी वर्तमान बाजार मूल्य क्या है; और

(घ) इन फ्लैटों के उपयोग/निपटान के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में निर्मित कुल 1168 फ्लैटों में से 711 फ्लैट डीडीए के हैं और शेष निजी बिल्डरों के है।

(ग) डीडीए ने सूचित किया है कि परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत प्रतियोगी बोली प्रणाली के माध्यमसे परियोजना विकासकर्त्ता को आबंटित की गई थी। निर्माण लागत परियोजना विकासकर्ता मेसर्स एम्मार एमजीएफ द्वारा वहन की गई। इन फ्लैटों (डीडीए की हिस्सेदारी) को प्रचालित बाजार दर पर बेचने का निर्णय लिया गया है। इनकी प्रचलित बाजार दरों का पता लगाने के लिए सभी श्रेणियों के लगभग 100 फ्लैटों की नीलामी/मोहरबंद बोली निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(घ) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से ये फ्लैट उन्हें आबंटित करने संबंधी कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, इसलिए शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन से कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के फ्लैटों का आबंटन केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों एवं उनके अधीनस्थ विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

किसानों को डीजल पर राजसहायता

4293. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जोत अभिलेखों के आधार पर सूखा प्रभावित किसानों को डीजल पर राजसहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसे कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार ने सूखे/कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाइ एवं खड़ी फसलों को बचाने के लिए डीजल पम्पसैटों के जरिए अनुपूरक सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीफ, 2009 एवं 2010 के दौरान 'डीजल रासहायता योजना' शुरु की। इस योजना के तहत, अधिकतम 2 है. प्रति किसान की सीमा तक 3 सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए प्रभावित किसानों को डीजल की लागत पर 50% राजसहायता उपलब्ध कराने का आशय था।

डीजल के लिए उपलब्ध कराई गई राजसहायता भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में वहन की जानी थी जो प्रतिभागी राज्यों की अपने अंश देने की इच्छा पर निर्भर था। योजना प्रतिपूर्ति आधार पर प्रचालित की गई थी। यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि पहले वह सूखा एवं कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पूरी राजसहायता राशि प्रदान करें एवं इसके पश्चात राजसहायत राशि के पूर्ण वितरण के पश्चात इस प्रकार दी गई राजसहायत का केन्द्रीय अंश प्राप्त करने के लिए व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति का दावा करें।

विरासत संरक्षण कार्यक्रम

4294. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विरासत संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किए जाने के बाद, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं किया जाता और इन सभी विरासत स्थलों को एक समान समझा जाता है। संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य नियमित रूप से किया जाता है और वे भली-भांति परिरक्षित हैं।

[हिन्दी]

वेश्यावृत्ति संबंधी मामले

4295. श्री रमेश बैस: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दलालों द्वारा असहाय लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने के मामलों की सूचनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए दलालों तथा उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दलालों से बचायी गयी उक्त लड़कियों की कुल संख्या कितनी है तथा उन्हें पुनर्वासित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2008, 2009, 2010 और 2011 (दिनांक 30.11.2011 तक) के दौरान दलालों द्वारा असहाय बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों, गिरफ्तार किये गये दलालों और बचाई गई बालिकां का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दर्ज किये गए मामले	गिरफ्तार किये गये दलालों की संख्या	बचाई गई बालिकाओं की संख्या
2008	7	14	13
2009	9	33	10
2010	8	16	9
2011 (दिनांक 30.11.11 तक)	12	22	31

वर्ष 2011 के एक मामले के सिवाय, जिसमें बचाई गई बालिका को एक अन्य मामले में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है, बचाई गई सभी बालिकाओं को उनके माता-पिता/परिवार/गैर सरकारी संगठनों को सौंप दिया गया है।

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. जब कभी भी ऐसी किसी घटना की सूचना मिलती है अथवा पता चलता है, तब कानून की उचित धाराओं के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाती है।
2. सतर्कता सुदृढ़ करने तथा ऐसी अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा आवधिक रूप से अन्तर-राज्य और अन्तर-एजेंसी सम्पर्क बैठकें आयोजित की जाती हैं।
3. ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सतत आधार पर आपराधिक आसूचना विकसित की जाती है और उस पर कार्य किया जाता है।
4. छात्रावासों/विश्राम गृहों, रेलवे स्टेशनों और ऐसे अपराधों के लिए संवेदनशील अन्य स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।
5. वेश्यावृत्ति आदि सहित अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में लोगों से सूचना एकत्र करने के प्रयोजन से 'आंख और कान' योजना शुरू की गई है।
6. ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए सूचना-स्रोत लगाए जाते हैं।

[अनुवाद]

मैसूर के विज्ञान केंद्र

4296. श्री अद्गुरु एच. विश्वनाथ: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को मैसूर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) जी हां। दिसंबर, 2007 में कर्नाटक सरकार से मैसूर में क्षेत्रेय विज्ञान केंद्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), जो विज्ञान शहर/केंद्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, ने 23.08.2011 को क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और इसे उपयुक्त नहीं पाया क्योंकि जल आपूर्ति का 900 एमएम डाया पाइप इस स्थल से तिरछा होकर गुजर रहा था और उक्त भूमि के शेष भाग में विज्ञान केंद्र भवन का स्थान निर्धारित करने की कोई संभावना नहीं थी। एनसीएसएम ने कनार्टक राज्य सरकार को 8.12.2011 को उक्त परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि तलाशने की सलाह दी है। कर्नाटक सरकार ने अभी तक परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि नहीं सुझाई है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के फिल्म अनुभाग में अनियमितताएं

4297. श्री महेश जोशी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन, विशेषकर फिल्म अनुभाग के कार्यकरण में कोई अनियमितताएं देखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उसके परिणाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रसार भारती में कथित वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच कराई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगे जांच कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक राष्ट्रपतीय संदर्भ भेजा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किये जाने तक के लिए श्री बी.एस. लाली को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा निलंबनाधीन रखा गया है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन व संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति यथा उपयुक्त समझी जाने वाली आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दी गई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री लाली के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया है और इस मामले में दांडिक जांच शुरू कर दी है।

तत्कालीन महानिदेशक, दूरदर्शन, डॉ. अरुणा शर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने की कार्रवाई प्रगति पर है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डॉ. अरुणा शर्मा के विरुद्ध एक नियमित मामला पंजीकृत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुमति भी मांगी थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया गया था कि श्रीमती शर्मा का दिनांक 19.2.2011 को कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कार्यमुक्त कर दिया गया था।

जहां तक दूरदर्शन के फिल्म खंड का संबंध है, ऐसे कोई मुद्दे सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

4298. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तंत्र देश में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में पूर्णतः सुसज्जित/तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादी/अलगाववादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार आतंकी गतिविधियों में मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता देती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां आतंकवाद की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है। मल्टी-एजेन्सी सेंटर (एमएसी) का गठन किया गया है जो अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए 24×7 आधार पर कार्य करता है। सुस्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान भी किया जाता है, जो राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन एजेन्सी के बीच गहन समन्वय तथा आसूचना का आदान-प्रदान एवं जानकारी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी ढांचों को ध्वस्त किया जा सका है और कई संभावित आतंकवादी हमलों को रोका जा सका है।

(ग) और (घ) सरकार आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, यथार्थ अथवा काल्पनिक आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम में सीआईएसएफ की तैनाती करने के लिए सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन;

चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एनएमजी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एनएसजी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24×7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन; प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय, द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दे को उठाती रहती है।

(ङ) और (च) आतंकवादी/साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय योजना दिनांक 1.4.2008 से चलाई जा रही है। इस योजना का दिनांक 22.6.2009 से नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मारे गये अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो चुके नागरिकों के रिश्तेदारों को संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश पर 3 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

कृषि योजना का व्यष्टि प्रबंधन

4299. श्री प्रेमदास राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि योजना के व्यष्टि प्रबंधन का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु इस योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 11वीं योजना में सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों का आवंटित एवं निर्मुक्त निधियों एवं उनके द्वारा सूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

(रु. लाख में)

	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
राज्य का नाम	आबंटन	निर्युक्ति	व्यय	आबंटन	निर्युक्ति	व्यय	आबंटन	निर्युक्ति	व्यय	आबंटन	निर्युक्ति	व्यय	आबंटन	निर्युक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
असम	2050.00	1594.64	1629.64	1625.00	812.50	812.50	1625.00	812.50	-	2337.00	1168.50	-	1332.50	0.00	0.00
मेघालय	1850.00	925.00	1062.23	1425.00	1425.00	1424.88	1425.00	1425.00	1424.79	2109.00	2109.00	2109.00	1950.00	1950.00	975.00
नागालैंड	3000.00	2384.00	2384.00	2325.00	2325.00	2325.00	2325.00	2475.00	2475.00	3420.00	3671.00	3671.00	1950.00	2200.00	975.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
त्रिपुरा	2400.00	1444.80	2539.07	1850.00	1850.00	1095.03	1850.00	1080.25	1875.48	2736.00	3628.65	3681.36	1560.00	780.00	615.15
मिजोरम	3000.00	3000.00	2764.28	2325.00	2716.28	2380.00	2325.00	1801.63	2476.63	3420.00	4009.25	4129.25	1202.50	1617.50	459.25
मणिपुर	2650.00	3309.25	3309.25	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2350.00	2350.00	3021.00	4721.00	4721.00	1722.50	2072.50	689.00
अरुणाचल प्रदेश	2650.00	2650.00	2527.02	2050.00	2050.00	2275.68	2050.00	2250.00	2070.93	3021.00	3221.00	3201.58	1722.50	2022.50	652.57
सिक्किम	2400.00	2335.46	2365.46	1850.00	1850.00	1785.08	1850.00	1745.54	1948.58	2736.00	2836.00	2547.23	1560.00	1577.05	947.56
कुल	20000.00	17643.15	18580.95	15500.00	15078.78	14148.17	15500.00	13939.92	14621.41	22800.00	25364.40	24060.42	13000.00	12219.55	5313.53

[हिन्दी]

पराजीनी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

4300. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पराजीनी फसलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उपजायी जा रही पराजीनी फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त फसलों की खेती के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवांशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण के लिए नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार बीटी कपास एकमात्र ऐसी फसल है जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति द्वारा नौ राज्यों में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए बीटी कपास के तहत लगभग 95.04 लाख है. क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा आयोजित तथा संचालित प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चला कि बीटी कपास बॉलवार्म के प्रति विषाक्त है किन्तु इसका किसी गैर लक्षित लाभप्रद कीट पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही यह पक्षियों, मत्स्य, गाय, बकरी तथा मृदा सूक्ष्म जीवों के प्रति विषाक्त नहीं है। सीआईसीआर द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चला कि बॉलवार्म के प्रति विषाक्त है किन्तु इसका किसी गैर लक्षित लाभप्रद कीट पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही यह पक्षियों, मत्स्य, गाय, बकरी तथा मृदा सूक्ष्म जीवों के प्रति विषाक्त नहीं है। सीआईसीआर द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चला कि बॉलवार्म, विशेष रूप से अमेरिकन बॉलवार्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, से फसल को प्रभावी तरीके से बचाने और इस प्रकार उपज में हानि पर रोक लगाने में बीटी कपास की प्रमुख भूमिका रही है। प्रौद्योगिकी से सर्वोत्तम लाभ कृमिनाशियों के प्रयोग में कमी के रूप में मिला है जो 2001 में 46 प्रतिशत घटकर 2006 के पश्चात 26 प्रतिशत से कम तथा 2009 तथा 2010 के विगत दो वर्षों के दौरान 21 प्रतिशत हो गया है। बीटी कपास के संकर के उपयोग से 2001 में 156 लाख गांठों (प्रति गांठ 170 कि.ग्रा. लिंट) से 2011 में 356 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन के स्तर तक वद्धि में मदद मिली है। बीटी कपास 2002 में लागू किया गया था तथा इसका क्षेत्र 2002 में 0.29 लाख है. से बढ़कर खरीफ 2011 में 95.04 लाख है. (लक्ष्य) हो गया है। बीटी कपास के प्रयोग के पहले 2001 में उत्पादकता 309 किग्रा. प्रति है. थी जो 2010 में बढ़कर 495 किग्रा. प्रति है. हो गई।

सीआईसीआर द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चला कि बीटी कपास को किसानों से अत्यधिक समर्थन मिला जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि भारत में कपास की खेती करने वाले सभी राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र इस समय बीटी कपास के

अधीन है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्यों में उपज में वृद्धि के अधिकतम लाभ मिले हैं। एनजीओ समूहों से इस प्रौद्योगिकी के विरोध की कुछ छिटपुट रिपोर्टें मिली हैं, किन्तु भारत में बीटी कपास के फैलाव पर इसका नगण्य प्रभाव पड़ा है। सीआईसीआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उचित फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के जरिये सतत लाभ प्राप्त करने के लिए जीएम फसलों, इसकी जैविक सुरक्षा तथा उचित विधियों से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अग्रणी प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को सततरूप से शिक्षित बनाया जा रहा है।

बिहार में आतंकवादी गुट

4301. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में आतंकवादी गुटों एवं कुछेक व्यक्तियों के बीच संभावित संबंध के बारे में की जाने वाली जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन आतंकवादी गुटों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है जिनके बारे में केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसियों के पास जानकारी उपलब्ध है; और

(ग) भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता की उन विभिन्न धाराओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत वे अपनी गिरफ्तारी के बाद अभियोजन के अंतर्गत हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) हाल में नवम्बर, 2011 में दिल्ली पुलिस ने केन्द्रीय आसूचना एजेंसी, पश्चिम बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से इंडियन मुजाहिद्दीन के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें से तीन बिहार के हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस ने उक्त मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471/489ख/489ग/120ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12, आयुध अधिनियम की धारा 25 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 15/18/19/20 के तहत पुलिस स्टेशन, विशेष प्रकोष्ठ, नई दिल्ली में दिनांक 22.11.2011 को एफआईआर संख्या 54 दर्ज की है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं में विलंब

4302. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें तीन वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम परन्तु एक वर्ष से अधिक का समय लगा है तथा परियोजनाओं में विलंब के कारणों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलब के लिए उत्तरदायी लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) से (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम, विशेष बोडो प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) पैकेज के तहत और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के माध्यम से भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकासात्मक परियोनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। एनएलसीपीआर स्कीम के तहत चल रही कुल परियोजनाओं और तीन वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम लेकिन एक वर्ष से अधिक देरी वाली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

इस समय केन्द्रीय सहायत से पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से चल रही विकास परियोजनाओं और तीन वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम लेकिन एक वर्ष से अधिक देरी वाली परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन परियोजनाओं में देरी के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञों की सीमित उपलब्धता, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाले वर्षा मौसम के कारण सीमित कार्य मौसम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति शामिल है।

विवरण I

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एनएलसीपीआर स्कीम के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति

राज्य	चल रही परियोजनाओं की संख्या	चल रही परियोजनाओं की संख्या जिनके पूरा होने में देरी हुई है	
		1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम (12 से 35 महीनों की देरी)	3 वर्ष तथा उससे अधिक (36 महीने और उससे अधिक की देरी)
अरूणाचल प्रदेश	106	28	16
असम	173	42	63
मणिपुर	90	15	25
मेघालय	63	19	11
मिजोरम	49	13	5
नागालैंड	70	14	17
सिक्किम	43	10	11
त्रिपुरा	61	9	7
बीटीसी पैकेज	26	2	13
कुल	681	152	168

विवरण II

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति

राज्य	चल रही परियोजनाओं की संख्या	चल रही परियोजनाओं की संख्या जिनके पूरा होने में देरी हुई है	
		1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम (12 से 35 महीनों की देरी)	3 वर्ष तथा उससे अधिक (36 महीने और उससे अधिक की देरी)
1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	64	1	4
असम	45	7	9
मणिपुर	28	0	2
मेघालय	41	7	6

1	2	3	4
मिजोरम	33	1	9
नागालैंड	36	1	6
सिक्किम	35	3	3
त्रिपुरा	17	4	7
अन्य एजेंसियों	19	0	3
कुल	318	24	49

[हिन्दी]

मृदा उर्वरता

4303. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि की उर्वरता में हो रही गिरावट के संबंध में कोई अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने मृदा की उर्वरता को बचाने के लिए सुझाव दिए हैं जिनके माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मृदा की उर्वरता बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा कराए गए एक अध्ययन ने यह दर्शाया है कि वर्षों में रसायनिक उर्वरकों के गैर विवेकसम्मत तथा असंतुलित प्रयोग के फलस्वरूप देश के कई भागों में, विशेष रूप से भारतीय गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गहन खेती में मृदा उर्वरता में गिरावट आई है। देश में पोषक तत्वों की कमी के नवीनतम अनुमान इस प्रकार है: नाइट्रोजन-90 प्रतिशत, फास्फोरस-80 प्रतिशत, पोटैशियम-50 प्रतिशत, सल्फर-41 प्रतिशत, जिंक-49 प्रतिशत, बोरोन-33 प्रतिशत, मोलब्डेनम-13 प्रतिशत, आयरन-12 प्रतिशत, मैगनीज-5 प्रतिशत तथा कापर 3 प्रतिशत।

(ग) कृषि वैज्ञानिकों ने सतत मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता के लिए गौण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पादप पोषक तत्वों के अजैविक तथा जैविक, दोनों स्रोतों के संयुक्त प्रयोग के द्वारा मृदा परीक्षण आधारित संतुलित तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की अनुशंसा की है।

(घ) 2008-09 के दौरान मृदा स्वास्थ्य तथा इसकी उत्पादकता को सुधारने के लिए रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित विवेकसम्मत प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता प्रबंधन परियोजना आरंभ की गई है। स्कीम में नवीन स्थायी/चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विद्यमान मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन तथा जैविक खाद्य मृदा सुधारक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्द्धित प्रयोग शामिल है।

[अनुवाद]

थिएटरों का निर्माण

4304. श्री के.पी. धनपालन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में नाट्य रंगमंचों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायत प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में स्टूडियों थिएटर स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय "स्टूडियों थियेटर सहित भवन अनुदान" की एक स्कीम चला रहा है जिसके अधीन स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को कलाकारों के लिए उपयुक्त रुप से सुसज्जित प्रशिक्षण, रिहर्सल और प्रदर्शन स्थान, जिसमें नाट्य रंगमंच शामिल है, सृजित करने के लिए वित्तीय सहायत मुहैया की जाती हैं। यह स्कीम जन सूचना के लिए इस मंत्रालय की वेबसाई www.indiaculture.nic.in में प्रकाशित की गई है।

(ग) और (घ) उक्त स्कीम के अधीन केरल से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) गांधी सेवा सदन, कथकली और शास्त्रीय कला अकादमी, पेरुर, पलक्कड जिला ने चेन्दा, मड्डालम, कथकली संगीत, वेशम आदि के लिए कक्षाएं चलाने के लिए 23.50 लाख रु. की कुल लागत से भवन निर्माण करने के लिए आवेदन किया है।

(ii) फाइन आर्ट्स सोसायटी, कुरुपमपाडी, एर्नाकुलम जिला ने 25.00 लाख रु. की कुल लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण करने के लिए आवेदन किया है।

(iii) कोथामंगलम आर्ट्स एंड लिटरेसी एसोसिएशन, कोथामंगलम, एर्नाकुलम जिला ने 66.00 लाख रु. की कुल लागत से ऑडिटोरियम आदि का आधुनिककीकरण और उन्नयन करने के लिए आवेदन किया है।

[हिन्दी]

ओलम्पिक खेल, 2012 के प्रायोजक

4305. श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंदन ओलम्पिक खेल समिति (एलओजीसी) से 2012 में आयोजित होने वाले ओलम्पिक खेलों में डीओडब्ल्यू कैमिकल कंपनी की प्रायोजकता इस तथ्य के मद्देनजर रद्द करने के लिए कहा गया है कि उक्त कंपनी मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एल.ओ.जी.सी. की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) 2010 में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) के साथ डीओडब्ल्यू कम्पनी के अनुबंध के पश्चात लंदन 2012 के ओलम्पिक खेल सर्वप्रथम होंगे। यह घोषित किया जा चुका है कि 2020 तक के ओलम्पिक खेलों के लिए औपचारिक वैश्विक ओलम्पिक सहभागी तथा औपचारिक रसायन कंपनी होगी।

इसके अतिरिक्त यह समझा जाता है कि आई.ओ.सी. के साथ हुए अनुबंध के भाग के रूप में डीओडब्ल्यू-आईओसी तथा भारत समेत सम्पूर्ण विश्व की राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों के साथ सहभागिता करेगी। अतः डीओडब्ल्यू-आईओसी का यह अनुबंध प्रत्यक्ष रूप से आईओए की गतिविधियों पर प्रभाव डालेगा।

सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) तथा ओलंपिक खेलों के लिए लंदन आयोजन समिति (एलओसीओजी) के समक्ष भोपाल गैस त्रासदी, 1984 के पीड़ितों तथा आम जनता की संवेदनशीलता के संदर्भ में यह मुद्दा तुरन्त तथा तद्नुभूति के साथ उठाने को कहा है तथा चूंकि डीओडब्ल्यू रसायन कंपनी से संबंध ओलम्पिक गतिविधि तथा ओलम्पिक चार्टर में प्रतिष्ठापित उच्च नैतिक आदर्शों के प्रतिकूल दृष्टिगत होता है। सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ को यह सलाह दी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के चार्टर का अध्ययन करें तथा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों की जांच करे तथा इस मामले में उपयुक्त कानूनी राय प्राप्त करे।

आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाएं

4306. श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौर क्या है;

(ख) उनमें से अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इसके कारणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का शहर/नगर-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम घटक के अंतर्गत अब तक कुल 1439 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1020 परियोजनाएं 549862 आवास और अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुमोदित की गई हैं। शेष विस्तृत परियोजना रिपोर्टें या तो संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए केन्द्रीय नियतन की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदित नहीं की गई हैं या कमियों को दूर करने के लिए संबंधित एजेंसियों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वापस कर दी गई हैं। मंत्रालय में कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लंबित नहीं है। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त और अनुमोदित परियोजनाओं के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) शहरों/कस्बों में परियोजनाएं पूरी होना राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यान्वयन अनुसूची/क्षमता/उनके पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। किसी भी शहर/कस्बे के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

दिनांक 4.12.2011 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	20	451.87	271.98									
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	9.95	8.96	0								
3.	असम	3	28.76	23.38	1	17.92	13.73						
4.	बिहार	6	113.39	64.21	4	81.10	38.51	5	156.63	67.40			
5.	छत्तीसगढ़	4	49.10	36.82									
6.	गोवा	0	0.00	0.00							1	4.1	1.4
7.	गुजरात	9	114.58	73.22	6	39.71	17.13				11	151.86	84.84
8.	हरियाणा	3	33.42	26.74									
9.	हिमाचल प्रदेश	3	31.90	20.88				2	17.38	11.71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू और कश्मीर	15	42.60	34.50	12	25.72	17.86	13	36.88	29.72			
11.	झारखंड	6	123.67	72.39				3	74.59	43.35			
12.	कर्नाटक	9	138.81	76.93									
13.	केरल	11	55.50	42.18	16	80.59	55.29						
14.	मध्य प्रदेश	4	28.48	21.88	7	48.90	28.87	5	26.46	16.78	4	16.68	10.96
15.	महाराष्ट्र	56	1166.39	772.57	1	30.50	20.19						
16.	मणिपुर	1	10.83	8.33	3	16.04	11.66						
17.	मेघालय	2	19.66	13.46									
18.	मिजोरम	7	31.00	23.57									
19.	नागालैंड	0	0.00	0.00	1	2.39	0.60						
20.	ओडिशा	16	184.06	123.30	1	16.99	9.45	2	8.17	5.42			
21.	पंजाब	1	21.01	8.22				11	253.01	99.76			
22.	राजस्थान	4	83.37	52.12	5	81.85	45.94	18	304.28	196.00			
23.	सिक्किम	0	0.00	0.00	1	19.91	17.92						
24.	तमिलनाडु	52	249.24	184.17	2	40.97	18.73						
25.	त्रिपुरा	2	20.01	17.60	2	16.44	14.11						
26.	उत्तर प्रदेश	124	771.75	509.10	10	160.35	100.63	15	299.77	177.76	6	59.92	33.7
27.	उत्तराखंड	0	0.00	0.00	19	155.42	87.66						
28.	पश्चिम बंगाल	34	377.09	297.60	1	0.64	0.15						
29.	दिल्ली	0	0.00	0.00									
30.	पुडुचेरी	0	0.00	0.00									
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	9.88	8.90									
32.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00									
33.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	1	5.24	2.89						
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00									
35.	दमन और द्वीप	0	0.00	0.00									
		394	4166.32	2793.01	93	840.68	501.32	74	1177.17	647.9	45	802.67	479.65

साम्प्रदायिक दंगे

4307. **श्री वीरेन्द्र कश्यपः**
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूचित किए गए साम्प्रदायिक हिंसा/दंगों की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में जान-माल की हुई हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) पुलिस और लोक व्यवस्था चूंकि भारत के संविधान के तहत राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक घटनाओं, इसके कारण हुई क्षति, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या एवं उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे की जिम्मेदारी प्राथमिकतः राज्य सरकारों की होती हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 से 2011 के दौरान देश में साम्प्रदायिक घटनाओं और उसमें मारे गए एवं घायल हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, केन्द्र सरकार विभिन्न तरीकों से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करती है जैसे कि आसूचना का आदान-प्रदान करना, चेतावनीपूर्ण संदेशों को भेजना, विशेष अनुरोध करने पर और राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण में संबंधित राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक परिस्थितियों से निपटने हेतु विशेष तौर पर गठित किए गए कम्पोजिट रेपीड एक्शन फोर्स सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भेजना। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समय-समय पर इस संबंध में सलाहें भी भेजती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए संशोधित दिशानिर्देश भी परिचालित किए हैं।

विवरण

वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 (अक्तूबर तक) के दौरान देश में साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या और उसमें मारे गए एवं घायल हुए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	2009			2010			2011* (अक्तूबर तक)		
	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	17	0	23	16	3	69	14	0	80
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	20	10	83	10	5	37	7	2	22
बिहार	40	4	146	40	8	156	19	4	54
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	6	2	1	3	0	2	2	1	1
दिल्ली	9	2	32	3	0	5	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	4	0	0	2	0	0	0	0	0
गुजरात	63	4	151	59	9	243	39	3	98
हरियाणा	4	0	22	0	0	0	1	0	4
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	5	1	0	20
झारखंड	20	1	53	13	1	79	11	5	54
कर्नाटक	110	13	292	71	10	228	57	5	168
केरल	36	3	120	24	0	57	24	1	37
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	106	14	316	103	21	179	67	13	147
महाराष्ट्र	128	22	389	117	16	290	84	15	327
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	1	0	8	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	11	1	31	7	1	15	7	3	30
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	1	0	0	0	0	0
राजस्थान	52	10	140	33	10	125	37	16	175
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	42	2	53	44	4	91	17	2	36
त्रिपुरा	1	0	1	1	0	17	0	0	0
उत्तराखंड	4	0	0	8	0	24	5	5	46
उत्तर प्रदेश	159	32	525	121	22	426	75	12	304
पश्चिम बंगाल	17	5	83	21	6	82	15	3	31
कुल	849	125	2461	701	116	2138	485	90	1637

*अनंतिम आंकड़े

[अनुवाद]

खेती का कम होता क्षेत्र

4308 **श्री एस. पक्कीरप्पा:**
श्री मनीष तिवारी:
श्री इज्यराज सिंह:
डा. संजय सिंह:
श्रीमती रमा देवी:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्रीमती कमला देवी पटले:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेती के रकबे में निरंतर कमी हो रही है जिसके कारण संभावित कृषि संकट हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वर्ष 1999-2011 से देश में कुल खेती के रकबे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेती योग्य भूमि में कमी वाणिज्यिक और अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि का उपयोग किए जाने के कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक और गैर-कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित की गई कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि योग्य भूमि को वाणिज्यिक प्रयोग में परिवर्तन करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) गैर-कृषि प्रयोजनों (जिसमें भवन, सड़कों रेलवे, अन्तर्जलीय भूमि तथा कृषि के अलावा उपयोगों में आने वाली भूमि शामिल हैं) के लिए भूमि उपयोग बढ़ने से पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कृषि/खेती योग्य भूमि में मामूली सी गिरावट हुई है। 2003-04 के दौरान 183186 हजार हैक्टेयर की तुलना में, 2008-09 के दौरान देश में कृषि भूमि घटकार 182385 हजार हैक्टेयर हुई है।

तथापि, कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरुप, खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है तथा कृषि/खेती योग्य भूमि में मामूली गिरावट से कृषि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अलावा देश में कृषि भूमि क्षेत्र में वृद्धि करने तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के लिए, सरकार विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित कर रही है तथा, (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल सिंचित विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) (ii) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ग्रस्त नदियों के कैचमेंटों में भू-संरक्षण (आरवीपी तथा एफपीआर), (iii) क्षारीय एवं अम्लीय भूमि का पुर्नरुद्धार एवं विकास (आरएडीएएस) तथा (iv) झूम कृषि क्षेत्रों में जलग्रहण विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)।

अद्यतन लैंड यूज स्टैटिक्स 2008-09 के अनुसार देश में कृषि भूमि (खेती योग्य भूमि), जोती गई भूमि, गैर कृषि उपयोगों के तहत कृषि भूमि एवं क्षेत्र के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं-

(हजार हैक्टेयर में क्षेत्र)

वर्ष	कृषि भूमि (खेती योग्य भूमि)	जोती गई भूमि	गैर-कृषि के उपयोगों के तहत क्षेत्र
1	2	3	4
1999-00	183873	156116	23598
2000-01	183506	156142	23889
2001-02	183607	156079	24049

1	2	3	4
2002-03	183172	154322	24263
2003-04	183186	155228	24651
2004-05	183007	155649	24890
2005-06	182742	155526	25122
2006-07	182565	155424	25568
2007-08	182505	155663	26017
2008-09	182385	155905	26308

(ङ) गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, अर्थात

राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 (एनपीएफ 2007) राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 में यह सिफारिश की गयी है कि "मुख्य कृषि भूमि को अपवाद स्वरुप परिस्थितियों को छोड़कर कृषि के लिए इस प्रावधान के साथ संरक्षित किया जाए कि एजेंसियां जिन्हें गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि प्रदान की जाती है वे समतुल्य गैर-उन्नत/बंजर भूमि के उपचार/संपूर्ण विकास के लिए मुआवजा दें। गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए, जहां तक संभव हो, खेती के लिए कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को निर्धारित किया जाएगा तथा उसे आबंटित किया जाएगा"। राज्य सरकारें को सलाह दी गयी है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों सहित गैर-कृषि विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए गैर कृषि-योग्य भूमि, क्षारीय, अम्लीय आदि से प्रभावित भूमि जैसी कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को निर्धारित करे।

राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नबन्दोबस्त नीति, 2007 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं बन्दोबस्त नीति, 2007 ने सिफारिश की है कि जहां तक संभव है, परियोजनाओं को बंजर भूमि, गैर उन्नत भूमि, अथवा गैर सिंचित भूमि पर पर स्थापित किया जाए। परियोजना में गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि के अधिग्रहण को न्यूनतम पर रखा जाएं, ऐसे प्रयोजनों के लिए बहु फसलयुक्त भूमि को यथासंभव टाला जाये तथा सिंचित भूमि के अधिग्रहण, यदि इसे टाला नहीं जाता है तो उसे न्यूनतम पर रखा जाय। इन नीतियों को क्रियान्वयन हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेज दिया गया है।

बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूएडी (बृम्स्टोवड) परियोजना

4309. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय दिना पाटिल:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बृहनमुबंई स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज परियोजना (बृम्स्टोवड) की लागत में वृद्धि के कारण परियोजना का संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के संशोधित अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुंबई हेतु बृहन मुंबई बरसाती जल निकास परियोजना (बिमस्टोवाड) का अनुमोदन 12.7.2007 को 1200.53 करोड़ रुपए की लागत की लागत पर किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. महिलाओं पर अत्याचार

4310. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**
श्री हरिन पाठक:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत किये गये ऐसे मामलों की राज्य-वार और हत्या, दंगे और यौन उत्पीड़न सहित अपराध-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों, मुकदमें चलाए गए और प्राप्त दोष सिद्धि दर की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सुलझाए गए/अनसुलझे ऐसे मामलों की कुल संख्या क्या है और सभी मामलों को सुलझाने और उच्च दोषसिद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पंचायत निकायों द्वारा कथित रूप से छोटे अपराधों के लिए अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं और बच्चों को कठोर दंड दिए जाने सहित दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (च) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अत्याचारों पर अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 हेतु हत्या, दंगे और बलात्कार शीर्षों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

संविधान के तहत सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकृत करने, जांच करने और अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों पर दिनांक 1 अप्रैल 2010, 14 जुलाई 2010 तथा 4 सितम्बर, 2009 को विस्तृत परामर्शी-पत्र समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी परामर्शी-पत्र में विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है, यथा, सांविधिक प्रावधानों तथा विद्यमान विधानों का सशक्त एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रवर्तन, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के प्रति कानून प्रवर्तन तंत्र का सुग्राहीकरण, अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के प्रति अपराधों संबंधी विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषणों के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली को विकसित करना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के मामलों में प्राथमिकी के पंजीकरण में विलम्ब न करना, निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार-बहुल क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना, अत्याचारों से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय करना इत्यादि।

महिलाओं एवं बच्चों संबंधी परामर्शी-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा में दोषी पाए गए व्यक्तियों का तीव्र एवं प्रभावकारी दण्ड देने हेतु उपयुक्त उपाय करने, जांच की गुणवत्ता को सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को कम करने, जिलों में, महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों की स्थापना करने, पुलिस कर्मियों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालय तथा कॉल सेंटरों में रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिला प्रकोष्ठों की स्थापना कर ली है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला स्तर पर समस्त महिला पुलिस थानों तथा पुलिस थाना पर महिला/बाल सहायता डेस्क की भी स्थापना कर ली है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति हत्या के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	48	43	5	83	86	5	35	28	3	58	55	9	43	47	1	180	189	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	9	2	1	11	4	2	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	46	35	6	55	45	9	22	15	8	36	34	8	24	29	12	62	68	26
5.	छत्तीसगढ़	11	8	5	104	96	44	6	9	2	7	15	20	6	6	1	10	10	4
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	13	22	2	27	23	2	20	13	2	45	40	2	15	13	6	69	77	12
8.	हरियाणा	6	5	2	14	14	6	7	5	3	19	18	5	13	12	4	132	130	15
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	7	2	1	12	12	1	5	6	4	12	9	4	4	2	1	17	17	8
12.	कर्नाटक	27	27	2	41	31	4	38	37	2	81	85	3	16	18	2	70	74	2
13.	केरल	3	6	1	24	20	3	3	2	0	16	11	0	4	2	1	16	17	1
14.	मध्य प्रदेश	87	83	33	306	330	116	101	99	39	325	323	108	102	101	49	354	356	136
15.	महाराष्ट्र	23	19	2	70	65	14	27	26	1	161	166	1	24	20	5	63	47	24
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	17	20	0	18	17	0	25	18	2	34	33	2	9	13	2	25	27	2
21.	पंजाब	0	0	1	0	0	3	3	2	0	10	6	0	4	5	0	11	15	0
22.	राजस्थान	53	31	10	69	67	17	65	41	15	109	111	27	56	38	15	83	83	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	सिक्किम	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	31	29	6	54	62	8	27	19	7	142	105	14	20	15	4	37	41	7
25.	त्रिपुरा	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	239	223	162	756	675	508	235	210	170	736	628	564	229	201	197	732	573	589
27.	उत्तराखंड	4	4	3	8	8	6	2	1	0	6	2	0	0	1	3	0	4	7
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	626	551	243	1655	1558	749	624	537	260	1800	1650	772	569	523	303	1861	1728	861
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	1	0
	कुल संघ शासित	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	कुल अखिल भारत	626	552	243	1655	1569	749	624	537	260	1800	1650	772	570	524	303	1862	1729	861

(स्रोत: भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस तथा न्यायालय द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पूर्व वर्षों से लंबित मामले की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति आगजनी के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	5	5	0	6	10	0	12	2	0	13	3	0	17	11	1	17	28	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	3	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	बिहार	44	19	1	45	27	1	40	24	5	76	61	8	15	36	4	43	57	5
5.	छत्तीसगढ़	4	4	0	6	6	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	10	11	0	30	27	0	3	4	0	13	16	0	4	1	0	16	4	0
8.	हरियाणा	2	2	0	10	10	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	18	3	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0
13.	केरल	0	1	0	0	4	0	1	0	0	3	0	0	2	1	0	0	1	0
14.	मध्य प्रदेश	41	35	10	123	123	21	31	30	6	75	75	13	24	24	8	87	87	20
15.	महाराष्ट्र	10	16	0	41	45	0	8	9	1	46	45	3	12	7	0	22	14	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	14	9	1	25	14	1	16	10	0	16	15	0	6	18	0	20	23	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	29	17	7	32	33	11	39	19	4	42	42	9	31	16	3	34	34	12
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	8	13	0	10	7	0	4	4	2	10	14	3	4	1	1	4	1	3
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	53	45	15	168	143	60	38	30	18	130	90	54	29	19	29	120	75	94
27.	उत्तराखंड	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01		0	0	0	0	0
	कुल राज्य	225	182	34	503	458	94	195	134	39	428	365	95	150	139	49	385	331	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	1	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	225	182	34	503	458	94	195	134	39	428	365	95	150	139	49	385	331	141

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति बलात्कार के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्धि व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	88	81	14	96	112	11	99	71	6	100	83	20	100	88	9	156	123	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	16	2	2	9	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
4.	बिहार	23	21	2	27	28	2	19	17	6	22	26	7	16	15	5	23	24	5
5.	छत्तीसगढ़	59	54	8	68	71	9	51	53	10	50	51	9	43	39	14	61	62	15
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	30	25	1	45	41	1	28	33	2	46	53	3	34	32	4	60	57	7
8.	हरियाणा	60	55	3	76	78	5	32	28	10	45	46	14	37	34	10	46	42	16
9.	हिमाचल प्रदेश	5	0	1	4	0	2	7	10	2	5	9	1	5	2	2	2	2	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	21	11	2	10	9	2	8	10	3	10	11	3	10	4	2	11	10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	कर्नाटक	29	28	1	58	37	1	39	36	0	50	65	0	27	28	4	49	49	4
13.	केरल	67	45	4	119	82	5	62	64	8	89	82	8	77	66	5	92	99	5
14.	मध्य प्रदेश	357	352	85	445	442	133	321	301	68	417	418	93	316	299	78	427	419	104
15.	महाराष्ट्र	93	86	7	169	151	10	105	101	9	147	147	29	89	82	9	137	140	9
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	48	42	8	44	33	8	63	55	3	65	74	3	51	61	3	79	77	3
21.	पंजाब	5	3	2	8	5	6	11	7	1	23	18	1	18	9	0	25	18	0
22.	राजस्थान	153	92	33	128	126	39	163	102	26	162	163	44	200	115	20	130	129	27
23.	सिक्किम	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0
24.	तमिलनाडु	17	17	5	16	16	4	11	11	2	12	11	2	11	7	4	11	13	6
25.	त्रिपुरा	2	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	375	322	167	645	567	304	317	251	141	547	428	247	311	261	182	540	438	300
27.	उत्तराखंड	6	6	3	9	7	5	9	8	6	13	14	7	3	4	7	3	4	9
28.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	1457	1255	349	1981	1810	550	1346	1162	306	1804	1702	494	1349	1149	358	1852	1709	529
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	1	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	1457	1245	349	1981	1810	550	1346	1162	306	1804	1702	494	1349	1149	358	1852	1709	529

(स्रोत: भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस तथा न्यायालय द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पूर्व वर्षों से लंबित मामले की जानकारी भी शामिल हैं।

वर्ष 2008-200 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हत्या के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्रसं	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	7	4	1	11	11	3	4	6	0	6	6	0	7	6	0	13	15	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	7	2	0	8	4	0	3	3	1	4	1	4	1	3	1	3	7	2
4.	बिहार	1	1	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	21	19	7	32	32	12	17	17	5	40	40	7	24	25	5	40	40	7
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	5	7	0	15	17	0	8	7	1	12	12	1	8	8	1	11	9	1
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	4	2	0	7	7	0	6	4	7	17	13	8	10	4	3	21	21	4
12.	कर्नाटक	3	3	0	8	8	0	2	2	0	12	12	0	5	3	0	16	11	0
13.	केरल	1	2	0	5	2	0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	1	1	0
14.	मध्य प्रदेश	45	42	19	120	124	49	41	43	11	143	143	26	47	43	14	102	99	26
15.	महाराष्ट्र	11	10	0	26	22	0	8	7	0	35	19	0	9	11	0	36	55	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	6	5	3	9	9	5	14	9	0	23	23	0	6	11	4	14	14	4
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	15	9	5	25	25	9	12	10	3	26	26	11	21	17	3	34	34	3
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02		1	9	8	1	0
25.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	2	0	0	4
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	127	106	35	268	262	78	118	113	30	324	304	59	142	134	35	301	308	54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	1	0	0	7	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	128	106	35	275	262	78	118	114	30	324	311	59	142	134	35	301	308	54

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति बलात्कार के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति(पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	37	35	5	41	43	6	37	28	1	38	32	4	41	37	3	57	62	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	7	1	0	5	1	0	1	3	1	2	2	1	0	1	0	0	3	0
4.	बिहार	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	100	97	10	98	98	11	88	86	13	103	103	9	112	101	14	136	136	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	26	21	3	51	47	17	19	18	4	30	32	6	19	21	1	35	36	1
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	18	23	3	23	24	3	13	8	3	8	13	3	18	7	3	9	7	4
12.	कर्नाटक	6	6	0	12	12	0	5	5	0	19	7	0	4	3	0	4	14	0
13.	केरल	23	17	1	38	38	2	28	16	1	27	13	1	18	27	1	21	31	1
14.	मध्य प्रदेश	237	217	69	322	318	101	263	264	65	395	399	88	308	284	67	414	411	130
15.	महाराष्ट्र	46	39	3	53	53	6	50	57	4	89	87	5	46	48	3	68	77	3
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	38	33	10	40	36	10	33	31	3	43	42	3	42	47	4	60	59	6
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	40	23	8	39	39	8	39	31	5	34	34	16	42	28	5	46	46	8
23.	सिक्किम	2	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	0	1	0	0	1	0
24.	तमिलनाडु	2	3	0	1	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2
25.	त्रिपुरा	2	2	2	2	2	2	4	3	5	4	4	5	2	2	1	0	2	1
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	3	3	0	14	6	0	1	1	0	0	3	0	1	1	0	1	1	0
	कुल राज्य	585	521	116	743	723	168	583	554	108	795	775	144	654	609	103	852	887	176
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	585	521	116	743	723	168	583	554	108	795	775	144	654	609	103	852	887	176

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति आगजनी के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	2	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	7	3	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	1	0	1	1	0	2	0	0	4	0	0	1	2	0	3	3	0
5.	छत्तीसगढ़	4	2	0	1	1	0	3	1	0	4	4	0	6	3	1	5	5	1
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	1	0	3	3	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	11	11	6	16	17	12	6	5	0	13	13	0	13	13	2	55	55	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15.	महाराष्ट्र	8	7	0	55	51	0	6	6	0	23	15	0	7	4	0	23	27	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	5	5	1	12	12	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	9	2	2	2	2	3	5	2	0	10	10	0	6	3	1	31	31	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	49	36	9	98	97	16	29	19	1	57	47	1	39	29	4	121	125	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	49	36	9	98	97	16	29	19	1	57	47	1	39	29	4	121	125	20

(स्रोत: भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस तथा न्यायालय द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पूर्व वर्षों से लंबित मामले की जानकारी भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

टी.आर.पी. की गणना

4311. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन और निजी टी.वी. चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) की गणना किस प्रकार से की जाती है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु स्वीकार किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोगों में दूरदर्शन की वास्तविक छवि और इसकी लोकप्रियता के बीच कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) दूरदर्शन की वास्तविक छवि और इसकी लोकप्रियता के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जहां तक प्राइवेट चैनलों का संबंध है, टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) तैयार करने का कार्य विशुद्धतः प्राइवेट सेक्टर के कार्य-क्षेत्र में है। इस समय देश में टैम मीडिया अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड (टैम) और ऑडियंस मेजरमेंट ऐंड एनालिटिक्स लिमिटेड (ए मैप) नामक दो प्राइवेट एजेंसियां कार्यशील हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, प्रसार भारती शहरी क्षेत्रों, जिनमें 1,00,000 से अधिक की आबादी वाले सभी शहर शामिल हैं, के लिए टीवी दर्शकों की संख्या के संबंध में साप्ताहिक टैम आंकड़े मुहैया कराने के लिए निष्पादित करार के अनुसार, मैसर्स टैम मीडिया को वार्षिक अंशदान शुल्क का भुगतान करता है। इसके अलावा, दूरदर्शन की स्थापना होने के समय से अनुसंधान संबंधी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से उसकी अपनी स्वयं की दर्शक अनुसंधान इकाई (एआरयू) है। दूर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई देश के ग्रामीण व शहरी दोनों प्रकार के दर्शकों को शामिल करते हुए प्रतिनिध्यात्मक पैनल सदस्यों से डायरी प्रणाली के जरिए प्रतिदिन दर्शकों की संख्या के आंकड़े एकत्र करती है। टीआरपी की रेटिंग्स का प्रसार करने के उद्देश्य से आंतरिक अनुसंधान इकाइयों द्वारा केंद्र स्तर पर साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और उन्हें संबंधित केंद्रों और साथ ही, निदेशालय को प्रस्तुत किया जाता है ताकि कार्यक्रम योजनाकारों, निर्माताओं, नीति-निर्माताओं और विपणन प्रबंधकों द्वारा उनका प्रयोग वाणिज्यिक प्रसारण की योजना तैयार करने तथा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सके।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है। तथापि, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है। दिनांक 20.11.2011 से दिनांक 26.11.2011 तक की अवधि के लिए समस्त 4+ दर्शकों और सीऐंडएस 4+ दर्शकों के बीच डीडी नेशनल का स्थान चौथे स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया जैसा कि भारत (कुल बाजार) में दूरदर्शन और अन्य केबल सैटेलाइट चैनलों (जीईसी) की साप्ताहिक औसत टीवीआर व हिस्सेदारी के संबंध में टैम मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों की गुणवत्ता की सतत समीक्षा करता है तथा विभिन्न स्कीमों के जरिए विभिन्न सॉफ्टवेयर घरानों/निर्माताओं से स्तरीय सॉफ्टवेयर अधिप्राप्त करके ट्रांसमिशन की विषय-वस्तु व तकनीकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने का प्रयास करता है। कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्टूडियों व उपस्करों को निरंतर आधुनिकीकृत व अद्यतित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एफ.पी.आई. में निजी निवेश

4312. श्री रामकिशुन:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री नरहरि महतो:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश आमंत्रित करने संबंधी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस संबंध में निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया और दर्शाई गई रुचि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे प्रस्तावित उद्योगों की संख्या कितनी है और इसमें कितना पूंजी निवेश किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन निजी कंपनियों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए अथवा प्रस्तावित रियायतों/प्रोत्साहनों/राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) सरकार की नीति में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आमंत्रित करने के लिए अनुदान सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बहुमुखी रणनीति है। निजी क्षेत्र द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया और रुचि उत्साहवर्धक रही है।

(ग) मंत्रालय की स्कीम परियोजना उन्मुखी एवं मांग आधारित है और इसीलिए किए जाने वाले संभावित पूंजी निवेश की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता।

(घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदों पर सीमाशुल्क में कमी जैसे अनेक उपाय किये हैं।

[अनुवाद]

चीनी की उपलब्धता

4313. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री अंनत कुमार हेगडे:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री हसंराज गं. अहीर:
श्री पी.सी मोहन:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष के दौरान देश में चीनी के उत्पादन और मांग के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चीनी के शेष स्टाक, अनुमानित उत्पादन और मांग को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चीनी निर्यात की अनुमति और आयात पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में चीनी और चीनी उद्योग की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ङ) देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) कृषि एंव सहकारिता विभाग द्वारा सितम्बर, 2011 में जारी गन्ना उत्पादन के प्रथम अग्रिम आकलनों के आधार पर चीन के उत्पादन का अनंतिम अनुमान लगभग 246 लाख टन लगाया गया है जबकि वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान देश में लगभग 220 लाख टन की घरेलू मांग होने का अनुमान है। पिछले चीनी मौसम 2010-11 के अग्रनयन स्टाक का अनंतिम रूप से लगभग 54.81 लाख टन का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) अथशेष स्टाक, संभावित चीनी उत्पादन और घरेलू मांग को हिसाब में लेते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी मौसम 2011-12 के दौरान 10 लाख टन तक चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी है। वर्तमान में 31.3.2012 तक कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के आयात पर सीमा शुल्क से पूरी छूट है। वर्तमान में, चीनी पर सीमा शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदम

(क) केन्द्रीय सरकार ने 2011-12 चीनी मौसम के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने का देय उचित और लाभकारी मूल्य 9.5% की मूल रिकवरी की दर पर 145 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जिसमें 9.5% से अधिक प्रत्येक रिकवरी में 0.1 प्रतिशतता की वृद्धि के लिए 1.53 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम देय है।

(ख) गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत् विकास (सुबाक्स) कृषि और सहकारिता विभाग की बृहत कृषि प्रबंधन स्कीम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के घटकों में से एक है। गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत् विकास (सुबाक्स) का मुख्य जोर खेत पर प्रदर्शनों के जरिये किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने, किसानों के प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, रोपण सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि, जल के कुशल उपयोग, रोपण सामग्रियों के उपचार आदि पर है।

(ग) केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों को संयंत्र व मशीनरी के आधुनिकीकरण, पेराई क्षमता के विस्तार, सह-उत्पादन के लिए खोई और इथनॉल के उत्पादन के लिए शीरे जैसे सह-उत्पादों के उपयोग, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और बेहतर सिंचाई सुविधाओं सहित गन्ना विकास, बीज की उन्नत किस्मों, पेडी प्रबंधन आदि के लिए चीनी विकास निधि से 4% वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर ऋण मुहैया कराती है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का उत्पादन

4314. **श्री प्रेमदास:**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में फलों और सब्जियों के उत्पादन में कमी हो रही है जबकि इनके मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मौसमी फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना/परियोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं। फलों एवं सब्जियों का उत्पादन विगत तीन वर्षों के दौरान बढ़ा है। विगत तीन वर्षों के दौरान फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

(000 मी. टन में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11*
फल	68465.5	71515.5	75825.6
सब्जियां	129076.8	133737.6	137686.6
कुल	197542.3	205253.1	213512.2

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
*द्वितीय अग्रिम अनुमान-कृषि एवं सहकारिता विभाग

फलों एवं सब्जियों के थोक मूल्य सूचकांक विगत तीन वर्षों में नीचे दिए अनुसार कुछ वृद्धि दर्शाते हैं:

वर्ष	2008	2009	2010
फल एवं सब्जियां	131.93	143.61	163.02

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

फलों एवं सब्जियों के मूल्य, जो कि अधिकतर नश्य जिन्सें हैं, कुल मिलाकर बाजार से संबंधित कारकों, प्रचलित मौसम अवस्थाओं, भण्डारण, लागत, परिवहन और बढ़ती आय और शहरीकरण के कारण संवर्धित मांग पर निर्भर करते हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। फलों एवं सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है अर्थात (1) उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचएम)। एचएमएनईएच और एनएचएम के अंतर्गत सहायता की पद्धति के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न में है।

बागवानी उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए अच्छा कटाई पश्चात प्रबंधन एवं बाजार अवसंरचना आवश्यक है जिसके लिए इन मिशनों के अंतर्गत शीत भंडार, आवधिक बाजार, थोक बाजार और ग्रामीण प्राथमिक बाजार/अपनी मंडियां स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तत्वावधान में, 2011-12 के दौरान शहरी समूह के लिए सब्जी पहल पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह स्कीम एक मिलियन आबादी वाले या राजधानी शहरों में 29 राज्यों के प्रत्येक एक शहर में कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

ग्यारहवीं योजना के दौरान मिशनों के अंतर्गत सहायता के लागत प्रतिमानक एवं पैटर्न नीचे दिए अनुसार है

क्र.सं.	मद	अधिकतम अनुमत लागत	सहायता का पैटर्न#	
			एचएमएनईएच	एनएचएम
1	2	3	4	5
	मिनी मिशन-2			
1.	**रोपण सामग्री का उत्पादन**			
(1)	मॉडल नर्सरी/बड़ी नर्सरी (2-4) है	6.25 लाख रुपए/हैक्टे.	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत जोकि 25.00 लाख रुपए प्रति यूनिट तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च अन्त राजसहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जकि अधिकतम 4 हेक्टेयर वाली किसी इकाई हेतु 12.50 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत जोकि 25.00 लाख रुपये प्रति यूनिट तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च अन्त राजसहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि अधिकतम 4 हेकटेयर वाली किसी इकाई हेतु 12.50 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी। प्रत्येक नर्सरी प्रत्येक वर्ष अधिदेशित बारामासी वर्द्धनशील रूप से प्रचारित किये हुए फल पादपों/वृक्ष मसालों/बागान फसलों को प्रति हैक्टेयर न्यूनतम 50000 की संख्या में पैदा करेगी।
(2)	छोटी नर्सरी (1 हेक्टेयर)	6.25 लाख रुपये	सार्वजनिक क्षेत्र को कुल लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च अन्त राजसहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि अधिकतम 3.125 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च अन्त राजसहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि अधिकतम 4 हेक्टेयर वाली किसी इकाई हेतु 3.125 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी। प्रत्येक नर्सरी प्रत्येक वर्ष

1	2	3	4	5
				अधिदेशित बारामासी वर्द्धनशील रूप से प्रचारित किये हुए फलपादपों/वृक्ष मसालों/ बागान फसलों को प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 500000 की संख्या में पैदा करेगी।
(3)	अपत्य और हर्बल बगीचे	5 लाख रुपये/ इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र की लागत का 100 प्रतिशत और निजी लागत का 50 प्रतिशत।	लागू नहीं
(4) सब्जियों एवं राइजोमेटिक मसालों के लिए बीज उत्पादन				
(क)	मुक्त प्रागण फसलें	30,000 रुपये/ हैक्टे.	5 है. तक सीमित, लागत का सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए 75 प्रतिशत। प्रत्येक फसल के लिए बीज का उत्पाद लक्ष्य निधियां निर्मुक्त करने से पूर्व प्रत्येक लाभार्थी के लिए व्यक्तिगत राज्य द्वारा तय किया जाएगा।	लागू नहीं
(ख)	संकर बीज	1,33,000 रुपये/ हैक्टे.	2 है. तक सीमित, लागत का सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए 75 प्रतिशत। प्रत्येक फसल के लिए बीज का उत्पाद लक्ष्य निधियां निर्मुक्त करने से पूर्व प्रत्येक लाभार्थी के लिए व्यक्तिगत राज्य द्वारा तय किया जाएगा।	लागू नहीं
2.	**नए बगीचों की स्थापना (फसलें)**			
1.	**फल फसलें (प्रति लाभार्थी 4 है. के अधिकतम क्षेत्र हेतु)**			
(1) लागत गहन फसलें				
(क)	फल फसलें जैसे अंगूर स्टाबेरी, कीवी पैशन फल इत्यादि	100000 रुपये/है.	आईएनएम/आईपीएम हेतु रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत पर हुए व्यय समेकत 75,000 रुपये/है. अर्थात लागत का 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं	अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किये गये व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत

1	2	3	4	5
			तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में	तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में)
(ख)	फल फसलें जैसे टीसी केला और अन्नानास	100000 रुपये/है.	आईएनएम/आईपीएम हेतु रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत पर हुए व्यय समेत 75,000 रुपये/है. अर्थात लागत का 75 प्रतिशत, 75:25 की 2 किश्तों में	अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60: 20:20 की 2 किश्तों में)
(ग)	गैर-वार्षिक फल केला (सुकर) और अन्नानास (सुकर)	70000 रुपये/हैक्टे.	लागू नहीं	अधिकतम 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किये गये व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 2 किश्तों में)
(घ)	फल फसलें जैसे केला, अन्नानास (सुकर) और पपीता	70000 रु रुपये/हैक्टे.	आईएनएम/आईपीएम हेतु रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत पर हुए व्यय समेत 52,500 रुपये/है. अर्थात लागत का 75 प्रतिशत, 75:25 की 2 किश्तों में	लागू नहीं
(2)	उच्च सघनता रोपण (सेब, नाशपाती, आड़ू, आम, अमरूद, साइट्रस, लीची, बेर, काजू इत्यादि)	80000 रुपये/है.	आईएनएम/आईपीएम हेतु रोपण सामग्री एवं सामग्री की लागत पर हुए व्यय समेत 60,000 रुपये/है. अर्थात लागत का 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में	लागू नहीं
(3)	उच्च घनत्व में रोपण (आम, आमरूद, लिची, बेर आदि)	80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर	लागू नहीं	अधिकतम 40,000 रु. प्रति है. (आईएन एम/आईपीएम आदि के लिए सामग्री की लागत तथा रोपण सामग्री पर व्यय की पूर्ति के लिए लागत तथा रोपण सामग्री पर

1	2	3	4	5
				व्यय की पूर्ति के लिए लागत का 50 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित दर के अधीन 60:2:20 की तीन किस्तों में।
(4)	गहन लागत वाली फसलों को छोड़कर सामान्य अंतराल में फल-फसलें	40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	आईएनएस/आईपीएम के लिए सामग्री की लागत तथा रोपण सामग्री पर व्यय सहित 30,000 रु. प्रति हैक्टेयर अर्थात् लागत का 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीविता दर के अधीन 60:20:20 की तीन किस्तों में।	अधिकतम 30,000 रु. प्रति है. (आईएनएम/आईपीएम आदि के लिए सामग्री की लागत तथा रोपण सामग्री पर व्यय की पूर्ति के लिए लागत का 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में वार्षिक फसलों के लिए 90 प्रतिशत की जीविता दर के अधीन 60:20:20 की तीन किस्तों में तथा गैर वार्षिक फसलों के लिए दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीविता दर के अधीन 75:25 की दो किस्तों में।
(2)	**सब्जी (प्रति लाभानुभोगी 2 है. के अधिकतम क्षेत्र के लिए)**			
(1)	खुला परागण	30,000 रुपये प्रति हैक्टेयर	लागत का 75 प्रतिशत अर्थात् 22500 रु. प्रति हैक्टेयर	लागू नहीं
(2)	संकर	45,000 रुपए प्रति हैक्टेयर	लागत का 75 प्रतिशत अर्थात् 35750 रु. प्रति हैक्टेयर	लागू नहीं
3.	जीर्ण रोपणों का पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन	30,000 रुपये प्रति हैक्टेयर	प्रति लाभानुभोगी 2 हैक्टेयर की सीमा में 15,000 रु. प्रति हैक्टेयर के अधीन लागत का 50 प्रतिशत	प्रति लाभानुभोगी 2 हैक्टेयर की सीमा में 15,000 रु. प्रति हैक्टेयर के अधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत। पुनरुद्धार के जाने वाली फसल की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर वास्तविक लागत का दावा किया जाएगा।
5.	**संरक्षित खेती**			
1.	**ग्रीन हाउस संरचना (सामग्री, अधिष्ठापना, सिंचाई प्रणाली की लागत सहित)**			
(क)	फैन तथा पैड प्रणाली	1465 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	

1	2	3	4	5
(ख)	प्राकृतिक वातायन प्रणाली			
(1)	ट्यूबलर संरचना	935 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्गमीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	
(2)	काष्ठ संरचना	515 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	प्रति लाभानुभोगी 2 यूनिट की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 500 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा)।
(3)	बांस संरचना	375 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	प्रति लाभानुभोगी 5 यूनिट की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा)।
2.	प्लास्टिक मल्चिंग	20,000 रुपये प्रति हैक्टेयर	प्रति लाभानुभोगी 2 हैक्टेयर की सीमा में कुल लागत का 50 प्रतिशत।	
3.	शैड नेट हाउस			
(1)	ट्यूबलर संरचना	600 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	
(2)	काष्ठ संरचना	410 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	प्रति लाभानुभोगी 5 यूनिट की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा।)
(3)	बांस संरचना	300 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 1,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	प्रति लाभानुभोगी 5 यूनिट की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा।)
(4)	प्लास्टिक टनैल	30 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 5,000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	प्रति लाभानुभोगी 1.000 वर्ग मीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत
(5)	पक्षी/ओला रोधी जाल	20 रु. प्रति वर्गमीटर	प्रति लाभानुभोगी 5,000 वर्गमीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	
(6)	पोली हाउस/शेडनेट हाउस में उगाई जाने वाली उच्च मूल्य वाली सब्जियों की रोपण सामग्री की लागत	105 रु. प्रति वर्गमीटर	प्रति लाभानुभोगी 5,000 वर्गमीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	

1	2	3	4	5
(7)	पोली हाउस/शेडनेट हाउस के लिए उच्च मूल्य वाले फूलों की रोपण सामग्री की लागत	500 रु. प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभानुभोगी 5,00 वर्गमीटर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत	
6.	**आईएनएम/आईपीएम को प्रोत्साहन**			
(2)	आईएनएम/आईपीएम को प्रोत्साहन	2,000 रुपये प्रति हैक्टेयर	प्रति लाभानुभोगी 4 हैक्टेयर की सीमा में अधिकतम 1,000 रु. प्रति हैक्टेयर के अधीन लागत का 50 प्रतिशत	
7.	**जैविक खेती**			
(1)	जैविक खेती अपनाना	20,000 रुपये प्रति हैक्टेयर	कार्यक्रम के प्रमाणन के अधीन पहले वर्ष में 4,000 रु. तथा दूसरे और तीसरे वर्ष में 3,000 रु. की सहायता के साथ तीन वर्षों की अवधि में प्रति लाभानुभोगी 4 हैक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए 10,000 रु. प्रति हैक्टेयर की सीमा में लागत का 50 प्रतिशत।	
(2)	जैविक प्रमाणन	परियोजना आधारित	50 हैक्टेयर के समूह के लिए 5 लाख रु. जिसमें पहले वर्ष के लिए 1.50 लाख रु., दूसरे वर्ष के लिए 1.50 लाख रु. तथा तीसरे वर्ष में 2 लाख रु. शामिल हैं।	
(3)	वर्नी-कम्पोस्ट यूनिट	स्थाई संरचना के लिए 60,000 रु. प्रति यूनिट तथा एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 10,000 रु. प्रति यूनिट	आनुपातिक आधार पर संचालित स्थायी संरचना 30'8'2.5' की यूनिट के आकार के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत। एचडीपीई वर्मीबेड के लिए आनुपातिक आधार पर संचालित 96 घन फीट (12'-4'-2') के आकार के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत।	

[अनुवाद]

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

4315. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री संजय दिना पाटील:
श्री के.पी. धनपालन:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे और मझौले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) द्वारा छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के तहत

परियोजनाएं अनुमोदित कर शहरी विकास मंत्रालय को धनराशि जारी करने हेतु अनुशंसा की जाती है। शहरी क्षेत्र सुधारों के कार्यान्वयन हेतु करार ज्ञापन(एमओए) पर हस्ताक्षर करने के बाद, शहरी विकास मंत्रालय धनराशियों की उपलब्धता के अनुसार राज्य द्वारा मुहैया करायी गई प्राथमिकता और राज्य सरकार/राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत करता है। वर्तमान में, यह मिशन का अन्तिम वर्ष होने के कारण मिशन के वर्तमान चरण में परियोजनाओं हेतु कोई विशिष्ट आबंटन उपलब्ध नहीं है। परियोजनाएं तकनीकी मूल्यांकन और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन स्वीकृत की जाती हैं। राज्यों द्वारा भेजी गई स्कीमों और अनुमोदनार्थ लम्बित स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 15.12.2011 की स्थिति के अनुसार लम्बित परियोजनाओं की सूची

यूआईडीएसएसएमटी

(लाख रुपए में)

राज्य	कस्बा	परियोजनाएं	अनुमोदित लागत	केन्द्रीय शहर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	बापटला	WS	1466.00	1172.80
आंध्र प्रदेश	गडवाल	WS	3281.00	2624.80
आंध्र प्रदेश	कदम	WS	2923.00	2338.40
आंध्र प्रदेश	कामारेड्डी	D	1508.00	1206.40
आंध्र प्रदेश	खम्मम	WS	3220.00	2576.00
आंध्र प्रदेश	मचिलिपत्नम	D	5565.00	4452.00
आंध्र प्रदेश	मंदपेटा	D	2178.00	1742.40
आंध्र प्रदेश	नांदयाल	S	6683.00	5346.40
आंध्र प्रदेश	नर्सरॉपेत	WS	1164.00	931.20
आंध्र प्रदेश	निजामाबाद फेज-2	S	7520.00	6016.00
आंध्र प्रदेश	प्रोद्युतुर	S	2973.00	2378.40
आंध्र प्रदेश	सदसिव्पेत	WS	3203.00	2562.40
आंध्र प्रदेश	तदेपल्लीगुड़म	S	4960.00	3968.00
आंध्र प्रदेश	तंदुर	WS	4690.00	3752.00
आंध्र प्रदेश	विकरबाद	D	2000.00	1600.00
आंध्र प्रदेश	विजिअनगराम	WS	3234.00	2587.20

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश कुल	-	16	-	-
असम	दूमदूम	WS	853.97	768.57
असम	करीमगंज	WS	1869.71	1682.74
असम कुल		2		
बिहार	आरा	WS	11772.27	9417.82
बिहार	बेगूसराय	S	5487.54	4390.03
बिहार	भागलपुर	WS	17354.16	13883.33
बिहार	बिहार शरीफ	WS	8765.00	7012.00
बिहार	बक्सर	S	5194.22	4155.38
बिहार	छपरा	S	7686.23	6148.98
बिहार	दरभंगा	WS	12337.26	9869.81
बिहार	गोपालगंज	S	3417.01	2733.61
बिहार	हाजीपुर	S	8972.47	7177.98
बिहार	कटिहार	S	12884.64	10307.71
बिहार	किशनगंज	S	3789.03	3031.22
बिहार	पुर्नियां	S	22852.26	18281.81
बिहार	सिवान	S	6347.30	5077.84
बिहार कुल	-	13	-	-
दादरा एवं नगर हवेली	सिलवासा	S	1239.25	991.40
दादरा एवं नगर हवेली कुल	-	1	-	-
गुजरात	आमोद	WS	329.97	263.98
गुजरात	बरेजा	WS	1051.24	840.99
गुजरात	दाहोद	WS	2600.00	2080.00
गुजरात	देहगम	WS	539.23	431.38
गुजरात	नवसारी	WS	2600.00	2080.00

1	2	3	4	5
गुजरात	पारडी	WS	666.70	533.36
गुजरात	पाटन	WS	977.44	781.95
गुजरात	राजपीपला	WS	1166.58	933.26
गुजरात	संत्रमपुर	WS	903.86	723.09
गुजरात	तर्संदि	WS	748.55	598.84
गुजरात	वदोलि	WS	348.64	278.91
गुजरात कुल	-	11	-	-
हरियाणा	अम्बला सदर (फेज-2)	S	12190.00	9752.00
हरियाणा	पानीपत	R	4088.67	3270.94
हरियाणा कुल		2		
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	WS	217.00	173.60
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	S	432.19	345.75
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	WS	202.00	161.60
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	UR	686.55	549.24
हिमाचल प्रदेश	नाहन	S	1173.06	938.45
हिमाचल प्रदेश	पर्वनू	WS	647.08	517.66
हिमाचल प्रदेश	सोलन	S	1590.00	1272.00
हिमाचल प्रदेश	सुंदर नगर	S	720.41	576.33
हिमाचल प्रदेश कुल	-	8	-	-
जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	S&D	3618.00	3256.20
जम्मू और कश्मीर	अवंतिपोर	WS	663.53	597.18
जम्मू और कश्मीर	बहिहल	WS	1123.86	1011.47
जम्मू और कश्मीर	बारामुला	S&D	4311.88	3880.69
जम्मू और कश्मीर	बारामुला	WS	4207.00	3786.30
जम्मू और कश्मीर	बारी ब्रहमन	WS	856.00	770.40
जम्मू और कश्मीर	बीर्वह	WS	1024.00	921.60

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	बिज्बेहर	WS	1600.00	1440.00
जम्मू और कश्मीर	बील्लावर	WS	299.98	269.98
जम्मू और कश्मीर	बुद्रम	WS	1350.00	1215.00
जम्मू और कश्मीर	चरारे-शरीफ	WS	1412.00	1270.80
जम्मू और कश्मीर	दोरु-वेरिनग	WS	3275.00	2947.50
जम्मू और कश्मीर	गंदेर्बल	S&D	3711.00	3339.90
जम्मू और कश्मीर	हीरानगर	WS	570.00	513.00
जम्मू और कश्मीर	खम्सहब	WS	409ए00	368.10
जम्मू और कश्मीर	खोउर	WS	404.92	364.43
जम्मू और कश्मीर	खेव	WS	923.00	830.70
जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़	WS	2578.00	2320.20
जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	S&D	1459.00	1313.10
जम्मू और कश्मीर	पम्पोरे	WS	1711.00	1539.90
जम्मू और कश्मीर	पूंच	WS	1204.36	1083.92
जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	WS	2659.00	2393.10
जम्मू और कश्मीर	कुअजिंगुंद	WS	1200.00	1080.00
जम्मू और कश्मीर	राजौरी	WS	2545.25	2290.73
जम्मू और कश्मीर	रामबन	WS	987.28	888.55
श्रंतदउन 'दक ज्ञौउपत	रामनगर	WS	736.58	662.92
जम्मू और कश्मीर	रियासी	WS	980.00	882.00
जम्मू और कश्मीर	शोपिअन	WS	3606.00	3245.40
जम्मू और कश्मीर	सोपोरे	S&D	4315.22	3883.70
जम्मू और कश्मीर	त्रल	WS	1624.00	1461.60
जम्मू और कश्मीर	विजयपुर	WS	687.67	618.90
जम्मू और कश्मीर कुल	-	31	-	-
कर्नाटक	बेल्लारी	WS	6075.65	4860.52

1	2	3	4	5
कर्नाटक	बिदर	S	4671.00	3736.80
कर्नाटक	चमरजनगर	WS	3051.38	2441.10
कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	S&D	1890.00	1512.00
कर्नाटक	चिक्कमगलुर	WS	4525.50	3620.40
कर्नाटक	गुदिबंदे	R&D	1001.03	800.82
कर्नाटक	गुदिंबंदे	S	1215.00	972.00
कर्नाटक	गुलबर्ग	S	5784.80	4627.84
कर्नाटक	गुरुमित्कल	WS	1470.35	1176.28
कर्नाटक	हनुर	R	3740.00	2992.00
कर्नाटक	हरपनहल्ली	R&D	1817.04	1453.63
कर्नाटक	हिरियुर्चल्लकेरे	WS	8401.70	6721.36
कर्नाटक	होन्नली	S	1579.22	1263.38
कर्नाटक	कनक्पुर	R&D	3026.47	2421.18
कर्नाटक	कनक्पुर	WS	2857.22	2285.78
कर्नाटक	खानपुर	WS	904.34	723.47
कर्नाटक	कुदचि	R	1457.00	1165.60
कर्नाटक	मद्दुर	SWM&D	1340ए52	1072.42
कर्नाटक	मादिकेरी	WS	2364.00	1891.20
कर्नाटक	रायचूर	S	5179.44	4143.55
कर्नाटक	रमदुर्ग	R&D	2013.13	1610.50
कर्नाटक	रमदुर्ग	WS	170.00	136.00
कर्नाटक	तुमकुर	S	12303.35	9842.68
कर्नाटक	अडुपि	S	6100.00	4880.00
कर्नाटक कुल	-	24	-	-
केरल	गुरुवयूर	SWM	464.04	371.23
केरल	इरिजालक्कुद	SWM	362.09	289.67

1	2	3	4	5
केरल	कहंगगड	SWM	405.69	324.55
केरल	कन्नुर	WS	398.62	318.90
केरल	कयम्कुलम	SWM	354.38	283.50
केरल	कुनम्कुलम	SWM	410.28	328.22
केरल	मलप्पुराम	SWM	381.91	305.53
केरल	उत्तर परवुर	D	542.00	433.60
केरल	थ्रिसुर(निगम)	WS	11064.00	8851.20
केरल	तिरुर	SWM	377.66	302.13
केरल कुल	-	10	-	-
मध्य प्रदेश	बेगुम्गंज	WS	1392.00	1113.60
मध्य प्रदेश	बीना	WS	3875.50	3100.40
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	R	4647.55	3718.04
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	UR	1730.00	1384.00
मध्य प्रदेश	हिंदोरिय	WS	1138.34	910.67
मध्य प्रदेश	खिड़किया	WS	1225.70	980.56
मध्य प्रदेश	कोलर	WS	5210.42	4168.34
मध्य प्रदेश	महिंद्पुर	WS	1683.75	1347.00
मध्य प्रदेश	मंडसौर	WS	1482.30	1185.84
मध्य प्रदेश	रीवा	S	9548.71	7638.97
मध्य प्रदेश	सागर	WS	3606.75	2885.40
मध्य प्रदेश	सतना	WS	8017.63	6414.10
मध्य प्रदेश	शम्गढ़	WS	2374.00	1899.20
मध्य प्रदेश	सीधी	WS	2118.55	1694.84
मध्य प्रदेश कुल	-	14	-	-
महाराष्ट्र	अहमदनगर	S	6146ए00	4916.80
महाराष्ट्र	अमरावती	S	7391.72	5913.38

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	अमरावती	WS	9329.00	7463.20
महाराष्ट्र	बारामती	S	1119.00	895.20
महाराष्ट्र	बीड	S	1977ए00	1581.60
महाराष्ट्र	दपोली	D	909.00	727.20
महाराष्ट्र	इचलकरंजे	D	4595.91	3676.73
महाराष्ट्र	इचलकरंजे	S	2794.80	2235.84
महाराष्ट्र	जुन्नेर	S	1262.00	1009.60
महाराष्ट्र	कतोल	S	1592.00	1273.60
महाराष्ट्र	मालेगांव	S	12254.00	9803.20
महाराष्ट्र	मंमद	R	3993.00	3194.40
महाराष्ट्र	नंदुरबार	S	3798.98	3039.18
महाराष्ट्र	सांगानेर	S	4481.26	3585.01
महाराष्ट्र	सांगली, मिराज, कुपवाड (मिराज-एस)	S	3379.00	2703.20
महाराष्ट्र	सांगली, मिराज, कुपवाड (मिराज-एस)	WS	3562.00	2849.60
महाराष्ट्र	सांगली, मिराज, कुपवाड (मिराज-एस)	S	6191.00	4952.80
महाराष्ट्र	सतारा	S	3970.00	3176.00
महाराष्ट्र	सोलपुर	S	9844.80	7875.84
महाराष्ट्र	वाशिम	D	1432.00	1145.60
महाराष्ट्र कुल	-	20	-	-
मणिपुर	मयंग इम्फाल	WS	2115.33	1903.80
मणिपुर कुल	-	1	-	-
नागालैंड	चिएफोबोजोउ	R	444.00	399.60
नागालैंड	किफिरे	WS	700.67	630.60
नागालैंड	लोंग्लेंग	R	49.00	44.10

1	2	3	4	5
नागालैंड	लोंग्लेंग	WS	1016.22	914.60
नागालैंड	मोन	R	2983.89	2685.50
नागालैंड	पेरेन	WS	1264.10	1137.69
नागालैंड	वोखा	WS	3284.47	2956.02
नागालैंड कुल	-	7	-	-
ओडिशा	बलेसोरे	WS	1564.12	1251.30
ओडिशा	बारबिल	WS	1740.32	1392.26
ओडिशा	पारिपाड़ा	WS	3059.0	2447.20
ओडिशा	बेल्पहर	WS	3156.5	2525.22
ओडिशा	बहरामपुर(फेज-2)	WS	3200.00	2560.00
ओडिशा	ब्रजरजनगर	WS	3136.59	2509.27
ओडिशा	छत्तरपुर	WS	626.42	501.14
ओडिशा	थेंकनल	WS	2962.30	2369.84
ओडिशा	जत्नि	WS	3150.92	2520.74
ओडिशा	झारसूगुडा	WS	3196.1	2556.89
ओडिशा	केओझर	WS	3161.20	2528.96
ओडिशा	खुर्द	WS	2837.45	2269.96
ओडिशा कुल	-	12	-	-
पुडुचेरी	करइकाल	WS	3839.00	3071.20
पुडुचेरी कुल	-	1	-	-
पंजाब	आदमपुर	S	1543.00	1234.40
पंजाब	फतेह्गाई चुर्रिअन	S	685.00	548.00
पंजाब	फिरोजपुर	S	2271.00	1816.80
पंजाब	जालन्धर (फेज-2)	WS	4698.00	3758.40
पंजाब	कपूरथला	S	1552.00	1241.60
पंजाब	मजीठा	S	536.00	428.80

1	2	3	4	5
पंजाब	मलोउत	WS	566.00	452.80
पंजाब	सुनाम	S	1181.00	944.80
पंजाब कुल	-	8	-	-
राजस्थान	बलोत्र	S	3521.00	2816.80
राजस्थान	बांसवाड़ा	S	3976.00	3180.80
राजस्थान	डीडवाना	S	4592.00	3673.60
राजस्थान	पितापुर शेखवति	S	4048.00	3238.40
राजस्थान	मक्रन	S	4704.00	3763.20
राजस्थान	नाथद्वारा	S	3440.00	2752.00
राजस्थान	सांगोड़	WS	1903.00	1522.40
राजस्थान	श्रीगंगानगर	S	5444.00	4355.20
राजस्थान कुल	-	8	-	-
तमिलनाडु	अट्टूर	WS	458.97	367.18
तमिलनाडु	कुमबुम	WS	1852.65	1482.12
तमिलनाडु	धरपुराम	WS	918.29	734.63
तमिलनाडु	गुडियाथम	WS	702.47	561.98
तमिलनाडु	करइकुडी	WS	1391.83	1113.46
तमिलनाडु	कयल्पत्तिनम	WS	2976.00	2380.80
तमिलनाडु	केविलपट्टी	WS	7060.14	5648.11
तमिलनाडु	नगेचोंइल	S	6556.47	5245.18
तमिलनाडु	थिंरुचेंगोदु	WS	603.55	482.84
तमिलनाडु	वंदवसि	WS	930.62	744.50
तमिलनाडु कुल	-	10	-	-
त्रिपुरा	अमरपुर	R	2149.52	1934.57
त्रिपुरा	कुमर्घत	R	528.88	475.99

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	सब्रूम	R	2121.85	1909.67
त्रिपुरा	अदयपुर	R	4845.06	4360.55
त्रिपुरा कुल	-	4	-	-
उत्तर प्रदेश	अकबरनगर	WS	917.04	733.63
उत्तर प्रदेश	अकबरपुर	WS	579.54	463.63
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	D	6190.65	4952.52
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	WS	2978.26	2382.61
उत्तर प्रदेश	अमरोहा	WS	1789.03	1431.22
उत्तर प्रदेश	औरई	WS	1419.74	1135.79
उत्तर प्रदेश	अयोध्या	SWM	287.46	229.97
उत्तर प्रदेश	बहराइच	WS	1590.30	1272.24
उत्तर प्रदेश	बरौत	WS	1547.24	1237.79
उत्तर प्रदेश	बरेल्लि	S	39814.00	31851.20
उत्तर प्रदेश	बरेल्लि	WS	4309.00	3447.20
उत्तर प्रदेश	बेब्रु	WS	410.24	328.19
उत्तर प्रदेश	बेला प्रतापगढ़	SWM	437.00	349.60
उत्तर प्रदेश	बेला प्रतापगढ़	D	4017.82	3214.26
उत्तर प्रदेश	बीघा (श्रावस्ती)	WS	141.19	112.95
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	D	7089.00	5671.20
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	S	19344.00	15475.20
उत्तर प्रदेश	चंदौली	WS	446.54	357.23
उत्तर प्रदेश	दद्रि	WS	2805.70	2244.56
उत्तर प्रदेश	फैज़ाबाद	SWM	660.00	528.00
उत्तर प्रदेश	फरुक्कहबाद	WS	1510.50	1208.40
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर (जिला फतेहपुर)	S	16371.00	13096.80
उत्तर प्रदेश	गंगापुर	WS	207.20	165.76

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर (फेज 2 और 3)	WS	2828.06	2262.45
उत्तर प्रदेश	ग्यनपुर	S	1424.67	1139.74
उत्तर प्रदेश	ग्यनपुर	WS	101.29	81.03
उत्तर प्रदेश	हरदोई	WS	3729.49	2983.59
उत्तर प्रदेश	हाथरस	D	3903.15	3122.52
उत्तर प्रदेश	हाथरस	WS	2166.68	1733.34
उत्तर प्रदेश	कन्नौज	S	3866.00	3092.80
उत्तर प्रदेश	कार्वी (चित्रकूट धाम)	WS	1820.76	1456.61
उत्तर प्रदेश	कासगंज	WS	2382.80	1906.24
उत्तर प्रदेश	खिलबाद	WS	583.32	466.66
उत्तर प्रदेश	महराजगंज	WS	145.71	116.57
उत्तर प्रदेश	माहोबा	S	8397.84	6718.27
उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	WS	1279.31	1023.45
उत्तर प्रदेश	मंझनपुर	WS	432.63	346.10
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	D	23708.42	18966.74
उत्तर प्रदेश	नबबांज (बाराबंकी)	WS	219.45	175.56
उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	WS	1562.61	1250.09
उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	WS	859.00	687.20
उत्तर प्रदेश	रथ	WS	1669.69	1335.75
उत्तर प्रदेश	रॉबर्टगंज	WS	2739.48	2191.58
उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	WS	4882.16	3905.73
उत्तर प्रदेश	सिकंदरबाद	WS	933.34	746.67
उत्तर प्रदेश	सीतापुर	SWM	615.70	492.56
उत्तर प्रदेश	सीतापुर	WS	1738.54	1390.83

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	WS	2232.05	1785.64
उत्तर प्रदेश	अरिअ	WS	2906.31	2325.05
उत्तर प्रदेश कुल		49		
उत्तराखंड	चमोली-गोपेश्वर	200.42	160.34	
उत्तराखंड	मसूरी	WS	2249.00	1799.20
उत्तराखंड कुल		2		
पश्चिम बंगाल	रायगंज	*	4401.23	3520.98
पश्चिम बंगाल कुल	-	1	-	-
सकल कुल	-	255	837180.00	677771.92

[हिन्दी]

जैव ईंधन फसलें

4316. **श्रीमती ऊषा वर्मा:**
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि अब किसान खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जैव ईंधन फसलें उगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों का जैव-ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में 30 प्रतिशत कृषि भूमि जैव ईंधन फसलें उगाने के लिए प्रयोग की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं। जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के तहत खाद्यान्नों के अंतर्गत कृषि भूमि को जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाने का समर्थन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति में स्पष्टतया उल्लिखित है कि भारत में जैव-ईंधन के विकास के लिए केवल अपशिष्ट तथा निम्नीकृत वन तथा गैर-वन भूमि पर जैव-डीजल के उत्पादन के लिए गैर-खाद्य तिलहनों वाले वृक्षों तथा झाड़ी की खेती पर बल दिया गया है। इसके अलावा, भारत में बायो-इथनाल का उत्पादन प्रमुखत: मोलैस से होता है जो चीनी-उद्योग का एक उप उत्पाद है। साथ ही, भविष्य के लिए भी गैर खाद्य-फीडस्टॉक पर आधारित अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर बल दिया गया है।

[अनुवाद]

निजी एफ.एम. रेडियो चैनलों का कार्यकरण

4317. **श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री आधि शंकर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी कंपनियों के नामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनको देश में अभी तक एफ.एम. रेडियो चैनल स्थापित/प्रचालित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कंपनियों की प्रसारण सेवाओं के संबंध में इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एफ.एम. रेडियों चैनलों को कोई सामाजिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से एफ एम रेडियों प्रसारण का विस्तार करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के चरण-I व II के अंतर्गत देश भर में 266 प्राइवेट एफ एम रेडियों चैनल स्थापित/संचालित करने हेतु 41 कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। तथापि, कुल अनुमति धारक कंपनियों में से 4 कंपनियों को उनके 20 चैनलों के लिए दी गई अनुमतियों को अनुमति मंजूरी करार के निबंधन व शर्तों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया। इस समय, 37 कंपनियों द्वारा 245 चैनल संचालित किए जा रहे हैं। केवल आइजोल (मिजोरम) स्थित शेष रह गए चैनल को साझी ट्रांसमिशन अवसंरचना के अभाव के कारण अभी तक परिचालित नहीं किया जा सका। उन अनुमति धारकों, जिनके चैनल कार्यशील/गैर-कार्यशील हैं, का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उन केंद्रों, जिनकी अनुमति रद्द कर दी गई है, का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्राइवेट एफ एम रेडियों ऑपरेटरों की प्रसारण सेवाओं के सबंध में उनके विरुद्ध नौ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के ऐसे मामलों पर अनुमति मंजूरी करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(घ) और (ङ) चरण-II के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अनुमति धारक समय-समय पर यथा संशोधित आकाशवाणी कार्यक्रम व विज्ञापन संहिता का अनुसरण करेगा। इस संहिता में धर्म या समुदायों पर आक्रमण, किसी भी अश्लील विषय-वस्तु, हिंसा भड़काने वाली विषय-वस्तु अथवा कानून व व्यवस्था कायम रखने आदि के विरुद्ध किसी भी विषय-वस्तु की अनुमति नहीं है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	कंपनी का नाम	चैनलों की संख्या
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	3
		काल रेडियों लि.	5
		म्यूज़िक बॉडकास्ट प्रा. लि.	2
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	3
		उदय एफएम प्राइवेट लि.	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लि.	1
3.	असम	पॉजिटिव रेडियों प्राइवेट लि.	1
		पूर्वी बॉडकास्ट प्रा. लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
4.	बिहार	बीएजी इंफोटेंमंट प्रा. लि.	1
		एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	1

1	2	3	4
5.	चंडीगढ़	डीबी कॉरपोरेशन लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
6.	छत्तीसगढ़	डीबी कॉरपोरेशल लि.	2
		एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	1
		राजस्थान पत्रिका प्रा. लि.	1
		रानेका फिनकॉम प्रा. लि.	1
7.	दिल्ली	क्लीयर मीडिया इंडिया प्रा. लि.	1
		डिजिटल रेडियों बॉडकास्टिंग लि.	1
		एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	1
		एचटी मीडिया लि.	1
		म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
		टीवी टुडे नेटवर्क लि.	1
8.	गोवा	एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	1
		इंडिया रेडियों वेंचर्स प्रा. लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
9.	गुजरात	डीबी कॉरपोरेशल लि.	2
		एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	4
		म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	3
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	3
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	3
10.	हरियाणा	बीएजी इंफोटेंमट प्रा. लि.	2
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
		श्री पूरन मल्टीमीडिया लि.	2

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	बीएजी इंफोटेंमंट प्रा. लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
		टीवी टुडे नेटवर्क लि.	1
12.	जम्मू और कश्मीर	रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	2
13.	झारखण्ड	बीएजी इंफोटेंमंट प्रा. लि.	1
		न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि.	2
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	2
		श्री पूरन मल्टीमीडिया लि.	1
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
14.	कर्नाटक	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि.	2
		एचटी मीडिया लि.	1
		इंडिया रेडियो वेंचर्स प्रा. लि.	1
		काल रेडियों लि.	4
		म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	3
15.	केरल	एशियानेट रेडियो प्रा. लि.	2
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि.	1
		काल रेडियों लि.	5
		रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
		द मलयाला मनोरमा कंपनी लि.	4
		द मातृभूमि प्रिंटिंग ऐंड पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि.	4
16.	मध्य प्रदेश	बीएजी इंफोटेंमंट प्रा. लि.	1
		डीबी कॉरपोरेशन लि.	4
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि.	3
		ग्वालियर फार्म्स प्रा. लि.	1
		आई.टी.एम. साफ्टवेयर ऐंड अंटरटेंमंट प्रा. लि.	1

1	2	3	4
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	3
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	3
17.	महाराष्ट्र	बीएजी इंफोटेंमंट प्रा. लि.	3
		डीबी कॉरपोरेशन प्रा. लि.	1
		डिजिटल रेडियो बॉडकास्टिंग लि.	1
		एंटरटेंमंट नेटवक्र इंडिया लि.	6
		एचटी मीडिया लि.	1
		मयूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	9
		पुधारी पब्लिकेशंस प्रा. लि.	2
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लि.	2
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	2
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	4
		टीवी टुडे नेटवक्र लि.	1
18.	मेघालय	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लि.	1
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
19.	मिजोरम	साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
20.	उड़ीसा	ईस्टर्न मीडिया लि.	2
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	2
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
21.	पुडुचेरी(संघ राज्य क्षेत्र)	काल रेडियो लि.	1
		मलार पब्लिकेशन लि.	3
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
22.	पंजाब	बीएजी इंफोटेंमंट प्रा. लि.	1
		डीबी कॉरपोरेशन लि.	2
		एंटरटेंमंट नेटवक्र इंडिया लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	3
		श्री पूरन मल्टीमीडिया लि.	1
		टीवी टुडे नेटवर्क लि.	2

1	2	3	4
23.	राजस्थान	डीबी कॉरपोरेशन लि.	5
		एंटरटेंमंट नेटवक इंडिया लि.	1
		म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	1
		राजस्थान पत्रिका प्रा. लि.	3
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	5
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
		टीवी टुडे नेटवर्क लि.	1
24.	सिक्किम	चिनार सर्किट्स लि.	1
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	1
		पीसीएम सीमेंट कंक्रीट प्रा. लि.	1
25.	तमिलनाडु	एंटरटेंमंट नेटवक इंडिया लि.	3
		काल रेडियो लि.	3
		मलार पब्लिकेशल लि.	6
		म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	2
		मुथूट बॉडकास्टिंग प्रा. लि.	1
		नोबल बॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन प्रा. लि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	1
		सन टीवी लि.	3
26.	त्रिपुरा	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लि.	1
27.	उत्तर प्रदेश	एंटरटेंमंट नेटवक इंडिया लि.	3
		म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट प्रा.लि.	6
		श्री पूरन मल्टीमीडिया लि.	4
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	4

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	आनंद ऑफुसेट प्रा. लि.	1
		चिनार सर्किट्स लि.	1
		डिजिटल रेडियो बॉडकास्टिंग लि.	1
		एंटरटेंमंट नेटवर्क इंडिया लि.	1
		हिट्ज एफएम रेडियो प्रा. लि.	1
		एचआी मीडिया लि.	1
		इंडिया एफएम रेडियो प्रा. लि.	1
		पीसीएम सीमेंट कंक्रीट प्रा. लि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लि.	1
		रिलायंस बॉडकास्ट नेटवर्क लि.	2
		साउथ एशिया एफएम प्रा. लि.	2
		सिनेटेक इंफॉर्मेटिक्स प्रा. लि.	1
		टीवी टुडे नेटवर्क लि.	1
		योग	246

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	कंपनी का नाम	चैनलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सेंच्युरी कम्युनिकेशन लिमिटेड	2
2.	छत्तीसगढ़	सेंच्युरी कम्युनिकेशन लिमिटेड	1
3.	दमन एवं दीव	सेंच्युरी कम्युनिकेशन लिमिटेड	1
4.	हरियाणा	सिंगला प्रॉपर्टी डीलर प्रा. लि.	1
5.	कर्नाटक	सेंच्युरी कम्युनिकेशन लिमिटेड	2
6.	महाराष्ट्र	सेंच्युरी कम्युनिकेशन लिमिटेड	4
		पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट प्रा. लि.	
7.	पंजाब	पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट प्रा. लि.	2
8.	राजस्थान	कुसाल ग्लोबल लिमिटेड	2

1	2	3	4
9.	तमिलनाडु	सेंच्युरी कम्युनिकेशन लिमिटेड	2
10.	उत्तर प्रदेश	पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट प्रा. लि.	3
		योग	20

विवरण III

क्र.सं.	आवेदक का नाम	प्राप्ति की तारीख	निजी प्रसारक/ चैनल का नाम	विषय	स्थित
1	2	3	4	5	6
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय	25.09.2007	रेड एफएम मैसर्स डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लि.	रेड एफएम ने गोरखा समुदाय के बारे में कतिपय अपमानजनक टिप्पणियां की है।	डीडी सैट के दिनांक 07.01.2009 के आदेश के संबंध में 14.03. 2009 से 20.03.2009 की अवधि के लिए मैसर्स डिजिटलरेडियो द्वारा क्षमा याचना स्क्राल चलाई गई।
2.	श्री सुरेन्द्र एस. फड़के	24.09.2008	एफएम रेडियो सर्विस	एफएम रेडियो सेवाएं भारतीय श्रेण्य संगीत का प्रसारण, कम से कम अर्द्धरात्रि में (1.00 बजे से लेकर 5.00 के बीच) क्यों नहीं कर रहा है।	आवेदक को दिनांक 05.11.2008 को अंतिम उत्तर भेजा गया
3.	श्री पुष्प कुमार छोग्टू	27.5.2009	रेडियो एफएम 104 (मैसर्स एचटी म्यूजिक एंटरटेंमंट कंपनी लिमिटेड)	104 फीवर एफएम (मैसर्स एचटी म्यूजिक ऐंड एंटरटेंमंट कंपनी लिमिटेड) द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।	श्री पुष्प कुमार की शिकायत पर बहुत पहले दिनांक 14.09.2009 को कार्रवाई की गई थी और मैसर्स एचटी म्यूजिक ऐंड एंटरटेंमंट कंपनी लिमिटेड को इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी।
4.	श्री सी.पी. अशरफ थालास्सरी, कोच्ची (केरल)	25.02.2010	'रेडियो मेंगों' मैसर्स मलयाला मनोरमा	श्री अशफ थालास्सरी मुदुगोव नामक कार्यक्रम के बारे में निजी एफएम रेडियो स्टेशन के खिलाफ की गई शिकायत माननीय उच्च न्यायालय, केरल के माध्यम से प्राप्त हुई।	मंत्रालय ने दिनांक 22.2.2010, 22.03.2010 और 21.04.2010 को रात्रि 10 बजे से 01.00 बजे तक रेडियो मेंगों पर प्रसारण किए गए कार्यक्रम की जांच की थी, कोई आपत्तिजनक विषय-वस्तु जानकारी में नहीं आई। तदनुसार शिकायत समाप्त

1	2	3	4	5	6
					समझी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय केरल को दिनांक 11.02.2011 को अंतिम उत्तर भेज दिया गया था।
5.	श्री सेन माइकल से प्राप्त ई-मेल	17.8.2010	रेडियो सिटी 91.1 हट्र्ज बंगलौर मैसर्स म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	रेडियो सिटी 91.1 हट्र्ज बंगलौर पर श्री माइकल द्वारा प्रसारण किए गए अनधिकृत विषय-वस्तु के संबंध में प्राप्त ई-मेल	अनुमति करार की मंजूरी (जीओपीए) में निर्धारित अनुबंधों एवं शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए एफएम रेडियो चैनल को दिनांक 19.08.2011 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
6.	श्रीमती जी.के. करुणा, महासचिव, अखिल भारतीय नर्स संघ	21.2.2011	रेडियो सिटी 91.1 (दिल्ली) मैसर्स म्यूजिक बॉडकास्ट प्रा. लि.	नर्सों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां	मामला विचाराधीन है।
7.	सुश्री नेहा, रूप नगर, दिल्ली	7.7.2011	रेडियो वन 94.3 रेडियो मिड डे (वेस्ट)	रेडिये वन 94.3 के खिलाफ शिकायत	प्रसारक को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गय था।
8.	मैसर्स मेघना गर्ग, लखनऊ	12.10.2011	रेडियो सिटी 91.1 लखनऊ	10,000/-रु. की पुरस्कार राशि का भुगतान न करने के संबंध में रेडियो सिटी 91.1 के खिलाफ शिकायत	कंपनी ने दिनांक 13.12.2011 के अपने पत्र के तहत सूचित किया कि शिकायत निपटा ली गई है।
9.	अनिता के., कनकपुरा रोड, बंगलौर	13.7.2011	93.4 एफएम रेडियो चैनल बंगलौर	फास्ट ट्रेक वाचेक के सुझावात्मक और अभद्र विज्ञापन	मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पीडीएस में सुधार

4318. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:**
डॉ. किरोड़ी लाल मीना:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री महेश जोशी:
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों की क्षति और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और पीडीएस के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पीडीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई निर्देश भी दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्तावित खाद्यान्न कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के वितरण के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिये पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है कि वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें, विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग और सतर्कता बढ़ाएं तथा विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करें।

इसके अलावा यह विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल और प्रभावी सुधारों के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धतियां और सुधार पर जुलाई, 2010 में हुए राज्यों के खाद्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के सम्मेलन से शुरुआत करके फरवरी, 2011 में राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू और पारदर्शी कार्यकरण के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आधार पर पत्र भी भेजे जा रहे हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों के एक भाग के रूप में कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिंसों की सुपुर्दगी करने के लिए स्माट कार्ड, फूड कूपन, बारकोडेड राशन कार्ड आदि जारी कर रहे हैं।

शहरी नगरपालिकाओं में पेयजल सुविधाएं

4319. योगी आदित्यनाथ:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री गणेश सिंह:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेरहवें वित्त आयोग ने देश में शहरी नगरपालिकाओं हेतु पेयजल आपूर्ति, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और वर्षा जल की निकासी के लिए कोई बेंचमार्क प्रणाली की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सिफारिशों के आलोक में राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अभी तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां।

(ख) अब तक 14 राज्यों में 1532 शहरों/कस्बों ने सर्विस लेवल बैंच मार्क-अधिसूचित किए हैं।

पशुधन का विकास

4320. **श्रीमती सुशीला सरोज:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र का अंशदान क्या है और देश में इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन संसाधनों के विकास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महन्त): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए चालू मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र का योगदान 3.93 प्रतिशत है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार पशुपालन में कार्यरत कमियों की अनुमानित संख्या 14.9 मिलियन है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना' तथा 'पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण' के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक हुई उपलब्धियों के साथ-साथ निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

विवरण

तालिका 1: राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के संबंध में 11वीं योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि

	मात्रात्मक डिलवरेबल	11वीं पंचवर्षीय योजना	
		लक्ष्य (2007-08 से 2011-12)	उपलब्धि (2007-08 से 31.10.2011)
	1	2	3
(1)	मोबाईल कृत्रिम गर्भपात यूनिटों की स्थापना (संख्या में)	36900	36139
(2)	वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (संख्या में)	78	77
(3)	हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना (संख्या में)	270	268
(4)	प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण (संख्या में)	110	105
(5)	उत्पादित वीर्य खुराकों की संख्या (मिलियन में)	215.5	215.5
(6)	किए गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या (मिलियन में/वर्ष)	205.5	211.05
(7)	संरक्षण कार्यक्रम के तहत लाए गए पशुओं की संख्या	225000	225700

1		2	3
(8)	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जन्मे उन्नत बछड़ों की संख्या (मिलियन में)	63.5	59.5
(9)	उत्पादित संतति परीक्षित सांडों की संख्या	68	56
(10)	प्रजनन के लिए इस्तेमाल संतति परीक्षित सांडों की संख्या	900	900

तालिका 2: पशु रोग स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के संबंध में 11वीं योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि

	लक्ष्य (2007-98 से 2011-12)	उपलब्धि (2007-08 से 30.9.2011)
टीकाकरण मिलियन खुराक में	1183	1262.31
पशुचिकित्सकों का प्रशिक्षण (संख्या में)	12000	10180
अर्द्ध पशुचिकित्सकों का प्रशिक्षण (संख्या में)	12000	11020

राष्ट्रीय बीज भण्डार स्थापित करना

4321. श्री अर्जुन राय:
श्री चंद्रकांत खैरे:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अच्छी किस्म के बीजों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में बीजों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बीज भंडार/राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बीज भंडार को बनाए रखने और बाढ़ आदि से प्रभावित किसानों सहित सामान्य किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं। देश में गुणवत्ता बीजों की कोई कमी महसूस नहीं की गई है। देश में विगत तीन वर्षों के लिए आवश्यकता की तुलना में प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता का वितरण निम्नलिखित है:

(मात्रा लाख क्विंटल में)

2009-10		2010-11		2011-12	
आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
249.12	279.72	290.76	321.36	330.41	353.62

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार का राष्ट्रीय बीज स्टॉक अथवा राष्ट्रीय बीज आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार पहले से ही "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत देश में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि तथा अन्य अदृष्ट पूर्व परिस्थितियों के समय तथा बीजों की कमी, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए, बीज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "बीज बैंक की स्थापना तथा रख-रखाव" एक अलग घटक है। बीज बैंक लघु तथा मध्यम अवधि किस्मों के आधारी तथा प्रमाणित बीजों के बीज स्टाक का रख-रखाव करता है जो कि स्थानीय रूप में क्षेत्र के लिए उपयुक्त है तथा गर्मी और जल निमग्नता, आदि के दबाव को सहन कर सकता है। यह स्कीम, राज्य बीज निगमों, राज्य सरकारों तथा नेशनल सीड्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनएससी)तथा भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई) नामक दो बीज उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। सरकार परिवहन, ग्रेडिंग तथा पैंकिंग, बीमा तथा भण्डारण में बीज की क्षति सहित बीजों के रखरखाव पर, व्यय की प्रतिपूर्ति तथा कच्चे बीज की अधिप्राप्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को परिक्रामी निधि प्रदान करती है।

जैविक खादों की मांग

4322. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जैविक उर्वरकों और खादों की अनुपलब्धता और कालाबाजारी के कारण देश के विभिन्न भागों में रबी फसलों की बुआई में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों द्वारा मांग की गई खाद की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक इन राज्यों को उपलब्ध कराए गए खाद/जैविक उर्वरकों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों को देश में खाद/जैविक उर्वरकों की मांग और उत्पादन के अपर्याप्त अनुपात के कारण पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण देश का सकल कृषि उत्पाद प्रभावित हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में खाद/जैविक उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की मांग पर कार्यवाही करने तथा उनको जैविक खाद/जैविक उर्वरक प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ङ) और (च) अधिकांश जैविक खाद/जैविक उर्वरक फार्म वाले उत्पाद हैं तथा इनको स्वयं किसानों द्वारा तैयार किए जाने की आवश्यकता है। सिर्फ कुछ मामलों में, जैविक उर्वरक का उत्पादन संगठित क्षेत्रों में किया जा रहा है तथा इस प्रकार के मामलों में, प्रत्येक उत्पादक इसे किसानों को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार इन सब बातों के अतिरिक्त बायो उर्वरकों तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक खादों के प्रयोग को शामिल कर समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

बलात्कार संबंधी कानून

4323. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बलात्कारों की जांच करने संबंधी नियमों/कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन कानूनों में अभियुक्त व्यक्तियों के दोष सिद्ध और निर्दोष व्यक्तियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में बलात्कार के मामलों सहित आपराधिक मामलों की जांच एवं विचारण का प्रावधान है। विद्यमान कानूनी प्रावधान पूर्णरूपेण प्रभावी प्रतीत होते हैं। तथापि, बलात्कार संबंधी कानूनों की समीक्षा करने से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) ने दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के प्रारूप सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार से इसके अधिनियमन की सिफारिश की है। एचपीसी द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन शामिल है। तथापि, इस संबंध में कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

एफ.सी.आई. में ठेका श्रमिक

4324. श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के डिपों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन डिपों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन श्रमिकों को नियमित करने के लिए कोई नीति मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नियमित किए गए ऐसे श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारतीय खाद्य और केंद्रीय भंडारण निगम के डिपुओं की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण संग्लन है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के उक्त डिपुओं में कार्यरत ठेका कार्मिकों की संख्य 72702 है जबकि केंद्रीय भंडारण निगम में कार्यरत ठेका कार्मिकों की संख्या 2913 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे किसी श्रमिक को नियमित नहीं किया गया है। तथापि, काम की जरुरत के आधार पर वर्ष 2011 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में पूर्व ठेका कार्मिकों को 'काम नहीं- वेतन नहीं' के अधीन लगाया गया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	काम पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	317
हिमाचल प्रदेश	57
पुदुचेरी	39
पंजाब	1501
तमिलनाडु	522
उत्तर प्रदेश	444
पश्चिम बंगाल	221
कुल	3101

विवरण

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के डिपो की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय भण्डारण निगम
1	2	3
बिहार	59	17
झारखंड	24	3
ओडिशा	60	13
पश्चिम बंगाल	51	37
सिक्किम	2	0
असम	33	6
अरूणाचल प्रदेश	12	0
मेघालय	6	0
मिजोरम	7	0

1	2	3
त्रिपुरा	7	2
मणिपुर	4	0
नागालैंड	5	1
दिल्ली	10	10
हरियाणा	199	28
हिमाचल प्रदेश	17	3
जम्मू और कश्मीर	19	0
पंजाब	347	25
चंडीगढ़	35	1
राजस्थान	189	32
उत्तर प्रदेश	258	52
उत्तराखंड	24	6
आंध्र प्रदेश	239	48
अंडमान और निकोबार द्वीपसूमह	1	1
केरल	28	12
कर्नाटक	82	36
तमिलनाडु	36	26
पुदुचेरी	10	1
गुजरात	38	27
महाराष्ट्र	82	50
गोवा	1	2
मध्य प्रदेश	104	27
छत्तीसगढ़	53	12
सकल जोड़	2042	478

अमोनियम नाइट्रेट की जब्ती

4325. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जोस के. मणि:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों से अमोनियम नाइट्रेट/विस्फोटक पदर्थों की अनेक खेप जब्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही देश के विभिन्न भागों से इसके आंतकवादी और नक्सली गतिविधियों में उपयोग हेतु खुले में दिए जाने की क्या सूचनाएं प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान, देश के विभिन्न भागों से 13331.13 कि.ग्रा. अमोनियम नाइट्रेट जब्त की गयी है और 2.5 कि. ग्रा. बारुद, 563.75 कि.ग्रा. नाइट्रेट मिक्चर, 6250 मीटर डेटोनेटिंग फ्यूज, 20,250 मीटर सेफ्टी फ्यूज, 23,540 डेटोनेटर, 7533 जिलेटिन की छड़ें, 10,5000 कि.ग्रा. अमोनियम नाइट्रेट और 15 कि.ग्रा. आर डी एक्स बरामद किया गया है। तथापि, आतंकवादी/नक्सली गतिविधियों में प्रयोग करने के लिए इन विस्फोटकों को खुले तौर पर उपलब्ध कराने के संबंध में कोई श्रृंखलाबद्ध निर्णायक साक्ष्य नहीं मिला है।

(ग) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक अधिनियम 1884 के दायरे में शामिल किया है और मसौदा अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2011 भी अधिसूचित किया है।

म्यांमार से शरणार्थी

4326. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2270 म्यामार शरणार्थी रह रहे हैं।

(ग) म्यामांर के शरणार्थियों सहित समस्त विदेशी राष्ट्रिकों को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 तथा विदेशियों का पंजीकरण नियमावली, 1992 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। उनकी तरफ से लागू नियमों का अनुपालन न किए जाने अथवा किसी अनावश्यक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर वे संगत नियमों के तहत उपयुक्त कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होंगे।

वन स्वीकृति

4327. श्री विष्णु पद राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसूमह के संसद सदस्य और माननीय उपराज्यपाल के साथ वन स्वीकृति प्राप्त करने और सभी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या एपीडब्ल्यूडी द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही में विलम्ब हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो लंबित कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) वन स्वीकृति प्राप्त करने और सभी ग्रामीण सड़को के निर्माण के संबंध में कोई विशिष्ट बैठक नहीं हुई थी। तथापि, माननीय उप राज्यपाल द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी।

(ख) उपर्युक्त बैठक के दौरान, माननीय राज्यपाल ने माननीय संसद सदस्य के अनुरोध पर विचार करने और समुचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए अण्डमान लोक निर्माण विभाग (ए पी डब्ल्यू डी) को निदेश दिया था।

(ग) "ग्रामीण सड़क" का विषय पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) को सुपुर्द कर दिया गया है। उन सड़को को छोड़कर, जहां पंचायती राज संस्थाओं ने निर्माण पूर्व क्रियाकलाप शुरु कर दिया है, अण्डमान लोक निर्माण विभाग (ए पी डब्ल्यू डी) ने इन कार्यों के लिए वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वन विभाग के परामर्श से पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ईआईए) कार्यों करने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी है।

(घ) कार्यों के लिए पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ईआईए) एवं वन स्वीकृति छह माह के अन्दर प्राप्त होने की आशा है और ये कार्य अक्तूबर/नवम्बर, 2012 तक शुरु किया जा सकते हैं। शेष 4 कार्यों के संबंध में ईआईए और वन स्वीकृति 8 माह के अन्दर पूरी कर लिए जाने की सम्भावना है और यह कार्य अप्रैल, 2013 तक शुरु हो सकता है।

शेष कार्यों के संबंध में, पी आर आई से अगले वित्तीय वर्ष तक इन्हें आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है।

पंजाब में स्मारकों का रखरखाव

4328. श्री रवनीत सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किन स्थलों/स्मारकों का रखरखाव किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्मारकों/स्थलों के रखरखाव और विकास के लिए उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) पंजाब राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वार संरक्षित स्मारकों का ब्यौर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए व्यय और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	किया गया/आबंटित व्यय (करोड़ रु. में)
1.	2008-09	5.12
2.	2009-10	6.94
3.	2010-11	7.53
4.	2011-12	5.25 (Allocation)

(ग) पंजाब में संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य किया जा रहा है।

विवरण

पंजाब में चड़ीगढ़ मंडल, के क्षेत्राधिका के अधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	राम बाग गेट (देवड़ी)	अमृतसर	अमृतसर
2.	समर पैलेस महाराज रणजीत सिंह, कम्पनी बाग परिसर	अमृतसर	अमृतसर
3.	गेटवे ऑफ ओल्ड सराय	अमानत खान	तरन तारन
4.	गेटवे ऑफ ओल्ड सराय	फतेहबाद	तरन तारन
5.	किला	भटिंडा	भटिंडा
6.	प्राचीन स्थल और बुद्ध स्तूप	संघोल	फतेहगढ़ साहिब
7.	प्राचीन स्थल, बुद्ध स्तूप, एस जी एल 11	संघोल (ऊचा पिंड)	फतेहगढ़ साहिब
8.	मड फोर्ट जैसा टीला	अबोहर	फिरोजपुर
9.	बारादरी अनारकली	बटाला	गुरदासपुर
10.	शमशेर खान मकबरा	बटाला	गुरदासपुर
11.	तख्त-ए-अकबरी	कलानौर	गुरदासपुर
12.	कोस मीनार	चीमा कलॉ	जालन्धर
13.	कोस मीनार	बीर पिंड	जालन्धर
14.	कोस मीनार	दक्खनी (जहांगीर)	जालन्धर
15.	कोस मीनार	दक्खनी	जालन्धर
16.	मुगल ब्रिज	दक्खनी	जालन्धर
17.	गेटवे सहित सराय	दक्खनी	जालन्धर
18.	कोस मीनार	नकोदर	जालन्धर
19.	कोस मीनार	तूत कलॉ	जालन्धर
20.	कोस मीनार	शामपुर	जालन्धर
21.	कोस मीनार	उप्पल	जालन्धर
22.	सराय एवं गेटवे	नूरमहल	जालन्धर

1	2	3	4
23.	तेह घटटी टीला	नगर	जालन्धर
24.	मुहम्मद मोमिन एवं हाजी जमाल का मकबरा	नकोदर	जालन्धर
25.	प्राचीन टीला	कतप्लों	जालन्धर
26.	कोस मीनार	घुघंराली राजपुतां	लुधियाना
27.	कोस मीनार	लश्करी खान	लुधियाना
28.	कोस मीनार	लुधियाना	लुधियाना
29.	कोस मीनार	शेरपुर कलॉ	लुधियाना
30.	प्राचीन स्थल	सुनेत	लुधियाना
31.	कोस मीनार	सनेवाल	लुधियाना
32.	प्राचीन स्थल	रोपड़	लुधियाना
33.	महाराजा रण्जीत सिंह किला	रोपड़	रूपनगर

घटिया खिलौनों की बिक्री

4329. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में हानिकारक और जहरीली सामग्री युक्त खिलौनों की बाजार में बिक्री की जा रही है;

(ख) खिलौनों के विनिर्माण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्या मानक निर्धारित किए गए है; और

(ग) विनिर्माताओं द्वारा इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चार मानक प्रकाशित किए हैं जो कि निम्नानुसार हैं;

(i) आईएस:9873 (पार्ट 1):2001/आई.एस.ओ. 8124-1:2000 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं: पार्ट-1 मशीनी और भौतिक गुणों से सम्बन्धित सुरक्षा पहलू।

(ii) आईएस:9873 (पार्ट 2): 1999/आई.एस.ओ. 8124-2:1994 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं: पार्ट-2 ज्वलनशीलता की अपेक्षाएं (प्रथम संशोधन)।

(iii) आईएस:9873 (पार्ट 3):1999 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं: पार्ट-3-कतिपय घटकों और पैथेलेट्स को हटाना (प्रथम संशोधन)

(iv) आईएस:15644:2006:आई.ई.सी. 62155: 2003 इलैक्ट्रिक खिलौनों की सुरक्षा।

तथापि, ये मानक ऐच्छिक हैं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किसी निर्माता को कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

सीएसीपी का कार्यकरण

4330. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) का फसलों के मूल्य का निर्धारण करने हेतु आंकड़े संग्रहित करने के लिए अपना स्वतंत्र अभिकरण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यकरण हेतु अंगीकार की गई पद्धति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के पास न्यूनतम समर्थन मूल्यों की परिसीमा के भीतर आने वाली फसलों के लिए मूल्य नीति को तैयार करने से संबंधित खेती की आंकड़े लागत को एकत्र करने हेतु कोई अपना स्वतंत्र अभिकरण नहीं है। तथापि, कृषि लागत और मूल्य आयोग सरकार द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भारत में मुख्य फसलों की खेती लागत का अध्ययन करने के लिए सघन योजना के तहत लागत लेखा-जोखा पद्धति का उपयोग करके चुनिंदा किसानों से एकत्रित उत्पादन/खेती लागत के आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये अनुमानों के आधार पर चुनिंदा जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन लागत, आदानों मूल्यों में परिवर्तन आदि पर विचार करता है।

प्राकृतिक आपदाओं हेतु निधियां

4331. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में किसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत और बचाव कार्य करने के लिए सरकार द्वारा निधियां जारी की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सहायता का सभी राज्य सरकारों द्वारा उचित रूप से उपयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान सहित राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से किए गए राज्यवार आवंटन एवं निर्गमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) के दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि एसडीआरएफ के खाते से निकाली गई धनराशि का वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए एसडीआरएफ का गठन किया गया है और केवल व्यय की मदों पर तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार ही उपयोग किया गया है। सामान्य स्थिति में एसडीआरएफ के खाते का रखरखाव राज्य महालेखाकार करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा अनुमोदित मदों एवं मानदण्डों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष एसडीआरएफ की लेखा-परीक्षण कराई जाएगी।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान एसडीआरएफ / एनडीआरएफ से निधियों का आवंटन एवं निर्गम

दिनांक 15.12.2011 की स्थिति के अनुसार
(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ से आवंटन			एसडीआरएफ से निर्गम		एनडीआरएफ से निर्गम
		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	प्रथम किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	400.71	133.57	534.28	100.35#	—	257.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.72	3.86	38.58	17.36	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	249.26	27.70	276.96	124.63	—	—
4.	बिहार	263.41	87.80	351.21	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	119.17	39.72	158.89	116.330 (56.745@+ 59.585)	—	—
6.	गोवा	2.33	0.78	3.11	2.275 (1.11+@ 1.165)	—	—
7.	गुजरात	395.42	131.81	527.23	—	—	—
8.	हरियाणा	151.91	50.64	202.55	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	123.57	13.73	137.30	61.785	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	162.97	18.11	181.08	—	—	—
11.	झारखंड	204.32	68.10	272.42	102.16	—	—
12.	कर्नाटक	126.76	42.25	169.01	63.38	—	—
13.	केरल	103.22	34.41	137.63	51.51	—	—
14.	मध्य प्रदेश	309.29	103.10	412.39	77.3225#	—	—
15.	महाराष्ट्र	348.62	116.20	464.82	—	—	—
16.	मणिपुर	6.82	0.76	7.58	3.25@	—	—
17.	मेघालय	13.84	1.54	15.38	6.60@	—	—
18.	मिजोरम	8.08	0.90	8.98	3.85@	—	—
19.	नागालैंड	4.70	0.52	5.22	—	—	—
20.	ओडिशा	308.37	102.79	411.16	154.19	154.185	—
21.	पंजाब	175.55	58.52	234.07	171.37 (83.595 @+87.775)	—	—
22.	राजस्थान	473.02	157.67	630.69	461.76 (225.25 +236.51)	—	—
23.	सिक्किम	21.50	2.39	23.89	20.99 (10.24 @+10.75)	10.75	50.00$
24.	तमिलनाडु	231.15	77.05	308.20	115.757	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	18.25	2.03	20.28	17.815 (8.69 @+9.125)	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	303.50	101.16	404.66	151.75	—	—
27.	उत्तराखंड	111.19	12.35	123.54	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	240.05	80.02	320.07	120.025	120.025	—
	कुल	4911.70	1469.48	6381.18	1944.38	284.96	307.61

#वर्ष 2011-12 हेतु वर्ष 2010-11 के दौरान अग्रिम रूप से एसडीआरएफ के अंशदान को पहले ही निर्गत कर दिया गया है।

@वर्ष 2010-11 हेतु केन्द्रीय अंशदान के बकाये को निर्गत किया गया।

$भूकम्प-2 हेतु.ऑन अकाउण्ट आधार पर निर्गत किया गया।

टिप्पणी: दिशानिर्देशों के पैरा 11 में किये गये उल्लेख के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित संपुष्टियां एवं सहायक दस्तावेजों (अर्थात; उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रस्तुति, राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) का गठन, वार्षिक रिपोर्ट तथा एसडीआरएफ का सृजन जिसे राज्य के एजी (ए एण्ड ई) द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो इत्यादि) को प्रस्तुत न किये जाने के कारण शेष राशि तथा वर्ष 2011-12 हेतु एसडीआरएफ के केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त को निर्गत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

दुकानों का आबंटन

4332. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपदा निदेशालय (डीओई) ने केन्द्रीय भण्डार को अपनी दुकानें चलाने के लिए कार्यालय स्थल/रिहायशी इकाइयों का आबंटन किया है;

(ख) क्या आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए) ने नवम्बर, 2005 में तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् आवास खाली कराये जाने और कार्यालय/रिहायशी आवास के खाली किए जाने तक लाइसेंस शुल्क बाजार दरों पर वसूल करने का निर्णय लिया था;

(ग) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में डीओई द्वारा सीसीए के निर्णय के अनुपालन और किराये की वसूली में गंभीर कुप्रबंधन की जानकारी दी है;

(घ) वर्तमान में केन्द्रीय भण्डार के विरुद्ध कितना बाजार किराया बकाया है और डीओई द्वारा अविलंब इसकी वसूली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। शहरी विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय भंडार को आबंटित इकाइयों का आबंटन रद्द कर दिया है और आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए) के निर्णय का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर केन्द्रीय भंडार से बाजार दर की मॉग की है।

(घ) केन्द्रीय भंडार की ओर से 5,34,72,978 की राशि बकाया है एवं 2,24,26,120 रु. की राशि वूसली जा चुकी है। शहरी विकास मंत्रालय केन्द्रीय भंडार से बाजार दर पर वसूली के लिए समय-समय पर मॉग पत्र जारी करके कार्रवाई कर रहा है।

(ङ) उपरोक्त पैरा (ग) में उल्लिखित अनुसार शहरी विकास मंत्रालय ने कार्रवाई की है।

पशुपालन संबंधी उत्पाद

4333. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुपालन संबंधी उत्पादों विशेषकर मांस, अंडे और ऊन की श्रेणी में कितना उत्पादन दर्ज किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में कितनी विकास दर दर्ज की गई;

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर में उक्त उत्पादों का प्रतिशत क्या रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के दौरान देश में मीट, अंडा और ऊन के उत्पादन की कुल मात्रा तथा उनके उत्पदन में दर्ज की गई वृद्धि दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मीट, अंडा और ऊन से सकल घरेलू उत्पाद अलग से संकलित नहीं किया जाता है। तथापि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी(एन ए एस) 2011, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 2009-10 में चालू मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र से सकल उत्पादन मूल्य में मीट, अंडा और ऊन का योगदान क्रमशः 16.5 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत है।

(घ) मीट पशुओं के पालन को संवर्धित करने के लिए जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का समेकित विकास तथा राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के अलावा सरकार ने बूचड़खानों के आधुनिकीकरण की योजनाएं शुरु की, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 बनाया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक नियम, 2011 खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन, 2011 बनाए जो मीट के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी इस प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है। वस्त्र मंत्रालय के तहत ऊन विकास बोर्ड ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने की योजनाएं क्रियान्वित करता है।

विवरण

तालिका: 2007-08 से 2009-10 तक मीट, अंडा और ऊन का अनुमानित उत्पादन तथा उनकी वृद्धि दर।

वर्ष	मीट उत्पादन (मिलियन टन)	वृद्धि दर (प्रतिशत)	अंडा उत्पादन (मिलियन संख्या)	वृद्धि दर (प्रतिशत)	ऊन उत्पादन (मिलियन किलोग्राम)	वृद्धि दर (प्रतिशत)
2007-08	3.7	*	53581	5.8	44.0	-2.4
2008-09	3.8	2.7	55395	3.4	42.9	-2.5
2009-10	4.0	5.3	59844	8.0	43.2	0.7

*वर्ष 2007-08 के बाद से मीट उत्पादन 2007-08 से पहले के वर्षों के मीट उत्पादन से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि वाणिज्यिक कुक्कुट फार्म से कुक्कुट मीट उत्पादन 2007-08 के बाद से शामिल किया गया है।

स्त्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी 2010, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार।

प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन

4334. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में अत्याधिक गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों के सहयोग से भविष्य में ऐसी गिरावट से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन 2008-09 में 203.39 किलोग्राम से मामूली रूप से बढ़कर 2010-11 में 203.92 किलोग्राम हो गया। तथापि, 2009-10 के दौरान देश के बहुत से भागों में अत्यंत सूखे के कारण

खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट होने से, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में 186.61 किलोग्राम तक गिरावट हुई।

(ग) देश में कुल तथा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है, नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूँ/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी थी। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम तथा झारखंड को शामिल करने के साथ 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों में से प्रत्येक फसल के लिए 1000 हैक्टेयर के 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" नाम एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

उच्चतर कृषि उत्पादकता तथा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), फसल सुधार के लिए गेहूं, चावल, मक्का, सरगम, छोटा बाजरा, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना एवं पटसन जैसी फसलों, कृषि-जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास सहित विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल लाभप्रद फसल पद्धतियों की दिशा में इन फसलों में उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों, किस्मों/हाइब्रीडों के विकास आदि पर अनुसंधान भी कर रहा है। फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफएलडी) के माध्यम से प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा उसे अपनाना सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधाान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों तथा नकद फसलों के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआइसीआरपी) को भी विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान

4335. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रौद्योगिकी में अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराने वाले संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश में खाद्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थानों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) मंत्रालय देश में खाद्य प्रौद्योगिकी में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थानों की संख्या के आंकड़े नहीं रखता है। फिर भी, इस क्षेत्र में अनुसंधान कराने के लिए मंत्रालय ने तंजावुर तमिलनाडु में भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) और कुण्डली, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना की है।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तु के रूप में बिनौला

4336. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बिनौले को आवश्यक वस्तुओं की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) बिनौले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में दिनांक 22.12.2009 से ही आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया गया है।

मेट्रो रेल में सवारी डिब्बे का आरक्षण

4337. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो में प्रत्येक रेलगाड़ी में पहले डिब्बे को महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने का क्या तर्क है;

(ख) क्या उस समय से मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों में से पुरुष और महिला यात्रियों के आंकड़ों में कोई परिवर्तन हुआ है और तदनुसार आरक्षण मानदण्ड में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या डीएमआरसी का महिलाओं के लिए प्रथम डिब्बे के अलावा अन्य डिब्बों में प्रति डिब्बा 4 सीटों का आरक्षण वापस लेने का इरादा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि दिल्ली मेट्रो में प्रत्येक ट्रेन में पहले डिब्बे को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के पीछे यह औचित्य है कि मेट्रो यात्रियों में से लगभग एक चौथाई यात्री महिला यात्री होती है।

(ख) और (ग) दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों में से महिलाओं के आंकड़ों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। महिला यात्रियों के लिए एक डिब्बा आरक्षित करने संबंधी निर्णय में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे के अलावा अन्य कोचों में महिलाओं के लिए प्रत्येक कोच में 'चार सीट' आरक्षण वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं है क्योंकि महिला यात्री आरक्षित डिब्बे के अतिरिक्त अन्य डिब्बे में अनेक वजहों से जैसे पति, बुजुर्ग, बच्चों आदि के साथ यात्रा करती है।

रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा

4338. श्री नवीन जिन्दल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टेशनों पर लगाये गये एक्सरे स्कैनर लेखापरीक्षा दल द्वारा थेले में रखे गये विस्फोटक का पता लगाने में असफल रहे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लेखापरीक्षा दल की अन्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या लेखापरीक्षा दल की इन टिप्पणियों और सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस, रेलवे और आर पी एफ ने दिनांक 10-11/09/2011 को दिल्ली के पांच रेलवे स्टेशनों का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया था।

(ग) और (घ) संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया गया था। फिर भी, संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान, इन रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बिन्दुओं की सिफारिश की गई थी जैसे कि एक्स-रे बैगेज मशीनों की तत्काल स्थापना/वृद्धि करने की आवश्यकता, सी सी टी वी प्रणाली का उन्नयन, चारदिवारी की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था में सुधार इत्यादि। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान, प्लेटफॉर्मों पर पहुंचने के रास्तों की संख्या को कम करने, कर्मचारियों को सुग्राही बनाने, सुरक्षा उपकरण के प्रयोग के लिए आर पी एफ को और प्रशिक्षण देने, जी आर पी/आर पी एफ द्वारा परिचालन/पार्किंग क्षेत्र के बेहतर कवरेज, पार्किंग परिचारकों के सुग्राहीकरण इत्यादि जैसे कुछ अन्य उपायों पर सहमति व्यक्त की गई थी।

(ङ) और (च) रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने पर विशेष बल दिया है। प्रवेश एवं निकास मार्गों की संख्या को तर्कसंगत बनाया गया है तथा उपयुक्त पहुंच नियंत्रण के लिए उनके प्रवेश मार्गों को नियमित किया गया है। स्टेशन क्षेत्र में आसपास की चारदिवारी को अनधिकृत प्रवेश को रोकने हेतु कंर्स्टटिना वाले कंटीले तार लगा कर सुदृढ़ बनाया गया है। उपलब्ध उपकरण और अतिरिक्त आर पी एफ/आर पी एस एफ स्टाफ की तैनाती के साथ उपयुक्त पहुंच नियंत्रण को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा पीडीएस का कार्यान्वयन

4339. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों को पुरस्कार प्रदान किये हैं/प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (छ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्डजारी करने और उचित दर दुकानों के जरिये पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कई पहल की गई हैं। जुलाई, 2010 में हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धतियों और सुधारों पर राज्य खाद्य सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किये जा रहे उपायों के बारे में बताया गया था। ये उपाय अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों की सही पहचान करने, खाद्यान्नों का समय से वितरण करने, उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता बढ़ाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी आधारित पहलों का उपयोग करने, जन जागरूकता बढ़ाने आदि से संबंधित हैं। तथापि, ऐसी पहलों के लिए पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राइस डिप्लोमेसी

4340. श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री पोन्नम प्रभाकरः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चावल हाल ही में भारत के लिए अपने पूर्व और दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए एक लोकप्रिय कूटनीतिक उपाय के रूप में सामने आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा और आकस्मिकता की स्थिति होने पर समय-समय पर मानवीय आधार पर पड़ोसी देशों को चावल सहित खाद्यान्नों के रूप में जिंस में सहायता दी हैं। चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध में विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के अनुमोदन पर या तो केन्द्रीय पूल में से अथवा निजी स्टाक में से मामला दर मामला आधार पर ही राजनयिक आधार पर ढील दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे पड़ोसी देशों को किए गए चावल के ऐसे निर्यात की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राजनयिक/मानवीय सहयोग के आधार पर विभिन्न पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों को निर्यात के लिए अनुमत गैर-बासमती चावल का ब्यौरा 15.12.2011 की स्थिति के अनुसार सूचना

(मात्रा टन में)

क्र.सं.	देश/ गंतव्य	अनुमत मात्रा
1.	श्रीलंका	20,000
2..	नेपाल	25,000
3.	मालदीव	33,201
	(2011.12 के लिए) (2012.13 के लिए)	36,521
4.	बांग्लादेश	3,00,000
	जोड़	4,14,722

[हिन्दी]

विश्व के प्राकृतिक अजूबे

4341. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत स्विस फाउंडेशन द्वारा तैयार किये गये विश्व के सात प्राकृतिक अजूबों की अंतिम सूची में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। भारत ने संसार के सात प्राकृतिक अजूबों की सूची बनाने की इस पहल में भाग नहीं लिया क्योंकि इसे एक निजी संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था न कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा जो कि विश्व विरासत और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित सभी मामलों के लिए सरकारी संगठन है।

[अनुवाद]

रिक्त पद

4342. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस बात का प्रावधान है कि यदि राज्य सरकारें रिक्त पदों को भरने में विफल रहती हैं तो केंद्र सरकार कार्रवाई करे;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने उन राज्यों के लिए कोई नए निर्देश जारी किए है जहां रिक्त पद भरे नहीं गए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण शीघ्रातिशीघ्र संभव हो सके?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14.12.2011 तक राज्य आयोगों और जिला मंचों में रिक्तियों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत राज्य आयोगों और जिला मंचों में रिक्त पदों की पूर्ति करने का दायित्व राज्य सरकारों का है, फिर भी संघ सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी करती है। हाल ही में सचिव(उ.मा.) द्वारा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए, पत्र लिखे गए हैं।

(च) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय आयोग से सर्किट पीठें बार-बार राज्यों का दौरा करती हैं। कुछेक राज्य आयोगों ने मुख्य रूप से पिछले लम्बित मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त पीठों का गठन किया है। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 में अनेक प्रावधान किए गए हैं तथा बाद में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण को मजबूत बनाने के लिए नियम एवं विनियम बनाए गए, जिनमें किसी कारणवश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को उपभोक्ता मंच की अध्यक्षता करने की शक्ति प्रदान करना भी शामिल है जिसका मुख्य उद्देश्य मामलों के निपटान में किसी प्रकार के विलम्ब से बचना है।

विवरण

राज्य आयोगों और जिला मंचों में रिक्तियों की स्थिति संबंधी जानकारी

(14.12.2011 तक अद्यतन)

		राज्य आयोग		जिला मंच		की स्थिति के अनुसार
क्र.सं.	राज्य	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	30.11.2011
1	2	3	4	5	6	7
	राष्ट्रीय आयोग	0	4	-	-	
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	7	15	31.10.2011

1	2	3	4	5	6	7
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	31.3.2006
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	14	30.09.2011
4.	असम	0	0	0	6	31.08.2011
5.	बिहार	0	1	1	6	31.05.2011
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	31.10.2011
7.	छत्तीसगढ़	0	0	3	9	30.09.2011
8.	दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली	0	0	0	2	31.03.2011
9.	दिल्ली	0	1	0	1	31.10.2011
10.	गोवा	1	0	1	2	31.10.2011
11.	गुजरात	0	0	2	20	31.10.2011
12.	हरियाणा	0	1	5	22	30.09.2011
13.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	5	31.10.2011
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	31.03.2009
15.	झारखण्ड	0	1	5	14	30.09.2011
16.	कर्नाटक	0	0	2	4	31.10.2011
17.	केरल	0	0	0	1	31.12.2010
18.	लक्षद्वीप	0	1	0	1	30.11.2011
19.	मध्य प्रदेश	0	2	0	38	31.10.2011
20.	महाराष्ट्र	0	3	8	23	30.06.2011
21.	मणिपुर	1	0	0	1	31.12.2008
22.	मेघालय	14	0	0	1	30.11.2011
23.	मिजोरम	0	0	0	0	08.03.2010
24.	नागालैंड	0	0	0	0	31.12.2008
25.	ओडिशा	0	0	4	9	30.09.2011
26.	पुदुचेरी	0	0	0	0	30.09.2011
27.	पंजाब	0	0	2	1	30.09.2011

1	2	3	4	5	6	7
28.	राजस्थान	0	3	1	6	30.09.2011
29.	सिक्किम	0	0	0	4	31.12.2010
30.	तमिलनाडु	0	0	1	13	30.09.2011
31.	त्रिपुरा	0	0	0	0	31.10.2011
32.	उत्तर प्रदेश	0	4	9	19	31.08.2011
33.	उत्तराखंड	0	0	0	6	31.10.2011
34.	पश्चिम बंगाल	0	2	2	2	31.12.2010
	कुल	4	20	53	245	

[हिन्दी]

खाद्य सुरक्षा

4343. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति बढ़ती हुई कीमतों और खाद्यान्नों की कमी के कारण प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन और मांग क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों ने सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देकर देश में खाद्यान्नों की भारी मात्रा में खरीद की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान निजी और सरकारी एजेंसियों द्वारा कितनी खरीद की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। देश में गेहूं का उत्पादन इसकी मांग से अधिक रहा है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की मांग और उत्पादन की स्थिति विवरण-1 में दी गई है।

(ग) और (घ) गेहूं और चावल की खुली खरीदारी की जाती है जिसके अधीन उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्नों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, बेच सकते हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण I

खाद्यान्नों की मांग और उत्पादन की स्थिति

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग		उत्पादन	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5
2008-09	92.87	72.72	99.18	80.68
2009-10	94.83	74.26	89.09	80.80

1	2	3	4	5
2010-11	96.81	75.80	95.32	85.93
2011-12	98.79	77.36	102.00	84.00

नोट: 1. चावल और गेहूं की मांग 11वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित अनुमानों के अनुसार है।

2. वर्ष 2011-12 के लिए उत्पादन के आंकड़े कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 13.10.2011 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार है।

विवरण II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल और गेहूं की खरीदी गई मात्रा का ब्यौरा

(लाख टन में)

विपणन वर्ष	गेहूं	चावल
2008-09	226.82	314.04
2009-10	253.81	320.34
2010-11	225.14	341.97
2011-12	281.44	134.12*

*15.12.2011 तक खरीद के आंकड़े।

[अनुवाद]

पीडीएस का निजीकरण

4344. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण को बंद करने और इन्हें निजी प्रचालकों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धान की संकर किस्म

4345. श्री गणेश सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में धान की संकर किस्म का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उक्त संकर किस्में किसानों की पहुंच में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अनुकूल पैंतालीस संकर किस्मों (28 सार्वजनिक और 17 निजी) को देश में जारी किया गया।

(ग) और (घ) जी, नहीं। संकर किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हैं और देश में संकर किस्म के चावल की खेती के तहत लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आकलित किया गया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से देश में संकर किस्म के चावल की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष योजना "पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना" के तहत संकर किस्म के चावल की खेती को अपनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

मानवाधिकार संगठन

4346. डॉ. भोला सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मानवाधिकार संगठनों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से कितने संगठनों के, देश-वार, विदेशों में कार्यालय हैं;

(ग) उक्त संगठनों को विदेशों से, राज्य-वार और देश-वार, कितनी निधियां प्राप्त हुईं; और

(घ) किन संगठनों ने नक्सल हिंसा में मारे गये लोगों के संबंध में प्रश्न उठाये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) यह मंत्रालय देश में स्थित मानवाधिकार संगठनों के उनके विदेश स्थित कार्यालयों सहित उनकी संख्या तथा नामों से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। तथापि भारत-भर के 30 प्रमुख मानवाधिकार संगठनों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत 19 मानवाधिकार संगठन पंजीकृत हैं जिनमें से केवल 10 संगठन विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना दे रहे हैं। इन 10 संगठनों की सूची और उनके द्वारा प्राप्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विवरण I में क्रम संख्या 14, 15, 17 और 19 पर उल्लिखित संगठनों सहित कुछ संगठनों ने नक्सली हिंसा में मारे गये लोगों के बारे में सवाल उठाये हैं।

विवरण I

मानवाधिकार संगठनों की सूची

1. मि. जावेद आबिदी, कार्यकारी निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ इम्पलाइमेंट फार डिसेबल्ड पीपुल, ए-77, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110049
2. मि. सुहास चकमा, निदेशक, एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, सी-3/441-सी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
3. मि. कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए), एल-6, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
4. सुश्री रीता सरीन, कंट्री डाइरेक्टर, द हंगर प्रोजेक्ट-इंडिया, द्वितीयतल, शहीद भवन, 18/1, अरुणा आसफ अली मार्ग, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067
5. मि. राकेश जिंसी, महासचिव, एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज ऑफ इंडिया, प्लॉट नम्बर 4, ब्लॉक सी-1, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नेल्सन मंडेला मार्ग, बी बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
6. श्री मैथ्यू फिलीप, कार्यकारी निदेशक, साउथ इंडिया सैल फॉर ह्यूमन राइट एजूकेशन एंड मानिटरिंग (एसआई सीएचआरईएम), 35, प्रथम तल, अंजनप्पा काम्पलेक्स, हैनूर मैन रोड, लिंगाराजापुरम, सेंट थॉमसटाउन पोस्ट, बंगलौर-560084
7. श्रीमती सुगाथा कुमारी, सचिव, एबीएचएवाईए, अथानी, वंचीयोर, तिरुवनंतपुरम-695035
8. पूजा मरवाह, मुख्य कार्यकारी, सीआरवाई-चाईल्ड राइट्स एंड यू, 189/ए आनंद इस्टेट, सन्ने गुरूजी मार्ग, मुम्बई-400011
9. डा. लेनिन रघुवंशी, संयोजक, पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट (पीवीसीएचआर), एसए 4/2ए, दौलतपुर, वाराणसी-221001
10. डॉ. रूथ मनोरमा, अध्यक्ष, नेशनल एलाइंस ऑफ वूमेन (एनएडब्ल्यूओ), नम्बर 392, 11 मेन, तीसरा ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर-56011
11. श्री बाघम्बर पटनायक, ह्यूमन राइट एक्टीविस्ट एंड एडवाइजर, ओडिशा गोटी मुक्ति आंदोलन, एल-232, जीजीपी कॉलोनी, रसूलगढ़, भुवनेश्वर-751025
12. एक्ट नॉव फॉर हारमनी एंड डेमोक्रेसी (एएनएचएडी), 23, कैनिंग लेन, नई दिल्ली
13. एसोसिएशन फॉर (एपीसीआर), प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर), जसौला, नई दिल्ली
14. बंधुआ मुक्ति मोर्चा (बीएमएम), 7, जंतर-मंतर, नई दिल्ली
15. ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन), 576, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली
16. नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट (एनसीडीएचआर), 9/1, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली

17. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), 81, सहयोग अपार्टमेंट, मयूर विहार फेस-1, नई दिल्ली
18. द अदर मीडिया (टीओएम), एल-14, प्रथम तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली
19. एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स (एसीएचआर), दिल्ली
20. ह्यूमन राइट्स फोरम, आंध्र प्रदेश
21. पीपुल्स वॉच, 6 वल्लभभाई सलाई, चोक्किुलम, मदुरई-625002, तमिलनाडु
22. एसोसिएशन ऑफ पैरेंट्स ऑफ डिसएपियर्डपर्सन (एपीडीपी), जम्मू एवं कश्मीर
23. इंटरनेशनल पीपुल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफजस्टिस इन इंडियन-एडमिनिस्ट्रड कश्मीर (आईपीटीके), श्रीनगर
24. एमनेस्टी इंटरनेशनल (एआई), दिल्ली
25. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई), दिल्ली
26. बंगलौर मानवाधिकार सुरक्षा मंच (एमएएसयूएम), बालाजी अपार्टमेंट, सेरमपुर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल
27. सेंट्रल फॉर केयर ऑफ टार्चर विक्टिम (सीसीटीवी), पी-1501, केयतला रोड, कोलकाता
28. वनवासी चेतना आश्रम (वीसीए), छत्तीसगढ़
29. रायपुर चर्चिस रिलीफ एंड डवलपमेंट कमेटी (आरसीडीआरसी), छत्तीसगढ़
30. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर), दिल्ली

विवरण II

नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में सवाल उठाने वाले संगठन

क्र.सं.	संगठन का नाम	राज्य	दानदाता देश	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निधि (रु.)	
1	2	3	4	5	
1.	सोसायटी फॉर ह्यूमन राइट एंड सोशल डवलपमेंट	आंध्र प्रदेश	यूएसए	2006-07	1155034.00
				2007-08	2035548.00
				2008-09	155069.00
				2009-10	00.00
				कुल	3345651.00
2.	ह्यूमन राइट एडवोकेसी एंड रिसर्च फाउंडेशन	लिटिल माउंट, सेडपेट	कनाडा	2006-07	1072215.00
			जर्मनी	2006-07	2495834.00
			न्यूजीलैंड	2006-07	411181.00
			कनाडा	2007-08	670887.00
			जर्मनी	2007-08	2894879.00
			न्यूजीलैंड	2007-08	1474735.00

1	2	3	4	5	
			कनाडा	2008-09	964996.00
			जर्मनी	2008-09	2296940.00
			न्यूजीलैंड	2008-09	1569734.00
			कनाडा	2010-11	1869970.00
			जर्मनी	2010-11	2666934.00
			न्यूजीलैंड	2010-11	1552980.00
				कुल	19941285.00
3.	फाउंडेशन फार ह्यूमन राइट एंड डवलपमेंट	तमिलनाडु		2007-08	शून्य
				2008-09	शून्य
			जर्मनी	2009-10	48800.00
4.	जन सहयोग ह्यूमन राइट एजूकेशन एंड अरबन स्लम रिसोर्स सेंटर	कर्नाटक		2006-07	शून्य
			नीदरलैंड	2007-08	2915223.00
			स्वीडन	2007-08	763112.00
			यूनाइटिड किंगडम	2007-08	238900.00
			नीदरलैंड	2008-09	4517700.00
			स्वीडन	2008-09	381556.75
			यूनाइटिड किंगडम	2008-09	313900.00
			नीदरलैंड	2009-10	4797931.00
			न्यूजीलैंड	2009-10	4525.00
			यूनाइटिड किंगडम	2009-10	1330000.00
			नीदरलैंड	2010-11	5158690.00
			यूनाइटिड किंगडम	2010-11	438800.00
				कुल	20860447.75
5.	मार्टिन लूथर किंग सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट	भुवनेश्वर	यूनाइटिड किंगडम	2007-08	82097.00
			आयरलैंड	2008-09	1262229.00

1	2	3	4	5	
			यूनाइटिड किंगडम	2008-09	509382.00
				2009-10	0.00
				कुल	1853708.00
6.	द ह्यूमन राइट फाउंडेशन (एचआरएफ)	भद्रक		2006-07	00.00
				2007-08	00.00
				2008-09	00.00
				2009-10	00.00
7.	एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट एजूकेशन एंड डवलपेंट	ओडिशा		2006-07	00.00
				2007-08	00.00
				2008-09	00.00
				2009-10	00.00
				2010-11	00.00
8.	सॉलिडरटी फार सोशल इक्वलटी (ह्यूमन राइट सेंटर)	ओडिशा		2006-07	00.00
				2007-08	00.00
				2008-09	00.00
				2009-10	00.00
				2010-11	00.00
9.	कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट	दिल्ली	यूएसए	2006-07	26302060.00
			जर्मनी	2007-08	14724.00
			न्यूजीलैंड	2007-08	2111334.00
			दक्षिण अफ्रीका	2007-08	1158607.00
			स्विटजरलैंड	2007-08	5819774.00
			थाइलैंड	2007-08	549815.00
			यूनाइटिड किंगडम	2007-08	11105374.00
			यूएसए	2007-08	120285.00
			कनाडा	2008-09	2223571.00

1	2	3	4		5
			जर्मनी	2008-09	1209837.00
			स्विटजरलैंड	2008-09	8642146.00
			थाइलैंड	2008-09	296065.00
			यूनाइटिड किंगडम	2008-09	9012420.00
			यूएसए	2008-09	3164859.00
			जर्मनी	2009-10	2696179.00
			नीदरलैंड	2009-10	3634623.00
			न्यूजीलैंड	2009-10	264168.00
			स्विटजरलैंड	2009-10	1666271.00
			यूनाइटिड किंगडम	2009-10	6022224.00
			यूएसए	2009-10	4097961.00
			जर्मनी	2010-11	3276428.00
			नीदरलैंड	2010-11	1729275.00
			स्विटजरलैंड	2010-11	5006158.00
			यूनाइटिड किंगडम	2010-11	4881044.00
			यूएसए	2010-11	11661588.00
				कुल	116666790.00
10.	एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट	दिल्ली	डेनमार्क	2006-07	376048.00
			फिनलैंड	2006-07	1021118.00
			नीदरलैंड	2006-07	683.00
			श्रीलंका	2006-07	320480.00
			थाइलैंड	2006-07	462758.00
			बेल्जियम	2007-08	5504612.00
			डेनमार्क	2007-08	15991.00
			फिनलैंड	2007-08	517036.00

1	2	3	4		5
			नेपाल	2007-08	205734.00
			बेल्जियम	2008-09	5548006.00
			नीदरलैंड	2009-10	7567244.00
			स्विटजरलैंड	2009-10	5419111.00
			यूएसए	2009-10	32949.00
				कुल	29043781.00

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ड्रिप सिंचाई

4347. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई की उपयोगिता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में ड्रिप सिंचाई को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) ड्रिप सिंचाई योजना के तहत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। सहायता लघु एवं सीमांत किसानों को कुल प्रणाली लागत के 60 प्रतिशत की दर से और सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 10 प्रतिशत राज्य का भाग शामिल है। 2011-12 के दौरान, 232.80 करोड़ रुपए का परिव्यय महाराष्ट्र को आबंटित किया गया।

(ङ) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन स्कीम के अंतर्गत 2005-06 से 2010-11 तक कोंकण क्षेत्र में 2263 किसान लाभांवित हुए।

'वर्क वीजा'

4348. श्री एस. आर. जेयदुरई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास वर्तमान में 'वर्क वीजा' हेतु लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने आवेदनों की तीव्र पहुंच हेतु किसी परामर्शदाता को नियुक्त किया है/किसी बैंक को कार्य सौंपा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सुरक्षा संबंधी मंजूरी के लिए इस मंत्रालय में 'वर्क वीजा' हेतु चीनी राष्ट्रीकों के 149 आवेदन लंबित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एमसीडी और एनडीएमसी का कार्यकरण

4349. श्रीमती रमा देवी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन निकायों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि यह शक्तियों के प्रयोग में विवेकाधिकार को न्यूनतम करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के नियमित उपाय करती है। परिषद ने यह भी सूचित किया है कि जनता और कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए प्रभावकारी नियंत्रण रखा जाता है और जब कभी भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तब इसके सतर्कता विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसके सतर्कता विभाग ने निगम की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण प्रणालीगत तथा प्रक्रियात्मक सुधार किया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसने अनेक निवारक उपाय किये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कार्य संस्कृति, दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम का आरम्भ;

(2) फर्जी हाजिरी को रोकने के लिए उपस्थिति की बायोमीट्रिक प्रणाली का आरम्भ;

(3) सीएसई विभाग, शाहदरा साउथ जोन में सामने आयी वित्तीय अनियमितताओं का सत्यापन करने के लिए विशेष लेखा-परीक्षा कार्य आरम्भ करना;

(4) टेन्ट माफियाओं द्वारा की जाने वाली फर्जी बुकिंग के खतरे को रोकने के लिए नगर-निगम पार्कों की बुकिंग प्रणाली में संशोधन करना;

(5) विविध प्रकार के निरीक्षण करने के लिए एमसीडी में विशेष कार्य बल की शुरुआत;

(6) अधिक प्रभावकारी थर्ड पार्टी चेकिंग का आरम्भ (आरटीसी, ओखला और नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद नामक दो और प्रयोगशालाओं को सहयोजित करने के अतिरिक्त, थर्ड पार्टी एश्योरेन्स के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सीआरआरआई और एनसीसीबी, बल्लभगढ़ को शामिल करके गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल में अन्य घटक का समावेश किया गया है;

(7) नई भर्ती वाले लोगों की चिकित्सा जांच कराने के लिए अस्पतालों के लिए एक समुचित प्रक्रिया तैयार करना;

(8) राज निवास स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु तंत्र विकसित करना, नवनिर्मित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष को आरम्भ करना और तत्पश्चात समयबद्ध कार्रवाई करना और तदनुसार रिपोर्ट अग्रेषित करना;

(9) एमसीडी की कार्यप्रणाली में प्रभावकारी बदलाव एवं सुधार लाने के लिए अधिकाधिक शिकायतें आमंत्रित करने के लिए नि:शुल्क टेलीफोन (सं. 1266) आरम्भ करना, और

(10) सहायता-अनुदान हेतु आवेदन करने वाले एनजीओ के नाम आन-लाइन करना और जनता से उनके कार्य-निष्पादन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करना ताकि सहायता अनुदान की सिफारिश करते समय एनजीओ की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखा जा सके।

[अनुवाद]

कृषि भूमि का अधिग्रहण

4350. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषक आयोग ने देश में कृषि भूमि के बढ़ते अधिग्रहण के आलोक में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की समीक्षा करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने उल्लेख किया है कि विशेष रुप से प्रतिपूर्ति परिकल के लिए सूत्र के संदर्भ में भूमि अर्जन अधिनियम की समीक्षा और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। भूमि अर्जन अधिनियम की समीक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

शहरी विकास हेतु सहायता

4351. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास हेतु वित्तीय सहायता और विदेशी सहायता के लिए कोई निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ सरकार द्वारा अब तक इन निवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय से शहरी विकास हेतु सहायता मांगी है।

(ख) और (ग) शहरी विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता संबंधी सूचना निम्नलिखित हैं:

(1) 7 मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम: गुजरात राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत तीन प्रस्ताव नामत: सानंण कस्बे की सीवरेज प्रणाली, सानंण नगरपालिका के लिए ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम और सानंण कस्बे की जलापूर्ति स्कीम भेजे हैं। ये परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(लाख रु. में)

परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित लागत
सानंण कस्बे की सीवरेज प्रणाली	3.2.2011	5848.68
सानंण नगरपालिका के लिए ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	3.2.2011	213.62
सानंण कस्बे की जलापूर्ति व्यवस्था	3.2.2011	3320.86

(2) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक:

पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के तहत गुजरात हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए
2008-09	11	136213.81	54306.19	47035.34
2009-10	4	45483.26	20604.09	47788.21
2010-11	1	2631.04	2104.84	7297.21

(3) छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएमएमटी):

मिशन अवधि में यूआईडीएसएमएमटी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान और स्वीकृत अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु दिनांक 30.11.2011 तक गुजरात को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
12169.71	0.0	4651.09	2460.81

(4) शहरी परिवहन: जनवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा उद्घेषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी परिवहन हेतु बसों की खरीद के लिए अनुदान राशि के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराने संबंधी स्कीम के तहत राज्यों को जिसमें गुजरात शामिल है, शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु एकबारगी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। यह वित्तपोषण अनल रूप से शहरी बस सेवा और दुरत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) हेतु किया गया है। गुजरात सरकार के लिए इस पैकेज के तहत 88.20 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ 730 बसों की स्वीकृति दी गई है। अभी तक राज्य सरकार को 39.08 करोड़ रु. की पहली किस्त (अर्थात 50 प्रतिशत) जारी की गई है।

जहां तक विदेशी सहायता का संबंध है, गुजरात सरकार ने सितम्बर, 2009 में प्रस्तावित जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) सहायता से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत आने वाली नगरपालिकाओं में सीवरेज अवसंरचना के विकास हेतु श्रेणी क और ख की 32 नगरपालिकाओं हेतु गुजरात नगरपालिका सीवरेज परियोजना (जीएमएसपी) नामक प्रस्ताव भेजा था। शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अनापत्ति की सूचना आर्थिक कार्य विभाग को दे दी थी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2009 में आर्थिक कार्य विभाग ने ओडीए ऋण हेतु जापान सरकार को प्रस्ताव भेजा लेकिन वित्त पोषण हेतु ओडीए ऋण पैकेज का चयन नहीं किया गया।

[अनुवाद]

पालिका पार्किंग स्थल

4352. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पालिका स्थल के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या यहां लगाए गए पार्किंग मीटर और अन्य उपकरण निष्क्रिय हैं जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां और राजकोष को काफी हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो एनडीएमसी द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) पालिका पार्किंग का सिविल निर्माण कार्य 8 करोड़ रुपये की कुल लागत (लगभग) से अप्रैल, 1985 में पूरा हो गया था।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि पालिका पार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग दिशानिर्देश और प्रबंधन प्रणाली कार्य कर रही है और वह निष्क्रिय नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ठेकेदारों को काली सूची में डालना

4353. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्यान्नों के उठान और परिवहन हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिन ठेकेदारों को कार्य प्रदान किये गये उनमें से कुछ को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, उक्त अवधि के दौरान जिन ठेकेदारों को कार्य प्रदान किए गए और इनमें से जिन्हें काली सूची में डाला गया, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान काली सूची में डाले गए ठेकेदारों को ठेके प्रदान किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सरकार ने गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्यान्नों के उठान तथा ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त किसी भी ठेकेदार को काली सूची में नहीं डाला है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेट्रो रेल द्वारा ध्वनि प्रदूषण

4354. श्री एस.एस रामासुब्बू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेलों को निरंतर चलाए जाने के कारण स्वीकार्य सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और इसके स्पंदन ने दिल्ली में विभिन्न स्थलों पर मेट्रो रेल लाइन के निकट रह रहे निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को इस मुद्दे पर अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या डीएमआरसी ने ध्वनि और स्पंदन स्तर तथा प्रभावों को कम करने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि भारत में यातायात ध्वनि प्रदूषण की कोई विशिष्ट सीमा नहीं है। कतिपय स्तर तक ध्वनि एवं स्पंदन ट्रेन संचालन की प्राकृतिक विशेषताएं हैं। ये हानि रहित हैं एवं मेट्रो रेल लाइनों के निकट के रह रहे निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती।

(ख) जी, हां। व्यक्तियों एवं समूहों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) शिकायतें प्राप्त होने पर, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने अध्ययन कराए एवं विशेषज्ञ-मत प्राप्त किए हैं। इन विशेषज्ञ मतों के आधार पर डीएमआरसी ने तीव्र मोड़ों पर ट्रेक पर नियमित रूप से ग्रीज लगाने का निर्णय लिया है। कुछ स्थानों पर ध्वनि बैरियर लगाए गए हैं एवं कुछ स्थानों पर रेल सीट पर नरम पेड़ भी लगाए गए हैं ताकि ध्वनि एवं स्पंदन को घटाया जा सके।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादों की चोरी

4355. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्रों से दुग्ध उत्पादों की बड़े पैमाने पर चोरी की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस संदर्भ में पकड़े गए व्यक्तियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्रों से दुग्ध उत्पादों की बड़े पैमाने पर चोरी की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना में इस प्रकार की चोरी के लिए सुरक्षा प्रणाली मौजूद है।

[अनुवाद]

विदेशियों से संबंधित अधिकरण

4356. श्री बदरूद्दीन अजमलः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में गठित और वर्तमान में कार्यरत विदेशियों से संबंधित अधिकरणों की संख्या कितनी है; और

(ख) अधिकरण-वार विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत असम राज्य में 36 विदेशी विषयक अधिकरणों की स्थापना की गई है। इन 36 विदेशी विषयक अधिकरणों में सदस्यों के 7 पद रिक्त हैं।

(ख) वर्ष 1986 से 2011 (दिनांक 31.10.2011 तक) तक की अवधि के बीच अपनी राय देने के लिए 4,27,711 मामले अधिकरणों को सौंपे गए थे जिनमें से अधिकरणों ने 1,50,184 मामले निपटा दिए गए हैं। लंबित और निपटाए गए मामलों का अधिकरण-वार ब्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाता है। विदेशी विषयक अधिकरणों के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा की जाती है।

लेजर तारामंडलों की स्थापना

4357. श्री वरुण गांधी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए देश में लेजर तारामंडलों की स्थापना हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) इस अवस्था में देश में लेजर तारामंडलों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजभाषा हेतु दिशानिर्देश

4358. श्री हरीश चौधरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजभाषा हेतु नीति दिशानिर्देशों संबंधी कोई परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) हिन्दी के प्रसार में यह किस स्तर तक उपयोगी होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरल और आसानी से समझ में आने वाली हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सलाह दी गई है कि (1) नोट और पत्र लिखने में आसान हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि यह आसानी से सभी की समझ में आ सके। यह महत्वपूर्ण है कि लिखने वाला वास्तव में जो व्यक्त कहना चाहता है उसे पढ़ने वाला समझ सके; (2) सरकारी कार्य में आमतौर पर समझ में आने वाले शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का देवनागरी में प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। (3) जहां कहीं यह महसूस हो कि पाठक को कोई विशेष तकनीकी शब्द अथवा पदनाम हिन्दी में समझने में कठिनाई हो सकती है तो इसके अंग्रेजी पर्याय का देवनागरी में प्रयोग करना उचित होगा।

[अनुवाद]

मिथिला क्षेत्र की समस्याएं

4359. श्री कीर्ति आजाद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिथिला क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को देखने हेतु एक मिथिला डेस्क की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सांस्कृतिक संगठनों द्वारा निधियों का प्रयोग

4360. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रंथालय, कोलकाता सहित विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को आवंटित और उनके द्वारा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास निधियों के व्यपगत होने पर राष्ट्रीय ग्रंथालय सहित सांस्कृतिक संस्थानों/संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई उपबंध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्थान-वार विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्मों की ग्रेडिंग

4361. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विशेष फीचर फिल्म की ग्रेडिंग/उन्हें अंक प्रदान करने हेतु कोई प्राधिकरण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु अपनाए गए मापदण्ड क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बाहरी विशेषज्ञों को दस में से अंक प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है, जबकि आंतरिक अधिकारियों को तीस अंक प्रदान करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचन और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दिनांक 01.12.2011 को कार्यक्रम-निर्माण एवं विषय-वस्तु समिति की हुई बैठक में रॉयल्टी का भुगतान करके दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित करने के लिए हिंदी फीचर फिल्मों के अधिप्राप्ण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि फीचर फिल्मों के उचित व निष्पक्ष चयन हेतु किसी भी स्टाफ सदस्य को ग्रेडन समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब ग्रेडन समिति में बाहर के तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनका चयन दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा कार्यक्रम-निर्माण एवं विषय-वस्तु समिति द्वारा अनुमोदित बाहर के सोलह विशेषज्ञों के पैनल में से लिया जाएगा। तीन विशेषज्ञों में से एक महिला सदस्य होगी। ग्रेडन समिति संशोधित फिल्म दिशानिर्देश, 2007 में किए गए संशोधन के अनुसार फिल्म की ग्रेडिंग करेगी।

[हिन्दी]

पशुधन संख्या

4362. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा उद्योग में जीवित जानवरों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पशुधन की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुरातत्व दूरदृष्टि प्रौद्योगिकी

4363. श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने देश में पुरातत्व दूरदृष्टि (आर्केलॉजिकल प्रॉस्पेक्शन) हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं और ए एस आई द्वारा इस संबंध में किन बाधाओं का सामना किया जा रहा है; और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में उक्त क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआई), रुढ़की, भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर जैसे वैज्ञानिक संस्थानों की मदद से क्रमशः लालकोट, नई दिल्ली, अहिच्छत्र, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश और धौलावीरा और जूनी करन दोनों जिला कच्छ, गुजरात में प्रारंभिक जी पी आर सर्वेक्षण ने भारतीय नौसेना की सहायता से, नवीनतम सोनार उपकरणों का प्रयोग करते हुए, आफशोर अन्वेषण भी कराया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अत्याधुनिक अन्वेषणों, जिसमें पूर्वेक्षण के लिए उपकरण शामिल हैं, की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय समिति की स्थापना की है।

[हिन्दी]

जाली वीजा कार्ड

4364. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जाली वीजा कार्डों के अनेक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने गिरोहों का भण्डाफोड़ किया गया, कितने दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नवम्बर, 2011 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में जाली वीजा कार्डों के 131 मामले दर्ज किए गए हैं। जब कभी भी जाली वीजा के ऐसे मामले पकड़े जाते हैं, तब इसकी जांच के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। जांच के पश्चात दोषी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये जाते हैं। इन फर्जी/जाली दस्तावेजों को तैयार करने में संलिप्त दोषी व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तथा उनके खिलाफ कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है। फर्जी/जाली दस्तावेजों के आधार पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) यात्रा दस्तावेजों की विशेषताओं की जांच करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मैगनीफाइंग ग्लासेज तथा अल्ट्रा वायलेट लैम्पों का उपयोग;

(2) बेहतर सुरक्षा विशेषताओं के साथ मशीन द्वारा पठनीय (मशीन रीडेबल) पासपोर्टों और वीजा को जारी करना;

(3) यात्रा दस्तावेजों में परिष्कृत जालसाजियों को पकड़ने के लिए प्रमुख आईसीपी पर पासपोर्ट रीडिंग मशीनों (पीआरएम) और क्वेसचिनेबल डाक्यूमेंट एक्जामिनर (क्यूडीएक्स) मशीनों को स्थापित करना;

(4) पासपोर्टों की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए क्वेश्चनेबल डाक्यूमेंट एक्जामिनर का प्रतिष्ठापन;

(5) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) साफ्टवेयर, जो पासपोर्ट विवरण का सत्यापन करता है, का प्रतिष्ठान ताकि दूसरे व्यक्ति द्वारा इसके इस्तेमाल को रोका जा सके;

(6) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी पासपोर्टों तथा विदेश में स्थित कुछ भारतीय मिशनों द्वारा जारी वीजा के विवरण आप्रवासन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उनकी प्रतिपरीक्षा (क्रास-चैकिंग) की जा सके;

(7) फर्जी/जाली यात्रा दस्तावेजों की पहचान के लिए नियमित आधार पर हवाई अड्डों के आप्रवासन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण।

[अनुवाद]

ड्रिप सिंचाई पर राजसहायता

4365. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ड्रिप सिंचाई प्रणाली हेतु लघु और सीमांत किसानों को राजसहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस हेतु अपनाए गए मापदण्ड क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी राजसहायता के अंतर्गत सभी किसानों को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत, सहायता लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कुल प्रणाली लागत के 60 प्रतिशत की दर से और सामान्य किसान के लिए 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 10 प्रतिशत राज्य का भाग शामिल है। स्प्रिंकलर सिंचाई सहित विगत तीन वर्षों में ड्रिप सिंचाई के लिए निर्मुक्त की गई राज्यवार सब्सिडी के ब्यौरे संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी के कुल क्षेत्र तक सीमित की गई स्कीम के अंतर्गत सभी किसान सहायता लेने के हकदार हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान स्प्रिंकलर सिंचाई सहित, ड्रिप सिंचाई के लिए निर्मुक्त की गई राज्यवार सब्सिडी के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9727.31	14310.70	24000.00
बिहार	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	954.45	1251.98	1019.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
गोवा	2.00	10.70	24.00
गुजरात	4898.61	4447.27	12000.00
हरियाणा	1207.28	211.69	1360.81
झारखंड	0.00	0.00	150.00
कर्नाटक	7318.66	6381.30	9254.00
केरल	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	4649.84	3474.58	7960.59
महाराष्ट्र	14748.06	10707.08	22237.00
ओडिशा	337.94	528.4	810.00
पंजाब	504.88	859.03	1261.30
राजस्थान	2382.31	5693.15	12000.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	6591.00

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	150.00	.	812.30
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	75.00
मिजोरम	0.00	0.00	50.00
मेघालय	0.00	0.00	50.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	50.00
योग	46881.34	47875.88	99705.00

विज्ञान शहर

4366. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विज्ञान शहरों और विज्ञान केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश में ऐसे और शहरों तथा केंद्रों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संघ सरकार को गुजरात सरकार से उक्त परियोजनाओं हेतु निधियां जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्थापित और संचालति विज्ञान शहरों व विज्ञान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) विज्ञान शहरों व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में प्रस्तावों पर समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। इस समय विकासाधीन विज्ञान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) गत तीन वर्षों में विज्ञान शहरों व विज्ञान केंद्रों के विकास हेतु गुजरात से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

देश में विज्ञान शहरों व विज्ञान केंद्रों की सूची

क्र.सं.	विज्ञान शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	विज्ञान शहर, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
2.	क्षेत्रीय विज्ञान शहर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
3.	विज्ञान शहर, अहमदाबाद	गुजरात

1	2	3
4.	पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर, कपूरथला	पंजाब
	विज्ञान केंद्र	
5.	बिरला औद्योगिक एंव प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
6.	बर्धमान विज्ञान केंद्र, बर्धमान	पश्चिम बंगाल
7.	श्रीकृष्णा विज्ञान केंद्र, पटना	बिहार
8.	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर	ओडिशा
9.	ढेंकनाल विज्ञान केंद्र, ढेंकनाल	ओडिशा
10.	विज्ञान पार्क, कपिलास	ओडिशा
11.	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी	असम
12.	राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली	दिल्ली
13.	कुरुक्षेत्र पनोरमा विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र	हरियाणा
14.	नेहरु विज्ञान केंद्र, मुंबई	महाराष्ट्र
15.	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, नागपुर	महाराष्ट्र
16.	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, भोपाल	मध्य प्रदेश
17.	जिला विज्ञान केंद्र, धर्मपुर	गुजरात
18.	गोवा विज्ञान केंद्र, पणजी	गोवा
19.	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, कालीकट	केरल
20.	विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, बेंगलुरु	कर्नाटक
21.	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, त्रिरुपति	आंध्र प्रदेश
22.	जिला विज्ञान केंद्र, गुलबर्ग	कर्नाटक
23.	जिला विज्ञान केंद्र, तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
24.	उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र, सिलीगुडी	पश्चिम बंगाल
25.	जिला विज्ञान केंद्र, पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
26.	दीघा विज्ञान केंद्र, दीघा	पश्चिम बंगाल
27.	विज्ञान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1	2	3
28.	मिजोरम विज्ञान केंद्र आइजोल	मिजोरम
29.	नागालैंड विज्ञान केंद्र., दीमापुर	नागालैंड
30.	मणिपुर विज्ञान केंद्र,	मणिपुर
31.	अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र, ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश
32.	शिलांग विज्ञान केंद्र, गंगटोग	मेघालय
33.	सिक्किम विज्ञान केंद्र गंगटोक	सिक्किम
34.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, शिलांग	पश्चिम बंगाल
35.	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली	नई दिल्ली
36.	ओएनजीसी गोल्डन जुबली संग्रहालय, देहरादून	उत्तराखंड
37.	महाराजा रंजीत सिंह, पनोरमा, अमृतसर	पंजाब
38.	कल्पना चावला तारामंडल स्मारक, कुरुक्षेत्र	हरियाणा
39.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, रांची	झारखंड
40.	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, सोलापुर	महाराष्ट्र
	कुल सं.	**40**

विवरण II

विकसित किए जा रहे विज्ञान केंद्रों की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
01	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	रायपुर	छत्तीसगढ़
02	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	धारवाड़	कर्नाटक
03	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	कोयंबटूर	तमिलनाडु
04	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	जयपुर	राजस्थान
05	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	पीलीकुला, मैंगलोर	कर्नाटक
06	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	पींपरी, चींचवाड, पुणे	महाराष्ट्र
07	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	देहरादून	उत्तरांचल

1	2	3	4
08	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	जोधपुर	राजस्थान
09	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	पुदुचेरी	तमिलनाडु
10	उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र	जोरहाट	असम
	कुल सं.		**10**

[हिन्दी]

वृद्ध महिलाओं को प्रताड़ित करना

4367. डॉ. बलीराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृद्ध महिलाओं को उनके बच्चों के द्वारा तथा परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा लड़कियों को प्रताड़ित/परेशान करने के मामलों को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य दर्ज किये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एनसीआरबी द्वारा यह विशिष्ट आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, वर्ष 2008-2010 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस एवं लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध सहित अपराध की रोकथाम करना, पता लगाना, दर्ज करना, उसकी जांच और अभियोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। तथापि, संघ सरकार वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 27.3.2008 को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें उन्हें वरिष्ठ लोगों की पहचान, वरिष्ठ लोगों की सुरक्षा, संरक्षा के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने, बीट स्टाफ का नियमित वहां जाने, निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना करने, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने, घरेलू नौकरों, ड्राइवरों का सत्यापन इत्यादि के माध्यम से वृद्ध लोगों के प्रति की जाने वाली सभी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और हिंसा को समाप्त करने और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम के संबंध में दिनांक 4.9.2009 को जारी एक पृथक परामर्शी-पत्र के बिन्दु संख्या 5(xxvii) में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सभी पुलिस स्टेशनों में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त किये गये क्षेत्र के संरक्षण अधिकारियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करने की सलाह दी है।

विवरण

वर्ष 2008 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्रित मामले	दोषसिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2267	485	76	1	17	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	361	426	1	987	1020	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	324	324	1	1058	1058	0
8.	हरियाणा	9	8	0	27	27	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं उसके प्रावधान लागू नहीं					
11.	झारखंड	955	856	178	1857	1943	206
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	30	27	0	25	33	3
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	376	278	103	217	325	197
16.	मणिपुर	35	0	0	16	0	0
17.	मेघालय	5	5	2	29	6	2
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	52	36	3	99	97	2
22.	राजस्थान	60	50	0	55	55	0
23.	सिक्किम	5	8	0	5	8	0
24.	तमिलनाडु	765	437	129	30	320	146
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	16	12	1	13	19	1
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	328	80	0	118	280	0
	कुल राज्य	5590	3033	494	4538	5209	558

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35	22	0	36	30	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	18	15	0	15	15	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	53	37	0	51	45	0
	कुल अखिल भारत	5643	3070	494	4589	5254	558

यह जानकारी विशेष रूप से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की गई है।

नोट: *का तात्पर्य अनुपलब्ध आंकड़ों से हैं।

वर्ष 2009 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्रित मामले	दोषसिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2710	608	97	0	103	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	8	3	12	8	3
3.	असम	1	1	0	5	5	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	22	23	0	18	18	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	67	67	0	234	234	0
8.	हरियाणा	32	10	0	13	13	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	4	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं उसके प्रावधान लागू नहीं					

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक	18	6	8	1	4	
13.	केरल	53	46	0	61	72	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	1395		121			
16.	मणिपुर	25	0	0	28	0	0
17.	मेघालय	23	28	0	76	45	0
18.	मिजोरम	4	4	1	4	4	1
19.	नागालैंड	6	6	3	6	6	3
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	38	34	1	76	77	0
22.	राजस्थान	45	29	1	37	37	1
23.	सिक्किम	6	6	0	8	8	0
24.	तमिलनाडु	2376	729	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	923	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	7761	1608	235	583	638	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36	29	1	53	53	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	6	4	0	5	4	0
34.	लक्षद्वीप*						
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	42	33	1	58	57	1
	कुल अखिल भारत	7803	1641	236	641	695	9

यह जानकारी विशेष रूप से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की गई है।

नोट: *का तात्पर्य अनुपलब्ध आंकड़ों से है।

वर्ष 2010 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप पत्रित मामले	दोषसिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2683	141	1	1	141	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	8	1	11	8	1
3.	असम	1	1	0	2	2	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़*						
6.	गोवा*						
7.	गुजरात	25					
8.	हरियाणा	39	7	0	12	12	0
9.	हिमाचल प्रदेश*						
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं उसके प्रावधान लागू नहीं					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	44	35	1	41	48	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	3505	2127	408	—	—	—
16.	मणिपुर*						
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम	3	3	1	3	3	1
19.	नागालैंड	6	6	1	6	6	1
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	19	11	0	38	30	0
22.	राजस्थान	45	20	0	25	25	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम*						
24.	तमिलनाडु*						
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	3	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड*						
28.	पश्चिम बंगाल	1164	744	0	1	1	0
	कुल राज्य						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28	23	0	39	39	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव*						
33.	दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र						
	कुल अखिल भारत						

यह जानकारी विशेष रूप से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की गई है।

नोट: *का तात्पर्य अनुपलब्ध आंकड़ों से है।

हथियार लाइसेंसों की वैधता

4368. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय संविधान के 69वें संशोधन के आलोक में दिल्ली के हथियार लाइसेंसिंग प्राधिकारी/प्रशासक का पद समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा हथियारों के लाइसेंसों को निरस्त किये जाने पर किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जी.एन.सी.टी.) सरकार को शक्तियां प्रदान की हैं जिससे कि वे हथियार लाइसेंसों को अखिल भारतीय वैधता वाले, लाइसेंसों में परिवर्तित कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जी.एन.सी.टी. से कोई सहमति प्राप्त नहीं की है जिससे कि हथियारों के लाइसेंसों की वैधता को अखिल भारतीय वैधता वाले लाइसेंसों में परिवर्तित किए जा सकें;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या दिल्ली सरकार ने संपूर्ण देश में कुछ श्रेणियों के हथियार लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने के लिए कोई निवेदन किया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2010 में, भारत सरकार ने यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नॉन-प्रोहिविटेड बोर (एनपीबी) हथियारों के लाइसेंसों के मामले में अधिकतम तीन सटे हुए राज्यों तक क्षेत्र की वैधता की अनुमति दे सकते हैं और (1) वर्तमान केन्द्रीय मंत्रियों/संसद सदस्यों, (2) सेना, अर्ध-सेना के कार्मिकों, (3) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, (4) भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व वाले अधिकारियों, तथा (5) खिलाड़ियों हेतु राज्य स्तर पर अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर भी विचार कर सकते हैं। यह कहा गया है कि उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदकों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर संबंधित राज्य के सचिव (गृह) के स्तर पर अनुमोदन दिया जाना चाहिए। जो आवेदक उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, उनके मामले में राज्य सरकार को पात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।

(ङ) और (च) वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हथियारों के लाइसेंसों की अखिल भारतीय वैधता प्रदान करने की सिफारिश करते समय पात्र मामलों में पूर्ण औचित्य देना आवश्यक है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति का कार्यकरण

4369. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 13वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय अ.जा./अ.ज.जा. के अपने प्रभारी सम्पर्क अधिकारी अथवा किसी स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति में प्रचलित वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक व्यापक सत्यापन अभियान और समस्त रोस्टरों के सत्यापन के दौरान उनके द्वारा पाई गई विसंगतियों, एनएसईएस की शुरुआत से लेकर संविदा/तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण के मामलों के साथ-साथ भर्ती अभियान, 2008 में अनियमितता की रिपोर्ट समिति को दे। उक्त सिफारिश को समिति द्वारा बताई गई विसंगतियों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास भेज दिया गया है। इस संबंध में, श्री आर. चन्द्रमोहन, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को जांच प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

[अनुवाद]

स्वायत्त संगठनों का निधियन

4370. श्री एन. चेलुवरयास्वामी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत अपने स्वायत्त संगठनों के निधियन पैटर्न में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप देने के पूर्व विभिन्न स्वायत्त संगठनों के विचार जाने हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे परिवर्तनों की प्रभावकारिता पर सरकार द्वारा किस तरह से नियंत्रण रखने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) जी, हां। स्वायत्त संगठनों को अपने कार्यकलापों/कार्यक्रमों की योजना पर्याप्त समय पहले तैयार करने और बेहतर खर्च प्रबंध की सुविधा के लिए निधियों को जारी करने के तरीके में संशोधन किया गया है और 2010-11 से निधियां, प्रत्येक 75% और 25% की दो किस्तों में जारी की जा रही है।

स्वायत्त संगठनों को निधियों को जारी करने की संशोधित प्रक्रिया पूर्णतया सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के अनुरूप है।

स्वायत्त संगठनों को निधियां जारी करने के उदारीकरण के मामले पर 40:30:30 की तीन किस्तों में निधियां जारी करने की तत्कालीन मौजूदा पद्धति के बारे में समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर पुन: विचार किया गया था।

(ङ) संस्कृति मंत्रालय ने सभी स्वायत्त संगठनों को परामर्श दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनुदानों से खर्च केवल ऐसी मद/परियोजना/स्कीम पर किया जाए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो। इसके अलावा, ज्यादा खर्च करने अथवा निधियों को जमा करने से बचने के लिए स्वायत्त संगठनों से कहा गया है कि वर्ष भर खर्च करते रहने के लिए भी यह सुनिश्चित करें कि निधियों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है और वित्तीय वर्ष के अंत में एक साथ खर्च करने से बचा जाए।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5846/15/11]

(2) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर हाउसिंग ऑरगेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर हाउसिंग ऑरगेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5847/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5848/15/11]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5849/15/11]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन के

बारे में न्यायमूर्ति एम० बी० शाह जांच आयोग की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई कार्रवाई ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5850/15/11)

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माईनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माईनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5851/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5852/15/11]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5853/15/11]

(3) (एक) ऑरगेनाइजिंग कमेटी कॉमनवेल्थस गेम्स 2010 दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2008-2009 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑरगेनाइजिंग कमेटी कॉमनवेल्थस गेम्स 2010 दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2008-2009 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5854/15/11]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो के. वी. थॉमस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० ई०पी०1 (2)/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5855/15/11]

(2) (एक) वॉइस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइॅस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5856/15/11]

(3) (एक) काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टीसेज, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टीसेज, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5857/15/11]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5858/15/11]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा०का०नि० 812(अ)/आ०व०/गन्ना जो 15 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी मौसम 2009-2010 के लिए गन्ने का कारखाना-वार उचित और लाभप्रद मूल्य अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 836(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रत्येक घरेलू चीनी उत्पादक पर चीनी सत्र 2011-2012 के दौरान उत्पादित चीनी पर 10% की दर से उदग्रहण बाध्यता अधिरोपित की गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5859/15/11]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) नॉर्थ-इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5860/15/11]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5861/15/11]

(2) (एक) राजघाट समाधि कमेटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाटा समाधि कमेटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5862/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5863/15/11)

(ख) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5864/15/11]

(4) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5865/15/11]

(5) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगलौर मेट्रो रेल (सामान्य) नियम, 2011 जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 271 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल (यात्रियों के लिए पब्लिक कैरिज खोला जाना) नियम, 2011 जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 272(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बंगलौर मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार अथवा असमर्थता की जांच की प्रक्रिया) नियम, 2011 जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 401(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बंगलौर मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) नियम, 2011 जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 402(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बंगलौर मेट्रो रेल (दुर्घटनाओं और जांच की सूचना) नियम, 2011 जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 403(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) बंगलौर मेट्रो रेल (दावा के लिए प्रक्रिया) नियम, 2011 जो 25 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5866/15/11]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानिमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयुक्तालयों, प्रभागों और रेंजों के कार्यकरण के बारे में मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 25) (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5867/15/11]

(दो) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 22)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5868/15/11]

(तीन) सेना और आयुध निर्माणियों के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 24)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5869/15/11]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5870/15/11]

(ख) (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5871/15/11]

(ग) (एक) स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5872/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5873/15/11]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का०आ० 2592(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित कस्टीमाईज्ड उर्वरकों की 8 श्रेणियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का०आ० 2593(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए आयातित ट्रीपल सुपर फॉस्फेट के विनिर्देशन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5874/15/11]

(4) (एक) दी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फारमर्स राइट्स ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फारमर्स राइट्स ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फारमर्स राइट्स ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5875/15/11]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5876/15/11]

(6) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजीटेवल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजीटेवल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5877/15/11]

(7) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5878/15/11]

(8) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5879/15/11]

(9) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5880/15/11]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जुतआ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय प्रेस परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय प्रेस परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5881/15/11]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5882/15/11]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5883/15/11]

(2) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5884/15/11]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5885/15/11]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5886/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टप्रोन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टप्रोन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5887/15/11]

(4) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5888/15/11]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैब्लिकेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैब्लिकेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5889/15/11]

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी (समूह "ग" पद) भर्ती संशोधन नियम, 2011 जो 17 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 815(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5890/15/11]

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का०आ०2531 (अ) जो 11 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा संस्थापित मामलों को परीक्षण न्यायालयों में, मामले से उत्पन्न अपीलों, पुनरीक्षणों या अन्य विषयों को पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालित करने के लिए श्री विश्व रंजन घोसाल, एडवोकेट को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ता/प्रतिधारण अधिवक्ता, श्री संजय वर्धन, अधिवक्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कनिष्ठ एवं विशेष अधिवक्ता, श्री गौतम नारायण, अधिवक्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5891/15/11]

(दो) का०आ० 2359(अ) जो 13 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा संस्थापित मामलों को परीक्षण न्यायालयों में, मामले से उत्पन्न अपीलों, पुनरीक्षणों या अन्य विषयों को जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालित करने के लिए श्री पी०एन० रैना, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक सह स्थायी अधिवक्ता/प्रतिधारण अधिवक्ता, श्री विजय कुमार गुप्ता, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक, श्री बलदेव सिंह मनहास, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक तथा श्री अनिल भान, अधिवक्ता को माननीय जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (श्रीनगर पीठ) में स्थायी अधिवक्ता/प्रतिधारण अधिवक्ता तथा एनआईए विशेष न्यायालय, श्रीनगर में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5892/15/11]

(तीन) का०आ० 2070(अ) जो 12 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा संस्थापित मामलों को परीक्षण न्यायालयों में, मामले से उत्पन्न अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य विषयों को देश में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालित करने के लिए श्री अहमद खान, वरिष्ठ लोक अभियोजक, एनआईए, श्री एस.के. रामाराव, वरिष्ठ लोक अभियोजक, एनआईए, श्री एस. अब्दुल कादिर कुंजू, लोक अभियोजक, एनआईए तथा श्री अर्जुन अम्बलापट्टा, लोक अभियोजक, एनआईए को "लोक अभियोजकों" के रूप में नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5893/15/11]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5894/15/11]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 19 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2011 को पारित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.01¼ बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 19 दिसम्बर, 2011 को सभा में प्रस्तुत किए गए अपने पांचवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:

1. श्री ए. राजा	15.08.2011 से 08.09.2011 और 21.11.2011 से 22.12.2011
2. श्री मधु कोड़ा	21.11.2011 से 22.12.2011
3. श्री सुरेश कलमाडी	21.11.2011 से 22.12.2011
4. श्रीमती श्रुति चौधरी	22.11.2011 से 22.12.2011

क्या सभा इस बात से सहमत है कि समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदया: अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.01½ बजे

अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) की 124वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: मैं, 15 से 20 अप्रैल, 2011 तक पनामा सिटी (पनामा) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 124वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए *देखिए* संख्या एल.टी. 5895/15/11]

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

12वां और 13वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) भारतीय खाद्य निगम के बारे में 14वीं लोक सभा के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 12वां प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में 15वीं लोक सभा के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह (गुड़गांव): महोदया, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाकघरों का

आधुनिकीकरण' के बारे में 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (2011-12) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हेमानन्द बिसवाल (सुन्दरगढ़): महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) संशोधन विधेयक, 2011'।

(2) 'ख़ान (संशोधन) विधेयक, 2011'।

(3) 'अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011'।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य*

(एक) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) और नई रेल भर्ती नीति के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 11वें और 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा लोकसभा के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को जारी बुलेटिन भाग-II में निहित निर्देश 73ए के अनुसरण में रेल संबंधी स्थायी समिति की 11वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रेल संबंधी स्थायी समिति की 17.8.11 को प्रस्तुत "अनुदानों की मांगे" संबंधी 11वीं रिपोर्ट में 39 सिफारिशें की गई थीं जिनके संबंध में "की गई कार्यवाही" संबंधी टिप्पणों पर समिति को अंग्रेजी संस्करण में 4.11.2011 को तथा हिन्दी संस्करण में 15.11.2011 को उपलब्ध कराए गये।

नई रेल भर्ती नीति के संबंध में समिति की 12वीं रिपोर्ट 30.8.11 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी जिसमें 35 सिफारिशें थीं तथा उन पर की गई कार्यवाही संबंधी नोट समिति को 29.11.11 को अंग्रेजी संस्करण तथा 30.11.11 को हिन्दी उपलब्ध कराए गये संस्करण प्रस्तुत किये गये थे।

रिपोर्ट में सम्मिलित सभी सिफारिशों तथा उनकी कार्यान्वित स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। चूंकि विवरण काफी लंबे हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि उन्हें पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत योजनाओं का वित्तपोषण; 'विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता'; और 'पारेषण एवं वितरण प्रणालियां और नेटवर्क' के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 9वें, 10वें और 14वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्यन की स्थिति*

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा लोकसभा के दिनांक 1सितम्बर, 2004 को जारी बुलेटिन भाग-II में निहित निर्देश 73ए के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 9वीं, 10वीं और 14वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 5896/15/11।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5897/15/11]

9वीं, 10वीं और 14वीं रिर्पोटें क्रमशः विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण, विद्युत क्षेत्र के लिये गैस और कोयले की उपलब्धता और पारेषण एवम् वितरण प्रणालियां और नेटवर्क से संबंधित है। 9वीं रिपोर्ट में 15 सिफारिशें की गई थीं जिनमें से 10 सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 2 सिफारिशों के संबंध में समिति कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। 3 सिफारिशें वित्त मंत्रालय से संबंधित है। 10वीं रिपोर्ट में 8 सिफारिशें हैं जिनमें 7 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं तथा एक सिफारिश को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया है। 14वीं रिपोर्ट में 16 सिफारिशें की गई थी जिनमें से 14 सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं, एक को स्वीकार नहीं किया है तथा एक सिफारिश विचाराधीन है।

उक्त रिपोर्टों में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को संलग्नक मेरे द्वारा दिये गये विवरण में संलग्नक में दर्शाया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं संलग्नक की पूर्ण विषय वस्तु को पढ़कर सभा का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री एस. एम. कृष्णा।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, इससे पहले कि मंत्री जी वक्तव्य दें, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

मैंने गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ इस सदन के विशेषाधिकार के हनन की सूचना दी है। यह सूचना आपके कार्यालय में आज सुबह ही दी गई है।

महोदया, यहां विषय काफी गंभीर है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं यह विषय देखूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: मैं अध्यक्ष जी के आदेशों और अनुदेशों का पालन करूंगा न कि आपके ...*(व्यवधान)* यह क्या है? मंत्री जी सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं इस पर कार्यवाही करूंगी और मैं इस विषय पर वापस आऊंगी।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं सदन में तथा प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। यह आप पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदया: आपने सूचना दी है। मैं इस पर कार्यवाही करूंगी।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं सदन में तथ्य प्रस्तुत करने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं। सदन को यह जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदया: मुझे इस संबंध में सूचना नहीं मिली है। मेरे पास मंत्री के वक्तव्य के संबंध में सूचना है। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। सारे नियम जानते हैं। अब माननीय मंत्री जी वक्तव्य दें। उसके अतिरिक्त कार्य नहीं वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: मुझे आपकी सूचना मिली है और मैंने कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगी किंतु मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है कि आप खड़े हों और सदन में भाषण दें। इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया: आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियमों से भिज्ञ हैं। मंत्री जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) भगवद्गीता पर एक रूसी शहर की अदालत में सुनवाई

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): अध्यक्ष महोदया, मैं, माननीय सदस्यों श्री भर्तृहरि महताब, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद और श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा कल इस सदन में भगवद्गीता पर एक रूसी शहर की अदालत में सुनवाई से संबंधित विषय पर वक्तव्य देना चाहता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, क्या आप इसे सभा पटल पर रखेंगे?

श्री एस. एम. कृष्णा: महोदया, क्या मैं इसे सभा पटल पर रख दूं?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि यह सभा दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत हूं।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

सरकारी विधेयक-*पुरःस्थापित*

(एक) नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर नागरिक चाहिए, उसमें उस समय का, जिसके भीतर विनिर्दिष्ट माल का प्रदान किया जाएगा और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, कथन करते हुए प्रकाशित करने की बाध्यता-अधिकथित करने तथा नागरिक चार्टर के अननुपालन के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:-

"कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर नागरिक चार्टर, उसमें उस समय का, जिसके भीतर विनिर्दिष्ट माल का प्रदाय किया जाएगा और और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, कथन करते हुए प्रकाशित करने की बाध्यता-अधिकथित करने तथा नागरिक चार्टर के अननुपालन के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. नारायणसामी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

(दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में संवर्ग II संस्थान के रूप में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में ज्ञात राष्ट्रीय महत्व की संस्था की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:–

"कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में संवर्ग 2 संस्थान के रूप में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में ज्ञात राष्ट्रीय महत्व की संस्था की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित

या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलासराव देशमुख: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाएगी-श्री अर्जुन राम मेघवाल।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदया, यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ गीता का मामला है। आपकी कुर्सी पर लिखा है—धर्म चक्र प्रवर्तनाय। गीता के उपदेशों पर देश और दुनिया में जो हमारी बेइज्जती हो रही है, उस पर मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने टेबल पर ऐसे ही स्टेटमैन्ट रख दिया ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): वह हाउस में स्टेटमेंट पढ़ना चाह रहे थे।

श्री हरिन पाठक: सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री पवन कुमार बंसल: वह इसीलिए आये थे। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: गीता कोई सामान्य किताब नहीं है। वह हमारा चिंतन है, हमारा दर्शन है, हमारे देश की धरोहर है, वह एक सांस्कृतिक विरासत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: मैंने वक्तव्य देने के लिए कई बार उनका नाम पुकारा था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैंने उन्हें बहुत दफा बुलाया था, उस समय बहुत कोलाहल था, इसीलिए वह ले किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री का वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपके सामने ही सब कुछ हुआ है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह सब आपके सामने हुआ है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: नो, आप बैठ जाइए। जब हम उसे पढ़वा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, बताइये? आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैंने वक्तव्य देने के लिए उनसे कई बार अनुरोध किया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: नो, यह क्रास क्वैश्चनिंग नहीं चलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब चर्चा आगे बढ़ चुकी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं भी गीता पर ही कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप फिर बैठ नहीं रहे हैं। आप शांति बनाइए। जिस समय उन्हें पढ़वा रहे थे, उस समय कोलाहल था तो हमने उन्हें ले करने के लिए कह दिया, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ गये और कालिंग अटैन्शन तक आ गये हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: विशेष मामले के तौर पर मैं माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए फिर से अनुमति देती हूं। लेकिन आप लोग शांति बनाये रखिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसके पश्चात् हम अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा करेंगे।

जी हां, माननीय मंत्री जी इसे फिर से पढ़ सकते हैं।

अपराह्न 12.15 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-*जारी*

(तीन) भगवद्गीता पर एक रूसी शहर की अदालत में सुनवाई

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं रूस के एक नगर के न्यायालय में भगवद् गीता पर होने वाली सुनवाई के संबंध में वक्तव्य देने लिए उपस्थित हुआ हूं। जिसे सम्मानित सदन में कल माननीय श्री भर्तृहरि महताब, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, माननीय श्री शरद यादव जी, माननीय श्री लालू प्रसाद जी और माननीय श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी, माननीय श्री वी. अरुण कुमार और माननीय डा. प्रसन्न कुमार पाटसानी ने उठाया था। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर अपना गहरा शोभ वक्तव्य किया था। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस मुद्दे पर सदन के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं।

माननीय सदस्यों ने रूस के तोमस्क नगर के एक न्यायालय में चल रही सुनवाई के बारे में मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया था कि क्या भगवद् गीता पर रूसी भाषा की टीका 'उग्रवादी' साहित्य की श्रेणी में आती है। मैं इस सम्मानित सदन को इस मामले के तथ्यों की जानकारी देना चाहूंगा।

इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंशसनेस (इस्कॉन) कई दशकों से रूस में कार्यरत हैं। इस्कॉन की संपत्तियों एवं कार्य करने के तरीकों के कारण इसके समक्ष यदा-कदा समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। कतिपय अवसरों पर हमारे दूतावास ने इस्कॉन की ओर से स्थानीय नगर प्राधिकारियों तथा रूसी सरकार के साथ मध्यस्थता भी की है।

इस्कॉन ने हमारे दूतावास को सूचित किया है कि तोम्सक, पूर्वी साइबेरिया स्थित इसकी शाखा में जून, 2011 में एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जो कि सरकारी अभियोजन कार्यालय द्वारा स्थानीय न्यायालय में दायर एक शिकायत के बारे में था। कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा की गयी यह शिकायत स्पष्ट रूप से इस बात से संबंधित है कि इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद द्वारा दिए गए प्रवचनों के अनुवाद "भगवद गीता एज इट इज" प्रकाशन के तीसरे रूसी संस्करण के कुछ भाग "आपत्तिजनक" तथा "उग्रवादी विचारधारा" से संबंधित है।

अगस्त, 2011 में प्रारंभिक कार्यवाही के बाद जिला न्यायालय ने केमेरोवो विश्वविद्यालय (साइबेरिया में) से अपना तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया था, जिसने तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। तोम्सक जिला न्यायालय में अंतिम सुनवाई 19 दिसंबर, 2011 को की जानी थी, परंतु यह मामला 28 दिसंबर, 2011 को सुनवाई के लिए पुनःनिर्धारित किया गया था क्योंकि न्यायालय तोमस्क जिले में मानवाधिकार संबंधी रूसी ओम्बड्स मैन तथा मास्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग के भारत विज्ञानियों, जिन्हें भारत के संबंध में अधिक ज्ञान एवं विशेषज्ञता प्राप्त है, के विचार प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया था।

जून, 2011 में इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से मास्को स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी तथा हमारे राजदूत

इस्कॉन के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं। इस्कॉन के प्रतिनिधियों को यह सलाह दी गयी थी कि इस भ्रामक शिकायत का विरोध करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। हमने रूसी सरकार के साथ वरिष्ठ स्तर पर भी इस मामले को उठाया है। विदेश मंत्रालय इस मुद्द के संबंध में मास्को स्थित अपने दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहा है। यह मामला भारत स्थित रूसी राजदूत, महामहिम श्री अलेक्जेंडर कदाकिन के साथ भी उठाया गया, जो स्वयं भी एक विख्यात भारत विज्ञानी हैं। वास्तव में राजदूत ने इस घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भगवद् गीता भारत तथा विश्व के लोगों के लिए ज्ञान का एक महान स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस एक धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। स्थानीय रूसी न्यायालय में की गयी यह शिकायत किसी अज्ञानी तथा भटके हुए एवं निहित अथवा स्वार्थों से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य प्रतीत होता है। हालांकि, यह शिकायत पूरी तरह निरर्थक है, फिर भी हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है तथा भारतीय दूतावास इस कानूनी मामले का गहन अनुवीक्षण कर रहा है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि भगवद् गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं, बल्कि यह भारतीय चिंतन का एक प्रामाणिक शोधपत्र है तथा इसमें हमारी महान सभ्यता की आत्मा बसती है। गीता किसी अज्ञानी अथवा भटके हुए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले घटिया दुष्प्रचार अथवा हमलों से काफी ऊपर है।

रूस में ही ऐसे अनेक भारत विज्ञानी, विद्वान और विशेषज्ञ हुए हैं, जिन्होंने गीता के सार को आत्मसात किया और सम्मान तथा पवित्र भावना के साथ इस पर लिखा। हम उन भटके हुए लोगों पर ज्यादा ध्यान देकर उन्हें महिमामांडित नहीं करना चाहते, जिन्होंने निरर्थक शिकायत दायर की है। हमें विश्वास है कि हमारे रूसी मित्र, जो हमारे सभ्यतापरक मूल्यों एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझते हैं, इस मसले का उपयुक्त समाधान प्राप्त कर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, आप देखिये तो, यह बहुत गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या गलत है?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: नेता विपक्ष खड़ी होती हैं, आप उनकी तरफ देखती भी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या गलत है?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे एक बात कहनी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, मगर इसमें गलत क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो मंत्री जी का जवाब आया है, मुझे उस पर एक बात कहनी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप नोटिस दे दीजिए। आपको डिस्कशन करना है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हम स्वयं चाहते हैं, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप नोटिस दे दीजिए, हम डिस्कशन करा देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं आभार प्रकट करती हूं कि मंत्री जी ने सबकी भावनाओं को देखते हुए एक वक्तव्य सदन में रखा है और मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करती हूं कि आपने स्पेशल केस के तौर पर मंत्री जी को पढ़ने का एक मौका और हम लोगों को सुनने का एक मौका दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़ी हैं? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे मंत्री जी से केवल एक बात कहनी है। मंत्री जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जिन तथ्यों को आपने स्वीकार किया है, उससे आपका ऑपरेटिव पार्ट मेल नहीं खाता। आपने स्वयं स्वीकार किया है,

[अनुवाद]

कि शिकायत पूर्णतया बेतुकी है।

[हिन्दी]

आपने स्वीकार किया है,

[अनुवाद]

कि यह मामला कुछ अज्ञानी और दिशाहीन अथवा प्रेरित व्यक्तियों का काम प्रतीत होता है।

[हिन्दी]

यह आपने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट में आप कहते हैं,

[अनुवाद]

कि हमें यह विश्वास है कि हमारे रूसी मित्र जो हमारे सभ्य मूल्यों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझते हैं, इस मामले को उचित तरीके से सुलझा लेंगे।

[हिन्दी]

यह ऑपरेटिव पार्ट हमारी भावनाओं से मेल नहीं खाता। जिस शिकायत को आप एब्सर्ड मानते हैं, जिसे आप एक मोटिवेटिड इंडीविजुअल्स का काम मानते हैं, उसमें हम चाहते थे कि सरकार यह कहेगी कि हम इस प्रतिबंध को हटवायेंगे। आप कह रहे हैं कि वी आर कॉनिफडेंट कि रसिया हटा देगा, इससे काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप अपनी ओर से इस पर प्रतिबंध हटवाने का काम कीजिए। यह सदन की भावना थी। ...*(व्यवधान)* मैं आज के दिन इस प्रसंग का लाभ उठाते हुए, आपके माध्यम से यह भी मांग करती हूं कि श्रीमद् भगवद् गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, ताकि कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत न कर सके। आप श्रीमद् भगवद् गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कीजिए और यह प्रतिबंध हटवाइये। केवल यह कॉन्फिडेंस दिखाने से कि वे अपने-आप हटा देंगे, काम नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)* सरकार को प्रो-एक्टिव होने की जरूरत है और प्रो-एक्टिव होकर सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए यह प्रतिबंध हटवाइये। यही मुझे कहना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इसे पार्टी लाइन पर मत ले जाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम पुनः अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर आते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हरसिमरत कौर जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और वह है हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसकी समस्याएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बीच में मत बोलिए। बैठ जाइए। आज सदन उनकी समस्याओं पर बहस करने जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं चाहती हूं कि जब हम सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हों तो कोई गड़बड़ी न हो।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.26 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान

सफाई कर्मचारियों (सीवर क्लीनर) के जीवन का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने तथा उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

> ''सफाई कर्मचारियों (सीवर क्लीनर) के जीवन का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने तथा उनहें स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किये जाने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): अध्यक्ष महोदया, सरकार की सफाई के सीवर जैसा खतरनाक काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मुद्दे को संज्ञान में लिया है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह तबका बहुत गरीब है, वह हिन्दी जानता है। इसलिए कृपया आप हिन्दी में बोलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक: अध्यक्ष महोदया, मैं वक्तव्य हिन्दी में पढ़ूंगा।

[हिन्दी]

1. सरकार को ऐसे सफाई कामगारों के मुद्दे का संज्ञान है जिन्हें सीवर की सफाई का जोखिम भरा कार्य करना पड़ता है।

2. कार्य की स्थिति, नियोक्ता का दायित्व, कामगारों की क्षतिपूर्ति और वृद्दावस्था पेंशन सहित श्रमिक कल्याण संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 24 में शामिल है। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को इन मामलों में कार्रवाई करनी होती है।

3. विशेष रूप से सीवर सफाई कामगारों और सैप्टिक टैंक क्लीनरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफाई कर्मियों के कार्य करने की स्थितियों को विनियमित करने की अभिस्वीकृति आवश्यकता है। सरकार मौजूदा श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन तथा यदि आवश्यक हो तो नया विधान अधिनियमित करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना की जांच कर रही है।

4. आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और दिल्ली नामक 6 राज्यों ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत सीवर तथा सैप्टिक टैंक कामगारों को अधिसूचित कर दिया है तथा इसलिए इन राज्यों में मृत्यु अथवा अक्षम होने की स्थिति में ये कामगार उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मुआवजे के अधिकारी हैं। इस कवरेज को संपूर्ण देश में प्रदान करने के प्रयास किये जाएंगे।

5. यह भी आवश्यक है कि जोखिम भरे सफाई कार्य में लगे कामगारों के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य को मौजूदा श्रमिक कानूनों और अन्य साधनों के जरिये भी हासिल करने के प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग में लाया जाएगा।

6. सरकार ने सफाई कर्मचारियों सहित असंगठित कर्मचारियों जीवन और विकलांगता, स्वस्थ और मातृत्व लाभों और वृद्धावस्था संरक्षण को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने संबंधी योजनाओं के लिए असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा कल्याण योजनाएं तैयार करने की भी व्यवस्था है।

7. असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच का एक यूनिट) के लिए ३० हजार रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के लिए आरएसबीवाई प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के लिए 1.10.2007 को आरंभ की थी। ऐसे कर्मचारी जो बीपीएल श्रेणी में हैं, इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जा रहे हैं।

8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सीवर कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारियों के हितों की मॉनीटरिंग और संरक्षण का कार्य करता है। इसकी सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

9. सरकार विभिन्न उपाय करते हुए, माननीय सदस्यों से इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुमूल्य सुझावों की प्रत्याशा रखती है। सरकार अपना दायित्व पूरी तत्परता से निभाने का प्रयास करती रहेगी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने समाज के सबसे शोषित और वंचित वर्ग के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जो अनुमति दी है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष जी, यह समाज का वह तबका है जिसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी कहा जाता है। लेकिन मैं उसको वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसायटी, सबसे कमजोर तबका कहता हूं। अभी गीता की बात भी आयी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषुकदाचन: यह गीता का उपदेश है। लेकिन जो गटर में काम करने वाले लोग हैं जो सीवर प्रणाली में काम करने वाले लोग हैं, उनको अपने जन्म के आधार पर यह घृणि कार्य करना पड़ता है और उसको काम का वह फल नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए। हालांकि गीता में कहा गया कि फल की इच्छा मत करो। वह फल की इच्छा नहीं करता लेकिन सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए थी। मैं एक घटनाक्रम के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने इन वर्गों की चिंता नहीं की। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है "वी द पीपुल ऑफ इंडिया", "हम भारत के लोग"। अभी अन्ना जी और अन्ना टीम के लोगों ने इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में खूब कहा, मीडिया में भी आया कि हम भारत के लोग हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की परिकल्पना इस प्रस्तावना में की गयी है। संविधान की प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि इस परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता का उल्लेख किया गया है। इस प्रस्तावना में बहुत-सी चीजों का उल्लेख है। इसमें बहुत पूर्ण बातें कही गयी हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं में अपूर्णता नजर आती है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद पन्द्रह में यह साफ-साफ कहा गया है कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद सत्रह में छूआछूत को समाप्त किया गया और उसके बाद सरकार ने दो कानून बनाए—नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989। लेकिन फिर भी मैडम स्पीकर, यह सुनने में आता है कि दलितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार जारी है। सरकार भी नहीं चेती और न ही सरकार गम्भीर हुई।

एक दिल्ली जल बोर्ड का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में गया। वर्ष 2005 और 2006 में सेन्टर फोर एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन ने सीवर सफाई मजदूरों के काम करने के हालात, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी। उसी सर्वेक्षण के आधार पर नेसनल कैम्पेन फोर डिग्निटी एण्ड राइट्स ऑफ सीवरेज एण्ड एलाइड वर्कर्स...*(व्यवधान)* दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। इसमें दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि ये ठेकेदारों के मजदूर हैं, हमारे नहीं। इसमें जो फैसला आया, उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा कि चाहे मजदूर ठेकेदारों के क्यों न हों, आपको इन्हें मुआवजा देना पड़ेगा और न्यायालय ने मुआवजा राशि तय कर दी। मैं आपके माध्यम से इस पूरे तंत्र को यह कहकर झकझोरना चाहता हूं कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो फिर दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने क्यों गया? उन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दिया? यह कैसा तंत्र है? यह कौन सी संवेदनशीलता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और फिर उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि मुआवजा देना दिल्ली जल बोर्ड का काम नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की इसी टिप्पणी का, ये दिल्ली जल बोर्ड के कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने फाइल चलाई होगी, किसी प्रोसिक्युशन विंग की टिप्पणी भी ली होगी, विधि विभाग में भी मामला गया होगा। क्या इतनी संवेदनशीलता सरकार को पता नहीं है। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह बहुत खतरनाक थी। जब बहस हो रही थी तो उस समय भी कुछ वकीलों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल करने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने इतने एक्ट बना दिए। अभी मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे कि हम इस विषय को कंकरेंट लिस्ट में ले आए हैं। 24 नम्बर पर ले आए हैं। सरकारों को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई। वकीलों, दिल्ली जल बोर्ड और सरकार को भी चेताया। उन्होंने जो कहा, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह किस तरह का सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं, उनमें क्या संवेदनशीलता नहीं हैं। जो गरीब होने के कारण मजबूरी में विकट परिस्थितियों में ऐसे कठिन काम करते हैं। एक तरफ पुलिस मुठभेड़ में मारे गये लोगों को मुआवजा देती है और जो काम करते हैं, इस देश की सफाई करते हैं, उनको मुआवजा देने के लिए इनकार करती है। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जब सरकारें ऐसे संवेदनशील इश्यू पर भी नहीं चेतेंगी तो हम हस्तक्षेप करते रहेंगे। ये डिबेट चली, मीडिया में भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दखल अंदाजी

कैसे की? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संवेदनशील है या नहीं?

मंत्री जी अभी 1993 का जिक्र कर रहे थे, जब मैंने इस प्रश्न को उठाया। मैं एक अन्य चीज भी कहना चाहता हूं, हम इसे पिछले मानसून सत्र में लाए तो यह कहा गया कि यह शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। अब जब हम इसे लाए तो ये कह रहे हैं कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। मेरा प्रस्ताव भी ठोकरें खाते-खाते दो मंत्रालयों में अटक रहा है, तो सीवरेज कर्मचारियों की जो मुआवजे की राशि है, पता नहीं ये कितने मंत्रालयों में अटका रहा होगा, उसे कितनी ठोकरें खानी पड़ती होंगी। सरकार के मंत्रालयों में कोआर्डीनेशनल नहीं है, जिसके कारण यह समस्या पैदा हुई है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1993 में शहरी विकास मंत्रालय ने एक मैनुअल तैयार किया, जिसका नाम है—

[अनुवाद]

मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज प्लांट्स-शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, 1993 जिसमें सफाई कर्मचारियों के लिये सीवरेज प्रबंधन की देखरेख तथा उनके लिये विभिन्न एतियाती उपाय और सुरक्षा उपकरणों के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

[हिन्दी]

1993 में ये मैनुअल इन्होंने प्रकाशित किया। अब तक सरकार क्या कर रही थी? क्या इस मेनुअल के बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों फटकार खाई और फटकार खाने के बाद भी, मैं आपको एक अन्य चीज बताना चाहता हूं, हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर इन्होंने कहा कि कैसे करेंगे, यह होगा या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर इन्होंने कहा कि कैसे करेंगे, यह होगा या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर इन्होंने एक कमेटी बना दी। मंत्री जी को पता नहीं जानकारी है या नहीं, इस कमेटी की अभी तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। उसमें एक रिटायर्ड आईएस ऑफिसर आता है, जो इसकी अध्यक्षता करता है। वह प्रत्येक मीटिंग का पांच हजार रुपये लेता है। गरीब को मुआवजा नहीं देते हैं और उसे पांच हजार रुपये प्रत्येक मीटिंग का दे रहे हैं और सीवरेज कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति तय नहीं कर रहे। यह कैसी सरकार है, यह बात समझ में नहीं आती है?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी सदन ने 1993 में एक कानून पास किया था, भारत सरकार ने कानून बनाया। जिसके तहत यह कहा गया कि हाथ से मैला ढोने और हाथ से मानव मल-मूत्र की सफाई करने की कुप्रथा को समाप्त किया जाता है। इसी संस्था ने यह सर्वे किया, अभी मैं इसी का जिक्र कर रहा था। सेंटर फार एडूकेशन एंड कम्यूनिकेशन, सीवर सफाई पर सर्वे किया। उन्होंने यह माना कि अभी भी देश में 13 लाख लोग, खासकर उसमें महिलाएं और दलित हैं। अभी भी वे मानव मल-मूत्र की सफाई करते हैं और अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। सरकार के आंकड़े खुद कहते हैं कि 13 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं तो क्या मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे, तब यह बताएंगे कि आपने एक हलफनामा उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था और राज्यों की सरकारों को, चीफ सैक्रेटरीज से कहा था कि कह दीजिए कि हमारे यहां यह प्रथा बन्द हो गई है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, हमारे आगरा से एक सांसद रमाशंकर जी आते हैं, उन्होंने भी यह विषय उठाते हुए कहा था कि आगरा में अभी भी मैला उठाने की प्रथा है, यह कुप्रथा चल रही है, हाथ से सफाई हो रही है। एक प्रश्न के जवाब में जो रेल मंत्रालय से संबंधित प्रश्न था, उसमें एक जवाब मंत्री जी ने माना कि हां, मैं मानता हूं कि रेलवे में अभी भी हाथ से मल-मूत्र की सफाई होती है।

अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि जब आपने 1993 में कानून बना दिया, 1993 में एक मैनुअल बना दिया तो सरकार अभी तक चेती क्यों नहीं? सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, यह भी पता नहीं चल रहा है? क्या सफाई कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है? मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, मुझे यह पीड़ा क्यों हुई, मैंने यह इश्यू क्यों उठाया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वह रेगिस्तानी इलाका है। हमारे यहां कुछ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण शहरों में, छोटे शहरों में और गांवों में एक कुई खोदते हैं। हमारे राजस्थान के लोग जानते होंगे, जो यहां बैठे हैं, वे कुई खोदते हैं। ...*(व्यवधान)* हमारे साथी हैं, बहुत बढ़िया है। कुई खोदते-खोदते कभी-कभी वह कुई ढह जाती है तो वह जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसकी मौत हो जाती है। मेरे सामने भी ऐसा एक केस आया। उन्होंने कहा कि यह सीवरेज सिस्टम में काम करता है, कुई खोद रहा था, इसकी डैथ हो गई, इसको कुछ मुआवजा दिया जाये। मैंने जिला कलैक्टर से बात की, मैंने विकास अधिकारी से बात की तो मुझे क्या जवाब मिला। मुझे यह जवाब मिला कि ये गैर-कानूनी काम कर रहे थे, यह सरकारी जवाब है कि ये गैर-कानूनी काम कर रहे थे। मैंने उन मजदूरों से पूछा कि क्या गैर-कानूनी काम था? आप क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा

कि हमें तो इस मालिक ने कहा था कि आप एक कुई खोद दो, जिससे मेरे घर का जो कचरा है, मल-मूत्र है, वह इसमें समा जाये, जो 8-10 साल में भर जायेगा तो फिर एक दूसरी कुई खोद लेंगे। अब सीवरेज सिस्टम तो गांवों में है नहीं, छोटे-छोटे कस्बों में भी नहीं है। उसका मकान मालिक अपने घर में सफाई रखने के लिए देखता है और एक कुई खुदवा लेता है और जब वह कुई खुदवाता है और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वह असंगठित क्षेत्र का मजदूर होता है या तो वह बाल्मीकि समाज का होता है या वह इतना भूखा होता है कि उसको पेट पालने के लिए इस काम को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर उसको सरकार यह कहती है कि आप गैर-कानूनी काम कर रहे थे। मुझे तो उस जवाब पर शर्म आती है कि कैसे उन्होंने कह दिया कि गैरकानूनी काम कर रहे थे और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

अभी मंत्री जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर रहे थे। उसकी भी मैंने उनसे बात की, बोले कि यह उन पर लागू नहीं है, फिर वह किस पर लागू है? बोले, यह उन पर लागू नहीं है और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला, इसलिए मुझे पीड़ा हुई और मैंने कई बार अध्यक्ष जी आपसे व्यक्तिगत सम्पर्क करके कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय को इस ऑगस्ट हाउस में उठाने की मुझे अनुमति दी। मेरे सब साथी भी इस समय गम्भीर होकर सुन रहे हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हाईकोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार क्या कह रही है कि हमने इसको समवर्ती सूची की एण्ट्री 24 में डाल दिया है। मंत्री जी, उसको एण्ट्री नं. 24 में डालने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, जो गटर में काम करते हैं, उनको सेफ्टी के उपकरण उपलब्ध कराने पड़ेंगे, उनको ऑक्सीजन मास्क देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप ये उपकरण क्यों नहीं दे रहे हो तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कहा कि उपकरण देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है तो फिर कौन से आदमी के लिए आपके पास बजट है? यह सरकार आम आदमी की बात करती है, आम आदमी के नाम पर सत्ता में आती है और फिर आम आदमी को ही नकारने का काम करती है, यह ठीक नहीं है। यह बात केवल राजस्थान की नहीं है, देश भर की पालिसी बनाने की बात है, जो घरों की सफाई करते हैं, जो पूरे देश में सफाई करते हैं, जो मजबूरी में ऐसा घृणित कार्य करते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम नागरिकों की डिगनिटी को ध्यान में रखेंगे, उनकी बंधुता को बढ़ायेंगे, सामाजिक न्याय देंगे। उनको अब तक क्यों सामाजिक न्याय नहीं दिया जा रहा है? महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं सुझाव दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: आप इधर संबोधित करिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदया, मैं सुझाव पर आ रहा हूं। मैंने जैसा बताया कि सर्वे में करीब तेरह लाख इनकी संख्या है, हो सकता है कि इनकी संख्या ज्यादा हो, पहला तो मेरा यही सुझाव है कि सरकार एक प्रॉपर सर्वेक्षण कराए कि कितना आंकड़ा है, जो अभी भी हाथ से सफाई का काम करते हैं? यह आंकड़ा सही होना चाहिए। यह बीपीएल की लिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए, इस पर कमेटी पर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप नगरपालिकाओं से सूची ले सकते हैं, जो इस सेक्टर में काम करने वाले एनजीओज हैं, उनसे सूची ले सकते हैं, चाहें तो आप मेंबर आफ पार्लियामेंट से भी सूची ले सकते हैं, अगर आपके पास बजट की कमी है तो हम आपको सर्वे करके दे सकते हैं, क्योंकि इस परोपकार के कार्य के लिए अपनी सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। हम सरकार को सर्वे करके दे सकते हैं कि कितने सफाई कर्मचारी हैं, जो अभी हाथ से मैला ढोते हैं। एक तो इनका सर्वेक्षण प्रापर हो, कोई तेरह लाख कह रहे हैं, कोई बीस लाख कह रहे हैं, कोई तीस लाख कह रहे हैं, ये कितने लोग हैं? उनके लिए एक पॉलिसी बने। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के बारे में कह दिया कि उसका लाभ लो, ऐसा नहीं, इनके लिए अलग से एक पॉलिसी बननी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने काफी चीजें रिकमेंड की हैं, मंत्री जी को जानकारी भी होगी, लेकिन अगर जानकारी नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इनको सुरक्षा कवच चाहिए, जो सीवरेज में काम करने वाला आदमी है। जैसे ही आपने इस चर्चा की मंजूरी दी, दिल्ली में मैंने जाकर भी देखा। मैंने एक मजदूर से पूछा कि आप कैसे काम करते हो? उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह के यंत्र या उपकरण नहीं मिलते हैं। हम जैसे ही गटर में घुसते हैं, तो शरीर पर सरसों का तेल लगा लेते हैं। मैंने पूछा कि बस इतना ही समान है। वह बोला कि कच्छा, बनियान पहने हुए शरीर पर सरसों का तेल लगाकर अंदर घुस जाते हैं। वहां जहरीली गैसें होती हैं। कई बार मजदूर गैसों के कारण मर जाता है। सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि अस्सी परसेंट सीवर कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु से पहले ही मर जाते हैं। अध्यक्ष जी, यह कितना गम्भीर मामला है कि उनकी रिटायरमेंट की आयु साठ वर्ष होती है, लेकिन कोई 45 या 50 वर्ष की आयु में मर जाता है। ये एक्सीडेंट से मरने वाले नहीं हैं, एक्सीडेंट से मरने वाले अलग हैं। एक्सीडेंट से मरने वालों पर ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि जल बोर्ड ने मना किया था, उसने कहा था कि हम मुआवजा नहीं

दे सकते हैं, वह संख्या तो तीस है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संख्या दिल्ली में तीस नहीं साठ है। बड़े शहरों में इनकी संख्या हजारों में होगी। मैं जो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं उनके बारे में कह रहा हूं, जो गैस के कारण मर जाते हैं। जो अंदर गए, उनके एक ऐसी स्किन डिसीज हो गयी, उसके बाद उनके घर वाले भी उसके नजदीक नहीं आते हैं कि तुम्हें तो बीमारी हो गयी, वे तो ऐसे ही मर जाते हैं। वह जो संख्या है, वह कितनी है, इसकी जानकारी भी ली जाए। उनके लिए अलग से एक योजना लायी जाए।

दूसरा, इनके जितने भी सुरक्षा कवच हैं, चाहे ऑक्सीजन का मास्क हो या दूसरे उपकरण हों, अभी मैं उनके पास देखकर आया कि एक फावड़ा है, एक रस्सी है और एक सरसों के तेल की शीशी उनके पास है, बस इतना लगाकर वे अंदर घुस जाते हैं। ...*(व्यवधान)* उनके पैर में जूते भी नहीं हैं। हैंड ग्लोब्ज नहीं हैं, पैर में न जूते हैं, न आक्सीनन मास्क है, जितने भी सुरक्षा उपकरणों की जरूरत हैं, ये उनको मिलने चाहिए। हांगकांग में एक संस्था है, वह अच्छा काम कर रही है। हांगकांग में सिवरेज सिस्टम बहुत बढ़िया हैं। उसका अध्ययन भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? उसका अध्ययन मंत्री जी क्यों नहीं कर सकते हैं? विकसित देशों में सीवरेज में मैकेनिकल सिस्टम लागू हो गया है। मेरा दूसरा सुझाव है कि क्या आप इनको हाथ से काम करने देंगे या इनका सिस्टम मैकेनिकल करेंगे? क्योंकि जब तक आप इनको मैकेनिकल उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक यह प्रथा समाप्त नहीं होगी। जो संस्था है उसको भी कम्पलशन करिए कि वे भी मैकेनिकल उपकरण से ही काम कराएंगे, वह चाहे कोई ठेकेदार हो या जल बोर्ड हो। मेरा अगला सुझाव है कि इनका बीमा कवर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, काफी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके लिए अलग बीमा योजना हो। वे कितना घृणित कार्य करते हैं तो क्या इनके लिए आप एक अलग बीमा योजना नहीं ला सकते हैं? आपने इसे एमाउण्ट के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बीपीएल होना चाहिए। मंत्री जी जवाब देंगे तो बताएंगे। यह काम करने वाले कई लोगों का नाम बीपीएल की सूची में नहीं होता है। ये काम तो ऐसा करते हैं लेकिन बीपीएल सूची सही नहीं बनती है। इसलिए वे बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे बीपीएल नहीं होते तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उन्हें लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे फैसले में यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक तो हंगर लिस्ट होनी चाहिए और एक बीपीएल लिस्ट होनी चाहिए। इस देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लो। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इनके लिए अलग से बीमा योजना लागू होनी चाहिए। इनके लिए अलग से आवास योजना लागू होनी चाहिए। अभी मैं दिल्ली की एक बस्ती में गया तो देखा कि एक टप्पर सा लगा हुआ है उसमें ये लोग रह रहे हैं। उनके रहने के लिए कोई मकान ही नहीं है। उनके लिए अलग से मकान, अलग से बीमा योजना और जितना भी सुरक्षा कवच है, सभी दी जानी चाहिए। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वह साधारण काम नहीं है। एक शायर ने इनके बारे में लिखा है। वह मैं पढ़कर सुनाता चाहता हूं कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है। वाल्मिकी समाज के लोग हों या ठेकेदारों के माध्यम से जिन को भूख लगती है, व भूख मिटने का और कोई साधन नहीं है जो इस काम में लग जाते हैं असंगठित क्षेत्र उनके लिए शायर ने लिखा है कि इन्होंने हर गम को खुशी में ढाला है, इसका अंदाजा ही निराला है। लोग जिन हादसों में डरते हैं, इनको उन हादसों ने पाला है।

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने इनकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन में प्रकरण भेज दिया है। मैडम, प्लानिंग कमीशन से लोगों का भरोसा अब उठ रहा है। वह 24 रुपये और 32 रुपये की बातें करते हैं। आप इनकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन में मत भेजो। एक छोटी कमेटी बना कर, इसे मैकेनिकल करने का वादा सरकार करे। तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जेनएनयूआरएस एक योजना है। क्या इस काम को आप जेएनएनयूआरएम से नहीं जोड़ सकते हैं? यह शहरों के सिवरेज प्रणाली से संबंधित है। अभी तक इसको आपने जेएनएनयूआरएम से जोड़ा नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार इसे जेएनएनयूआरएम से जोड़े और अगर जल बोर्ड या किसी के पास बजट कम है तो बजट उपलब्ध कराए। इन्हें बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जोड़ने के साथ-साथ रेलवे में भी हाथ से मैला ढोने की जो परम्परा है उसे भी समाप्त करें। मैं मानता हूं कि यह सरकार के लिए चुनौती है लेकिन दुष्यंत कुमार जी ने ठीक कहा है कि यह पीर, हो गई है पीर पर्वत-सी अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: बहुत अच्छा। अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: आग मेरे सीने में न सही, आप के सीने में सही। जहां कहीं भी हो आग, आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि कॉलिंग अटेन्शन ला कर सरकार को खींचू। मेरा यह मकसद हो भी सकता है लेकिन मेरी कोशिश है कि सिवरेज कर्मचारियों की सूरत बदलनी चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: आपका नाम बैलेट में नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैंने पिछली बार भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदया: ऐज ए स्पेशल केस, आप एक सवाल पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पिछली बार यह ध्यानाकर्षण मेरे नाम से आया था, लेकिन आखिरी वक्त पर चूंकि संसद का सत्र समाप्त हो रहा था इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अर्जुन मेघवाल जी ने जो बातें उठाई हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि इन लोगों की संख्या लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय को सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्रालय से ही नहीं, बल्कि शहरी विकास मंत्रालय और जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के साथ भी जोड़ना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि नगर पालिकाओं, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जो टाउन एरियाज हैं, उनसे भी ये लोग सम्बद्ध रखते हैं। चाहे गटर हो, सुक्ता हो या गड्ढे हों, ये लोग बड़ा जोखिम भरा काम करते हैं और समाज से बहुत उपेक्षित रहते हैं। यहां तक कि इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, छुआछूत भी मानते हैं। इस संबंध में मेरे मन में दर्द और पीड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग गांवों में बस्ती के किनारे, उत्तरी क्षेत्र में झोंपड़ी या मकान बनाकर रहते हैं। इन्हें हैंडपम्प पर पानी नहीं पीने दिया जाता है। जब पूरा गांव पानी भर लेता है, तब वह बेचारा अंतिम छोर का व्यक्ति, वाल्मीकि समाज का हरिजन आकर वहां से पानी भरता है। यह स्थिति आज है और यह इनकी दुर्दशा है। जब ये लोग पानी भर लेते हैं, तो उस हैंडपम्प को धोया जाता है, तब दूसरे लोग पानी पीते हैं। हमारे माननीय नेता जी कहते हैं कि अगर कोई चीज ये लोग छू भी लें तो उसे सोना डालकर, पानी डालकर शुद्ध करके इस्तेमाल करते हैं। इतना उपेक्षित और घृणित समाज इन्हें समझा जाता है। इनके बच्चों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार और आवास की समस्या बहुत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही जानना चाहूंगा कि इन्हें सुरक्षा कवच मुहैया कराया जाए।

यह बात भी सत्य है कि हममें से कई लोग गांव या शहरों में जब गटर में इन्हें जाना होता है, तो इन्हें शराब पिला दी जाती है और फिर इन्हें गटर में सफाई के लिए उतारा जाता है। यह बात अर्जुन मेघवाल जी ने नहीं बताई, मैं बता रहा हूं। हम लोग जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ी सी शराब पिलाकर उन्हें गटर में उतारते हैं, जहां पर उन्हें होश-ओ-हवास नहीं रहता और कई बार तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए सरकार अलग से एक कारगर नीति बनाए और विशेष बीमा योजना के तहत इन्हें शामिल करके इनके स्तर को सुधारने की बात माननीय मंत्री करेंगे, इतना ही मैं कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, यह कोई प्रश्न काल नहीं है।

श्री मुकुल वासनिक: अध्यक्ष महोदया, मैं अर्जुन मेघवाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव सदन में रखा और जिसकी आपने अनुमति दी। इसी कारण आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा होना सम्भव हो पाया है। जिस भावना से, जिस पीड़ा से, जिस दर्द से माननीय सदस्य अर्जुन मेघवाल जी ने सारी परिस्थितियों का वर्णन किया, मैं उनकी बात से अपने आपको जोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा का असर इस तरह से हो कि सफाई कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर होने में इस चर्चा का लाभ निश्चित तौर से मिल पाए।

सिर पर मैला ढोने के संदर्भ में यहां पर चर्चा हुई। यह कहा गया और जानकारी इस तरह की भी है कि देश में करीब 13 लाख लोग सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों से जो जानकारी केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1,16,000 के करीब इनकी संख्या है। ...*(व्यवधान)* आप कृपया सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि यहां पर किसी भी तरह से सरकार या विपक्ष में ऐसे विषय पर चर्चा न हो तो बेहतर होगा। जिस भावना से यहां सिर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों की स्थिति पर बात हुई है, उस भावना से मैं भी अपने आपको अलग नहीं रखता, हमारी भी वही भावना है। इसलिए प्रदेश सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,16,000 के करीब ऐसे व्यक्ति थे जो सिर पर मैला ढोने का काम किया करते थे।

अपराह्न 1.00 बजे

केन्द्र सरकार की एक योजना उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए शुरू की गयी और राज्य सरकारों के माध्यम से

जहां पर उन्होंने कुछ स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज नियुक्त कीं, उन एजेंसीज के जरिये सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया गया। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीय स्पीकर महोदया कि जब आप इसी मंत्रालय में मंत्री की हैसियत से जिम्मेदारी संभालती थीं। तो जितनी जिम्मेदारी से आपने इस काम को संभाला, उससे मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए बहुत गति प्राप्त हुई और पूरे कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का काम हुआ। *...(व्यवधान)* राज्य सरकारों से समय-समय पर हमें जो आंकड़े आते गये, वे बड़े विचित्र स्वरूप के थे, अगर मैं यह कहूं तो वह गलत नहीं होगा। हर महीने-दो महीने में जो जानकारी आती थी आंकड़े कम होते थे, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई लापता है, कहीं कोई नाबालिग है या कहीं पर कोई डिफाल्टर है, इसीलिए इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं, यह राज्य सरकारों से बात आने लगी। हमने राज्य सरकारों से कहा कि आप हमें आंकड़े मत दीजिए, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरे विचार से यह काफी महत्वपूर्ण विषय है, हमें इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक: हमने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया कि कृपया आप आंकड़े मत दीजिए, सूची दीजिए, यह बताएं कि कौन सा व्यक्ति मर गया, कौन सा लापता है, कौन सा नाबालिग है, कौन सा डिफाल्टर है? वह सूची मंत्रालय में प्राप्त हुई है, मंत्रालय की वैबसाइट पर है, पूरे प्रदेश के विभागों के वैबसाइट पर है, मैं समझता हूं कि उसे भी देखने की आवश्यकता होगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद और करीब 80 हजार लोगों के पुनर्वास का कार्यक्रम चल पाया तथा अन्य दूसरे लोग इस श्रेणी में नहीं आते, यह राज्य सरकार की जानकारी थी। मार्च 31, 2010 को सारे प्रांतों की सरकारों ने यह कहा कि अब किसी के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। माननीय अर्जुन मेघवाल जी कहते हैं कि कहीं-कहीं आंकड़े 13 लाख तक के भी बताए जाते हैं। नेशनल एडवाइजरी कौंसिल में इस संदर्भ में चर्चा हुई, यूपीए चेयर-पर्सन माननीय सोनिया गांधी जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा। गरिमा नाम का एक एनजीओ है जो मैला ढोने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए काम करता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम का एक दूसरा संगठन है जो इन वर्गों के हितों के लिए काम करता है। उन्होंने भी हमें जानकारी और सूची दी कि इन राज्यों में, इन जिलों में यह व्यक्ति है, उसकी यह तस्वीर है जो आज भी मैला ढोने का काम करता है। हमने 24 घंटे के भीतर प्रदेश की सरकारों को यह जानकारी भेजी कि यह आज हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, कृपया इसकी तहकीकात कीजिए और वास्तविकता क्या है, वह हमारे पास भेजिए।

सर्वे की बात माननीय मेघवाल जी ने कही। नया सर्वे ऐसी स्थिति में जहां प्रदेश की कोई सरकार यह नहीं मानती कि आज भी पुनर्वास की आवश्यकता है, हमने फिर एक सर्वे कराने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में वह सर्वे शुरू होगा। लोकल बॉडीज इसमें शामिल की जाएंगी और जहां-जहां लोक प्रतिनिधियों को इसमें शामिल होना है, एनजीओज को शामिल होना है, उन्हें भी शामिल किया जाएगा ताकि सर्वे आये कि हमारे सामने वास्तविकता रहे कि कितने लोग आज भी हैं जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है।

हमारे दूसरे साथी माननीय शैलेन्द्र कुमार जी ने कहा कि सीवर में काम करते वक्त, गटर में काम करते वक्त इन कर्मचारियों को शराब पिलाई जाती है क्योंकि बगैर शराब पीये कोई ऐसे गंदे काम करने के लिए कोई खुद को नहीं डाल सकता है। ऐसी काम की परिस्थितियां, जिससे काम के संदर्भ में होने वाली परेशानियां, उनकी आयु घटने की स्थिति, ये सारी परिस्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हम इन सभी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आज आवश्यकता है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे। अगर लोकल बॉडीज के अधीन ये कर्मचारी हैं तो लोकल बॉडीज को उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। जहां राज्य सरकार के अधीन हैं। वहां राज्य सरकार को करना होगा। जहां केन्द्र सरकार के अधीन हैं, वहां केन्द्र सरकार को करना होगा। मैंने शुरू के अपने वक्तव्य में यह बात कही थी कि इम्पलाईज कम्पनसैशन एक्ट को छः प्रांतों में इन कर्मचारियों के लिए लागू करने का काम हुआ, अन्य प्रांतों ने नहीं किया। मैंने मल्लिकार्जुन खरगे जी से अनुरोध किया है, क्योंकि यह कानून उनके दायरे में आता है, कि सिर्फ छः प्रान्तों में ही क्यों? क्यों नहीं अन्य प्रांतों में भी इसे लागू किया जाता है? दूसरे प्रांतों में भी यदि लागू किया जाएगा तो जो स्टैच्यूटरी बैनीफिट्स इम्पलाईज कम्पनेसैशन एक्ट के तहत प्राप्त होते हैं, अन्य कर्मचारियों को, इन कर्मचारियों को भी वे प्राप्त होंगे, यह हमें करना होगा और हमें प्रदेश की सरकारों को बताना होगा।

स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कहा गया है कि जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, उनको ही इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त होता है, अन्य दूसरों को नहीं होता है। ये भी एक प्रस्ताव आज मल्लिकार्जुन खरगे जी के पास है कि सभी सफाई कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जोड़ा जाए। उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसकी जानकारी मुझे भी है। ...*(व्यवधान)* वह सुझाव आज की चर्चा में आया है, उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन जो आज हो रहा है, उसके बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम यह मानते हैं, सामाजिक न्याय की यहां पर बात हुई, बुनियादी मानवीय अधिकारों की जहां पर रक्षा होती है, वैसी स्थिति में हम कह पाएंगे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। सम्मान से जीवित रहने का अधिकार की अगर हम रक्षा कर पाएंगे तो हम कह पाएंगे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग अगर सम्मान से नहीं जी पाता है, उसको यह अधिकार हम मूर्त रूप से नहीं दे पाते हैं तो फिर हम उसके प्रति सामाजिक न्याय नहीं करते हैं। संविधान में यह अधिकार है, लेकिन वास्तविकता में अगर यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो हमें ध्यान देना होगा।

यहां प्रोटैक्शन ऑफ सिविल राइट्स, 1955 के कानून की बात हुई। शेडयूल्ड कॉस्ट एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स प्रिवैंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 की बात हुई। ऐसा क्यों होता है कि आज के हिन्दुस्तान में भी 30-35 हजार घटनाएं इन कानूनों के बावजूद हर साल दर्ज होती हैं। इस तरह की सामाजिक परिस्थितियों को बदलने का काम जो लीक प्रतिनिधि इस सदन में आते हैं, अगर इस काम में लग जाएंगे, केवल सरकार काम करने से ही नहीं हो सकता है, इसके लिए समाज को और अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी।

कई सारे सुझाव चर्चा में आए हैं, उन तमाम बातों में जाना सम्भव नहीं होगा, लेकिन सैनिटेशन के संदर्भ में जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय में टोटल सैनिटेशन स्कीम चली है, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलीविएशन मिनिस्टरी के तहत जो लो कास्ट सैनिटेशन प्रोग्राम चला है, उसका भी असर यह प्रथा समाप्त करने की दृष्टि से निश्चित तौर पर होगा। रेलवेज के संदर्भ में भी यहां उल्लेख किया गया है। रेलवे से भी हम लगातार इस विषय पर बात कर रहे हैं और जो सर्वे मैनुअल स्कैवेजिंग के संदर्भ में किया जाएगा, अगर रेलवे में भी कहीं होता है, तो उसका भी सर्वे इसमें अंतरभूत किया गया है।

माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिए हैं, कहीं वे लेबर मिनिस्टरी से संबंधित हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अगर अर्बन डवलपमेंट या हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिविएशन से संबंधित हैं, तो उनसे बात करेंगे और अगर कहीं प्रदेश की सरकारों से संबंधित है, तो उनसे भी बात करेंगे। मैं श्री अर्जुन मेघवाल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत पीड़ा से, बहुत जिम्मेदारी से आपने यहां इस विषय पर चर्चा कराई है, मैं समझता हूं कि इसका लाभ निश्चित तौर पर हमें होगा।

अध्यक्ष महोदया: बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूं कि जिस तल्लीनता और संवेदना से सदन में सभी सदस्यों ने इस चर्चा को सुना है और जिस प्रकार से चर्चा की गई है, समाज का जो सबसे दलित व्यक्ति है, दबा हुआ है, उसकी पीड़ा को उजागर किया गया है। उससे मैं समझती हूं इससे सदन का वैभव और बढ़ गया है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप नोटिस दीजिए।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* एल. टी. 5899/15/11]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब शून्य काल आरम्भ होता है। श्री एच. डी. देवेगौड़ा।

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं, सरकार का ध्यान भूमि अर्जन विधेयक जिसका वादा यह सदन और स्वयं सदन के नेता ने किया था, की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसा इसलिये है क्योंकि इस संबंध में बहुत से कानून हैं। भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों के लिये केन्द्र सरकार के अपने कानून हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 01.11 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, जो बाहर जा रहे हैं वे कृपया रास्ते में बात न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: किसानों को कम मुआवजा देना तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर उनसे अतिरिक्त भूमि ले लेना किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मेरे वरिष्ठ साथी श्री

कृष्णा जी यहां बैठे हैं। बैंगलोर मैसूर इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरीडोर परियोजना के लिये 1,70,000 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। मुझे नहीं मालूम कि यह आपकी जानकारी में है या नहीं। केवल 18,000 एकड़ या 18,800 एकड़ की आवश्यकता है किंतु दुर्भाग्यवश आरंभिक अधिसूचना में 1,70,000 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। आज परियोजना प्रवर्तक द्वारा इसका दुरूपयोग किया जा रहा है। जिस दिन स्थगत प्रस्ताव से संबंधित विषय को उठाया गया था उस दिन भी मैंने यह मुद्दा उठाया था। उस दिन मैं पिछली सीट पर बैठा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कार्य किस तरह से किया जा रहा है; आरंभिक अधिसूचना में 1,70,000 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया शिष्टाचार बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौडा: उन्होंने पहले ही दस रुपये का संयुक्त विकास समझौता कर लिया है कृष्णा जी, 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की भूमि प्रति वर्ष 10 रुपये प्रति एकड़ लीज़ बेसिज पर दी गई है। दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी यहां है, खड़गे जी उपस्थित हैं। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। पिछले सत्र में भी सदन के नेता श्री प्रणव मुखर्जी ने भूमि अर्जन विधेयक प्रस्तुत करने का वादा किया था। किंतु इस सत्र में भी ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं सुनी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक व्यापक भूमि अर्जन विधेयक लाने में रूचि रखती है। हम सरकार की राय जानना चाहते हैं क्योंकि आप यमुना एक्सप्रेस वे के किसानों को संरक्षण देने जा रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह जी वहां गये थे; उन्होंने विरोध किया और वे जेल चले गये। हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी भी वहां गये और उन्होंने विरोध किया। किंतु कर्नाटक में इसकी चिंता किसी को नहीं। अध्यक्ष पीठ का सम्मान करते हुए, मैं यह निवेदन करता हूं कि कम से कम हमारे वरिष्ठ मंत्री - तीनों मंत्री यहां उपस्थित हैं - सरकार की ओर से इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि रियल एस्टेट व्यापार में चल रही। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये वे एक व्यापक भूमि अर्जन विधेयक कब ला रहे हैं। वे पैसा बना रहे हैं। उनके द्वारा हस्ताक्षरित फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोड वर्क एग्रीमेंट के लिये 200 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये हैं। संयुक्त विकास समझौते के अंतर्गत पहले ही 8000 करोड़ रुपये के मूल्य की भूमि बेची जा चुकी है।

यदि इसमें कुछ भी असत्य हो तो मैं इस सदन में आपके द्वारा दी गई कोई भी सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। मुझे खेद है किंतु सरकार इस विषय को अनदेखा नहीं कर सकती। सदन के नेता ने जो वचन दिया है, वह पूरा करना ही होगा। पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में लगभग 924 किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे मित्र यहां हैं और मैं उन्हें उत्तरदायी ठहराना चाहता हूं।

मैं श्री आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कर्नाटक में पूर्व नेतृत्व के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाए। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं।

मैं विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन और अपील करूंगा कि या तो सदन के नेता अथवा संसदीय कार्य मंत्री जो यहां उपस्थित हैं और मेरे अच्छे मित्र भी है, संसद में एक व्यापक भूमि अर्जन विधेयक प्रस्तुत करें।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस सत्र में किसानों के विषय पर अलग से चर्चा की जाए। अब केवल तीन-चार दिन ही शेष रह गये हैं। हममें से अधिकांश सदस्य कृषक समुदाय से ही हैं। हर कोई इस चर्चा में रुचि रखता है। आइये किसानों की दशा पर तीन चार दिन लगातार चर्चा करें। हम जानते हैं कि विदर्भ में क्या हो रहा है। मैं इसे कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता। हममें से हर कोई किसानों के बारे में चिंतित है। कृपया अपने वादे के अनुसार कार्य करें और भूमि अर्जन विधेयक संसद में प्रस्तुत करें।

मैं, माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे विशेष रूप से इस विषय पर विशेष उल्लेख के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं श्री देवेगौड़ा जी की बात का भरपूर समर्थन करता हूं। सदन के इस सत्र में और पिछले सत्र में भी कुछ ऐसे हालात बने कि लैंड एक्युजिशन बिल और किसानों की दुर्दशा का सवाल नहीं आ पा रहा है। मैं इसी सवाल पर खड़ा हुआ हूं। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। सरकार खाद पर सब्सिडी देने का काम करती है। लेकिन हालात क्या हैं, आज डीएपी खाद की कीमत 960 रुपये यानी डबल हो गई है। पहले यह चौर सौ रुपये थी और आज 960 रुपये हो गई है। यूरिया का भी यही हाल है। यानी कीमत 290 रुपये थी, लेकिन आज यह ब्लैक हो रही है, महंगी बिक रही है, नकली मिल रही है। इन सारी दिक्कतों के बावजूद देश के लोगों ने भरपूर फसल उगाई है, भरपूर उत्पादन किया है। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी घोषित किया है। आपने धान का एमएसपी 1050 रुपये घोषित किया है। लेकिन इसकी खरीद कहां-कहां हो रही है, जिन इलाकों में पानी है, आसपास के इलाके हैं, वहां इसकी खरीद हो रही है। थोड़ी बहुत पंजाब, हरियाणा में हो रही है, लेकिन वह भी बहुत बुरी हालत में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया व्यवधान मत डालें। कृपया बीच में न बोलें।

श्री शरद यादवः ये सारे किसान लोग हैं, मुझसे ज्यादा इन्हें दिक्कत और तकलीफ है, क्योंकि ये गांव-गांव से आते हैं। देश भर में आपने सर्व शिक्षा अभियान घोषित कर दिया। गजब सरकार है। अभी एक और बिल आने वाला है, फूड सिक्योरिटी बिल। कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए मनरेगा शुरू की है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राईस, इतने दिनों से हिन्दुस्तान के किसानों के साथ इस तरह का घात है। ऐसी मुश्किल है कि उसे पता चल जाता है कि धान का दाम 1050 रुपया है और वह जाता है 1150 रुपया है। वह जब जाता है तो 600-700 रुपये, बिहार में तो और बुरी हालत है, उत्तर प्रदेश में और बुरी हालत है, मध्य प्रदेश में उससे बुरी हालत है, बंगाल में उससे भी बुरी हालत है। अरे भाई, अच्छा पाखण्ड है, यह अजीब पाखण्ड है। शरद पावर जी चले गए हैं, क्या वह जानते हैं कि कपास और गन्ने के किसान जो कैश क्रॉप वाले हैं उनकी क्या हालत है? आलू की क्या हालत है? आलू छाती पर रखने के लिए एक समस्या हो गई है। आलू रखे कहां, यह समस्या हो गई है। खेत में डालें कहां, यह समस्या हो गई है। मतलब कि कैश क्रॉप का भी बुरा हाल है। किसान सोचता है कि कैश क्रॉप से थोड़ी बहुत जिंदगी चल जाएगी लेकिन वह भी बुरी हालत में है। आपने बाजारे के 960 रुपये घोषित किए हैं। अभी मैं जयपुर से आया हूं, वहां 600-700 रुपये में बाजरा बिक रहा है। इतने दाम में क्यों घोषित किया है? ज्वार, बाजरा का दाम क्यों घोषित किया है? पाखण्ड बंद करो, जो सच है उसकी बात करो। क्यों पाखण्ड कर रहे हो, क्यों देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, क्यों ऐसी बुरी हालत कर रहे हो? आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देवेगौड़ा जी ठीक कह रहे हैं कि किसानों के सवाल को हम लोग उठा नहीं पाते हैं। 27 लाख हैक्टेयर जमीन लोग मिट्टी के भाव ले गए। आपका लैण्ड एक्युजिशन बिल आना था, वह नहीं आया। पिछली बार कहा गया था लेकिन नहीं आया। अजीब बात है। एक से एक आप हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइज का पाखण्ड करते हो। एक तो वैसे ही किसान मारा जा रहा है और दुखी क्यों करते हो? वह प्लान करता है 1150 के लिए, फिर वह आत्महत्या करता है। हिन्दुस्तान में जितना किसान मर रहा है दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। हजारों वर्षों में हिंदुस्तान के किसानों पर बहुत विपत्तियां आई हैं लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। आज ऐसा दौर आया है कि वह आत्महत्या कर रहा है। आप जो बात कहते हो वह जमीन पर नहीं आती है। सभापति जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, शरद यादव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदयः ठीक है, आपका नाम सम्बद्ध कर दिया जायेगा। कृपया एक पर्ची सभा पटल पर रख दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *...

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां के 16 जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गयी है। जो सभी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय ने इन जजों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे राज्य सरकार ने बिना जांचे-परखे आंख बंद कर अपनी मुहर लगाकर स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने इन जजों को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें न तो सेवानिवृत्ति का कारण भेजा गया और न ही इन सभी जजों का सर्विस रिकॉर्ड भेजा गया।

मैं सदन का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी और डी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था का न होना है। देश के कुल 18 उच्च न्यायालयों में से 16 उच्च न्यायालय अलग-अलग तरीके से स्वयं के बनाए आरक्षण नियम का पालन करते हैं, बाकी बचे दो उच्च न्यायालय

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिल्ली व मुम्बई उच्च न्यायालय, जो देश के सर्व-प्रमुख हैं, ने पिछले 61 वर्षों से आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया है। आरक्षण को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में असमानता व्याप्त है, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस विषय को मुख्य न्यायाधीशों की कान्फ्रेंस में नहीं उठाया गया और न ही विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन सभी से हटकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी उच्च न्यायालय के कर्मियों एवं जजों को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान भारत के कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है।

अत: सभी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मैं माननीय न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण दिलवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री एम. आई. शानवास (वयनाड): सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक राष्ट्रीय महत्व का विषय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज नर्सिंग समुदाय की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान भी इस ओर गया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर कड़ा रूख दिखाया है। साढ़े चार साल तक पढ़ाई पूरी करने के बाद नर्सों को डिग्री दी जाती है और उसके बाद विभिन्न अस्पतालों में उनके साथ बंधुआ मजदूरों सा व्यवहार किया जाता है। निजी अस्पताल लाभ कमाने वाले व्यावसायिक संस्थान बन गये हैं। वहां भी सबसे कम वेतन नर्सिंग समुदाय को ही दिया जाता है। उन्हें मात्र 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपये ही वेतन के रूप में दिये जाते हैं, जबकि उनके कक्षा दस से लेकर आगे तक के सभी प्रमाणपत्र प्रबंधन द्वारा ज़ब्त कर लिये जाते हैं। वे मुफ्त में नहीं दिये जाते। जब वे अस्पताल से निकलना चाहते हैं जो उनके साथ गुलामों का-सा व्यवहार किया जाता है और उन्हें उनके प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके विषय पर भी कड़ा रूख दिखाया है।

सभापति महोदय, यदि मैं कोई डिग्री लेता है, यदि मैं 10वीं कक्षा पास करता हूं तो मेरी शिक्षा से संबंधित मेरे सभी प्रमाणपत्रों पर मेरा अधिकार है। अत: किसी भी अस्पताल को उनके प्रमाणपत्र जब्त करने का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल चोरी करने जैसा है। अत: इन परिस्थितियों में जबकि नर्सिंग समुदाय स्वास्थ्य के क्षेत्र में महान कार्य कर रहा है, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिये, पूरे देश में नर्सों की स्थिति और समस्याओं के अध्ययन हेतु विशेज्ञयों का एक पैनल बनाया जाना चाहिये तथा उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। सभी महानगरों में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): महोदय, मैं भी उनके द्वारा उठाए गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

अपराह्न 01.29 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। वे सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर अंदर स्वयं आकर पर्चियां सभा पटल पर रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जायेंगे जिनके संबंध में पर्चियां तय समय के अंदर सभा पटल पर आ जायेंगी। शेष मामलों को व्यपगत माना जायेगा।

(एक) उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नई मास रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्वी दिल्ली): वर्तमान जनगणना के अनुसार राजधानी दिल्ली का उत्तर-पूर्वी जिला देश में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला है। इस क्षेत्र में यातायात सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। इस क्षेत्र में मैट्रो की दो अलग-अलग हिस्सों में सेवाएं दिए जाने हेतु योजना तैयार की जानी चाहिए और सोनिया विहार व हर्ष विहार के पीछे से वजीराबाद रोड के समानांतर एक बाईपास निकाला जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारी यातायात बाहर-बाहर ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आता-जाता रहेगा और वजीराबाद रोड पर

*सभा पटल पर रखे माने गये।

यातायात का दबाव भी कम होगा। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यहां के लोगों के लिए नौकरी के अधिक अवसर सुलभ कराए जाने हेतु भी एक योजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे कुछ लोग उन क्षेत्रों में ट्रांसफर हो सके।

इस क्षेत्र में एक अन्य बड़ी समस्या वजीराबाद पुल के दोहरे लेन की भी है। यहां सिग्नेचर पुल बनाने पर 150 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इतनी राशि में कई पुल बनाए जा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप 2 या 3 पुल बनाकर बाकी धनराशि को क्षेत्र के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के सर्वाधिक घनी आबादी वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु उपरोक्तानुसार कार्य योजना तैयार करके उसे शीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु जरूरी कदम उठाए।

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने बाध्यकारी घरेलू परिस्थितियों के कारण अथवा पेंशन की प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु सरकारी आदेश के अनुपालन में सेवा की अनिवार्य अवधि से पूर्व नौकरियां छोड़ दीं, उन्हें पेंशन दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर): मैं सदन का ध्यान हमारे देश के गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्तमान में "सेवा में संख्या अधिक होने" के आधार पर या "बाध्यकारी घरेलू परिस्थितियों के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के आधार पर सेवा मुक्त/छंटनी किये गये भूतपूर्व सैनिक अथवा ऐसे सैनिक यह घोषित कर कि उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं, उन्हें 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने से पहले ही सेवामुक्त कर दिया गया हो, पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है। पहले केन्द्र तथा कुछ राज्यों में असैन्य सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन लाभ पाने के लिये न्यूनतम आवश्यक सेवा 20 वर्ष थी जिसे अब कम करके 10 वर्ष कर दिया गया है किंतु सैनिकों के लिये इस संबंध में कोई समीक्षा नहीं की गई है। सैनिकों को इस लाभ की सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि यह देश की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा और कर्त्तव्य परायणता ही है जिसके कारण बाकी का पूरा देश अपने परिजनों के साथ चैन की नींद सो पाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन के सबसे अच्छे समय और एशो-आराम को त्याग कर वे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे सशस्त्र सैन्य बल अधिकरण, रिजीनल बेंच, कोच्चि के निर्देश दिनांक 4 अप्रैल, 2011 का संज्ञान लें और भूतपूर्व सैनिक गैर पेंशन भोगी संघ द्वारा उठाए गए सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। उनके मामलों का उचित और संतोषप्रद समाधान निकालने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति जल्द से जल्द गठित की जानी चाहिए जो उनके आदेश प्राप्त होने के छ: माह के भीतर गठित हो जानी चाहिये। मुझे लगता है महत्वपूर्ण मामलों पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह भूतपूर्व सैनिकों के इस उचित अनुरोध पर ध्यान दें तथा उनकी पेंशन योग्य सेवा की अवधि वर्तमान 15 वर्ष की अवधि से घटाकर 10 वर्ष करे और उनकी लम्बित वैध मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दे।

(तीन) उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध पर्यटन स्थलों तक बेहतर रेल, सड़क और विमान संपर्क उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): विश्व के बौद्ध धर्मावलम्बियों की आस्था के केन्द्र भारत में है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कपिल वस्तु, निर्माण स्थल कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, प्रथम दीक्षा का उद्बोधन स्थल सारनाथ तथा वर्षों तक वर्षा ऋतु में रहने का स्थल सहेत-महेत सहित यह सभी स्थल बौद्ध धर्मावलम्बियों की आस्था एवं आकर्षण के केन्द्र हैं। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि आजादी के 6 दशक बाद भी बौद्ध पर्यटन से संबधित यह स्थल राजमार्ग, रेल मार्ग एवं संसाधनों के अभाव में आज भी उपेक्षित पड़े हुए हैं।

समुचित सुविधाओं के अभाव में विश्वभर में फैले बौद्ध धर्मावलम्बी अपने तीर्थ स्थलों तक आने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। बौद्धों के इन तीर्थ स्थलों को विकसित करने और तदनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाबद्ध परियोजना से विश्व एवं विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्मावलम्बियों की भारत आने में रुचि बढ़ेगी जो भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाएगा तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों से संबंधित देश के अति पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संबंधित क्षेत्र में विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। बौद्ध परिपथ का विकास भारत के प्रति बौद्ध धर्मावलम्बियों को मानसिक स्तर से भी जोड़ने में सहायक होगा। भारत सरकार की पहल पर इस परिपथ के विकास के लिए बौद्ध धर्मावलम्बी देश ही संसाधन मुहैया कराने में सहायक हो सकते हैं।

अत: मेरी मांग है कि बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन, भूतल परिवहन एवं रेल विभाग द्वारा एक समेकित योजना तत्काल बना कर उसे अमलीजामा पहनाया जाए।

(चार) देश में जापानी बटेर पालन हेतु लाइसेंस का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): जापानी बटेर वाणिज्यिक अंडा उत्पादन के लिए एक पालतू अर्थक्षम प्रजाति है। तीव्र विकास, संभोग हेतु जल्दी परिपक्व होना, अंडो देने की उच्च दर और तत्काल प्रतिफल प्राप्ति इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर दक्षिणी राज्य के कई किसान जापानी बटेर पालन का काम करते हैं। अकेले तमिलनाडु में ही 1000 से अधिक किसान इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। वर्ष 1984-1988 के दौरान, तमिलनाडु कुक्कुट पालन विकास निगम ने वाणिज्यिक आधार पर जापानी बटेर के चूज़ों के पालन को बढ़ावा दिया। कृषि मंत्रालय भी डेयरी की तरह वाणिज्यिक वर्तक पालन को सहायता दे रहा है। यह अनेक राज्यों में भी लोकप्रिय है। किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर अपने कृषि फार्मों को विकसित किया है।

कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) से परामर्श करने के बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जापानी बटेर प्रजनन केंद्रों के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पशुपालन विभाग, भारत सरकार के सहायक पशुधन अधिकारी स्लर के अधिकारी और राज्य पशुपालन विभाग के सहायक पशु चिकित्सा सर्जन को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 27.6.2007 को परिपत्र सं०-3-22/84 एफआरबाई (डब्ल्यू एल) जारी किया था। यह परिपत्र कहीं भी बटेर पालन हेतु लाइसेंस जारी करने अथवा विद्यमान बटेर पालन सुविधाओं के विस्तार या उसके संवर्धन की अनुमति देने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार को स्पष्ट करता है।

किंतु दुर्भाग्यवश उपर्युक्त परिपत्र के आधार पर हाल ही में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 22.9.2011 को एक अन्य परिपत्र फा० सं० 3-3/2011/डब्ल्यू एल-I जारी किया और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जापानी वर्तकों के पालन हेतु नए लाइसेंस जारी न करने और विद्यमान वर्तक पालन सुविधाओं के विस्तार या संवर्धन की अनुमति न देने का भी निदेश दिया है। उपर्युक्त परिपत्र के आधार पर राज्य सरकारों ने विद्यमान पालन केन्द्रों के लाइसेंसों का नवीकरण करने से इंकार कर दिया है। जापानी बटेर पालन कर प्रतिबंध लगाने का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे तथा सीमांत किसानों की आजीविका पर सीधे प्रभाव पड़ेगा।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल आवश्यक कदम उठाए और उपर्युक्त परिपय फा०सं० 3-3/2011/डब्ल्यू एल-I दिनांक 22.9.2011 को वापस ले तथा देश में जापानी बटेर पालन का काम कर रहे गरीब किसानों के हितों की रक्षा करे।

(पांच) अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का निवारण विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा शीघ्रतापूर्वक किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह विदेश स्थित हमारे मिशनों के कार्यकरण की निगरानी के लिए एक केन्द्रीयकृत तंत्र स्थापित करे। विदेश स्थित हमारे मिशनों को हर रोज अनिवासी भारतीयों की ओर से विदेशों में उनके सामने आ रही अनेक समस्याओं के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त होती हैं। अधिकांश शिकायतें इतनी संवेदनशील होती हैं कि उनका तत्काल समाधान किए जाने की जरूरत होती है। तथापि, ऐसा नहीं हो रहा है जिससे अनिवासी भारतीयों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मूल के लोगों को अनिवासी भारतीय नागरिक कार्ड (ओसी आई कार्ड) जारी करने में विलम्ब का सामना करना पड़ता है। इन शिकायतों के समाधान के संबंध में विदेश स्थित हमारे मिशनों के कार्यकरण की निगरानी हेतु मंत्रालय के मुख्यालय में एक केन्द्रीयकृत तंत्र की स्थापना ही अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का एकमात्र समाधान है।

(छह) उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत राजस्थान में मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद): उत्तर-पश्चिमी रेलवे के मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन के बीच वर्तमान समय में मीटर गेज लेन अस्तित्व में है। अब जबकि भारत सरकार की नीति बन चुकी है कि यूनिगेज बनाने की नीति के अंतर्गत पूरे भारत में मीटर गेज को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बावजूद मावली से मारवाड़ जंक्शन के खंड को मात्र मावली से नाथद्वारा तक जोड़ दिया गया है। लेकिन नाथद्वारा से मारवाड़ जंक्शन तक आमान परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्थान का यह रेलखंड दक्षिण भारत को सुरक्षा की दृष्टि से सीमांत क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्रों को जोड़ता है, वहीं संस्कृति एवं धार्मिक दृष्टि से यह खंड जुड़ने से आम जनता को सुविधा मिलेगी तथा स्वयं

रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह विदित रहे कि भारत का महत्वपूर्ण मंदिर श्री नाथ जी का नाथद्वारा कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर तथा चार भुजा मंदिर तथा आगे जाकर राम देव जी का राम देवरा भी इसी सर्किट में आता है।

अस्तु मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त रेल खंड में आमान परिवर्तन के कार्य को तत्काल पूरा करने हेतु संबंधित रेल अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

(सात) महाराष्ट्र के अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर कोल्हापुर-नागपुर एक्सप्रेस, भुसावल-निजामुद्दीन-गोंडवाना एक्सप्रेस और तिरूपति एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री संजय धोत्रे (अकोला): मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मुर्तिजापुर से सटे अमरावती एवं यवतमाल जिलों के लोगों को भी मुर्तिजापुर से रेलवे में प्रवास करने में सुविधा होती है लेकिन कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के मुर्तिजापुर न रुकने की वजह से उन्हें 45 कि.मी. दूर जाकर अकोला से यह गाड़ियां पकड़नी पड़ती है जिससे उन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर यहां की जनता कई बार जन आंदोलन भी कर चुकी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनभावना और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए कोल्हापुर-नागपुर एक्सप्रेस (11403), भुसावल-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस (12405), अमरावती-तिरूपति एक्सप्रेस (12766) को मूर्तिजापुर स्टेशन पर रुकने की इजाजत दी जाए ताकि यहां से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की असुविधाओं को दूर किया जा सके।

(आठ) कतिपय भारतीय राज्यक्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपे जाने के बारे में 'ढाका समझौता 2011' के दृष्टिगत एक संविधान संशोधन लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): भारत सरकार 6 सितम्बर, 2011 को हस्ताक्षरित "ढाका समझौता-2011" के अनुसार बांग्लादेश से 55 परिक्षेत्रों के बदले बांग्लादेश को 111 परिक्षेत्र सौंपे जाने के लिए सहमत थी। इस समझौते के बाद भारत सरकार, बांग्लादेश को असम के बोरइबारी, पल्लाटल-लाथी तिल्ला, दुबारी असम में 357.5 एकड़ भूमि सौंपेगी। बांग्लादेश ने इस भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है और 6 सितम्बर, 2011 के समझौते के पश्चात्, उन क्षेत्रों पर उनके कब्जे को वैध बना दिया जाएगा।

भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से विहित है कि केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन किए बिना किसी अन्य देश को कोई भू-भाग नहीं सौंप सकती। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार को इस समझौते को विधिमान्य बनाने के लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में एक संविधान विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

'नेहरू-नून समझौता-1958' के पश्चात् तत्कालीन केन्द्र सरकार पाकिस्तान को 'बेरुबारी-12' क्षेत्र सौंपने के लिए सहमत थी। तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 'नेहरु-नून समझौते' से सहमत नहीं थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की राय मांगी। आठ माननीय न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने 14 मार्च, 1960 (एआईआर-1960-45) को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन किए बिना सरकार द्वारा देश के किसी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपने पर रोक लगा दी।

क्या भारत सरकार 'ढाका समझौता-2011' के संदर्भ में संविधान में संशोधन करेगी।

(नौ) मध्य प्रदेश में जबलपुर को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): पर्यटन क्षेत्र आज देश में उद्योग का रूप ले चुका है। इससे स्थानीय स्तर पर आय की वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं जिनसे क्षेत्र के विकास की संभावनाएं अधिक हो जाती है। मेरा लोक सभा क्षेत्र जबलपुर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देश का केन्द्र बिन्दु भी यहीं स्थित है। जबलपुर एवं इसके आस-पास अनेक पर्यटनीय महत्व के स्थल होने के बावजूद भी यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। संगमरमरी पहाड़ों के बीच पवित्र नर्मदा केवल यहीं प्रवाहित होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वप्रसिद्ध भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात यहां की पहचान है। इसके अलावा ऐतिहासिक चौसठयोगिनी मंदिर, मदनमहल किला और वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि, संग्राम सागर तालाब के साथ-साथ बरगी डेम वॉटर स्पोर्टस और डुमना नेचर पार्क आदि दर्शनीय स्थल यहां स्थित हैं। स्वाभाविक रूप से जबलपुर टूरिस्ट हब है। इसके आसपास ही राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच स्थित हैं। स्थापत्य व पुरातात्विक महत्व के खजुराहो एवं फासिल्स पार्क, धार्मिक महत्व के अमरकंटक, चित्रकूट और मैहर के साथ ही पंचमढ़ी जैसा विश्वप्रसिद्ध हिल स्टेशन जबलपुर के अत्यंत निकट स्थित है। इसके अलावा भी यहां अनेक ऐसे दर्शनीय और आकर्षण के केन्द्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। किंतु इतना होने के बावजूद भी जबलपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह पहचान नहीं मिल सकी है जिसका वह हकदार है। जबलपुर टूरिस्ट हब के रूप में निर्मित होकर पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने इसके लिए आवश्यक है कि भेड़ाघाट में म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण हो, मदनमहल के जिले में रानी दुर्गावती पर आधरित लाइट

एवं साउंड शो के साथ ही संग्राम सागर तालाब को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। बरगी डैम जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, में साहसिक खेल केन्द्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि यहां पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृत कर पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाए ताकि पर्यटन के विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लाभ पहुंच सके। पर्यटन की असीम संभावनाओं के बाद भी जबलपुर का नाम दुनिया के पर्यटन नक्शे में शामिल नहीं हो पाया है। देश के पर्यटनीय महत्व के स्थानों के साथ जोड़कर इसका प्रचार किया जाए ताकि यहां देशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो और विदेशी पर्यटक आसानी से पहुंच सकें।

(दस) फैजाबाद और मुंबई के बीच प्रतिदिन लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस चलाए जाने और उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंडियाहू रेलवे स्टेशन पर इसके ठहराव का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): मैं सरकार का ध्यान मछलीशहर लोक सभा की जनता की रेल से संबधित एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग मुम्बई में रहते हैं और उनका आना-जाना लगातार बना रहता है। जनता की मांग के मद्देनजर हाल ही में ट्रेन संख्या 12564, फैजाबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया जो फैजाबाद से मुम्बई के बीच चल रही है। यह ट्रेन सप्ताह में एक ही दिन चलती है, लेकिन इसका ठहराव मड़याहूं रेलवे स्टेशन पर नहीं है। मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन तहसील मुख्यालय से जुड़ा हुआ है साथ ही यह एक व्यापारिक केन्द्र भी है और यहां से काफी अधिक लोगों का आना-जाना होता है। मड़ियाहूं स्टेशन पर इस गाड़ी का ठहराव नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक दिन की बजाए प्रतिदिन किया जाए साथ ही इसका ठहराव मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर भी किया जाए।

अतः सरकार से हमारी मांग है कि क्षेत्रीय जनता की जरूरत को देखते हुए वह ट्रेन संख्या 12564, फैजाबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में प्रतिदिन करने और उसका ठहराव मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित करने का रेलवे को निर्देश दें ताकि यात्रियों को कठिनाई से छुटकारा मिल सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी और ताजगंज में ऐतिहासिक भवनों का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी और ताजगंज की इमारतें घोषित हैं। सदियों पुरानी इन इमारतों की स्थिति आज अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं। इन इमारतों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से जो लोग रहते आए हैं, डरे-सहमे हुए हैं क्योंकि वे उनकी मरम्मत खुद नहीं करा सकते। कानूनन इन स्मारकों में कोई किसी प्रकार का मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं करा सकता। जो लोग इन स्मारकों में रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है कि वे कहीं अन्यत्र जा कर मकान बना कर रह लें वे मजबूर हैं इन जर्जर प्राचीन इमारतों में रहने के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन भवनों की देखरेख करता है परंतु मरम्मत और अन्य सुधार की अनुमति विभाग ने न तो किसी को दी है और न ही खुद करवा रहा है। लोग असमंजस में है कि इन भवनों में वे कैसे अपनी जान-जोखिम में डाल कर रहें।

संस्कृति मंत्रालय ऐसे जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार अविलंब करवाए। ऐसे प्राचीन इमारतों का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा मंत्रालय ने जोधपुर फोर्ट का जीर्णोद्धार किया भी है। इससे न तो सिर्फ पर्यटन उद्योग बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार का सुअवसर मिलेगा।

मेरी मांग है कि फतेहपुर सीकरी और ताज गंज की प्राचीन जर्जर इमारतों में मजबूरन अपनी जान-जोखिम में डाल कर रह रहे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जर्जर प्राचीन भवनों की मरम्मत की अनुमति दी जाए या खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अविलम्ब प्राचीन भवनों की मरम्मत करवाए।

(बारह) बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सबैया विमानपत्तन का पुनरूद्धार किए जाने और इस विमानपत्तन से घरेलू उड़ानें प्रचालित किए जाने की आवश्यकता

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के गोपालगंज के ग्राम सबेया हवाई अड्डा का निर्माण सन् 1932 में हुआ था। इस हवाई अड्डे का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में और 1962 में किया गया था। इस हवाई अड्डे का क्षेत्रफल बहुत लम्बा चौड़ा है। यह मरम्मत और रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है। सरकार घरेलू उड़ान के लिए हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खोज रही है।

मैं माननीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त हवाई अड्डे की मरम्मत करा कर इसे घरेलू एवं अंतर्राज्यीय उड़ान में उपयोग कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(तेरह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में किसानों के लिए केरल स्थित नेयर बांध से पानी छोड़े जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): कन्याकुमारी भारत के सुदूर दक्षिण का एक ऐसा जिला है जिसमें तमिलनाडु राज्य में प्राकृतिक रबर का 95% से अधिक उत्पादन होता है। रबर की खेती मुख्य रूप से विलावन कोड़े तालुक में (पश्चिमी घाट पर) पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। केरल सरकार द्वारा नेयर बांध की बांई तरफ की धारा में पानी न छोड़े जाने के कारण कन्याकुमारी जिले के कुछ भागों की तरह किसान इस तालुक में खेती नहीं कर पा रहे हैं।

वर्ष 2004 तक विलावन कोड़े तालुक में लगभग 9200 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए नैयर बांध की बाईं तरफ की नहर से पानी मिल रहा था। तब से पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। इसके परिणामस्वरूप किसान काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार, केरल से नैयर बांध से राज्य को पानी देने का अनुरोध कर रही है परन्तु इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अप्रैल, 2007 में केरल सरकार ने तमिलनाडु सरकार को यह जानकारी दी कि प्रभार लगाने के बाद तमिलनाडु को नैयर बांध से पानी दिया जा सकता है, जिसके आधार पर एक मसौदा समझौता तैयार किया गया था। केरल सरकार के पत्र व्यवहार और सरकारी रिकार्डों का अवलोकन करने के पश्चात यह निश्चित हुआ कि नैयर एक अन्तर्राज्यीय नदी है। अत: सभी बेसिन राज्यों की नदी के जल में हिस्सेदारी है।

कन्याकुमारी शाखा चैनल को जल की आपूर्ति का स्रोत नैयर बांध केरल के तिरूवनंतपुरम जिले में नैयात्तिनकराई तालुक में स्थित है। इस बांध से आरंभ होने वाली दायीं तरफ की धारा की क्षमता 300 क्यूसेक है। बांध से आरंभ होने वाली बाईं तरफ की धारा से केरल और तमिलनाडु दोनों में 'आयाकट्स' की सिंचाई होती है। बाईं तरफ की धारा की क्षमता 300 क्यूसेक है। कन्याकुमारी शाखा चैनल के अंतर्गत मूलत: प्रस्तावित 'आयाकट्स' का क्षेत्र 9200 एकड़ था। परन्तु, केवल 3370 एकड़ भूमि का ही विकसित किया जा सका। नैयर सिंचाई प्रणाली हेतु विनियमन नियमों को केरल सरकार ने 1968 में भेजा। तथापि, सरकार ने एक समझौता करने पर विचार किया और प्रस्तावित समझौते तथा केरल सरकार द्वारा भेजे गए नैयर सिंचाई प्रणाली के विनियमन नियमों के अनुसार कोल्लमकोड हैड वर्क्स को 152 क्यूसेक जल की आपूर्ति की जानी है। इस मात्रा में कन्याकुमारी शाखा के अंतर्गत केरल में 'आयाकट्स' के लिए दो क्यूसेक मात्रा भी शामिल है। समझौते के अनुसार सूखे के दौरान तमिलनाडु और केरल के बीच आपूर्ति का अनुपात 1:3 होना चाहिए।

3 अक्तूबर, 2007 को तमिलनाडु सरकार ने कन्याकुमारी जिले के विलावन कोडे तालुक में कृषि और किसानों को बचाने के लिए तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत केरल सरकार को तुरंत जल की आपूर्ति करने के लिए लिखा।

अत:, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और यथाशीघ्र तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के विलावन कोडे तालुक में नैयर के बाईं तरफ नहर में जल छोड़ने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती हूं।

(चौदह) महाराष्ट्र में नांदेड़ से औरंगाबाद तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 वर्तमान में जालना एवम् वाटरफाटा तक फोर लेन हो गई है तथा इससे आगे जाने वाली सड़क फोर लेन नहीं है। जिसके कारण काफी समय से इस राजमार्ग पर जाम होने से यातायात ठप्प रहता है जिससे औद्योगिक इकाइयों एवम् क्षेत्रीय लोगों को नांदेड़ तथा औरंगाबाद आने-जाने में काफी कठिनाई होती है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 को नांदेड़ एवम् औरंगाबाद तक फोर लेन करने के आदेश जारी करे। जिससे औद्योगिक इकाइयों को यातायात में सुविधा मिल सकती है और लोगों की परेशानी दूर हो सकती है।

(पन्द्रह) यूआईडीएआई परियोजना और जनगणना 2011 के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ० संजीव गणेश नाईक (ठाणे): मैं यू आई डी परियोजना और जनगणना 2011 में काम कर रहे अध्यापकों के बारे में अपनी

चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। सब जानते हैं कि अध्यापकों को स्कूल के बाद इन परियोजनाओं में कार्य करने के लिये कहा जाता है। इससे अध्यापकों द्वारा अपने मूल दायित्वों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों को सर्वेक्षण हेतु कार्यक्षेत्र उनके निवास स्थानों के निकट नहीं दिये जाते बल्कि यादृच्छिक आधार पर दिये जाते हैं। अत: अध्यापकों को दोनों मोर्चों पर अपने दायित्वों को कुशलपूर्ण ढंग से करने का दबाव झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा उनके लिये मुआवज़े और बोनस की राशि भी निर्धारित नहीं की गई है। इसका अध्यापकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसका प्रभाव अंततोगत्वा अध्यापकों द्वारा उनके दायित्वों के निर्वहन पर ही पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है किंतु यदि अध्यापक स्वयं ही मानसिक तनाव में होंगे तो छात्रों को अच्छी और प्रभावकारी शिक्षा प्रदान करना कठिन हो जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि यू आई डी और जनगणना 2011 के अंतर्गत काम करने वाले अध्यापकों के बोनस और मुआवज़े की राशि का निर्धारण तुरंत किया जाए ताकि अध्यापकों का मनोबल बना रहे और वे दोनों मोर्चों पर और विशेष रूप से अध्यापक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह कुशलतापूर्वक और प्रभावकारी ढंग से कर सकें।

(सोलह) किसानों की बेहतरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु नया तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना वास्तव में किसानों के लिये लाभकारी और स्थायी मूल्य प्राप्ति के संबंध में आश्वस्त करना है। वर्ष 2003 में बनाई गई अलग समिति तथा 2006 में बनाई गई "स्वामीनाथन समिति" की रिपोर्टों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारण में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की गई थी। तथापि अभी भी बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना शेष है। सी ए सी पी को सुदृढ़ किये जाने तथा इसे सांविधिक दर्जा दिये जाने की आवश्यकता है। सी ए सी पी में शिक्षा, कृषि और विविध क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले सदस्यों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना हेतु उच्च गुणवत्ता वाले डाटा का प्रयोग किया जाना चाहिये। देश के विभिन्न भागों में पहले से चले आ रहे खेती के तरीकों में भिन्नताओं को देखते हुए औसत एम एस पी गणना करते समय सिंचाई, विद्युत श्रम मूल्यों में भिन्नताओं तथा कच्चे माल की कीमत को भी ध्यान में रखा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उच्च उत्पादन लागत वाले राज्यों को हानि न हो।

पिछले तीन वर्षों में महंगाई और उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप गेहूं और धान के लिये निर्धारित एम एस पी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु एम एस पी के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार लाना अनिवार्य है ताकि किसानों के जीवन में भी सुधार हो सके।

(सत्रह) दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): यद्यपि पिछले वर्षों के दौरान रेल बजटों में अनेक रेल परियोजनाओं की घोषणा की गई है किंतु अधिकांश परियोजनाएं केवल कागजों पर ही रह गई हैं और अनेक वर्षों से लम्बित हैं। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–

1. गिरि मैदान से होते हुए खड़गपुर जंक्शन और गोकुलपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना;
2. पंसुकरा और खड़गपुर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाना;
3. लालग्रह होते हुए भदुतला और झारग्राम के बीच नई लाइन हेतु सर्वेक्षण कार्य;
4. दिघा और बालीचाक के बीच नई लाइन हेतु सर्वेक्षण कार्य;
5. खड़गपुर स्थित रेलवे अस्पताल का अ.भा०आ०सं० के स्तर तक उन्नयन करना;
6. खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नयी स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएं।
7. खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 7 और 8 नये प्लेट फार्मों का निर्माण किया जाए।

उक्त सभी परियोजनाएं दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आती हैं। इन सभी परियोजनाओं का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

उक्त परिदृश्य में, मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इन परियोजनओं के त्वरित कार्यान्वियन हेतु तुरंत कदम उठाए।

(अठारह) आंध्र प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी (कडापा): यह विशिष्ट रूप से मेरे राज्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है जहां से बड़ी संख्या में

किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। किसानों में निराशा का प्रमुख कारण सूखे और बाढ़ की स्थिति में उचित राहत पैकेज न दिया जाना, अपर्याप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू न किया जाना, कृषि आदानों जैसे बीजों मिश्रित उर्वरकों आदि के मूल्य में असाधारण वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण बीजों की अनुपलब्धता, किसी विश्वसनीय फसल बीमा योजना और फसलोपरांत सुविधाओं का उपलब्ध न होना आदि हैं। काश्तकारों की समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है। हमारे राज्य में पहली बार किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की अदायगी और इस मूल्य में वृद्धि में सरकार की विफलता के खिलाफ (क्राप होलीडे) फसल न उगाने की घोषणा की है। वर्तमान में खेतीहर मजदूरों की स्थिति भी अत्यंत शोचनीय है क्योंकि किसानों को बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है जिसके चलते वे खेतीहर मजदूरों को उचित पारिश्रमिक नहीं दे पा रहे हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि:

1. कृषि की भिन्न-भिन्न स्थितियों, कृषि आदानों के बढ़ते मूल्य और महंगाई को देखते हुए धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाए।
2. यह सुनिश्चित किया जाए कि घोषित किया गया आई बी आई एस पी किसानों का कानूनी अधिकार बन जाए।

केन्द्र सरकार को एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिये जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि किसान अपने उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार में उसके उत्पाद के वास्तविक मूल्य के अंतर का भुगतान करेगी।

1. अनाज उत्पादन में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर गोदामों में वृद्धि के लिये तुरंत कदम उठाए जाएं।
2. मूल्य, गुणवत्ता और बीजों की आपूर्ति हेतु एक विधिक ढांचा तैयार किया जाए।
3. काश्तकारों की समस्याएं दूर करने हेतु एक ढांचा तैयार किया जाए।
4. गांव को एक इकाई मानते हुए व्यापक फसल बीमा योजना लागू किया जाए।
5. यह सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ या सूखे की स्थिति में उचित राहत समय पर उपलब्ध कराई जाए।

अपराह्न 1.30 बजे

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा में मद संख्या 29 पर विचार किया जायेगा—श्री चौधरी मोहन जतुआ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): महोदय, श्रीमती अम्बिका सोनी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में, विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री चौधरी मोहन जतुआ: महोदय, मैं सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान प्रसार भारती में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 के लागू न किये जाने से कर्मचारियों की स्थिति के बारे में उत्पन्न अस्पष्टता के संबंध में लंबे समय से लंबित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

प्रसार भारती अधिनियम 1990, आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि वे निष्पक्ष, उद्देश्यपरक और रचनात्मक ढंग से कार्य कर सकें। अभिप्राय यह था कि संस्थान को लचीलापन प्रदान किया जा सके ताकि यह सच्चे अर्थों में स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर सके।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990, 23/11/1997 को लागू किया गया। तथापि अधिनियम की धारा 11 को अभी तक लागू नहीं किया गया है अर्थात् धारा 11 के तहत कर्मचारियों से निगम के कर्मचारी बनने के विकल्प नहीं मांगे गये हैं क्योंकि कर्मचारियों की ओर से इसका प्रबल विरोध किया गया था। वर्ष 2006 में गठित किये गये मंत्रियों के समूह द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित मामले पर विचार किया गया और उन्होंने अपनी सिफारिशें दीं। 2009 में जब यूपीए सरकार पुन: सत्ता में आई तो प्रसार भारती के संबंध में मंत्री समूह का गठन पुन: किया गया तथा प्रसार भारती के प्रभावशाली कार्यकरण में बाधक बन रहे सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 प्रसार

भारती के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये व्यापक प्रयासों का परिणाम है।

जैसा कि संशोधन विधेयक में सम्मिलित किया गया है, प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 में किये गये संशोधन से प्रसार भारती के कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित मामला जिसके बारे में पिछले चौदह वर्षों से भी अधिक समय से अनिश्चितता रही है।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 का आशय प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 को नई धारा से प्रतिस्थापित करना है। संशोधन के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन संवर्ग से संबंधित सभी नियमित कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 23.11.97 अर्थात् नियत दिन से पहले हुई थी और जो 1.4.2000 को निगम की सेवा में थे और वे जिन्हें 23.11.1997 और 5.10.2007 के बीच प्रसार भारती में सेवानिवृत्ति तक मानित प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति दी गई थी, सरकारी आवास, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इत्यादि सभी सुविधाएं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलने लगेंगी।

इन संशोधनों का आशय धारा 11 में प्रसार भारती से भिन्न संवर्गों के आई.आई.एस., सी.एस.एस और अन्य सेवा अधिकारियों की केन्द्र सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली शर्तों के आधार पर नियुक्ति के लिये समर्थकारी प्रावधान करना भी है। इन संवर्गों के पदों के अलावा सभी पदों का प्रसार भारती में अंतरित लिये जाने का प्रस्ताव है। अधिसूचित नियमों के माध्यम से यह निर्धारित किया जायेगा कि भारतीय सूचना सेवा के कितने पदों को प्रसार भारती में अंतरित किया जायेगा।

प्रस्तावित संशोधन साधारण से लग रहे हैं तथापि कर्मचारियों की स्थिति के बारे में अस्पष्टता को दूर करने में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे निश्चित रूप से प्रसार भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों के मन में सुरक्षा की भावना जागृत होगी। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में प्रसार भारती और इसकी भूमिका के महत्व को देखते हुए यह समीचीन है कि अधिकारी और कर्मचारी तनाव मुक्त और आरामदेह वातावरण में कार्य कर सकें। मैं इस सम्मानित सभा से इस विधेयक पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): सभापति महोदय, मैं, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आकाशवाणी और दूरदर्शन भारत की आवाज हैं जिन्हें आज प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम के नाम से जाना जाता है। वस्तुत:, प्रसार भारती की संकल्पना जनता सरकार के दौरान 1979 में जबकि श्री एल.के. आडवाणी सूचना और प्रसार मंत्री थे, की गई थी। परन्तु क्योंकि, 1979 के बाद वह सरकार चल नहीं पाई, इस संकल्पना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 1990 में, प्रसार भारती विधेयक बना और 1997 में औपचारिक रूप से प्रसार भारती का गठन हुआ। इसके पश्चात्, नियम भी बनाए गए हैं।

माननीय मंत्री जी ने उचित ही कहा है कि यदि 1990 के मूल अधिनियम की धारा 11 को लागू किया गया होता जिनमें कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था तो संभवत: यह स्थिति पैदा न होती। लगभग 14 वर्षों के बाद और दूसरे न्यायालय देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद और अंतत: इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पश्चात् कर्मचारियों के मुद्दे का समाधान करने में लगभग चार वर्ष लगे। अब, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर तो माना जाता है और कर्मचारियों की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो गया है।

चौदह वर्षों के पश्चात् यह निर्वासन समाप्त हुआ है। परन्तु आपको इस पर पूरी रोक लगानी चाहिए। आप इस पर आंशिक रूप से रोक क्यों लगा रहे हैं? विधेयक के पृष्ठ-2 पर उप-धारा 11(2) की दी गई व्याख्या में यह कहा गया है:

"उप धारा (1) और (2) के प्रयोजनार्थ, "भर्त्ती किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों" का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार भर्त्ती अधिकारी और कर्मचारी परन्तु, इसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी, नैमित्तिक, तदर्थ अथवा प्रभावित कार्य आधार पर नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।"

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे नैमित्तिक, तदर्थ या दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के बारे में जानकारी है। यह सब ठीक है। कई बार उन्हें ठेके पर रखा जाता है। इस बात को भी समझा जा सकता है। परन्तु, कार्य प्रभारित व्यक्तियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मुख्यत: वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सिविल निर्माण स्कंध में हैं। जहां कर्मचारियों के पेंशन सहित संपदा केन्द्रीय सचिवालय सेवा आचरण

नियमावली द्वारा शासित निदेशालय से सरकारी आवास का आवंटन के.स.स्वा. ये सुविधाएं, केन्द्रीय स्कूल सुविधाएं मिलती हैं। इस पर विचार करते हुए संबंधित समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि:-

"प्रसार भारती अधिनियम की धारा 11 को प्रतिस्थापित करते हुए धारा 11(2) की प्रस्तावित व्याख्या में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मानित प्रतिनियुक्ति स्तर पर दैनिक मजदूरी, नैमित्तिक, तदर्थ अथवा कार्य प्रभारित आधार पर कार्यरत या नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। समिति ने विचार विमर्श के दौरान यह नोट किया है कि आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध में बड़ी संख्या में कार्य प्रभारित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिन्हें संशोधित विधेयक में कोई स्थान नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के स्तर संबंधी स्थिति अस्पष्ट हो रही है।

"जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के प्रतिनिधियों के साथ इन मुद्दों को उठाया गया तो समिति को यह जानकारी दी गई हे कि इन कर्मचारियों की इन सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों को प्रसार भारती में रिक्त पदों के प्रति समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समिति को यह आश्वासन भी दिया गया है कि उक्त कर्मचारी नियमित होने के पश्चात मानित प्रतिनियुक्ति श्रेणी में आ जाएंगे।

समिति ने यह पाया है कि सरकार के लिए यह उचित होता कि वह यह संशोधन लाने से पहले इन कर्मचारियों को नियमित कर देती और तत्पश्चात् प्रस्तावित विधेयक में इन कर्मचारियों के स्तर को मानित प्रतिनियुक्ति श्रेणी में रखती। समिति, मंत्रालय और प्रसार भारती द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर के मुद्दे के समाधान हेतु अब तक विधेयक में संशोधन करने में अपनाए गए तदर्थवादी दृष्टिकोण पर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। समिति पुरजोर यह सिफारिश करती है कि आकाशवाणी/दूरदर्शन से एक निर्धारित समय सीमा में समस्तरीय पदों की पहचान करने के लिए कहा जाए और इन कर्मचारियों को मौजूदा रिक्तियों के प्रति समायोजित करके उन्हें नियमित किया जाए...."।

यह स्थायी समिति की बिल्कुल स्पष्ट सिफारिश है। इसलिए, मैंने यह प्रश्न पूछा है। इस पर आंशिक रोक क्यों लगाई जा रही है। कृपया इस पर पूरी रोक लगाएं। सिविल स्कंध में लगभग 1200 लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें संपूर्ण अवसंरचना के विकास में बाधा आएगी जो कुछ भी उन्नयन किया जाना था...उसमें रुकावट आएगी। अत:, मैं सरकार को इसमें संशोधन करने और इन कार्य प्रभारित कर्मचारियों की स्थिति को भी ठीक करने का सुझाव देता हूं।

दूसरा मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। अंतत: यह कार्यवाही क्यों की जा रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछता हूं। जब आपने मूल अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों का उपयोग नहीं किया तो लोग न्यायालय चले गए। सभी कर्मचारी संघ, न्यायालय में चली गई और मुकदमें चलते रहें।

[हिन्दी]

14 साल बीत गए, उसके बाद चार वर्ष जी ओ एम में चले गए।

[अनुवाद]

अब, कर्मचारियों के बीच असंतोष को पूर्णरूप से समाप्त करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। यह राहत की बात है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कर्मचारी संघों की मान्यता का मुद्दा काफी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। सी सी ए अधिनियम और आर एस ए नियमों के अनुसार यह लंबित पड़ा हुआ है और प्रसार भारती के महानिदेशक ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह लिखा है कि मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। मुझे आश्चर्य है। किसी भी संगठन में श्रमिक आंदोलन अथवा श्रमिकों की मान्यता और शिकायत निवारण प्रणाली उनका अधिकार है। लोकतंत्र में यह उनका अधिकार है। सरकार और मंत्रालय इस मामले को इतने वर्षों से क्यों दबाए हुए हैं? मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मंत्री को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रक्रिया को गति प्रदान की जाएगी।

जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 20 संघ हैं और वे सब इसमें अंत:क्षेप कर रहे हैं। इसकी बजाय यदि मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो इन 20 संघों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और एक-दो संघ ऐसे भी होंगे जिनके माध्यम से आम बातचीत कर इन संघों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अपनी हर जरूरत के लिए उन्हें सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वास्तविक अर्थ में प्रसार भारती स्वायत्त बन जाएगा और बी बी सी के मानकों को हासिल कर लेगा। अन्यथा, वही चीज चलती रहेगी और जो अविश्वसनीयता अब तक रही है वह जारी रहेगी।

महोदय, चाहे विलम्बित हों या करते समय महत्वपूर्ण भी न हों किंतु विधेयक पर चर्चा करते समय हमें सभी पुराने मुद्दों और कर्मचारियों की स्थिति अनिश्चितता के मुद्दे पर भी विचार करना चाहिये। यह एक छोटा विधेयक है और मैं इस पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता। इस तदर्थवाद के कारण, सरकार के इस रवैये और दृष्टिकोण के कारण आज प्रसार भारती की स्थिति क्या है? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आज केबिनेट मंत्री यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं? मैं किसी बात पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

सभापति महोदयः आपको आपका उत्तर मिलेगा, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री प्रहलाद जोशीः महोदय, मैं अपनी बात जारी रखूंगा परन्तु मेरा कहना है कि मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं किसी बात पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। मगर चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा है अतः यदि वह यहां होतीं तो बेहतर होता। मैं यहीं कह रहा हूं और कुछ नहीं।

आज प्रसार भारती की स्थिति क्या है? पिछले कई महीनों से प्रसार भारती में कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नहीं है। किस हद तक तदर्थवाद होगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इसे स्वायत्त बनाना चाहते हैं; सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं और मानकों में सुधार करना चाहते हैं किंतु दूसरी तरफ यहां क्या हो रहा है? आप किसी व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभार देकर काम चला रहे हैं। ऐसा क्यों है? एक नियमित मु०का०अ० नियुक्त करने में, क्या समस्या है? यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता कि यह देश की राष्ट्रीय आवाज बन पाएगा। हम चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय आवाज बने और हमारे देश की कला और संस्कृति को कायम रखने में सहायक हो। परन्तु यहां क्या हो रहा है? कोई मु०का०अ० ही नहीं है।

मैं इस सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इसे कैसे चलाया जा रहा है? यह कैसे चल रहा है? इस संगठन में किस हद तक तदर्थवाद है? कुल स्वीकृत पद 48,000 हैं जिनमें से 12,000 पद रिक्त हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इन पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई? देश में स्टेशन निदेशकों के लगभग 1200 पद हैं जिनमें से देश में 69 स्टेशन निदेशक कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री और सरकार से इस बात की और ध्यान देने का आग्रह देने का आग्रह करता हूं। स्टेशन निदेशकों के बिना आय दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र चला रहे हैं। जब कोई स्टेशन निदेशक ही नहीं है तो आप उनसे अच्छा कार्य करने की अपेक्षा कैसे करते हैं? अब यही हालत है।

सरकार इन मुद्दों का उचित रूप से समाधान नहीं कर पाई है। प्रसार भारती के बारे में पिछले कई वर्षों में सम्पूर्ण देश का यह अनुभव रहा है कि यह अपना मूल उद्देश्य पूरा करने में विफल रहा है। क्या हुआ है? इसकी साख इतनी कम हो रही है कि यह विवादों, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और तदर्थवाद से भरा पड़ा है। यदि तदर्थवाद चलता रहता है तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी।

प्रसार भारती के पूर्व मु.का.अ. भी राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में शामिल थे और शायद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। मैं... *का जिक्र कर रहा हूं...* *(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नाम हटाया जाना चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशीः उन्हें राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात् उन्हें निलंबित किया गया था। अभी तक किसी नए मु.का.अ. की नियुक्ति नहीं की गई है।

सभी 20-20 मैचों के लिए प्रसारण अधिकार प्रसार भारती को दिए गए थे। इसने उन मैचों का प्रसारण क्यों नहीं किया? मैं समझता हूं कि मंत्री जी तक भी इस बारे में नहीं जानते अथवा यह इसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई थी। प्रसार भारती के पास अधिकार था परन्तु इसने उस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या समस्या थी? यह देश जानना चाहता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

[हिन्दी]

आपने तो उसे सीईओ को घर भेज दिया, लेकिन जो भी लॉस हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

[अनुवाद]

क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, अंदर हाउस में जब मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा था कि प्रसार भारती 150 डीटीएल चैनल और जोड़ने जा रहा है। यह बहुत अच्छा कदम है परन्तु प्रेस में प्रकाशित

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ है और बहुत गम्भीर आरोप है कि भारत सरकार ने 45 करोड़ रुपये नियुक्त किए हैं और जब इसके पास सब बुनियादी ढांचा है तो भारत सरकार और प्रसार भारती उसे बाहर से क्यों कराना चाहते हैं? सरकार 45 करोड़ निवेश करने हेतु तैयार हैं और उसके पास पूरा तकनीकी कौशल और कर्मचारी हैं।

[हिन्दी]

सब कुछ आपके पास है। एक एलीगेशन न्यूज पेपर में छपा है।

[अनुवाद]

प्रेस में छपा है कि आप बाहर काम कराने जा रहे हैं या दूसरा निजीकरण कर रहे हैं और आरोप यह है कि बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं सभा में केवल कह नहीं रहा हूं। बल्कि मंत्री जी मैं स्पष्टीकरण भी चाहता हूं। सरकार ने बहुत पहले लिखित में कहा है कि इस कार्य के लिए प्रसार भारती को 45 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह आबंटन किया जाएगा और जहां तक 150 चैनलों का संबंध है तो प्रसार भारती अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। परन्तु एक गम्भीर आरोप है।

[हिन्दी]

इसमें मैं आपका एक्सप्लेनेशन चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, इतना ही नहीं वास्तव में इसकी पहुंच और इसके बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्र की वास्तविक आवाज बनना ही चाहिए। इसकी पहुंच देश के प्रत्येक कोने तक और गांवों तक होनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्यवश आज क्या स्थिति है? यह वास्तविक राष्ट्रवाद को प्रतिबिम्बित करने और देश की संस्कृति उत्थान में बुरी तरह विफल रहा है। यह डी डी आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर प्राचीन कला तथा संस्कृति की रक्षा करने में विफल रहा है। लोक कला कभी भी प्रसार भारत की प्राथमिकता नहीं रही। मेरे राज्य कर्नाटक में लोग लोक कला से जुड़े हुए हैं परन्तु इसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि वे हमारे राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। गुलबर्गा, भद्रावती और मंगलौर में शास्त्रीय संगीत के रिकार्डिंग सेक्शन लगभग बंद हो गए हैं क्योंकि केंद्रों में कलाकारों की भर्ती नहीं हुई। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, जो देश के कला और संस्कृति के प्रतिष्ठित कार्यक्रम हैं, बंद कर दिए गए हैं। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम जिनकी हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी वे अब बंद होने के कगार पर हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि इससे कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती यदि प्रसार भारती का यह खौफ रहा तो संस्कृति को बढ़ावा कौन देगा? हिंदुस्तानी संगीत को बढ़ावा कौन देगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऑडिशन और ग्रेडेशन प्रणाली और आकाशवाणी द्वारा नए शास्त्रीय और अर्थ-शास्त्रीय गायकों की कला में सुधार लाने की प्रक्रिया बंद किए जाने का प्रस्ताव है जिससे इन कलाओं के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रहलाद जोशीः मैं दो मिनट और लूंगा। क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि आप इसे क्यों बंद कर रहे हैं? भर्ती क्यों बंद की जा रही है? आप संगीत सम्मेलन क्यों बंद कर रहे हैं? महोदय, इन सब चीजों पर उनका स्पष्टीकरण चाहिए।

[हिन्दी]

डी डी लंदन कर्नाटक में है, वह कभी देखता ही नहीं है। वह बहुत लो हो गया है। इसलिए मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट को रिक्वैस्ट करता हूं

[अनुवाद]

यदि आप वास्तव में स्वायत्तता लाना चाहते हैं तो आपको इसे निर्वाचन आयोग की तरह बनाना पड़ेगा। धन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और बीबीसी के समकक्ष बनाना होगा। इसकी साख कम नहीं होनी चाहिए। आखिरकार, यह सैन्य सेवाओं की भांति है। लदाख जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। देश की आवाज वहां पहुंचेगी। यदि हम वास्तव में स्वायत्तता हासिल करना चाहते हैं तो हमें आकाशवाणी को धन प्रदान करना चाहिए, इसे वास्तव में स्वायत्त बनाना चाहिए और बीबीसी के मानकों के बराबर जाना होगा।

अंत में, मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि देश में अधिक से अधिक कार्यक्रम निर्माण केंद्र में होने चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक केंद्र खोलने हेतु बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्ष 2005 से मैं क्षेत्र की संस्कृति, परम्परा और कला को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरी कर्नाटक में हुबली और धारवाड़ में दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माण केंद्रों के लिए आग्रह करता रहा हूं।

हुबली-धारवाड़, सांस्कृतिक केंद्र का गढ़ है। यह पीड़ित भीमसेन जोशी, डॉ० गंगूबाई हंगल, श्री बसवराज राजगुरू और मल्लिकार्जुन

मंसूर जैसे कलाकारों की जन्म भूमि है। मैं इसी क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माण केन्द्र खोलने का आग्रह करता रहा हूं। जब मैं माननीय मंत्री से मिला था तो मुझे सभा में भी यह आश्वासन दिया गया था कि चूंकि धारवाड़, कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए हम ग्यारहवीं योजना में हम यहां कार्यक्रम निर्माण केंद्र खोलेंगे। ग्यारहवीं योजना पूरी हो गई है परन्तु अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मैं सरकार से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का आग्रह करता हूं। यह आवश्यक है। नंजुन्दफा समिति ने भी इसकी सिफारिश की है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि धारवाड़ पंडित भीमसेन जोशी, डॉ० गंगूबाई हंगल, श्री बसवराज राजगुरू और मल्लिकार्जुन मंसूर जैसे कलाकारों की जन्म भूमि हुगली-धारवाड़ में तत्काल एक केंद्र खोला जाए। मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित 150 चैनलों का आउटसॉर्स न करे बल्कि उन्हें तीव्रता से मान्यता प्रदान करे। वर्क चार्ज के कर्मचारियों की स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए। इन्हीं सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल-2011 लाये हैं, मैं इसके ताईद और समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें आपने एम्पलाई, रिक्रुटमेंट, पोस्टिंग, डेप्यूटेशन, एडहाक सारे चीजों के बारे में लिखा है। मैं मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी स्टेट में तीन रीजन्स हैं और सब की भाषा, कल्चर, खान-पान अलग-अलग हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहां एट्थ शैड्यूल में डोगरी लैंग्वेज है और कश्मीरी लैंग्वेज है। वैसे भी हिन्दुस्तान की तमाम भाषाएं इसमें इन्क्लूड की गई है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब एक ब्राडकास्टिंग हो रही हो, जैसे एक आदमी जो एक भाषा को जानता ही नहीं है, आप उस ऑफिस में दूसरी भाषा वाले आदमी को रिक्रूट क्यों करते हैं?

अपराह्न 01.59 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आप मुझे बताइए कि उस भाषा के साथ क्या इंसाफ होता है? क्या वह वहां की भाषा बोल सकता है। आप किसी को कह देंगे कि आप कश्मीरी बोलो तो क्या वह बोल पाएगा? कश्मीरी बोलने वाले को आप डोगरी में बोलने के लिए कहेंगे तो क्या वह बोल पाएगा? मेरा जनाब से कहने का मतलब है कि ब्राडकास्टिंग का जो आप ने सिस्टम बनाया है वैसे तो आपका सारा ही जुगाड़ है। आपने जुगाड़ बना कर काम किया है। जुगाड़ से देश नहीं चलता है। जुगाड़ से गलतियां होती हैं। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि उसे यहां पक्का रहना है या नहीं रहना है, कल उसे निकाल देना है या नहीं निकालना है, मुझे बताएं वह इम्प्लॉई उसकी कितनी सेवा करेगा और कैसे कर पाएगा?

अपराह्न 2.00 बजे

जिसे पता है कि मेरा स्थाई रिक्रूटमेंट हुआ है और मैंने इसे चलाना है, वह अपने हिसाब से चला रहा है। इसके अलावा आप डेपुटेशन पर भी लोगों को लाते हो, उसका अलग से तरीका है। लेकिन उसमें यह नहीं देखा जाता कि वह शख्स उस कार्य में परिपक्व भी है या नहीं, लेकिन आप उसे उस काम में यह बिना देखे ही इंडल्ज कर देते हैं। वहां मान लो किसी ब्राडकास्टिंग स्टेशन पर डोगरी जानने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, आप किसी और को वहां रखेंगे तो वह कुछ समझ नहीं पाएगा। इस तरह से अगर काम होगा तो फिर प्रसार भारती का क्या बनेगा।

जब आप रेडियो को ही लें। आल इंडिया रेडियो के कई चैनल्स हैं हमारे राज्य में, प्रोविंस में और रिजन में। लेकिन जो कार्यक्रम प्रसारित करने वाले हैं उन्हें गांव से पकड़ कर लाया जाता है कि चलो, तुम्हें कल समाचार पढ़ना है। किसी को कह देते हैं कि डोगरी में बोलना है और किसी को कह देते हैं कि कश्मीरी में बोलना है। इस तरह से काम होगा तो जो आपने रेडियो स्टेशंस खोले हुए हैं, उन्हें ढंग से कैसे चलाएंगे, कैसे उनकी मानिटरिंग करेंगे। जिसे वहां की स्थानीय भाषा बोलनी नहीं आती, उसकी समझ नहीं है, वह कैसे वहां के लोगों की बात कर पाएगा और क्या बताएगा।

मैं डोगरी हूं, मैं जानता हूं कि भारत में डोगरी जाति के लोग कितने बहादुर हैं। इस जाति के लोगों ने जंगे हिन्दुस्तान, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, कितनी ही बहादुरी के साथ लड़ाई की और कुर्बानी दी। हमारा राज्य बहुत बड़ा है और इस राज्य में डोगरी केवल जम्मू तक ही सीमित नहीं है। पंजाब के गुरुदासपुर और होशियारपुर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलों में डोगरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हमारे राज्य में जम्मू के अलावा, कठुवा, उधमपुर में, राजौरी में भी डोगरी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहां के अधिकांश रेडियो स्टेशंस बंद पड़े हुए हैं। कभी-कभार शाम को आधे घंटे के लिए या दो घंटे के लिए वहां से प्रसारण होता है, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इसका फायदा क्या है, जब आप उन रेडियो स्टेशंस का सही उपयोग नहीं कर सकते और

आपके इक्वीपमेंट्स भी वहां पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास वहां जो मुलाजिम हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें भी बहुत कमी है और जो हैं उनसे पूरा काम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनके पास करने को कुछ काम नहीं है। आप लोगों को डेपुटेशन पर या कांट्रेक्ट पर ले आते हैं और उनसे काम कराते हैं। इस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है।

पिछले दिनों भी मैंने इस विषय पर बोलना चाहा था। लेकिन आज समय मिला है इसलिए बताना चाहता हूं। आपके अनेक ऐसे टीवी चैनल्स हैं, जिन पर जो सीरियल्स आते हैं, अधिकतर में कास्टवार दिखाई जाती है और जातियों पर हमला किया जाता है। जितना जुल्म, जितने अपराध, जितने पाप करते हुए पात्र दिखाए जाते हैं, अधिकतर वे ठाकुर या राजपूत होते हैं, क्या वास्तव में यह हकीकत है जो इन सीरियल्स में दिखाई जाती है, मैं समझता हूं कि यह सत्य से परे है। आप इन सीरियल्स पर नजर डालें तो देखेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार दिखाए जा रहे हैं, किसी को डाकू बनाकर दिखाया जाता है। हिन्दुस्तान सब जातियों और कौमों का एक देश है। इस देश में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई जाति खराब नहीं है, कोई मजहब खराब नहीं है। यह हम सब लोगों का देश है। आप देखें कि एक सीरियल "आना मेरे देश लाडो" में औरतों पर अत्याचार दिखाया जाता है। राजपूतों ने इस देश के लिए मुगलों से और फिर बाद में अंग्रेजों से संघर्ष किया। राणा प्रताप को कोई याद नहीं करता, छत्रपति शिवाजी को कोई याद नहीं करता, राणा सांगा की याद इन्हें नहीं आती। ठाकुर, राजपूत और मराठा आदि ये बहादुर कौमें हैं, इनके बारे में सही तस्वीर लोगों के सामने दिखाई जानी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले गुलामी फिल्म देख रहा था। उसमें दो जातियों को बांट दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन व्यक्ति इस तरह की चीजों को सेंसर करता है और कैसे यह दिखाया जाता है कि अमुक जाति पर अटैक हो। लगता है आज हमारे टीवी चैनल्स पर जो सीरियल्स आते हैं, वे मजाक बनकर रह गए हैं। किसी न्यूज चैनल पर ब्राडकास्ट किया जाता है तो एक छोटी सी खबर को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे सुबह से शुरू करो किसी व्यक्ति के बारे में बताना और शाम तक उसे मार दो। जिसको चढ़ाना है, चढ़ा दो आसमान पर। जो मिलिटेंट है, उग्रवादी है, उसके सीन १० बार दिखाए जाते हैं लेकिन जो देशभक्त देश को बचाने के लिए है, उसे कभी दिखाया नहीं जाता है। न्यूज पढ़ोगे तो दूरबीन से देखना पड़ेगा, टीवी में देखो, तो खबर उसके बिना ही गुजर जाती है। किसी से नहीं बनती, उसकी तबाही करनी है तो उसके खिलाफ खबरें चलती हैं। मेरी मंशा आपसे है क्योंकि आप बहुत संजीदा इंसान हैं, यह ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन्स इस डिपार्टमेंट को जानी चाहिए। एटॉनोमस होने का मतलब यह नहीं है कि आपको लोकतंत्र मिल गया है तो किसी को कुछ भी कह दो, किसी को नीचे और किसी को ऊपर दिखा दो। यह कोई इंडिपेंडेसी नहीं है कि किसी को भी कुछ कह दिया। इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो चीज देश की एकता और अखंडता को तोड़ती हो, किसी पर अटैक करती हों, वे चीजें रुकनी चाहिए।

सर, मैं एक दिन देख रहा था इन्होंने चाइना की बहुत बड़ी फौज दिखाई, चाइना के जहाज दिखाए, नेवी दिखाई और हिंदुस्तान को उसके मुकाबले में छोटा दिखा रहे थे। यह क्या है? हिंदुस्तान को कमजोर दिखाने वाला कौन सा टीवी, कौन सी प्रसार भारती, अगर भारतीयों की बेइज्जती करोगे तो क्या कोई भारतीय आपके सीरियल देखेगा? इसीलिए मेरी विनती है कि इस देश को सबसे ऊपरी स्तर पर दिखाना चाहिए। आजकल तो बेकार हो गया है, कोई फेसबुक पर जा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, जिसकी शकल नहीं देखी लेकिन सारा दिन इस पर घूमता रहता है। इंटरनेट ने बच्चों की जिंदगी तबाह करके रख दी है, आधी-आधी रात तक वे इसी पर लगे रहते हैं। हम अंग्रेज नहीं हैं कि रात-रात भर सोये नहीं। टीवी का एक निश्चित टाइम होना चाहिए। रात को जो घटियापन चैनल्स पर दिखाया जाता है इस तरह के चैनल्स बंद होने चाहिए। केबल वाला फोन करता है कि आज रात को मैं अश्लील पिक्चर लगाऊंगा, सारे अश्लील लोग रात को जाग जाओ।

[अनुवाद]

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

मेरी आपसे विनती है कि एक सिस्टम बनाओ, नहीं बना सकते तो अपने घर जाओ, घर बैठो। ऐसे थोड़े ही होता है कि मिनिस्ट्री में रहो और किसी पर रोक न लगाओ। एटॉनोमस बॉडी है, किसी को अश्लील दिखाएंगे, किसी को जलील करेंगे और पैसा खाएगा, लूटेगा और सारे अपीसोड, सारे सीरियल बेचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुम्बई और दिल्ली के लोगों को इन्होंने जम्मू के डोंगरों के सीरियल दिये। लानत है और सारा माल ले गये उठाकर और कह रहे थे कि डोगरी हम एक्सप्लॉएट कर रहे हैं। उड़िया वाला क्या डोगरी भाषा जानेगा, आप मुझे बताओ? मैं उड़िया या हैदराबादी तमिल जानता हूं क्या? मैं अपनी भाषा जान सकता हूं लेकिन मेरी भाषा पर सीरियल बनाएगा मुम्बई वाला, एक्सपर्ट है, खुलापन देता है ना। का भी पेट भरा और औरों का भी भरा। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टॉप दिस और सबसे मेरी विनती है कि

[अनुवाद]

देश प्राथमिकता है तथा और कुछ भी प्राथमिकता नहीं है और

[हिन्दी]

कंट्री के विरोध में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए।

कोई कहता है कि आर्मी स्पेशल पॉवर एक्ट खत्म कर दो, देखो, कितनी हिम्मत हो गयी। आर्मी जिसने कुर्बानियां दीं, जाने दीं, उसकी आप मुखालफत करते हो। एक दिन खबर आ गयी, कौन बोल रहा है कि यह फलां चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, यह दूसरा मंत्री बोल रहा है, यह अपोजिशन वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कश्मीर से आर्मी हटा लो। क्या मजाक है? ये नहीं समझते कि

[अनुवाद]

आप सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, आप देश को हतोत्साहित कर रहे हैं, आप देश-भक्ति को हतोत्साहित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप देशभक्त को डिस्क्रेज करते हैं। जिस दिन देशभक्त डिस्कैरेज होगा, उस दिन देशद्रोही आगे बढ़ता है। देशभक्त स्ट्रांग होना चाहिए और देशद्रोही कमजोर होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी सीरियल हमारे देश के कल्चर से बाहर नहीं होना चाहिए। कोई भी खबर देश के खिलाफ नहीं छपनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंस मिल गई, कपड़े नहीं पहनो, शर्म नहीं है, नग्न अवस्था में टीवी पर आते हैं। कपड़े नहीं पहने, बदमतीजी करते हैं, गंदी-गंदी महिलाएं दिखाई जाती हैं, ये एक्ट्रेस हैं। क्या इनके पास कपड़े नहीं हैं? हमारा कल्चर हमेशा पर्दे में रहने का रहा है। हमारे देश का कल्चर हमेशा स्ट्रांग रहा है, इसलिए हम आज भी हमारी परम्पराएं हैं। रोम और मिश्र मिट गए, लेकिन हमारा नामोनिशा अभी भी है, लेकिन आज भी हमारे खिलाफ साजिस चल रही है। कोई भी सीरियल, पिक्चर, खबर कंट्री के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कई बार गलत खबर दिखाते हैं और बाद में करेक्शन आती है कि गलत खबर दिखा दी। एक बंदे को आपने चोर बना दिया और बाद में कह देते हैं कि गलती हो गई, यह बात सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह: आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे बोलने के लिए कुछ समय और दिया जाए। मेरे लिए अपना देश सबसे बड़ी प्राइयोरिटी है। मेरी जनाब से विनती है कि सिस्टम को ठीक करें। क्राइम पर चैनल बनाया गया है। आप देखेंगे कि जुर्म पर स्टोरियां दिखाई जाती हैं। टीवी पर गोली मारते देख कर गोली मारना सीखते हैं। क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, उनको हिन्दुस्तानी बनाओ, देश की सेवा के काबिल बनाओ और आप उसको रात को सोने नहीं देते हैं। दरवाजे, कमरे, बेडरूम बंद और शुरू हो गया प्रोग्राम। मेरी जनाब से विनती है, मैं सब को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की औरतें हमारी शान हैं और हमारे देश की औरत किसी टीवी पर, किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में नग्नता नहीं दिखनी चाहिए और जो अंग्रेजी पिक्चरें हैं, वे हमारे हिन्दुस्तान के चैनलों पर रात को नहीं लगनी चाहिए। नग्नता, गंदापन चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मुझसे समाप्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं।

इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि जो इंप्लाईज की पोस्टें खाली पड़ी हैं और जो लोग ट्रेन्ड हैं, जो लोग उस काम को जानते हैं, उनकी भर्ती जल्दी करवाई जाए और सारे चैनल, सारे स्टेशन मास्टर, उड़िया वाला जम्मू लगाओ, जम्मू वाला उड़िया लगाओ, न उसको वह समझ पाए और न दूसरे को ही कुछ समझ आए, आप इस तरह से सत्यानाश कर दो, इस बात को समझो ध्यान से। शुक्रिया, धन्यवाद, जयहिन्द, मैं इसका सपोर्ट करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी बहुत ओजस्वी और जोरदार भाषण लाल सिंह जी का सुना है। यह बात सत्य है कि दूरदर्शन और प्रसार भारती को हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। जहां तक देखा गया, इस प्रसार भराती, दूरदर्शन और आकाशवाणी में करीब 38,000 कर्मचारी पूरे देश में हैं और आज जो प्रतिस्पर्धा है, प्राइवेट चैनलों में और आकाशवाणी, दूरदर्शन के बीच में, हम मूल्यांकन करें, तो हम कहीं आखिरी पायदान पर खड़े मिलते हैं सरकार ने यह भी कहा है कि 50-50 प्रतिशत के हिसाब प्रसार भारती, दूरदर्शन इसको वहन करें। आज प्रसार भारती बोर्ड की स्थिति यह है कि यह 50 परसेंट अदा करने में असमर्थ है। सरकार का यह भी मत है कि 50 परसेंट सरकारी और 50 परसेंट विज्ञापन से व्यवस्था कर रहे हैं। सीबीआई की रिपोर्ट आई है और सीबीआई का पक्का दावा है कि प्रसार भारती के प्रसारण में अब तक 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह बहुत चिंता का विषय है। तमाम

अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तमाम अधिकारी सस्पेंड भी हुए।

इसी सदन में माननीय मंत्री अंबिका सोनी जी ने तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया था। हाई डेफिनेशन प्रसारण में जो अनियमितताएं आई हैं, उस पर भी यहां यह सवाल किए गए थे। कॉमन वैल्थ गेम्स सम्पन्न हुई हैं, उसमें यह बात उजागर हुई कि यूके की बेस्टकंपनी को 246 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था जिसमें सरकार को 100 करोड़ का घाटा हुआ। यह बहुत बड़ी अनियमितता है और सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह की अनियमितता को कैसे रोका जाए। आज यहां तमाम माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और विचार आए भी हैं।

जहां तक प्रसार भारती के ढांचे की बात है, इसे बदलने की जरूरत है। नियम और कानून को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। यही नहीं प्रसार भारती के कर्मचारी समय-समय पर अपनी मांगों के लेकर धरना और प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि सरकारी चैनल दूरदर्शन की हिस्सेदारी 1.2 परसेंट है। दूसरी ओर अगर प्राइवेट चैनल स्टार प्लस को देखा जाए तो इसकी हिस्सेदारी 22.5 परसेंट है। यह बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को भरने के लिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और विशेष ध्यान देना होगा तब कहीं जाकर हम प्राइवेट चैनलों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। प्रसार भरती को आज और अधिकार देने की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसके कामों में पारदर्शिता हो। यह बात सत्य है कि पूरे देश में प्रसार भारती से जुड़े 38,000 कर्मचारी हैं। इस बिल में कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की बात विस्तार से है। मैं यही कहूंगा कि प्रसार भारती पर किसी भी वक्त गाज गिर सकती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आज वर्तमान बोर्ड को भंग करने की जरूरत है। सरकार को इसे संज्ञान में लेना होगा, गंभीर होना पड़ेगा तभी प्रसार भारती को मजबूत किया जा सकता है। यहां कई बार चर्चा हुई है कि बोर्ड में भाई भतीजावाद की शिकायतें आई हैं। भाई भतीजावाद का प्रचार प्रसार है तो हम कैसे प्रसार भारती को मजबूत कर सकेंगे, इस ओर सोचने की आवश्यकता है। दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल की हिस्सेदारी को देखकर मूल्यांकन करना चाहिए। मंत्री महोदया आ गई हैं, मेरे ख्याल से हमारी बातों को वे बहुत ध्यान से सुनेंगी। मैं चंद शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। स्टेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि आज इस बोर्ड को भंग कर दें और नया सशक्त बोर्ड बने। प्रसार भारती को वर्ष 2010 में 1700 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी दी गई है।

आज आकाशवाणी में 232 रेडियो स्टेशंस चलते हैं, 171 एफ.एम. और 242 चैनलों निजी की संख्या है। यदि आप विभिन्न चैनलों को देखें तो मेरे ख्याल अन्य चैनलों को देखने में लोगों की उत्सुकता होती है, लोग फिक्स करके अपनी पसंद के चैनल्स देखते हैं, लेकिन दूरदर्शन कोई नहीं देखता। इतना उबाऊ और थकान भरा तथा मेरे ख्याल से नॉन-कमाऊ प्रसार भारती का दूरदर्शन है। इस पर लोग केवल समाचार सुन लेते हैं या कभी किसी अच्छे कार्यक्रम या सरकारी प्रोग्राम का लाइव प्रसारण आ गया तो लोग देख लेते हैं, अन्यथा नहीं देखते हैं। प्राइवेट चैनलों को लोग देखना पसंद करते हैं।

अभी इस बिल में आपने जो बात कही है कि आप हाई डैफिनेशन प्रसारण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 80 चैनलों को दिखाना अनिवार्य होगा, यह बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम सदस्यों द्वारा कही गई बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्रसार भारती को आप बचा लीजिए, आप उसके बोर्ड को देखिये तथा जो सौ करोड़ रुपये की अनियमितताएं कामनवैल्थ गेम्स से लेकर अब तक हुई हैं, उन पर ध्यान दें। आज लोगों का जो रुझान है तथा दूरदर्शन चैनल न देखने की एक प्रथा जो बन गई है, आप किस प्रकार से उसकी व्यवस्था ठीक कर पायेंगे। इस चैनल से अच्छे-अच्छे समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारित हों, गंदे प्रसारण न हों। जैसे हमने पहले भी एक क्वैश्चन के माध्यम से कहा था कि यदि आप परिवार के साथ बैठकर समाचार देखें तो आप देख नहीं सकते, चूंकि उसमें कुछ ऐसे भद्दे विज्ञापन दिखाये जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट चैनलों से आप किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करेंगे, इस ओर विशेष ध्यान दें। इस बिल पर पुरजोर तरीके से बल देते हुए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके बोर्ड में सुधार लाएं तथा प्रसार भारती को मजबूत करें। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन सब पर विशेष ध्यान देते हुए इस बिल को लायें और इसे मजबूत करें।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। मैं प्रसार भारती अमेंडमेंट एक्ट, 2010 के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह क्यों आया, इस पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिसका नम्बर 3244 ऑफ 2002 है। उसका फैसला 2 फरवरी, 2007 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनकी सर्विस कंडीशन बनाइये, चूंकि इनकी सर्विस कंडीशन में अनिश्चितता, इनडेफिनिटनैस विद्यमान है। 90 परसेन्ट लोग जो आकाशवाणी और इसमें आये हुए हैं, जैसा हमारे

मित्र ने बताया कि यहां 38 हजार लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी सर्विस कंडीशन क्लियर नहीं हैं। आप उन्हें डेपुटेशन पर भेज रहे हैं। डेपुटेशन का मतलब यह है कि जो उनका लियन है, उनका दायित्व और जिम्मेदारी फर्स्ट सर्विस में रहती है। इसलिए वे डेपुटेशनिस्ट ठीक से काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी, अगर हम संक्षेप में कहें तो यह जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की लैटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। आप पूछिए कैसे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो एक सैक्शन 11 अमैन्ड हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी का विधिक पृष्ठभूमि रही है। हालांकि आजकल कुछ हिले हुए हैं, वह इसे समझेंगे। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि इसमें यह लिखा है कि आप डेपुटेशन में चले गये, प्रसार भारती के आप इम्पलाई हो गये, लेकिन यह डेपुटेशन जिंदगी भर रहेगा। यह क्या है? यानी डेपुटेशन का करैक्टर आखिर तक रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं थी, मैने सुप्रीम कोर्ट की वह रिट याचिका भी पढ़ी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमैन्ट भी पढ़ा है।

महोदय, समय का अभाव होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि सर्विस कंडीशन ऐसी बनाइए कि सर्विस पर जाने वालों के लिए अपनी सर्विस को टैन्योर सिक्योर हो। उसमें एक लफ्ज यह कह देते कि जो प्रसार भारती में तीन साल के काम कर रहे हैं और यदि उनकी कोई एडवर्स एंट्री नहीं है तो वे परमानैन्ट समझे जायेंगे। आपने एक तरह से उन्हें ट्रांसफर कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवस्था में और खास कर प्रजातांत्रिक सेट-अप में अगर टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरह से डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी ने 3011 में बनाया कि जो सरकार की आईएएस और आईपीए सर्विस है, इनको परमानेंसी दीजिए। अगर इनके खिलाफ करना हो तो अपॉरचुनिटी दीजिए। बीसियों इफ एण्ड बट हैं तब इनकी सर्विस ले सकते हैं। यह पूरा अभाव है। जब मैं लोक सभा में आया तो मेरे पास एक डेलिगेशन दूरदर्शन में पीआईएल के लिए आया था। मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहता जो रोज बोलते हैं, रोज एंकरिंग करते हैं, 12-12 साल से आज भी प्रसार भारती में टैंपरेरी हैं। टैंपरेरी का मतलब है कि उनको एक महीने के नोटिस में निकाल दिया जाएगा। अगर एक महीने के नोटिस में निकाला जाएगा तो उसका क्या प्रदर्शन होगा, उसका क्या इंवालमेंट होगा? एक लाईन अगर ड्राफ्ट में बढ़ जाती है कि इनकी टेन्योर ऑफ सर्विस, अगर ये ट्रांसफर हो गए, ब्रॉडकास्टिंग और उससे जा कर प्रसार भारती में आ गए तो इनको परमानेंट किया जाएगा। इनकी सर्विस कंडीशन नहीं है, न इनके ईपीएफके बारे में हैं, न इनके पेंशन के बारे में है। कुछ नहीं है। जो सेंट्रल सर्विस के हैं, इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के वे इनके बॉस हैं। वे उनको एक महीने के नोटिस पर कहते हैं गेट आउट। अगर यह है तो मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रसार भारती की मंशा जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी वह पूरी नहीं होती है। अगर किसी का वर्तमान देखना है तो थोड़ा उसके इतिहास में जाना चाहिए। दिनांक 5 अक्तूबर 2007 को मंत्री समूह की बैठक में यह सिफारिश की गई थी। पहली लाइन में यह ऐम्स एण्ड ऑब्जेक्ट है, क्यों बना। मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें यह लिखा कि चूंकि 3244/2002 में 2 फरवरी 2007 को भारत के उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। यह रूल क्या बना है? अब रूल देखिये कि कितना सुन्दर बना है। मंत्री समूह ने दिनांक 5 अक्तूबर 2007 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि प्रसार भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सभी फायदों सहित समझी गई प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे। मंत्री समूह ने दिनांक 26 सितम्बर 2008 को अपनी बैठक में, अपनी सिफारिशों में उसको दोहराया है। कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान

[अनुवाद]

मैं यहां रुकता हूं। मैं स्वयं से प्रश्न पूछता हूं।

[हिन्दी]

कैसी समानता है कि आप पैदा होंगे तो टैंपरेरी हैं और रिटायर होंगे तो भी टैंपरेरी रहेंगे। यह कैसी समानता है?

[अनुवाद]

केंद्र सरकार के एक सेक्शन ऑफिसर को एक हाथ स्वामित्व मिल जाता है।

[हिन्दी]

और इनको जो रूल कर रहे हैं, जो कलाकारों से ऊपर हैं, उनको शत-प्रतिशत सिक्योरिटी है। अब देखिए कि इनका संशोधन क्या आया है।

[अनुवाद]

कृपया मुझे अंग्रेजी में उद्धृत करने की अनुमति दें। इसमें कहा गया है:

> "नियत तिथि से पूर्व आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रयोजनार्थ भर्ती किए गए और 01 अप्रैल, 2000 को निगम की सेवा में सभी सेवा अधिकारियों और कर्मचारियों को 01 अप्रैल, 2000 से निगम में प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा और वह सेवानिवृत्ति की तारीख तक जारी रहेगी।"

[हिन्दी]

मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

इसके पूरी तरह कायापलट की जरूरत है।

[हिन्दी]

हिंदी में कहा जाए कि इस एक्ट की कंपलीट ओवरहॉलिंग कीजिए। 38000 आदमियों के भाग्य से यह खेल हो रहा है। इनकी सुविधाओं, सिक्युरिटी और टेन्योर की आप जब तक गारंटी नहीं देते तो फिर यह मत कहिए कि इनका जो प्रदर्शन है वह इनफीरियर है।

[अनुवाद]

कृपया खंड पांच देखिए। इसमें कहा गया है:

"5 अक्तूबर, 2007 को नियुक्त किए गए सभी अधिकारी और कर्मचारी, दिशा निर्देशों में निहित शर्तों से शासित होंगे।"

पूरा लाइसेंस है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के विरुद्ध आया है। यहां तक कि जीओएम ने भी कहा कि साहब इसकी सब चीजों का ध्यान रखा जाये, लेकिन लगता है कि

[अनुवाद]

जहां मिले पांच माली वहां बाग सदा खाली।

[हिन्दी]

लगता है जीओएम भी एक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी में, जो ड्राफ्टर थे, उन्होंने कर दिया और अब आप देख लीजिए। कितना डिस्क्रिमिनेशन हैं, मैं आपकी इजाजत से जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट सर्कुलेट हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा संक्षेप में कहिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूं। मंत्री समूह ने 16 अप्रैल 2010 को अपनी बैठक में भारतीय सूचना अधिकारी, इंडियन इन्फार्मेशन सर्विस, जो इनके बॉस हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, जो सेंट्रल सर्विस वाले हैं, आईएएस ग्रेड टू, आकाशवाणी दूरदर्शन काडर के बाहर अन्य काडर कर्मचारियों की तरह उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। उन्हें संरक्षण दिया गया है। वे टिल रिटायरमेंट डेपुटेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो कर्मचारी, जो कलाकार, जो जान लगा रहा है, सवेरे से राउंड दी क्लॉक काम कर रहा है, वह टिल रिटायरमेंट टेंपरेरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इनके ड्राफ्टर्स को कह रहा हूं कि अभी देर नहीं हुई है, इसका फिर अमेंडमेंट लाएं और इनको वहीं सर्विस में बहाल करें।

मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसमें पुन: एक अमेंडमेंट लाएं और इनकी सर्विस कंडीशन में इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लाएं, उनकी एफीसिएंसी इंट्रोड्यूस करें, एफीशिएंसी रिवार्ड हो, डेफीसिएंसी में पनिशमेंट हो और उन्हें सिक्योरिटी दी जाय, यही मेरा कहना है।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, प्रसार भारती की स्थापना वर्ष 1997 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई थी, राजग सरकार के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग-अलग संस्थायें थीं, किंतु राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर इसे बनाया। यह वर्ष 1989 से लटका हुआ था।

महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। इसमें कार्य कर रहे अधिकारी, कर्मचारी की दशा एवं दिशा के बारे में कहा गया है। जब प्रसार भारती का गठन हुआ था तो इसमें कुल 33,657 कर्मचारी थे, जिसमें से 30,042 कर्मचारियों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से लाया गया था। प्रसार भारतीय अधिनियम 1990 में संशोधन की गुंजाइश धारा 11 के तहत प्रस्तावित हैं, जिसे देखते हुए आप इस विधेयक को लाए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही जब अनियमितता का मामला उजागर हुआ, तब तत्कालीन निदेशक प्रसार भारती को कोर्ट के माध्यम से हटाया गया, यह भी एक विचारणीय विषय है। प्रसार भारती पर संसदीय समिति अभी तक नहीं बनायी गयी है। प्रसार भारती पर एक संसदीय समिति बनाना बहुत जरूरी है। इसका गठन करना बहुत ही जरूरी है।

महोदय, प्रसार भारती का गठन इसलिए किया गया था कि यह संस्था अपने दर्शकों को सही खबर, सही जानकारी दें, जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो निजी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को ज्यादा समाचार मिलते हैं और ज्यादा कुछ सुनने को मिलता है। प्रसार भारती जो हमारा दूरदर्शन है, यह किस डिफरेंट ढंग से काम करता है, उस पर लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय

घटनाक्रम का त्वरित प्रसारण हो सके, उस हिसाब से यह खरा नहीं उतरता है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेलीविजन आंकड़े जुटाने वाली एजेंसी (टैम) के 2010 के सर्वे के अनुसार प्रसार भारती की बाजार में हिस्सेदारी मात्र 1.2 परसेंट है, जबकि निजी चैनल्स जैसे कलर्स, स्टार न्यूज, जीटीवी आदि की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

महोदय, वर्ष 2008 में ही आउट सोर्सिंग करने की बात तत्कालीन महानिदेशक ने की थी, यदि उस समय यह कार्य भी कर लिया जाता तो इस संस्था की माली हालत यह नहीं होती, जो आज देखने को मिल रही है। वेतन तक देने की व्यवस्था नहीं है। 50-50 परसेंट, जैसा कि शैलेन्द्र कुमार जी बता रहे थे, पहले व्यवस्था थी, लेकिन सरकार 60 प्रतिशत तक का वेतन वहन कर रही है। वर्ष 2008-09 में इसका राजस्व 737 करोड़ रुपये था, जबकि आपरेशन कॉस्ट 1152 करोड़ रुपये थी, अर्थात् 400 करोड़ रुपये का घाटा प्रति बजटीय वर्ष में हो रहा है। इसका मूल कारण है कि बाजारीकरण के दौर में प्रसार भारती पिछड़ गया है जिसमें सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, यह भी हैरान करने की बात है कि 40000 कर्मचारी एवं 70000 करोड़ की परिसंपत्ति वाले प्रसार भारती का यह हाल है। यानी प्रबंधन व्यवस्था बहुत खराब हालत में है। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूं और सभी पूर्ववक्ताओं ने भी इस बात पर जोर डाला है। डीडी न्यूज जो कि प्रसार भारती का न्यूज चैनल है, उसमें 250 कर्मचारी अनुबंध पर कार्य करते हैं जिसमें एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन एवं अधिकारी भी हैं जो पिछले नौ-दस वर्षों से कार्यरत हैं तथा प्रसार भारती के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन लोगं को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, बल्कि इसमें काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति के लिए यदि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो इनके पारिश्रमिक से पैसा काटकर दिया जाता है।

महोदय, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। ऐसी ही स्थिति आकाशवाणी में भी है। वहां समाचार प्रभाग में बड़ी संख्या में चपरासी, स्टैनो, समाचार-वाचक, अनुवादक और अधिकारी अनुबंध पर काम करते हैं। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने जोर दिया है कि उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें पारिश्रमिक के रूप में न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं दी जा रही है जो एक गंभीर विषय है। इस संदर्भ में प्रसार भारती संशोधन विधेयक 2010 में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

महोदय, विगत दिनों में डीडी न्यूज में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने जब काली पट्टी बाँधकर विरोध दर्ज कराया तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपके हितों को ध्यान में रखकर 15 दिनों के अंदर आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। मगर इसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने जो भी इसमें काली पट्टी बाँधने वाले थे और जो भी काम करने वाले थे, इनको हटाकर नये कर्मचारियों की भर्ती करने का मन बना लिया जो कि आपत्तिजनक है। अतः माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम कर रहे अनुबंध-कर्मियों को शीघ्र नियमित कर प्रसार भारती कर्मचारियों की तरह सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे इन लोगों को सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही, मैं जिस इलाके से आता हूं, वह नेपाल का बार्डरिंग एरिया है। हमारे यहाँ सुपौल, सहरसा में दूरदर्शन का केन्द्र 20-25 सालों से बना हुआ है लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं हो पाया है। वहीं बगल में नेपाल में भुरुखवा चैनल है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन हमारा दूरदर्शन तो 60 किलोमीटर तक भी कवर नहीं कर पाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रसार भारती बिल में संशोधन करके इसे पास किया जाए। यह बहुत सराहनीय बिल मंत्री जी लाए हैं। इसमें जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी हैं जो प्रसार भारती में आए हैं, सबको संरक्षण देकर इस पर काम किया जाए।

[अनुवाद]

डॉ० रत्ना डे (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक 2010 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

जैसा कि सभा को जानकारी है मंत्रियों के समूह ने प्रसार भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों की स्थिति और प्रसार भारती के सभी अनुशासनात्मक और पर्यवेक्षणीय शक्तियां प्रदान करने तथा एक स्थान, पद, मीडिया से अन्य स्थान, पद, मीडिया में स्थानांतरित करने की शक्तियां सहित कर्मचारियों और अधिकारियों पर नियन्त्रण प्रदान करने संबंधी काफी समय से लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए सिफारिशों की थीं।

निःसंदेह, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित यह मुद्दा काफी समय से लंबित है। यह मुद्दा प्रसार भारती, अर्थात भारतीय प्रसारण निगम में उनके स्थानांतरण से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। यह पूरा मुद्दा इसलिए सामने आया क्योंकि जब निगम का गठन किया गया उस समय कर्मचारियों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 11 के अंतर्गत निगम में उनकी सेवाओं के स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया।

अब, इस विधेयक से यह खामी दूर हो जाएगी और कर्मचारी राहत की सांस ले सकेंगे क्योंकि उन्हें अब निगम में स्थानांतरण पाने का अधिकार होगा जो कि अब तक नहीं था। अत: यह एक स्वागत योग्य उपाय और सही दिशा में उठाया गया कदम है।

एक अन्य संगत बिन्दु जिस पर मैं बल देना चाहती हूं वह यह है कि 7 मार्च, 2006 को गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में काफी समय मिला। नि:संदेह, भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गईं, जिसके परिणामस्वरूप, प्रसार भारती के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने में काफी लंबा समय लगा। कभी नहीं से देर भली।

इस विधेयक को 13 दिसम्बर, 2010 को सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया और समिति ने दो माह की छोटी अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

इस विधेयक के पारित होने पर प्रसार भारती को अनुशासनात्मक और पर्यवेक्षीय शक्तियां प्राप्त होंगी और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रसार भारती में स्थानांतरण करने में सहायता मिलेगी।

मैं सरकार के इस कदम और इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं, जो कि कर्मचारियों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसार भारती में स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त करता है।

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

अब इस विधेयक का उद्देश्य प्रसार भारती की अधिनियम, 1990 की धारा 11 का संशोधन करना है। चूंकि इस विधेयक का उद्देश्य प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों की काफी लंबे समय से लंबित स्थिति संबंधी मुद्दे का समाधान करना है, अत:, मैं इस विधेयक के उपबंधों का समर्थन करता हूं। यह कार्य पहले ही किया जाना चाहिए था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 2007 में ही अपना निर्णय दें दिया था। सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने में चार वर्ष का समय ले लिया। तथापि, यह एक स्वागम योग्य कदम है - कभी नहीं से देर भली। परन्तु, मुझे प्रसार भारती के कार्यकरण तथा केन्द्र सरकार की भूमिका जैसा कि विधेयक में अन्तर्विष्ट है, के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं।

अब यह विधेयक प्रसार भारती को अनुशासनात्मक और पर्यवेक्षीय शक्तियां प्रदान करता है। परन्तु, केन्द्र सरकार के पास अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रसार भारती के उच्च अधिकारियों विशेष रूप से उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बी एस लाली, जो कि वर्तमान में निलंबित हैं, द्वारा कथित रूप से की गई राष्ट्रमंडल खेलों संबंधी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शुंगलू समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखा है। इस संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका निश्चित रूप से होनी चाहिए। परन्तु, मुझे यह आशंका है कि इससे स्वायत्तशासी निगम के कार्यकरण में सत्ताधारी पार्टी का हस्तक्षेप रहेगा। मुझे यह भी आशंका है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों सत्ताधारी पार्टी के साधन और प्रवक्ता बन जाएंगे और दूरदर्शन का नाम 'सरकार दर्शन' पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। अत: मेरा सुझाव है कि इसके लिए 'संसदीय समिति' और 'प्रसारण परिषद' का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि विधेयक में पहले ही इसका प्रावधान है और संसद ने उसे पारित किया है और सरकार ही बेहतर जानती है कि उसे लागू क्यों नहीं किया गया है।

प्रसार भारती के कर्मचारियों की स्थिति संबंधी मुद्दे के समाधान के संबंध में सरकार से उस यूनियन को तत्काल मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं जो कि रद्द कर दी गई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ एसोसिएशनों को केन्द्र सरकार द्वारा नियम 1959 के अनुसार मान्यता प्रदान किया गया था। इनमें से अधिकांश एसोसिएशन गत चालीस अथवा पचास वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अकस्मात, 8 सितम्बर, 2011 को प्रसार भारती के यह घोषणा की कि प्रसार भारती में किसी एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त नहीं है।

सरकार का विकल्प है कि उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। किंतु उन्हें मामले की सुनवाई और दलील पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। उनके विचार नहीं सुने गए। अचानक मनमाने ढंग से मान्यता वापिस ले ली गई। इससे अथॉरिटी के स्वेच्छाचारी रवैया, का पता चलता है। यह समर्थन योग्य नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन नौ संघों की मान्यता दें जिनका उल्लेख महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 22 फरवरी 2010 को जारी आदेश में किया गया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता की प्रक्रिया पूरी किए जाने तक एआईआर मैनुअल की वैधता बनाये रखते हुए उन सबको मान्यता प्राप्त संघों के रूप में अपना दर्जा बनाये रखने दिया जाए ताकि कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित न हों।

अब, इस मामले में मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी पहलू को भी ध्यान में रखा जाए। उनके पदोन्नति

संबंधी लाभों में अवरोध नहीं होना चाहिए। स्थायी समिति ने उसके लिए स्पष्ट सिफारिश की है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्वीकृत 48,173 पदों में से लगभग 12000 पद अभी भी रिक्त हैं। यदि इतने सारे पद रिक्त हैं तो प्रसार भारती कैसे कार्य कर सकता है? इसलिए, पदों को उच्च प्राथमिकता आधार पर भरा जाना चाहिए। आरक्षण, रोस्टर भी रखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रसारक कार्यों को बाहर से कराने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी को नैमित्तिक आधार पर कर्मचारी काम पर नहीं लगाने चाहिए। इसके संचालन और अनुरक्षण का काम किसी भी गैर-सरकारी संचालक को नहीं दिया जाना चाहिए।

जहां तक प्रसार भारती की बात है तो मैं कहता हूं कि हम सब राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र को मजबूत करने में पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसे हमारे महान राष्ट्र की संस्कृति, परम्परा और विरासत और भारत के मूलतत्व का प्रचार करना चाहिए। इसके विपरीत निजी चैनलों का उद्देश्य लाभ कमाना है और वे वाणिज्यिक दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। कभी-कभी उनमें से बहुत से चैनल मनोरंजन के नाम पर अश्लील दृश्य दिखाते हैं, गढ़े हुए तथ्य दिखाते हैं और इस तरह जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यमान कानून में धारा 6 और 7 में कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड के उपबंध और धारा 16 में उल्लंघन के मामले में दंड के उपबंध को सही अर्थों में लागू किया जाना चाहिए। प्रसार भारती को दो आदर्श वाक्यों से प्रेरित होना चाहिए - गुणवत्ता और विश्वसनीयता तथा निदेशक मंडल को रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज की स्थिति के अनुसार हमारे पास 336 आकाशवाणी केंद्र और 14064 दूरदर्शन केंद्र हैं। इस देश के लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम प्रसारण के लिए हर कोने में दूरदर्शन चैनल उपलब्ध हैं। कभी-कभी फोकस गुणवत्ता पर नहीं बल्कि कमीशन पर होता है। इसे बंद किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रसार भारती विशेषकर दूरदर्शन की समाज के हरेक वर्ग, विशेषकर युवा पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। अपनी स्वीकार्यता के मामले में इसे अन्य चैनलों की तुलना में बराबरी की टक्कर देनी होगी। कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए कि वह जनता के सभी वर्गों को आकर्षित करे किंतु नैतिक मूल्यों और सदाचार की कीमत पर नहीं। इसलिए, व्यावसायिक योग्यता की जरूरत है। प्रबंधन के साथ व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। अन्यथा हम कभी-भी प्रसार भारती की आदर्शों को पूरा नहीं कर सकते।

मैं अब प्रसार भारती की वित्तीय व्यवहार्यता के मुद्दे पर जाता हूं ...*(व्यवधान)* स्थाई समिति ने कुछ स्पष्ट सिफारिशें की हैं। निःसंदेह, प्रसार भारती को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सरकार के सहयोग के बिना यह कैसे संभव हो सकता है? बीबीसी को ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्राप्त हैं और फिर भी यह अपनी स्वतंत्र भूमिका बनाये रखे हुए हैं। प्रसार भारती के मामले में भी ऐसा किया जाना चाहिए। मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि 2011-2012 से 2015-16 तक अगले पांच वर्षों में सभी वेतन, पूंजी सम्पदाएं सरकार द्वारा प्रदान किए जाएं। प्रसार भारती अपनी आंतरिक आय से संचालन और निर्माण संबंधी कम की पूर्ति करेगा। वित्तीय अव्यवहार्यता सभी वर्ग के कर्मचारियों में असुरक्षा पैदा करती है। इसलिए, सरकार को इसे व्यवहार्य बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और प्रसार भारती प्रबंधन को प्रभावी निभानी चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई भ्रष्टाचार न हो जिससे प्रसार भारती को हानि पहुंचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक के उपबंधों का समर्थन करता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढ़ेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने हेतु धन्यवाद। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 पर चर्चा करते समय हम सब विधेयक पर चर्चा करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं जो भारत के स्वतंत्रता प्रेमी और जनतांत्रिक लोगों का लम्बे समय से सपना रहा है। आपात काल के तत्काल पश्चात् यदि मेरी स्मरण शक्ति मेरा साथ दे रही है, जब श्री एस. जयपाल रेड्डी सूचना और प्रसारण मंत्री के जो दुर्भाग्यवश यहां विराजमान हैं, प्रसार भारती की अवधारणा और स्वप्न उस दौरान देखा गया था और यह कई वर्ष बाद 1977 में पन्द्रह अथवा बीस वर्ष बाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। इसके पीछे यह विचार था कि यह सरकार की आवाज होगी लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सरकार के लोगों की आवाज होगी। यह जनता की आवाज होगी; यह भारत की आवाज होगी क्योंकि भारत के लोग इस आवाज को सुनना चाहते हैं।

अपनी शुरूआत से लेकर लगभग 14 वर्ष बाद आज निगम ने इस कारण से अच्छा प्रदर्शन किया, हर वर्ष विषय परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक कार्य किया है और बहुत अधिक वित्तीय घाटा हुआ जबकि 12000 रिक्तियां थीं और लगभग 38000 कर्मचारी जिनमें से अधिकतर आज असंतुष्ट हैं।

अब निगम न्यूनाधिक रूप से तदर्थ आधार पर काम कर रहा है, हममें से प्रत्येक व्यक्ति जो भी समाचार पत्र पढ़ता है, वह उस नाटक से वाकिफ होगा जो उस समय हुआ जब बोर्ड की बैठक

आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक के पदों पर निर्णय करने हेतु हुई। एक सूची तैयार की गई जिसमें एक निश्चित क्रम रखा गया। इसका कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया कि यह क्रम क्यों बनाया गया; क्या यह क्रम वर्णानुक्रम में था और क्या यह क्रम योग्यता क्रम में था। किन्तु बोर्ड के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात् कुछ दिनों बाद स्पष्टत: वर्ष 2011 के आरंभ में 21 मार्च को उन्हीं सदस्यों से एक दूसरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जिसमें इस सूचीक्रम में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया था और एक बहुत बुद्धिमान-मुझे विश्वास है - आरएएस अधिकारी, जो आईएएस से भी अधिक हो सकते हैं, को पहले स्थान पर बैठाया गया न कि उनका चयन किया गया और जो लोग निगम में रहे हैं और जिनके पास भारतीय प्रसार कार्यक्रम अधिकारी जैसी तकनीकी अर्हता हैं जिनमें से एक व्यक्ति का तो पहला स्थान था, उन्हें दूसरे स्थान पर कर दिया गया।

यह बात आज तक आश्चर्य बनी हुई है, यह संशोधन बुनियादी रूप से उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में है जिन्हें प्रतिनिधि पर भेजा गया है। हम सभी समझते हैं कि जब आप कर्मचारियों को प्रतिनिधि पर भेजते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनके मुखिया कौन हैं और इससे कार्य की प्रतिबद्धता पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पद में कोई रूचि नहीं है क्योंकि पद में कोई सुरक्षा नहीं है। इस बात का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं यह कह रहा हूं या कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आज भारत में सरकारी अधिकारी अपनी नौकरी से प्रेम करते हैं यदि उन्हें सुरक्षा मिलती है। दुर्भाग्यवश मामला यह नहीं है। किन्तु यदि आप पहले ही असुरक्षित लोगों का समूह बना देते हैं जो सोते जागते अधिक शक्ति चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आपको उन्हें कुछ सुरक्षा और समझ और आश्वासन देना होगा कि वे हैं और वे कौन हैं और उस स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार अपने इरादों में ईमानदार रहें।

मुझे याद है कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि इस महीने के आरंभ में 8 दिसम्बर को राज्य सभा में सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा था कि वह कर्मचारी संघों और परिसंघ के सदस्यों के साथ बार-बार बैठकें करती रही हैं किंतु महोदय, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने मुझे पता चला है कि ऐसी कोई बैठकें नहीं हुई हैं।

प्रसार भारती की शिकायत निपटान प्रणाली पूर्णतया निष्क्रिय हो गई है, न कोई बैठकें आयोजित की जाती हैं न कार्यवाही वृत्तांत को नोट किया जाता है और इसलिए कर्मचारी ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें इस लड़ाई में बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है जिसमें कदाचित उनका लेना देना नहीं है किन्तु वे बड़े लोगों के शिकार हैं जो कुछ बातों के लिए लड़ रहे हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर हैं।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे अनेक दो से अधिक उदाहरण हैं जहां बोर्ड की बैठक के बाद कार्यवाही वृत्तांत के तीन से अधिक विवरणों की प्रतियां बोर्ड के सदस्यों में वितरित की गईं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, क्या माननीय सदस्य एक मिनट के लिए रुकेंगे।

श्री तथागत सत्पथी: जी हां।

श्रीमती अम्बिका सोनी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बोलते हुए मुझ पर माननीय राज्य सभा की गलत सूचना देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा है कि मैंने एक अंत:क्षेप में अथवा एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मैं अकसर या समय-समय पर कर्मचारी यूनियन से मिलती रही हूं। उन्होंने मुझ पर राज्य सभा को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है क्योंकि उनके पास निजी स्रोतों से प्राप्त दूसरी जानकारी है जिसमें कहा गया है कि मैं कर्मचारी यूनियन से कभी नहीं मिली। मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य या तो अपनी बात की पुष्टि करें या अपने आरोप वापस लें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं माननीय मंत्री का बहुत आदर करता हूं। मेरी उनको ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। किंतु एक सरकारी कार्यवाही को मेरे द्वारा सही साबित किए जाने के प्रयास के बजाय क्या मंत्री के लिए यह सही नहीं होगा कि वह एसोसिएशन और फेडरेशन के साथ हुई अपनी अनेक बैठकों के कम से कम दो या तीन मिनट्स आपके समक्ष प्रस्तुत करें जिससे यह पूरी तरह सिद्ध हो जाए कि मैं झूठा हूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की बात भी रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: आप सत्ता में हैं। रिकार्ड आपके पास है। मैं इस सभा में खुलेआम माफी मांगने को तैयार हूं, मैं संकोच नहीं करूंगा। मैं इसे लिखित में दूंगा। परन्तु मैं माननीय मंत्री से

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुरोध करता हूं कि हम सब पर कृपा करें और जिन्होंने एसोसिएशन तथा फेडरेशन के साथ जो बहुत सी बैठकें की हैं उनके दो या तीन मिनट्स यहां भेज दें ...*(व्यवधान)* मैं बस यही कर रहा हूं ... *(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, एसोसिएशन का फेडरेशन के साथ कितनी बैठकें हुई हैं? रिकार्ड सभा पटल पर रखे जाने चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: बस यही। मैं मंत्री को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, यह जिम्मेदारी सरकार की है, प्रमाण प्रस्तुत करने का भार माननीय मंत्री पर है। यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी मंत्री की है कि मैं झूठा हूं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कदम और आगे जाना चाहती हूं। माननीय सदस्य अपने आरोप वापस लें कि मैंने सभा को गलत जानकारी दी और महोदय, मैं आपको उन मौकों का रिकार्ड प्रस्तुत कर दूंगी जब मैं प्रसार भारती के विभिन्न कर्मचारी संघों से मिली थी। हां, कोई कार्यवाही वृत्तांत नहीं रखा जाता। परन्तु मैं आपको तारीख बताऊंगी।

श्री तथागत सत्पथी: मैं यह लिखित में दूंगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: मैं लिखित में क्षमा मांगूगा और मैं भी एक कदम आगे जाकर वायदा करता हूं कि जब भी 'विसल ब्लोवर्स बिल' चर्चा हेतु आयेगा तो मैं सभा से अनुपस्थित रहूंगा और उस दिन भोजन नहीं करूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि प्रसार भारती के कर्मचारियों का प्रश्न है। इसे इतनी हड़बड़ी में लाने के बजाय हम उन्हें आश्वासन दें, हम उन्हें सुरक्षा दें कि वे इसके योग्य हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने आबंटित समय से अधिक समय ले लिया है। कृपया अब अपने स्थान पर बैठिये।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, कई बार व्यवधान हुए थे। अंत:क्षेप और व्यवधान एक साथ हो रहे थे जिसमें मेरा अधिकांश समय चला गया। प्रसार भारती के कर्मचारियों का मामला रखने का मौका देने और मुझे उन हजारों अनसुने लोगों, जो दो बड़ी ताकतों के बीच के झगड़े में पीड़ित हैं, की आवाज उठाने का मौका देने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, हमने प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मामला देखा है; कि उन्होंने सरकार को कैसे परेशान किया; कैसे सरकार प्रसार भारती पर पुन; अधिकार जमाना चाहती है।

महोदय, इसलिए आपने ऐसे हजारों लोग जो अपनी बात जोरदार और स्पष्ट रूप से नहीं रख पाये, के लिए जो किया है उसके लिए मैं पुन: हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब जब मेरे माध्यम से उनकी आवाज सुनी गई है तो मुझे विश्वास है कि सरकार उन्हें न्याय देगी और आपको ही इसका श्रेय मिलेगा।

अपराह्न 3.03 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

***श्री एम. आनंदन** (विलुपुरम): प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु में सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

ऐसे समय में जब सरकार लगभग 35000 कर्मचारियों को निगम के तहत लाना चाहती है, तो सरकार से नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों और उनके भविष्य के बारे में कर्मचारियों के मन में शंकाओं को कम करने की संभावना ही उनमें से अनेक कर्मचारी 25 वर्ष और तीस वर्ष से भी अधिक समय से किसी प्रोन्नति अथवा संवर्ग समीक्षा के बिना नेशनल ब्रॉडकास्टर की सेवा में दुख में दिन काट रहे हैं। मैं माननीय मंत्री प्रसार भारती के माध्यम से सरकार से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि 30,000 और चुटपुट कर्मचारियों को चाय मिले और लम्बे समय से प्रतीक्षित प्रोन्नति मिले जो उन्हें प्रसार भारती के आरम्भ से लेकर और हमसे भी अधिक वर्षो से नहीं मिल रही है। वे अपने भविष्य के बारे में चिन्तित हैं कि वे कब निगम के कर्मचारी बनेंगे। उन्हें आशंका है कि उनकी सेवा शर्तें बद से बदतर हो सकती हैं। मेरा सूचना और प्रसारण मंत्री से यह देखने का अनुरोध है कि उनकी छिपी हुई आशंका दूर हो।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हम देखते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक स्टेशनों में प्रभारी नहीं हैं। इनमें से अधिकतर स्टेशन और केन्द्र वरिष्ठ अधिकारियों के बिना काम कर रहे हैं। जब लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाए तभी अनेक स्टेशनों पर ऐसी रिक्तियों को भरा जा सकता है। दूरदर्शन और रेडियो सेवाओं के अनेक निजी चैनल हैं जो प्रसार भारती को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा दे रहे हैं। निगम के कर्मचारियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देकर ही आप इस प्रतिस्पर्द्धी युग में प्रतिस्पर्द्धा का कुशलतापूर्वक सामान्य कर सकते हैं। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि मंत्रालय ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करे ताकि कर्मचारी समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए सृजनात्मक और नए ढंग से अपना सर्वोत्तम प्रस्तुत कर सकें।

प्रसार भारती के कर्मचारियों को संघ बनाने हेतु उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिससे उन्हें अपनी शिकायतों के निपटान हेतु बातचीत करने में सहायता मिल सकती है। इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए क्योंकि हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया है, यह प्रतिबंध उसके सिद्धांतों के विरूद्ध है। उन्हें अपने लोकतांत्रिक मंच बनाने की अनुमति देने में कुछ गलत नहीं है।

ग्यारह हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं और उपयुक्त कार्मिक शक्ति सुनिश्चित किए बिना हाल ही में लगभग 200 दूरदर्शन केन्द्र खोले गए। कर्मचारियों की कमी आज की स्थिति है जिससे अव्यवस्था पैदा हो रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि ये केन्द्र आवश्यक कर्मचारी नियुक्त किए बिना गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम कैसे तैयार कर सकते हैं; श्रव्य और दृश्य दोनों के माध्यमों अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को स्वायत्ततापूर्वक काम करना चाहिए। उनका प्रसारण निःशुल्क होना चाहिए और इसमें परितोष की भावना होनी चाहिए जिसे उचित रूप से बढ़ावा देकर प्रदान किया जा सकता है। सरकार के अधीन मीडिया को काट छांट किए बिना जनता को सही समाचार और ठीक सूचना देनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दूरदर्शन ने हाल ही में समाप्त टी-20 का प्रसारण क्यों नहीं किया। कार्यक्रमों के आरम्भ करने में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सावधान रहने की भी जरूरत है। जब निजी चैनल लोगों को पसन्द आने वाले रूचिकर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं तो मैं नहीं जानता कि दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रम क्यों प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम कैसे अपने को उनके समान दिखलाएंगे जो सफल होने के लिए निजी चैनलों को बढ़ावा दे रहे हैं।

मंत्रालय और प्रसार भारती निगम से गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम का जो बड़े पैमाने पर लोगों को अच्छे लगें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने और अपने सभी कर्मचारियों नौकरी सेवा सुरक्षा, उचित बढ़ावा और उचित प्रोत्साहन देने के लिए काम करने का अनुरोध करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करना है, जिसके माध्यम से प्रसारण निगम, प्रसार भारती की स्थापना और उसकी संरचना, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट किया गया था।

प्रसार भारती संशोधन विधेयक मूलत: कर्मचारियों और अधिकारियों की स्थिति से संबंधित है। वर्तमान में इसमें लगभग 38,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अलग-अलग यूनियनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किए और वे कई बार मंत्री से भी मिले। उस समय माननीय पी आर दासमुंशी प्रभारी मंत्री थे। कई अवसरों पर उन्होंने पूर्व मंत्री से मुलाकात की और उन्हें यह बताया गया कि अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया जा चुका है और वे सभी मामलों पर चर्चा करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। काफी लंबे अंतराल के बाद अब इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। परन्तु, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें विसंगतियां हैं। ऐसी विसंगतियां क्यों पैदा हुई हैं?

विधेयक के उपबंधों में यह कहते हुए संशोधन किया गया है कि कुछ विशिष्ट पदों के अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन में सभी पदों को 1 अप्रैल, 2000 से प्रसार भारती में स्थानांतरित मान लिया जाएगा। आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन में भर्ती सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को, यदि उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल, 2000 से पहले हुई हो तो, उनकी सेवानिवृत्ति तक उन्हें मानित प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। उन्होंने क्या गलती की है। उन कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति पर क्यों माना जाएगा? ऐसी स्थिति क्यों है?

1 अप्रैल, 2000 से 5 अक्तूबर, 2007 तक भर्ती हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। परन्तु, 5 अक्तूबर, 2007 के बाद भर्ती हुए व्यक्ति, प्रसार भारती के अधिकारी और कर्मचारी होंगे और ये अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतन लाभ पाने के हकदार होंगे। इस प्रकार की विसंगति क्यों है? सभी वर्गों के कर्मचारियों चाहे वे 1 अप्रैल, 2000 पहले भर्ती हुए हों अथवा नहीं, को एक समान लाभ क्यों नहीं मिलेंगे? जो पहले भर्ती हुए हैं उन्हें कर्मचारी नहीं माना जाएगा बल्कि बाद में भर्ती होने वालों को कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाएगी और वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त करेंगे। मेरा यही प्रश्न है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि विभाग में विशेष रूप से सिविल और तकनीकी दो स्कंध इसमें भी विसंगति है। तकनीकी स्कंध के टैक्नीशियनों को मिलने वाले लाभ सिविल स्कंध के कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। इस समस्या को अनेक अवसरों पर सरकार के ध्यान में लाया गया है। परन्तु, इस संबंध में सरकार ने कोई स्पष्ट आश्वासन, कोई प्रावधान अथवा कोई वचन नहीं दिया है। अत:, मेरा मानना है कि काफी लंबे अंतराल के बाद आपने कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट करते हुए विधेयक पेश किया है। परन्तु, उनकी सेवा शर्तें; सेवा सुरक्षा, उसकी समुचित परिभाषा, हर प्रकार की विसंगतियों को दूर करना, ये कार्य करना बहुत आवश्यक है; अन्यथा स्थिति बहुत अस्पष्ट होगी और इससे कर्मचारियों के साथ में भेदभाव होगी और उनमें फूट पड़ेगी।

मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आर. थामराई सेलवन (धर्मापुरी): महोदय, प्रसार भारती से संबंधित वाद विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण आपके नाम के अर्थ का विश्लेषण कर रहे हैं।

श्री आर. थामाराईसेलवन: महोदय, मेरा नाम थामराई सेलवन है। इसका अर्थ है कमल और एक धनी व्यक्ति। सेलवन का अर्थ है धनी और लोटस एक फूल का नाम है।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं विशेष रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत कि यह विधेयक प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान करेगा, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 नामक विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में परिकल्पित संशोधन प्रशंसनीय हैं। सत्य ही मैं इस सम्मानीय सभा में कुछ विशेष मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक प्रसारक, समाज में, विशेष रूप से एक विकसित होते लोकतंत्र में समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। परन्तु, यह हमारे सिविल समाज के एक भाग और सरकारी नियन्त्रण से स्वतन्त्र होना चाहिए। सार्वजनिक प्रसारक प्रत्यक्ष रूप से अपने मालिक अर्थात हमारे देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यह सभी प्रकार से आत्म निर्भर होना चाहिए और उसे गुणवत्ता युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से सही अर्थों में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए निधियों का सृजन करना चाहिए।

जब हम प्रसार भारती अर्थात् भारतीय प्रसारण निगम को सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं तो मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण जनता के प्रति आकाशवाणी पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के सभी स्टेशन ग्रामीण श्रोताओं के लिए कृषि और घरेलू कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। वस्तुत: किसानों की दिन प्रतिदिन की मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। कृषि उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और जानकारी का प्रसारण करना इसके कृषि और घरेलू कार्यक्रमों की एक सतत प्रक्रिया है। ये कार्यक्रम न केवल कृषि के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं अपितु श्रोताओं के जीवन की गुणवत्ता और इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के उपायों के बारे में भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अत: वर्तमान में आकाशवाणी राष्ट्र के विकास के लिए एक आवश्यक अंग रहा है।

महोदय, आकाशवाणी में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बहुत कम है जो कि लगभग 25.4 प्रतिशत है। यह प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह भी सच है कि प्रसारण के लिए श्रमशक्ति की बहुत कमी है और आकाशवाणी केंद्रों तथा टेलीविजन केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कुल स्वीकृत 36,000 कर्मचारियों में 12,000 कर्मचारियों की कमी है जोकि लगभग 33 प्रतिशत है। ये 12,000 बकाया रिक्तियां अ.जा. , अ.ज.जा. और अ.पि.व. की श्रेणियों से भरी जानी है। ये रिक्तियां कई दशकों से नहीं भरी गईं। यदि हम इन रिक्तियों को भरने के लिए उचित कदम नहीं उठाते तो ये और बढ़ती जाएंगी। इसलिए, सरकर को इन रिक्तियों को भरने की तरफ ध्यान देना चाहिए।

अस्थाई कर्मचारियों के कष्टों का भी ज्ञान नहीं हैं और वे अभी तक स्थाई नहीं हैं। इसलिए, उन्हें स्थाई किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री से मेरा यह विशेष अनुरोध है। पर्याप्त श्रमशक्ति के बिना कोई भी संगठन या संस्था प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती।

एक अन्य क्षेत्र जिस पर आल इंडिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को ध्यान देना चाहिए वह इंजीनियरिंग कार्मिकों को स्टाफ प्रशिक्षण से संबंधित है। नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की जरूरत है। यहां मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के सभी वर्गों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पुस्तकालय सहित चेन्नै में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बहुत जरूरत है।

महोदय, देश के बहुत से राज्यों से देशभर में रेडियो स्टेशन और टेलीविजन प्रसारण केंद्र स्थापित करने की मांग हो रही है। गांव

के लोगों की बेहतर केबल टेलीविजन नेटवर्क की सुविधा प्राप्त नहीं है और उनके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन मनोरंजन और देश तथा दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी साझा करने का एकमात्र माध्यम है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों के ऐसे अनुरोधों पर सकारात्मक रूप से विचार करें।

प्रसारण से संबंधित बहस में भाग लेते हुए मैं यहां अपने निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु को धर्मपुरी से संबंधित कुछ समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 1993 में धर्मपुरी में एक रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया था और वह स्टेशन वर्ष 2000 में 9 करोड़ रुपये की लागत से बना। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस पर परीक्षण प्रसारण कराया गया था। यह परीक्षण प्रसारण 2007 तक जारी रहा; और उसके पश्चात् कर्मचारियों की कमी के कारण यह रोक दिया गया। तथापि, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के दबाव के कारण यह केंद्र चेन्नै रेनबो एफएम स्टेशन के साथ जोड़ दिया गया। अब, प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल छह घंटे के लिए प्रसारण किया जा रहा है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करके धर्मपुरी के इस केंद्र को एक सम्पूर्ण रेडियो स्टेशन बनाया जाना चाहिए; और चेन्नै रेनबो एफ एम स्टेशन से प्रसारण अथवा उस पर निर्भर रहने के बजाय इस स्टेशन से छह घंटे के बजाय प्रतिदिन 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं।

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि धर्मपुरी में रेडियो स्टेशन को स्टाफ इत्यादि की नियुक्ति करके एक सम्पूर्ण स्टेशन बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें और प्रतिदिन 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी महान संस्कृति, विरासत और हमारे बहुलवादी समाज की विशेषताएं प्रसार भारती के लिए मार्गदर्शी तत्व होने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, जो भी यहां कहा गया है, उसे रिपीट भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारी मंत्री जी खुद संवेदनशील हैं, कई बातों पर वह सोचेंगी। मैं मानती हूं कि यह एक छोटा बिल है, बहुत छोटी सोच अभी हमने की है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के लिए हमने कुछ सोचा है। हम अभी डेपुटेशन की बात इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। यह भी सोचना पड़ेगा कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण से, उनके हित में कितना निर्णय वास्तव में हम आगे लेंगे और उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं।

प्रसार भारती में हमने कोई काडर तैयार नहीं किया है, अगर मैं सही नहीं हूं। तो मंत्री जी बताएं। कोई रूल्स एंड रेग्युलेशंस पर इसमें काम नहीं हो रहा है। कई खाली जगह पड़ी हुई हैं। कोई 8000 कहता है तो कोई 12000 बताता है। रिक्त स्थान जितने भी हों, लेकिन उन्हें भरने की दृष्टि से हमने क्या प्रोग्रामिंग की है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अगर प्रसार भारती को मजबूत बनाना है, तो जो उसका उद्देश्य था, उस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, यह भी कहीं न कहीं हमारे सामने स्पष्ट नहीं है।

कई बार ऐसा होता है कि एडहॉक पर रिक्रूटमेंट की जाती है, रिटायर्ड लोगों को ले लेते हैं। फिर एडहॉक पर रखा और इस तरह कार्यकाल बढ़ाते जाते हैं। प्रसार भारती से हमारी जो अपेक्षा है कि वह स्वतंत्र रूप से, उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए या आकाशवाणी के जरिये प्रेषित करे, हमारी जो यह परिकल्पना है क्या उसके यह अनुरूप काम कर रहा है? हम जिन लोगों को एडहॉक पर लेते हैं, कहीं न कहीं उनमें हमारे-तुम्हारे की बात आती है और रिक्रूटमेंट वहीं तक सीमित हो जाता है। प्रसार भारती में नई भर्तियों को कितना चांस दिया गया, इसकी खोज करना भी आवश्यक है और इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

हम जब कर्मचारियों के लिए सोचते हैं कि नई नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं। कुछ दिन पहले मेरे पास लेह-लद्दाख की लड़कियां आई थीं, जो वहां पर सालों-साल से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। वे ऐसे काम कर रही हैं जैसे डेली वेजेज पर या मास्टर रोल पर लोग काम करते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो हम क्या उम्मीद उनसे करेंगे और वे भी कितना नया सृजन कर पाएंगी और कितना आगे आपकी बात को बढ़ा पाएंगी, इसलिए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि हमारी माननीय मंत्री महोदया इस बारे में जरूर सोचेंगी कि एडहॉक की बात बंद हो जाए। जब हमने गुणवत्ता की बात की और हम कमेटियां भी बनाते हैं, नारायण मूर्ति कमेटी, शुंगलू समिति और हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में विचाराधीन। अगर समितियों की राय हम लेते हैं जैसे वित्त पोषण की बात की गयी और बात सही है कि स्वतंत्र रूप से वित्त पोषण होना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विषय वस्तु का भटकाव व्यापारिक जरूरतों के लिए नहीं हो तो कहीं न कहीं

बजटरी सपोर्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ कैसे उनका वित्त पोषण इससे ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यह विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी इसके लिए क्या कर रही हैं यह भी बताएं?

आज दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं? मैं वह बात भी नहीं करती हूं जैसे कहा गया कि बाकी जो चैनल्स आते हैं उनकी क्या स्थिति है? एक ही वाक्य में मंत्री महोदया भी उसे समझती है कि ऐसा लगता है कि महिलाएं लम्बे-चौड़े आभूषण पहनकर एक दूसरे के खिलाफ षडयंत्र करती रहती हैं, क्या आज समाज की यही स्थिति है? इस पर माननीय मंत्री जी सोचें कि उस पर प्रतिबंध लगाएं या बाकी चैनल्स पर भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने वाला जो कुछ आ रहा है, उस पर प्रतिबंध तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन रेगूलराइज करने की बात तो हमें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम क्या दे रहे हैं? समाचारों की स्वतंत्रता और मैं यह मानती हूं कि थोड़ा बहुत सरकारी उपयोग तो दूरदर्शन का होगा, थोड़े सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे प्रोजैक्ट्स, परियोजना बनाते हैं तो दूरदर्शन पर प्रसारित करना मैं गलत नहीं मानती हूं। लेकिन साथ ही साथ समाचारों की स्वतंत्रता, कार्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता और कार्यक्रम क्वालिटी के बने। इसलिए मैंने कहा कि नयी प्रतिभाओं को चांस, कैडर बनाना और वहां के ऑफिसर्स को प्रमोशन अच्छे मिलें, वे स्वतंत्रता से काम करें और यह सब हमने करके दिखाया है।

आप कह सकते हैं कि उस समय तो केवल दूरदर्शन था। हम लोग याद करते हैं हम लोग सीरियल को, तमस, भारत एक खोज, चाणक्य जैसे प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने दिया हैं। कथा सागर को देखो, आज भी पुरातन बातें सभी याद कर रहे हैं और रामायण से समय को कर्फ्यू जैसा लग जाता था। वही कलाकार और ऑफिसर होंगे सोचने वाले लेकिन ऐसा क्यों हुआ, फिर आज क्यों नहीं वैसा हो पा रहा है। मैंने भी देखा है डीडी सहयाद्रि को मैं देखती रहती हूं, अच्छा काम कर रहा है। लोग अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि दूरदर्शन कोई देखना ही नहीं चाहता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? कितनी स्वतंत्रता किस तरीके से दें, उसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। केवल कर्मचारियों को हम डीम्ड डेपुटेशन दें, केवल उनको कहें कि आपके ट्रांसफर करेंगे, इतने से नहीं चलेगा। उन्हें भी एक स्थिरता, प्रमोशन की बात होनी चाहिए और यह एडॉकिज्म समाप्त होना चाहिए। प्रसार भारती का स्वरूप अच्छा बनाने के लिए जैसे हम कहते हैं कि नंदन नीलेकनी को हमने यूआईडी कार्ड बनाने के लिए सब अधिकार सौंप दिये और हमने वह डिसीजन लिया। अगर सरकार को करना है तो सरकार ताकत के साथ करती है। क्या साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और समाज को दिशा देने वाला दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो और इन सब चीजों से हिंदुस्तान को सम्पन्न बनाने के लिए इतनी उदासीनता क्यों है? सीईओ की बात होती है लेकिन क्यों नहीं हमें अच्छे लोग दिखते हैं, क्यों नहीं हम ताकत से निर्णय लेते हैं। हम इसका समर्थन तो करते हैं लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह एक छोटा बिल है, आप इससे भी और विस्तृत रूप से प्रसार भारती के लिए सोचें, क्योंकि आपमें क्षमता और संवेदनशीलता है। हमने विचार किया था कि प्रसार भारती एक स्वतंत्र और ताकतवर काम करने वाला साधन बने, उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से आप सोचें, इतना ही निवेदन है।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। वर्ष 1990 में प्रसार भारती बिल कानून बना था, उसके सैक्शन 18 (11) में संशोधन करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल राज्यसभा से पास होने के बाद हमारे पास आया है। प्रसार भारती बनने से पहले और बाद में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को ले कर इस बिल में प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वर्ष 1990 में जब यह बिल पास हुआ था, तब सोचा नहीं गया था कि ऐसी अड़चनें आ सकती हैं। प्रसार भारती बनने से पहले डीडी और एआईआर के जो कर्मचारी और अधिकारी थे, उन्हें प्रसार भारती का अंग बनाते समय उनकी सेवा शर्तों के साथ क्या होगा, यह नहीं सोचा गया था। प्रसार भारती बनने के बाद उसमें जो नए कर्मचारी और अधिकारी आएंगे, उनकी सेवा शर्तें और पहले जो कर्मचारी तथा अधिकारी थे उनकी सेवा शर्तों के बीच में कितनी समानता या असमानता होगी, तब यह सोचा नहीं गया था। इसे लागू करने के बाद कोर्ट कालंबा मुकदमा चला। कई केसिस हुए। सरकार ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाए। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा के बाद उनकी तमाम सिफारिशों को लेते हुए ऐसी व्यवस्था की गई, जिससे मुझे लगता है कि डीडी और एआईआर के जो एम्पलाईज हैं, वे भी बुनियादी तौर पर संतुष्ट हैं कि इससे कहीं न कहीं उनके अधिकारों की रक्षा होती है।

मैं मंत्री जी के समक्ष बुनियादी सवाल रखना चाहूंगा कि प्रसार भारती की आज की उपयोगिता, प्रसार भारती का महत्व, प्रसार भारती का कामकाज। प्रसार भारती के अंदर क्या हो रहा है और प्रसार भारती के काम काज का असर देश पर क्या हो रहा है। आज जैसे लोकपाल के लिए पूरे देश में जन आंदोलन चल रहा है, लोग बहुत जागरूक हैं, उसी तरह से प्रसार भारती कानून लाएंगे, यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बनाया गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय मैं हाईस्कूल में पढ़ा करता था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जनता पार्टी की सरकार के समय तब पहली बार वर्ष 1977 में यह बिल इंट्रोड्यूज किया था। उस समय

1990 में पुनः यह बिल लाया गया और इसे कानून बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1997 में इसे व्यवस्था में लाया गया और प्रसार भारती की व्यवस्था स्थापित हुई। जब प्रसार भारती लाने की बात थी, उस समय बुनियादी बात यह थी कि दूरदर्शन या हमारे जो सरकारी माध्यम हैं, वे स्वतंत्र होने चाहिए, जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह तब बहुत महत्वपूर्ण था, जब इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। आज पांच सौ या साढ़े पांच सौ चैनल्स हमारे देश में हैं। पहले दूरदर्शन और रेडियो एकमात्र साधन समाचार सुनने के लिए या अन्य प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए। आज साढ़े पांच सौ चैनल्स की उपस्थिति में दूरदर्शन देखने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। रेडियो का भी यही हाल है। आज एफएम रेडियो गांव-गांव तक पहुंच गया है। शहरों के लिए इसे अनुमति दी गई थी, लेकिन अब हर कस्बे में यह चैनल चल रहा है। ऐसे में रेडियो और दूरदर्शन की स्वायत्तता को ले कर जो आंदोलन चलता था, आज मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं उठता है।

सभापति महोदय: मंगनी लाल जी, आप सभी वरिष्ठ सदस्य सामने बैठे हैं और आपकी बातों की आवाज यहां तक आ रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरूपम: महोदय, आज प्रसार भारती के तहत कर्मचारियों की संख्या 40 हजार के आसपास है। लेकिन 10 से 12 हजार पद खाली पड़े हैं। वर्ष 1992 से ले कर आज तक प्रोग्रामिंग सैक्शन में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। हम मुम्बई दूरदर्शन केन्द्र के डायरेक्टर की बात बताते हैं, वह अकेला व्यक्ति इस समय छः जवाबदारी अपने सिर पर लेकर चल रहा है। वह मुम्बई डीडी, एआईआर, गोवा, पुणे, दूरदर्शन के मार्केटिंग डिवीजन का इंचार्ज है, इसके साथ और भी कई जवाबदारियां हैं। दिल्ली में बड़े अधिकारियों में एक-एक अधिकारी पर चार-चार जवाबदारियां हैं। सबसे पहले निश्चित तौर पर वैकेंसी भरनी चाहिए। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं मानकर चल रहा हूं कि ब्राडकास्टिंग सैक्टर में नई क्रांति की वजह से अगर अच्छी प्रतिभाएं चाहिए तो उसके हिसाब से वेतन भी देना होगा। शायद प्रसार भारती की अपनी एक मर्यादा है, उन मर्यादाओं को देखते और समझते हुए ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो, यह मेरा माननीय मंत्री जी के समक्ष निवेदन है।

मेरी जानकारी में एक बात आई है कि दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में कर्मचारियों और अधिकारियों की औसत उम्र 57 वर्ष है। दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी 40,000 रुपये की सैलेरी पर काम कर रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिल रही है क्योंकि आपके पास लोग नहीं हैं। दूरदर्शन के डीडी भारती, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज आदि चैनल हैं, प्रसार भारती को अगर लेकर आना है, इन तमाम चैनलों को बड़े प्राइवेट चैनलों के मुकाबले खड़ा करना है तो हमारे पास खाली वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर एम्पलाई होने चाहिए, प्रतिभाशाली एम्पलाई की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए।

यह बात बार-बार निकलकर आती है कि मुख्य पदों पर अधिकारी आईएएस कैडर से क्यों आते हैं? एक जमाना था जब शशि कपूर और शिव शर्मा जैसे दूरदर्शन के डीजी हुआ करते थे तब उनका अपना एक योगदान दूरदर्शन को स्थापित करने और लोकप्रिय बनाने का था। आज आम तौर पर दूरदर्शन का डीजी आईएएस होता है, प्रसार भारती का सीईओ भी आईएएस होता है। क्या ब्राडकॉस्टिंग, इन्फार्मेशन और दूरदर्शन के कैंडर से अच्छे प्रतिभाशाली अधिकारी नहीं मिल सकते? पहले भी मिलते रहे हैं। अभी आल इंडिया रेडियो डीजी मेरे मित्र हैं, इसी कैडर से हैं। लेकिन कई बार आल इंडिया रेडियो के डीजी आईएएस हो जाते हैं। इस परंपरा को रोकने और खत्म करने की आवश्यकता है।

महोदय, प्रसार भारती के आने से पहले यह था पब्लिक ब्राडकास्टिंग संस्था होनी चाहिए और आज इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूरदर्शन के पास कमर्शियल टाइम चार या पांच घंटे हैं। हिंदुस्तान में 24 घंटे में 550 कमर्शियल चैनल चल रहे हैं, और दूरदर्शन के पास मुश्किल से चार या पांच घंटे ही हैं। यह आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं, लेकिन आपको पब्लिक ब्राडकास्टिंग पर फोकस करना है, ध्यान देना है। आखिर देश में अच्छा क्या हो रहा है, इसे भी दिखाने की आवश्यकता है। सरकार की अच्छी और जनता के हित की योजनाएं क्या हैं, यह भी बताने की आवश्यकता है। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह भी बताने की आवश्यकता है और इसके लिए दूरदर्शन की एक भूमिका है। इसका निर्वाह दूरदर्शन कर रहा है लेकिन दूरदर्शन कमर्शियली अनवाएबल होता चला जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है इस समय 350-400 करोड़ रुपये का घाटा है। सारे एम्पलाईज की पूरी सैलेरी गवर्नमेंट फंडेड है। प्रसार भारती की अर्थव्यवस्था को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए, कैसे कमर्शियली वाएबल किया जाए, इस दिशा में सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। मुझे मालूम है कि सरकार की मजबूरी है कि जब एक बार प्रसार भारती कानून के जरिये स्वायत्त और स्वतंत्र प्रसार भारती बना दिया गया तो बात-बात पर मंत्रालय दखल नहीं दे सकता है। हम यह बात समझते हैं। इस बात को समझते हुए भी कहीं न कहीं प्रसार भारती को कमर्शियल वाएबल बनाने की जरूरत है। दूरदर्शन की आउटस्टैंडिंग अपने आप में दिलचस्प कहानी बताती है। दूरदर्शन

का हिंदुस्तान के बड़े प्रोड्यूसर, एड एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी वालों के ऊपर 800 करोड़ रुपया बकाया है। कोर्ट में केस चल रहे हैं लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है इसकी वजह से भी दूरदर्शन को नुकसान है। आज वक्त का तकाजा यह है कि बदली हुई परिस्थिति में प्रसार भारती की पूरी भूमिका और तथाकथित स्वायत्तता, जिसके लिए वर्षों तक लड़ाई हुई है, अचानक उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, उसकी आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं मंत्री जी से इसलिए कहना चाहूंगा कि पूरे प्रसार भारती के कामकाज का रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए कि कैसे आज के वातावरण में तमाम चैनलों के साथ कदम से कदम मिलाकर दूरदर्शन चले, पूरी ताकत और शक्ति के साथ चले, अपनी निर्भरता के साथ चले। आपको यह व्यवस्था करने के लिए सोचना चाहिए।

सभापति महोदयः श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बोलिये। आपसे आग्रह है कि आप गिनती ठीक से कीजिएगा, आप एक नम्बर, दो नम्बर और तीन नम्बर में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम नम्बर के हिसाब से बोलेंगे। आपने अच्छा सुझाव और निदेश दिया है, मैं उसका पालन करूंगा।

महोदय, यह जो प्रसार भारती विधेयक आया है। इसके बारे में मैं संक्षेप में बताता हूं कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, आपको याद होगा, तब आप भी जेल में थे तो गांव-गांव में लोग कहते थे कि अपने देश का रेडियो मत सुनिये, बीबीसी असली बात बतायेगा, ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन को सुनिये। लेकिन जब राज्य बदला तो लोगों ने महसूस किया कि यहां भी बीबीसी की ख्याति जैसा एक ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए। अब चूंकि हिंदुस्तान है, हिन्दी यहां की राजभाषा है। फिर यह कहा गया कि इसका नाम क्या रहे तो उस समय के बड़े-बड़े दिमाग वाले लोग जुटे और उन्होंने कहा कि इसका नाम प्रसार भारती हो। हमारा बड़ा भारी सपना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संविधान हमें इजाजत देता है और यहां पत्रकारिता और मीडिया देश का चौथा स्तम्भ है। इसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यह निश्चित हुआ कि यह स्वच्छंद रहे, आजाद रहे, अभिव्यक्ति के मामले में स्वतंत्र रहे। इसलिए एक आटोनोमस ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन बने, जिसका नाम प्रसार भारती हो। यह बड़ा भारी सपना और लोगों की इच्छा थी कि देश में लोकतंत्र के मजबूतीकरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली एक ऐसी संस्था हो, जो निष्पक्ष ढंग से रचनात्मक बातों को इतने बड़े देश में प्रसारित करे और दुनिया में सभी बातों की जानकारी लोगों को दी जाए। लेकिन उसके बाद लोग बताते हैं कि 1977 में यह आया, लेकिन फिर खटाई में पड़ गया। उसके बाद यह 1990 में आया और 1997 में लागू हुआ। लेकिन 1997 में भी आधे मन से लागू हुआ और अभी भी यह आधे मन से ही लागू हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि कंप्रिहेन्सिव विधेयक लाया जाए। फिर कम्प्रिहेन्सिव विधेयक क्यों नहीं आया?

मेरा दूसरा सवाल है कि इम्पलायीज को भी कुछ राहत होगी। लेकिन प्रसार भारती, दूरदर्शन या रेडियो में काम करने वाला जो स्टाफ मिलता है, वे अधिकारी और कर्मचारी कलप रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। इनकी सेवा में सबसे बड़ी खराबी अनिश्चितता की है। जब निश्चित नहीं होगी कि हम इस सेवा में हैं तो काम में क्या मन लगेगा और क्या काम होगा। अभी कितना कम्पिटीशन हो गया है, कितने प्राइवेट चैनल्स हो गये हैं, फिर कैसे ये सरकारी कर्मचारी उसमें बराबरी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में दबा सकते हैं। 36,675 कर्मचारियों में से 33040 कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं। यानी सब कुछ अनिश्चित है, वे कितनी बदली करेंगे, कितनी वापसी करेंगे, कितने लोगों को पैटर्नल डिपार्टमेंट में भेज देंगे, क्या काम होगा? इसलिए लोग बताते हैं कि विधेयक में संशोधन करने के लिए कुछ सुधारों का उपाय है। लेकिन प्रसार भारती में अभी भी सीईओ की पोस्ट खाली है। इसके अलावा 25 फीसदी पद खाली हैं। जब पद खाली रहेगा तो चाहे कारपोरेशन को प्रसार भारती, विविध भारती या बीबीसी का नाम दे दिया जाए तो भी क्या काम होगा। अभी 25 फीसदी जगह खाली हैं। माननीय मंत्री जी बतायें कि 25 फीसदी जगह कब तक भरी जायेंगी? यदि नहीं भरेंगी तो आधे मन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी इन सबको हम तो कमजोर किये हुए हैं, ये लोग प्राइवेट चैनलों से कैसे कम्पिटीशन करेंगे। स्टाफ नहीं रहेगा, मेधावी लोगों का उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। जो कोई भी सरकारी सेवा में है, यदि उनका प्रमोशन नहीं होता है तो अधिकारी और कर्मचारी के लिए वह मृत्यु के समान है। प्रमोशन होते रहने से अच्छा काम होता है। प्रमोशन होते रहने से प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। आदमी यह सोचकर अच्छा काम करता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा और यदि उसे प्रमोशन के रियाटर होना है तो वह काम को इधर-उधर टहला देगा और क्या काम होगा। इसलिए सरकार यह बताए कि उनकी सेवा-शर्तों में कब तक सुधार होगा? 36 हजार कर्मचारी और अधिकारी इधर से उधर, उसमें लिखा है कि बदली करने की पॉवर होनी चाहिए। अभी की सरकार को केवल बदली की पॉवर से संतुष्टि है। कितना अच्छा काम होगा क्योंकि निजी चैनलों से कंपीटीशन हो गया है और देश में समस्याएं बढ़ रही हैं। उसका समाधान करने की जरूरत है। गांवों-गांवों में सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें कैसे सुधार होगा? उनके प्रमोशन का एवन्यु खत्म नहीं हो यह कैसे होगा? यह सवाल नंबर तीन है।

महोदय, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है।

सभापति महोदयः मेरा एक आग्रह सुन लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, कितना भी भाषण हो कितना भी इंतजाम हो, पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो क्या काम होगा? भाषण केवल भूसे के समान होगा, भूसा फटक दिया और दाना निकलेगा नहीं इसी तरह से पैसे का सवाल है। स्थायी समिति ने कहा है कि जो उसका अपना आमद हो तो ठीक है नहीं तो सरकार भरपाई करे। आपने क्या प्रावधान किए हैं? यह सवाल नंबर चार है।

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, मेरी बात तो सुन लीजिए कि यह नंबर कितने तक जाएगा। समय की कमी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, करने वाले लोगों का कितना बड़ा सपना था कि बीबीसी के कंटेस्ट में ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में प्रसार भारती कहेंगे वह आए। अब तो बीबीसी का भी बुरा हाल हो गया है। वहां भी कहते हैं कि हिंदी को बंद कीजिए। वह कितना लोकप्रिय था कि दुनिया के लोग उसको सुनते थे। प्रसार भारती में काम करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, यह सरकार को नहीं मालूम है। माननीय सदस्यों से लोग बराबर मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हम लोगों का सबसे बुरा हाल है। कौन उसको सुधारेगा? इसका सुधार करना देश हित में है। यह जनतंत्र की मजबूती के लिए है, संविधान सम्मत है। उसके लिए कोताही क्यों कर रहे हैं? बीबीसी की कितनी लोकप्रियता थी। क्या किसी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि बीबीसी लोकप्रिय है, इसको हिन्दी सेवा जारी रखनी चाहिए। दुनिया भर में पहले नंबर पर चीन की भाषा बोलने वाले लोग हैं। हाल के सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग हैं। इसलिए बीबीसी में भी इसका ख्याल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः वह दिन कब आएगा कि यूएनओ में भी में हिंदी को शामिल किया जाएगा। स्पेनिश, चाइनीज जापानी आदि भाषा हैं लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी नहीं है। इन सभी बातों का ख्याल करते हुए प्रसार भारती में सुधार किया जाए। उस तरह का सरकार को एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए, पर्याप्त फंड का इंतजाम करना चाहिए। उसमें एक से एक मेधावी लोग आयें, बढ़िया सेवा रहेगी तभी उसमें मेधावी लोग आयेंगे। जब ऐसे उपाय होंगे, तभी लोग उसमें जायेंगे, इसलिए उनकी सेवा शर्तों को, उनके प्रमोशन की बात को और उसका संगठन दुरुस्त हो, हमारे दूरदर्शन और रेडियो का प्रसारण ठीक ढंग से हो। इन सब सवालों का मंत्री जी जवाब दें और तब बिल पास हो।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 पर चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है और इसकी स्थिति, गुणवत्ता और निष्ठा इत्यादि से संबंधित मुद्दे उठाये हैं। यह बहुत बड़ा या लम्बा विधेयक नहीं है; यह बहुत छोटा विधेयक है। तथापि, इसमें गुणवत्ता के मुद्दे का समाधान करने के बारे में बहुत गहराई है। यह प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है और आज हम इस पर अपनी सभा, लोक सभा में चर्चा कर रहे हैं। माननीय, सदस्यों ने विश्वास, स्थिति और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और प्रतिदिन कर्मचारियों का कैसे उत्पीड़न किया जा रहा है इसका उल्लेख किया है।

1997 से इसने 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी काम कर रहे हैं और निजी चैनलों, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, की क्या स्थिति है? जहां निजी चैनलों ने बहुत कुछ हासिल किया हैं वहीं दूरदर्शन कुछ नहीं कर पाया है।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस विधेयक को कुछ अनिवार्य तथा आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए था। बहुत से माननीय सदस्यों ने उन कर्मचारियों, जो अभी तक अस्थाई हैं, की तदर्थवाद की स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सेवाओं की गारंटी नहीं है जिससे उनकी सेवा की गुणवत्ता और अन्य चीजों से संबंधित पक्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह अच्छा कार्य नहीं कर रहा है और इसलिए सरकार को दूरदर्शन का कार्यकरण सुधारक चाहिए। यह स्पष्ट है कि उन्हें तदर्थ नियुक्तियां करानी चाहिए उन कर्मचारियों की संख्या कम करनी चाहिए जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बहुत शीघ्र नई नियुक्तियां करनी चाहिए जो कि कर्मचारियों की योग्यता में सुधार के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि इसके निष्पादन में सुधार में भी मदद करता है। यह आवश्यक है कि कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में 38,000 कर्मचारियों के बारे में विचार किया गया है जो कि प्रसार भारती अर्थात् दूरदर्शन

और आकाशवाणी में 1997 से ही मिले-जुले तौर पर कार्य कर रहे हैं। उनके निष्पादन में सुधार किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य, डॉ० रघुवंश प्रताप सिंह ने क्रमानुसार मुद्दों को उठाया है। जहां तक विधेयक का प्रश्न है तो उनके द्वारा उठाये गए प्रश्न बहुत सुस्पष्ट और महत्वपूर्ण हैं। मुझे आशा है कि कर्मचारियों, लोगों और हमारे राष्ट्र की अखंडता के लिए माननीय मंत्री प्रसार भारती के कार्यकरण में सुधार से संबंधित सभी पक्षों पर ध्यान देंगे।

यही कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद ई. टी. बशीर (पोन्नानी): इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आप का धन्यवाद। इस विधेयक की विषय वस्तु साधारण है। मेरे विद्वान मित्रों ने सही कहा है कि यह विधेयक काफी समय से लंबित शिकायतों का समाधान करता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भर्ती हुए कर्मचारी इस समय प्रसार भारती निगम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदया और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रसार भारती में शिकायत निवारण तन्त्र बहुत धीमा है। मैं इस ओर मंत्री जी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री की विचारधारा प्रगतिशील है और वह समस्याओं का समाधान करने के लिए समय से कार्यवाही कर रही हैं। परन्तु, अभी अनेक शिकायतों का समाधान किया जाना शेष है।

वेतन संरचना संबंधी विसंगतियों के संबंध में एक समिति नियुक्त की गई है परन्तु उस समिति की कार्यवाही बहुत धीमी है। मैं माननीय मंत्री से उक्त प्रक्रिया की सुकर बनाने का अनुरोध करता हूं। मेरे विद्वान मित्र यूनियनों/संस्थाओं की मान्यता रद्द किए जाने का जिक्र कर रहे थे। 8 सितम्बर, 2011 को प्रसार भारती ने यूनियनों की मान्यता रद्द करने संबंधी घोषणा जारी की। हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश है। हमें अपने देश की ऐसी लोकतान्त्रिक प्रणाली पर गर्व है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कर्मचारियों को उनके अधिकार प्रदान करने में विलंब क्यों किया जा रहा है? हमें उन्हें उनका यह अधिकार लौटाना है क्योंकि कर्मचारियों और उनके नियोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए समुचित श्रमिक संघ आंदोलन और एक मजबूत संगठन का होना आवश्यक है।

अनेक अन्य बातों के संबंध में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। निगम की स्वायत्ता और इसकी स्वतन्त्रता चाहे वह जनता की आवाज हो या राष्ट्र की आवाज हो, के स्वरूप को लेकर अनेक विचारधाराएं हैं, परन्तु, एक बात निश्चित है कि हमारी बहुत स्वस्थ और गौरवशाली परंपरा है। हमारा एक बहुमुखी समाज है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम इसे एक निगम, अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा एक स्वतन्त्र निकाय का दर्जा दे सकते हैं। हमारी विचारधारा में किसी प्रकार की हठधर्मिता नहीं है परन्तु, हमारे जैसे देश में जनता की आवाज को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रसार भारती को इस परंपरा को कायम रखना चाहिए। यदि हम इस मूल सिद्धांत से हटते हैं तो हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मुझे आशा है कि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

कुछ अन्य विषयों पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आम जनता में 'चैनल वार' को लेकर चर्चा हो रही है। यह सही है कि इस समय 'चैनल वार' चल रही है। हमने यह देखा है कि इस 'चैनल वार' में इस देश के मूल्य विशेष रूप से आचार और नैतिकता अति व्यवसायीकरण के तले दब कर रह गए हैं। ऐसे माहौल में हमारे दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो के चैनलों में एक भिन्न माध्यम है। ये सुधारों के स्रोत हैं। हमें इस निगम को यही सम्मान देना है। अनेक लोग मनोरंजन की बात करते हैं। अन्य चैनल मनोरंजन के स्रोत हो सकते हैं परन्तु दूरदर्शन और आल इंडिया विगत वर्तमान और भविष्य में भी न केवल मनोरंजन प्रदान करने वाले बल्कि मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने वाले चैनल होने चाहिए। दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो की यही भूमिका है। मुझे आशा है कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा।

एफ एम रेडियो के बारे में भी मैं एक अति महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। निसंदेह: हम उन्हें केवल समाचार चैनलों का दर्जा नहीं दे रहे हैं किन्तु आल इंडिया रेडियो के अंतर्गत अनेक एफ एम चैनल हैं। आल इंडिया रेडियो कालीकट केन्द्र में यह मांग उठाई जा रही है कि ए आई आर के एफ एम चैनलों को समाचार चैनल का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस मामले की गंभीरता से जांच करने का अनुरोध करता हूं। यदि संभव हो तो मेरी यह राय है कि ए आई आर के एफ एम चैनलों में समाचार वाचन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मैं मंत्री जी से इस पहलू पर भी विचार करने का अनुरोध करता है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, यदि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक,

---

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

2011 जिस पर आज चर्चा हो रही है, पारित होता है तो इससे दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो के 36,675 कर्मचारियों को अपनी दयनीय स्थिति से उबरने में सहायता मिलेगी। काफी विचार विमर्श के बाद तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1990 में संसद में प्रसार भारती निगम विधेयक पारित किया था। परन्तु, दुर्भाग्यवश इसे 7 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रखा गया। वर्ष 1997 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कानून लागू किया। पारदर्शिता के अभरण और नौकरशाही पर अति निर्भरता के कारण विधेयक के उपबंध प्रसार भारती के बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए एक आघात और अभिशाप सिद्ध हुए।

गत 14 वर्षों से प्रसार भारती के कर्मचारी संघ नौकरशाहों के हाथों पीड़ित होते रहे हैं। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाई गई है तथा उनकी मान्यता सरकार की मर्जी पर निर्भर रही है। आज भी 9 संस्थाओं का कोई पंजीकरण नहीं है। इन सभी मुद्दों पर स्थायी समिति के प्रतिवेदन में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। कर्मचारियों की सेवा संभावनाओं के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। उनके सेवा नियमों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए तथा माननीय मंत्री को इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आशा है कि वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री अपने उत्तर में इन मुद्दों पर ध्यान देंगी जो हमारे लिए आशा की किरण होगी।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के लोग अब दूरदर्शन नहीं देखते और आकाशवाणी नहीं सुनते। वे स्वामित्वाधीन टीवी और रेडियो निजी चैनलों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे देश में 600 से अधिक निजी मीडिया चैनल हैं। 1200 दूरदर्शन केन्द्रों में अपेक्षित अवसंरचना का अभाव है। सीईओ के अधिकांश पर रिक्त पड़े हैं। सरकारी मीडिया तन्त्र का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए कोई नहीं है। स्टाफ की भी कमी है। मैं एक उदाहरण पेश कर सकता हूं। स्वीकृत पद 48,173 हैं जबकि 11,498 रिक्त पद हैं। अतः, संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। लोग बीबीसी न्यूज सुनते हैं और वे उसके कार्यक्रमों के प्राथमिकता देते हैं जो अधिक विश्वसनीय है। यदि हम बीबीसी की तरह अपने चैनल चला सकें तो दर्शक दूरदर्शन और एक आई आर के कार्यक्रमों में फिर से रूचि दिखाएंगे। अतः, इन दो इकाइयों को स्वतन्त्र, पारदर्शी बनाया जाए और राजस्व अर्जन को बढ़ावा दिया जाए। कार्यक्रमों को और अधिक शिक्षा प्रद, अधिक आकर्षक और रोचक बनाया जाए। केवल सरकार की उपलब्धियों को ही उजागर न किया जाए बल्कि लोक महत्व के अन्य कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाए। दर्शकों श्रोताओं की संख्या बढ़ाने के लिए निजी संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं, लोक मंच के विचारों और मतों का भी प्रसारण किया जाए। चैनलों को ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की तरह व्यावसायिक रूप से चलाया जाए। केवल तभी हम लोगों का ध्यान फिर से इनकी तरफ आकृष्ट कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रसार भारती संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मैं यह मानता हूं कि मंत्री जी यह जो बिल लेकर आए हैं, इससे एआईआर और दूरदर्शन में जो समस्याएं हैं, उनका हल होने वाला नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं वर्ष 1997 में एक्ट बनाने के बाद वर्ष 1997 से इसे लागू किया गया था, उसके बाद कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया था कि आप प्रसार भारती में आ सकते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने ऑप्शन दिए थे, उनके अन्दर इतनी जानकारी और कॉन्फिडेंस नहीं आयी थी। 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों ने इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे। इस बीच प्रसार भारती ने कुछ रिक्रूटमेंट की हैं। अभी सरकार यह कानून ला रही है कि जब तक वे लोग नौकरी करेंगे तब तक डीम्ड डेप्युटेशन पर रहेंगे। महोदय, कर्मचारी वर्ग से जितना हमारा संपर्क है, उसमें दो मत हैं। कोई लोग बोलता है कि सरकार ठीक कर रही है। जो पहले लटका हुआ मामला था, वह अब ठीक हो रहा है। दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारा राइट टू ऑप्शन था, वह छिन रहा है, इसलिए यह ठीक नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर और गहरे ढंग से चर्चा करे और यह फैसला लाए जिसमें सभी तरह के कर्मचारी संतुष्ट हो सके।

मेरा एक दूसरा सुझाव भी है। हम लोग मीडिया को फोर्थ एस्टेट मानते हैं। प्रसार भारती के अंदर जो ऑटोनोमी की बात आती है, मैं चाहता हूं कि जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन, ज्यूडिशियरी, कैग है, सरकार इसे एक कंस्टीट्यूशनल स्टेटस दे। ज्यादा लोग समझते हैं कि इन्हें जो बजट में रुपया मिलता है, ये सरकार देती है। इसीलिए प्रसार भारती को चाहे जितनी भी ऑटोनोमी मिले, पर उनका रिक्रूटमेंट, जो उनके प्रोग्राम तय करते हैं, सभी सरकार का मन रखकर होता है। ऑटोनामी का मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें सरकार तनख्वाह और रुपया जरूर देती है, पर उनमें जो प्रोग्राम तय होते हैं, उनमें स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन

होनी चाहिए। प्रसार भारती के अन्दर फ्रीडम ऑफ इम्प्लाई जरूर होना चाहिए।

प्रसार भारती निगम जो माना गया है, यह एक स्टेप है जो निजीकरण और व्यापारीकरण की तरफ है। हमको मॉडर्नाइजेशन जरूर चाहिए क्योंकि प्राइवेट चैनल से हमें कम्पीट करना है। हमको सही समय पर सही प्रोग्राम लाना चाहिए। जो वल्गर एटवर्टाइजमेंट आते हैं, वे सरकारी चैनल में कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमारा रिसोर्स कम है, यह दिखाकर इसके अन्दर आप पी.पी.पी., एफ.डी.आई. लाएंगे, यह हम लोग नहीं सहेंगे। यह हाउस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रसार भारती में जो 12000 के ऊपर खाली पद हैं, उनको जरूर भरना चाहिए। जो एसोसिएशंस हैं, वे भी उदारीकरण, निजीकरण की पद्धति का एक सिलसिला है, जिसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह एक गणतांत्रिक देश है, जनतंत्र है, इसमें हमारे कर्मचारी वर्ग के यूनियन के साथ जरूर बैठना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं, उन्हें जरूर हल करना चाहिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: तरूण मंडल जी, आपको मैं भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी हिम्मत से हिन्दी बोली और अच्छी बोली। यह आपका पहला मौका है। श्री रामकिशुन जी, आपने तीन बार दो मिनट बोलने का इशारा किया है तो जो वादा किया, वह निभाना पड़ेगा। आप केवल दो मिनट में बोलिए।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, यह प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक, 2011 है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)* प्रसार भारती में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो अच्छे एनाउंसर हैं, कृषि से भी संबंधित कई वैज्ञानिक हैं, जो कृषि पर अपने विचार किसानों की खेती के लिए देते हैं, आज स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति नहीं है। वे परमानेंट नहीं हैं। सरकार के इस निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रसार भारती का यह मतलब नहीं है। जो हमारे दूसरे प्राइवेट चैनल हैं, उनके कंपीटीशन में हमारी प्रसार भारती पूरी तरह से सक्षम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन कर्मचारियों का संरक्षण हो और उन्हें पहले स्थायी किया जाए। जो प्राइवेट चैनल हैं, उनके मुकाबले हम अपने प्रसार भारती को कैसे मजबूत करें, उसके लिए हमें काम करने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए।

दूसरा मेरा यह कहना है कि भोजपुरी में प्रसारण होता है, हमारे बहुत से भोजपुरी जानने वाले लोग हैं। प्राइवेट में महुआ चैनल है और भोजपुरी के जो प्रसारण के केन्द्र बनारस और गोरखपुर हैं, उन चैनलों पर अच्छे कलाकार इसलिए नहीं है, क्योंकि महुआ चैनल के कम्पीटिशन में हम नहीं कर पाते हैं। हमारी भोजपुरी की भाषा आप जानते हैं, आप उस क्षेत्र से आते भी हैं। ऐसे कलाकार, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, उनका प्रदर्शन ठीक ढंग से हो। हमारे नागरिकों को उसकी सुविधा मिले, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रसार भारती को बेहतर और अच्छा बनाएं। उसमें काम करने वाले जितने कर्मचारी एवं लोग हैं, उन्हें हम स्थायी करें। उनकी सर्विस को इतने अच्छे ढंग से करें ताकि वे हमारे इस प्रसार भारती में ठीक प्रकार से, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती अम्बिका सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि ये एक बार अंडमान-निकोबार चलें। अंडमान-निकोबार का एक पत्र मैंने आपको दिया था। अंडमान-निकोबार का एकमात्र द्वीपसमूह है, जो सूनामी का एरिया है। वहां दूरदर्शन की बहुत बुरी हालत है। सारे द्वीपों में आपका दूरदर्शन दिखाई नहीं देता है। दूरदर्शन एकमात्र मीडिया हैं, लेकिन वहां आपकी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। उसका खम्भा गिर चुका है, वह खम्भा वहां नहीं लग रहा है।

अंडमान दूरदर्शन में आपके मंत्री महोदय दौरे पर गए थे। वहां केजुअल एनाउंसर का पोस्ट खाली पड़ा है। सब ठेकेदारी में कांट्रेक्ट में काम चल रहा है। इसलिए कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रसार भारती के नाम से, अंडमान-निकोबार डायरेक्ट आपके नेतृत्व में है, आप अंडमान-निकोबार के प्रसार भारती के प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री हैं। इसलिए अंडमान-निकोबार प्रसार भारती में कृपा करके जो पोस्ट खाली पड़ी है। आपके बगल में मंत्री जी बैठे हैं, वे वहां दौरा करके भी आए थे। वहां आज तक एक भी काम पूरा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की समस्या को देखते हुए आप कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, मेरे सहयोगी श्री जतुआ इस बहस का उत्तर देंगे।

इससे पहले कि वह उत्तर दें पिछले दो वर्षों में मैंने शिष्टमंडल के रूप में प्रसार भारती की विभिन्न एसोसिएशनों यद्यपि वे मान्यताप्राप्त नहीं हैं – के साथ कितनी बार मुलाकात की और उसके समय, तारीख और लोगों के नामों का ब्यौरा सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूं। यह उन बहुत सी बैठकों के अतिरिक्त है जो मैंने उन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से की थी जिनकी व्यक्तिगत शिकायतें कीं। मैं भले ही उनसे मिली परन्तु मैं उनका ब्यौरा नहीं रख पायी।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): प्रसार भारती बिल पर भारतीय भाषा में बोलें तो अच्छा रहेगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं भारतीय भाषा में भी बोल सकती हूं। यह तो मेरा रिकार्ड है, जो हम कुछ ही समय में निकाल पाए हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मंत्री, श्री चौधरी मोहन जतुआ और डा. एस. जगतरक्षकन भी हैं। हम लोगों ने आपस में जो काम बांटा था, प्रसार भारती के अलग-अलग श्रेणी के एम्पलाइज, हम लोगों ने अपने आप तीनों में काम बांटे थे। मेरे दोनों साथियों ने भी अनेकों बार एम्पलाइज एसोसिएशन से बात की है। हाल ही में तकरीबन हर पोलिटीकल नेता और हर पार्टी के प्रतिनिधि ने मुझे एम्पलाइज की तरफ से जो चिट्ठियां लिखीं, उनके सब मुद्दों को उठाते हुए मैंने बराबर बहुत कांप्रीहेंसिव डाक्यूमेंट के तौर पर बना कर हरेक का जवाब दिया है। ताकि आपको पता चले कि हमारा मंत्रालय पिछले डेढ़ दो साल से कितना कुछ कर सका है। 14 साल का मामला दो साल में तो कोई जादू की छड़ी से कर नहीं सकता। अगर हमने वह रास्ता अपना लिया है और हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं और हमारी मंशा यह है कि जो जिस जगह पर जिस भी मंत्रालय में काम करे, अच्छी नीयत, अच्छी निष्ठा और ईमानदारी से काम करे तो काम भी अच्छा पूरा होता है। इस नीयत से हम काम कर रहे हैं।

मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वे जवाब दें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, सत्पथी जी, आप क्या संतुष्ट हुए?

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: मैं संतुष्ट नहीं हूं ...*(व्यवधान)* कर्मचारियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित कार्यवाही वृत्तांत प्रस्तुत किए जाने पर मैं अध्यक्षपीठ को अपनी माफी प्रस्तुत करूंगा।

सभापति महोदय: यह बेहतर होगा।

श्री तथागत सत्पथी: उन्हें कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने दें।

श्रीमती अम्बिका सोनी: यह मेरे कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं है। जब लोग किसी मंत्री से मिलने का समय मांगते हैं तो मुलाकात का कार्यवाही सारांश तैयार नहीं किया जाता है क्योंकि तब उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास जाना होगा और उत्तर दिए जाने वाले विषयों पर कार्यवाही सारांश रिकार्ड करने के लिए कहना होगा। यह एक स्वायत्त संस्था है और मेरे पास सभी तारीखें हैं। मेरे पास में लिखित दस्तावेज भी हैं; जो सचिव से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऊपर सचिव तक सभी अधिकारी बैठकों में उपस्थित थे। सभी संबंधित अधिकारीगण जो बैठक में उपस्थित थे वे कहां दर्ज हैं। महोदय, मुझे खेद है, मुझे आपका न्याय चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): मेरा एक ही पाइंट है, मैंने डिबेट को इनीशिएट किया है। ...*(व्यवधान)* जरा सुनिये।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: मैं अध्यक्षपीठ को लिखित में माफी प्रस्तुत करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय राज्य मंत्री को उत्तर देना है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय, राज्य मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *...

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): कृपया मुझे उत्तर देने दें ...*(व्यवधान)* महोदय, आज की चर्चा की कुल मिलाकर सदस्यों ने भाग लिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सिद्धांततः सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री चौधरी मोहन जतुआ: कृपया मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए और यदि कुछ छूट जाता है तो आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: यह ठीक है।

श्री चौधरी मोहन जतुआ: महोदय, प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक, 2011 में जो कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 का एक भाग होगा, पर चर्चा में कुल 19 सदस्यों ने भाग लिया। अधिकतर वक्ताओं ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रसार भारती लोगों के लिए एक सम्पूर्ण सहायक इकाई के रूप में कार्य करे, अपनी व्यग्रता, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया। यह एक स्वायत्त संस्था है किंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि यद्यपि अधिनियम 1990 में पारित किया गया था परन्तु इसे वास्तव में 1997 से कार्य करने की अनुमति दी गई। इस तरह, यह संस्था मुश्किल से 14 वर्ष पुरानी है।

श्री विजय बहादुर सिंह: यह अवयस्क है।

श्री चौधरी मोहन जतुआ: हां, यह अवयस्क है। इसलिए, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं।

सभापति महोदय: श्री सिंह एक वकील हैं।

श्री चौधरी मोहन जतुआ: माननीय सदस्य ठीक ही इन सब चीजों को सभा के ध्यान में लाए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं यह विधेयक पहले ही राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और आज लोक सभा में इस पर चर्चा की जा रही है। यदि सभा इसे पारित कर देती है तो यह एक अधिनियम का रूप ले लेगा। यह प्रसार भारती को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त निकाय बनाने की दिशा में एक और कदम है। मैंने 19 माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने हैं। मैंने एक संक्षिप्त उत्तर तैयार किया है। इस चर्चा में लगभग ढाई घंटे से अधिक समय लगा। मैं अपना उत्तर जो मैंने तैयार किया है को पूरा करने में पांच मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उत्तर पढ़ूंगा। यदि कुछ छूट जाता है तो मैं निश्चित रूप से अलग से उत्तर दूंगा।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उनका आभारी हूं। मैंने उनके द्वारा उठाये गए मुद्दों और सरोकारों पर काफी ध्यान दिया है। ये मुद्दे दो व्यापक श्रेणियों में आते हैं: पहली है कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे और दूसरी है - प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यों से संबंधित सामान्य मुद्दे।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रसार भारती का मामला कुछ अनूठा है और इतने वर्षों से अनिश्चितता के कारण यह और जटिल बन गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्रसार भारती बोर्ड को प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए भर्ती निगम के लिए प्रारूप प्रस्ताव तैयार करने और भर्ती बोर्ड स्थापित करने में 14 वर्ष लगे। मंत्रालय की ओर से हमने इन प्रस्तावों अर्थात् बोर्ड और नियम बनाने के संबंध में तत्काल कार्यवाही की है और उन पर इस समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा व्यय विभाग के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।

हमें आशा है कि उनके अनुमोदन से प्रसार भारती कम से कम अपनी भर्ती कराने और इस तरह संगठन की बहुत पुरानी जरूरत पूरी करने हेतु स्वतंत्र हो जाएगा। इससे बहुमूल्य अवसंरचना का अधिकतम उपयोग हो पायेगा जिससे प्रचार भारती की सम्पूर्ण देश में पहुंच मजबूत होगी और सुधरेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रसार भारती में कर्मचारी संगठनों से संबंधित मामलों पर आक्रोश और चिंता व्यक्त की है। रिकार्ड ठीक रखना महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में प्रसार भारती के कर्मचारी सरकारी नियमों से शासित होते हैं। एसोसिएशनों के निर्माण और उनकी मान्यता के मामले में 1993 के डीओपीटी के नियम लागू होते हैं।

इन्होंने संघों की मान्यता के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और शर्तो को नियत किया। चूंकि प्रसार भारती में 1997 में अनुसूचित तिथि से पहले औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। इस समय प्रसार भारती में कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं है। कुछ कर्मचारी निकायों और कुछ संसद सदस्यों द्वारा भी इस मामले को उठाया गया है। हमारे मंत्रालय के अनुदेश पर कर्मचारियों, कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों की मान्यता हेतु प्रक्रिया प्रसार भारती में आरंभ की गई है और हमें उम्मीद है कि वे सभी कर्मचारी जो एक मान्यता प्राप्त संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के इच्छुक हैं, अपनी पसन्द के किसी ग्रुप में शामिल हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, यह एक तथ्य है कि प्रसार भारती में, जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, इसकी स्वीकृत संख्या के लगभग 33 प्रतिशत की रिक्तियों की स्थिति से इसके कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है। सरकार को चिन्ता है कि इस स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रसार भारती से संबंधित मंत्रि समूह ने प्रसार भारती में 3452 आवश्यक पदों को तत्काल भरने की सिफारिश की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव पहले ही व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास भेजा जा चुका है और मंत्रालय इस प्रस्ताव पर तेजी से कार्य कर रहा है।

हम पुन: उम्मीद करते हैं कि प्रशिक्षण जन-शक्ति के समावेशन से प्रसार भारती की सेवाओं में परिणामस्वरूप तत्काल सुधार दिखाई देगा। मुझे विश्वास है कि यह यहां उपस्थित हम सभी और देश के लिए बड़े संतोष की बात होगी।

हाल ही में कुछ गलत कारणों से भी प्रसार भारती की चर्चा समाचारों में होती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और यह अतिनियंत्रित रहस्य नहीं है कि प्रसार भारती में व्यवस्थित समस्याएं हैं। प्रसार भारती बोर्ड ने अनेक पहले आरंभ की हैं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में और अधिक सुधार होगा। अपनी ओर से हम इस संगठन को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दे रहे हैं ताकि इसे कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता मिल सके। माननीय सदस्य देखेंगे कि मैंने जो संशोधन इस महान सदन के समक्ष रखे हैं वे प्रसार भारती को सशक्त बनाएंगे जिससे प्रसार भारती को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण हेतु अधिक शक्तियां, स्थानान्तरण आदि की शक्तियां प्राप्त होगी यदि हम अवधारणा और वास्तव में इस संगठन को स्वायत्त संगठन बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना चाहिए। इस सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को इस आलोक में भी देखा जाए।

सरकार को दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में प्रसार भारती की भूमिका है कि कोई अन्य संगठन चाहे गैर सरकारी हो अथवा सरकारी इसकी बराबरी अथवा अनुकरण नहीं कर सकता। हमारी ओर से किसी अन्धभक्ति अथवा वर्गीय हित से पूर्णतया मुक्त होकर प्रस्तावित संशोधन इस महान सभा के समक्ष लाए गए हैं। इन प्रस्तावित संशोधनों की एक अनन्य प्रेरक शक्ति प्रसार भारती को अन्ततः ऐसे साधन प्रदान करना है कि प्रसार भारती इस देश के आम आदमी को गुणवत्ता तथा उत्पादन की दृष्टि से अपेक्षित उत्तम जानकारी प्राप्त हो सके।

महोदय, पूर्व वक्ता माननीय श्री जोशी जी ने वस्तुतः अनेक बातों का उल्लेख किया और मैंने उन बातों का उत्तर दे दिया है।

सभापति महोदयः मंत्री महोदय, पहले उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए और तब आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं।

श्री चौधरी मोहन जतुआः महोदय, चूंकि मैंने अपना भाषण आरम्भ कर दिया है इसलिए कृपया मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

सभापति महोदयः ठीक है।

श्री चौधरी मोहन जतुआः अन्य बातों के अलावा श्री जोशी ने पूछा कि कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्यों नहीं है। मुझे यहां उपस्थित माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति होती है और दो अन्य सदस्य, अध्यक्ष, प्रेस परिषद और भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। अतः ये तीन बहुत पदाधिकारी हैं जो यह निर्णय करेंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कब और कैसे की जाएगी। अतः इस मुद्दे पर मंत्रालय को कुछ नहीं करना है।

अंडमान के एक अन्य सदस्य ने अंडमान के बारे में पूछा। मैं एक बार वहां गया था। अनेक कर्मचारी आकस्मिक तौरे पर कार्य कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि कुछ किया जाएगा। वास्तव में इन सभी मामलों पर ध्यान दिया गया है। कर्मचारियों के मामलों पर ध्यान देने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित कतिपय नियम हैं। अतः कार्मिक और प्रशिक्षण निगम के नियमों का पालन किया जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराऊंगा कि वर्तमान कदम जो हमने आज उठाए हैं; से कर्मचारियों की स्थिति को अन्तिम रूप दिया जाएगा। हम उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं। वे अगले सौ वर्ष या दो सौ वर्षों तक सेवा नहीं करेंगे। वे तो बस दस वर्ष अथवा पन्द्रह वर्ष और सेवा करेंगे। लेकिन प्रसार भारती तो उस बड़े बरगद के पेड़ की भांति हैं जो सैकड़ों वर्षों तक रहेगा।

अतः कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी जैसा कि नियमों में प्रावधान किया गया है। प्रसार भारती द्वारा एक बोर्ड बनाया गया है; उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और इस आशय के नियम पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंत्रालय के पास भेजा है। हमने अपना काम पूरा कर लिया है। अब यह मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास लम्बित है। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्यों, मैं इस संशोधन विधेयक पर वाद विवाद का पहली बार उत्तर दे रहा हूं। मुझे अफसोस है यदि मेरे उत्तर में कोई क्रियाविधि खामी हो। हम मामले की जांच करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए देश के कानूनों के अनुसार इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। हमारा इसमें कोई निजी हित नहीं है ...*(व्यवधान)* मेरा उत्तर अभी भी पूरा नहीं है। पहले मेरा पूरा होने दीजिए और उसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न हो या आपत्तियां हों तो आप व्यक्त कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* कृपया अपने उत्तर को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता करें, मैं नया मंत्री हूं और पहली बार मैं वाद विवाद माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और अतः मेरा आप से अनुरोध है कि मझे सहयोग दे और मुझे बताएं भी यदि मैं अपने उत्तर में गलत हूं क्योंकि मुझे सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि "मैं सीखने के लिए जी रहा हूं और जब

तक मैं जीवित हूं मैं सीखता रहूंगा।" मैं यहां सीखने का इच्छुक हूं किन्तु कृपया मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए, तत्पश्चात् मैं कोशिश करूंगा और आपके प्रश्नों, यदि कोई हों, का उत्तर दूंगा।

महोदय, विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। यह प्रसार भारती के कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित है। इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था और यह पिछले 13 वर्ष से लोगों के दिमाग में आक्रोश उत्पन्न कर रहा है और आखिरकार मंत्री-समूह और स्थाई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को तैयार किया गया और यह कुछ दिन पहले राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के उपबंधों में प्रसार भारती की समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं है। प्रसार भारती के कार्यकरण के बारे में एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही संसद के समक्ष रखा जाएगा और वह प्रसार भारती के समग्र परिप्रेक्ष्य में विचार करेगा कि इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है और इसे भारत के लोगों में स्वीकार्यता कैसे दिलाई जाए और देश के प्रत्येक भाग में कैसे पहुंचा जाए और भारत के बाहर तक इसकी पहुंच कैसे बनाई जाए और यह निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा कैसे कर पायेगा। जब वह विधेयक संसद के सामने आता है तो इस स्थिति में सभा के माननीय सदस्यों को इस पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री ने बहस का विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया है परन्तु चूंकि श्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा शुरू की थी इसलिए वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूर्ण आदर सहित जानना चाहता हूं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य मंत्रियों द्वारा रिकार्ड में कितनी बार जेसीएम की गई। एक संयुक्त परामर्श प्रक्रिया (जेसीपी) होती है और जहां तक मेरा संबंध है तो 2009 के पश्चात जेसीपी की एक बार भी बैठक नहीं हुई। यह प्रेस में छपा था और यदि आप कहें कि यह जानकारी गलत है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु डीटीएम को बाहर दिए जाने के पश्चात कुछ एसोसिएशनों ने इसका विरोध किया था और उसके पश्चात इसे रोक दिया गया है। प्रेस के कुछ वर्गों में यह आरोप लगा दिखाया गया था। मैंने इसके बारे में पूछा था परन्तु माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

दूसरे, जहां तक कार्य और प्रभार वर्क और कर्ज आकार का संबंध है तो वे नियमित कर्मचारी हैं। सरकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। स्थाई समिति ने भी इसकी सिफारिश की है।

तीसरे, मैं लगभग एक वर्ष पूर्ण व्यक्तिगत रूप से आपसे मिला था और कर्नाटक के धारवाड़ में कार्यक्रम निर्माण केंद्र के लिए अनुरोध किया था। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि चूंकि यह डॉ० भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल का स्थान है इसलिए ग्यारहवीं योजना में ऐसा किया जाएगा। यह 1998 से लम्बित है। कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दीजिये ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *...

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। माननीय सदस्य श्री जोशी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यूनियन की मान्यता के बारे में भी मुद्दा उठाया है। मैं एक बात जो रिकार्ड में है स्पष्ट करना चाहती हूं। इसलिए, मैं सभा को बिल्कुल भ्रमित नहीं कर रही हूं। कर्मचारियों की लगभग 21 एसोसिएशन है या उससे भी अधिक हैं जो 122 भिन्न-भिन्न श्रेणियों में प्रसार भारती के लिए कार्य कर रही हैं। उन्हें मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उन्होंने 1993-94 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है। मैंने मंत्रालय में अपने अधिकारियों से बात की और उन्हें कहा कि जैसे ही कोई कर्मचारी यूनियन या एसोसिएशन नियमानुसार स्वयं को पंजीकृत कराना चाहती है तो उन्हें इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

उनकी मान्यता का प्रश्न दूसरी सभा में भी एक माननीय सदस्य जो इस देश की एक अधिकारिक ट्रेड यूनियन, इंटक के अध्यक्ष भी हैं, द्वारा भी उठाया गया था। सभी अधिकारियों के साथ मैंने आज के नियमों के बारे में उन्हें स्पष्ट किया। उन्होंने स्थिति समझ लीं। किसी यूनियन को मान्यता प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कुछ निश्चित औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जबकि पिछले काफी वर्षों से उनमें से कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं की गई। किंतु यदि कर्मचारी डीओपीटी द्वारा निर्धारित विद्यमान नियमों का पालन करें तो हम किसी भी एसोसिएशन की यूनियन के तौर पर मान्यता देने को तैयार हैं।

दूसरा बिंदु धारवाड़ कार्यक्रम निर्माण केंद्र के बारे में है। जैसा मेरे सहयोगी ने कहा, यह एक बहुत सीमित विधेयक है। मैं माननीय सदस्य, श्री विजय बहादुर सिंह और अन्य माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें प्रतिनियुक्ति पर रख रहे हैं और उनका भविष्य अधर में है। जब अधिनियम बनाया तब यही चीज वे कर्मचारी चाहते थे जो 1990 में दूरदर्शन और

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आकाशवाणी के लिए मूल रूप से कार्य कर रहे हैं। जो 2000 से 2007 के बीच आए वे भी चाहते थे कि उन्हें भी प्रतिनियुक्ति वत माना जाए। मैं जब सूचना और प्रसारण मंत्री नहीं थी तब भी मैं दोनों मंत्री समूहों में थी इसलिए मैं सभी एसोसिएशनों के बीच विचारों की भिन्नता के प्रति सचेत हूं। हम एक कदम से सबको खुश नहीं कर सकते। मैं स्वीकार करती हूं कि यह एक सीमित विधेयक है परन्तु यह विधेयक कर्मचारियों के बड़े वर्ग को नियमित कर देगा और हम यहां से आगे बढ़ने जा रहे हैं।

मैं इस सभा को भरोसा दिलाती हूं कि कुछ भर्ती नियम जो 2002 में बनाये गए थे लागू नहीं हो सके क्योंकि प्रसार भारती के कुछ कर्मचारियों की ओर से ही विरोध हो रहा था। उन्हें स्थगित रखा गया। इसलिए आज जब हमें उन्हें सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति वत बना रहे हैं तो वे सरकारी नियमों के अंतर्गत अपने भविष्य के प्रति आश्वास्त रहेंगे। प्रसार भारती बोर्ड से अनुमोदित मार्च 2011 के भर्ती नियमों के अनुसार नई भर्ती होगी। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है हम मामले पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ तेजी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस बारे में निश्चित हूं।

मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा उठाये गए प्रश्न का विशेष तौर पर उत्तर दूंगी। अब इतनी अधिक स्वायत्तता है। मुझे इस बारे में प्रसार भारती से अनुरोध करना है और मेरी इस बारे में अहं की कोई समस्या नहीं है। मैं भी यह चाहती हूं और मैंने उनसे अनुरोध किया है। प्रसार भारती की प्रोग्रामिंग का मार्गदर्शन करने हेतु जिला और राज्य क्षेत्रीय स्तरों सलाहकार समितियां हुआ करती थीं। विगत वर्षों में उन्होंने अपने-आप अधिकार हासिल कर लिए थे। मैंने उन्हें बताया था कि आप कार्यक्रमों को मंजूर नहीं कर सकते और यह कि निर्णय के लिए समितियां बनाएं। विख्यात व्यक्तियों को शामिल करके समितियां बनाई जाएंगी जो यह निर्णय कर सकेंगी कि किस तरह के कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं और क्या उन्हें देखा जा रहा है अथवा नहीं। मैं प्रसार भारती की बीबीसी से तुलना नहीं करूंगी। हमने इस पर विचार किया। बीबीसी, टेलीविजन रखने वाले प्रत्येक से बड़ी शुल्क वसूलता है। भारत में लाइसेंस देने के लिए छोटे टेलीविजन सेट के मालिक पर भार नहीं डालना चाहते।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करती हूं कि मंत्रालय बहुत संवेदनशील है। अब यहां, वित्त राज्य मंत्री भी है। जब मंत्री-समूह की बैठक हुई तो हमने प्रसार भारती को दिए जाने वाले धन में वृद्धि की है। मंत्री-समूह की पहले की बैठक में कम को 50:50 के अनुपात में बांट दिया गया। मैंने महसूस किया कि शायद यह संभव न हो। कर्मचारी बहुत चिंतित थे कि यदि प्रसार भारती पैसा नहीं कमाता है तो उन्हें अपना वेतन कैसे मिलेगा। हम सबने मिलकर मंत्री-समूह की यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया कि सरकार प्रसार भारती के हरेक कर्मचारी के वेतन ढांचे की जिम्मेदारी लेगी ताकि उसे चिंता न हो कि उसका वेतन कहां से आएगा। इसलिए, हमने स्टाफ का ध्यान रखा है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि हमें समय दें। संभवतः अगले सत्र में प्रसार भारती पर और व्यापक विधेयक आएगा।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगी कि यह सदन मांग करे कि पूरे प्रसार भारती के ऊपर एक गंभीर और विस्तृत चर्चा हो। 1990 में इलेक्ट्रानिक मीडिया की जो स्थिति थी, वह आज 2011 में बिल्कुल नहीं है और आज कॉमर्शियल चैनल्स का मुकाबला करना एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत कठिन है। हमें इस पर विस्तार से और गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि प्रसार भारती इस सदन का ही प्रोडक्ट है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस लिमिटेड बिल को आप अपना समर्थन दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में राज्य सभा द्वारा यथापारित, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री चौधरी मोहन जतुआ: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.39 बजे

आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं० 30, आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011 पर विचार करेगी।

माननीय मंत्री महोदय।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय अपने वरिष्ठ सहयोगी, वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि प्राप्तव्यों के समनुदेशन के रजिस्ट्रीकरण और प्राप्तव्यों के समनुदेशन के लिए संविदा के पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं के लिए उपबंध करके प्राप्ताव्यों के समनुदेशन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध और विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आढ़तिया व्यापार हेतु व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करने के लिए आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011 पुर:स्थापित किया गया था। मार्च 2011 में इसके पुर:स्थापन के पश्चात विधेयक, वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया। समिति ने कुछ परिवर्तनों के अध्यधीन विधेयक के अधिनियमन की सिफारिश की है और सरकार ने आढ़तिया व्यापार से कमीशन एजेंटों की गतिविधि अथवा कृषि उत्पाद की बिक्री से छूट और आढ़तिया लेन-देन को स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करने सहित वित्त संबंधी स्थाई समिति की सभी प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

समिति ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधेयक में कोई विधिक कमी न हो, कायक विचार-विमर्श करने के लिए कहा था। तदनुसार, एक लॉ फर्म, विधि विशेषज्ञों, आईबीए और भा. रि.वै. के साथ विचार-विमर्श किया गया और प्राप्त सुझावों के आधार पर किसी आढ़तिया संविदा में प्राप्तव्यों के समनुदेशन से संबंधित विभिन्न पक्षकारों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए विधेयक में कुछ अतिरिक्त संशोधनों का सुझाव दिया गया है।

यह आशा है कि प्रस्तावित विधेयक संबंधित पक्षकारों के अधिकारों, देयताओं और बाध्यताओं का निर्धारण करके भारत में आढ़ती व कारोबार के विकास के लिए एक व्यापक विधायी ढांचा प्रदान करेगा।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्राप्तव्यों के समनुदेशन के रजिस्ट्रीकरण और प्राप्तव्यों के समनुदेशन के लिए संविदा के पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं के लिए उपबंध करके प्राप्तव्यों के समनुदेशन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध और विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यहां से बोलने की अनुमति आपसे चाहता हूं।

सभापति महोदय: अनुमति दी जाती है।

श्री उदय सिंह: माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक पर बोलने के लिए कहा है। अब इस विधेयक का नाम बदलकर 'आढ़ती विनियमन विधेयक, 2011' हो गया है। नाम में यह परिवर्तन श्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में भी किया गया है जिन्होंने यह कहा था कि 'आढ़ती प्राप्तव्यों का विनियमन' के वर्तमान नाम या मूल नाम से यह भ्रम पैदा होता है कि मानों पहले से ही ऐसा कोई विधान मौजूद है। यह विधेयक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को क्रेडिट सुविधा मिलना आसान हो जाएगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं हिन्दी जानता हूं, लेकिन हिन्दी सारी बात नहीं कह सकता। आप कान में लगा लें, हिन्दी में सुनाई देने लगेगा। मुझसे ज्यादा अच्छी हिन्दी में आपको सुनाई देगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

कारोबार के रूप में आढ़ती विनियमन क्रेडिट बिक्री को नकद बिक्री में परिवर्तित करना है। अतः कार्यशील पूंजी की कमी वाली फर्म विशेषकर छोटी फर्मों, जिन्हें कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में दिक्कत होती है, को यह लगता है कि आढ़ती कारबार से उनकी परेशानी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। किंतु जब हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की बात करते हैं तो वास्तव में हम ऐसे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमारे निर्यात में 40 प्रतिशत और हमारे औद्योगिक उत्पादन में 45 प्रतिशत योगदान होता है। किंतु हम इस समस्त क्षेत्र के साथ नफ़रत पूर्ण बर्ताव करते हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से पहला आग्रह यह है कि जब इस विधेयक को लाया जा रहा था तो क्या उन्होंने एक ऐसा व्यापक विधेयक लाने के बारे में अन्य मंत्रालयों से परामर्श करने के बारे में अन्य मंत्रालयों से परामर्श करने के बारे में सोचा जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं पर विचार किया जा सके। मैं इस विधेयक तथा इस उद्यम की खास बातों पर बाद में आऊंगा किंतु इससे पूर्व मैं अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी यहां पर उपस्थित नहीं है। किंतु आपके माध्यम से मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि 'हां' हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जिसमें हमें छिपकलियां खाने की जरूरत पड़े किंतु हमें यह भी नहीं पता है कि हमें कब तक चिकन मिलता रहेगा। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुझे यह सब खाने की जरूरत नहीं है। किंतु अर्थव्यवस्था की स्थिति हर पल गिरती जा रही है। सरकार इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि क्या हो रहा है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर सरकार यह यश ले सकती है कि उसने 2008 में वैश्विक मंदी का सफलतापूर्वक सामना किया था। इसके लिए हमने सरकार को बधाई दी थी। तत्पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। क्या हुआ? आपको यह विचार ही नहीं आया कि खाद्य मुद्रास्फीति को किस प्रकार काबू में करें? आप चिंतित हो गए। पूरा देश आक्रोश में था। फिर, आप और भारतीय रिजर्व बैंक ने मिलकर ब्याज दर बढ़ा दी जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर आपने औद्योगिक उत्पादन को सीमित कर दिया और दूसरी ओर आपने मांग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जिससे आज उत्पादन की दर नकारात्मक हो गई है। मेरा मतलब है कि यह सब हैरान कर देने वाला है। अतः हमारी गतिशील अर्थव्यवस्था मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

एमएसएमई क्षेत्र की बात करने से पहले, जब आप उत्तर दें तो कृपया बताएं कि एक गतिशील अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था में बदलने, जिसके बारे में हर कोई आज चिंतित है कि कल सुबह क्या होगा, की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इसका प्रभाव देखिए कि जब रिजर्व बैंक कुछ उपाय करता है तो रूपया है और नीचे गिर जाता है। अतः यह एक गंभीर मामला बन गया है।

मैंने माननीय वित्त मंत्री जी की बात सुनी है जिन्होंने कई बार इस बात पर अफसोस जताया है कि वो अकेले इतने भारी सब्सिडी बिल का बोझ नहीं उठा सकते हैं। किंतु क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि हमें इस सब्सिडी रूपी शेर की सवारी करना किसने सिखाया था? आपने! आप इसे समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि आप समाप्त हो जाओगे। किंतु इस शेर को पालतू बनाने की बजाय आपने इसे और अधिक आक्रामक बना दिया। हमने समाचार पत्रों में यह अतिव्ययी विचार पढ़ा है कि कोई खाद्य सुरक्षा विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक से क्या होगा? जब हम यह कहते हैं कि "हम 66 प्रतिशत भारतीयों को खाद्यान्न देंगे" तो यह सुनना अच्छा लगता है। किंतु आपके नरेगा का क्या हुआ? नरेगा ने आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया? इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संतुलन को पूरी तरह से बदल डाला। क्यों? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरी बात सुन रहे होंगे। नरेगा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप लाभार्थियों की पहचान नहीं कर सके। आप वही गलती करने जा रहे हैं और ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था पर दबाव है, क्योंकि केबिनेट को खाद्य सुरक्षा विधेयक को स्वीकृति दिलानी है, इसने बाजार को क्या संदेश दिया? रुपये का क्या हुआ? शेयर बाजार का क्या हुआ?

पिछले सत्र में मैं सीमा-शुल्क विधि मान्यकरण विधेयक पर बोल रहा था। मैं कर-संग्रहण के आपके तरीके की आलोचना कर रहा था। वास्तव में मुझे नहीं पता कि इस सरकार कर-संग्रहण का तरीका ज्यादा खराब है या इसका वोट बटोरने का तरीका ज्यादा खराब है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका कर-संग्रहण का तरीका इस देश को बर्बाद कर रहा है। इसलिए, आपको एहसास करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। आपको आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

मैंने पहले भी कहा है कि व्यापार के रूप में आढ़त की बहुत लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस सरकार ने इस कानून को लाने में इतना समय क्यों लिया। बहुत पहले कल्याणसुंदरम् समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद बहुत सी समितियां नियुक्त हुईं। तत्पश्चात्, प्रधानमंत्री कृतक बल नियुक्त किया गया था। अंत में यह आया। अब यहां समस्या यह है कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लाभान्वित नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि यह इससे लाभान्वित

क्यों नहीं होगा। बहुत बार जब चर्चा हुई तो सदस्यों ने अपनी तुलना चीन के साथ की। मंत्री महोदय, जब कोई व्यक्ति यहां लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? उसे जमीन और कारखाना भवन चाहिए। यदि जमीन और कारखाना भवन पूर्णिया में बनाना हो, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, तो संभवत: इसकी लागत 50 लाख रुपये आएगी। यदि यही काम दिल्ली में किया जाए तो उसकी लागत संभवत: 20 करोड़ रुपये आएगी। इस लघु उद्यमी को यह पैसा कहां से मिलेगा? इसलिए वह पहला काम यह करता है कि जमीन जायदाद के लिए पैसा उधार लेने जाता है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है क्योंकि वह ब्याज के जाल में फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बेकार की राजसहायता, जो कि जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती, पर खर्च करने के बजाय यदि आप राज्य सरकारों को पांच वर्ष के लिए भूमि-बैंक और कारखाना, जिसे वे लघु और मध्यम उद्यमियों की पट्टे पर दे सकें, बनाने के लिए धन उपलब्ध करायें तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। वहां 40 प्रतिशत का आंकड़ा है। मुझे नहीं पता कि यह आंकड़ा सही है या नहीं क्योंकि इन दिनों हमारे अधिकतर आंकड़े गलत हैं किंतु यदि यह 40 प्रतिशत का आकंड़ा सही है तो इससे अचानक तेज विकास होगा और तब आप एक दिन चीन से बराबरी का सपना देख सकते हैं।

दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि आपने संशोधन के माध्यम से इसमें स्टांप शुल्क अधिनियम से छूट दे दी है। आपने नाम बदल दिया है जो कि अधिनियम के अधिक सुसंगत है। किंतु मैं बहुत अधिक असंतुष्ट और अप्रसन्न हूं कि आपने आढ़त कम्पनियां जिस तरह की शिकायत और कमीशन लेंगी उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की स्थाई समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की। आपने कहा है कि आप इसे बाजार की प्रतिस्पर्धा पर छोड़ देंगे। वित्त मंत्रालय ने यही उत्तर स्थाई समिति को दिया था। किंतु यह समझ लीजिए कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के साथ शक्ति की बातचीत का स्तर बहुत ही सीमित है और इसलिए उन लोगों के लिए आढ़त कम्पनियों के साथ अच्छी दर तय करना बहुत कठिन होगा। इसलिए यह आपके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की सहायता करने की सोच के अनुरूप होगा कि रिजर्व बैंक की दरों के साथ आढ़त कम्पनियां जो कमीशन और ब्याज की राशि लेती हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए।

दूसरी चीज जिसके बारे में विधेयक पूरी तरह मोन है यह है कि क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आढ़त सेवाएं 'सहारे के साथ' अथवा 'सहारे के बिना' आधार पर होंगी क्योंकि यदि ये 'सहारे के साथ' आधार पर हैं तो आप एमएसएमई की मदद नहीं कर रहे हैं। कारण यह है कि यदि कर्जदार आढ़त कम्पनी को भुगतान करने से इंकार करता है तो आढ़त कम्पनी लघु उद्यम पर भारी दबाव बनाएगी और लघु उद्यम उस दबाव को सहन नहीं कर पायेगा। इसलिए, जैसा गुप्ता समिति ने सिफारिश की थी एमएसएमई को आढ़त सेवा 'सहारे के बिना' आधार पर होनी चाहिए और ऋण वसूली का जोखिम आढ़त कम्पनी का होना चाहिए और यह मूल अधिन्यासक पर वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वही समस्या होगी।

इसके बाद इस विधेयक में विकासशील आढ़त कम्पनियों के वे सब सेवाएं देने, जो वे प्रदान कर सकती हैं, के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उदाहरणार्थ, प्राप्तव्यों का प्रबंधन लघु उद्यमों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यदि ये आढ़त कम्पनियां प्राप्तव्यों का प्रबंधन कर सकती हैं तो इससे एमएसएमई की मदद होगी। अक्सर एक छोटी कम्पनी के मालिक को एक बड़ी कम्पनी को माल की आपूर्ति करने में धोखा दिया जाता है और फिर वह आपने पैसे के लिए चारों ओर दौड़ता है। इसलिए, ऋण मूल्यांकन सेवा, प्राप्तांक प्रबंधन सेवा इत्यादि महत्वपूर्ण सेवाएं हैं क्योंकि यदि वित्त पोषण हो तो यह फिर बैंक की तरह एक और वित्तीय साधन बन जाएगा। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यहां ऐसी कंपनियां विकसित हों और यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि एमएसएमई बेहतर कार्य करें तो आपको आढ़त कम्पनियों को बताना होगा कि वे क्या करें।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या आपको ज्ञात है कि दुनिया भर में आढ़त व्यापार में माफिया बहुत गहराई से लिप्त है। विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका और इटली और अब हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भी आपको माफिया नियंत्रित आढ़त व्यापार मिलेगा। माफिया, ऋण संग्रहण के व्यापार में इसलिए संलिप्त होता है कि यदि कर्जदार भुगतान करने से इंकार करता है तो अक्सर कर्ज की वसूली के आढ़त कम्पनियों द्वारा ताकत का प्रयोग किया जाता है। आपने भारत में भी ऐसा होते हुए देखा है। आपने ऐसी कहानी सुनी होगी कि बैंक कार के लिए ऋण देते हैं और यदि कार-ऋण वापस नहीं किया जाता है तो परिवार की अचानक सड़क पर रोक लिया जाता है और कार ले ली जाती है। यही चीज आढ़त व्यापार में भी बड़े पैमाने पर होती है।

माननीय मंत्री, एक और समस्या गलत धन शोधन की है। उस दिन हमने काले धन और बाहर भेजे गए धन पर बहुत सार्थक बहस की थी। आज, आढ़त का भी गलत धन शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है और इस बात के प्रमाण भी हैं। इसलिए, यदि

मंत्रालय इस पर ध्यान दे सके और यह सुनिश्चित करे कि इस पहलू पर विचार किया जाए तो यह बहुत अच्छा होगा।

आखिर बात जो मैं आपसे पूछता हूं वह यह है कि अचानक वृद्धि हुई है - और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की मेरी बात सुनने में रूचि होगी। बहामस एक विदित टैक्स हैवन है। यद्यपि बाद में इसका स्पष्टीकरण बहामस को दिया गया, जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। वर्ष 2005-06 में भारत से निर्यात नौ मिलियन डालर का था। इस वर्ष यह निर्यात 2173 मिलियन डालर का है। इन आंकड़ों के बारे में अंकाड का रहना है कि बहामस के निर्यात करने का कोई साक्ष्य नहीं है। किन्तु इसके लिए एक केवियट आपत्ति-सूचना है और मैं बाद में केवियट पर आऊंगा।

मॉरीशस के साथ भी ऐसी स्थिति है, बहरीन के साथ भी ऐसा ही है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, लटविया और मालटा के साथ भी यही स्थिति है। अत: मैं पुन: आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आढ़त कारोबार शुरू करने से इसमें और वृद्धि हो सकती है। यह कुछ नहीं है बल्कि आपका अपना पैसा वापस आ रहा है। गलत ढंग से अर्जित किया गया पैसा विदेश भेज दिया जाता है क्योंकि उन पर दबाव होता है इसलिए वे अपना धन वापस ला रहे हैं।

बहामस संबंधी केवियट यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का दावा है कि हाल के वर्षों में बहामस को गैसोलीन के नौपरिवहन में बहुत अधिक बढ़ गया है और रिलायंस बड़े बड़े जलमानों में बहामस को गैसोलीन भेज रहा है और वहां से इस गैसोलीन को उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बाजारों में भेजा जाता हो अब, माननीय मंत्री, यह मेरे लिए बहुत लुभावना अर्थशास्त्र है क्योंकि यदि रिलायंस उसी अशोधित सामान का आयात कर सकता है जिसका हम आयात कर रहे हैं; यहां उसका शोधन करता है, बहामस के रास्ते इसे उत्तर और दक्षिण अमेरिका देशों में भेजता है और उसके बाद भी पैसा कमा रहा है तो यह बहुत बिस्मियकारी अर्थशास्त्र होना चाहिए जिसका कम से कम मैं तो पालन नहीं कर पाया हूं। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसे नोट करें और उन्हें आज इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का अर्थशास्त्र है।

अत: इस विधेयक का समर्थन करते हुए क्योंकि इस विधेयक का विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने जो बिन्दु उठाए हैं कृपया उन पर ध्यान दें और जहां भी संभव हो वे संशोधन किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं रेगुलेशन आफ फैक्टर बिल, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में इससे पहले भी कई एक्ट बने हैं जैसे द इन्ट्रस्ट आन डिलेएड पेमेंट टू स्माल स्केल एंड एनसिलेरी इंडस्ट्री एक्ट, 1993 में बना था। माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में बना था। इन दोनों के बावजूद आज भी माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजिज के जो हालात हैं, वे हमसे छिपे हुए नहीं हैं। आज भी सबसे बड़ी समस्या डिले आफ पेमेंट की है। आरबीआई ने 1998 में स्टडी ग्रुप कल्याण सुंदरम जी की चेयरमैनशिप में बनाया था। इसमें फैक्टरिंग आर्गेनाइजेशन के लिए थ्योरी, कांस्टीच्युएशन, आर्गेनाइजेशन सैटअप, स्कोप आफ एक्टिविटीज और अदर रिलेटिड मैथड के अध्ययन के संदर्भ में ग्रुप बनाया था। उस कमेटी ने यह पाया कि सबसे बड़ी समस्या वर्किंग कैपिटल की कमी और डिले आफ पेमेंट के कारण है। मीडियम, माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत है और वह स्किल डेवलपमेंट है, अच्छे स्किल के लोग आएं। इसके साथ कर्ज भी है। आज इन दोनों समस्याओं से पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है।

अपराह्न 5.00 बजे

सरकार ने 2002 तक बीस करोड़ स्किल डेवलप्ड कर्मियों का लक्ष्य रखा है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। एमएसई सैक्टर के अंदर लगभग 2.6 करोड़ यूनिट्स और लगभग छ: करोड़ श्रमिक आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं और हमारे जीडीपी में लगभग आठ प्रतिशत इसका योगदान है। फैक्टरिंग हमारे यहां बहुत पुराना इंडस्ट्री है। हम लोग उसे आढ़त के रूप में जानते हैं। इस शब्द को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी कई मतभेद हुए थे, उस सन्दर्भ में कई सुझाव भी आये थे कि इस बिल का नाम क्या रखा जाए, जिससे कि आम हिंदुस्तानी इसे अच्छी तरह से समझ सके और उसे फैक्टरिंग के संदर्भ में लिया गया। यह एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल कंपनीज इसमें इनवोल्व हैं। लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई रेगुलेटर्स नहीं थे। चाहे बैंकिंग सैक्टर में हो या चाहे इंश्योरेंस सैक्टर हो, जहां भी रेगुलेटर्स हुए, इतिहास बताता है कि उन सब सैक्टर्स में काफी अच्छी उन्नति हुई और उसका लाभ देश के सभी वर्गों को मिला है, जो उससे जुड़े हुए हैं। अगर इसके अंदर रेगुलेटर्स होंगे तो तीनों पक्षों में जो सेलर और बायर होगा और जो फैक्टर धन मुहैया करायेगा, चाहे डिस्काउंट के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो तो उसके लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वे सब आ जायेंगे। आज इस कानूनी फ्रेमवर्क में नहीं आने के कारण छोटे उद्यमियों और किसानों को कितनी दुविधा होती है,

उनके हालात इसके गवाह हैं। आज दोनों सैक्टर्स की क्या दुर्दशा है, वह भी हम लोगों में से किसी से छिपी नहीं है। इस बिल में तीनों को जब लीगल प्रोटैक्शन होगा तो तीनों पक्षों के लिए यह एक अच्छी चीज होगी। आज अगर कोई भी अपना ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो उसके लिए इसमें बहुत सख्त कानून बनाये गये हैं और पैनल्टी के क्लाजेज भी रखे गये हैं। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो पांच हजार रुपये प्रति ट्रांजेक्शन प्रति दिन की पैनल्टी का प्रोविजन है। अगर कोई भी इस रेगुलेटर्स का नियम तोड़ेगा तो पांच लाख रुपये तक का उस पर दंड होगा और प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये का प्रावधान है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरे काबिल मित्र ने डर्टी मनी और ब्लैक मनी की बात कही। इन सबके कारण ही हम लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अगर रेगुलेटर्स होंगे तो कहीं न कहीं इसमें कमी आयेगी। आज छोटे उद्यमी और किसान के पास मनी ही नहीं है, डर्टी मनी और ब्लैक मनी आज उन लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम लोगों का यह ध्येय होना चाहिए कि उन लोगों के पास साधन पहुंचाएं। हम छोटे उद्यमियों के पास साधन पहुंचायें और किसानों के पास साधन पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

महोदय, हम लोगों ने बहुत किस्से और कहानियां सुनी हैं। उन आढ़तियों का किसानों के प्रति जो व्यवहार रहता था, हम लोग जो किसान परिवेश से आये हैं, उससे हम भी पीड़ित रहे हैं। क्योंकि आढ़ती जो कुछ भी लिख लेता था, उसे मान्य माना जाता था। कहीं भी उसका लेखा-जोखा नहीं होता था। यदि यह बिल पास होगा तो जो भी आपस में उनके बीच एग्रीमैन्ट होगा, अगर वह रजिस्टर्ड होगा तो वह लेखा-जोखा उस किसान को मिलेगा, उद्यमी को मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा।

आज स्टाम्प ड्यूटी के संदर्भ में भी बात हुई, स्टैंडिंग कमेटी में भी यह बात उठी कि इसे स्टाम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट किया जाए। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अन्दर ही बैंक्स को ही स्टाम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट किया गया है। आज स्टैंडिंग कमेटी के अलावा हम सब लोगों की भी यह मांग है कि स्टाम्प ड्यूटी से उन्हें एग्जैम्प्ट किया जाए। सरकार ने आश्वस्त किया कि स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1989-90 के अंदर संशोधन करेंगे, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 5.04 बजे

[डॉ० एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*]

आज इस बिल में कमीशन और डिस्काउंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी उदय सिंह जी ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि कोई न कोई कैप उन छोटे उद्यमियों और काश्तकारों के लिए जरूर होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए एक प्रावधान बने कि कितना डिस्काउंट या परसैंटेज होना चाहिए। सरकार जरूर कहेगी कि आज फ्री इकोनोमी है, मार्केट और बैंकिंग सैक्टर के अंदर भी इंटरैस्ट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। लेकिन बैंकिंग सैक्टर के लिए प्रावधान रखे गए हैं। आज हम लोग छोटे उद्यमी और किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, इसलिए हमें उन लोगों को इस बिल में भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए।

उदय सिंह जी ने कई सवाल रखे थे, विशेषकर आज की आर्थिक स्थिति के लिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने भी हम सबको बताया कि इस आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमारे माध्यम से पूरे देश को बताया कि अगर यह पार्लियामेंट सुचारू ढंग से चलेगी तो इस देश के अंदर एक विश्वास बनेगा, डैमोक्रेसी में विश्वास बनेगा, पार्लियामेंट में विश्वास बनेगा तो सरकार में विश्वास बनेगा। संविधान सबसे बड़ा है, फिर पार्लियामेंट है और इसके बाद कोई सरकार है। आज हम लोग इस सरकार के अंदर हैं। कल भारत की जनता चाहेगी वह इस तरफ रहेगी। पर हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी यह रहती है कि हम लोग विश्वास कैसे पैदा करें। विश्वास पैदा करने का एक जरिया यह है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलें। आप इस इकनॉमी में यह योगदान दीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। फूड सिक्योरिटी के बिल के संदर्भ में बोला गया। उदय सिंह जी जिस इंसान को एक रोटी की भूख पता है, उसको मालूम है कि इस बिल से उसे क्या मिलेगा। नरेगा के लिए आपने बोला है। आप मेरे क्षेत्र बाड़मेर में चलिए, वहां हम लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं। आज नरेगा के माध्यम से पचास हजार टेंक बनाए गए हैं।

श्री उदय सिंह: मैं, इस सदन से गुजारिश करना चाहता हूं जो सांसद यह सोचते हैं कि उनके यहां मनरेगा बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, कृपया वे हां कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *...

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: सभापति महोदय, कोई भी इंसान कोई व्यवस्था संपूर्ण तरह से ठीक नहीं है। हर इंसान और व्यवस्था के अंदर कोई न कोई कमी जरूर रहती है। ईश्वर ने इंसान को बनाया, इस व्यवस्था को बनाया, इस समाज को बनाया, उसके अंदर भी सुख और दुख दोनों रखे हैं। आप तो ईश्वर को मानते हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *...

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: आज हम लोगों का प्रयास यह होना चाहिए कि वे कमियां दूर कैसे हों। नरेगा के माध्यम से उस गरीब को अपने गांव में मजदूरी के लिए सौ-सवा सौ रुपये मिल रहे हैं उसकी कीमत वही जानता है। मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी की है। हमारे यहां हजार-हजार एमएम बारिश नहीं होती है। वहां केवल सौ-दौ सो एमएम बारिश होती है और टांकों के अंदर पूरे साल के लिए पानी का संग्रह करते हैं। नरेगा से पांच हजार टांके बने हैं। इस नरेगा के माध्यम से हमें क्या चीज मिली है वह आप वहां आ कर देखें आपको अपने आप अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक-एक घड़ा पानी के लिए हम कितना तरसते थे और कितना संघर्ष रहता था। हम लोग शायद वोट कलेक्टिंग मैथड के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग जिस पार्टी से आए हैं, उनका हर समय यह ध्येय रहा है कि राजनीति के माध्यम से गरीब की सेवा कैसे कर सकते हैं और सबको विश्वास में लेकर विकास कैसे कर सकते हैं। अविश्वास के साथ विकास की धारणा हम लोगों की कभी भी नहीं रही है। विश्वास पैदा करें और विश्वास के साथ सब को साथ में लेकर विकास कैसे करें, यह हम लोगों की धारणा रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकारी विभाग और पीएसयू से सालाना बीस प्रतिशत खनिज की अनिवार्यता दी है। मैं पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो एससी और एसटी हैं, उनके लिए चार प्रतिशत का प्रावधान किया गया कि उनसे अनिवार्य खरीद करें। आज जो दलित लोग हैं, उनको विकास में कैसे भागीदार करें, यह हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। इस स्कीम से लगभग 35 हजार करोड़ रुपये उन लोगों को मिलेंगे। उस 35 हजार करोड़ के अंदर लगभग 7 हजार करोड़ एससी-एसटी उद्यमी का भी होगा। आज के हालत के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ईएमआई है, सरकार ने उसको नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: स्टेट बैंक के लिए 12.5 प्रतिशत मैंडेटरी रखा, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जेहन में एक सवाल है कि आज एफडीआई की बहुत चर्चा इस देश के अंदर हो रही है। यह एफडीआई स्कीम कंज्यूमर और किसान के हित में है या अहित में है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज वह किसान जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक रुपये किलो अपना आलू बेच रहा है और दिल्ली के अंदर उसी आलू का भाव दस रुपये किलो है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: वही किसान जो पंजाब के अंदर भारती के माध्यम से करार करता है, उसे आज की तारीख में भी चार या पांच रुपये किलो का पैसा मिलता है। ऐसा क्यों है? आज हो यह रहा है कि उन किसानों की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस विकास के अंदर किसान और मजदूर की क्या भागीदारी रहे और क्या यह विकास, जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, किसान और मजदूर की भागीदारी के बिना इस विकास का क्या स्वरूप रहेगा? देश के अंदर 10 प्रतिशत अनाज और 30 प्रतिशत पैरीशिएबल आइटम, जो सब्जी, फल हैं, सप्लाई चेन न होने के कारण उसकी क्या स्थिति हो रही है। जब हम किसी भी विषय में चर्चा करते हैं तो महोदय, उन किसानों के लिए हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए। चाहे यह सही है या गलत है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा तो करें। आज हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि किसान और मजदूर की चर्चा तक हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों को हम नहीं देख रहे हैं। हमें उन पर भी गौर करना चाहिए। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बिल में देखा गया है कि सरकार ने सूक्ष्म और लघु एवं छोटी औद्योगिक इकाइयों, एमएसएमई के लिए नयी सार्वजनिक खरीद नीति को मंजूरी कर दी है। यहां तक कि यह फिक्स कर दिया गया है कि वस्तुओं, सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी विभागों और जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उसमें पीएसयू की खरीद के लिए एमएसएमई को तरजीह देनी होगी। जहां तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अगर रूपरेखा देखें तो जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें 2.6 करोड़ है और जो हमारे ग्रामीण उद्यम हैं, वे 1.35 करोड़ हैं। उसमें महिला उद्यम 9 लाख हैं और रोजगार 5.95 लाख है। इसमें एक व्यवस्था की गयी है कि एससी, एसटी के लोगों को 4 प्रतिशत द्वारा चलायी गयी एमएसएमई के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि आज देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बहुत दयनीय है और सच्चर कमेटी के अनुसार दलितों से बदतर पोजीशन अल्पसंख्यकों की बतायी गयी है। मैं चाहूंगा कि एससी, एसटी के लिए रखा है तो माइनोरिटी के लिए भी इसमें रखा जाए। देश में एक करोड़ एसएमई यूनिट हैं, जिनमें एक लाख करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: माइनोरिटी को रखा जाये तो ओबीसी का भी होना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: ओबीसी के लिए आप मांग कर दीजिएगा। ओबीसी को भी रखा जाये, हम भी आपकी मांग को बल देंगे, हम भी चाहते हैं कि हो। देश में कुल निर्मित उत्पादों का अगर प्रतिशत देखें तो यह 45 प्रतिशत का योगदान करता है और देश के निर्यात में इसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बावजूद भी पूंजी की कमी है और निर्यात के अलावा कई मोर्चों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के कर्मियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश में चीन के बाजार से आये जो सस्ते उपकरण हैं, उसकी वजह से भी लघु एवं छोटे उद्योगों पर इसका अमूमन 50 प्रतिशत असर पड़ता है। आज बीस अरब डालर के व्यापार के घाटे की समस्या से ये छोटे उद्योग-धंधे जूझ रहे हैं। एक तरीके से इन्हें शुरू करने में पूंजी की बड़ी तंगी आती है, उससे इन्हें जूझना पड़ता है। बैंक भी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को कर्ज देने से कतराते हैं। यहां तक कि धन और पूंजी की कमी की क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह से न कर पाने के कारण इनकी क्षमता में भी वृद्धि नहीं होती। ये चलते हैं और बंद हो जाते हैं। अब तक के आंकड़े देखे जाएं तो छोटे, लघु उद्योगों में बीमार इकाईयों की संख्या भी बढ़ गई है। इसका कारण 75 प्रतिशत धन की कमी को बताया गया है। निर्यात क्षेत्र में 40 प्रतिशत का जो अक्षम योगदान है, इसमें छ: करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार एमएसई के लिए अलग कोष बनाए, यह हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। 92 प्रतिशत इकाईयां व्यक्तिगत या पारिवारिक बचत, या दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर शुरू की जाती हैं। इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ऋण की, विपणन की और लेबर की आती है। इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि इसके लिए एक कोष स्थापित करे ताकि इनको सब्सिडी मिले और जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिले। अभी गुजरात सरकार ने शुरुआत की है 60 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देकर जिसमें तीन वर्षों में एमएसएमई के तहत तीन लाख रोजगार देने की योजना है। 12 जनवरी से यह शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी इसकी शुरुआत हर राज्य में करें ताकि वहां बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सके और वहां लोगों को रोजगार मिल सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, आपने मुझे रैगुलेशन ऑफ फैक्टर बिल 2011 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आज सरकार लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग की एक नयी खरीद नीति के संबंध में यह विधेयक लाई है, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विश्व इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश भी इससे प्रभावित है। यह देश गांवों में बिखरा हुआ है और गांवों में चलने वाले जो उद्योग हैं, वे छोटे हैं, मध्यम हैं, लघु हैं और सूक्ष्म हैं। उनको विकास की जरूरत है, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, उन्हें ऋण प्रदान करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने इस बिल में कुछ संशोधन की बातें रखी हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं जापान की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान की स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक मंदी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई तो वहां की सरकार ने इन्हीं सूक्ष्म, लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों के माध्यम से देश को खड़ा कर दिया। आज वह देश विश्व के विकसित देशों में खड़ा है। महोदय, 2009 में एक नीति बनाई गई। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि किसान क्रैडिट कार्ड की तर्ज पर असंगठित क्षेत्र के लिए 10 लाख की सीमा के साथ फैक्टरिंग उद्यम, पूंजी क्रैडिट रेटिंग तथा एकल बहु प्रयोजन स्वरोजगार क्रैडिट जैसे वित्त पोषण में नये उपाय शुरू किये जाने चाहिए। लेकिन वे

शुरू नहीं हो पाए। वह अभी तक लंबित है। एमएसएमई में, जहां से 45 प्रतिशत तक निर्यात हो रहा है, देश में ढाई लाख से ज्यादा लोग लगे हैं जिसमें छ: करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। यह गांवों में फैला हुआ उद्योग है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां 75 प्रतिशत बीमार इकाइयां धन की कमी की वजह से हैं, 92 प्रतिशत लघु, मध्यम और सूक्ष्म ईकाइयां अपने व्यक्तिगत पारिपारिक माध्यमों से, रिश्तेदारों से या अन्य स्रोतों से ऋण लेकर अपने उद्योगों को चला रही हैं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लगे हुए हैं जो गांवों में रहते हैं, जो ऋण लेना चाहते हैं, जो बैंकों में जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में लगे हुए लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। उनके जूते-चप्पल घिस जाते हैं और जो लोग बीच में होते हैं, वे किसी न किसी माध्यम से बैंकों से व्यवस्था बनाकर औने-पौने पर उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चीन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आज चीन ने अपनी व्यवस्था बढ़ा ली है। उसके बाजार बढ़ गए। उसके उत्पाद हमारे देश में आने लगे और सस्ते दर पर उनके उत्पादों की लोग खरीद करने लगे। इससे छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। कालीन, बुनकर और छोटे-मोटे उद्योग, जो देश में चल रहे हैं, जो आज बीमार हालत में हैं, जो बैंक से मिलने वाले ऋण के अभाव में निश्चित रूप से बंद करने की कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन गरीब परिवारों को सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है, वही हमारे देश में 12, 13 और 15 परसेंट पर ऋण मिल रहा है।

महोदय, कालीन उद्योग, जहां से मैं आता हूं, भदोही पूर्वांचल, जो दो हजार करोड़ से अधिक का निर्यात करता था, आज वह आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जिसे सब्सिडी मिलती थी। उन कम्पनियों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए। उन्हें खादी ग्राम उद्योग की तर्ज पर ऋण देना चाहिए। आज रुपए की कीमत बढ़ घट रही है। कर्ज उन उद्योगों का मर्ज बन चुका है। एमएसएमई पांच प्रतिशत की व्यवस्था से ऋण देना चाहिए। उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए। उनके उत्पाद को बाजार मिलना चाहिए। आपने कहा कि एससी, एसटी के उत्पाद की चार-पांच परसेंट की खरीद की जाएगी, वह कम है। उनकी अधिक परसेंट में भी खरीद की जाए और उन उत्पादों को खरीद करने के लिए बाजार की व्यवस्था की जाए ताकि सरकार की मंशा भी पूरी होगी, कमजोर और बीमार इकाइयां सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी और देश वैश्विक मंदी से मुक्ति पाएगा, महंगाई से मुक्ति पाएगा और सरकार की मंशा भी पूरी होगी।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी): महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिये आपका धन्यवाद।

इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं इस विधेयक की कुछ कमियां भी उजागर करना चाहता हूं। कृपया इन्हें नोट कर दूर करने का प्रयास करें।

विधेयक का आशय आढ़ती के समनुदेशन के लिये एक तंत्र तथा औद्योगिक इकाई को आढ़ती द्वारा प्रतिफल के संदाय के लिये उपबंध करा कर आढ़त कारबार का विनियमन करना है।

विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आढ़त कारबार के विनियमन का प्रावधान किया गया है। विधेयक में रिजर्व बैंक को निदेश जारी करने, आढ़ती से सूचना मांगने और यदि आढ़ती रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वित्तीय संस्थाओं को आढ़त कारोबार करने से प्रतिबद्ध करने के लिये सशक्त बनाया गया है।

इस विधेयक के तहत समनुदेशिता या आढ़त को देनदार से सभी उचित प्राप्तव्य वसूल करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिये वह समनुदेशक के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। देनदार को समनुदेशन के लिये अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा।

विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आढ़ती समनुदेशक से प्राप्त व्यक्तिगत सूचना को सार्वजनिक नहीं करेंगे।

मैं विधेयक में अंतर्विष्ट कुछ प्रावधानों का समर्थन करता हूं लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूं।

सबसे पहले तो विधेयक में आढ़तियों द्वारा प्रभावित कमीशन अथवा छूट की राशि के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। मुझे डर है इससे अनियमित मूल्य निर्धारण होगा और शोषणकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। अत: मेरा सुझाव है कि आढ़त मूल्य निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक जारी करे।

दूसरा, मैंने अनुभव किया है कि विधेयक के खण्ड 8 और खण्ड 18 असंगत हैं। खण्ड 8 में प्रावधान किया गया है कि देनदार समनुदेशिती को प्राप्तव्यों का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है बशर्ते समनुदेशक द्वारा उसे इस संबंध में नोटिस जारी किया गया हो। खण्ड 18 में प्रावधान है कि यदि समनुदेशक देनदान के साथ मूल

संविदा भंग करता है तो देनदार को समनुदेशक या समनुदेशिती को पहले की जा चुकी भुगतान राशि वसूल करने का हकदार नहीं है। मेरा मानना है कि खण्ड 18 में देनदारों के अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है, अत: यह खण्ड 8 के साथ संगत नहीं है जिसमें सभी पक्षों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

तीसरा, खण्ड 18 देनदार को समनुदेशक से खराब सामान अथवा कम आपूर्ति के कारण हुई हानि का दावा करने के अधिकार प्रतिबंधित नहीं करता है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए।

अंत में, विधेयक के खण्ड 32 में कहा गया है कि सरकार "उस प्रारूप और रीति जिसमें गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के संव्यवहारों को फाइल किया जायेगा" के संबंध में नियम बनाएगी। मैं सिफारिश करता हूं कि ये शब्द "गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी के स्थान पर आढ़ती शब्द का प्रयोग किय जाए क्योंकि आढ़ती शब्द की परिभाषा में अन्य सांविधिक कंपनियां भी शामिल हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का समर्थन करता हूं किंतु साथ ही विधेयक की कमियों के प्रति आपत्ति व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय: हम इस विधेयक पर कल चर्चा जारी रखेंगे। अब हम शून्य काल आरम्भ करते हैं क्योंकि हमें सभा अपराह्न 5.45 बजे स्थगित करनी है।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.76 जो बुंदेलखण्ड का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस संबंध में आपने मुझे प्रश्न उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 76, प्रदेश के इलाहाबाद, विन्ध्याचल, चित्रकूट, खजुराहो आदि अनेकों धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को झांसी, ग्वालियर व राजस्थान से जोड़ता है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अत्यन्त ही जर्जर हो गई है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है जिससे बुन्देलखण्ड की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

प्रदेश के इस सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखण्ड के विकास हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज की घोषणा तो की जा चुकी है किन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत जैसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं किन्तु बुन्देलखण्ड के राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने हेतु कोई गंभीर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

अभी हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी द्वारा झांसी में बैठक बुलाई गई थी जिसमें मेरे एवं बुन्देलखण्ड के अन्य सांसदों द्वारा भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत एवं दोहरीकरण हेतु सुझाव दिए गए थे किन्तु अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सका है।

इस राजमार्ग की हालत इलाहाबाद से चित्रकूट, बांदा एवं महोबा एक अत्यन्त दयनीय है। जगह-जगह पुलिया क्षतिग्रस्त हैं एवं बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हो गये हैं, कहीं-कहीं तो सड़क एवं खेतों में अन्तर करना भी मुश्किल है। खेत और सड़क एक जैसे हो गए हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एन.एच.-76 के मरम्मत को तत्काल कराकर इसका दोहरीकरण किया जाए। धन्यवाद।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं जिस इलाके से आता हूं, वह अंग प्रदेश है, महाराजा कर्ण की राजधानी थी। महाभारतकालीन और रामायणकालीन अनेक अवशेष यहां मौजूद हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कुछ जगह जहां खुदाई नहीं हुई है कौरव, पथरौल, पड़ैयाहाट एक ऐसी जगह है। विक्रमशिला का खुदाई स्थल मेरा गांव भी है जो भागलपुर जिले में है। देवघर, जहां से मैं आता हूं, वह द्वादश ज्योतिर्लिंग का जगह है। वह शक्तिपीठ है। उसी तरह त्रिकूट पहाड़ है। बासुकीनाथ है, मंदार जिससे समुद्र मंथन हुआ था। चम्पापुरी, पारसनाथ है, जो कि जैनों का सबसे बड़ा केन्द्र है। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है। बटेश्वरनाथ काशी की तरह महत्व की एक जगह है। मेरा आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक आग्रह है कि जहां-जहां खुदाई नहीं हुई, वहां खुदाई की जाए। इसे पर्यटन के मानचित्र पर लाकर इसकी कनेक्टिविटी एयर, रोड और रेल से कैसे होगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में इस आवश्यक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि हजूर साहेब नांदेड़ देश का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। लाखों की तादाद में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में आते हैं। भारत सरकार ने गुरू-ते-गद्दी के कार्यक्रम के दौरान सिख श्रद्धालुओं को हजूर साहेब नांदेड़ में

दर्शन के लिए आने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए वर्ष 2006-07 के दौरान जेएनएनयूआरएम और बीएसयूबी सहित अन्य स्कीमों के तहत धनराशि आबंटित की थी। इसलिए ठेकेदारों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल कर खुलेआम दुरुपयोग किया। केन्द्र सरकार द्वारा अन्य स्कीमों के तहत दी जाने वाली राशि का भी यहां पर दुरुपयोग किया गया। मैंने कई बार सरकार से इस विषय पर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। नांदेड़ गुरू-ते-गद्दी गुरु गोविन्द सिंहजी का एक स्थल है। वहां भारत और विदेशों से सब सिख समुदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं। तीन सौ साल गुरुनानक, गुरु गोविंद सिंहजी के वहां पूरे होने के बाद केन्द्र सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये की निधि नांदेड़ शहर के विकास के लिए दी थी। जब नांदेड़ शहर के अंदर सड़कें बनाईं, पांच करोड़ का काम, जब उसका टेंडर कॉल हुआ, उसका आर्डर देने के बाद काम करते-करते वह पांच करोड़ का काम रिवाइज्ड करते-करते 15 करोड़ का हो गया। ब्रिज का काम हुआ, वही काम ऐसे ही रिवाइज्ड करते-करते कम से कम दो हजार करोड़ रुपये का हो गया। वहां इतना खर्चा हुआ, दो हजार करोड़ रुपए में से कम से कम एक हजार करोड़ की निधि, ये जो कर्मचारी और वहां जो समिति है *...(व्यवधान)* इन्होंने वहां जो भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच की जाए। इसकी सीबीआई जांच की जाए, यह मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री हंसराज गं० अहीर भी स्वयं को श्री वानखेडे द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध कर रहे हैं।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): सभापति महोदय, मैं देश में नर्सिंग समुदाय के समक्ष आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

हाल के दिनों में हम नर्सिंग समुदाय का बड़े पैमाने पर विरोध करने और उनके उत्पीड़न की घटनाएं देख रहे हैं। इन घटनाओं के फलस्वरूप मैं इस सम्मानवीय सभा के समक्ष यह मुद्दा उठा रहा हूं।

सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, देश की सबसे अधिक नर्सें केरल राज्य से आती हैं। वहां नर्सिंग को एक सम्मानवीय व्यवसाय माना जाता है। उन्हें आप देश के दूर दराज के अस्पतालों और विश्व के लगभग सभी देशों में कार्य करते देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, नर्स-रोगी अनुपात को 500 रोगियों पर एक नर्स तक लाने के लिए देश के 2012 तक लगभग 2.4 मिलियन नर्सों की आवश्यकता है।

यद्यपि जैसा कि आजकल मीडिया रिपोर्टों में आता है, नर्सों को उचित मान्यता नहीं दी जा रही है और प्रायः उन्हें उनके कार्य स्थल और समाज में उनके कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

नर्सों से जुड़े कुछ मुद्दे जिनका अभी समाधान किया जाना है वे हैं नौकरी में सुरक्षा, कम-वेतन, निजी क्षेत्रों में कम प्रोन्नति, अनुकूल परिवेश का अभाव शोषण, कार्य स्थल पर यौन शोषण का बढ़ता खतरा अवसंरचना सुविधाओं का अभाव और निजी क्षेत्रों में बॉड प्रणाली और उनके प्रभाव पत्रों को अनिवार्य रूप से जमा किया जाना आदि।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि अस्पताल में उपचार के दौरान हम सब को नर्स के द्वारा अच्छी देखभाल किए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, हमने कभी उनके भय और बेचैनी को दूर करने की चिंता नहीं की है।

महोदय, नर्सों के सामने आ रही इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि नर्सिंग समुदाय की सेवा शर्तों, वेतनमान कार्य स्थल पर सुरक्षा और उनके कल्याण संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। यह आयोग विभिन्न राज्यों और सरकारी और निजी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अस्पतालों का दौरा करे। मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री पी.टी. थॉमस और श्री के.जी. धनपालन भी स्वयं को श्री राघवन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय सभापति जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

हमारे देश में 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं। दिल्ली से हावड़ा तक 6 लेन बनाने का काम प्रस्तावित है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप 4 लेन को 6 लेन में बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जन-समुदाय को, आम आदमी को सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारे लोक सभा क्षेत्र इटावा में एक अनन्त राम टोल प्लाजा पड़ता है। वहां घण्टों जाम लगा रहता है,

जबकि एक गाड़ी 30 सैकिण्ड में पार होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां अब टोल प्लाजा बनाया गया है, वहां कोई भी वी.आई.पी. लेन नहीं बनाई गई है। इसके अलावा जो 4 लेन बनाई गई, उसमें आये दिन तमाम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जहां पर चौराहे थे, एक रोड दूसरी रोड को क्रॉस करती थी, वहां ओवरब्रिज भी नहीं बनाये गये, इतनी कमियां 4 लेन में की गई।

अब वह हाइवे 6 लेन बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 लेन में ओवरब्रिज बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह टोल प्लाजा ठेके पर चलता है, लेकिन मैं समझता हूं कि परियोजना निदेशक भी उसको चैक करने नहीं जाते हैं, जिससे ठेके की प्रथा में बहुत धांधली होती है और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। पूरे 4 लेन की सड़कें टूट गई हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं होती है। यह जरूर है कि जब 4 लेन की व्यवस्था हुई, तब पूरे देश में टोलटैक्स लगाये गये। उस टोलटैक्स को रोका जाये, उसको माफ किया जाये।

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): मानीय महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं जिस मुद्दे पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह मसला कई बार किसी न किसी रूप में उठा, लेकिन अभी भी इसका कोई सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, ऐसी कोई बात दिखती नहीं है।

देश के बहुत सारे उद्योगपति, जो कि स्वार्थी हैं और नियम और कानून को धता बताने की अक्ल रखते हैं। ऐसे व्यापारियों को गरीबों को सताने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन दुखद यह है कि कभी-कभी प्रदेश सरकार भी उसमें उनकी मदद कर देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामले में न केवल एक ...* की भूमिका निभाई, बल्कि एक ...* का भी समय-समय पर काम किया। जमीन का अधिग्रहण चाहे वह सड़क निर्माण के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, स्कूल आदि के लिए हो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह: रेलवे लाइन के लिए हो और विकास के लिए अगर हो, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे बिल्डरों को औने-पौने दाम में जमीन दिलाकर उद्योगपति उस जमीन से करोड़ों रुपये कमाये, ऐसा मौका देती है, यह बात जमती नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह: हमारी बातें आप सुन लें। उसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कहें। मैं यह चाहता हूं कि कई बार इस तरह से जमीनें खरीदी जाती हैं और करोड़ो रुपये उसमें कमाये जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आदमी बता सकता है कि ये जमीनें बिल्डरों के लिए खरीद कर दी गई। अगर उससे पैसे बनाने की बात बने तो यह बात जमती नहीं है।

मैं आपसे सदन के माध्यम से ही यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस भूमि अधिग्रहण कानून को, जिसमें नियम बदलने की बात चल रही है, वह जल्दी हो। मैं चाहता हूं कि इसमें सी.बी.आई. की जांच भी हो और बहुत सारे अधिकारी-कर्मचारी, जो पैसे बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

श्री दारा सिंह चौहान: मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात सैण्ट्रल गवर्नमेंट मान ले तो यह सारा मामला ठीक हो जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री जगदानन्द सिंह जी बोलेंगे। आपके पास बोलने के लिए दो मिनट का समय है क्योंकि हम सभा की कार्यवाही स्थगित करने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं बिहार प्रदेश के बक्सर नगर के बारे में आपके माध्यम से चर्चा करना चाहता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बक्सर के महत्व को मुझे इस रूप में आपके सामने रखना है कि विश्वामित्र के आश्रम में श्री भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था। बक्सर राष्ट्र की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहां भगवान राम ने ज्ञान प्राप्त किया था और अयोध्या में राजकुमार बनने के बाद उनके भगवान बनने की क्रिया वहीं से शुरू हुई थी। आज बक्सर बिल्कुल अनाथ की तरह पड़ा हुआ है। विश्वामित्र का आश्रम, जितने प्राचीन हमारे स्थान हैं, बिहार सरकार की उदासीनता और भारत सरकार की लापरवाही के कारण, आर्केलॉजी और पर्यटन विभाग की दृष्टि में न होने के कारण नष्ट होते चले जा रहे हैं। गंगा के किनारे अवस्थित बक्सर पौराणिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहां से ज्ञान प्राप्त कर भगवान राम ने लंका की विजय प्राप्त की थी। मैं बक्सर की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जितने पौराणिक काल के स्थान थे, लोगों की लापरवाही के कारण समाप्त होते जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि आर्केलॉजी डिपार्टमेंट (पुरातत्व विभाग) ऐसे स्थानों को संरक्षित करे और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में बक्सर को विकसित करे। वहां लाइट एंड साउंड केन्द्र सरकार के द्वारा स्थापित था, जो लंबे समय से लापरवाही के कारण आज समाप्त हो गया है। उसका पुनर्स्थापन करे और पर्यटन की दृष्टि से हर तरह से बक्सर को विकसित करे, ताकि राष्ट्र का यह सांस्कृतिक केन्द्र फिर अपने गौरव और वैभव को प्राप्त कर सकें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का तो महत्वपूर्ण केन्द्र है ही, खेल की गतिविधियों का भी बड़ा केन्द्र है। मेरठ ने खेल के क्षेत्र में अलका तोमर कुश्ती में, प्रवीण कुमार क्रिकेट में, गुरुचांद सिंह बॉलीवाल में तथा हाल ही में एशिया कप जीतने वाली हाकी टीम के खिलाड़ी के रूप में विकास शर्मा जैसे खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन मेरठ के अंदर खेल के बुनियादी ढांचे की दशा बहुत खराब है। यह सरकार खेलों के आयोजन पर तो दिल खोलकर खर्चा करती है, मैं यहां कलमाड़ी जी के नेतृत्व में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु खेलों पर इसका खर्चा बहुत कम है। मेरठ के स्टेडियम में जिन गद्दों पर कुश्ती का अभ्यास होता है, वे जगह-जगह से टूटे पड़े हैं, जिससे खिलाड़ियों के हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। स्टेडियम में हाकी का अभ्यास करने के लिए एस्ट्रोटर्फ नहीं है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में खेल की बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करते हुए स्टेडियम में कुश्ती के लिए नये गद्दे बिछवाये जाएं तथा हाकी का अभ्यास करने के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने की व्यवस्था की जाए।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, गंगा के मैदान में आर्सेनिक के असर के बारे में एसईएसके डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर दीपांकर चक्रवर्ती के शोध के अनुसार गंगा के अंतिम छोर बंगाल की खाड़ी, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्सेनिक पाया गया है। बेतहाशा दोहन व कुओं के समाप्त होने के कारण जमीन के भीतर जल में आर्सेनिक अर्थात संखिया बहुत बढ़ गई है। बोरवेल व हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे हैं। शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार चक्रवर्ती ने हमारे संसदीय क्षेत्र बलिया में आर्सेनिक होने की पुष्टि की थी। उ.प्र. में बलिया सहित बरेली, खीरी, बहराइच, गोरखपुर, बक्सर, भोजपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर जनपद पूर्ण प्रभावित हैं। पानी पीने से त्वचा, फेफड़ों, मूत्राशय, गुर्दे के कैंसर आदि बीमारी से लोग मर रहे हैं। हमारे क्षेत्र बलिया जनपद में ही 3.5 लाख लोग बीमार हैं और असमय ही काल के गाल जा रहे हैं। खीरी में 165 गांव, बहराइच में 438 गांव, बरेली में 14, गोरखपुर में 45, गाजीपुर में 24, चंदौली में 19 गांव इससे प्रभावित हैं। हमारे बलिया के वैरिया ब्लाक में 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने बलिया में 500 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया है। बलिया के ग्राम बाबूरानी में 225, हासनगर पुरानी बस्ती में 400, उदवंत छपरा में 360, चोबे छपरा में 220, चैन छपरा में 500, रायपुर एकौना में 500, हरिहरपुर में 200, बहुआरा में 130, भोजापुर में 130, सुल्तानपुर में 140, चांदपुर में 140 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया गया।

महोदय मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें प्रभावी पहल करे और आम जनता को इससे मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार इस जनपद के लोगों को बचाने के लिए विशेष पैकेज दे और वहां वैज्ञानिक भेजे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल 21 दिसम्बर, 2011 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत् होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 5.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 21 दिसम्बर, 2011/30, अग्रहायण 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	361
2.	श्री मनीष तिवारी श्री संजय दिना पाटील	362
3.	श्री मनोहर तिरकी श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	363
4.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	364
5.	श्री एंटो एंटोनी श्री रवनीत सिंह	365
6.	श्रीमती ज्योति धुर्वे श्री प्रभातसिंह पी० चौहान	366
7.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	367
8.	श्री सुशील कुमार सिंह श्री महेश्वर हजारी	368
9.	श्री हरिन पाठक श्री मधुसूदन यादव	369
10.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री अधलराव पाटील शिवाजी	370
11.	डॉ० सुचारू रंजन हल्दर	371
12.	श्री राम सुन्दर दास श्री बृजभूषण शरण सिंह	372
13.	श्री एन०एस०वी० चित्तन	373
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले श्री जोस के० मणि	374
15.	डॉ० भोला सिंह श्री अनुराग सिंह ठाकुर	375
16.	श्री जगदानंद सिंह	376
17.	श्री पी० कुमार	377
18.	श्रीमती भावना पाटील गवली	378
19.	श्री यशवंत लागुरी श्री मनसुखभाई डी० बसावा	379
20.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय श्री नरहरि महतो	380

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4265, 4322
2.	श्री आधि शंकर	4165, 4317
3.	श्री आनंदराव अडसुल	4141, 4265
4.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	4146, 4319, 4343
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4155
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	4184, 4240, 4313, 4341
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	4206, 4356
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	4247, 4313
9.	श्री सुरेश अंगड़ी	4317
10.	श्री घनश्याम अनुरागी	4242, 4286, 4310
11.	श्री अशोक अर्गल	4229
12.	श्री कीर्ति आजाद	4148, 4359
13.	श्री गजानन ध. बाबर	4265, 4303
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	4283

1	2	3
15.	श्री रमेश बैस	4249, 4295
16.	श्री कामेश्वर बैठा	4144
17.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	4256
18.	डॉ. बलीराम	4238, 4367
19.	श्री पुलीन बिहारी बासके	4277
20.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	4240
21.	श्री अवतार सिंह भडाना	4325
22.	श्री सुदर्शन भगत	4268
23.	श्री ताराचन्द भगोरा	4168
24.	श्री शिवराज भैया	4248
25.	श्री समीर भुजबल	4230
26.	श्री भजन लाल	4159
27.	श्री हेमानंद बिसवाल	4318
28.	श्री सी. शिवासामी	4199
29.	श्री हरीश चौधरी	4185, 4323, 4358
30.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	4200, 4265, 4314, 4366
31.	श्री दारा सिंह चौहान	4201
32.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4174, 4312
33.	श्री भूदेव चौधरी	4288
34.	श्री निखिल कुमार चौधरी	4215, 4362
35.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4175, 4318, 4334
36.	श्री खगेन दास	4208, 4265
37.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	4244
38.	श्रीमती रमा देवी	4196, 4308, 4349
39.	श्री के.पी. धनपालन	4304, 4315
40.	श्री संजय धोत्रे	4278
41.	श्री आर. ध्रुवनारायण	4163, 4344
42.	श्री निशिकांत दुबे	4244, 4302
43.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	4308
44.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	4235
45.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	4309
46.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	4189
47.	श्रीमती मेनका गांधी	4294
48.	श्री वरुण गांधी	4218, 4357
49.	श्री ए. गणेशमूर्ति	4274, 4313
50.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	4234
51.	श्री राजेन गोहैन	4242
52.	श्री एन. राज गोपाल	4208
53.	श्री शिवराम गोडा	4239
54.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4192, 4224, 4227, 4324
55.	श्री महेश्वर हजारी	4221, 4305, 4316
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	4164, 4257
57.	शेख नूरुल इस्लाम	4259
58.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4254, 4308
59.	श्री बलीराम जाधव	4207
60.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4166, 4287, 4358
61.	श्री बद्रीराम जाखड़	4172
62.	श्रीमती दर्शना जरदोश	4171, 4305, 4366

1	2	3
63.	श्री हरिभाऊ जावले	4335
64.	श्रीमती जयाप्रदा	4230, 4246
65.	श्री नवीन जिन्दल	4149, 4338
66.	श्री कैलाश जोशी	4187, 4280
67.	श्री महेश जोशी	4297, 4318
68.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	4247, 4321
69.	श्री प्रहलाद जोशी	4250
70.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	4204, 4353
71.	श्री पी. करुणाकरन	4263
72.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	4307
73.	श्री राम सिंह कस्वां	4162, 4319, 4331
74.	श्री नलिन कुमार कटील	4236
75.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	4190, 4308, 4369
76.	श्री चंद्रकांत खैरे	4258, 4321
77.	श्री हसन खान	4173
78.	डॉ. कृपारानी किल्ली	4209, 4315
79.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4252, 4318
80.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	4254
81.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4310, 4315
82.	श्री मिथिलेश कुमार	4368
83.	श्री विश्व मोहन कुमार	4225, 4273
84.	श्री अर्जुन मुंडा	4241
85.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4170, 4314 4366
86.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4209, 4211, 4364
87.	श्री सतपाल महाराज	4291
88.	श्री नरहरि महतो	4306, 4312, 4333
89.	श्री प्रदीप माझी	4160, 4275, 4320
90.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	4326, 4361
91.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	4300
92.	श्री मंगनी लाल मंडल	4251
93.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	4251, 4309, 4313
94.	श्री जोस के. मणि	4265, 4325
95.	श्री हरि मांझी	4231
96.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	4233
97.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4144, 4209, 4339
98.	श्री भरत राम मेघवाल	4289
99.	श्री महाबल मिश्रा	4261
100.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	4319
101.	श्री पी.सी. मोहन	4313
102.	श्री गोपीनाथ मुंडे	4249
103.	श्री विलास मुत्तेमवार	4210
104.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4202
105.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4309, 4315
106.	श्री संजय निरुपम	4219
107.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	4157, 4234, 4342
108.	श्री पी.आर. नटराजन	4260
109.	श्री वैजयंत पांडा	4266, 4281

1	2	3
111.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4217
112.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4308, 4322
113.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	4292
114.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	4309
115.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4243
116.	श्री किसनभाई वी. पटेल	4160, 4275, 4320
117.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	4255
118.	श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल	4177
119.	श्री हरिन पाठक	4310
120.	श्री संजय दिना पाटील	4309, 4315
121.	श्री ए.टी. नाना पाटील	4223, 4318
122.	श्रीमती भावना पाटील गवली	4308, 4311
123.	श्री सी.आर. पाटिल	4227, 4366
124.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	4318
125.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	4193, 4309
126.	श्रीमती कमला देवी पटले	4306, 4308
127.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4197, 4232, 4258, 4340, 4350
128.	श्री अमरनाथ प्रधान	4321
129.	श्री नित्यानंद प्रधान	4266
130.	श्री प्रेमदास	4314
131.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4154, 4318, 4337
132.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	4222
133.	श्री एम.के. राघवन	4150

1	2	3
134.	श्री अब्दुल रहमान	4192
135.	श्री प्रेम दास राय	4299
136.	श्री सी. राजेन्द्रन	4234
137.	श्री एम.बी. राजेश	4269
138.	श्री पूर्णमासी राम	4245
139.	श्री रामकिशुन	4312
140.	श्री जगदीश सिंह राणा	4182
141.	श्री निलेश नारायण राणे	4158, 4298, 4347
142.	श्री रायापति सांबासिवा राव	4191, 4307
143.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	4212
144.	श्री रामसिंह राठवा	4265
145.	श्री अशोक कुमार रावत	4147, 4307, 4355
146.	श्री अर्जुन राय	4267, 4321
147.	श्री विष्णु पद राय	4153, 4327
148.	श्री रुद्र माधव राय	4143, 4224, 4209
149.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4188, 4265 4363
150.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	4313, 4315
151.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	4178, 4336
152.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	4293, 4318, 4322
153.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	4306, 4312, 4326, 4333
154.	श्री एस. अलागिरी	4270, 4311
155.	श्री एस. सेम्मलई	4237

1	2	3
156.	श्री एस. पक्कीरप्पा	4308, 4313
157.	श्री एस.आर. जेयदुरई	4194, 4348
158.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4205, 4354
159.	श्री विष्णु देव साय	4198
160.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	4253
161.	श्रीमती सुशीला सरोज	4320
162.	श्री तूफानी सरोज	4220
163.	श्री हमदुल्लाह सईद	4161, 4280, 4329
164.	श्री अर्जुन चरण सेठी	4213
165.	श्रीमती जे. शांता	4180, 4273
166.	श्री नीरज शेखर	4230, 4246
167.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	4181, 4183, 4340
168.	श्री राजू शेट्टी	4166, 4330
169.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	4209
170.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4164, 4186
171.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	4214
172.	डॉ. भोला सिंह	4346
173.	श्री भूपेन्द्र सिंह	4284, 4319
174.	श्री दुष्यंत सिंह	4285
175.	श्री गणेश सिंह	4151, 4319, 4345
176.	श्री इज्यराज सिंह	4264, 4308
177.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	4262
178.	श्रीमती मीना सिंह	4272
179.	श्री मुरारी लाल सिंह	4169
180.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4226
181.	श्री राधा मोहन सिंह	4298, 4308
182.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	4282
183.	श्री राकेश सिंह	4156, 4187
184.	श्री रवनीत सिंह	4152, 4328
185.	श्री सुशील कुमार सिंह	4332
186.	श्री उदय सिंह	4225, 4273
187.	श्री यशवीर सिंह	4230, 4246, 4279
188.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	4313
189.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4267
190.	राजकुमारी रत्ना सिंह	4254, 4264, 4311
191.	डॉ. संजय सिंह	4270, 4308
192.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4167, 4365
193.	डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	4171, 4314, 4320
194.	श्री ई.जी. सुगावनम	4145, 4352
195.	श्री के. सुगुमार	4176, 4271
196.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4309
197.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	4203, 4324
198.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	4164, 4298, 4312, 4370
199.	श्री मानिक टैगोर	4290
200.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	4280
201.	श्री मनीष तिवारी	4308

1	2	3
202.	श्री आर. थामराईसेलवन	4142
203.	श्री मनोहर तिरकी	4361
204.	श्री लक्ष्मण टुडु	4323
205.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	4221
206.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4349, 4351
207.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4181
208.	श्रीमती ऊषा वर्मा	4221, 4316
209.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	4296
210.	श्री पी. विश्वनाथन	4216, 4360

1	2	3
211.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4276, 4313
212.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	4278
213.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	4195
214.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4265, 4303
215.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	4228, 4313
216.	श्री ओम प्रकाश यादव	4179, 4314
217.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4224
218.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	4301
219.	योगी आदित्यनाथ	4319

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	367, 370, 376, 378
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	368, 372, 375
संस्कृति	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	366
गृह	:	361, 362, 377
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	379
सूचना और प्रसारण	:	363, 380
शहरी विकास	:	364, 365
युवा कार्यक्रम और खेल	:	369, 371, 373, 374

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	4144, 4147, 4150, 4160, 4166, 4169, 4181, 4182, 4191, 4192, 4194, 4195, 4198, 4219, 4220, 4236, 4248, 4258, 4259, 4261, 4265, 4267, 4276, 4280, 4287, 4291, 4293, 4299, 4300, 4303, 4308, 4314, 4316, 4320, 4321, 4322, 4333, 4334, 4345, 4347, 4350, 4355, 4362, 4365
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	4142, 4157, 4162, 4164, 4165, 4171, 4175, 4178, 4184, 4188, 4200, 4202, 4204, 4226, 4247, 4251, 4254, 4260, 4274, 4286, 4313, 4318, 4324, 4329, 4336, 4339, 4340, 4342, 4343, 4344, 4353
संस्कृति	:	4151, 4158, 4193, 4201, 4203, 4214, 4215, 4224, 4239, 4250, 4263, 4275, 4288, 4290, 4294, 4296, 4304, 4328, 4341, 4357, 4360, 4363, 4366, 4370
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	4154, 4302
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4183, 4197, 4208, 4312, 4335
गृह	:	4141, 4143, 4145, 4146, 4153, 4159, 4161, 4163, 4168, 4176, 4177, 4780, 4186, 4190, 4196, 4199, 4205, 4206, 4207, 4209, 4210, 4211, 4212, 4216, 4218, 4222, 4223, 4225, 4227, 4230, 4231, 4232, 4234, 4235, 4237, 4240, 4241, 4242, 4245, 4246, 4249, 4256, 4257, 4264, 4268, 4271, 4272, 4277, 4281, 4283,

		4284, 4289, 4295, 4298, 4301, 4307, 4310, 4323, 4325, 4326, 4327, 4331, 4338, 4346, 4348, 4349, 4652, 4356, 4658, 4359, 4364, 4367, 4368, 4369
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	4185, 4187, 4189, 4252, 4282, 4306
सूचना और प्रसारण	:	4148, 4167, 4170, 4172, 4213, 4221, 4228, 4233, 4244, 4262, 4269, 4270, 4297, 4311, 4317, 4361
शहरी विकास	:	4152, 4155, 4156, 4174, 4179, 4229, 4253, 4278, 4279, 4292, 4309, 4315, 4319, 4332, 4337, 4351, 4354
युवा कार्यक्रम और खेल	:	4149, 4173, 4217, 4238, 4243, 4255, 4273, 4285, 4305.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/19/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।